# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची
## जुलाई, 2026 सत्र

## गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026

## भाग-1
## तारांकित प्रश्नोत्तर

**<u>विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा का आबंटन</u>**

[मछली पालन]

**1. ( *क्र. 688 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा आबंटन में कौन-कौन से समिति/समूह पात्र हैं तथा वर्तमान में कौन सी मछली पालन नीति प्रभावशील है ? जानकारी देवें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति/समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य से अधिक हो सकते हैं ? यदि हाँ, तो किस नियम/आदेश के तहत है ? नियम/आदेश सहित जानकारी देवें ? यदि नहीं तो क्या ऐसी समिति/समूह पट्टा आबंटन हेतु पात्र हैं ? जानकारी देवें ? **(ग)** क्या जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम सरहर एवं विकासखण्ड बलौदा के नगर पंचायत, बलौदा में मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में अनियमितता के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :(क)** प्रदेश में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा आबंटन के लिए समिति/समूह की पात्रता के संबंध में **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है** तथा वर्तमान में नवीन मछलीपालन नीति-2022 प्रभावशील है। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत् समिति/समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य से अधिक हो सकते हैं का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम-नियम के तहत् पंजीकृत मछुआ समिति/समूह पट्टा आबंटन हेतु पात्र होंगे। **(ग)** जी हां, जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम सरहर एवं विकासखण्ड बलौदा के नगर पंचायत, बलौदा में मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में अनियमितता के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है। कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा गठित जांच समिति ने अनियमितता की शिकायत को निराधार पायी है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - एक"]**

**<u>दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा, (दुर्ग) में उपकरण क्रय में अनियमितता</u>**

[पशुधन विकास]

**2. ( *क्र. 848 ) श्री ललित चंद्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024 से 25-06-2026 तक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अंजोरा, (दुर्ग) के दाऊ वासुदेव

चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय लाइवलीहुड सेंटर में कुल कितने उपकरण क्रय किए गए, किस माध्यम से - (टेंडर/GeM - से किए गए ? क्या क्रय समिति में डेयरी के तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य थे या नहीं ? यदि नहीं तो कारण बताएं ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार समस्त उपकरणों की सूची मय खरीदी दर, फर्म का नाम एवं गारंटी अवधि की जानकारी दें ? किन उपकरणों की खरीदी/भुगतान पूर्व डेमो में हुआ और किनका नहीं हुआ है ? जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' के अनुसार यदि हां, तो मिल्क पाश्चराइजर मशीन वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो बिना डेमो भुगतान क्यों किया गया ? क्या दोषी पाए गये अधिकारी पर उचित कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वर्ष 2024 से 25-06-2026 तक दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय लाइवलीहुड सेंटर में कुल 09 उपकरण क्रय किए गए जो कि गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग (जेम)/ कोटेशन के माध्यम से क्रय किए गए। उपकरण क्रय समिति में डेयरी के 02 तकनीकी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। **(ख)** प्रश्नांश क के अनुसार उपकरणों की सूची मय खरीदी दर, फर्म का नाम एवं गारंटी अवधि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश ख के अनुसार मिल्क पाश्चराइजर मशीन क्रय नहीं होने से प्रश्न ही उद्‌भूत नहीं होता है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - दो"]**

## सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों के लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**3. ( *क्र. 880 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या दिनांक 27 फरवरी, 2026 परि. अता. प्र.सं. 43 (क्रमांक 891) के उत्तर अनुसार सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों को पूर्व वर्ष 2024-25 की बचत उर्वरक सम्मिलित कर एवं 12 फरवरी, 2026 के बचत जिलावार, मौसमवार निर्धारित लक्ष्य एवं उठाव की उर्वरकवार जानकारी दी गयी है ? **(ख)** 12 फरवरी, 2026 के बचत उर्वरक को सम्मिलित करते हुए सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों में लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार की किन-किन कंपनियों से कितनी-कितनी मात्रा में छत्तीसगढ़ शासन को उर्वरक प्राप्त हुआ है ? लक्ष्य एवं लक्ष्य के विरूद्ध में लक्ष्य की पूर्ति हेतु उर्वरक की आपूर्ति सहकारिता एवं निजी क्षेत्र की जिलावार मौसमवार, उर्वरकवार, कंपनीवार जानकारी देवें ? **(ग)** निजी क्षेत्रों के किन-किन होल सेलर्स को, कौन-कौन सी उर्वरक, कितनी मात्रा में प्रदान की गयी है एवं उसका प्रतिशत कितना है ? उर्वरकवार, होलसेलर्सवार, मात्रावार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ। **(ख)** केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित उर्वरक मात्रा की आपूर्तिकर्ता कंपनीवार, उर्वरकवार, मौसमवार दिनांक 13.02.2026 से 31.03.2026 (रबी 2025-26) एवं 01.04.2026 से 30.06.2026 (खरीफ 2026) तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** लक्ष्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु दिनांक 13.02.2026 से 31.03.2026 (रबी 2025-26) एवं 01.04.2026 से 08.07.2026 (खरीफ 2026) की सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति की जिलावार, मौसमवार, कंपनीवार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** भारत सरकार द्वारा माहवार, उर्वरकवार, कंपनीवार आबंटन अनुसार उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केंद्रों एवं निजी थोक विक्रेताओं को उर्वरक भंडारण/आपूर्ति की जाती है। तत्पश्चात् संग्रहण केंद्रों द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों को तथा निजी थोक विक्रेताओं द्वारा निजी खुदरा विक्रेताओं को कृषकों को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। वितरण पश्चात् विभाग द्वारा कौन-कौन से उर्वरक कितनी-कितनी मात्रा शेष है, की जानकारी संधारित की जाती है परंतु कंपनीवार शेष बचत मात्रा की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

**(ग)** निजी क्षेत्रों के होलसेलर्स को प्रदाय उर्वरकवार, जिलावार, कंपनीवार प्रदाय मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ एवं ई अनुसार है।** वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत खरीफ वर्ष 2026 में सहकारिता क्षेत्र में यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों की सामान्यतः पूर्ति अनुपात क्रमशः 70 एवं 75 प्रतिशत के आधार पर कराई जा रही है। शेष मात्रा निजी थोक विक्रेताओं को उपलब्ध कराई जा रही है।

## फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योग स्थापना एवं दोषियों पर कार्रवाई

[आवास एवं पर्यावरण]

**4. ( *क्र. 164 ) श्री भूपेश बघेल :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम अलदा में 'बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड' तथा ग्राम देवरी-घुलघुल में 'अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना, विस्तार, पर्यावरण NOC या भूमि आबंटन/डायवर्सन हेतु ग्रामसभा प्रस्ताव शासन को मिले ? यदि हाँ, तो कम्पनियों के पक्ष में किस कार्य हेतु, किस तिथि को प्रस्ताव प्राप्त हुए ? **(ख)** क्या ग्राम अलदा की ग्रामसभा प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत पर CEO, जनपद पंचायत, तिल्दा तथा तहसीलदार की संयुक्त समिति ने जांच की ? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन किस तिथि को सौंपा गया और उसमें क्या पाया गया ? प्रतिवेदन की प्रति देवें ? **(ग)** जांच के आधार पर दिनांक 17.06.2026 तक कम्पनियों के प्रबंधकों, संलिप्त अधिकारियों व दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई ? **(घ)** सरकार कूटरचित प्रस्तावों के आधार पर जारी समस्त स्वीकृतियां निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कब तक ठोस कार्रवाई करेगी ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** मेसर्स बालाजी स्पंज एण्ड आयरन लिमिटेड, ग्राम-आल्दा, जिला-रायपुर एवं मेसर्स अग्रेसन स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-देवरी-घुलघुल, जिला-रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अत: ग्रामसभा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** जी, हॉ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम अल्दा की ग्रामसभा प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्दा तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार व तत्कालीन तहसीलदार तिल्दा नेवरा की त्रि-सदस्यीय संयुक्त समिति ने दिनांक 06.06.2025 को जांच की। उक्त जांच प्रतिवेदन 30.06.2025 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तिल्दा जिला रायपुर को प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सभा में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये जाने तथा कार्यवाही पंजी में अंतिम दो लाईन किसके द्वारा लिखी गयी है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होने का उल्लेख है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर द्वारा ग्राम पंचायत अल्दा के प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा-नेवरा में लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 0279 दिनांक 22.06.2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है।**(घ)** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]**

## नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

**5. ( *क्र. 481 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का निर्णय कब लिया गया? उसके उद्देश्य क्या हैं? उसके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किया जाना है? कितनी राशि का बजट प्रावधान रखा गया है? कितनी राशि किन-किन कार्यो के लिये व्यय की जा चुकी है? 15 जून, 2026 तक उसकी भौतिक स्थिति क्या है? निर्धारित समयावधि में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि अपूर्ण है तो उसके कारण व दोषी कौन है? उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? **(ख)** क्या उक्त सेवाग्राम के संचालन हेतु सेटअप स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो किन-किन कार्यो के लिये कितने पदों की स्वीकृति दी गयी है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का निर्णय दिनांक 10 मार्च 2022 को लिया गया। प्रस्तावित सेवा ग्राम का उद्देश्य आजादी की लड़ाई के मूल्यों , सिद्धान्तों व आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी की आत्म निर्भर की राम -राज्य की संकल्पना को अक्षुण्य रखने तथा भावी पीढ़ी को उन मूल्यों की जानकारी देना तथा संस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं 'आत्मनिर्भर ग्राम" की कल्पना को साकार करने हेतु कारीगरों के प्रशिक्षण करने का उद्देश्य है । इसके अंतर्गत बायोडायवर्सीटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉण्ड, विजिटर सेन्टर प्रेयर हाल, म्यूजियम/एक्जीबिशन-हॉल/गैलरी, लायब्रेरी, स्थानीय क्राफ्ट की दुकाने, एम्पीथियेटर, सेवाश्रम-रिहायशी क्षेत्र यथा प्रशिक्षु के निवास, आर्टिस्ट के निवास, कामन किचन एवं चिकित्सालय, क्लासरूम एवं वर्कशाप, फ्रीडम वॉक एवं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया जैसे कार्य किया जाना है। उक्त कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹08.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹60.00 करोड, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 61.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। मल्टीपरपज डाईनिग हॉल, सामुदायिक किचन एवं प्रसाधन कक्ष का निर्माण में रू. 3.72 करोड़ का व्यय हुआ है।बायोडायवर्सीटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉण्ड, विजिटर सेन्टर-प्रेयर हॉल, गैलरी, म्यूजियम / एक्जीबिशन - हॉल /लायब्रेरी, स्थानीय क्राफ्ट की दुकाने, एम्पीथियेटर, सेवाश्रम-रिहायशी क्षेत्र यथा प्रशिक्षु के निवास, आर्टिस्ट के निवास, चिकित्सालय, क्लासरूम एवं वर्कशाप, फ्रीडम वॉक इत्यादि के निर्माण कार्य में रू. 104.05 करोड़ का व्यय हुआ है। समस्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** सेवाग्राम के संचालन हेतु सेटअप स्वीकृत नही किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों का वेतन भुगतान

[वित्त]

**6. ( *क्र. 1033 ) श्री आशा राम नेताम :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रदत्त वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण (Short Term Loan) प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें ? **(ख)** क्या स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को अनुदान मद से वेतन/भत्तों का भुगतान करने के कारण कर्मचारियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? **(ग)** क्या शासन प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान मद की जगह ई-कोष से वेतन आहरण करने की दिशा में कोई ठोस योजना बना रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं।

**<u>'ज्ञान भारतम् अभियान' अंतर्गत छ.ग. की प्राचीन पांडुलिपियों एवं ताम्रपत्र का सत्यापन एवं संरक्षण</u>**

[संस्कृति]

**7. ( *क्र. 760 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारत सरकार के 'ज्ञान भारतम् अभियान' के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से गत माह की स्थिति में कुल कितनी प्रविष्टियां की गई? इनमें से कितनी प्रविष्टियां सत्यापित (वेरीफाइड) तथा कितनी प्रविष्टियां अस्वीकृत (रिजेक्टेड) हैं ? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें ? **(ख)** मल्हार (जिला बिलासपुर/मस्तूरी क्षेत्र) से प्राप्त बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाएं सत्यापित हैं अथवा अस्वीकृत ? संबंधित अभिलेख की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें ? **(ग)** इन ताम्रपट्टिकाओं की खोज कब हुई थी? इसकी लिपि और भाषा क्या है ? विवरण देवें ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** भारत सरकार के 'ज्ञानभारतम् अभियान' के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से गत माह की स्थिति में मोबाइल एप के माध्यम से कुल 886 प्रविष्टियां (124422 पांडुलिपियाँ) पोर्टल पर दर्ज की गई है। ज्ञानभारतम केंद्र नई दिल्ली द्वारा इनमें से 453 प्रविष्टियां (12040 पांडुलिपियाँ) सत्यापित (वेरीफाइड) तथा 433 प्रविष्टियां (112382 पांडुलिपियाँ) अस्वीकृत (रिजेक्टेड) हैं। पृथक-पृथक सूची**पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख)** मल्हार (जिला बिलासपुर/मस्तूरी क्षेत्र) से प्राप्त बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाएं ज्ञानभारतम पोर्टल की सत्यापित सूची में प्रविष्टि क्रमांक 286 पर दर्ज हैं। सर्वेक्षित जानकारी के अनुसार संबंधित अभिलेख वर्तमान में मल्हार निवासी श्री संजीव पाण्डेय के आधिपत्य में है। **(ग)** विभाग से 2005 में प्रकाशित ग्रन्थ उत्कीर्ण लेख में प्रकाशित सूचना अनुसार इन ताम्रपट्टिकाओं की खोज 1987 में हुई थी। इसकी लिपि पेटिकाशीर्ष ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। विस्तृत विवरण के लिए प्रकाशित सामग्री की छायाप्रति जानकारी **पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

**<u>चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का प्रस्ताव</u>**

[पर्यटन]

**8. ( *क्र. 776 ) श्री रामकुमार यादव :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को राज्य शासन द्वारा पर्यटन स्थल अथवा धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? यदि हां, तो उक्त दर्जा कब प्रदान किया गया तथा इसके लिए जारी आदेश का विवरण क्या है ? **(ख)** विगत दो वर्षों में मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? वर्षवार एवं कार्यवार विस्तृत विवरण देवें ? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार यदि मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, तो क्या शासन द्वारा इसे पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने तथा आवश्यक विकास कार्य स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि नहीं तो क्यों ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** जी हां, मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1521/प.मं./2004 दिनांक 09.06.2004 द्वारा मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल की श्रेणी में राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। आदेश की प्रति **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** विगत दो वर्षों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। शक्तिपीठ कॉरिडोर सर्किट योजना में राज्य के 5 प्रमुख देवी मंदिरों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर-चन्द्रपुर शामिल है जिसके विकास हेतु योजना तैयार की जा रही है।**(ग)** मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है साथ ही शक्तिपीठ कॉरिडोर/सर्किट के विकास

हेतु योजना तैयार की जा रही है। जिसमें मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर भी शामिल है। योजना तैयार होने उपरान्त इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चार"]**

## छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी गौरलाटा के विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति

[पर्यटन]

**9. ( *क्र. 1025 ) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा में ता.प्र.सं. 19 (क्र. 1114), दिनांक 13/03/2026 में दी गई जानकारी अनुसार गौरलाटा पर्यटन स्थल के विकास हेतु प्राप्त ₹3.40 करोड़ के प्रस्ताव पर वर्तमान में क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** क्या जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा गौरलाटा को नवीन पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किए जाने हेतु शासन को अनुशंसा भेजी गई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक ऊँची चोटी गौरलाटा (सामरी विधानसभा क्षेत्र) को राज्य के पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर नवीन पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो इसे कब तक मान्यता प्रदान किए जाने की संभावना है? **(घ)** गौरलाटा में सड़क, पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल, सूचना केंद्र एवं सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु क्या कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा क्या है? यदि नहीं तों कब तक स्वीकृत की जाएगी?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** गौरलाटा को पर्यटन स्थल के रूप विकसित किए जाने हेतु जिला कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज से रु. 3.40 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिसका स्थल परीक्षण दिनांक 20.07.2023 को विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से कराया गया। इसे वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में स्वीकृत नही होने के कारण जिला स्तर पर उपलब्ध मदों/डी.एफ.एम या अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराने हेतु जिला प्रशासन को लेख किया गया। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** गौरलाटा को पर्यटन स्थल के रुप में चिन्हांकित नही किया गया है।। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उसका परीक्षण कर नये पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने की कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** जी नहीं । प्रशनांश उद्‌भूत नही होता । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## नगर पंचायत, अंतागढ़ में वन अधिकार मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रदाय

[आदिम जाति विकास]

**10. ( *क्र. 737 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले के अंतागढ़ तहसील में नगर पंचायत अंतागढ़ में कितने एवं किन-किन लोगों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र (व्यक्तिगत) प्रदाय किया गया है? नामवार, संवर्गवार (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य/अन्य) पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश क अनुसार उक्त में से गलत जानकारी देने एवं 75 वर्ष से कम समय होने की शिकायत के चलते जांच उपरांत जिला कलेक्टर एवं जिला समिति के द्वारा निरस्त किया गया था? यदि हॉ तो कितने लोगों के प्रमाण पत्र निरस्त किए गए नाम एवं कारण सहित पूर्ण जानकारी देवें? **(ग)** वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र जो निरस्त किए गए वे शासकीय कर्मचारियों के व इनके पत्नी, पुत्र के भी थे? यदि हॉ तो उनके नाम, पदनाम एवं कार्यालय नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें? **(घ)** वन अधिकार मान्यता पत्र जो निरस्त किए गए हैं, वहॉ से कब्जा खाली करने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कब तक अवैध रूप से कब्जाधारियों को हटाया जावेगा?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत अंतागढ़ तहसील के नगर पंचायत अंतागढ़ में कुल 19 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]**

**महासमुंद जिले में डीएमएफ मद से स्पेयर खरीदी में गड़बड़ी पर कार्रवाई**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**11. ( *क्र. 793 ) श्रीमती चातुरी नन्द :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या DMF मद से स्पेयर क्रय के परिप्रेक्ष्य में गठित जांच दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में उप संचालक कृषि, महासमुंद द्वारा भण्डार क्रय नियम, 2002 के उपनियम-3.1.1, नियम-4 का उपनियम-4.1, 4.2, 4.3.3, 4.3.3(८), 4.5, 4.9 (ज) का उल्लंघन कर निम्न गुणवत्ता युक्त बिना ISI / BIS mark के बैटरी कम हैण्ड आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर अधिक मूल्य पर क्रय क्या जाना पाया गया और खुली निविदा की त्रुटिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया के कारण भण्डार क्रय नियम, 2002 की उपरोक्त वर्णित नियम/उपनियम का उल्लंघन होना पाया गया है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन जमा होने के 8 माह बीत जाने के बावजूद कार्रवाई लंबित होने के क्या कारण हैं? **(ख)** क्या निविदा में षड़यंत्र करने और जांच उपरांत निविदा निरस्त करने के बावजूद पुनः उसी फर्म को टेंडर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई की जाएगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हां। जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर संचालनालय कृषि का अभिमत दिनांक 02.12.2025 अनुसार विभागीय पत्र दिनांक 09.01.2026 द्वारा उप संचालक कृषि महासमुन्द को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री फागुराम कश्यप उप संचालक कृषि के प्रतिवाद उत्तर पर संचालनालय कृषि के पत्र दिनांक 25.06.2026 द्वारा प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक प्रतीत नहीं होता है, अभिमत दिया गया है। **(ख)** जी हां। प्रथम निविदा क्रमांक GEM/2024/B/5657055 dated 27.11.2024 को कलेक्टर जिला महासमुंद के अनुमोदन दिनांक 16.04.2025 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किया गया। तत्पश्चात कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा डिप्टी कलेक्टर महासमुंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रय समिति (जिसमें उप संचालक कृषि महासमुंद सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार एवं सहायक कृषि यंत्री महासमुंद सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं) का गठन करते हुए दिनांक 24.04.2025 को दिए गए अनुमोदन के परिपालन में द्वितीय निविदा क्रमांक- GEM/2025/B/6241818 dated 16.05.2025 को जारी किया गया, जिसमें भाग लिए गए कुल 11 निविदाकर्ताओं में से केवल 02 फर्म मातादी एग्री ईम्प्लीमेंट एवं मातादी इलेक्ट्रिकल्स राजिम द्वारा ही तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही थी। अतः क्रय समिति द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने की अनुशंसा की गई, जिसे पुनः न्यूनतम 03 निविदाकर्ता नही होने के कारण निरस्त किया गया। तत्पश्चात् निविदा क्रमांक- GEM/2025/B/6443879 dated 11.07.2025 के माध्यम से तृतीय निविदा आमंत्रित की गई जिसमें भाग लिए गए कुल 08 फर्मों में से 07 फर्मो द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही कराये जाने के कारण जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा उन्हें अपात्र किया गया तथा केवल 01 फर्म (मातादी इलेक्ट्रिकल्स राजिम) को ही तकनीकी मापदण्ड के आधार पर पात्र पाया गया। तदोपरांत वित्तीय निविदा खोलकर नेगोसियेशन उपरांत ही संबंधित फर्म मातादी इलेक्ट्रिकल्स राजिम को कार्यादेश जारी किया गया। संचालनालय कृषि से प्राप्त अभिमत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है गुण दोष के आधार पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

## समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी एवं किसानों को भुगतान की स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**12. ( *क्र. 860 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर चना एवं अन्य दलहन फसलों की कुल कितनी खरीदी की गई है? जिला-वार एवं फसल-वार विवरण प्रदान करें ? **(ख)** किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित (DBT) करने हेतु शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए किस विभागीय सॉफ्टवेयर/पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? **(ग)** MSP खरीदी एवं भुगतान प्रक्रिया में तकनीकी बाधाओं, पोर्टल/सर्वर संबंधी समस्याओं के निराकरण तथा इस प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न विभागों एवं बैंकों के मध्य समन्वय हेतु राज्य स्तर पर कोई तकनीकी समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना एवं दलहनी फसलों में केवल चना की खरीदी केन्द्रीय उपार्जन एजेंसी नेफेड एवं एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से की गई है। जिलावार, फसलवार विवरण निम्नानुसार है-

| क्र. | उपार्जन एजेंसी | जिला | चना (मे.टन) |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या. (एनसीसीएफ) | धमतरी | 2064.65 |
| | | दुर्ग | 1.90 |
| | | बालोद | 7.15 |
| 2 | राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) | गरियाबंद | 2.00 |
| **योग** | | | **2075.70** |

**(ख)** प्राईस सपोर्ट स्कीम के मार्गदर्शिका अनुसार किसानों से उपार्जित उपज का स्टॉक संबंधित गोदाम में जमा होने एवं डब्ल्यू.एच.आर. (वेयर हाऊस रिसीप्ट) सृजित होने के उपरांत नियमानुसार 3 कार्य दिवसों के भीतर किसानों के बैंक खातों में डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान किया जाना है। इसके त्वरित निराकरण के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत कृषकों का डाटा एपीआई के माध्यम से नेफेड के ई-समृद्धि एवं एनसीसीएफ के ई-समयुक्ति पोर्टल में हस्तांतरित किया जाता है। हस्तांतरित डाटा के आधार पर कृषकों के फसलों के उपार्जन की राशि का भुगतान ई-समृद्धि एवं ई-समयुक्ति पोर्टल में आधार से लिंक बैंक खातों के माध्यम से की जाती है। **(ग)** न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी एवं भुगतान प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, नेशनल ई-मार्केट लिमिटेड, संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। पोर्टल/सर्वर संबंधी समस्याओं का समाधान कर भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित किया जाता है। प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न विभागों एवं बैंकों के मध्य समन्वय हेतु राज्य स्तर पर कोई तकनीकी समिति गठित नहीं की गई है अपितु प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीदी हेतु योजना के क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी गठित की गई है।

## रायगढ़ जिला के संयंत्रों में फ्लाईऐश की डंपिंग हेतु उपलब्ध स्थान

[आवास एवं पर्यावरण]

**13. ( *क्र. 720 ) श्री उमेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला में कितने ताप विद्युत संयंत्र एवं इस्पात संयंत्र संचालित हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कितने मीट्रिक टन फ्लाईऐश निकल

रहा है और फ्लाईऐश डंप करने के लिए कितना स्थान चाहिए और कितना स्थान उपलब्ध है? जानकारी संयंत्रवार देवें? कितने उद्योगों के पास डंपयार्ड है और कितने के पास उपलब्ध नहीं है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** रायगढ़ जिले में कुल 09 एकल ताप विद्युत संयंत्र एवं 22 इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध ताप विद्युत इकाई स्थापित/संचालित है। उक्त सभी ताप विद्युत संयंत्रो से वर्ष 2025-26 में कुल 2,09,37,375.65 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश जनित हुआ है। संयंत्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 के अनुसार फ्लाई ऐश का निष्पादन विभिन्न प्रयोजनों यथा फ्लाई ऐश ब्रिक्स/ब्लॉक्स निर्माण इकाई, सीमेंट उद्योगों को प्रदाय, रोड़ निर्माण, भूमि-भराव, परितक्त खदानों में भराव हेतु किया जाना अनुमेय है।इन नियमो में, प्रति टन फ्लाई ऐश का निष्पादनहेतु भूमि की आवश्यकता के मानक नही है, अपितु उद्योगों के द्वारा स्थल चयन करने के उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किये जाने पर, स्थल उपयुक्तता सम्बन्धी परीक्षण कर, मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये, भराव हेतु मात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। रायगढ़ जिला में संचालित कुल 09 एकल ताप विद्युत संयंत्रों में से 05 संयंत्रो के पास ऐश डाईक निर्मित है एवं 04 संयंत्रो के पास ऐश डाईक नहीं है तथा 22 इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध ताप विद्युत इकाई में से 01 संयंत्र के पास ऐश डाईक निर्मित है तथा 21 संयंत्रो के पास ऐश डाईक नही है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - छः"]**

## एनटीपीसी सीपत में फ्लाई ऐश प्रबंधन

[आवास एवं पर्यावरण]

**14. ( *क्र. 752 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या बिलासपुर जिले के सीपत स्थित एनटीपीसी में प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है? यदि हाँ,तो विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पन्न फ्लाई ऐश (मीट्रिक टन में) तथा उसके उपयोग एवं निपटान का वर्षवार विवरण दें ? **(ख)** विगत तीन वर्ष में एनटीपीसी सीपत के आसपास के ग्रामों में फ्लाई ऐश प्रदूषण से कृषि भूमि,जल स्रोत एवं जनस्वास्थ्य प्रभावित होने संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या,जांच प्रतिवेदन,निष्कर्ष तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दें ? **(ग)** क्या फ्लाई ऐश के उत्पादन, निपटान एवं पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास निरीक्षण एवं परीक्षण संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध है? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों की संख्या, प्रमुख निष्कर्ष, पाई गई अनियमितताओं एवं की गई कार्रवाई का वर्षवार विवरण दें ? **(घ)** क्या फ्लाई ऐश प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एनटीपीसी सीपत को नोटिस जारी किया गया ? यदि हाँ, तो वर्तमान अनुपालन की स्थिति क्या है तथा फ्लाई ऐश प्रदूषण की रोकथाम, ऐश डाइक की सुरक्षा एवं प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी हाँ। विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पन्न फ्लाई ऐश (मीट्रिक टन में) तथा उसके उपयोग एवं निपटान का वर्षवार विवरण **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कार्यपालन अभियंता, खारंग, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर, एवं कार्यालय उपसंचालक, कृषि, जिला बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत 03 वर्ष में एनटीपीसी सीपत के आसपास के ग्रामों में फ्लाई ऐश प्रदूषण से कृषि भूमि, जल स्त्रोत एवं जन स्वास्थ्य प्रभावित होने संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या निरंक है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**जी हाँ। है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विगत 03 वर्षो (अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक) में उद्योग का निरीक्षण उपरांत पाई गई स्थिति एवं की गई कार्रवाई की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-**

**ब अनुसार** है।**(घ)** फ्लाई ऐश प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एनटीपीसी सीपत को नोटिस जारी नहीं किया गया है, अपितु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कच्चेमाल/अपशिष्ट/उत्पाद/फ्लाई ऐश के परिवहन के संबंध में दिनांक 26/06/2024 को जारी एस.ओ.पी. का उल्लंघन किये जाने पर कार्यवाही की गयी है। की गयी कार्यवाही तथा अनुपालन की स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। फ्लाई ऐश प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में भूमि-भराव एवं परितक्त खदानों में फ्लाई ऐश के भराव हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 11/12/2024 को मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया गया है, जिसके अनुसार उद्योगों के द्वारा स्थल चयन करने के उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किये जाने पर, स्थल उपयुक्तता सम्बन्धी निरीक्षण उपरांत भराव हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। मंडल द्वारा जारी फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति पत्र में निपटान स्थल पर पर्याप्त मात्रा में जल छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित करने, स्थल के चारों ओर मेड बनाने तथा कार्यपूर्णतः उपरांत मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण किये जाने हेतु शर्त निहित किया जाता है । फ्लाई ऐश अपवहन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु मण्डल द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) लागु की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सात"]**

## रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना में आमोद-प्रमोद हेतु आरक्षित भूखण्ड

[आवास एवं पर्यावरण]

**15. ( *क्र. 824 ) श्री मोतीलाल साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार क्षेत्र में आमोद-प्रमोद हेतु कितना भूखंड आरक्षित किया गया है? खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित जानकारी दे? **(ख)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमोद-प्रमोद हेतु कितने भूखंड की बिक्री हुई है और बिक्री होने के बाद कितने का लैण्ड यूज चेंज किया गया है? यदि लैण्ड यूज चेंज किया गया है तो व्यावसायिक होने वाले भूमि का खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित विवरण देवें? **(ग)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बोरिया तालाब से लगी कितनी जमीन को आमोद-प्रमोद के रूप में बिक्री किया गया है? खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित जानकारी देवें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कौशल्या माता विहार (कमल विहार) क्षेत्र में स्वीकृत अभिन्यास अनुसार आमोद-प्रमोद हेतु 126.16 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित है। खसरा क्रमांक एवं रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमोद-प्रमोद हेतु कोई भी भूखंड की बिक्री नहीं की गई है। शेष जानकारी निरंक है।**(ग)** प्रश्न 'ख' के तारतम्य में जानकारी निरंक है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]**

## ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साव मठ, पुरानी बस्ती रायपुर की न्यास समिति की अद्यतन स्थिति

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**16. ( *क्र. 1029 ) श्री इन्द्र कुमार साहू :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या पंजीयक, लोक न्यास रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 09 ब/113(4) वर्ष 2006-07 के पारित आदेश दिनांक 14/06/2007 के माध्यम से ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतू साव मठ, पुरानी बस्ती रायपुर के न्यास समिति को भंग कर दिया गया है? यदि हां तो वर्तमान में न्यास का प्रबंधन, बैंक लेनदेन व अन्य गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा व किस आदेश से किया जा रहा है? **(ख)** क्या बजट सत्र फरवरी-मार्च 2026 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 934, सरल क्रमांक 14 (दिनांक- 20 मार्च 2026) में यह उत्तर दिया गया था कि ट्रस्ट समिति को भंग किए जाने

के संबंध में कोई आदेश या निर्देश की जानकारी लोक न्यास शाखा में उपलब्ध नहीं है? यदि हां तो पंजीयक, लोक न्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.2007 की जानकारी किस अधिकारी के पास उपलब्ध है? क्या पंजीयक, लोक न्यास द्वारा अपने द्वारा पारित आदेश का इंद्राज नहीं किया जाता? **(ग)** कंडिका 2 में उल्लेखित प्रश्न क्रमांक 934 के जवाब में उल्लेखित कार्यरत सभी 11 ट्रस्टी किस आदेश के तहत नियुक्त होकर कार्यरत हैं? क्या उक्त ट्रस्टियों में से ट्रस्टी क्रमांक (10) के विरुद्ध ट्रस्ट की भूमि को फर्जी तरीके से बेचने के सम्बन्ध में क्या कोई जांच प्रक्रियाधीन है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** पंजीयक, लोक न्यास रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/ब-113 (4) वर्ष 2006-07 में प्रतिवेदन दिनांक 14.06.2007 के अनुसार ठाकुर रामचंद्र स्वामी जैतूसाव मठ, पुरानी बस्ती रायपुर की न्यास समिति को भंग करने एवं उनके स्थान पर रिसिवर नियुक्त किए जाने हेतु लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 26 के अंतर्गत माननीय जिला न्यायाधीश, रायपुर को रिफ्रेंस प्रेषित किया गया था माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ट्रस्ट को भंग किए जाने के संबध में कोई अंतिम आदेश पारित नही किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यास समिति को भंग नही किया गया है। **(ख)** उल्लेखित अवधि में कण्डिका 01 अनुसार प्रकरण लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 26 के अंतर्गत दिनांक 14.06.2007 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा प्रेषित रिफ्रेंस आवेदन को माननीय न्यायालय एकादश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर को प्रेषित किया गया था। चूंकि ट्रस्ट को भंग किए जाने के संबध में माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित नही किया गया है। ऐसे आदेश जो पंजी में इन्द्राज योग्य है, उन्हें इन्द्राज किया जाता है।**(ग)** न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास के कार्यालय में उपलब्ध न्यास पंजी के अनुसार रा.प्र.क्र.-02/ब-113 (1) कलेक्टर (2) वासुदेव नरहर मोकासदर (3) ग्वालदास डागा (4) किशनलाल सिंघानिया (5) नंद कुमार दानी (6) रामकिशोर लाल अग्रवाल रा.प्र.क्र. 92/ब-113 (1) वर्ष 1983-84 आदेश दिनांक 25.01.1986 के माध्यम से (7) जिवेन्द्र नाथ ठाकुर (8) महेन्द्र अग्रवाल एवं रा.प्र.क्र. 02/ब-113 (4) वर्ष 2006-07 आदेश दिनांक 28.11.2006 के गाध्यम से (9) रामेश कुमार अग्रवाल (10) अजय तिवारी (11) शिव कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है।ट्रस्टी क्रमांक 10 श्री अजय तिवारी के विरूद्ध शिकायत के संबध में प्रकरण दर्ज कर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जा रही है।

## जिला दन्तेवाड़ा में स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**17. ( *क्र. 1020 ) श्री चैतराम अटामी :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला दंतेवाड़ा में विगत दो वर्षों में शासन द्वारा कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं? **(ख)** उक्त मंदिरों के नाम, स्थान, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण क्या है? **(ग)** विगत दो वर्षों में जिला दंतेवाड़ा में शासन द्वारा अथवा शासन के वित्तीय सहयोग से कितने नए मंदिरों का निर्माण कराया गया है, मंदिरवार विवरण क्या है? **(घ)** वर्तमान में जिले में कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार अथवा निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? **(ङ)** क्या जिले के अन्य प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दे?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** से **(ड)** जानकारी "निरंक" है।

## विगत तीन वर्षों में पर्यटन विकास हेतु व्यय राशि

[पर्यटन]

**18. ( *क्र. 842 ) श्री दीपेश साहू :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विगत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी राशि खर्च की गई है? **(ख)** विगत तीन वर्षों

में पर्यटन विभाग द्वारा कुल कितने नए पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं? उनकी जिलावार संख्या एवं नाम क्या है? **(ग)** विगत तीन वर्षों में राज्य में आने वाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की वर्षवार और पृथक-पृथक संख्या कितनी है? **(घ)** विगत तीन वर्षों में स्वीकृत पर्यटन विकास परियोजनाओं में से वर्तमान में कितनी परियोजनाएं अधूरी हैं और उनके पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है? **(ङ)** विगत तीन वर्षों में पर्यटन विकास कार्यों में गुणवत्ता संबंधी कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विगत तीन वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा कुल 1075.84 लाख खर्च की गई है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में कुल 13 नवीन स्थलों को विकसित किया जा रहा है जिलेवार संख्या एवं नाम की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** विगत तीन वर्षों में राज्य में आने वाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की वर्षवार एवं पृथक-पृथक संख्या की जानकारी संलग्न **प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत पर्यटन विकास परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं अधूरी है। पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ङ)** प्रश्नांकित अवधि में पर्यटन विकास कार्यो में गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नही हुई है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]**

## सुपेला भिलाई पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण

[पशुधन विकास]

**19. ( *क्र. 691 ) श्री रिकेश सेन :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुपेला, भिलाई में स्थित पशु चिकित्सालय का भवन अत्यंत जर्जर एवं डैमेज (डिस्टमेंटल करने योग्य) स्थिति में है? यदि हाँ, तो क्या शासन को इसके सुदृढ़ीकरण या नए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार जर्जर भवन को डिस्टमेन्टल (ध्वस्त) कराकर वहाँ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस एक सर्वसुविधायुक्त नए पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की योजना है? यदि हाँ, तो इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की जा रही है और कार्य कब तक प्रारंभ होगा?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला-दुर्ग के कार्यालयीन पत्र दिनांक 10.04.2026 द्वारा पशु चिकित्सालय सुपेला-भिलाई के नवीन भवन निर्माण हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। **(ख)** जी हाँ, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कितनी राशि स्वीकृत की जा रही है, के संबंध में जानकारी तथा कार्य कब तक प्रारंभ होगा, की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग के बच्चों के लिए संचालित छात्रावासों/आश्रमों की संख्या

[आदिम जाति विकास]

**20. ( *क्र. 870 ) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में संचालित आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग के बच्चों के लिए छात्रावासों, आश्रमों एवं एकलव्य/अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या कितनी है ? इनमें स्वीकृत एवं कार्यरत अधीक्षक, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पदों का संस्थावार विवरण क्या है तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा सभी रिक्त पद कब तक भरे जाने की संभावना है? **(ख)** वर्ष 2023 से जून, 2026 तक भवन मरम्मत, पेयजल, विद्युत, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? **(ग)** खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला में

पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए कहां-कहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है? क्या पिछड़ा वर्ग के बच्चों को अनुसूचित जाति,जनजाति के छात्रावास में सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि नहीं तो पिछड़ा वर्ग के बच्चों की छात्रावास सुविधा हेतु क्या कोई योजना सरकार /विभाग द्वारा बनायी गयी है? यदि हाँ तो कब तक पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास की स्वीकृति सरकार द्वारा की जाएगी ? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए 23 छात्रावास/आश्रम संचालित है। जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चो हेतु छात्रावास, एकलव्य विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाए संचालित नहीं है। उक्त संस्थाओं में स्वीकृत एवं कार्यरत अधीक्षक, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अ''** अनुसार है। रिक्त पदों को भरे जाने की समय सीमा बताया जाना संभव नही है। **(ख)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र ब''** अनुसार है। **(ग)** खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला -खैरागढ -छुईखदान-गण्डई में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास संचालित नही है। जी हॉ, संचालित छात्रावासों में स्वीकृत सीट के 10 प्रतिशत सीटो पर अन्य वर्गकेबच्चों को छात्रावास में प्रवेश दिया जा रहा है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी सुविधा प्रदान की जा रही है। छात्रावास स्वीकृति की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - दस"]**

## बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन/कला केंद्र की स्थापना

[संस्कृति]

**21. ( *क्र. 809 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विगत तीन वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों में कितने सांस्कृतिक भवन, कला केंद्र एवं ऑडिटोरियम स्वीकृत एवं निर्मित किए गए हैं? विधानसभावार विवरण दें? **(ख)** उक्त अवधि में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन, कला केंद्र अथवा ऑडिटोरियम की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा वर्तमान स्थिति क्या है? **(ग)** क्या यह सत्य है कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जून, 2026 तक कोई शासकीय सांस्कृतिक भवन, कला केंद्र अथवा ऑडिटोरियम स्थापित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? **(घ)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोक कलाकारों, सांस्कृतिक संस्थाओं एवं युवाओं के लिए सांस्कृतिक भवन अथवा कला केंद्र की स्थापना हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) :(क)** जानकारी निरंक है।**(ख)** जानकारी निरंक है।**(ग)** जी हां । प्रस्ताव प्राप्त नही है।**(घ)** प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

## प्रदेश में संचालित पशुपालन की योजनाओं अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण एवं सब्सिडी

[पशुधन विकास]

**22. ( *क्र. 966 ) श्री इंद्र साव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुपालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार पशुपालन के लिए कितना ऋण किसानों को उपलब्ध कराती है तथा इसमें ब्याज का प्रतिशत क्या है ? इन योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण पर केन्द्र सरकार द्वारा एवं राज्य राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी किसानों को दी जाती है? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित पशुपालन के तहत इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या-क्या मापदंड एवं नीति नियम हैं ? जानकारी दें ? **(ग)** केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार

द्वारा संचालित पशुपालन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विगत दो वर्षों में प्रदेश में कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है? कितने किसानों को पशुपालन के लिए ऋण प्रदान किया गया है तथा कितने किसानों को सब्सिडी की राशि दी गई है ? जिलेवार कुल ऋण की राशि एवं कुल प्रदत्त सब्सिडी की राशि की जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में पशुधन विकास विभाग अंतर्गत पशुपालन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही है-
अ.- राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं-
1. बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना
2. अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना
3. अनुदान पर बकरा वितरण योजना
4. शतप्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण योजना
5. उन्नत मादा वत्स पालन योजना
6. राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना
7. छ.ग. कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना
8. दुधारू गाय वितरण योजना
ब.- केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं-
1. नेशनल लाईव स्टाक मिशन योजना
इन योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नही कराया जाता है, हितग्राही द्वारा बैंक ऋण से इकाई स्थापित किये जाने की स्थिति में स्वीकृत ऋण पर बैंक के निर्धारित मापदण्ड अनुसार ब्याज दर देय होता है। इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।(ख)** राज्य सरकार एवं केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिये मापदण्ड एवं नीति नियम की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।(ग)** केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित पशुपालन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विगत दो वर्षों में प्रदेश में 88,188 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए है। प्राप्त आवेदनों मे से 62,292 आवेदक किसानों को योजनांतर्गत सब्सिडी का लाभ दिया गया है। हिग्राहियों द्वारा पशुपालन हेतु बैंक से ऋण स्वयं प्राप्त किया जाता है, विभाग द्वारा ऋण प्रदाय नहीं किया जाता है। हिग्राहियों द्वारा पशुपालन हेतु बैंक से प्राप्त ऋण एवं योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदत्त कुल सब्सिडी की राशि की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।**
[ संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

## रेरा पंजीकृत कॉलोनियों में पेयजल प्रदान हेतु मानदंड एवं नियम

[आवास एवं पर्यावरण]

**23. ( *क्र. 973 ) श्री सुनील कुमार सोनी :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रेरा पंजीकृत कॉलोनियों (पूर्णतः विकसित/आंशिक विकसित/नये प्रोजेक्ट) में पेयजल प्रदान करने के संबंध में क्या मानदंड एवं नियम हैं? क्या रेरा पंजीकृत कॉलोनियों (पूर्णतः विकसित/आंशिक विकसित/नये प्रोजेक्ट) में पेयजल प्रदान करना बिल्डर/डेवलपर के लिए अनिवार्य है ? रेरा पंजीकृत कॉलोनियों में बिल्डर/डेवलपर द्वारा प्रत्येक भूखंड पर भूखंड स्वामी को व्यक्तिगत बोरवेल खनन की अनुमति किस आधार पर और क्यों प्रदान की जाती है ? यदि किसी बिल्डर / डेवलपर द्वारा प्रत्येक भूखंड पर भू-स्वामी को व्यक्तिगत बोरवेल खनन की अनुमति प्रदान की जाती है तो उसके विरूध्द कोई कार्यवाही का प्रावधान है अथवा नहीं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** रेरा पंजीकृत कॉलोनियों (पूर्णतः विकसित/आंशिक विकसित/नये प्रोजेक्ट) में पेयजल प्रदान करने के संबंध में मानदंड एवं नियम, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2013, तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1999 में प्रावधानित हैं । रेरा पंजीकृत कॉलोनियों (पूर्णतः विकसित/आंशिक विकसित/नये प्रोजेक्ट) में कॉलोनाइजर एवं क्रेता के मध्य भूखण्ड़/भवन/फ्लैट विक्रय किये जाने के पूर्व निष्पादित होने वाले विक्रय संबंधी अनुबंध के विवरणों में, आंतरिक जल प्रणाली, नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत अथवा स्वयं द्वारा प्रदाय किये जाने के संबंध में उल्लेख किये जाने का प्रावधान है। रेरा पंजीकृत कॉलोनियों में बिल्डर/डेव्हलपर द्वारा प्रत्येक भूखंड पर भूखंड स्वामी को व्यक्तिगत बोरवेल खनन की अनुमति बिल्डर/डेव्हलपर द्वारा प्रदान किये जाने के कोई प्रावधान नही है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

## जिला सरगुजा अंतर्गत पर्यटन स्थलों का विकास एवं मूलभूत सुविधायें

[पर्यटन]

**24. ( *क्र. 1017 ) श्री रामकुमार टोप्पो :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सरगुजा अंतर्गत प्रमुख कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं? इन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2022 से 15.06.2026 तक कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? ब्लॉकवार जानकारी का विवरण प्रदान करें। **(ख)** प्रश्न **(क)** अनुसार जिला सरगुजा पर्यटन स्थलों में पर्यटकों हेतु पेयजल, शौचालय, विश्राम गृह, साफ-सफाई एवं सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? जानकारी प्रदान करें। **(ग)** जिला सरगुजा अंतर्गत क्षेत्र में नए पर्यटन स्थलों के विकास एवं रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उनका वर्तमान प्रगति विवरण क्या है? जानकारी प्रदान करें।

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** जिला सरगुजा अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थल **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रश्नांकित अवधि में वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा कुल रु. 897.80 लाख स्वीकृत एवं रु. 570.66 लाख व्यय की गई है। ब्लॉकवार जानकारी का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में पर्यटकों हेतु उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। **(ग)** विभाग के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को जिलों में नवीन पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन हेतु तथा पर्यटन स्थलों में विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए निर्धारित प्रारुप प्रेषित किए गए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नए पर्यटन स्थल के चिन्हांकन तथा बजट उपलब्धतानुसार विकास कार्यों हेतु विचार किया जायेगा। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को ठहरने की व्यवस्था एवं स्थानीय लोगों के रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में होमस्टे पालिसी 2025-30 लागू की गयी है। जिसमें होमस्टे के विकास हेतु सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा। वर्तमान में सरगुजा जिले के 7 लाभार्थियों का चयन होमस्टे कि सब्सिडी प्रदान करने हेतु किया गया है। सरगुजा जिले के छः युवाओं को आई.आई.टी.टी.एम. (IITTM) ग्वालियर से एक माह (03.11.2025 से 02.12.2025 तक) निःशुल्क गाईड प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें से दो गाईड को सैला टूरिस्ट रिसॉर्ट एवं दो गाईड को कर्मा एथनिक रिसॉर्ट में रखा गया है। मैनपाट में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित सैला टूरिस्ट रिसॉर्ट में 11 एवं करमा एथनिक रिसॉर्ट में 11 स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

**जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किये गये कार्य**

[आदिम जाति विकास]

**25. ( *क्र. 898 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) अन्तर्गत जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में क्या-क्या कार्य किये गये हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें तथा जिले में कौन-कौन से ग्राम चिन्हित हैं, जानकारी देवें? **(ख)** वर्ष 2024-25 से जून 2026 तक चिन्हित ग्रामों में क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि से कराये गये हैं? कार्यवार, राशिवार जानकारी देवें? **(ग)** उक्त योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिये किस-किस प्रकार की सामाजिक एवं वित्तीय सुधार करने की योजना बनाई गई है? जानकारी देवें? **(घ)** धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अन्तर्गत जिले में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किये गये हैं? विकासखंडवार, राशिवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। चिन्हित ग्रामों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''अ''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में चिन्हित ग्रामों में योजनांतर्गत कार्य स्वीकृत नहीं किये गए। अतः प्रश्न उपस्थित नही होता है। **(ग)** जनजातीय समुदाय के सामाजिक और वित्तीय सुधार के लिए योजना के दिशा-निर्देशानुसार जनजातीय क्षेत्रों के विकास/सुधार हेतु ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। जिसमें निम्नांकित क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य और पोषण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, मकान, आजीविका, विद्युत वितरण, संपर्क सड़क, मोबाईल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, कृषि और गैर-कृषि गतिविधियां, कौशल और उद्यमिता विकास, बाज़ार हस्तक्षेप, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा एवं डिजिटाइजेशन इत्यादि क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य लिये जाने का प्रावधान है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-''ब''** अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

# भाग-2

## नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मंडी बोर्ड के तहत् स्वीकृत निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**1. ( क्र. 25 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक मंडी बोर्ड के द्वारा कुल कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें से कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितनों की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित/लंबित है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक मंडी बोर्ड के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नगरी क्षेत्रांतर्गत कुल 15 निर्माण कार्य, लागत राशि रू 239.78 लाख के स्वीकृत किये गये है। उनमें से 05 कार्य पूर्ण तथा 10 कार्य अपूर्ण है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** उक्त अवधि में माननीय जन प्रतिनिधियों से प्राप्त 05 प्रस्ताव में 70 कार्यो का उल्लेख है, जिसमें से 01 कार्य की स्वीकृति दी गई है।**जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]**

### धमतरी जिले के राईस मिल, क्रेशर एवं अन्य उद्योग हेतु पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

**2. ( क्र. 27 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में कितने राईस मिल, क्रेशर एवं अन्य उद्योग स्थापित हैं, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ? संस्थानों के नामवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' में पूछे गए स्थापित क्रेशर, राईस मिल व अन्य उद्योगों के बसाहट/आबादी से न्यूनतम कितनी दूरी पर स्थापित होने संबंधित पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्या दिशानिर्देश हैं एवं वर्तमान में वह कितनी दूरी पर स्थित है ? संस्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कुल 193 राईस मिल, 21 क्रशर इकाई एवं 45 अन्य उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् सम्मति जारी की गई है। नामवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)**भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21-01-2025 एवं अधिसूचना दिनांक 30-01-2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 11-09-2025 के माध्यम से उद्योगों की स्थापना हेतु समीपस्थ आबादी से दूरी के संबंध में साईटिंग क्राईटेरिया जारी किया गया है, जिसके अनुसार समीपस्थ आबादी से लाल श्रेणी के उद्योगों को न्यूनतम 500 मीटर, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को न्यूनतम 200 मीटर एवं हरे श्रेणी के उद्योगों को न्यूनतम 100 मीटर निर्धारित किया गया है। धमतरी जिले में उक्त साईटिंग क्राईटेरिया के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 07 राईस मिल, 01 क्रशर

इकाई एवं 07 अन्य उद्योगों को जल एवं वायु सम्मति जारी की गयी है, जिनकी आबादी की न्यूनतम दूरी की उद्योगवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार** है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]**

**प्रदेश में खाद की उपलब्धता एवं वितरण**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**3. ( क्र. 50 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि - **(क)** वर्ष 2026-27 में प्रदेश के सभी जिलों में कितनी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है? जिलेवार, मात्रावार जानकारी दें? **(ख)** वर्तमान प्रश्नावधि 17.06.2026 तक कुल कितनी मात्रा का खाद का भंडारण किया गया है। **(ग)** भंडारण उपरांत किस-किस जिलों में उनके मांग अनुरूप कितना-कितना खाद का वितरण किया गया है? जिलेवार विवरण दीजिए।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वर्ष 2026-27 में जिलेवार उर्वरक की आँकलित मांग तथा उपलब्धता की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** दिनांक 17.06.2026 की स्थिति में जिलेवार उर्वरक भंडारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जिलेवार मांग अनुरूप उर्वरक वितरण(उठाव) की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]**

**भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को खाद बीज की उपलब्धता**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**4. ( क्र. 104 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विगत दो वर्षों में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के अनेक किसानों को समय पर प्रमाणित बीज , उर्वरक, एवं कीटनाशक उपलब्ध नहीं होने तथा नकली एवं निम्न गुणवत्ता के कृषि सामग्री की शिकायतें प्राप्त हुई ? **(ख)** विगत दो वर्षों में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच हेतु कितने नमूने लिए गए ? उनमें से कितने अमानक पाये गये तथा संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** खरीफ वर्ष 2026 के लिए क्षेत्र में बीज एवं उर्वरकों की मांग के विरूद्ध कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई है तथा वर्तमान भंडारण की स्थिति क्या है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विभाग द्वारा जानकारियों का संधारण विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखंडवार किया जाता है। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड चारामा, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गुकोंदल सम्मिलित हैं। उक्त विकासखंड अंतर्गत किसानों को विगत 02 वर्षों (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) में समय पर प्रमाणित बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध नहीं होने तथा नकली, निम्न गुणवत्ता के कृषि सामग्री की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अपितु जिला- रायगढ़, दुर्ग, बलौदाबाजार एवं सक्ति से उपरोक्त संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच हेतु लिये गये नमूने, अमानक तथा अमानक पर की गई कार्यवाही की विकासखंडवार, वर्षवार की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स** अनुसार है। **(ग)** खरीफ वर्ष 2026 के लिए क्षेत्र में बीज एवं उर्वरकों हेतु मांग के विरुद्ध, उपलब्ध कराई गई मात्रा, वितरण एवं भंडारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-क** अनुसार है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]**

## मत्स्य पालकों को मछली बीज वितरण

[मछली पालन]

**5. ( क्र. 105 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत दो वर्षों में मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिलेवार कितने मत्स्य पालकों को मछली बीज , मत्स्य आहार एवं अन्य अनुदान सामग्री वितरित की गई ? **(ख)** क्या सरकार के संज्ञान में मामला आया है कि कई स्थानों पर अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया तथा वास्तविक मत्स्य पालक योजनाओं से वंचित रह गए? यदि हां तो ऐसे मामलों पर क्या कार्रवाई की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विगत दो वर्षों (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) में मछली पालन विभाग द्वारा मछली बीज, मत्स्य आहार एवं अन्य अनुदान सामग्री वितरण से कुल 41540 मत्स्य पालकों को लाभान्वित किया गया, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी नहीं, अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने तथा वास्तविक मत्स्य पालकों को योजनाओं से वंचित किए जाने संबंधित कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]**

## कृषकों को खाद की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**6. ( क्र. 121 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन हेतु राज्य को डीएपी उर्वरक की कितनी आवश्यकता आंकलित की गई थी तथा केंद्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा आबंटित की गई? अब तक कितनी मात्रा प्राप्त एवं वितरित की गई है? प्रति एकड़ किसानों को डीएपी उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है एवं वर्तमान में किसानों को प्रति एकड़ कितना डीएपी उर्वरक प्रदान किया जा रहा है? जिलेवार वितरण किये गये डीएपी उर्वरक का विवरण क्या है? **(ख)** कृषि कार्य हेतु डीजल की मांग एवं उपलब्धता का जिलेवार विवरण क्या है? क्या खरीफ सीजन हेतु कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिये किसानों को डीजल की सुचारू उपलब्धता हो रही है? क्या किसानों को डिब्बा अथवा जेरिकेन में डीजल प्रदान किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्या प्रदान किया जायेगा? **(ग)** डीएपी उर्वरक एवं डीजल की कमी से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने राज्य सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है? कृषकों को खाद एवं डीजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 लाख मे.टन डी.ए.पी. की मांग आंकलित की गई, जिसके अनुरूप ही भारत सरकार द्वारा 3 लाख मे.टन डी.ए.पी. का आवंटन/लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में 01.04.2026 की बचत सहित कुल 1 लाख, 49 हजार, 874 मे.टन की आपूर्ति/भण्डारण कर 91 हजार, 991 मे.टन डी.ए.पी. का वितरण किया जा चुका है। प्रति एकड़ डी.ए.पी. उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन फसल एवं मिट्टी परीक्षण परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डी.ए.पी. उर्वरक की 60 प्रतिशत् मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे-एन.पी.के., एस.एस.पी. एवं नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जिलेवार डी.ए.पी. वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु डीजल की मांग का पृथक से आंकलन नहीं किया जाता है, अतः जिलेवार विवरण दिया जाना संभव नहीं है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार -"जी हाँ, खरीफ सीजन हेतु कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिये किसानों को डीजल सुचारू रूप से उपलब्ध हो रही है। जी हाँ, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक

नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किसानों को मांग अनुसार डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। शेष जानकारी निरंक है।" **(ग)** वर्तमान में राज्य में डी.ए.पी. की आपूर्ति और भण्डारण का कार्य लगातार प्रगति पर है ताकि मांग के अनुसार इसकी कमी न होने पाए। डीएपी उर्वरक एवं डीजल की कमी से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु किसानों को मांग अनुसार डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा डी.ए.पी. के विकल्प के रूप में किसानों को एन.पी.के., एस.एस.पी. आदि वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]**

## कृषि साख सहकारी समितियों में खाद, उर्वरक एवं बीज का भंडारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**7. ( क्र. 137 ) श्री संदीप साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** खरीफ वर्ष 2026 हेतु जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के किसानों के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एवं प्रमाणित बीज की कितनी मात्रा की मांग प्रेषित की गई है तथा शासन द्वारा कितनी मात्रा आवंटित की गई है? **(ख)** जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वर्तमान में खाद, उर्वरक एवं बीज का कितना भंडारण/स्टॉक उपलब्ध है? समितिवार विवरण प्रदान करें? **(ग)** खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी समितियों एवं खाद भंडारण केंद्रों का निरीक्षण करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितने निरीक्षण किए गए हैं? **(घ)** वर्ष 2024 से जून, 2026 तक खाद एवं उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के कितने प्रकरण सामने आए हैं? प्रकरणवार की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खरीफ वर्ष 2026 हेतु जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के किसानों के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एवं प्रमाणित बीज की मांग एवं जिले को 28.06.2026 तक की स्थिति मे आबंटित उर्वरक एवं बीज की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** बलौदाबाजार- भाटापारा जिले की प्रथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वर्तमान में खाद, उर्वरक एवं बीज का दिनांक 28.06.2026 की स्थिति में भंडारण/स्टॉक की समितिवार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** खरीफ सीजन 2026 में दिनांक 28.06.2026 की स्थिति में सहकारी समितियों के 60,मार्कफेड खाद भंडारण केन्द्रों के 05 एवं निजी खाद भंडारण केन्द्र के 84 इस प्रकार विभाग द्वारा कुल 149 निरीक्षण किये गये है, निरीक्षण एवं कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** वर्ष 2024 में निरंक, वर्ष 2025 में उर्वरकों की कालाबाजारी के 01 प्रकरण तथा वर्ष 2026 में 28 जून, 2026 की स्थिति में कालाबाजारी के 03 एवं निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय का 01 प्रकरण संज्ञान में आया है। वर्षवार प्रकरणवार कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

## रायपुर के सेरीखेड़ी एवं अन्य आवासीय प्लॉट में सड़क निर्माण की स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

**8. ( क्र. 151 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नवा रायपुर एवं समीपस्थ क्षेत्र में हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा किन-किन स्थानों पर कब से आवास भवन निर्माण एवं आवासीय भवन हेतु आवंटित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य किया गया / जा रहा है ? क्षेत्रवार 15. 06. 2026 की तिथि में भौतिक स्थिति बताएं ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत सेरीखेड़ी में आवंटित आवासीय प्लाट के क्षेत्र में सड़क निर्माण की स्थिति 15. 06. 2026 तिथि तक क्या है ?

सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या है ? कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ? **(ग)** आवासीय प्लाट हेतु आवंटित क्षेत्रों में समय पर सड़क निर्माण नहीं हो पाने का क्या कारण है ? जिम्मेदार पर क्या कार्रवाई की गई?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)** सेरीखेड़ी में एम.पी. / एम.एल.ए. / ए.आई.एस. हेतु विशेष आवासीय योजना के तहत् 134 भूखण्डों का सड़क निर्माण अनुबंधानुसार दिनांक 08.07.2026 तक पूर्ण किया जाना है, परन्तु भूखण्ड का आबंटन नहीं होने से विकास कार्य हेतु स्ववित्तीय योजना के तहत् पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता है, जिस कारण सड़क निर्माण अपूर्ण है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]**

## ग्राम कैथनावागांव में निर्मित इथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण में प्राप्त शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

**9. ( क्र. 312 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मुंगेली के ग्राम पंचायत सिल्ली के आश्रित ग्राम कैथ नावागांव में बन रही इथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? **(ख)** क्या फैक्ट्री के निर्माण हेतु पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है ? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण हेतु क्या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का पालन किया गया है? **(घ)** क्या कंपनी द्वारा निर्माण के दौरान ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हुई है , यदि हां, तो शिकायत पश्चात क्या कार्यवाही हुई है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**जिला-मुंगेली के ग्राम पंचायत-सिल्ली के आश्रित ग्राम-कैथनवागांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री मेसर्स आर.एस.एल.डी. बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड के निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में कुल-02 शिकायत प्राप्त हुई है।**(ख)**जी हाँ। मेसर्स आर.एस.एल.डी. बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड को प्रस्तावित कैनजूस/ग्रैन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता-600 किलोलीटर प्रतिदिन रेक्टीफाईड स्प्रिट/एक्स्ट्रा नेचुरल एल्कोहाल/एथेनाल सह 12 मेगावाट को-जनरेशन पॉवर प्लांट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01/04/2026 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गयी है। **(ग)**जी हाँ। ग्राम पंचायत सिल्ली द्वारा मेसर्स आर.एस.एल.डी. बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 02/02/2026 के माध्यम से एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।**(घ)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में निर्माण के दौरान ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## राजिम विधानसभा क्षेत्र एवं जिला गरियाबंद में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई योजना हेतु स्वीकृत राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**10. ( क्र. 325 ) श्री रोहित साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से मई, 2026 तक राजिम विधानसभा क्षेत्र एवं जिला गरियाबंद में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई योजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने किसानों ने आवेदन किया तथा कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? कितने किसानों को स्वीकृति मिलने के बाद भी सामग्री प्राप्त नहीं हुई? **(ख)** स्प्रिंकलर वितरण हेतु चयनित फर्मों एवं आपूर्तिकर्ताओं का विवरण क्या है? **(ग)** क्या शासन के संज्ञान में स्प्रिंकलर सामग्री की गुणवत्ता, वितरण प्रक्रिया अथवा अनुदान स्वीकृति में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? **(घ)** विधानसभा राजिम अंतर्गत वि. ख. छुरा, फिंगेश्वर एवं गरियाबंद में लाभान्वित किसानों की ग्रामवार सूची क्या है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखंडवार किया जाता है। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यथा स्पिंकलर एवं ड्रिप के वितरण हेतु लागू प्रदाय व्यवस्था (चॉइस) के तहत् जिलेवार अथवा विधानसभा क्षेत्रवार राशि की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी को राज्य स्तर पर आबंटन प्राप्त होता है। स्पिंकलर एवं ड्रिप का अनुदान पर वितरण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा चैंम्प्स प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। चैंम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के तहत् अग्रिम अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है अपितु कृषक द्वारा चैंम्प्स प्रणाली में पंजीकृत प्रदायक से सामग्री क्रय किये जाने के उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर राशि का भुगतान प्रदायक को किया जाता है तथा अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी से की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मई, 2026 तक चैंम्प्स प्रणाली अंतर्गत जिला गरियाबंद में स्पिंकलर एवं ड्रिप हेतु प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की वर्षवार, योजनावार एवं विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।**राजिम विधानसभा क्षेत्र एवं जिला गरियाबंद में स्पिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई योजना हेतु किसानों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, लाभांवित किसानों एवं स्वीकृति उपरांत सामग्री प्राप्त नहीं करने वाले किसानों की विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नशः ''क'' की अवधि में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैंम्प्स प्रणाली के माध्यम से अनुदान पर स्पिंकलर वितरण हेतु कृषक द्वारा चयनित फर्मों एवं आपूर्तिकर्ताओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(ग)** जी नहीं, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में विधानसभा राजिम से संबंधित विकासखंड छुरा, फिंगेश्वर एवं गरियाबंद में चैंम्प्स प्रणाली के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों यथा स्पिंकलर एवं ड्रिप से लाभांवित किसानों की विकासखंडवार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

**<u>प्रदेश में संचालित एथेनॉल संयंत्रों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम</u>**

[आवास एवं पर्यावरण]

**11. ( क्र. 501 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योगों से उत्सर्जित जल,वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं ? यदि हाँ, तो एथेनाल प्लांट, फूलझर, जिला राजनांदगाँव के प्रचालन से उत्पन्न जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कितनी बार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और उसके परिणाम क्या हैं? **(ख)** क्या अनाज आधारित एथेनाल प्लांट से उत्सर्जित प्रदूषण ने कृषि भूमि को प्रभावित किया है ? यदि हाँ, तो क्या प्रभावित किसानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का कोई प्रवाधान है ? जानकारी दीजिए ? **(ग)** क्या छत्तीसगढ़ में लगे अनाज आधारित एथेनाल निर्माण प्रक्रिया में अपशिष्ट की सड़न की गंध से वायु दूषित होती है ? यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? जानकारी देवें ? **(घ)** छत्तीसगढ़ में एथेनाल उद्योंगें से निकलने वाले प्रदूषण की सतत निगरानी हेतु प्रदूषक मापक यंत्र कौन-कौन से प्लांट में लगाए गए हैं? यदि नहीं, तो लगाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**जी हॉ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी उद्योगों से उत्सर्जित जल, वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। मेसर्स न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- फुलझर, तहसील व जिला- राजनांदगांव का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण व उनके परिणाम की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)**जी नहीं। अनाज आधारित एथेनाल प्लांट से उत्सर्जित प्रदूषण से कृषि भूमि प्रभावित नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**जी हाँ। अनाज आधारित एथेनॉल निर्माण प्रक्रिया से जनित द्रव अपशिष्ट स्पेन्टवॉश/स्टिलेज से दुर्गंध उत्पन्न होती है। उक्त जनित

स्पेन्टवॉश/स्टिलेज से दुर्गंध की समस्या की रोकथाम हेतु कन्डेन्सेंट पॉलिशिंग यूनिट, मल्टीइफेक्ट इवेपोरेटर, दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.), बैग फिल्टर, कार्बन डाइ-आक्साईड स्क्रबर एवं ड्रायर की स्थापना कराकर संचालन कराया जाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों से शून्य निस्सारण रखे जाने की शर्त भी अधिरोपित की गयी है।**(घ)**छत्तीसगढ़ में स्थापित एवं संचालित एथेनाल इकाईयों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषकों की सतत् निगरानी हेतु ऑनलाइन कंटीन्यूअस मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गयी है। उक्त उद्योगों की सूची **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]**

## जिला गरियाबंद में DMF मद अंतर्गत कार्य

[आदिम जाति विकास]

**12. ( क्र. 647 ) श्री रोहित साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला गरियाबंद में वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान DMF मद से आदिम जाति विकास विभाग के कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य किये गये? कार्यवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण क्या है? उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कितने प्रगतिरत हैं एवं कितने कार्य जून, 2026 तक प्रारंभ नहीं हुए हैं? उनकी वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या है? **(ख)** क्या उक्त कार्यों के संबंध में गुणवत्ता, अनियमितता अथवा वित्तीय गड़बड़ी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायतवार विवरण एवं की गई कार्रवाई क्या है? **(ग)** क्या उक्त कार्यों का विभागीय निरीक्षण, भौतिक सत्यापन अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है? यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा जिन कार्यों में अनियमितता पाई गई है, उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र''** अनुसार है। **(ख)** जी हॉ। उक्त कार्यों के संबंध में गुणवत्ता, अनियमितता अथवा वित्तीय गड़बड़ी के संबंध में जिला पंचायत सामान्य सभा गरियाबंद की बैठक में सोलर लाईट स्थापना एवं बोर खनन कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जॉच हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, गरियाबंद के आदेश क्रमांक/254/कले./स्टेनो/2025 गरियाबंद, दिनांक 12.12.2025 द्वारा जॉच दल गठित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** जी नहीं। जिन कार्यों में अनियमितता पाई गई है, उन पर प्रश्नांश **(ख)** में दर्शित आदेश अनुसार जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## जिला बालोद में बीज की उपलब्धता, वितरण एवं भण्डारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**13. ( क्र. 665 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ सीजन 2025 और रबी सीजन 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा बालोद जिले सहित प्रदेश में कुल कितने क्विंटल प्रमाणित बीजों का भंडारण और वितरण किया गया? जिलावार जानकारी दें? **(ख)** बालोद जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में समय पर किसानों को उन्नत किस्म के धान और सोयाबीन के बीज क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए? पिछले दो वर्षों में निगम द्वारा वितरित बीजों के अमानक (कम अंकुरण) पाए जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई और प्रभावित किसानों को कितना मुआवजा दिया गया?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम

द्वारा खरीफ सीजन 2025 और रबी सीजन 2025-26 में बालोद जिले सहित प्रदेश में प्रमाणित बीज भंडारण एवं वितरण की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** बालोद जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में विभाग द्वारा ऑकलित मांग अनुसार धान बीज सहित विभिन्न फसलों का उन्नत प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया है। बालोद जिला में सोयाबीन बीज की मांग नहीं होने के कारण सोयाबीन बीज का भंडारण नहीं किया गया है। बालोद जिले में रबी वर्ष 2024-25 में वितरित चना बीज किस्म आर.व्ही.जी.-201 बीज मात्रा 4.20 क्विंटल में अंकुरण कम होने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्ति उपरांत उक्त लॉट के बीज का विभाग द्वारा नमूना प्राप्त कर अधिसूचित प्रयोगशाला से पुनः परीक्षण कराया गया। जिसमें उक्त बीज का परीक्षण परिणाम मानक पाया गया। अतः शेष जानकारी निरंक है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]**

## विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर में संचालित मछली पालन केंद्र

[मछली पालन]

**14. ( क्र. 673 ) श्री भूलन सिंह मराबी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) में कुल कितने मत्स्य पालन केंद्र कहां-कहां संचालित हैं? **(ख)** आगामी वर्षों में मत्स्य पालन की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या योजना बनाई जा रही हैं या क्या पहल की जाएगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) में 01 शासकीय तथा 01 निजी कुल 02 मत्स्य पालन केंद्र संचालित है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** आगामी वर्षों में मत्स्य पालन की क्षमता बढ़ाने हेतु विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर अंतर्गत नवीन मत्स्य बीज संवर्धन क्षेत्र का निर्माण ग्राम भगवानपुर में कराये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]**

## जिला रायगढ़ के प्लांटों से निकलने वाली फ्लाई एश का परिवहन

[आवास एवं पर्यावरण]

**15. ( क्र. 678 ) श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भारतमाला परियोजना के तहत रायगढ़ जिले के किन-किन प्लांटों से फ्लाई एश भेजी जा रही है ? इसके परिवहन हेतु क्या मापदंड तय हैं? क्या मापदंडों को पूरा नहीं किये जाने शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो दोषी एजेंसियों और परिवहनकर्ताओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाली मुख्य सड़कों व ग्रामीण मार्गों पर फ्लाई एश से भरी ओवरलोड गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष में कितनी गाड़ियों पर चालानी या जब्ती की कार्यवाही की गई है? विस्तृत विवरण वाहन संख्या, अधिरोपित अर्थदंड और दर्ज मामलों सहित देवें? **(ग)** रायगढ़ जिले में वर्तमान में किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों, गाँवों/खदानों में फ्लाई एश का निपटान डंपिंग/बैकफिलिंग किया जा रहा है? इसके लिए कुल कितने हेक्टेयर/एकड़ निजी, शासकीय या आबंटित भूमि पर पर्यावरण मंडल द्वारा विधिवत अनुमति प्रदान की गई है? प्लांटवार और क्षेत्रवार सूची उपलब्ध कराएं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**कार्यालय परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई.-कोरबा, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतमाला परियोजना हेतु रायगढ़ जिले से (1) मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम- लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़, (2) मेसर्स

टी.आर.एन. एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, नवापारा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़, (3) मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम - बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़ के द्वारा फ्लाई ऐश प्रदाय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से फ्लाई ऐश/कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया गया है, जिसमें फ्लाई ऐश/कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से उचित परिवहन/वाहनों को ढककर परिवहन किये जाने आदि के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जी हां, उक्त उद्योगों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार** है।**(ख)**कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाली मुख्य सड़कों व ग्रामीण मार्गो पर फ्लाई ऐश ओवरलोड गाड़ियों पर दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 27/06/2026 तक की अवधि में 44 फ्लाई ऐश परिवहनकर्ता वाहनों पर रु. 11.42 लाख (ग्यारह लाख बयालीस हज़ार रूपये) अर्थदंड (जुर्माना) अधिरोपित किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। गृह विभाग एवं कार्यालय उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़, जिला-रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाली मुख्य सड़कों व ग्रामीण मार्गो पर फ्लाई एश से भारी ओवरलोड गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए पिछले एक वर्ष में पुलिस विभाग द्वारा की गई चालानी या जब्ती की कार्यवाही की जानकारी निरंक है।**(ग)जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

## <u>छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.द्वारा अनुदान पर वितरित सामग्रियों की गुणवत्ता</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**16. ( क्र. 679 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)**रायपुर जिले अंतर्गत जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.द्वारा कौन-कौन से कृषि उपकरण व अन्य सामग्री कितनी-कितनी राशि के अनुदान पर कृषकों को वितरित की गई? विवरण प्रदान करें? **(ख)**प्रश्नांक 'क' अनुसार वितरित की गई सामग्रियों हेतु कृषकों/हितग्राहियों द्वारा कब-कब विभाग में आवेदन प्राप्त हुआ था ? क्या विभाग द्वारा बिना परीक्षण कराये पहले आवेदनकर्ता को सामग्री का वितरण न कर बाद वाले आवेदनकर्ता को प्रदाय किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या और इस पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)**प्रश्नांक 'क' अनुसार चैम्पस प्रणाली द्वारा अनुदान पर सामग्री वितरणकर्ता ऐजेंसियों/फर्मो को किस आधार पर कार्य का वितरण किया जाता है ? क्या इन वितरण एजेंसियों/फर्मो के द्वारा वितरित सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में हितग्राहियों के द्वारा कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** रायपुर जिले में जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के तहत संचालित नवीन प्रदाय व्यवस्था (चैम्प्स) के माध्यम से संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुदान पर कृषकों को वितरित कृषि यंत्रों/उपकरणों की वर्षवार, योजनावार एवं यंत्रवार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** तथा मात्र उद्यानिकी विभाग द्वारा वितरित अन्य सामग्री की **जानकारीपुस्तकालय में रखेप्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार वितरित किये गये यंत्रों/उपकरणों हेतु कृषकों/हितग्राहियों द्वारा चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क एवं प्रपत्र-**

**ख अनुसार है।** विभाग को बिना परीक्षण कराये पहले आवेदनकर्ता को सामग्री का वितरण न कर बाद वाले आवेदनकर्ता को प्रदाय किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं हुई है, अत: शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत सामग्री वितरणकर्ता एजेंसियों/फर्मों को कार्य का वितरण योजना के निर्धारित लक्ष्यानुसार कृषक द्वारा चैम्प्स पोर्टल में उपलब्ध पंजीकृत एजेंसियों/फर्मों में से किए गए चयन के आधार पर किया जाता है। वितरण एजेंसियों/फर्मों के द्वारा वितरित सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में हितग्राहियों के द्वारा कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

## प्रदेश में गौधाम योजना की स्वीकृति एवं बजट प्रावधान

[पशुधन विकास]

**17. ( क्र. 681 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में गौधाम निर्माण योजना किस तिथि से प्रचलन में है? गौधाम योजना की स्वीकृति कब जारी की गई ? इस हेतु कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान कब किया गया ? गौधाम निर्माण हेतु शासन द्वारा कार्य एजेन्सी किसे बनाया गया है ? कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गई है ? सम्पूर्ण जानकारी देवें ? **(ख)** गौधाम निर्माण योजना स्वीकृति तिथि से अब तक कितने गौधाम का निर्माण पूर्ण किया गया है ? कितना निर्माण किया जाना है ? कितनी राशि व्यय हुई ? कितनी राशि व्यय किया जाना शेष है ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** जिन ग्राम पंचायतों, निकायों में गौधाम निर्माण की स्वीकृति दी गई है ? वहां पूर्व से गौठान/गौधाम निर्मित था कि नहीं ? ग्रामवार/निकायवार विवरण देवें ? **(घ)** किस-किस गौधाम में कितने मवेशियों को संरक्षित कर रखा गया है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में गौधाम योजना 06 अगस्त 2025 से प्रचलन में है। गौधाम योजना की स्वीकृति विभागीय पत्र क्रमांक 1295 ई 47383/जेनकोर/3230/35/2025 नवा रायपुर दिनांक 06 अगस्त 2025 के माध्यम से जारी की गई है। गौधाम योजना के संचालन हेतु छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से प्राप्त अनुदान राशि से व्यय किये जाने का प्रावधान है, इस हेतु प्रथक से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। गौधाम योजना का क्रियान्वयन छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है, गौधाम का संचालन एवं निर्माण का कार्य चयनित संस्था द्वारा किये जाने का प्रावधान है। पंजीकृत 12 गौधामों के मांग पत्र अनुसार दिनांक 05.05.2026 को पोषण आहार हेतु राशि रू. 7,08,500/-, अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि रू. 35,00,000/- तथा चरवाहा मानदेय हेतु राशि रू. 59,488/- इस प्रकार कुल अनुदान राशि रू. 42,67,988/- प्रदाय किया गया है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।(ख)** गौधाम योजना अंतर्गत स्वीकृति तिथि से अब तक 100 गौधामों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गयी है जिसमे से छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग में 46 गौधाम का पंजीयन कार्य पूर्ण कर 28 गौधाम स्थापित किये गये है। गौधामों की स्थापना आवश्यकतानुसार, विकासखण्ड एवं जिलों के मांग के आधार पर गौधाम संचालन हेतु प्राप्त आवेदन पर छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। स्थापित गौधामों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति की बैठक में अनुमोदन पश्चात अब तक राशि रू. 42,67,988/- व्यय की गयी है, जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** वर्तमान में राशि व्यय किया जाना शेष नहीं है। **(ग)** जी हॉं, पूर्व से निर्मित गौठानों में ही गौधाम स्थापना की स्वीकृति दी गई है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।(घ)** 28 गौधामों में कुल 3,164 मवेशियों को संरक्षित कर रखा गया है, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]**

**<u>रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हितग्राहियों को खाद, बीज, कीटनाशक व अन्य सामग्री का वितरण</u>**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**18. ( क्र. 684 ) श्री फूलसिंह राठिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने हितग्राहियों को कौन-कौन सी अनुदान प्राप्त सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया गया है ? कृषि केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करावें ? दवाई छिड़काव हेतु मोटर पंप का वितरण किया गया है या नहीं ? यदि किया गया है तो कितने कृषकों को प्रदान किया गया है ? जानकारी उपलब्ध करावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालनालय कृषि द्वारा विकासखंड करतला एवं कोरबा में खरीफ 2025, रबी 2025-26 एवं खरीफ 2026 (01 अप्रैल से जून 2026 तक) किसानों को अनुदान पर वितरित आदान सामग्री की विकासखंडवार, कृषि केन्द्रवार, सामग्रीवार मात्रा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है।** कीटनाशक रसायन छिड़काव (दवाई छिड़काव) हेतु पम्प (स्प्रेयर) के वितरण की जानकारी निरंक है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालनालय उद्यानिकी द्वारा हितग्राहियों को अनुदान पर वितरित आदान सामग्रियों की विकासखंडवार, कृषि केन्द्रवार, सामग्रीवार मात्रा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द एवं इ अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]**

**<u>रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित समस्त आश्रम छात्रावासों में सीटों की वृध्दि का प्रस्ताव</u>**

[आदिम जाति विकास]

**19. ( क्र. 685 ) श्री फूलसिंह राठिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित समस्त बालक/बालिका छात्रावासों तथा कस्तूरब गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सेन्द्रीपाली एवं वि.खं. कोरबा के कोरबा में स्वीकृत सीटों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उनमें सीटों की वृध्दि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक वृध्दि कर दी जाएगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हॉ। रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बालक एवं बालिका छात्रावास/आश्रमों में तथा विकासखंड कोरबा के कोरबा में सीटों वृद्धि हेतु जिले के द्वारा दिनांक 19.06.2026 को प्रस्ताव भेजा गया है। जो कि विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सेन्द्रीपाली में सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**<u>ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई एश का भण्डारण</u>**

[आवास एवं पर्यावरण]

**20. ( क्र. 686 ) श्रीमती विद्यावती सिदार :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई एश (राखड़) के अवैध डम्पिंग, परिवहन अथवा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के संबंध में जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? उक्त दर्ज प्रकरणों में संबंधित कम्पनियों/संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया है? वर्षवार तिथिवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार किसी कम्पनी को फ्लाई एश (राखड़) भण्डारण हेतु कहां-कहां, कितने क्षेत्रफल में किस तिथि को, कितनी अवधि के लिए, कितनी मात्रा में भण्डारण की अनुज्ञा दी गई? खसरा नंबर, भू-स्वामित्व का विवरण सहित बतावें ? **(ग)** फ्लाई एश से प्रभावित कृषि भूमि, जल स्रोतों एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हेतु शासन द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई है? विवरण

देवें? **(घ)** पर्यावरण विभाग द्वारा दी गई सम्मति का विवरण देवें ? भण्डारित राखड़ से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु गाईडलाइन एवं की गई कार्यवाही का विवरण देवें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 30/06/2026 तक की अवधि में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश (राखड़) के अवैध डम्पिंग के कुल 15 प्रकरण, परिवहन के कुल 28 प्रकरण तथा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के कुल 27 प्रकरण दर्ज किये गए है। उक्त दर्ज प्रकरणों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गयी कार्यवाही की वर्षवार एवं तिथिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)** कार्यालय उपसंचालक, कृषि, जिला-रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार फ्लाई ऐश से कृषि भूमि प्रभावित होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, अतः जानकारी निरंक है। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़, जिला-रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार फ्लाई ऐश से प्रभावित जल स्त्रोंतों की जानकारी निरंक है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार लैलूंगा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामों में जनवरी 2024 से जून 2026 तक कुल 1426 हेल्थ मेला/स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया एवं 36167 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई।**(घ)**लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निचले क्षेत्रों एवं परित्यक्त खदानों में फ्लाई ऐश के भू-भराव हेतु जारी अनुमति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। निचले क्षेत्रों एवं परित्यक्त खदानों/क्वारी में फ्लाई ऐश भू-भराव के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मार्च 2019 में भराव हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है। उक्त मार्गदर्शिका एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी अनुमति के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रो द्वारा भू-भराव की जाती है। उक्त का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है।

## राजस्व भू-अभिलेख में दोरला जाति त्रुटि सुधार संबंधी

[आदिम जाति विकास]

**21. ( क्र. 689 ) श्री विनायक गोयल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम ककनार, चंदेला, काटाबांस, करेकोट, सतसपुर, पालम में निवासरत दोरला जाति वर्ष 1944 से निवासरत है? क्या उच्चारण त्रुटि होने के कारण राजस्व भू-अभिलेखों में दोरला को दोरा अभिलिखित होने से उक्त जाति शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित है? **(ख)** क्या सरकार द्वारा उन्हें संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के आधार पर उच्चारण संबंधी त्रुटि सुधार किये जाने का प्रावधान है? **(ग)** यदि प्रावधान है, तो बस्तर जिले में निवासरत दोरला जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किये जाने हेतु जून, 2026 तक की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। प्रकरण मात्रात्मक त्रुटि का नहीं है। **(ग)** दोरला जाति पूर्व से ही छ.ग. राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर शामिल है एवं दोरा जाति को राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन /भवन निर्माण

[आदिम जाति विकास]

**22. ( क्र. 692 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विभाग द्वारा गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड डौंडीलोहारा अंतर्गत ग्राम पिनकापार

में प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन जिला बालोद में करने हेतु आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय का संचालन कब से एवं जिले के किस स्थान/भवन में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो आदेश जारी होने के उपरांत भी जिले में संचालन नहीं होने का कारण क्या है तथा इसका संचालन कब तक प्रारंभ किया जाएगा? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कब तक भवन निर्माण प्रारंभ किये जाने की संभावना है ? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हां, ग्राम पिनकापार में उक्त स्वीकृत सीटों के अनुरूप भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन नहीं किया जा सका है। विद्यालय संचालन हेतु भवन उपलब्ध होने पर ग्राम पिनकापार में प्रयास विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। **(ख)** प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः भवन निर्माण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## चित्रकोट जलप्रपात में पर्यटन विकास

[पर्यटन]

**23. ( क्र. 701 ) श्री विनायक गोयल :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चित्रकोट जलप्रपात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? **(ख)** क्या पर्यटन विभाग द्वारा इस संबध में कोई कार्य योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक किया जावेगा ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** चित्रकोट जलप्रपात एवं यहां संचालित पर्यटक रिसॉर्ट के फोटोग्राफ्स, विडियो एवं उक्त पर्यटन स्थल की जानकारियों को निरंतर विभिन्न पर्यटन प्रमोशनल इवेन्ट्स में प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शित किया जा रहा है। चित्रकोट जलप्रपात से संबंधित जानकारी युक्त ब्रोशर्स, गाईड बुक आदि का निःशुल्क वितरण स्टेक होल्डर्स एवं पर्यटकों को किया जा रहा है, एवं पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग किये जाने वाले माध्यमों में प्रमुखता से चित्रकोट जलप्रपात के फोटोग्राफ्स, विडियो एवं उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। चित्रकोट जलप्रपात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए विकास कार्यों/निर्माण कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ख)** भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की "एक राज्य एक ग्लोबल डेस्टीनेशन" योजना के अंतर्गत "चित्रकोट" टूरिस्ट डेस्टीनेशन का नाम प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार चित्रकोट एवं इसके आस पास के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानकों के अनुरुप विकसित किये जाने के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की जायेगी। अनुमोदन उपरान्त इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। अतः वर्तमान में इसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]**

## प्रदेश में खाद एवं बीज की मांग तथा आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**24. ( क्र. 704 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023 से जून, 2026 तक प्रदेश में खरीफ एवं रबी फसल हेतु केन्द्र सरकार से किस किस प्रकार की कितनी मात्रा में रासायनिक खाद एवं बीज की मांग के विरूद्व केन्द्र शासन द्वारा कितनी मात्रा में आबंटन दिया गया? राशि बतावें? प्रश्नांक अवधि में राज्य में कृषकों द्वारा किस-किस प्रकार के बीज एवं किस-किस प्रकार के रासायनिक खाद की मांग की गई के विरुध्द कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया? क्या राज्य शासन

द्वारा किन्हीं अन्य माध्यम/एजेंसी से भी रासायनिक खाद एवं बीज की खरीदी की गई? यदि हां, तो कितनी मात्रा में कितनी राशि की? वर्षवार, जिलेवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में राज्य में कुल कितनी मात्रा में खाद की काला बाजारी अवैध भंडारण/परिवहन एवं अधिक मूल्य पर विक्रय करने की शिकायतें प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार, वर्षवार बतावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वर्ष 2023 से जून, 2026 तक की अवधि में खरीफ एवं रबी मौसम हेतु उर्वरकवार राज्य की मांग, भारत सरकार से प्राप्त आबंटन/लक्ष्य, भंडारण एवं वितरण की वर्षवार व जिलेवार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** सहकारी क्षेत्र में कृषकों को वितरण हेतु रासायनिक उर्वरकों का भंडारण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा तथा निजी क्षेत्र मे निजी प्रदायकों/ विक्रेताओं द्वारा कराया जाता है तथा कृषकों द्वारा स्वयं क्रय कर इसका भुगतान किया जाता है, अतः राशि की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। भारत सरकार से कृषकों को प्रमाणित बीज वितरण हेतु पृथक से लक्ष्य नहीं मांगा जाता है, अपितु केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान के अधीन एवं जिलों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप केवल सहकारी क्षेत्र/ विभागीय कार्यालयों में भंडारण एवं वितरण के लक्ष्य राज्य द्वारा ही निर्धारित किये जाते है। प्रश्नांकित अवधि में फसलों की बीज मांग, उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की वर्षवार व जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।**छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पास उपलब्ध बीजों के अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा अन्य पंजीकृत प्रदायक संस्थाओं से भी बीज क्रय कर कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। जिले के उपसंचालक कृषि एवं बीज निगम द्वारा अन्य माध्यमों से क्रय किए गए बीजों की मात्रा एवं राशि की वर्षवार व जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों (खाद) की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन तथा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जिलेवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-फ अनुसार है।**

## <u>प्रदेश में मछलीपालन हेतु संचालित योजनाएं</u>

[मछली पालन]

**25. ( क्र. 705 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में मछलीपालन विभाग की योजनाएं एन.एम.पी.एस. (नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंट)/ आर.के.व्ही.वाय. (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)/ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/नीलक्रांति योजना, धरती आबा योजना में विगत 03 वर्षों में कितने हितग्राहियों द्वारा मत्स्य पालन हेतु डबरी (स्थान संवर्धन), तालाब निर्माण एवं पॉन्ड लाईनर का निर्माण कराया गया है ? उक्त योजनाओं हेतु हितग्राहियों को कुल कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया है ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या उपरोक्त योजनाओं में पात्र हितग्राहियों के स्थानों का भौतिक सत्यापन एवं विभाग द्वारा सतत एवं नियिमित निगरानी की जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में मछलीपालन विभाग की योजनाएं एन.एम.पी.एस. (नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंट), आर.के.व्ही.वाय. (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना), नीलक्रांति योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत विगत 3 वर्षों में मत्स्य पालन हेतु डबरी (संवर्धन), तालाब निर्माण एवं पॉण्ड लाईनर घटक अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या व प्रदाय अनुदान राशि की **जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जी हां, उपरोक्त योजनाओं में पात्र

हितग्राहियों के स्थानों का भौतिक सत्यापन एवं सतत् निगरानी जिला स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। जी नहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रश्नांकित घटकों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]**

## जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में छात्रावास अधीक्षक एवं कर्मचारियों का अटैचमेंट

[आदिम जाति विकास]

**26. ( क्र. 712 ) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त द्वारा सत्र 2024-25 से सत्र 2025-26 तक ट्रायबल के ऐसे कितने-कितने छात्रावास अधीक्षक और कर्मचारी की मूल पदस्थापना से अन्य छात्रावास में व्यवस्था या अटैचमेंट किया गया है? मूल पदस्थापना एवं अटैचमेंट छात्रावास को नाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या जिला आयुक्त द्वारा ट्राइबल विभाग के अधीक्षक एवं अन्य चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को मूल पदस्थापना से हटाकर कही भी संलग्न किया जा सकता है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रश्नाधीन अवधि में जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किसी भी छात्रावास अधीक्षक एवं कर्मचारी की मूल पदस्थापना से अन्य छात्रावास में व्यवस्था या अटैचमेंट नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं।

## सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास द्वारा छात्रावास एवं आश्रम के लिए सामग्री क्रय

[आदिम जाति विकास]

**27. ( क्र. 713 ) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- ( क ) जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के आदिम जाति विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा जिला भर के छात्रावास एवं आश्रम में सामान आपूर्ति करने के लिए सत्र 2024-25 एवं सत्र 2025-26 में कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी ? क्या ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (E-Procurement) या GeM पोर्टल (Government e-Marketplace), या जिला स्तरीय निविदा (District Level Tenders), किस माध्यम से निविदा आमंत्रित कर किस दर पर कौन-कौन सी सामानों की सप्लाई के लिए आर्डर दिया गया ? निविदा प्रक्रिया के लिए कब और किस-किस तारीख को समाचार पत्रों या आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की गयी? (ख ) छात्रावास एवं आश्रम के बच्चों एवं पालकों द्वारा अमानक व घटिया क्वालिटी की सामग्री की सप्लाई एवं सप्लाई में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? क्या उपरोक्त की जाँच कर क्या भौतिक सत्यापन कराया गया है एवं दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के छात्रावास एवं आश्रमों हेतु सामग्री आपूर्ति मद अंतर्गत आबंटन प्रदाय किया गया, जिसके विरूद्ध सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में Gem पोर्टल के माध्यम से सामान आपूर्ति की प्रक्रिया अपनायी गई है। उक्त सत्रों में सामग्री आपूर्ति मद अंतर्गत आबंटन के विरूद्ध ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (E-Procurement)या GEM पोर्टल (Goverment e-Marketplace)या जिला स्तरीय निविदा (District Level Tenders) के माध्यम से निविदा आमंत्रित नही किया गया है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** अनियमितता की कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

**तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विजयपुर एवं ग्राम बेलपान में प्रस्तावित विकास कार्य**

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**28. ( क्र. 728 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलपान एवं ग्राम विजयपुर, प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल हैं? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कंडिका "क" के स्थलों के विकास हेतु शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं एवं कब तक स्वीकृत कर लिया जाएगा? **(ग)** क्या कंडिका "क" के स्थलों के धार्मिक महत्व को देखते हुए उक्त स्थलों की मूलभूत सुविधाओं एवं विकास के लिए शासन द्वारा कार्य किया जाएगा? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य एवं कब तक किए जाएंगे?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)**जी हॉ।**(ख)**शासन स्तर में कोई प्रस्ताव लंबित नही है।**(ग)**कंडिका "क" के स्थलों में से ग्राम विजयपुर किले में शेड निर्माण हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3990 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से जिला प्रशासन को रू. 20.00 लाख की स्वीकृति जारी कर दिनांक 28.04.2026 को प्रथम किस्त में रू.10.00 लाख जिला प्रशासन को जारी किया गया है। आगामी एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

**तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुपूरक बजट में उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु बजट प्रावधान**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**29. ( क्र. 729 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2025-26 के अनुपूरक बजट में उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए बजट प्रावधान किया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के महाविद्यालय को प्रारंभ करने के लिए अब तक कौन-कौन सी प्रकिया का पालन किया गया है? **(ग)** कंडिका "क" के महाविद्यालय को कब तक प्रारंभ किया जाएगा?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट सत्र 2025-26 के अनुपूरक बजट में रू. 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में नवीन प्रावधान के रूप में तखतपुर में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि रू. 445.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
**(ग)** प्रश्नांश ख के अनुक्रम मे समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**बिलासपुर जिले में अमानक खाद, बीज, कीटनाशक विक्रय की प्राप्त शिकायतें**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**30. ( क्र. 744 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** खरीफ एवं रबी सीजन वर्ष 2024 से जून, 2026 तक बिलासपुर जिले में सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं से खाद , बीज , कीटनाशकों के कुल कितने सैंपल लिए गए ? कितने सैंपल अमानक पाए गए ? फर्म /कंपनी के नाम, पता सहित जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या बिलासपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा अमानक / नकली खाद और कीटनाशक ऊंचे दामों में बेचे जाने की शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई ? फर्म/दुकानदारों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या अमानक बीज / खाद/ कीटनाशक बेचने वाली फर्म/ कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान

किया गया ? यदि हाँ, तो कितने किसानों को मुआवजा भुगतान किया गया ? जिलावार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :(क)** प्रश्नांकित अवधि में बिलासपुर जिले में सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं से खाद, बीज, कीटनाशकों के लिये गये सैंपल तथा लिये गये सैंपल में से अमानक पाये गये सैम्पल की फर्म/कंपनी के नाम, पता सहित वर्षवार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।(ख)** बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा अमानक/नकली खाद और कीटनाशक ऊंचे दामों में बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है। **(ग)** जी नहीं, अतः शेष जानकारी निरंक है।

**मेसर्स एस.एस.सी. लिमिटेड की प्रस्तावित लाइमस्टोन खदान के विरूद्ध जनविरोध**

[आवास एवं पर्यावरण]

**31. ( क्र. 754 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुंडा एवं गोड़ाडीह में मेसर्स एस.एस.सी. लिमिटेड की प्रस्तावित 3.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली लाइमस्टोन खदान के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों,ग्राम पंचायतों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यापक विरोध दर्ज कराया गया था? यदि हाँ,तो ग्रामवार प्राप्त आपत्तियों,हस्ताक्षरकर्ताओं एवं उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें ? **(ख)** क्या जनसुनवाई के समय पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं कराई गई तथा सूचना का पर्याप्त स्थानीय प्रचार-प्रसार नहीं किया गया,जिससे ग्रामीणों की प्रभावी भागीदारी प्रभावित हुई? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? **(ग)** क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित खदान से भू-जल,कृषि,पर्यावरण,वन्यजीव एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का किसी स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था से पुनर्मूल्यांकन कराया है? यदि नहीं,तो क्या सरकार पुनः पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव अध्ययन कराकर परियोजना की स्वीकृति की समीक्षा करेगी? **(घ)** क्या सरकार परियोजना से संबंधित सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियां, अनुपालन रिपोर्ट, निरीक्षण प्रतिवेदन, सीएसआर व्यय का ग्रामवार विवरण तथा जनसुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं कार्यवाही को सार्वजनिक करने तथा जांच पूर्ण होने तक परियोजना की आगामी कार्यवाही पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी हॉ। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुंडा एवं गोड़ाडीह में मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड की प्रस्तावित लाइमस्टोन खदान क्षमता 3.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष की जनसुनवाई दिनांक 07/06/2019 के दौरान स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम पंचायतों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। ग्रामवार प्राप्त आपत्तियों, हस्ताक्षरकर्ताओं एवं की गयी कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार परियोजना संबंधी ई.आई.ए. रिपोर्ट की कार्यकारिणी सारांश अंग्रेजी तथा हिंदी में जनसामान्य के अवलोकन एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला-बिलासपुर एवं जिला - जांजगीर-चाम्पा, (2) कार्यालय जिला पंचायत जिला-बिलासपुर एवं जिला-जांजगीर-चाम्पा, (3) जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, जिला-बिलासपुर एवं जिला - जांजगीर-चाम्पा, (4) कार्यालय ग्राम पंचायत भरारी, लोहर्सी, चिल्हाटी, पताईडीह, बेल्हा, सुलोनी, भुतहा-केवटाडीह, सुकुलकारी, केवतरा, बोहरडीह, भुरकुण्डा, गोडाडीह, जिला-बिलासपुर एवं कार्यालय ग्राम पंचायत कोसिर, ससहा, सोन, जिला - जांजगीर-चाम्पा, (5) डायरेक्टर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, (6) क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर,

(7) मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी थी। परियोजना की जनसुनवाई की सूचना का प्रकाशन दैनिक स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि एवं पत्रिका, बिलासपुर व राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 02/05/2019 के अंक में कराया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त आपत्तियों/टीका-टिप्पणियों/सुझाव का समावेश कर फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में जमा की गयी। जिसकी समीक्षा उपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खदान को दिनांक 31/01/2020 को लाईम स्टोन माइंस-3.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(घ)** परियोजना को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 31/01/2020 को लाईम स्टोन माइंस-3.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया गया है। जिसे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल में सार्वजनिक किया गया है। उद्योग संबंधी पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, निरीक्षण प्रतिवेदन तथा सी.एस.आर. व्यय विवरण को सार्वजनिक किये जाने का प्रावधान नहीं है। उद्योग द्वारा वेब पोर्टल परिवेश 2.0 तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाती है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के अनुसार दिनांक 14/06/2019 को जनसुनवाई का कार्यवाही विवरण कार्यालय कलेक्टर, जिला- बिलासपुर/जांजगीर-चांपा (छ.ग.), कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा (छ.ग.), कार्यालय, जिला पंचायत, जिला-बिलासपुर/ जांजगीर-चांपा (छ.ग.) और कार्यालय ग्राम पंचायत-भरारी, लोहर्सी, चिल्हाटी, पताईडीह, बेल्हा, सुलोनी, भुतहा-केवटाडीह, सुकुलकारी, केवतरा, बोहारडीह, भुरकुण्डा, गोडाडीह, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) एवं कार्यालय ग्राम पंचायत कोसिर, ससहा, सोन, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में जन सामान्य के लिए सार्वजनिक किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]**

## रोटीमेकर मशीन सहित अन्य सामानों की खरीदी में गड़बड़ी के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[आदिम जाति विकास]

**32. ( क्र. 761 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा रोटी मेकिंग मशीन सहित अन्य सामाग्रियों की खरीदी में अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो जांच समिति का गठन कब किया गया? समिति में शामिल अधिकारियों के नाम पदनाम सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि बताएं तथा जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें? **(ग)** क्या जांच रिपोर्ट में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी है तथा दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषी, अधिकारी, कर्मचारियों को जांच अवधि अथवा जांच में दोषी पाए जाने के बाद पदोन्नति प्रदान कर दी गई? क्या शासन उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों से धनराशि की वसूली करेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** हॉ, जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **''प्रपत्र-अ''** अनुसार है।**(ख)** हॉ, जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **''प्रपत्र-ब''** अनुसार है।**(ग)** हॉ, जांच रिपोर्ट में केवल अनियमितता पाई गई थी। विभाग के आदेश दिनांक 24.04.2026 द्वारा जांच मे दोषी पाये जाने पर श्री तारकेश्वर

देवांगन, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर एवं श्री विजय सिंह कंवर, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर उक्त दोनों अधिकारियों की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।**(घ)** जी नही।

## मंडी बोर्ड के द्वारा स्वीकृत कार्यो की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**33. ( क्र. 770 ) श्री ब्यास कश्यप :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** 01 जनवरी, 2025 से जून, 2026 तक कृषि उपज मंडी समिति, नैला, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत क्षेत्रों में मंडी बोर्ड, मंडी निधि, विपणन विकास निधि अनुदान एवं अन्य मद से कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत राशि से, कहां-कहां स्वीकृत किए गए हैं ? स्वीकृत कार्यो की अद्यतन स्थिति क्या है? ग्रामवार/विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका ''क'' की समितियों में मंडी निधि मद में कितनी-कितनी राशि शेष हैं? मंडीवार जानकारी प्रदान करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** 01 जनवरी, 2025 से जून, 2026 तक कृषि उपज मंडी समिति नैला, जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत क्षेत्रों में राज्य विपणन विकास निधि, मंडी समिति निधि, राज्य विपणन विकास निधि अनुदान मद से विभिन्न हाटबाजारों में चबूतरा एवं सी.सी.रोड़, ग्राम पंचायतों में सी.सी.रोड़ रोड़, पुलिया निर्माण, धान उपार्जन केन्द्रों में अहाता सह गेट निर्माण, मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में गोदाम निर्माण, सी.सी.रोड़, नाली, प्रकाश व्यवस्था, मरम्मत कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति, ग्रामवार/विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** कृषि उपज मंडी समिति नैला, जिला जांजगीर चांपा के मंडी निधि मद में राशि रू. 998.96 लाख शेष है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]**

## प्रदेश में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**34. ( क्र. 777 ) श्री रामकुमार यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में खरीफ धान की फसल के लिए प्रति एकड़ आवश्यक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं अन्य उर्वरक) की निर्धारित मात्रा कितनी है ? उर्वरकवार एवं पृथक-पृथक विवरण देवें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार क्या वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध उर्वरकों का भंडार किसानों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त है? यदि हां, तो उपलब्धता एवं आवश्यकता का उर्वरकवार विस्तृत विवरण देवें तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ? **(ग)** विगत 2 वर्षों में उर्वरकों की मांग, आबंटन एवं वितरण की स्थिति क्या रही है? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें ? **(घ)** क्या यह सही है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण किसान निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक खरीदने को विवश हैं ? विगत 2 वर्षों में उर्वरकों के निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय एवं कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा खरीफ मौसम में धान फसल के लिए प्रति एकड़ उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा की उर्वरकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति के कारण खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों विशेष रूप से डीएपी की आपूर्ति बाधित हुई है परंतु उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। खरीफ वर्ष 2026 हेतु उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य एवं दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में उपलब्धता (भण्डारण) की उर्वरकवार जानकारी निम्नानुसार है:-

*इकाई मेट्रिक टन*

| क्र. | उर्वरक का नाम | लक्ष्य | भंडारण |
|---|---|---|---|
| 1 | यूरिया | 725000 | 625201 |
| 2 | डीएपी | 300000 | 149874 |
| 3 | एन.पी.के. | 250000 | 207304 |
| 4 | एम.ओ.पी. | 80000 | 77847 |
| 5 | एस.एस.पी. (समस्त) | 200000 | 256280 |
| 6 | **योग** | **1555000** | **1316506** |

**(ग)** विगत 02 वर्षों यथा 2024-25 एवं 2025-26 में खरीफ एवं रबी मौसम में रासायनिक उर्वरकों के लक्ष्य/आबंटन, भण्डारण एवं वितरण की जिलावार, उर्वरकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ)** जी नहीं। विगत 02 वर्षों यथा 2024-25 एवं 2025-26 में रासायनिक उर्वरकों के निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय एवं कालाबाजारी के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

## पशु चिकित्सकों का स्थानांतरण, कार्यमुक्ति, पुनः पदस्थापना एवं वेतन आहरण की स्थिति

[पशुधन विकास]

**35. ( क्र. 784 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या राज्य में दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों का स्थानांतरण किया गया था? यदि हाँ, तो जिलेवार एवं संस्थावार स्थानांतरित अधिकारियों तथा कार्यमुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या क्या है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि सरगुजा स्थित शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र से पशु चिकित्सकों का अन्यत्र स्थानांतरण किया गया था? यदि हाँ, तो कार्यालयीन आदेश क्रमांक 517/स्था./2025-26/अंबिकापुर, दिनांक 10.07.2025 के तहत किन-किन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया? उनका नाम, पदनाम एवं पदस्थापना स्थल क्या है? **(ग)** कार्यमुक्ति के उपरांत क्या संबंधित पशु चिकित्सकों को पुनः सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो में पदस्थ किया गया है? यदि नहीं, तो स्थानांतरित अधिकारियों का वेतन किस आधार पर आहरित एवं भुगतान किया गया? इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या जांच अथवा कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है? विवरण प्रदान करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ, 26 जिलों की 79 संस्थाओं के कुल 83 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को स्थानांतरित किया गया जिसमें से 73 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को कार्यमुक्त किया गया है। जिलावार, संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** जी हाँ, कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के आदेश कमांक 517/स्था./2025-26 अम्बिकापुर दिनांक 10.07.2025 के द्वारा डॉ. सी.के. मिश्रा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो जिला सरगुजा को नवीन पदस्थापना स्थल पशु चिकित्सालय उरमाल जिला गरियाबंद हेतु कार्यमुक्त किया गया था। **(ग)** जी नहीं। डॉ. सी.के. मिश्रा द्वारा स्थानांतरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष दायर याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 7748/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 के परिपालन में पुनः उपस्थिति प्रस्तुत की गई है जिसके आगामी माहों का वेतन भुगतान किया जा रहा है। डॉ. सी.के. मिश्रा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को दिनांक 10.07.2025 को कार्यमुक्ति पश्चात माह जुलाई 2025 के वेतन का भुगतान के संबंध में संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को राज्य शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, अग्रेत्तर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

## जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध राखड़ डम्पिंग पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**36. ( क्र. 789 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में किन-किन उद्योगों द्वारा किन ग्रामों एवं खसरों में राखड़ (फ्लाई ऐश) डम्पिंग की जा रही है? उद्योगवार, ग्रामवार एवं खसरावार जानकारी दें? **(ख)** क्या स्वीकृत खसरों के स्थान पर अन्य खसरों में अवैध राखड़ डम्पिंग किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की संख्या, निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम, निरीक्षण तिथि तथा दोषी उद्योगों पर की गई दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण दें? **(ग)** अवैध राखड़ डम्पिंग पर रोक लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु शासन द्वारा क्या कार्ययोजना एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है? विवरण दें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** जी हां। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया गया है, जो कि दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील है तथा उद्योगों से जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु परिवहन की निगरानी बाबत औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) संचालित की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है। परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। अवैध राखड़ डम्पिंग पर रोक लगाने हेतु जी.पी.एस. युक्त वाहनों से फ्लाई ऐश का परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]**

## किसानों को भूमि धारण क्षमता एवं फसलवार आवश्यकता के आधार पर खाद प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**37. ( क्र. 800 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** किसानों को भूमि धारण क्षमता एवं फसलवार आवश्यकता के आधार पर खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं पोटाश) की आनुपातिक मात्रा निर्धारित करने के क्या मापदंड हैं तथा वर्ष 2024, 2025 व 2026 में जिलेवार कितनी मात्रा निर्धारित की गई? **(ख)** क्या उक्त अवधि में किसानों को निर्धारित आनुपातिक मात्रा से कम अथवा अधिक खाद वितरित किए जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आए हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो जिलेवार प्राप्त शिकायतों, जांच के निष्कर्षों तथा दोषी उर्वरक विक्रेताओं, सहकारी समितियों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** किसानों की फसल कास्त लागत में कमी एवं भूमि की उत्पादन क्षमता अक्षुण्ण बनाये रखने के दृष्टिकोण से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा उपयोग हेतु किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। विगत वर्षों (2024 एवं 2025) में उपलब्ध उर्वरकों के आधार पर कृषकों को उर्वरक प्रदाय करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने के फलस्वरूप राज्य में उपलब्ध उर्वरकों के समानुपातिक वितरण के दृष्टिकोण से विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2026 द्वारा खरीफ 2026 में कृषकों द्वारा विगत वर्ष उठाव किए गए उर्वरक की तुलना में यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा के वितरण के निर्देश जारी किए गए हैं। यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता तथा लगातार आपूर्ति होने के फलस्वरूप यूरिया के संबंध में जारी उक्त निर्देश को दिनांक 27.06.2026 को जारी दिशा-निर्देश द्वारा

विलोपित किया गया है। दिशा-निर्देशों की प्रति **संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है।** विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डीएपी उर्वरक की 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जिला महासमुंद में औचक निरीक्षण के दौरान 04 उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उर्वरक विक्रय में अनियमिततायें परिलक्षित होने पर जांच कराई गई, जिसमें अनुपातिक मात्रा से अधिक उर्वरक वितरण किया जाना पाया गया है। दोषी उर्वरक विक्रेताओं एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण **संलग्न प्रपत्र स अनुसार है।**
**[ संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]**

## कृषि लागत में वृद्धि एवं किसानों की आय की स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**38. ( क्र. 808 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विगत तीन वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश में खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल एवं अन्य कृषि आदानों की कीमतों में वृद्धि हुई है ? यदि हाँ, तो वर्षवार विवरण दें ? **(ख)** विगत तीन वर्षों में किसानों की औसत कृषि लागत एवं औसत कृषि आय का वर्षवार विवरण क्या है ? **(ग)** क्या शासन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि का कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ? **(घ)** कृषि लागत में वृद्धि के प्रभाव को कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु शासन द्वारा विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)**यूरिया एवं डीएपी उर्वरक की दर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित रखी गई हैं जिससे प्रश्नांकित अवधि में इनकी दरें स्थिर रही हैं। उर्वरक एवं बीज की कीमतों की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** डीजल की कीमत संबंधी खाद्य विभाग से प्राप्त **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** कीटनाशक की कीमत बाजार आधारित होने के कारण इसका संधारण नहीं किया जाता। **(ख)**औसत कृषि लागत फसलवार पृथक-पृथक होती है। प्रदेश की मुख्य फसल धान का विगत तीन वर्षों में किसानों की औसत कृषि लागत एवं औसत कृषि आय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है -

| **विवरण** | **वर्ष 2023-24** | **वर्ष 2024-25** | **वर्ष 2025-26** |
|---|---|---|---|
| औसत कृषि लागत (रू/हे.) | 62250 | 62800 | 63500 |
| औसत कृषि आय (रू/हे.) | 134800 | 136350 | 136505 |
| औसत शुद्ध आय (रू/हे.) | 72550 | 73550 | 73005 |

**(ग)**जी नहीं। विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि का कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कार्य नहीं कराया गया है। **(घ)** कृषि लागत में वृद्धि के प्रभाव को कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में संचालित मुख्य योजनाएँ निम्नानुसार हैं-

| **क्र.** | **योजना का नाम** | **उद्देश्य/लाभ** |
|---|---|---|
| 1 | कृषक उन्नति योजना | पंजीकृत कृषकोंको आदान सहायता राशि उपलब्ध कराना |
| 2 | नलकूप खनन | खनन एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों को राशि रू. 43000 एवं अ.पि.व. को रू. 35000 सामान्य वर्ग को रू. 25000 का अनुदान देय |
| 3 | गन्ना कृषकोंको बोनस | गन्ना उत्पादक कृषकोंको प्रोत्साहन राशि का भुगतान |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | प्रतिवर्ष रू. 6000 की आर्थिक सहायता |
| 5 | किसान क्रेडिट कार्ड /शून्य ब्याज ऋण | शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण |

[ संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]

## गंगरेल जलाशय में मत्स्याखेट कार्य से प्राप्त रॉयल्टी राशि

[मछली पालन]

**39. ( क्र. 819 ) श्री ओंकार साहू (श्री कवासी लखमा) :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला धमतरी स्थित गंगरेल जलाशय में मत्स्याखेट का कार्य वर्तमान में किस संस्था/सहकारी समिति को दिया गया है तथा उक्त कार्य किस अवधि एवं किन शर्तों पर स्वीकृत किया गया है? **(ख)** वर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक गंगरेल जलाशय में वर्षवार कितना मछली उत्पादन हुआ? उक्त अवधि में मत्स्याखेट से शासन को कितनी रॉयल्टी/ठेका राशि प्राप्त हुई? संबंधित मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्षवार आय का विवरण क्या है? उत्पादित मछली का विक्रय किन-किन माध्यमों/संस्थाओं को किया जाता है? **(ग)** वर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक गंगरेल जलाशय से जुड़े मछुआरों को मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट कार्य हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी सहायता, अनुदान, प्रशिक्षण, उपकरण, जाल, नाव, बीमा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं? वर्षवार विवरण दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला धमतरी स्थित गंगरेल जलाशय में मत्स्याखेट का कार्य वर्तमान में पंजीकृत 11 मछुआ सहकारी समितियों को दिया गया है तथा उक्त कार्य 09.09.2025 से 15.06.2026 तक की अवधि एवं अस्थाई तौर पर रायल्टी की शर्तों पर स्वीकृत किया गया है। **(ख)** वर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक गंगरेल जलाशय में मछली उत्पादन, मत्स्याखेट से शासन को प्राप्त रॉयल्टी/ठेका राशि तथा मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है तथा समितियों की वर्षवार आय एवं उत्पादित मछली के विक्रय से संबंधित जानकारी छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर के पास उपलब्ध नहीं है। **(ग)** वर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक गंगरेल जलाशय से जुड़े मछुआरों को मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट कार्य हेतु शासन द्वारा प्रदाय सहायता अनुदान, प्रशिक्षण, उपकरण, जाल, नाव, बीमा एवं अन्य सुविधाएं की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

## खरीफ फसल 2026 के लिए उर्वरकों की उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**40. ( क्र. 833 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बालोद में खरीफ, 2026 की फसल हेतु किसानों को शासकीय दर पर रासायनिक उर्वरक एवं बीज के वितरण हेतु क्या व्यवस्था की गयी है? बालोद जिले में वर्ष 2023 से 2026 तक खरीफ फसल हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की आंकलित मॉग कितनी-कितनी थी एवं कौन-कौन से उर्वरक कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त हुये? खरीफ फसल वर्ष 2026 हेतु आंकलित मॉग के विरूद्ध दिनांक 20 जून, 2026 तक कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति जिले को प्राप्त हुई है एवं कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं? कितने किसानों को कितनी मात्रा में कौन-कौन से उर्वरक प्रदाय किया जाना शेष है? जानकारी देवें. **(ख)** बालोद जिले में सहकारी सोसायटियों एवं निजी दुकानों में विक्रय के लिए किन-किन उर्वरकों का कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया है? सहकारी सोसायटियों

के माध्यम से इस वर्ष किसानों को प्रति एकड़ कितनी मात्रा में कौन-कौन से उर्वरक दिया जाना निर्धारित है तथा प्रति बोरी यूरिया, डी.ए.पी. एवं एन.पी. उर्वरक किसानों को किस दर पर दिया जा रहा है? सहकारी सोसायटियों के द्वारा किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी प्रति एकड़ कितनी मात्रा में किस दर पर दिया जा रहा है? जानकारी देवें.

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला बालोद में खरीफ 2026 हेतु किसानों को शासकीय दर पर रासायनिक उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों द्वारा तथा बीज का वितरण सहकारी समितियों, कृषि विभाग के कार्यालयों एवं बीज निगम के प्रक्रिया केन्द्रों के माध्यम से कराया जा रहा है। बालोद जिले में खरीफ वर्ष 2026 हेतु बीज की मांग एवं भंडारण की फसलवार, संस्थावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। बालोद जिले में वर्ष 2023 से 2026 तक खरीफ मौसम हेतु रासायनिक उर्वरकों की आंकलित मांग एवं प्राप्त मात्रा की वर्षवार, उर्वरकवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। खरीफ वर्ष 2026 हेतु आंकलित मांग के विरूद्ध दिनांक 20.06.2026 तक बालोद जिले को प्राप्त (भंडारित) एवं किसानों द्वारा उठाव किये गये रासायनिक उर्वरकों की मात्रा की उर्वरकवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों का उठाव किया जाता है। अतः वितरण हेतु शेष किसानों एवं उर्वरक मात्रा का आंकलन किया जाना संभव नहीं है। **(ख)** खरीफ व रबी मौसम में सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए आंकलित उर्वरक की मांग अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राप्त उर्वरक रैक में से सामान्यतः 60:40 के अनुपात में सहकारी एवं निजी क्षेत्रों हेतु आवंटित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर सहकारी क्षेत्र के लिए उर्वरक आवंटन बढ़ाया जाता है।वैश्विक परिस्थितियों के कारण खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने के फलस्वरूप राज्य में उपलब्ध उर्वरकों के समानुपातिक वितरण के दृष्टिकोण से विगत वर्ष उठाव किये गये यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा के वितरण के निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार शत्-प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने दिनांक 27.06.2026 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये है। दिशा-निर्देशों की प्रति क्रमशः **संलग्न प्रपत्र-द एवं इ अनुसार है।** विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डीएपी उर्वरक का 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।किसानों को उपलब्ध कराई जा रही यूरिया, डीएपी एवं एनपीके की प्रति बोरी दर की जानकारी तथा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों की स्वेच्छानुसार प्रति एकड़ प्रदाय की जा रही 1-2 बोतल नैनो यूरिया (500 एम.एल.) एवं 1 बोतल नैनो डीएपी (500 एम.एल.) के दर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- क अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]**

## छात्रावासों/आश्रमों में सीटों की संख्या एवं उपलब्ध सुविधाएं

[आदिम जाति विकास]

**41. ( क्र. 837 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 20 जून, 2026 की स्थिति में प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस-किस स्तर के कितने बालक व बालिका छात्रावास/आश्रम संचालित हैं तथा इन छात्रावासों में सीटों की संख्या कितनी-कितनी है? जिलेवार बतावें ? **(ख)** कण्डिका 'क' के कितने छात्रावास भवनविहीन, कितने अहाताविहीन, कितने बालिका छात्रावास/आश्रम में बालिका स्नानागार एवं शौचालय नहीं है तथा कितने में शुद्ध पेयजल हेतु स्वयं के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं? जानकारी देवें ? **(ग)** कण्डिका 'क' के कितने छात्रावास/आश्रमों में निर्धारित मेनू के आधार पर भोजन नहीं दिये जाने या स्तरहीन भोजन दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है या मामला विभाग के संज्ञान में आया है? इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? जानकारी देवें ? **(घ)** विगत 03 वर्षों में

उक्त छात्रावासों/आश्रमों को किन-किन मदों में कुल कितनी राशि प्रदान की गई है तथा प्राप्त राशि को उनके द्वारा किन-किन कार्यों में कितना-कितना खर्च किया गया है? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिलेवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-अ''**अनुसार है। **(ख)** उक्त संचालित संस्थाओं में से भवनविहीन, अहाताविहीन तथा ऐसे कन्या छात्रावास जहॉ स्नानागार, शौचालय तथा शुद्ध पेयजल हेतु स्वयं के स्त्रोत उपलब्ध नहीं है, की जिलेवार जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र-ब''**अनुसार है। **(ग)** संचालित छात्रावास/आश्रमों में निर्धारित मेनू के आधार पर भोजन नहीं दिये जाने या स्तरहीन भोजन दिये जाने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

**कृषि तथा उद्यानिकी विभाग, जिला बालोद द्वारा क्रय की गई सामग्री/उपकरण**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**42. ( क्र. 838 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि तथा उद्यानिकी विभाग, जिला बालोद के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 20 जून, 2026 तक की अवधि में किन-किन मदों से कितनी राशि की कौन-कौन सी सामग्रियॉं व उपकरण किन-किन संस्था/फर्म/ एजेंसी से कितनी मात्रा में क्रय की गयी हैं? क्रय की गयी सामग्री/उपकरणों का वर्षवार, फर्मवार विवरण देवें ? **(ख)** कण्डिका 'क' की संस्था/फर्म/एजेंसी का चयन/निर्धारण किस आधार पर किया गया? क्रय की गई सामग्री/उपकरणों से कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित अन्य/ किन-किन योजनाओं का लाभ उक्तावधि में जिले के कितने हितग्राहियों को दिया गया है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** कृषि तथा उद्यानिकी विभाग, जिला बालोद के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 20 जून, 2026 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री एवं उपकरण की वर्षवार, योजनावार एवं सामग्रीवार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** कंडिका 'क' में दर्शित आपूर्तिकर्त्ता संस्थाओं का चयन योजना में निहित प्रावधान अनुसार भारत सरकार के जैम पोर्टल पर निविदा के माध्यम से अथवा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से किया गया। क्रय की गई सामग्री/उपकरणों से लाभांवित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** इसके अतिरिक्त कृषि एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभांवित हितग्राहियों की योजनावार, वर्षवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।**

**केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं अप्रयुक्त राशि का विवरण**

[पर्यटन]

**43. ( क्र. 843 ) श्री दीपेश साहू :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में पर्यटन विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं तथा श्रेणीवार कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? **(ख)** विगत दो वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं (जैसे स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना) के लिए कुल कितना अनुदान स्वीकृत और जारी किया गया है? इस राशि में से किन-किन परियोजनाओं में कितना व्यय

किया जा चुका है और केंद्र को कितना उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना लंबित है? **(ग)** विभाग की कितनी राशि अप्रयुक्त रही? वित्तीय वर्ष 2025-26 में पर्यटन विभाग के कुल बजट में से कितनी राशि खर्च न हो पाने के कारण अप्रयुक्त या समर्पित हो गई? इस बजट राशि के व्यपगत होने के मुख्य प्रशासनिक या तकनीकी कारण क्या थे?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** वर्तमान में पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 129 पद स्वीकृत है, जिसमें से 79 पदों पर कर्मचारी कार्यरत है तथा 50 पद रिक्त है। श्रेणीवार पदों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की भर्ती पदोन्नति नियम के संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।**(ख**) विगत दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं (जैसे स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना) के लिए अनुदान स्वीकृत और जारी की गई राशि की वांछित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में पर्यटन विभाग को कुल बजट राशि रू. 222.00 करोड़ प्रावधानित थी, जिसमें से वित्त विभाग द्वारा केवल राशि रू. 148.595 करोड़ का बजट आंबटन प्राप्त हुआ तथा शेष राशि रू. 73.405 विमुक्त नहीं होने के कारण निर्धारित प्रारूप में समर्पित की गई।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]**

## आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की स्थिति

[आदिम जाति विकास]

**44. ( क्र. 861 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) बहुल क्षेत्रों में कराए जाने वाले बुनियादी विकास कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा अधिकतम कितने दिनों की समय-सीमा तय की गई है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु कुल कितनी राशि आबंटित एवं व्ययित की गई तथा उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने लंबित हैं? **(ग)** क्या आदिवासी क्षेत्रों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंचों) द्वारा विकास कार्यों में विभागीय अधिकारियों के असहयोग या स्वीकृति में विलंब संबंधी शिकायतें शासन स्तर पर प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है एवं उन पर क्या कार्रवाई की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) बहुल क्षेत्रों में कराए जाने वाले बुनियादी विकास कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा अधिकतम कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। किन्तु प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल एवं दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावो का शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु यथा संभव प्रयास किया जाता है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु कुल आबंटित एवं व्यय राशि तथा पूर्ण कार्य एवं लंबित कार्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** आदिवासी क्षेत्रों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंच संघ) द्वारा विकास कार्यों में विभागीय अधिकारियों के असहयोग या स्वीकृति में विलंब संबंधी बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत जिला कोण्डागांव की 01 शिकायत शासन स्तर पर प्राप्त हुई है। शासन के पत्र क्रमांक GENCOR/10418/2026- Tribal Sectionदिनांक 25.05.2026 द्वारा तत्संबंध में आयुक्त कार्यालय को जांच हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में उक्त शिकायत की जांच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शिका./472/FileNo.ESTB/19069/2026दिनांक 15.06.2026 द्वारा कलेक्टर जिला कोण्डागांव को पत्र लिखा गया है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]**

## अमानक बीज वितरण की प्राप्त शिकायतें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**45. ( क्र. 878 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में बीज निगम अथवा विभागीय एजेंसियों द्वारा प्रदाय बीजों के संबंध में नकली अथवा अमानक बीज वितरण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिला एवं विकासखंडवार विवरण तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार जानकारी देवें ? **(ख)** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को निःशुल्क अथवा अनुदानित बीज/उद्यानिकी फसलों के बीज किन-किन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं? क्या इसकी जानकारी किसानों तक समय पर पहुंचाने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उसका विवरण तथा यदि नहीं, तो कारण बताएं? **(ग)** राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों में किसान मित्र/कृषि मित्र नियुक्त हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें ? क्या किसान मित्र/कृषि मित्र को मानदेय दिया जाता है तो प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :(क)** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. एवं विभागीय एजेंसियों द्वारा वितरित बीजों के संबंध में विगत तीन वर्षों यथा 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में नकली अथवा अमानक बीज वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। खरीफ 2024 में जिला बलौदाबाजार एवं रायपुर जिलों में वितरित बीजों में अंकुरण कम होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आधार पर कृषकों को नियमानुसार बीज के बराबर बीज की राशि की प्रतिपूर्ति की गई। वर्षवार, जिलावार, विकासखण्डवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किसानों को निःशुल्क अथवा अनुदानित बीज के वितरण हेतु संचालनालय कृषि अंतर्गत संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है** तथा अनुदानित उद्यानिकी फसलों के बीज संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत संचालित राज्य पोषित योजनायें यथा-समेकित उद्यानिकी कार्ययोजना, आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना एवं मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें यथा-एकीकृत बागवानी विकास मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल पॉम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, इसकी जानकारी विभागीय मैदानी अमलों के द्वारा प्रचार-प्रसार, स्थानीय, जिला एवं राज्य स्तरीय मेला, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, सेमीनार तथा बैठकों के माध्यम से किसानों तक समय-समय पर उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मैदानी अमलों द्वारा कृषकों से सतत रूप से संपर्क कर जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। **(ग)** वर्तमान में राज्य की 8782 ग्राम पंचायतों में किसान मित्र नियुक्त हैं। ग्राम पंचायतवार विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** किसान मित्र को राशि रू. 1500 (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह मानदेय प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

## सेवा सहकारी समिति में खरीफ वर्ष 2026-27 हेतु डीएपी खाद की मांग, व आवंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**46. ( क्र. 892 ) श्री भोलाराम साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला-राजनांदगांव एवं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में खरीफ वर्ष 2026-27 हेतु 15 जून, 2026 की स्थिति डीएपी खाद की मांग, आवंटन, उपलब्धता एवं वितरण का समिति-वार जानकारी देवें ? **(ख)** 15 जनू, 2026 की स्थिति में क्षेत्र में डीएपी खाद की कुल कमी कितनी है तथा कितने किसानों को मांग के अनुरूप डीएपी उपलब्ध नहीं हो सका विकासखण्डवार, सोसायटीवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि डीएपी की कमी के कारण किसानों की बोनी एवं कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इसका आकलन क्या है? कृपया बताएं ? **(घ)** किसानों को आवश्यकता अनुसार

डीएपी उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा क्या विशेष व्यवस्था की गई है तथा शेष मांग की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विभाग द्वारा विधानसभावार नहीं अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। जिला राजनांदगांव एवं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखंड छुरिया एवं अंबागढ़-चौकी की सहकारी समितियों में खरीफ वर्ष 2026-27 हेतु 15 जून 2026 की स्थिति में डीएपी उर्वरक की मांग/लक्ष्य, उपलब्धता (भण्डारण) एवं वितरण की सहकारी समितिवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है। (ख)** 15 जून 2026 की स्थिति में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी तथा जिला राजनांदगांव में डीएपी उर्वरक के कुल लक्ष्य, उपलब्धता (भंडारण) एवं वितरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

(इकाई में. टन)

| क्र. | जिला/वि.स.क्षेत्र | विकासखण्ड | डीएपी उर्वरक | |
|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | खुज्जी विधानसभा क्षेत्र | छुरिया | 3008.50 | 932.90 |
| | | अंबागढ़ चौकी | 980.00 | 445.90 |
| 2 | जिला राजनांदगांव | योग | 3988.50 | 1378.80 |
| | | समस्त | 6874.40 | 2818.65 |

डीपीएपी उर्वरक उपलब्धता की विकासखण्ड एवं सहकारी समितिवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है।** किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों का उठाव किया जाता है, अतः वितरण हेतु शेष किसानों का आंकलन किया जाना संभव नहीं है। **(ग)** बोनी एवं कृषि कार्य डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण नहीं अपितु मानसून में विलंब के कारण प्रभावित हुए हैं। अल नीनों के प्रभाव से खरीफ वर्ष 2026 में मानसून विलंब से प्रारंभ होने के कारण दिनांक 07.07.2026 की स्थिति में प्रदेश में फसलों की बोनी 33 प्रतिशत पूर्ण हो पाई है तथा निरंतर जारी है। यद्यपि डीएपी की आपूर्ति प्रभावित हुई है परंतु उसकी पूर्ति अन्य वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से की जा रही है। **(घ)** वैश्विक परिस्थितियों के कारण खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरक विशेष रूप से डीएपी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, यद्यपि उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डीएपी उर्वरक की 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे- एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। भारत सरकार से डीएपी उर्वरक की रैक प्राप्ति के अनुसार ही डीएपी की पूर्ति की जा सकेगी। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]**

## वनाधिकार पत्र वितरण के प्रकरणों का निराकरण

[आदिम जाति विकास]

**47. ( क्र. 904 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छ0ग0 राज्य के अधीन जिलों में वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक की स्थिति में वनाधिकार पत्र दिये जाने से संबंधित कितने आवेदन पंजीकृत हुये ? कितने का निराकरण हुआ ? कितने वनाधिकार पत्र (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक) जारी किये गये ? कितने निरस्त हुये ? निरस्त हुये प्रकरणों में कितने प्रकरणों में पुनः अपील आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ? कितनों का निराकरण हुआ? कृपया जिलेवार व वर्षवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' की निरंतरता में ही अद्यतन स्थिति में कितने अपील के व कितने नवीन आवेदन पत्र लंबित है ? इन प्रकरणों के निराकरणार्थ विभाग के द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं कार्ययोजना की जानकारी दें? क्या इन प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है ? कृपया बतावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :(क) जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-ब' अनुसार** है। इन प्रकरणों के निराकरणार्थ संबंधित जिलों द्वारा समय-समय पर अनुभाग (उपखण्ड) स्तर पर बैठक आयोजित कर प्रावधान से संबंधित जानकारी विभिन्न अशासकीय संस्थाओं, सचिवों, पटवारी, बीटगार्ड तथा दावाकर्ताओं को दी जा रही है। इस हेतु विभाग सतत प्रयासरत है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है अतः निराकरण की समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]**

## धान, बीज एवं खाद की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**48. ( क्र. 905 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में धान बीज एवं खाद की मांग, विभाग का लक्ष्य एवं की गई आपूर्ति की स्थिति जिलेवार बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में इस चालू वर्ष में धान बीज एवं खाद के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं समस्या पर की गई विभागीय कार्यवाही के संबंध में बतावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में धान बीज एवं उर्वरक की मांग (विभाग का लक्ष्य) एवं की गई आपूर्ति (भंडारण) की स्थिति जिलेवार **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में इस चालू वर्ष में धान बीज एवं खाद के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं समस्या पर की गई विभागीय कार्यवाही की **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र-इ एवं ई अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]**

## बस्तर संभाग हेतु खरीफ 2026 के लिए रासायनिक खादों का भण्डारण व वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**49. ( क्र. 912 ) श्री कवासी लखमा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभाग में वर्तमान खरीफ सीजन 2026 में कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खादों, डी.ए.पी., यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश व एन.पी.के. के भण्डारण व वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? जून, 2026 तक तय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति में कितना भण्डारण व वितरण हुआ है? जानकारी जिलेवार, उर्वरकवार प्रदान करें? **(ख)** क्या किसानों को डी.ए.पी. के बदले एन.पी.के. अथवा अन्य रासायनिक खाद दिए जाने हेतु सेवा सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं? यदि हां, तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** विगत एक वर्ष में बस्तर संभाग में नकली खाद अथवा तय दाम से अधिक कीमत में खाद बेचने वालों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खरीफ वर्ष 2026 में बस्तर संभाग हेतु कुल 182280 मे. टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरुद्ध दिनांक 30.06.2026 तक कुल 144810 मे. टन भण्डारण एवं 73163 मे. टन का उठाव किसानों द्वारा किया जा चुका है। जिलावार, उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** जी हाँ, विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से कृषकों द्वारा विगत वर्ष उठाव किये गये यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक के अनुसार वितरण हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसमें यूरिया वितरण के संबंध में जारी निर्देश को विलोपित करते हुए आवश्यकता अनुसार शत् -प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने दिनांक 27.06.2026 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये।

विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डी.ए.पी. उर्वरक की 60 प्रतिशत् मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे- एन.पी.के., एस.एस.पी. एवं नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दिशा-निर्देश **संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।(ग)** विगत एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) में बस्तर संभाग में नकली उर्वरक विक्रय/वितरण संबंधी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत में उर्वरक विक्रय करने वाले तीन प्रकरण संज्ञान में आये जिन पर की गई कार्यवाही की जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र -द अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]**

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत जलक्षेत्रों का अधिकार पत्र दिया जाना

[आदिम जाति विकास]

**50. ( क्र. 914 ) श्री कवासी लखमा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)**(घ)** के अनुसार वन भूमि पर स्थित जलक्षेत्रों (तालाब/जलाशय आदि) का भी सामुदायिक अधिकार/अधिभोग पत्र दिया जाना है? **(ख)** यदि हां तो धारा 3(1)**(घ)** का पालन और क्रियान्वयन करने के लिये विभाग के द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ? तारीखवार बताएं इस प्रावधान के पालन तथा क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर की समीक्षा बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये? **(ग)** अब तक दिये गये सामुदायिक अधिकार पत्रों का जिलावार विवरण (संख्या तथा जलक्षेत्र सहित) दे ? जिन जलक्षेत्रों के लिये जून, 2026 तक सामुदायिक अधिकार पत्र नहीं दिये गये हैं, उनके कारण क्या-क्या हैं? कौन-कौन उत्तरदायी हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हॉं। **(ख)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं विभिन्न सामुदायिक अधिकारों का विभिन्न उपधाराओं {3(1)**(घ)** सहित} में प्रावधान है तदनुसार विभाग द्वारा सामुदायिक अधिकारों की मान्यता/क्रियान्वयन के संबंध में जिलों को क्रमशः दिनांक 07-04-2012, 07-06-2012, 05-11-2012, 01-06-2015, 27-07-2015, 20-02-2020, 20-01-2021, 26-02-2021, 13-09-2024 एवं 08-01-2026 द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं, इसके अलावा समीक्षा बैठकों तथा ऑनलाईन/वर्चुअल समीक्षा में भी समय-समय पर जिलों को सामुदायिक वन अधिकारों के समयसीमा में क्रियान्वयन के संबंध में जिलों को निर्देश दिये गये है तथा विभिन्न स्तर पर समीक्षा बैठकों के निर्णयों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रावधान अनुसार सामुदायिक वन अधिकार का निर्धारण और मान्यता हेतु विधिवत व्यवस्था है, जिसमें त्रि-स्तरीय समिति (ग्रामसभा स्तर पर वन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति) के माध्यम से पात्र पाये जाने पर दावा अनुमोदन उपरांत विभिन्न वन अधिकार मान्य किये जाते हैं। अतः उक्त प्रक्रिया अनुसार जलाशयों हेतु सामुदायिक वन अधिकार दावा निर्धारण, पात्रता एवं अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त जलाशय/जल क्षेत्र पर मान्यता दी जाती है। दावा प्राप्त होने तथा पात्र होने पर मान्यता हेतु कार्यवाही की जा सकती है। पात्रता की प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना ऐसे जलाशयों, जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गयी है तथा उनके कारण के संबंध में बताया जाना संभव नहीं है। अतः उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]**

**श्री सीमेंट लिमिटेड के मोहरा (ब्लॉक-A) चूना पत्थर खदान परियोजना के संबंध में**

[आवास एवं पर्यावरण]

**51. ( क्र. 920 ) श्री संदीप साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला बलौदा बाजार-भाटापारा के पलारी तहसील अंतर्गत श्री सीमेंट लिमिटेड के मोहरा (ब्लॉक-A) चूना पत्थर खदान परियोजना को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में Corporate-Environment-Responsibility (CER) तथा कॉर्पोरेट-सामाजिक-उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत लगभग ₹5.55 करोड़ की राशि वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सड़क निर्माण, सोलर लाइट एवं पेयजल सुविधाओं पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है? उक्त स्वीकृति के बाद कंपनी द्वारा वर्षवार वास्तव में किन मदों में कहाँ-कहाँ पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा मदवार विवरण क्या है? **(ख)** उक्त व्यय एवं कार्यों के भौतिक-सत्यापन हेतु जिला प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं खनिज विभाग द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण क्या है? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें? **(ग)** पर्यावरणीय-स्वीकृति की शर्तानुसार गठित त्रिपक्षीय समिति (जिला प्रशासन, CECB एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि) का गठन कब किया गया तथा समिति द्वारा अब तक कितने निरीक्षण किए गए? निरीक्षण के दौरान क्या स्वीकृत राशि के अनुरूप वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, प्रदूषण-नियंत्रण एवं CSR/CER कार्य धरातल पर पूर्ण पाए गए हैं ? यदि हाँ, तो ग्रामवार विवरण क्या है? **(घ)** यदि निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं कराया गया है, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, मोहरा (ब्लॉक-ए) लाइमस्टोन ब्लॉक, ग्राम-मोहरा, भालुकोना एवं पत्थरचुआ, तहसील-पलारी, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30/10/2025 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में केवल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रेस्पोंसिबिलिटी (सी.ई.आर.) के तहत् इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य करने, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन करने, शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने, वृक्षारोपण का कार्य एवं अन्य कार्यों में कुल रू. 4.823 करोड़ की राशि का व्यय 03 वर्षो (प्रथम वर्ष में रू.1.711 करोड़, द्वितीय वर्ष में रू.1.599 करोड़ एवं तृतीय वर्ष में रू.1.513 करोड़) में किये जाने की शर्त निहित है। खदान प्रबंधन द्वारा लीज सम्पादन दिनांक 19/01/2026 से 31/03/2026 तक की अवधि में विभिन्न मदों में किये गये कार्यों एवं स्थल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** खदान प्रबंधन को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08.04.2026 को जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई है। प्रथम वर्ष के स्वीकृत सीईआर राशि के संपूर्ण व्यय के पश्चात् भौतिक सत्यापन किया जाने के प्रावधान है, तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।**(ग)** पर्यावरणीय-स्वीकृति की शर्तानुसार खदान प्रबंधन को त्रिपक्षीय समिति (उद्योग प्रतिनिधि, जिला प्रशासन/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि) का गठन किया जाना है। खदान प्रबंधन द्वारा त्रिपक्षीय समिति का गठन वर्तमान में नहीं किया गया है। खदान प्रबंधन से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रथम वर्ष के स्वीकृत सीईआर राशि के संपूर्ण व्यय के पश्चात् त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जा कर निरीक्षण कराया जाना है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।(घ)प्रश्नांश में उल्लेखित उद्योग को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30.10.2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गयी है, तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08.04.2026 को जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई है। प्रथम वर्ष का कार्यावधि पूर्ण नहीं होने के कारण निरीक्षण एवं सत्यापन लंबित है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]**

**अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन के दर्ज प्रकरण**

[आवास एवं पर्यावरण]

**52. ( क्र. 921 ) श्री संदीप साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र से गैस रिसाव एवं अनियंत्रित धूल/धुएं के उत्सर्जन के कारण आसपास के ग्रामों के निवासियों को श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन तथा अन्य स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना करना पड़ा है ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है ? **(ख)** क्या उक्त संयंत्र में स्थापित प्रदूषण-नियंत्रण उपकरणों (Electrostatic-Precipitator,Bag-Filter,Continuous-Emission Monitoring-System आदि) की तकनीकी-जांच कराई गई है ? यदि हाँ, तो जांच की तिथि, निष्कर्ष एवं पाई गई कमियों का विवरण क्या है ? **(ग)** वर्ष 2023-24 से जून, 2026 तक उक्त संयंत्र के विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन, गैस-रिसाव अथवा निर्धारित उत्सर्जन-सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? प्रकरणवार विवरण क्या है ? **(घ)** क्या यह सत्य है कि संयंत्र द्वारा पर्यावरण-स्वीकृति एवं सहमति-संचालन (Consent to Operate) की शर्तों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हाँ, तो की गई कार्रवाई क्या है ? (ङ) गैस-रिसाव अथवा प्रदूषण से प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य-सर्वेक्षण, चिकित्सा-शिविर तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कराया गया है अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ? (च) क्या शासन द्वारा संबंधित उद्योग पर अर्थदंड अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है ? यदि हाँ, तो कार्रवाई का विवरण तथा वसूल की गई राशि-कितनी है ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** जी हाँ। उक्त संयंत्र द्वारा स्थापित प्रदूषण उपस्कर इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं बैग फ़िल्टर की तकनीकी जाँच मुख्य कारखाना निरीक्षक, रायपुर से मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष सक्षम एजेंसी मेसर्स आर.के इंजीनियरिंग एण्ड कंसल्टेंट्स द्वारा दिनांक 19/12/2024 एवं दिनांक 23/12/2024 को की गई है। सभी प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्यरत पाये गये। ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मानिटरिंग सिस्टम (ओ.सी.ई.एम.एस.) की तकनीकी जाँच, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) से मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष सक्षम एजेंसी मेसर्स जे.एम. इन्वायरोलैब प्राईवेट लिमिटेड द्वारा, लाइन-2 कोल मिल की चिमनी में दिनांक 24/02/2026 से 25/02/2026, लाइन-2 किलन की चिमनी में दिनांक 28/02/2026 से 02/03/2026, लाइन-2 कूलर ई.एस.पी. की चिमनी में दिनांक 26/02/2026 से 27/02/2026, पोलीकॉम स्लैग की चिमनी में दिनांक 07/03/2026 से 09/03/2026, सीमेंट मिल की चिमनी में दिनांक 05/03/2026 से 06/03/2026, थर्मल पॉवर प्लांट (टी.पी.पी.) बायलर की चिमनी में दिनांक 09/02/2026 से 11/02/2026, लाइन-3 किलन की चिमनी में दिनांक 17/02/2026 से 19/02/2026, लाइन-3 कूलर ई.एस.पी. की चिमनी में दिनांक 13/02/2026 से 14/02/2026 एवं लाइन-3 कोल मिल की चिमनी में दिनांक 20/02/2026 से 21/02/2026 तक की गयी है। ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मानिटरिंग सिस्टम (ओ.सी.ई.एम.एस.) संतोषप्रद पाया गया।**(ग)**दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 30/06/2026 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उक्त संयंत्र के विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन, गैस-रिसाव अथवा निर्धारित उत्सर्जन-सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।**(घ)**जी नहीं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।(ङ)कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) से प्राप्त जानकारी अनुसार गैस रिसाव अथवा प्रदूषण संबंधी शिकायत किसी ग्रामवासी द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अत: जानकारी निरंक है। दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 30/06/2026 तक की अवधि में उक्त संयंत्र द्वारा आस-पास के ग्रामों (गुमा, सरसेनी, रावन, रवेली, झीपन, चुचरुंगपुर, खपराडीह, पेंड्री, तिल्दाबांधा एवं फुलवारी) में कुल 32 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया एवं 2805 ग्रामीणों की जाँच की गई, जिसमें वायु प्रदूषण अथवा गैस रिसाव से संबंधित कोई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या नहीं पाई गई है । ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के

तहत् उक्त संयंत्र द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) किया गया है, जिसमें जल गुणवत्ता एवं वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया, ध्वनि प्रदूषण मानकों के अनुरूप पाया गया। गैस रिसाव अथवा प्रदूषण की स्थिति नहीं पाए जाने के कारण आस-पास के ग्रामों में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहीं कराया गया है।(च)जी नहीं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

## प्रशासकीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास लंबित कार्यो का विवरण

[वित्त]

**53. ( क्र. 927 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत लोक निर्माण विभाग,जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभागों के वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य प्रशासकीय स्वीकृति के लिये वित्त विभाग के पास लंबित हैं तथा क्यों ? विवरण प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार कितने कार्यो को लक्षित वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण पुनः नवीन वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया तथा कितने कार्य विलोपित/अपूर्ण रह गये?विवरण प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार किसी एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य को कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जा कर पूर्ण कराया जा सकता है?क्या इस कार्य हेतु कोई समयसीमा निर्धारित है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभागों को वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 01 मई 2012 द्वारा रू. 3 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्राप्त थे, जिसे स्थायी वित्त निर्देश 15/2025, दिनांक 14.05.2025 द्वारा बढ़ाकर रू. 5 करोड़ किया गया है ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दिनांक 09.07.2026 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत रू. 5 करोड़ से अधिक के कोई भी प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति हेतु लंबित नहीं है।**(ख)** विभागों से प्राप्त जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** वित्तीय वर्ष में शामिल नवीन मद के कार्य दो वर्ष के लिए मान्य होते हैं, निर्धारित समय सीमा अनुसार कार्य कराने का दायित्व संबंधित विभाग का है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]**

## राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**54. ( क्र. 934 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर जिले में राज्य प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसार जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक कितने किसान हितग्राहियों को कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि वितरित की गई है? उक्त वितरित किए गए उपकरणों में कितनी अनुदान राशि मिली है? योजना अनुसार लाभान्वित हितग्राही किसानों का नाम पता सहित बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार अवधि में कौन-कौन से उपकरणों की कितनी-कितनी लागत में खरीदी की गई? खरीदी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या उपरोक्त उपकरणों की खरीदी वितरण एवं हितग्राही चयन में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** बीजापुर जिले में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक कुल 254 हितग्राहियों को अनुदान पर कृषि यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराये गये है। अनुदान पर प्रदाय किये गये कृषि यंत्र/उपकरणों तथा अनुदान राशि की हितग्राहीवार, वर्षवार, योजनावार एवं यंत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** चैम्प्स प्रणाली में कृषि

उपकरण/सामग्री की खरीदी नहीं की जाती है, अपितु चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के प्रावधान अनुरूप कृषक द्वारा उपकरण/सामग्री की कृषक अंश राशि चैम्प्स खाते में जमा किये जाने के उपरांत कृषक द्वारा चयनित प्रदायक संस्था द्वारा कृषकों को उपकरण/सामग्री प्रदाय की जाती है। चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से उक्त अवधि में बीजापुर जिले में सामग्री प्रदायगी, हितग्राही चयन एवं अन्य में अनियमितता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

## बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति विकास]

**55. ( क्र. 935 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रम एवं पोटाकेबिन की जानकारी जिलावार, विकासखण्डवार देवें ? कितने आश्रम/छात्रावास स्वयं के भवन अथवा मूल स्वीकृत स्थल पर संचालित हैं एवं कितने आश्रम/छात्रावास अन्य स्थानों पर संचालित हैं ? जिलेवार विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार अन्यत्र संचालित आश्रम /छात्रावास अपने मूल स्थान पर क्यों संचालित नहीं हो पा रहे हैं ? कब तक अपने मूल स्थान पर संचालित करने की विभाग की योजना है ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित आश्रम/छात्रावासों में स्वीकृत सेटअप क्या है ? कितने पद भरे हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों के विरूद्ध वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है। **(ख)** नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने तथा स्वयं का भवन नहीं होने क कारण अपने मूल स्थान पर संचालित नहीं हो पा रहे थे। मूल स्थान पर संचालित किये जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** आश्रम/छात्रावासों में स्वीकृत सेटअप की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''स'' अनुसार** है। आश्रम/छात्रावासों स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''द'' अनुसार** है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]**

## प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ

[आदिम जाति विकास]

**56. ( क्र. 942 ) श्रीमती विद्यावती सिदार :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं की संख्या जून, 2026 की स्थिति में कितनी है? जिलेवार जातिवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति की कितनी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है? कितनी महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं ? कारण सहित जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को किस प्रकार का क्या-क्या लाभ प्रदेश में कब-कब दिया गया?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति महिलाओं की कुल जनसंख्या 92711 है। जानकारी **सलंग्न ''प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **सलंग्न ''प्रपत्र-ब''** अनुसार है। **(ग)** प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को जनवरी 2017 से प्रथम संतान के जन्म पर तीन किश्तों में राशि रू. 5000/- प्रदाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रथम संतान के जन्म पर दो किश्तों में राशि रू 5000/- एवं द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर एकमुश्त राशि रू. 6000/- प्रदान किया जा रहा है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]**

## रायगढ़ जिले में उर्वरक भंडारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**57. ( क्र. 947 ) श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिले में वर्तमान में कितना उर्वरक भंडारण है और कौन-कौन सी खाद कितनी-कितनी मात्रा में है ? सहकारी और निजी सेक्टर में किस-किस फर्म को कितनी-कितनी खाद प्रदान की गई है? सूची प्रदान करें ? **(ख)** क्या इस वर्ष उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत जिले में प्राप्त हुई है ? अगर हाँ, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ? **(ग)** रायगढ़ जिले में किसानों को प्रति एकड़ क्या-क्या खाद दी जा रही है ? क्या दी जा रही खाद किसानों के लिए पर्याप्त है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** रायगढ़ जिले में दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में यूरिया 9917 मे.टन, डीएपी 1648 मे.टन, एनपीके 2963 मे.टन, एमओपी 994 मे.टन एवं एसएसपी 4185 मे.टन उपलब्ध है। सहकारी समिति एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को प्रदाय उर्वरक मात्रा की संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति) में रायगढ़ जिले में उर्वरक कालाबाजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** वैश्विक परिस्थितियों के कारण खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने के फलस्वरूप राज्य में उपलब्ध उर्वरकों के समानुपातिक वितरण के दृष्टिकोण से विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से कृषकों द्वारा विगत वर्ष उठाव किये गये यूरिया एवं डीएपी उर्वरक के अनुसार ही वितरण हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसमें यूरिया वितरण के संबंध में जारी निर्देश को विलोपित करते हुए आवश्यकतानुसार शत्-प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने दिनांक 27.06.2026 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये है। दिशा-निर्देशों की प्रति **संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डीएपी उर्वरक का 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को फसल एवं रकबा के आधार पर वैज्ञानिक अनुशंसा अनुसार ही उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

## रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लक्ष्य, भण्डारण एवं पूर्ति की स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**58. ( क्र. 953 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** खरीफ फसल, 2025 में रासायनिक उर्वरकों का वितरण निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कितना-कितना हुआ था ? उर्वरकवार, जिलावार बताएं ? **(ख)** खरीफ फसल, 2026 के लिए लक्ष्य तथा भण्डारण की स्थिति निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र का उर्वरकवार, जिलावार बतावें ? क्या किसानों की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हो रही है? यदि नहीं तो कारण बतावें ? **(ग)** क्या केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आबंटन नहीं किया गया है अथवा क्या निर्माता कम्पनियों द्वारा आपूर्ति नहीं की जा रही है? **(घ)** राज्य शासन द्वारा खरीफ फसल, 2026 हेतु कितनी मात्रा में रासायनिक खाद की डिमांड की गई थी? केन्द्र सरकार द्वारा कितना आबंटन जारी किया गया ? राज्य को जून, 2026 तक प्राप्त रासायनिक खाद का नाम/मात्रा सहित विवरण देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** राज्य में खरीफ 2025 में रासायनिक उर्वरकों का निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र मे वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** राज्य में खरीफ फसल 2026 के लिए उर्वरकवार, जिलेवार सहकारी एवं निजी क्षेत्र का लक्ष्य एवं भण्डारण (दिनांक 30.06.2026 की

स्थिति में) की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** खाड़ी देशों में तनाव के कारण आयतित उर्वरकों की आपूर्ति बाधित हुई है फलस्वरूप राज्य में उपलब्ध उर्वरकों के समानुपातिक वितरण की दृष्टिकोण से विगत वर्ष कृषकों द्वारा उठाव किये गये यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा वितरण हेतु विभागीय निर्देश जारी किया गया है। वर्तमान में यूरिया उर्वरक के उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार शत्-प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने दिनांक 27.06.2026 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डीएपी उर्वरक की 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष आवश्यक मात्रा को वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। **(ग)** केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के मांग अनुरुप उर्वरक का आबंटन/लक्ष्य जारी किया गया है, किन्तु खाड़ी देशों में तनाव के कारण आयतित उर्वरकों की आपूर्ति बाधित होने के कारण उर्वरक आपूर्ति कंपनियों द्वारा आबंटित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। **(घ)** राज्य शासन द्वारा खरीफ फसल 2026 हेतु की गई मांग एवं भारत सरकार से प्राप्त आबंटन/लक्ष्य तथा दिनांक 30.06.2026 तक प्राप्त उर्वरक मात्रा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]**

## हसदेव बांगो जलाशय में मछलीपालन का ठेका, उत्पादन और आय

[मछली पालन]

**59. ( क्र. 960 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कोरबा के हसदेव बांगो जलाशय का औसत जलक्षेत्र कितना है ? 2022-23 से 2025-26 तक वार्षिक उत्पादन (ठेकेदारवार तथा केज का) कितना-कितना रहा ? प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन कितना-कितना रहा? **(ख)** उक्त अवधि में ठेकेदार से तथा केज कल्चर से वार्षिक आय मत्स्य महासंघ, विभाग, मछुआरों तथा ठेकेदार की कितनी-कितनी रही? **(ग)** वर्तमान ठेका कब से कब तक के लिये, किन दरों तथा शर्तों पर किसको दिया गया है? अब तक कितना उत्पादन हुआ है? **(घ)** मछुआरों की मांगें क्या है? क्या उनकी मांग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के विरूद्ध है? यदि हां तो क्यों और यदि नहीं तो उसे माना क्यों नही जा रहा है ? **(ड)** क्या वन अधिकार अधिनियम के अनुसार मछुआरों द्वारा उक्त जलाशय में मत्याखेट करना विधि विरूद्ध है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला कोरबा के हसदेव बांगो जलाशय का औसत जलक्षेत्र 11500 हैक्टेयर है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक वार्षिक उत्पादन (ठेकेदारवार तथा केज का) तथा प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** उक्त अवधि में ठेकेदार से तथा केज कल्चर से मत्स्य महासंघ, विभाग, मछुआरों तथा ठेकेदार को प्राप्त वार्षिक आय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** वर्तमान ठेका दिनांक 12.11.2025 से 15.06.2035 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक पट्टा राशि 51.00 लाख दर पर तथा निष्पादित अनुबंध की शर्तों पर दिया गया है। अब तक 482.50 कि.ग्रा. उत्पादन हुआ है। **(घ)** हसदेव बांगो जलाशय के मत्स्याखेट संबंधी निविदा रद्द करने, मत्स्याखेट अधिकार स्थानीय मत्स्य समूहों या ग्राम समिति को दिये जाने तथा पुरानी रायल्टी के आधार पर पट्टे पर दिए जाने की मांग की गई है। वर्तमान में शासन द्वारा जारी नवीन मछलीपालन नीति, 2022 प्रभावशील है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अपितु कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 2.1, 2.8, कण्डिका क्रमांक 6, 7 एवं 15 में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधान है जिससे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के मूल सिद्धांत (पारम्परिक आजीविका के अधिकार) का संरक्षण हो रहा है। **(ड)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार यायावरी या चरागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह

(स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अधिकार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

## मछली पालन नीति में संशोधन

[मछली पालन]

**60. ( क्र. 978 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू होने के पश्चात् मछली पालन नीति में कब-कब संशोधन किये गये? क्या इन संशोधनों के समय वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)**(घ)** को ध्यान में रखा गया था और पालन किया गया? **(ख)** क्या वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार वन भूमि पर स्थित तालाबों/जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे या ठेके पर नहीं दिया जा सकता? यदि हां, तो केन्द्रीय अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए राज्य की मछली पालन नीति के आधार पर तालाबों/जलाशयों को पट्टे/ठेके पर दिया जाना क्या अवैधानिक नहीं है? **(ग)** क्या अवैधानिक पट्टों/ठेकों को निरस्त करते हुए सामुदायिक अधिकार पत्र दिये जाने हेतु विभाग पहल करने के लिये सहमत है? **(घ)** क्या विभाग वन अधिकार अधिनियम के अनुसार मछली पालन नीति में संशोधन करेगा?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू होने के पश्चात् मछली पालन नीति में किये गये संशोधनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** मछली पालन नीति में संशोधन के समय वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)**(घ)** का पालन सुनिश्चित होने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अपितु नवीन मछलीपालन नीति, 2022 के कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 2.1, 2.8, कण्डिका क्रमांक 6, 7 एवं 15 में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधान है, जिससे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के मूल सिद्धांत (पारम्परिक आजीविका के अधिकार) का संरक्षण हो रहा है। नवीन मछलीपालन नीति, 2022 की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** वर्तमान में नवीन मछली पालन नीति, 2022 प्रभावशील है तथा उनमें निहित नीति निर्देश/प्रक्रिया का पालन करते हुए तालाब/जलाशयों के पट्टा आबंटन की कार्यवाही की जा रही है। **(ग)** वर्तमान में प्रश्नांश 'ख' अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **(घ)** जी हां, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार मछली पालन नीति में संशोधन विचाराधीन है।

## खरीफ सीजन में रासायनिक खाद का आबंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**61. ( क्र. 988 ) श्री भूपेश बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** चालू खरीफ सीजन हेतु केंद्र से कुल कितनी DAP व पारंपरिक यूरिया की मांग व आवंटन हुआ? जिलेवार सोसायटियों को कितना भौतिक वितरण हुआ? क्या सोसायटियों में 'नैनो यूरिया/DAP' डंप कर किसानों पर लिंकिंग (जबरन खरीदी) थोपी जा रही है; यदि नहीं तो ऋण पुस्तिकाएं हफ्तों लंबित होने के क्या कारण है? **(ख)** इस सीजन में PACS हेतु कुल कितनी कैश-क्रेडिट लिमिट स्वीकृत हुई? क्या राजनांदगांव और बिलासपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में गत वर्ष से कटौती की गई? सीसी लिमिट समय पर न बढ़ने से मार्कफेड से खाद उठाव में असमर्थता क्यों हुई? 'भुइयाँ' पोर्टल व सर्वर ठप होने से कितने आदिवासी व सीमांत किसान केसीसी ऋण व खाद-बीज से वंचित रहे? जानकारी देवें? **(ग)** उड़नदस्तों द्वारा छापे में कुल कितनी बोरी अवैध खाद जब्त हुई? जांजगीर-चांपा, बेमेतरा व भानुप्रतापपुर में जब्त 3000 बोरी अवैध खाद के डीलरों पर क्या कार्यवाही की गई? आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कितनों पर FIR हुई? **(घ)** बीज निगम द्वारा

आपूर्ति धान-सोयाबीन के कितने लॉट की लैब टेस्टिंग हुई? बिलासपुर संभाग (मुंगेली, लोरमी) में खराब अंकुरण से नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु मुआवजा कब तक दिया जावेगा ? कंपनियों द्वारा डीलरों पर कीटनाशक/जायम थोपने के सिंडिकेट पर क्या कार्रवाई होगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खरीफ वर्ष 2026 हेतु केन्द्र से कुल 3,00,000 मे.टन डीएपी एवं 7,25,000 मे.टन यूरिया की मांग/आबंटन प्राप्त हुई है। छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स) से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएपी एवं यूरिया के भण्डारण एवं वितरण की जिलावार, सहकारी समितिवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स) से प्राप्त जानकारी के अनुसार "कृषि विभाग छ०ग० शासन द्वारा जारी निर्देश क्रमांक-349959 दिनांक 15.05.2026 में नैनो उर्वरकों के संबंध में प्रदाय निर्देश जिसमें 'कृषकों को नैनो उर्वरक लेने के लिये बाध्य नहीं किया जावेगा' के अनुरूप समितियों के द्वारा कृषकों के मांग अनुरूप नैनो उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। कृषकों की ऋण पुस्तिकाएं समिति के द्वारा ऋण वितरण के दौरान ली जाती है, जिसे ऋण की प्रविष्टि के उपरांत तत्काल वापस कर दी जाती है।" **(ख)** छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स) से प्राप्त जानकारी के अनुसार "खरीफ वर्ष 2026 में समितियों को खाद व्यवसाय हेतु कुल रू. 53382.20 लाख कैश क्रेडिट लिमिट बैंकों के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव एवं बिलासपुर की समितियों के कैश - क्रेडिट लिमिट में किसी भी प्रकार की कटौती नही की गयी है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** यह कहना सही नहीं है कि भुइयाँ पोर्टल व सर्वर ठप होने के कारण आदिवासी व सीमांत किसान केसीसी ऋण व खाद बीज से वंचित रहे।" **(ग)** खरीफ मौसम 2026 अंतर्गत राज्य में जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में औचक निरीक्षण कर कुल 2470.95 में.टन एवं 355.00 लीटर उर्वरक जब्त किया गया। जिसमें से, जिला-जांजगीर-चाम्पा में 12 उर्वरक विक्रय केन्द्रों में 358.98 मे.टन उर्वरक जब्त की गई है, जिस पर विक्रय प्रतिबंध लगाते हुए सभी को कारण बताओ सूचना जारी की गई तथा जब्त उर्वरकों को शासकीय दर पर कृषकों को वितरण कराया गया एवं इनमें से 5 विक्रय केन्द्रों को अनियमितता का समाधान किये जाने हेतु 21 दिनों के लिये निलंबित कर समाधान पश्चात विमुक्त किया गया। जिला-बेमेतरा में 1 उर्वरक विक्रय केन्द्रों में 4.18 मे.टन उर्वरक जब्त कर विक्रय प्रतिबंध लगाते हुए कारण बताओ सूचना जारी किया गया जिसमें समाधानकारक उत्तर नहीं पाये जाने पर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में राजसात की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उर्वरक का बिना प्राधिकार पत्र के भंडारण किये जाने पर 1 अन्य प्रकरण में 29.25 मे.टन उर्वरक का जब्ती बनाकर कलेक्टर न्यायालय में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में खाद जब्त नहीं किया गया है। इन तीनों जिलों में खरीफ 2026 अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. की जानकारी अद्यतन निरंक है। **(घ)** खरीफ वर्ष 2026 में दिनांक 30.06.2026 तक बीज निगम द्वारा आपूर्ति धान बीज के कुल 3334 नमूने परीक्षण हेतु प्रेषित किए गए हैं जिनमें से 1801 नमूनों का परीक्षण परिणाम प्राप्त हो चुका है। सोयाबीन बीज के नमूने प्रेषित नहीं किए गए हैं। खरीफ वर्ष 2026 में बिलासपुर संभाग (मुंगेली, लोरमी) में खराब अंकुरण से नुकसान संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कंपनियों द्वारा डीलरों पर कीटनाशक/जायम थोपने के सिंडिकेट संबंधी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है और न ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है अतः कार्रवाई का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]**

**नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत आवासों के नियमितीकरण**

[आवास एवं पर्यावरण]

**62. ( क्र. 993 ) श्री रिकेश सेन :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या नगर पालिक निगम, भिलाई के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में लगभग 2,800 हितग्राहियों के नियमितीकरण के आवेदन/फाइलें लंबित हैं? यदि हाँ, तो इन फाइलों को रोके रखने या उन पर अंतिम निर्णय न लेने का कारण क्या हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या विभाग द्वारा इन प्रकरणों का नियमितीकरण किया जा रहा है अथवा इस योजना को स्थगित कर दिया गया है? वर्तमान स्थिति कृपया स्पष्ट करें। **(ग)** क्या जिला कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई आदेश या दिशा-निर्देश जारी किया गया है/किया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान में नियमितीकरण का कार्य रोक दिया गया है? यदि हाँ, तो उस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें । यदि नहीं, तो कार्य में हो रहे इस अत्यधिक विलंब के लिए कौन से जिम्मेदार हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? **(घ)** क्या सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय करेगी? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत नियमितिकरण हेतु प्राप्त प्रकरणों में से प्रक्रियाधीन प्रकरणों की संख्या 2878 है। प्रकरणों में अंतिम निर्णय न लिए जाने के प्रमुख कारणों में अभिलेखों की जांच, आवश्यक दस्तावेजों की अपूर्णता, स्थल निरीक्षण शामिल है।**(ख)** जी हां। नियमितीकरण हेतु प्राप्त प्रकरणों का प्रचलित अधिनियम, नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निराकरण किया जा रहा है। जी नहीं, नियमितीकरण की प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है।**(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। अतः विलंब और कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(घ)** छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु पृथक से समय-सीमा निर्धारित नहीं है। प्रक्रियाधीन प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है।

**जिला जशपुर में रासायनिक उर्वरक तथा बीजों का वितरण**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**63. ( क्र. 998 ) श्रीमती गोमती साय :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला जशपुर अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों तथा बीज के वितरण के लक्ष्य, खरीफ 2026 के लिए निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के लिए क्या-क्या निर्धारित किया गया है? उर्वरक तथा बीज की विकासखंडवार जानकारी देवं? **(ख)** उपरोक्त लक्ष्यों के विरूद्ध भण्डारण की स्थिति क्या है? क्या लक्ष्यों के अनुरूप केन्द्र सरकार से उर्वरकों का आबंटन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ? **(ग)** क्या जिला जशपुर के किसानों को उनकी मांग अनुसार उर्वरकों तथा बीजों का भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसका क्यों ? **(घ)** वर्तमान में किस मात्रा के हिसाब से किसानों को उर्वरकों तथा बीजों का आबंटन किया जा रहा है, क्या यह मात्रा पर्याप्त है? उर्वरकों तथा बीजों का कम मात्रा में आबंटन से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव हेतु जिम्मेदार कौन होगा? विवरण देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विभाग द्वारा निजी क्षेत्र हेतु बीज का लक्ष्य / मांग निर्धारित नहीं किया जाता। जिला जशपुर में खरीफ वर्ष 2026 हेतु सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए रासायनिक उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य तथा सहकारी क्षेत्र के लिए बीजों के निर्धारित लक्ष्य की विकासखंडवार, उर्वरकवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** उपरोक्त लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में भंडारित मात्रा की विकासखंडवार, उर्वरकवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-**

**अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** खरीफ वर्ष 2026 में माह सितम्बर 2026 तक जशपुर जिले हेतु 29950 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध दिनांक 30.06.2026 तक 21232.31 मेट्रिक टन (71 प्रतिशत) भंडारण किया जा चुका है। शेष मात्रा के भंडारण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। **(ग)** जिला जशपुर के किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों तथा बीजों का उठाव किया जा रहा है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वैश्विक परिस्थितियों के कारण खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने के फलस्वरूप राज्य में उपलब्ध उर्वरकों के समानुपातिक वितरण के दृष्टिकोण से विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से कृषकों द्वारा विगत वर्ष उठाव किये गये यूरिया एवं डीएपी उर्वरक के अनुसार ही वितरण के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें यूरिया वितरण के संबंध में जारी निर्देश को विलोपित करते हुए आवश्यकतानुसार शत्-प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने दिनांक 27.06.2026 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये है। दिशा-निर्देशों की प्रति **संलग्न प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डीएपी उर्वरक की 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे- एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है तथा बीजों का उठाव कृषकों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है। फसल एवं रकबा के आधार पर वैज्ञानिक अनुशंसा अनुसार उर्वरक के वितरण तथा आवश्यकता के अनुरूप बीजों के उठाव से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जैसी स्थिति निर्मित होना संभावित नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]**

## विकासखंड बसना के नगर पंचायत बसना अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

[आदिम जाति विकास]

**64. ( क्र. 1002 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद विकासखंड बसना के नगर पंचायत बसना अंतर्गत क्या किसी पार्षद के खिलाफ जनवरी, 2018 से जनवरी 2020 के बीच जाति प्रमाण पत्र सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार अगर हाँ तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई है, अगर नहीं तो क्यों?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी नहीं। जिला महासमुंद विकासखंड बसना के नगर पंचायत बसना अंतर्गत किसी पार्षद के खिलाफ जनवरी, 2018 से जनवरी 2020 के बीच जाति प्रमाण पत्र सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## सहायक अभियंता/उप अभियंता के स्वीकृत पद व पदस्थापना

[आदिम जाति विकास]

**65. ( क्र. 1011 ) सुश्री लता उसेंडी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए एवं कितने रिक्त हैं? इन भरे हुए पद पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की मूल पदस्थापना कहां-कहां है और वे वर्तमान में कहां-कहां कब से कार्यरत हैं? कितने अपनी मूल पदस्थापना में कार्यरत नहीं हैं तथा उन्हें मूल पदस्थापना में कब तक पदस्थ किया जाएगा? संवर्गवार, अधिकारीवार जानकारी देवें। **(ख)** विभाग अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? किन-किन जिलों में नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है? क्या कोंडागांव में कार्यवाही लंबित है? यदि हॉ तो लंबित होने के लिए कौन जिम्मेदार है एवं पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक कर दिया जाएगा? **(ग)** 275(1) मद में किन-किन कार्यों की स्वीकृति का प्रावधान है एवं इस मद हेतु बजट आबंटन का क्या प्रावधान है? विगत 5 वर्षों में परियोजना सलाहकार मंडल की बैठक कब-कब हुई तथा

बस्तर संभाग के जिलों को 275(1) मद अंतर्गत 5 वर्षों में कितनी राशि आबंटित हुई एवं स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति का विवरण देवें? **(घ)** विभाग अंतर्गत कोंडागांव जिले में किन-किन कार्यों की स्वीकृति हेतु किनके किनके द्वारा विगत 3 वर्षों में प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हुए हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत सहायक अभियंता के स्वीकृत पद 06, भरे पद 05 तथा रिक्त पद 01 एवं उप अभियंता के स्वीकृत पद 19, भरे पद 02 तथा रिक्त पद 17 है। जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अ''** अनुसार है। जो मूल पदस्थापना में कार्यरत नहीं हैं उन्हें शीघ्र ही मूल पदस्थापना में पदस्थ किया जाएगा।**(ख)** चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु शासन के स्थायी दिशा-निर्देश नहीं है। फलस्वरुप उक्त परिप्रेक्ष्य में नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है।**(ग)** 275(1) मद में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क संचार, कृषि, महिला एवं बाल विकास, नवीनीकृत उर्जा, बागवानी, पशुपालन इको-टयूरिजम, डेयरी उद्योग, आजीविका एवं कौशल विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय समूहों की आवश्यकतानुसार मांग के आधार पर कार्यो की स्वीकृति का प्रावधान है। मंडल की बैठक की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र ब''** अनुसार है। अद्यतन स्थिति की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र स''** अनुसार है।**(घ)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र द''** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]**

## लुण्ड्रा विधानसभा के छात्रावास हेतु सामग्री क्रय

[आदिम जाति विकास]

**66. ( क्र. 1014 ) श्री प्रबोध मिंज :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने छात्रावास संचालित हैं, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** इन छात्रावासों में वर्तमान में कितने छात्र छात्राएं छात्रावास में रह रहे हैं कृपया संख्या बताएं? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 से लेकर दिनांक 15.06.2026 तक इन छात्रावासों में किन-किन सामग्रियों की खरीदी हुई है एवं विभाग द्वारा कौन-कौन सी सामग्री की सप्लाई की गई है व कितनी राशि खर्च की गई है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** छात्रावासों में विगत 3 वर्षों में छात्र-छात्राओं के लिए राशन एवं भोजन सामग्री की खरीदी की गई है? यदि हॉ, तो वर्षवार सामग्री एवं राशि की जानकारी बताएं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 20 विभागीय छात्रावास संचालित हैं। जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** इन छात्रावासों में वर्तमान में 542 छात्र एवं 366 छात्राएं कुल 908 छात्र-छात्राएं रह रहे है। **(ग)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र - ब''** अनुसार है। **(घ)** जी जानकारी **''संलग्न प्रपत्र - स''** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]**

## सरगुजा जिले के अंतर्गत आदिवासी परियोजना में स्वीकृत राशि

[आदिम जाति विकास]

**67. ( क्र. 1015 ) श्री प्रबोध मिंज :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरगुजा जिले में आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत वर्ष 2023 से दिनांक 15.06.2026 तक कितने कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विकासखंडवार जानकारी देवें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** सरगुजा जिले में आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत

वर्ष 2023 से दिनांक 15.06.2026 तक विभिन्न मदों में 133 कार्य हेतु राशि रू. 4791.42 लाख स्वीकृत की गई है। विकासखंडवार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]**

## सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु स्वीकृत तालाब निर्माण कार्य

[मछली पालन]

**68. ( क्र. 1018 ) श्री रामकुमार टोप्पो :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2022 से 15.06.2026 तक मत्स्य पालन हेतु कितने तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं सुधार कार्य स्वीकृत किया गया है? ब्लॉकवार ग्राम पंचायतवार, तालाब के क्षेत्रफल (हेक्टेयर में), स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण प्रदान करें। **(ख)** सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध शासकीय एवं निजी तालाबों की संख्या, कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में), मत्स्य उत्पादन क्षमता तथा उनसे प्रश्नांश **(क)** अवधि में लाभान्वित हितग्राहियों का नाम ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार विवरण प्रदान करें। **(ग)** मत्स्य पालन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु वर्ष 2022 से 15.06.2026 तक कितने हितग्राहियों को तालाब निर्माण, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार एवं अन्य मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु अनुदान प्रदान किया गया है? योजनावार, ब्लॉकवार, पंचायतवार, स्वीकृत एवं व्यय राशि सहित जानकारी प्रदान करें। **(घ)** प्रश्न **(क)** अनुसार इन तालाबों की वर्तमान में स्थिति क्या है? जानकारी प्रदान करें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2022 से 15.06.2026 तक मत्स्य पालन हेतु 197 तालाबों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। तालाब के जलक्षेत्र, स्वीकृत राशि व व्यय राशि की वर्षवार व विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** तालाब गहरीकरण एवं सुधार कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। **(ख)** सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध शासकीय तालाब संख्या 456 जलक्षेत्र 237.578 हैक्टेयर उत्पादन 712 मेट्रिक टन एवं निजी तालाबों की संख्या 333 जलक्षेत्र 211.894 हैक्टेयर, उत्पादन 276.882 मेट्रिक टन है। प्रश्नांश **(क)** की अवधि में लाभान्वित हितग्राहियों का नाम विकासखण्डवार एवं वर्षवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** मत्स्य पालन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु वर्ष 2022 से 15.06.2026 तक 297 हितग्राहियों को तालाब निर्माण, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार एवं अन्य मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु अनुदान प्रदान किया गया है योजनावार, विकासखण्डवार, पंचायतवार, स्वीकृत एवं व्यय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** प्रश्न **(क)** अनुसार योजनांतर्गत निर्मित तालाबों में वर्तमान में योजना अनुरूप मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।

## प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**69. ( क्र. 1023 ) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं? **(ख)** वर्षवार जैविक खेती के अंतर्गत लाए गए कुल क्षेत्रफल एवं लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है? **(ग)** जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, जैविक आदान सामग्री, अनुदान एवं अन्य सहायता मदों में वर्षवार, कितनी राशि व्यय की गई है? **(घ)** उक्त अवधि में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों, किसान समूहों अथवा एफपीओ को जैविक प्रमाणीकरण (PGS/NPOP) प्रदान किया गया है तथा इसके लिए कितने आवेदन लंबित हैं? **(ड)** जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग एवं विपणन हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है तथा

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है? (च) क्या शासन द्वारा आगामी वर्षों में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जैविक खेती एवं जैविक प्रमाणीकरण के विस्तार हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दे?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विभाग द्वारा विधानसभावार नहीं, अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित विकासखण्ड-प्रतापपुर तथा वाड्रफनगर में पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कोई भी योजना संचालित नहीं है, यद्यपि विकासखण्ड-वाड्रफनगर में वर्ष 2025-26 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग संचालित है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में जैविक खेती का वर्षवार क्षेत्र एवं लाभान्वित कृषकों की जानकारी निरंक है। वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक खेती अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 500 हे. एवं लाभान्वित कृषकों की संख्या 1250 है। **(ग)** जैविक खेती को प्रोत्साहन संबंधी जानकारी निरंक है। वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत चयनित कृषकों को प्रशिक्षण, कृषि सखियों का मानदेय, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर (बी.आर.सी.) हेतु अनुदान एवं प्रशिक्षित कृषकों को प्रोत्साहन राशि सहित कुल राशि रू. 49.98 लाख व्यय की गई है।**(घ)**नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत विकासखण्ड-वाड्रफनगर के कुल 1250 कृषकों को प्राकृतिक खेती का पी.जी.एस. प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है तथा इसके लिए कोई भीआवेदन लंबित नहीं है। **(ङ)** राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र, गाजियाबाद से अधिकृत क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जैविक उत्पादों का पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, जैविक उत्पाद के ब्रांडिंग एवं विपणन हेतु एफ.पी.ओ. तथा कृषक समूह के माध्यम से तैयार कर स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एक्सपो, मेला, प्रदर्शनी मे सहभागिता किया जाता है। शेष जानकारी निरंक है। (च) जी नहीं।

**भरतपुर-सोनहट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण**

[आदिम जाति विकास]

**70. ( क्र. 1028 ) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या भरतपुर - सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अनेक अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टों के वितरण, अभिलेखीय संशोधन तथा अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन में विलंब की स्थिति विद्यमान है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 15 जून, 2026 तक प्राप्त, स्वीकृत एवं निरस्त व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वनाधिकार दावों की संख्या कितनी है? **(ग)** कितने पात्र जनजातीय परिवार अभी भी वनाधिकार मान्यता से वंचित हैं तथा उनके दावों के निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या समयबद्ध कार्ययोजना निर्धारित की गई है? **(घ)** क्या शासन जनजातीय समुदायों की आजीविका संवर्धन, लघु वनोपज मूल्य संवर्धन एवं सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण हेतु किसी विशेष योजना के क्रियान्वयन पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो विवरण दे?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी नहीं । **(ख) जानकारी संलग्न 'प्रपत्र' अनुसार** है। **(ग)** भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदनों में से सभी पात्र पाए गए जनजातीय परिवारों को वन अधिकार पत्र वितरित किया जा चुका है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हां, वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के नियम-16 के तहत वन अधिकार पत्र धारकों को दावा पश्चात सहायता एवं सहयोग दिए जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सामुदायिक वन संसाधनों

के संरक्षण हेतु सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) प्राप्त ग्रामसभाओं द्वारा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन किया गया है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]**

## ठाकुर रामचंद्र स्वामी नागरीदास मंदिर की भूमि पर चूना पत्थर उत्खनन की प्रदत्त अनुमति

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**71. ( क्र. 1030 ) श्री इन्द्र कुमार साहू :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या लोक न्यास भूमि पर उत्खनन कार्य किए जाने हेतु भूमि को लीज/किराया पर दिए जाने से पूर्व छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत पंजीयक सार्वजनिक न्यास से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य है? **(ख)** बजट सत्र फरवरी-मार्च 2026 के दौरान दिनांक 10/03/2026 को पूछे गए प्रश्न क्रमांक 406 के उत्तर में ठाकुर रामचंद्र स्वामी नागरी दास मंदिर की भूमि खसरा नंबर 699 और 706/2 में जिन फर्म/कंपनी/संस्था को चूना पत्थर उत्खनि पट्टा दिए जाने का उल्लेख परिशिष्ट 16 में किया गया है, क्या उन्हें उत्खनन कार्य हेतु उक्त भूमि को लीज में दिए जाने से पूर्व पंजीयक, लोक न्यास रायपुर द्वारा धारा 14 की अनुमति प्राप्त है? यदि हां तो धारा 14 के तहत आवेदन किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया था? **(ग)** क्या कंडिका 2 में उल्लेखित न्यास की न्यास समिति भंग कर दी गई है? यदि हां तो कब से भंग की गई है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** जी हॉ। **(ख)** खनिज नियमों में उत्खनिपट्टा स्वीकृति के पूर्व भूस्वामी से सहमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। लोक न्यास की धारा 14 के तहत्कार्यवाही पंजीयन विभाग द्वारा की जाती है। प्रश्नांकित भूमियो के संबध में उत्खनिपट्टा स्वीकृत करने के पूर्व लोक अभियोजन रायपुर से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया है। खसरा नंबर 699 में शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजन जिला रायपुर के पत्र दिनांक 09.04.2012 के अनुसार श्रीराम चंद्र स्वामी नागरी दास मंदिर सार्वजनिक न्यास रायपुर के ग्राम मंदिर हसौद के ख.क्र.699 पर निम्न श्रेणी चूनापत्थर प्रदान किये जाने हेतु कोई विधिक अवरोध नही होना बताया गया है तथा खसरा नम्बर 706/2 में कार्यालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी के पत्र दिनांक 31.08.2023 द्वारा अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि कृषि भूमि के मामले में 07 वर्ष की अवधि का पट्टा जारी करने हेतु पंजीयक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नही है। चूंकि आवेदित भूमि चूनापत्थर उत्खनन के लिये एक निश्चित अवधि (07 वर्ष की अवधि) हेतु पट्टा पर प्रदान किए जाने हेतु विचाराधीन है तथा आवेदित भूमि को विक्रय नही किया जा रहा है न ही बड़ा निर्माण या अफरा तफरी होना दर्शित है। आवेदित भूमि के ट्रस्ट के स्वामित्व प्रभावित नही हाने के कारण पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी अभिमत के आधार पर पट्टा स्वीकृत किया गया है। **(ग)** पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर के प्रकरण क्रमांक 30/ब-113 (4) वर्ष 2009-10 आदेश दिनांक 16.04.2014 के अनुसार श्री रामचन्द्र स्वामी नागरीदास मंदिर ट्रस्ट, पुरानी बस्ती रायपुर के प्रबंधक संयोजित करते हुए 08 ट्रस्टीयों के स्थान पर 1/ श्री मैदन गोपाल अग्रवाल, 2/ श्री बालकृष्णजी दानी, 3/ श्री प्रफुल्ल वेद अग्रवाल 4/ श्री योगेन्द्र कुमार ताम्रकर, 5/ श्री रमेश यदु, 6/ श्री चन्द्रकांत यदु 7/ श्री सत्येन्द्र सिंह ठाकुर, 8/ श्री अखिलेश अग्रवाल, 9/ श्री उत्तम जोशी रायपुर को शर्तो के अधीन ट्रस्टी नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया हेै। माननीय जिला न्यायाधीश, रायपुर के व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 167-अ/ 2014 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 16.04.2014 में नियुक्त 09 नये ट्रस्टीयों की नियुक्ति विधि विपरित मानतेे हुए पंजीयक को नियमानुसार नये ट्रस्टियों की नियुक्ति हेतु प्रेषित किया गया है। इस प्रकार ट्रस्ट को भंग नही किया गया है, वर्तमान में एक न्यासी अभी भी कार्यरत है।

# भाग-3

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## मत्स्य पालन की संचालित योजनाएं

[मछली पालन]

**1. ( क्र. 26 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मत्स्य पालन की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? संचालित योजनाओं के क्या नियम/मापदण्ड हैं? **(ख)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2024 से जून, 2026 तक किन-किन शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन किया गया? वर्षवार स्थानों की जानकारी एवं मत्स्य पालन का रकबा, हितग्राही का नाम एवं हितग्राही को प्रदान किए गए लाभांश/अनुदान की जानकारी प्रदान करें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मत्स्य पालन की संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नवीन मछलीपालन नीति-2022 में निहित निर्देशानुसार जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर हितग्राहियों का चयन किये जाने का प्रावधान है एवं केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने हेतु पहले आओ, पहले पाओ व समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुरूप चयन का प्रावधान है। **(ख)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2024 से जून, 2026 तक शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन की वर्षवार स्थानों एवं मत्स्य पालन का रकबा, हितग्राही का नाम तथा हितग्राही को प्रदान किए गए लाभांश/अनुदान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" ]

## उद्यानिकी विभाग द्वारा सामग्रियों एवं मशीनरी का क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**2. ( क्र. 28 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक जिला धमतरी अन्तर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वयं एजेंसी बनकर किन-किन सामग्रियों एवं मशीनरी का क्रय किया गया ? खरीदी गई सामग्री एवं मशीनरी को क्रय करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? **(ख)** क्या उद्यानिकी विभाग अन्तर्गत स्थापित की गई मशीनों की खरीदी उद्यानिकी विभाग द्वारा एजेंसी बनकर की गई है ? यदि हॉं, तो उक्त मशीनों की खरीदी का भुगतान कितना किया गया ? स्थापित की गई मशीनों से क्या-क्या उत्पादन किया जा रहा है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वर्ष 2024-25 से जून 2026 तक सहायक संचालक उद्यान, जिला धमतरी द्वारा योजना मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार बीज, खाद, वर्मीबिड, जैव उर्वरक आदि आदान सामग्री की खरीदी की गई है। मशीनरी क्रय नहीं किया गया है। सामग्री क्रय हेतु योजना प्रावधान के अनुरूप नियमानुसार शासकीय संस्थाओ से क्रय करने तथा छ.ग. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अन्य संस्थाओं से क्रय की प्रक्रिया अपनाई गई। क्रय सामग्रियों की आपूर्तिकर्ता एजेंसीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उद्यानिकी विभाग अंतर्गत मशीनों की खरीदी नहीं की गई है। अतः जानकारी निरंक है।[ संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" ]

## खरीफ वर्ष (2026-27) में रासायनिक खाद उर्वरक की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**3. ( क्र. 55 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चालू खरीफ वर्ष (2026-27) में कौन-कौन सी रासायनिक खाद उर्वरक की कितनी मात्रा में मांग आयी है? मांग के विरूद्ध कौन-कौन सी खाद कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध है? उपलब्ध मात्रा मांग के विरूद्ध कम है या ज्यादा? **(ख)** प्रश्नांक (क) यदि खाद कम है तो कितनी मात्रा में कम है और उसके कारण क्या-क्या हैं? विभाग ने किसानों की मांग की पूर्ति के लिये क्या-क्या उपाय किये या करने जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांक (क) उपलब्ध खाद को निजी क्षेत्र को कितनी मात्रा में उपलब्ध करायी जाती है? इस संबंध में शासन की नीति/नियम/निर्देश क्या हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** चालू खरीफ वर्ष (2026-27) में रासायिनक उर्वरकों की आँकलित मांग एवं उपलब्ध मात्रा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।** खरीफ मौसम हेतु उर्वरकोंकी आवश्यक मात्रा के आँकलन उपरांत केंद्र सरकार से आबंटन माहवार प्राप्त होता है । खरीफ 2026 में माह अप्रैल से सितंबर तक के लिए 15 लाख 55 हजार मे.टन उर्वरकोंका लक्ष्य आबंटित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक 13 लाख 16 हजार 506 मे.टन उर्वरकोंका भडारण किया गया है एवं भडारण निरंतर प्रगतिरत है ।**(ख)** मांग अनुसार भण्डारण प्रक्रिया प्रगतिरत है, अतः शेष प्रश्न उद्‌धृत नहीं होता। **(ग)** उपलब्ध उर्वरकों को सामान्यतः सहकारी एवं निजी क्षेत्र में 60:40 के अनुपात में वितरण की नीति है। कृषकों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु समय-समय पर प्राथमिकता से सहकारी क्षेत्र में वितरण अनुपात बढ़ाया जाता है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" ]**

## पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

[पर्यटन]

**4. ( क्र. 106 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विगत तीन वर्षों में जिलेवार कितनी राशि स्वीकृत व व्यय की गई? **(ख)** वर्तमान में राज्य के किन - किन पर्यटन स्थलों पर सड़क, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था व सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** क्या कांकेर जिले में नये पर्यटन स्थलों की पहचान एवं विकास के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण एवं प्रस्तावित स्थलों की सूची उपलब्ध कराई जाए ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** राज्य में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विगत तीन वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा कुल राशि रू. 194.85 लाख स्वीकृत की गई एवं कुल राशि रू. 1075.84 लाख व्यय / जारी की गई है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** पर्यटन स्थलों में सड़क, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था व सुरक्षा संबंधी सुविधाओं की जिलेवार अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है। **(ग)** जिला कांकेर अंतर्गत ऐसे स्थलों, जिन्हें राज्य स्तर से पर्यटन स्थल चिन्हांकित कर विकसित किया जा सकता है, का जिला स्तरीय पर्यटन समिति की अनुशंसा से निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव जिला प्रशासन से मांगा गया है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड अनुसार परीक्षण कर नये पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने तदुपरान्त विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - साठ" ]**

**कांकेर जिले की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार**

[संस्कृति]

**5. ( क्र. 107 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले में संस्कृति विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या कितनी है ? उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए ? **(ख)** विगत तीन वर्षों में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? कार्यवार विवरण प्रदान किया जावे?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** एवं **(ख)** जानकारी निरंक है।

**अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वितरित वन अधिकार पट्टा**

[आदिम जाति विकास]

**6. ( क्र. 219 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी हेक्टेयर वन भूमी है? 1 जनवरी 2025 से 20-06-2026 तक अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरीत किया गया है? हितग्राहियों के नाम, पता सहित सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** वर्तमान में वन अधिकार पट्टा के लिए कुल कितने आवेदन, किस-किस स्तर पर लंबित हैं? लंबित होने के क्या-क्या कारण हैं एवं उनको कब तक पट्टा वितरीत किया जायेगा ? नाम, पता सहित सूची उपलब्ध करावें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 15549.310 हेक्टेयर वन भूमि स्थित है। प्रश्नांकित अवधि में कोई भी वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** वर्तमान में जिले में सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के निम्नानुसार आवेदन लंबित हैं- 1. उपखण्ड स्तरीय समिति (SDLC) स्तर पर - लंबित 195 आवेदनों में नजरी नक्शा, स्थल पंचनामा, बुजुर्गों के कथन एवं वन अधिकार समिति की जाँच रिपोर्ट अपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण ये पुनः परीक्षण हेतु लंबित हैं। साथ ही, इनमें OTFD वर्ग के मामलों में 13 दिसंबर 2005 के पूर्व के 75 वर्षों के तथा ST वर्ग के मामलों में 13 दिसंबर 2005 के पूर्व के काबिज संबंधी आवश्यक साक्ष्यों की कमी है। 2. ग्राम सभा स्तर- उपखण्ड स्तरीय समिति (SDLC) से प्रेषित 388 लंबित आवेदनों में दस्तावेज सुधार हेतु वन परिक्षेत्र कार्यालय के माध्यम से संबंधित ग्राम सभा स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इस प्रकार व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के कुल 583 आवेदन उपखण्ड स्तरीय समिति/ग्रामसभा स्तर पर लंबित है। लंबित प्रकरणों में त्रुटि सुधार एवं नियमानुसार पुनः सत्यापन की कार्यवाही उपखण्ड स्तरीय समिति (SDLC)/ग्राम स्तर पर प्रक्रियाधीन है, परीक्षण उपरांत पात्रता के आधार पर जिला स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन उपरांत नियमानुसार यथाशीघ्र वन अधिकार पत्र हितग्राहियों को प्रदान किया जावेगा। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। आवेदक का नाम, पता सहित **सूची पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

**प्रसाद पर्यन्त योजना के अंतर्गत श्रीयंत्र भवन निर्माण**

[पर्यटन]

**7. ( क्र. 407 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रसाद पर्यन्त योजना के अंतर्गत श्रीयंत्र भवन , माँ बमलेश्वरी मंदिर व विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई ? इसमें कुल कितने लागत का कार्य किया गया एवं कितनी राशि शेष है ? इस योजना के तहत जिस एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य किया गया, क्या यह निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? इसमें

कितने छोटे ठेकेदार, कर्मचारी, मजदूरों ने कार्य किया एवं क्या उनका कार्य का पूर्ण भुगतान हो चुका है या लंबित है, जानकारी देंवे ? **(ख)**उक्त योजना हेतु विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किस एजेंसी या अधिकारी द्वारा कब–कब किया गया ? निरीक्षण में क्या क्या कमियां पाई गई ? क्या निर्माण कार्य से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/ठेकेदार/एजेंसी/संस्था पर क्या-क्या कार्रवाई की गई जानकारी देवें ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** प्रसाद पर्यटन योजना के अंतर्गत श्री यंत्र भवन, मां बमलेश्वरी मंदिर व विभिन्नजगहों पर निर्माण कार्य एवं स्वीकृत राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। उक्त निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में इम्पेनल्य एजेंसी TCIL (Telecommunication Consultant India Limited) के द्वारा किया गया। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। टूरिजम बोर्ड द्वारा इम्पेनल्य एजेंसी TCIL (Telecommunication Consultant India Limited) के द्वारा प्रस्तुत देयको का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। **(ख)** प्रसाद पर्यटन, डोंगरगढ़ परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किये गये तिथियों एवं अधिकारियों का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित कमियां पाई गई-धीमी कार्य प्रगति, पर्यटन स्थल में साफ-सफाई की कमी, पार्किंग में स्थित दुकानों को सुव्यवस्थित करना एवं मेन रोड से श्री यंत्र भवन (पिल्ग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर) की ओर जाने वाले पहुंच मार्ग की दोनों साईड की Land fill area की सफाई। निरीक्षण में निर्माण कार्य में धीमी गति पायी गयी। अतएव कार्य में गति लाने हेतु निर्देशित किया गया। निर्माण कार्य से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" ]**

## गौधाम योजना अंतर्गत गौठानों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[पशुधन विकास]

**8. ( क्र. 483 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में गोधाम योजना कब से संचालित की जा रही है? इसके अंतर्गत कितने गौठान निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिये कितनी समायावधि तय की गयी है तथा इसका संचालन किनके द्वारा किया जाना है? संचालन समिति के लिये क्या नियम निर्देश बनाये गये हैं? **(ख)** उक्त लक्ष्य के विरूद्ध कितने स्थानों का चयन किया जा चुका है और कितने गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति में है? **(ग)** उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है ? उसकी वित्तीय व्यवस्था कैसे की जा रही है और कितनी राशि स्वीकृत हुयी है ? उनमें से कितनी राशि किन-किन कार्यो में व्यय की गयी है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में गौधाम योजना 06 अगस्त 2025 से संचालित की जा रही है। गौधामों की स्थापना आवश्यकतानुसार विकासखण्ड एवं जिलों के मांग के आधार पर गौधाम संचालन हेतु प्राप्त आवेदन पर छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसके लिए लक्ष्य एवं समय-सीमा निर्धारित नहीं है। योजना अंतर्गत गौधाम का संचालन छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एन.जी.ओ. ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं सहकारी समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। गौधाम योजना के बिन्दु क्र. 2.7 में गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था का दायित्व उल्लेखित है**, जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** गौधाम योजना अंतर्गत अद्यतन 100 गौधामों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गयी है, जिसमें से छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग में 46 गौधाम का पंजीयन कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 54 गौधाम के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग में पंजीकृत 46 गौधामों में से 28 गौधाम स्थापित किये

गये है। **(ग)** योजनांतर्गत प्रत्येक गौधाम (200 पशुधन क्षमता) के लिए प्रथम वर्ष हेतु राशि रू. 19.54 लाख का प्रावधान है, जानकारी निम्नानुसार है-

| विवरण | अधोसंरचना विकास (रू. लाख में) | पोषण आहार हेतु अनुदान राशि (रू. लाख में) | चरवाहा हेतु मानदेय राशि (रू. लाख में) | गौ सेवकों हेतु मानदेय राशि (रू. लाख में) | नस्ल सुधार हेतु अनुदान राशि (रू. लाख में) | चारा विकास हेतु अनुदान राशि (रू. लाख में) | कुल राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम वर्ष | 5.00 | 7.30 | 1.31 | 1.58 | 1.50 | 2.85 | **19.54** |

इस प्रकार प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कुल 100 गौधामों हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि रू. 1954.00 लाख की आवश्यकता होगी। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार वित्तीय व्यवस्था छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से प्राप्त अनुदान राशि से की जा रही है। पंजीकृत 12 गौधामों के मांग पत्र अनुसार कुल अनुदान राशि रू. 42,67,988/- स्वीकृत हुई है, इसमें से पोषण आहार हेतु राशि रू. 7,08,500/-, अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि रू. 35,00,000/- तथा चरवाहा मानदेय हेतु राशि रू. 59488/- प्रदाय की गयी है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ" ]**

## शहीद वीर नारायण सिंह एवं आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, नवा रायपुर में कर्मचारियों की भर्ती

[आदिम जाति विकास]

**9. ( क्र. 484 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शहीद वीर नारायण सिंह एवं आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, नवा रायपुर अंतर्गत संग्रहालय के संचालन हेतु कार्यरत कर्मचारियों (दैनिक वेतन भोगी/संविदाकर्मी/प्लेसमेंट कर्मी) की भर्ती किस प्रक्रिया के तहत्, किन नियम-शर्तो पर और कितनी अवधि के लिये चयन किये गये हैं? **(ख)** उक्त कर्मचारियों द्वारा संग्रहालय में उपलब्ध घटनाओं की जानकारी/प्रस्तुतीकरण कैसे दिया जाता है? क्या इन कार्यो के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी मांगे गये थे या कर्मचारियों को बाद में प्रशिक्षण दिया गया? यदि हां, तो कितने प्रशिक्षित हुये हैं और किन-किन विषयों में प्रशिक्षित किया गया और किस संस्था द्वारा कब प्रशिक्षण दिया गया? कितनी लागत आयी? **(घ)** उक्त कर्मचारियों के मानदेय/वेतन भत्ते/अन्य सुविधायें क्या-क्या प्रदाय की जा रही है तथा इसको निर्धारित किसके द्वारा किया गया है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, नवा रायपुर के देख-रेख एवं साफ-सफाई हेतु स्थानीय दैनिक मजदूरो से समय-समय पर आवश्यकतानुसार का कार्य कराया जाता है। **(ख)** शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, नवा रायपुर में संस्थान के क्रमांक/स्थापना/संग्रहालय कार्यालयीन के आदेश क्रमांक/2025-26/ 6027-6028, दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से संग्रहालय के विषय-वस्तु की जानकारी देने हेतु सहायक अनुसंधान अधिकारी एवं अनुसंधान सहायकों की ड्युटी लगाई गई है। जो संग्रहालय में उपस्थित होकर अतिथियों/विद्यार्थियों को आगंतुकों/विशिष्ट अवगत-सह-भ्रमण अवलोकन इत्यादि कार्य सम्पादित करता है। इसके अतिरिक्त संग्रहालय के सभी गैलरियों में क्यू आर कोड के माध्यम से भी जानकारी प्रदाय की जाती है। **(ग)** संग्रहालय में आवश्यकतानुसार समय-समय पर बुलाये गये स्थानीय मजदूरों को दैनिक कार्य अवधि अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

## प्रदेश में कलाग्राम की स्थापना हेतु कृत कार्यवाही

[संस्कृति]

**10. ( क्र. 514 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 04.06.2025 को राज्य में कलाग्राम की स्थापना का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? कलाग्राम की स्थापना कहां प्रस्तावित है? इस हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता है? कितनी राशि की आवश्यकता है? बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) :** जी हाँ। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कलाग्राम की स्थापना हेतु 5 से 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता व्यक्त किए जाने पर पुरखौती मुक्तांगन के सामने, सेक्टर-24, ग्राम उपरवारा, नवा रायपुर अटल नगर स्थित खसरा क्रमांक 328, 330 एवं 331 (भाग) की कुल 7.39 एकड़ भूमि चिन्हांकित कर आवंटित की गई है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना है। अतः यह प्रश्न उद्‌भूत नही होता ।

## बिलासपुर जिलांतर्गत संचालित कांजी हाउस, गौशालायें और गौठान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**11. ( क्र. 568 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत लावारिस मवेशियों हेतु कितने कांजी हाउस, गौशालायें और गौठान कहां-कहां संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" की गौशालाओं हेतु चारा एवं पानी की व्यवस्था कहां से एवं किसके द्वारा की जाती है? वर्ष 2023 से जून, 2026 तक कितने मवेशियों की मृत्यु पानी एवं चारा के अभाव में हुई? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या आवारा पशुओं के पुनर्वास एवं टैगिंग हेतु कोई नई कार्य योजना विभाग में विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक योजना क्रियान्वित हो जावेगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत लावारिस मवेशियों हेतु कांजी हाउस, पंजीकृत गौशालायें और संचालित गौठान की विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "क" की पंजीकृत गौशालाओं हेतु चारा एवं पानी की व्यवस्था संबंधित गौशाला संचालन-कर्ता संस्था के द्वारा की जाती है, तथा उनके द्वारा पोषण आहार अनुदान मांग पत्र प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधन) के नियम 11 के उपनियम 11 अनुसार पोषण आहार अनुदान प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2023 से जून 2026 तक कांजी हाउस, पंजीकृत गौशालायें और संचालित गौठान में पानी एवं चारा के अभाव से मवेशियों की मृत्यु की जानकारी निरंक है। **(ग)** आवारा पशुओं के पुर्नवास हेतु प्रदेश में दिनांक 06.08.2025 से गौधाम योजना एवं पंजीकृत गौशालायें संचालित हैं तथा कोई नई कार्य योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है। आवारा पशुओं के टैगिंग हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल डिजिटल लाईवस्टॉक मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जाना है जिसे लागू किये जाने की समयावधि बता पाना संभव नहीं है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" ]**

## जिला गरियाबंद में पर्यटन एवं संस्कृति के विकास के लिए किये जा रहे कार्य

[पर्यटन]

**12. ( क्र. 648 ) श्री रोहित साहू :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला गरियाबंद के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं इको-टूरिज्म स्थलों जैसे राजिम त्रिवेणी संगम, राजीव लोचन मंदिर, कर्णेश्वर महादेव, जतमई माता, घटारानी जलप्रपात, देवधारा, सिकासार जलाशय, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व एवं अन्य पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कौन-कौन से कार्य

स्वीकृत किए गए हैं तथा कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण क्या है? **(ख)** उपरोक्त पर्यटन स्थलों में सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग, शौचालय, विश्राम गृह, सुरक्षा व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, नाव विहार, पर्यटक सुविधा केंद्र एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु जून, 2026 तक क्या कार्य किए गए हैं तथा कौन-कौन से कार्य लंबित हैं? **(ग)** जिला गरियाबंद में पर्यटन एवं संस्कृति के विकास, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, इको-टूरिज्म संवर्धन तथा स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन आधारित रोजगार सृजन हेतु शासन द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा उनसे कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? **(घ)** जिला गरियाबंद के पर्यटन स्थलों को राज्य एवं राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने हेतु आगामी तीन वर्षों में कौन-कौन सी नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं तथा उनके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? क्या शासन जिला गरियाबंद को एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको-टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** प्रश्नांकित स्थलों हेतु के विकास हेतु प्रश्नांकित अवधि (वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) में विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नही किये गए हैं। वन विभाग के द्वारा प्रश्नांकित अवधि में जतमई जलप्रपात के विकास हेतु विभिन्न पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत कार्यों का कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** प्रश्नांकित "क" के स्थलों में से जतमई जलप्रपात में वन विभाग के द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में चेंजिंग रुम, पेगोड़ा निर्माण, गार्डन एवं पाथवे आदि के कार्य कराए गए है। कार्य पूर्ण हो चुका है।**(ग)** विभाग के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को जिलों में नवीन पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन हेतु तथा पर्यटन स्थलों में विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए निर्धारित प्रारूप प्रेषित किए गए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नए पर्यटन स्थल के चिन्हांकन तथा बजट उपलब्धतानुसार विकास कार्यों हेतु विचार किया जायेगा। **(घ)** जिला गरियाबंद के पर्यटन स्थल राजिम में राजीव लोचन मंदिर परिसर के पास आगामी वर्षों में भक्त माता राजिम के भव्य कांस्य प्रतिमा की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है इसके लिए राशि रु. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में योजना की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित कंसल्टेंसी फीस की स्वीकृति प्रदाय कर राशि रु. 12,07,725.00 लाख कलेक्टर गरियाबंद को जारी की गई एवं विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। जिला प्रशासन से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्ययोजना प्रस्तावित नही है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" ]**

## राजिम विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**13. ( क्र. 649 ) श्री रोहित साहू :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों, मंदिरों एवं धार्मिक न्यासों जैसे श्री राजीव लोचन मंदिर राजिम, श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जतमई माता मंदिर, घटारानी माता मंदिर तथा अन्य धर्मस्व विभाग के अधीन मंदिरों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण क्या है? **(ख)** उक्त अवधि में मंदिर परिसरों के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार, श्रद्धालु सुविधाओं, धर्मशाला, यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था एवं पहुंच मार्गों के विकास हेतु कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं तथा कितने कार्य वर्तमान में लंबित हैं? **(ग)** राजिम कुंभ (राजिम माघी पुन्नी मेला) सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के सफल संचालन एवं स्थायी अधोसंरचना विकास हेतु विगत तीन वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई

है? **(घ)** क्या शासन राजिम विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना संचालित कर रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं समय-सीमा क्या है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** जानकारी **प्रपत्र ''अ'' में संलग्न** है। **(ख)** प्रश्नांश में दर्शित मंदिरों में से वन विभाग गरियाबंद द्वारा मात्र जतमई जल प्रपात में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में चेंजिंग रूम पैगोड़ निर्माण, गार्डन, पाथवे आदि कार्य कराया गया है । वर्तमान में कोई कार्य लंबित नही है। **(ग)** राजिम माघी पुन्नी मेला एवं राजिम कुंभ कल्प मेला सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के सफल संचालन हेतु विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है एवं स्थायी अधोसंरचना विकास हेतु विभाग द्वारा कोई राशि स्वीकृत नही की गई है। धार्मिक आयोजन हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी **प्रपत्र ''ब'' में संलग्न** है। **(घ)** पर्यटन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर में भक्त माता राजिम के भव्य कांस्य प्रतिमा की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राशि रू. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना के संबध में कलेक्टर गरियाबंद द्वारा परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी फीस राशि रू. 12,07,725.00 कलेक्टर गरियाबंद को जारी की गई है। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) उपलब्ध कराने पर स्वीकृति की आगामी कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ" ]**

## बालोद जिले में पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण

[पशुधन विकास]

**14. ( क्र. 666 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 'मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना' के तहत पिछले छह महीनों में बालोद जिले के कुल कितने गांवों का दौरा किया गया और कितने पशुओं का उपचार किया गया? विधानसभावार जानकारी देवें? उक्त योजना का संचालन अनियमित होने के क्या कारण है ? **(ख)** पशुओं में खुरपका-मुंहपका और लम्पी जैसी संक्रामक बीमारियों के शत-प्रतिशत टीकाकरण (Vaccination) की क्या कार्ययोजना है? विभाग के पास टीकों का कितना स्टॉक उपलब्ध है? विकासखंडवार एवं चिकित्सा केंद्रवार जानकारी देवें? **(ग)** बालोद जिले के विकासखंडों में कितने उप-पशु चिकित्सा केंद्र हैं तथा इनमें कितने पशु चिकित्सकों (Veterinary Doctors) और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों (AVFO) के कितने पद रिक्त हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** "मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना" नाम से कोई योजना पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं है। **(ख)** पशुओं में खुरपका-मुंहपका और लम्पी जैसी संक्रामक बीमारियों के शत-प्रतिशत टीकाकरण (Vaccination) के लिए जिला बालोद में पशुधन विकास विभाग द्वारा कुल 59 पशु चिकित्सालय / औषधालय संचालित हैं, जिसमें 13 पशु चिकित्सक एवं 44 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कार्यरत है तथा 166 पी.ए.आई. डब्ल्यू / मैत्री / गौसेवक बालोद जिले में पशुधन विकास विभाग की सेवायें दे रहे हैं। गौवंशीय / भैंसवंशीय पशुओं में एफ.एम.डी. टीकाकरण वर्ष में छः माह के अंतराल में 2 बार किया जाता है एवं एल.एस.डी. रोग के विरूद्ध टीकाकरण वर्ष में 1 बार किया जाता है। उपलब्ध टीकाद्रव्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ग)** बालोद जिले के पशुधन विकास विभाग अंतर्गत विकासखंडों में उप पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित नहीं हैं, अपितु 14 पशु चिकित्सालय एवं 45 पशु औषधालय संचालित है। बालोद जिले में पशु चिकित्सकों (Veterinary Doctors) के 03 पद और सहायक पशु

चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों (AVFO) के 39 पद रिक्त है।
[ संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" ]

## जिला बलोद के सुदूर क्षेत्रों मे ग्रामीण आवास निर्माण की लंबित किस्तें

[आवास एवं पर्यावरण]

**15. ( क्र. 667 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में बालोद जिले के सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों में वर्तमान में कितने ग्रामीण आवास अधूरे (Incomplete) पड़े हैं? किस्तें जारी न होने के कारण कितने गरीब हितग्राहियों के मकान अधूरे हैं? इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में क्या प्रावधान है? **(ख)** छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा अटल विहार योजना, 2025 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए फ्लैटों की बुकिंग की समय सीमा क्या थी? इस योजना के अंतर्गत जिलावार कितने आबंटन पत्र जारी किए गए हैं और वर्तमान में इनका भौतिक रूप से 'स्वामित्व' या 'आधिपत्य' कब तक दिए जाने का लक्ष्य है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में बालोद जिले में विकासखण्डवार क्रमशः बालोद 278, डौण्डी 93, डौण्डीलोहारा 423, गुण्डरदेही 2111 एवं गुरूर 245, इस प्रकार कुल 3150 आवास स्वीकृत है तथा स्वीकृति के विरूद्ध में 2156 आवास पूर्ण है तथा 994 आवास निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासो में आवास निर्माण प्रगति के आधार हितग्राहियों को तीन किस्तों में राशि अंतरित की जाती है। योजनांतर्गत जिलों हेतु पृथक से बजट का प्रावधान नहीं किया जाता अपितु राज्य हेतु बजट प्रावधान किया जाता है। राज्य हेतु योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि रूपये 4000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**(ख)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अटल विहार योजना अंतर्गत जिला बालोद में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए फ्लैटों का निर्माण किया गया हैं, एवं जिसकी बुकिंग निर्विघ्न रूप से निरंतर किया जा रहा हैं। योजना के अंतर्गत जिला बालोद में कुल 22 बहुमंजिला भवन (फ्लैट) एवं कुल 404 स्वतंत्र भवनों का आबंटन पत्र जारी किए जा चुका हैं तथा आबंटित भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भौतिक रूप से स्वामित्व या आधिपत्य सौंपा जा रहा हैं।

## कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आश्रम छात्रावासों अधीक्षक के रिक्त पद

[आदिम जाति विकास]

**16. ( क्र. 677 ) श्री प्रेमचंद पटेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आश्रम, छात्रावासों में अधीक्षक के कितने पद रिक्त हैं और कब तक भरे जाएंगे ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है। रिक्त पदों को भरे जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[ संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ" ]

## हुडको द्वारा प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में संपादित एम.ओ.यू.

[वित्त]

**17. ( क्र. 680 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या हुडको द्वारा प्रदेश में आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में एक लाख करोड़ रूपये तक वित्तीय सहायता,

परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने हेतु एम.ओ.यू. किया गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार समझौता ज्ञापन के पश्चात् कितनी राशि की वित्तीय सहायता, किन-किन कार्यों हेतु, कब-कब प्रदान की गई ? सम्पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** हां, समझौता ज्ञापन (MoU) दिनांक 07.01.2026 को संपादित किया गया है तथा प्रश्नांश 'ख' की जानकारी **निरंक** है।

## <u>जिला रायगढ़ में खरीफ, 2026 हेतु खाद एवं बीज वितरण</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**18. ( क्र. 687 ) श्रीमती विद्यावती सिदार :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिले में खरीफ फसल, 2026 हेतु रासायनिक खाद एवं गुणवत्तायुक्त बीज की कितनी मांग की गई थी अथवा कितना लक्ष्य था? जून, 2026 तक कहां-कहां, कौन-कौन सी रासायनिक खाद एवं कौन-कौन सी प्रजाति के बीज,मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में भण्डारित की गई? कितनी-कितनी मात्रा में किसानों को वितरित की गई? समितिवार जानकारी देवें? **(ख)** रासायनिक खाद बीज किसानों को किस पद्धति से वितरण किया जा रहा है? क्या यह पद्धति पूर्व से थी अथवा इस वर्ष के खरीफ फसल हेतु निर्मित की गई है? **(ग)** खाद/बीज का वितरण अनुसार दर क्या था? जिले के किसानों को खरीफ, 2026 हेतु किसानों की रकबा के अनुसार मांग अनुरूप रासायनिक खाद एवं बीज माहवार वितरण की जानकारी देवें? **(घ)** क्या समितियों की मांग अनुरूप डी.ए.पी. का भण्डारण नहीं हो पाया? यदि हां, तो कारण बतावें? वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** रायगढ़ जिले में खरीफ वर्ष 2026 हेतु रासायनिक उर्वरकों एवं प्रमाणित बीजों की निर्धारित मांग/लक्ष्य तथा दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति में भण्डारित एवं वितरित मात्रा की सहकारी समितिवार, उर्वरकवार तथा फसलवार एवं किस्मवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद एवं बीज का वितरण राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्रति हेक्टेयर निर्धारित ऋणमान के आधार पर कृषकों के धारित रकबे की पात्रता अनुसार किया जाता है। यह व्यवस्था विगत कई वर्षों से लागू है, इस वर्ष खरीफ फसल हेतु नवीन पद्धति निर्मित नहीं की गयी है। **(ग)** खरीफ वर्ष 2026 में किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं बीजों के वितरण के दर की उर्वरकवार, फसलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स एवं प्रपत्र द अनुसार है।** खरीफ 2026 में दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं बीजों के वितरण की माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ)** वैश्विक परिस्थितियों के कारण खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों विशेष रूप से डीएपी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, यद्यपि उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। विगत वर्ष कृषकों द्वारा उठाव किए गए डीएपी उर्वरक की 60 प्रतिशत मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे-एनपीके, एसएसपी एवं नैनो डीएपी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- इ एवं प्रपत्र ई अनुसार है।**

## <u>प्रदेश में पूर्व से निर्मित गौठानों के संचालन में व्यय राशि</u>

[पशुधन विकास]

**19. ( क्र. 693 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में दिसम्बर, 2023 तक गौठानों का निर्माण किया गया था? उनमें कितने

गौठान चालू हैं एवं कितने बन्द हैं? चालू गौठानों में कितने पशुओं को रखा गया है? जिलेवार जानकारी बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित गौठानों में जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक किस मद से कितनी राशि व्यय हुई है? **(ग)** क्या गोधाम योजना अंतर्गत निर्मित गोधामों को पूर्व से निर्मित गौठान भूमि पर निर्माण की योजना है यदि नहीं तो गोधाम हेतु अर्जित की गई भूमि का विवरण देवें? एक गोधाम निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रदेश में दिसम्बर, 2023 तक कुल 9,800 ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण किया गया था। उक्त गौठानों में से पशुधन विकास विभाग द्वारा गौधाम योजना अंतर्गत 100 गौठान में गौधाम स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है जिसमें से 28 गौठानों में गौधाम संचालित है। स्थापित गौधामों में कुल 3164 पशुधन संरक्षित हैं, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक पशुधन विकास विभाग अंतर्गत 28 गौठानों में संचालित गौधामों में से मांग अनुसार 12 गौधामों को पोषण आहार हेतु राशि रू. 7,08,500/-, अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि रू. 35,00,000/- तथा चरवाहा मानदेय हेतु राशि रू. 59,488/-, इस प्रकार कुल अनुदान राशि रू. 42,67,988/- प्रदाय किया गया है। गौधाम योजना के प्रावधान अनुसार उक्त व्यय छ.ग. राज्य गौ-सेवा आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से प्राप्त राशि से किया गया है। **(ग)** गौधामों की स्थापना ऐसी शासकीय भूमि जिसमें सुरक्षित बाड़ा, पशुओं के शेड, पर्याप्त पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे स्थापित गौठान जहां पूर्व से अधोसंरचना विकसित हैं, में किये जाने का प्रावधान है। एक गौधाम स्थापना हेतु प्रथम वर्ष अधिकतम राशि रू. 19.54 लाख तदोपरांत जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात उत्कृष्ट गौधामों को द्वितीय वर्ष अधिकतम राशि रू. 21.34 लाख, तृतीय एवं आगामी वर्ष से अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख का प्रावधान है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ" ]**

## गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थलों में निर्माण कार्य

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**20. ( क्र. 694 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-25,2025-26 एवं 2026-27 में कुल कितनी राशि की स्वीकृति कौन-कौन से धार्मिक स्थलों में किन-किन कार्यों हेतु की गयी है ? ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या विभाग को कलेक्टर, जिला बालोद द्वारा क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव क्र. 2059 व 2057, दिनांक 24.03.2026 एवं छ.ग.शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पत्र क्र. 35/3376, दिनांक 14.08.25 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी ? जानकारी देवें ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)**जानकारी '' निरंक'' है।**(ख)**कलेक्टर जिला-बालोद के पत्र क्रमांक 2059 दिनांक 24.03.2026 द्वारा 03 कार्यो एवं पत्र क्रमांक 2057 दिनांक 24.03.2026 द्वारा 20 कार्यो का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें से पर्याप्त विभागीय बजट उपलब्ध नही होने के कारण केवल 01 संस्था शीतला मंदिर तथा पुराना तालाब में स्थापित शिव मंदिर की जीर्णोद्वार कार्य हेतु ग्राम सिवनी, जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा जिला-बालोद का ही स्वीकृति जारी की गई है। साथ ही विभागीय पत्र क्रमांक 35/3376 दिनांक 14.08.2025 के तारतम्य में कलेक्टर बालोद से पत्र क्रमांक 2059 दिनांक 17.11.2025 द्वारा 03 कार्य का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, उक्त प्रस्ताव में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण विभागीय पत्र दिनांक

01.01.2026 द्वारा कलेक्टर बालोद से सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित प्रस्ताव चाही गई है, जो कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## खाद, बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**21. ( क्र. 695 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग थी ? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई ? उनमें से निजी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है? कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध किया जा रहा है ? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया जा रहा है ? जानकारी अलग-अलग बतायें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार किसानों की मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद / उर्वरक एवं बीज को किसानों को कितनी-कितनी दरों पर विक्रय किया गया ? क्या कालाबाज़ारी, जमाखोरी एवं अनियमित वितरण पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खरीफ वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में) में रासायनिक उर्वरकों की आंकलित मांग एवं केन्द्र सरकार द्वारा की गई आपूर्ति की वर्षवार, मौसमवार तथा उर्वरकवार विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** कृषि विभाग द्वारा आंकलित मांग के अनुसार सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति मार्कफेड द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रैक की सामान्यतः 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि की जाती है) मार्कफेड द्वारा भंडारित की जाती है। वर्षवार-मौसमवार सहकारी एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई मात्रा एवं अनुपात की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**उर्वरक कंपनियों द्वारा निजी संस्थाओं को विक्रय किए गए उर्वरक की दर तथा इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को विक्रय किए गए उर्वरक की दर का वर्षवार, कंपनीवार एवं उर्वरकवार **विवरण संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार बीजों का भंडारण प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों, कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय कार्यालयों तथा बीज निगम के प्रक्रिया केंद्रों में किया जाता है। बीज निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को प्रमाणित/प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः बीज से संबंधित शेष जानकारी निरंक है। खरीफ मौसम की आंकलित बीज मांग एवं आपूर्ति की फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**उद्यानिकी विभाग द्वारा भारत सरकार (कृषि विकास किसान कल्याण तथा सहकारिता विभाग, नई दिल्ली) को कुल 2225.88 कि.ग्रा. प्रजनक सब्जी बीज की मांग प्रेषित की गई थी, जिसके विरुद्ध कुल 291.38 कि.ग्रा. प्रजनक सब्जी बीज प्राप्त हुआ, फसलवार **वितरण संलग्न प्रपत्र-ई अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग में निजी या सहकारी संस्थाओं को सब्जी बीज दिए जाने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** जी नहीं, प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में कहीं भी कृषकों की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक या प्रमाणित बीजों की कमी का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है और न ही ऐसी कोई स्थिति निर्मित हुई है। सहकारी समितियों एवं विभागीय कार्यालयों के माध्यम से सुचारू वितरण सुनिश्चित किया गया है।उद्यानिकी फसलों के लिए कृषक सामान्यतः अपने साधनों से बीज/उर्वरक की व्यवस्था करते हैं, जिसकी अनुदान राशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है। कृषकों के सक्षम न होने या मांग प्राप्त होने पर भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए डी.बी.टी. काइंड के माध्यम से आदान सामग्री की व्यवस्था की जाती है। अतः उद्यानिकी योजनाओं में भी बीज की कमी नहीं आई है।निजी संस्थाओं

एवं सहकारी समितियों से किसानों को विक्रय किए गए उर्वरक की दर **क्रमशः संलग्न प्रपत्र-स एवं प्रपत्र -द अनुसार है।** सहकारी समितियों/विभागीय कार्यालयों से किसानों को विक्रय/प्रदाय किए गए प्रमाणित बीजों की वर्षवार निर्धारित दर का **विवरण संलग्न प्रपत्र-इ अनुसार है।** जी हाँ, उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अनियमित वितरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा निरंतर निरीक्षण व निगरानी रखी जाती है। दोषी विक्रय केंद्रों/निजी संस्थाओं के विरुद्ध की गई वर्षवार व मौसमवार वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही का पूर्ण **विवरण संलग्न प्रपत्र-क अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर" ]**

## कृषि उपकरण खरीदी पर अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**22. ( क्र. 707 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला मुंगेली में वर्ष 2023 से जून, 2026 तक कृषि उपकरणों की खरीदी पर अनुदान के कितने प्रकरणों पर कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई? विकासखंडवार बतावें एवं किन-किन कृषि उपकरणों के लिए, किस-किस दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है व कितने-कितने किसानों को अनुदान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है? क्या लक्ष्य पूरा किया गया? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' अनुसार विगत वर्षो में कुल कितने किसानों ने अपना फसल बीमा किन किन कंपनियों से कराया? वर्षवार एवं विकासखंडवार बतावें। इन बीमा कंपनियों द्वारा कितने किसानों को बीमा की कुल कितनी राशि का वितरण किया गया है? कितने किसानों को बीमा की राशि नहीं दी गयी है? नहीं देने के कारण क्या हैं? वर्षवार एवं विकासखंडवार बतावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला मुंगेली में वर्ष 2023 से जून, 2026 तक संचालनालय कृषि द्वारा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों द्वारा अनुदान पर क्रय किये गये यंत्रों/उपकरणों तथा अनुदान राशि की वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों/उपकरणों पर देय अनुदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** मुंगेली जिले हेतु विभागीय योजनाओं के अंतर्गत आबंटित लक्ष्य एवं पूर्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जिला मुंगेली में प्रश्नावधि में डी.एम.एफ. मद से 12 कृषक एवं राष्ट्रीय बांस मिशन अंतर्गत 20 कृषकों द्वारा अनुदान पर क्रय किये गये यंत्रों/उपकरणों तथा अनुदान की वर्षवार योजनावार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** मुंगेली जिला अंतर्गत प्रश्नावधि में कुल 34 कृषि उपकरणों का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत 12 महिला स्व सहायता समूहों एवं 20 कृषकों को कुल 32 कृषि यंत्रों से लाभान्वित किया गया है। शेष लक्ष्यों (02 कृषि यंत्र) की पूर्ति कृषकों से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं किया गया है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा वितरित किए जाने वाले कृषि उपकरण एवं उन पर दी जाने वाली अनुदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है। (ख)** फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत जानकारी विकासखण्डवार नहीं अपितु जिलावार एवं तहसीलवार राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर संधारित की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला मुंगेली में विगत वर्षों यथा मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023, 2024 एवं 2025-26 में एचडीएफसी इरगो बीमा कंपनी द्वारा कृषकों का बीमा किया गया है। बीमित कृषकों की संख्या, कृषकों को भुगतान की गई दावा राशि, शेष राशि एवं शेष रहने के कारण की वर्षवार एवं तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क अनुसार है।** पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत जिला मुंगेली में प्रश्नांकित अवधि में 1306 किसानों द्वारा उद्यानिकी फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से करवाया गया है। एग्रीकल्चर इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के द्वारा 958 किसानों को 88,57,826 रूपये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। बीमित कृषकों की संख्या, कृषकों को

भुगतान की गई दावा राशि, शेष राशि एवं शेष के कारण की वर्षवार एवं तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ख अनुसार है।**

## आदिम जाति विकास विभाग की योजनाओं हेतु प्रावधानित बजट

[आदिम जाति विकास]

**23. ( क्र. 722 ) श्री उमेश पटेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौन-कौन सी योजना के लिए कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था और कितनी राशि को खर्च किया गया ? जानकारी योजनावार विवरण सहित देवें? क्या आबंटित राशि में खर्च पूरा नहीं हो पाया? यदि हां, तो किस योजना में कितनी राशि खर्च नहीं हो पायी? कारण सहित जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** आदिम जाति विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए राशि रूपये 168446.80 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें से राशि रूपये 100347.14 लाख खर्च किया गया। योजनावार जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है। जी हॉ, अव्ययित राशि की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर" ]**

## प्रदेश में दलहन तिलहन फसलों का रकबा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**24. ( क्र. 723 ) श्री उमेश पटेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में इस वर्ष दलहन तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए कितना टारगेट निर्धारित किया गया था? टारगेट बढ़ाने के विरूद्ध कितने रकबा में फसल लगाया गया था? समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए कब तक तिथि निर्धारित की गयीऔर कब तक खरीदी की गयी? जानकारी देवें? क्या निर्धारित तिथि के पहले खरीदी बंद कर दी गयी? यदि हां, तो कब बंद की गयी और क्यों? जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** प्रदेश में वर्ष 2025-26 में दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए दलहन फसलों का 10.83 लाख हेक्टेयर एवं तिलहन फसलों का 4.66 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 10.40 लाख हेक्टेयर दलहन फसलें तथा 4.33 लाख हेक्टेयर तिलहन फसलें लगायी गयी थी। वर्ष 2026-27 में दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए दलहन फसलों का 11.19 लाख हेक्टेयर एवं तिलहन फसलों का 4.76 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम.-आशा) के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम (पी.एस.एस.) अंतर्गत दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी के लिए विपणन वर्षवार, फसलवार उपार्जन अवधि निम्नानुसार है-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खरीफ | 2025-26 | उड़द, मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली | 25 दिसंबर, 2025 से 24 अप्रैल, 2026 |
| | | | अरहर | 15 फरवरी, 2026 से 15 मई, 2026 |
| 2 | रबी | 2026-27 | सरसों | 15 फरवरी, 2026 से 15 मई, 2026 |
| | | | चना, मसूर | 01 मार्च, 2026 से 30 मई, 2026 |

राज्य शासन के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा पुनः चना, मसूर, सरसों फसलों के उपार्जन अवधि 19 जून, 2026 से 03 जुलाई, 2026 तक वृद्धि की गई। जी नहीं, प्राईस सपोर्ट स्कीम (पी.एस.एस.) अंतर्गत निर्धारित तिथि के पहले प्रदेश में उक्त फसलों की खरीदी बंद नहीं की गई है।

## किसान समृद्धि योजना में पात्रता के नियम

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**25. ( क्र. 730 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग अंतर्गत किसान समृद्धि योजना (नलकूप खनन एवं पंप स्थापना अनुदान) संचालित है? यदि हां, तो कब से और पात्रता के क्या-क्या नियम हैं? **(ख)** कंडिका "क" की योजनानुसार विगत 03 वर्षों में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितने पात्र, कितने अपात्र हुए हैं? कितने पात्र हितग्राहियों को अनुदान दिया जा चुका है और कितने लंबित हैं? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा? **(ग)** कंडिका "क" की योजनांतर्गत क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया है कि किसान समृद्धि योजना की पात्रता शर्तें एवं अनुदान राशि विगत लगभग 14 वर्षों से यथावत हैं तथा कृषि यंत्रों, नलकूप खनन एवं पंप स्थापना की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? क्या शासन द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए योजना की पात्रता शर्तों, तकनीकी मानकों एवं अनुदान राशि का पुनर्निर्धारण/पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो संशोधित प्रावधान कब तक लागू किए जाने की संभावना है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ, कृषि विभाग अंतर्गत किसान समृद्धि योजना (नलकूप खनन एवं पंप स्थापना अनुदान) 01 अप्रैल 2012 से संचालित है। योजना अंतर्गत किसानों के चयन हेतु कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक /1651 / डी. 17/12/2003/14-3 दि. 09.04.2012 द्वारा "किसान समृद्धि योजना" में नलकूप खनन/ पंप प्रतिस्थापन हेतु किसानों के चयन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1.योजनांतर्गत जिलों के समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

2.कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जावेगा।

3.अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हों।

4.कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो।

5.एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप एवं हैण्ड पंप नही होना चाहिये।

6.योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

7.विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे।

**(ख)** विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड तखतपुर में किसान समृद्धि योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन, पात्र आवेदन, अपात्र आवेदन, हितग्राहियों को अनुदान एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जी हाँ। किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन के अनुदान

राशि के पुनर्निर्धारण करने हेतु अन्य विभागों जैसे पीएचई, नाबार्ड आदि से इकाई लागत के आधार पर अनुदान के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[ संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर" ]

## तखतपुर में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय का निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**26. ( क्र. 731 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर में स्थित कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का भवन अत्यंत जर्जर, पुराना एवं अनुपयोगी अवस्था में है, जिसके कारण वहां कार्यालय संचालित नहीं किया जा रहा है? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" का कार्यालय वर्तमान में दूसरे विभाग के भवन में संचालित हो रहा है? **(ग)** क्या कंडिका "क" के कार्यालय निर्माण हेतु शासन के पास मामला विचाराधीन है? यदि हां तो कब तक स्वीकृत किया जाएगा? यदि नहीं, तो कारण सहित उल्लेख करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** तखतपुर में स्थित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय का भवन वर्ष 2024 से जून 2026 के मध्य अत्यंत जर्जर, पुराना एवं अनुपयोगी अवस्था में था, जिसके कारण वहां कार्यालय संचालित नहीं किया जा रहा था, परंतु वर्तमान में कार्यालय भवन के कुछ मरम्मत उपरांत कार्यालय का संचालन उसी भवन में किया जा रहा है।**(ख)** जी नहीं। कंडिका 'क' का कार्यालय वर्ष 2024 से जून 2026 के मध्य राजस्व विभाग के भवन में संचालित किया गया परंतु वर्तमान में मरम्मत उपरांत कार्यालय का संचालन उसी भवन में किया जा रहा है।**(ग)**कंडिका 'क' के कार्यालय निर्माण हेतु संचालनालय कृषि के आदेश क क्र / बजट/10/2026-27/334 दिनांक 07.07.2026 द्वारा राशि रू. 34.66 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति उप संचालक कृषि जिला बिलासपुर को प्रदाय की जा चुकी है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा सामाग्री क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**27. ( क्र. 738 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिये उद्यानिकी विभाग को किन-किन कार्यो के लिये कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई थी? उद्यानिकी विभाग को आंबटित उक्त राशि को किन-किन जिलों में, किन-किन कार्यो के लिए, कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? जिलावार, कार्यवार व राशिवार जानकारी देवें?। **(ख)** क्या प्रश्नांश क अनुसार कार्यो/सामाग्री क्रय के लिये निविदा जेम पोर्टल पर जारी की गई? यदि हॉ तो जिलावार जेम पोर्टल पर जारी निविदा का विवरण देवें? यदि नहीं तो उक्तानुसार कार्यो/सामाग्री क्रय के लिये किस प्रकार निविदा जारी की गई, किसकी स्वीकृति से जारी की गई, निविदा कब जारी की गई, कितने व कौन-कौन सी फर्म/संस्था शामिल हुई, कौन सफल निविदाकार थे? जिलेवार, निविदावार जानकारी देवें? क्रय आदेश कब जारी किए गए व सामाग्री कब प्रदाय की जानी थी तथा विलंब व निर्धारित समय-सीमा से सामाग्री प्रदाय न करने पर किस-किस के विरूद्व कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें? **(ग)**प्रश्नांश क अनुसार कार्यो/सामाग्री क्रय के संबंध में जून, 2026 तक की स्थिति में कब, किसके द्वारा, क्यों, क्या एवं किसको शिकायत की गई और क्या-क्या कार्यवाही की गई और किन-किन शिकायतों पर जांच व कार्यवाही लंबित है? जिलावार व शिकायतवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिये उद्यानिकी विभाग को राशि आवंटित नहीं किया गया है, अपितु एकीकृत बागवानी

विकास मिशन योजनांतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती तथा वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु राशि रू. 999.90 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिलेवार कार्यवार आवंटित राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश क अनुसार कार्यों/सामग्री क्रय के लिये निविदा जेम पोर्टल पर जारी किया गया। जिलावार जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** केवल जिला नारायणपुर द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम के अंतर्गत खुली निविदा के माध्यम से धनिया एवं मिर्च (मल्चिंग शीट) का क्रय किया गया। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश क अनुसार कार्यों/सामग्री क्रय के संबंध में जून 2026 तक की स्थिति में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जानकारी निरंक है। यद्यपि समाचार पत्र' श्रम बिन्दु' में वर्मीबेड खरीदी में बड़ा घोटाला विषयक प्रकाशित समाचार के परिप्रेक्ष्य में किए गए परीक्षण अंतर्गत जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसारसमाचार पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई।

## <u>मंदिरों, धार्मिक स्थलों एवं धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार/निर्माण के लिए स्वीकृत राशि</u>

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**28. ( क्र. 739 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत 2 वित्तीय वर्ष से जून, 2026 तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग हेतु कितनी-कितनी राशि प्रावधानित/आंवटित की गई एवं इस राशि से कितने मंदिरों, धार्मिक स्थलों एवं धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार/निर्माण के लिए कितनी राशि कितने कार्यों के लिये स्वीकृत की गई है एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितने कार्य लंबित हैं ? जिला-वार जानकारी देवें ? **(ख)** विगत 2 वर्षों से जून, 2026 तक बिलासपुर जिले के देवरानी-जेठानी मंदिर (तालागांव), मदकू द्वीप, लखनी देवी मंदिर एवं शिवनाथ और मनियारी नदी संगम के घाट एवं मुंगेली जिला के सेतगंगा (श्वेतगंगा), हथनीकला मंदिर एवं खर्राघाट में क्या-क्या कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत/उपलब्ध कराई गई है ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? जानकारी देवें ? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के कार्यों में अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई तथा इन शिकायतों की जांच किसके द्वारा की गई एवं जांच उपरांत क्या कार्यवाही की गई और किन-किन शिकायतों पर जांच व कार्यवाही लंबित है? जिलावार जानकारी देवें ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** वित्त विभाग द्वारा विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 49.20 करोड़ , वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 49.30 करोड़ एवं 2026-27 हेतु 50.00 करोड़ प्रावधानित है। जिसमें से अप्रैल 2024 से जून 2026 तक मंदिर जीर्णोद्धार, एवं धार्मिक स्थलों में धर्मशालाओं के निर्माण हेतु निम्न जिलों जैसे- रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, धमतरी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, जशपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं सक्ती को राशि आबंटित की गई है, जिसका विवरण **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। शेष जिलों की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश में दर्शित अवधि में बिलासपुर एवं मुंगेली जिला अंतर्गत मंदिर एवं घाट निर्माण कार्य हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के कार्यों के संबंध में विभाग में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जॉच एवं कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## <u>एनटीपीसी सीपत की विगत तीन वर्षों की पर्यावरणीय अनुपालन एवं निगरानी रिपोर्ट</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

**29. ( क्र. 753 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या एनटीपीसी सीपत द्वारा तैयार की गई विगत तीन वर्षों की नवीनतम 6-मासिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट

पर्यावरण विभाग/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए ? **(ख)** क्या विगत तीन वर्षों में एनटीपीसी सीपत के आसपास के ग्रामों में वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता की जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो ग्रामवार जांच परिणाम एवं मानकों से अधिक प्रदूषण पाए जाने पर की गई कार्रवाई का विवरण दें ? **(ग)** क्या विगत तीन वर्षों में ऐश डाइक एवं आसपास के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट तथा मानकों से विचलन पाए जाने पर की गई कार्रवाई का विवरण दें ? **(घ)** क्या एनटीपीसी सीपत में स्थापित ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली का लाइव डेटा डिस्प्ले बोर्ड अथवा सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके कारण एवं इसे सार्वजनिक करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण दें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**जी हॉ। मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, सीपत, जिला-बिलासपुर के उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता - कोल आधारित ताप विद्युत संयंत्र (स्टेज-1, 3x360 मेगावाट एवं स्टेज - 2, 2x 500 मेगावाट) - 2980 मेगॉवाट द्वारा तैयार की गयी विगत् 03 वर्षों की नवीनतम 6-मासिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध है। प्रति **पुस्ताकलय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)**जी हॉ। मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, सीपत, जिला-बिलासपुर द्वारा आसपास के ग्रामों में प्रतिमाह वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। जांच परिणाम की **जानकारी पुस्ताकलय में रखे प्रपत्र- ब एवं स अनुसार** है। जांच परिणाम मानक सीमा के भीतर पाये गये है। अतः की गई कार्यवाही निरंक है।**(ग)**जी हॉ। मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, सीपत, जिला-बिलासपुर द्वारा आसपास के ग्रामों में प्रतिमाह ऐश डाइक एवं आस-पास के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच करायी जाती है। जांच परिणाम की **जानकारी पुस्ताकलय में रखे प्रपत्र- द अनुसार** है। जांच परिणाम मानक सीमा के भीतर पाये गये है। अतः की गई कार्यवाही निरंक है।**(घ)**जी हॉ। मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, सीपत, जिला-बिलासपुर द्वारा ऑनलाईन उत्सर्जन प्रणाली का लाईव डेटा के प्रदर्शन हेतु उद्योग के मुख्य द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड स्थापित कर सार्वजनिक किया गया है।

## बिलासपुर संभाग में अर्दन डैम, चेक डैम एवं स्टाप डैम निर्माण कार्यों की स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**30. ( क्र. 755 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान बिलासपुर संभाग में अर्दन डैम, चेक डैम एवं स्टाप डैम के निर्माण हेतु स्वीकृत कार्यों का नाम एवं स्थान, स्वीकृत राशि, व्ययित राशि, मूल्यांकन की गई राशि तथा शेष राशि का विवरण विकासखण्डवार प्रदान करें ? **(ख)** उक्त सभी निर्माण कार्यों की निर्माण/क्रियान्वयन एजेंसी का कार्यवार एवं विकासखंडवार विवरण प्रदान करें ? **(ग)** क्या उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत जांच के निष्कर्ष, दोषी पाए गए व्यक्तियों/एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रश्नांश "क" की अवधि में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत बिलासपुर संभाग में अर्दन डैम का निर्माण नहीं किया गया है। इस अवधि के दौरान निर्मित चेकडेम एवं स्टॉपडेम के स्वीकृत कार्यों का नाम, स्थान, स्वीकृत राशि, व्ययित राशि, मूल्यांकन की गई राशि तथा शेष राशि की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार सभी निर्माण कार्यों की निर्माण/क्रियान्वयन एजेंसी का कार्यवार एवं विकासखंडवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है**।**(ग)** जी नहीं, अतः शेष प्रश्न ही उद्‌भूत नहीं होता।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" ]**

**अकलतरा में प्रस्तावित अटल विहार योजना की अद्यतन स्थिति**

[आवास एवं पर्यावरण]

**31. ( क्र. 762 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा अकलतरा में प्रस्तावित अटल विहार आवासीय परियोजना कब से विकसित की जा रही है? योजना में कुल कितने आवास एवं भूखण्ड निर्मित/विकसित किए जाने हैं ? प्रस्तावित कुल आवासों में से कितने आवासों की प्री-बुकिंग/बुकिंग, विक्रय एवं रजिस्ट्री दिनांक 23-06-2026 तक की जा चुकी है तथा कितने आवास आज भी अविक्रित हैं ? श्रेणीवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** पर्याप्त संख्या में आवासों की बुकिंग अथवा रजिस्ट्री नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या योजना के निर्माण, स्थान चयन, मूल्य निर्धारण अथवा विपणन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा कमियां पाई गई? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? **(ग)** उक्त परियोजना में आवासों की बिक्री हेतु प्रचार-प्रसार, प्रस्ताव/परियोजना निर्माण एवं अन्य कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? फर्मों/एजेंसियों को किए गए भुगतान का विवरण देवें? **(घ)** क्या आवास की बिक्री हेतु विशेष छूट/दरों में संशोधन प्रदान की गई अथवा प्रस्तावित है? जानकारी देवें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अकलतरा में अटल विहार आवासीय परियोजना हेतु वर्ष 2013 में 36 एकड़ भूमि आबंटित की गयी थी। उक्त भूमि में 68 नग जूनियर एमआईजी, 135 नग एलआईजी, 194 नग ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण तथा 15 एकड़ भूमि का विकास कार्य हेतु रू. 2992.62 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर बुकिंग प्रारम्भ की गयी जिसमे 6 नग जूनियर एमआईजी, 5 नग एलआईजी, 3 नग ईडब्ल्यूएस भवनों की बुकिंग प्राप्त हुई एवं आबंटन किया गया। तत्पश्चात बाह्य विकास कार्य हेतु रू 239.15 लाख की निविदा कर कार्य प्रारंभ कराया गया था। प्रस्तावित स्थल से नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने के कारण उक्त विकास कार्य यथास्थिति में रोक दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण होने के बाद शेष 29 एकड़ भूमि का पुनः सीमांकन कराकर प्रोजेक्ट तैयार कर वर्ष 2025 में रु. 9872.36 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है। योजना में 34 एचआईजी, 77 एमआईजी, 223 एलआईजी एवं 307 ईडब्ल्यूएस कुल 641 भवन निर्मित/विकसित किया जाना है। प्रस्तावित कुल आवासों में से प्रथम चरण में 166 भवनों की बुकिंग प्रारंभ की गयी जिसमें से दिनांक 23.06.2026 तक 10 एचआईजी, 3 एमआईजी, 6 एलआईजी एवं 3 ईडब्ल्यूएस कुल 22 भवनों का विक्रय/पंजीयन किया गया है एवं कुल 641 भवनों में से 24 एचआईजी, 74 एमआईजी, 217 एलआईजी एवं 304 ईडब्ल्यूएस भवनों का विक्रय/पंजीयन शेष है। भवनों का निर्माण कार्य अप्रारंभ है।**(ख)** उक्त योजना में आवासों की बुकिंग जारी है। योजना के निर्माण, स्थान चयन, मूल्य निर्धारण अथवा विपणन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा कमियां नहीं है। सामान्यतः परियोजनाओ के प्रारम्भ में कम बुकिंग प्राप्त होती है एवं जैसे जैसे भवनो का निर्माण एवं स्थल का विकास कार्य प्रारम्भ होने पर जनसामान्य में बुकिंग करने हेतु रुचि बढ़ती है एवं शेष भवनो के पंजीयन / विक्रय में वृद्धि होने की संभावना होती है। अतः योजना के निर्माण, स्थान चयन, मूल्य निर्धारण अथवा विपणन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा कमियां नहीं होने से इसके लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।**(ग)**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अकलतरा में अटल विहार आवासीय परियोजना हेतु वर्ष 2013 भूमि आबंटन हेतु रु. 15.68 लाख भुगतान किया गया था। तत्पश्चात प्रोजेक्ट तैयार करने मे जैसे की प्रोजेक्ट के ले आउट प्लान, आर्किटेक्ट कार्य व कार्यालयीन व्यय आदि में रु. 8.00 लाख का व्यय हुआ एवं प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात 14 भवनो की बुकिंग प्राप्त कर बाह्य विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसमे रु. 149.19 लाख का व्यय हुआ इस प्रकार 2013-2015 तक कुल 172.87 लाख का व्यय हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः वर्ष 2025 में रु. 9872.36 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसमे प्रचार-प्रसार परियोजना निर्माण एवं अन्य कार्यों जैसे रेरा पंजीयन, विकास अनुज्ञा एवं भवन अनुज्ञा में वर्तमान में रू. 39.50 लाख की राशि व्यय हुई है।**(घ)**अटल विहार योजना में पात्र हितग्राहियों को एलआईजी भवनो हेतु 40000.00 एवं ईडब्ल्यूएस भवनों हेतु 80000.00 का अनुदान

दिये जाने का प्रावधान है। दिनांक 08.05.2026 को उक्त परियोजना के ईडब्ल्यूएस भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमे ईडब्ल्यूएस भवनों के पात्र हितग्राहियों को 1.50 लाख केन्द्रांश एवं 1.00 लाख राज्यांश कुल 2.50 लाख की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

## फ्लाई एश का अवैध एवं अनियंत्रित निस्तारण से भूजल प्रदूषण की शिकायतों पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**32. ( क्र. 763 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में फ्लाई एश (राखड़) के निस्तारण से भूजल प्रदूषण की जांच हेतु विगत 3 वर्षों में हाईड्रोजियोलॉजिकल (भूजल वैज्ञानिक) परीक्षण कराया गया है? यदि हां, तो परीक्षण करने वाली संस्था का नाम, जांच अवधि एवं निष्कर्षवार जानकारी प्रदान करें ? जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या अंतिम जांच/परीक्षण की रिपोर्ट जून, 2026 तक सार्वजनिक अथवा प्रस्तुत नहीं की गई हैं ? रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के क्या कारण है ? **(ग)** क्या जांच में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं अन्य पर्यावरणीय प्रावधानों के उल्लंघन के तथ्य पाए गए हैं? यदि हां, तो उल्लंघन करने वाली ईकाइयों का नामवार विवरण दें? **(घ)** वर्ष 2024-25 से वर्ष जून, 2026 तक फ्लाई एश के अवैध निस्तारण एवं भूजल प्रदूषण संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं शिकायतवार की गई कार्यवाही की जानकारी देवें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** छत्तीसगढ़पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जांजगीर-चांपा जिले में फ्लाई ऐश (राखड़) के निस्तारण से भूजल प्रदूषण की जांच हेतु विगत 3 वर्षों में हाईड्रोजियोलॉजिकल (भूजल वैज्ञानिक) परीक्षण नहीं कराया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला-जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार हाईड्रोजियोलॉजिकल (भूजल वैज्ञानिक) परीक्षण कराये जाने के संबंध में जानकारी निरंक है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(घ)** वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक फ्लाई ऐश के अवैध निस्तारण से संबंधित 18 शिकायतें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। भू-जल प्रदूषण संबंधित शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुई है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" ]

## कोल डिपो/वाशरी/फ्लाई एश भंडारण/ईंट भट्ठे की पर्यावरणीय अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

**33. ( क्र. 769 ) श्री ब्यास कश्यप :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर-चांपा में कितने कोल डिपो/कोल वाशरी, स्टोन क्रशर, फ्लाई एश भंडारण, ईंट भट्ठे (मिट्टी एवं फ्लाई एश) कितनी-कितनी क्षमता के तथा किन-किन स्थानों में एवं कब से संचालित हैं तथा किन लोगों के द्वारा संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के कितने संस्थानों को पर्यावरणीय अनुज्ञा प्राप्त है तथा कितने संस्थान बिना अनुज्ञा के संचालित हैं और क्यों ? क्या बिना पर्यावरणीय अनुज्ञा के संचालित संस्थानों को बंद करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के किन-किन संस्थानों/फर्मो के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :(क)**जिला-जांजगीर-चांपा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त 06 कोल वाशरी, 18 कोल डिपों, 54 स्टोन क्रशर, 60 फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई तथा 05 क्ले ब्रिक्स इकाई संचालित है। उद्योग स्थल, उत्पादन क्षमता, संचालनकर्ता की **जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। जिला-जांजगीर-चांपा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किसी भी स्थान में फ्लाई

ऐश का भण्डारण कार्य हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति नहीं दी गयी है। **(ख)**प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित सभी उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जल एवं वायु सम्मति प्रदान की गयी है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**जिला-जांजगीर-चांपा में उद्योगों के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के संबंध में विगत 01 वर्ष में 06 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत एवं की कार्यवाही की **जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

## मछलीपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या

[मछली पालन]

**34. ( क्र. 771 ) श्री ब्यास कश्यप :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में मत्स्य विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? **(ख)** विगत 02 वर्षो में जांजगीर-चांपा जिले में कितने लाभार्थियों को कौन-कौन सी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है और आगामी वर्ष हेतु कितने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है? **(ग)** प्रदेश में मछली पालन का कितना उत्पादन एवं खपत है ? जिलेवार, प्रजातिवार, उत्पादनवार, खपतवार,जानकारी देवें? **(घ)** क्या विभाग अंतर्गत वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की उपलब्धता है? यदि नही तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ? जानकारी देवें? **(ड)** क्या विभाग को जांजगीर-चांपा जिले में मत्स्य महाविद्यालय/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या विभागीय स्तर पर जांजगीर-चांपा जिले में मत्स्य महाविद्यालय/डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने की कोई योजना है जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** राज्य में मत्स्य विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** विगत 02 वर्षों में जांजगीर-चांपा जिले में 10090 लाभार्थियों को विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है** और आगामी वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन अनुसार लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने लक्षित किया जावेगा। **(ग)** प्रदेश में मछली पालन का 9.59 लाख मैट्रिक टन उत्पादन एवं 5.36 लाख मैट्रिक टन खपतहै। जिलेवार, प्रजातिवार, उत्पादन एवं खपत की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** जी नहीं, मछलीपालन विभाग अंतर्गत वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं है। अधोसंरचना निर्माण हेतु विभागीय जिलाधिकारियों को संबंधित कलेक्टर से सम्पर्क कर स्थल चयन करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग से द्वितीय श्रेणी के 01, तृतीय श्रेणी के 58 तथा चतुर्थ श्रेणी के 20 रिक्त पदों को भरे जाने की सहमति प्राप्त हुई है, पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। **(ड)** जी हां, विभाग को जांजगीर-चांपा जिले में मत्स्य महाविद्यालय/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने हेतु 01 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर" ]**

## विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में पशुधन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

[पशुधन विकास]

**35. ( क्र. 781 ) श्री रामकुमार यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक पशुधन विकास योजनाओं के अंतर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में कितने हितग्राहियों को किस प्रजाति के पशुओं का वितरण किया गया है?

ग्राम पंचायतवार, योजनावार एवं वर्षवार विवरण देवें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार उक्त अवधि में पशुओं की खरीदी किन-किन संस्थाओं, फर्मों से की गई तथा प्रत्येक फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार विवरण देवें ? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में उक्त अवधि के दौरान पशुधन विकास योजनाओं के अंतर्गत कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया है तथा टीकाकरण में किन-किन औषधियों/टीकों का उपयोग किया गया है ? वर्षवार विवरण देवें ? **(घ)** उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन, पशु वितरण एवं टीकाकरण कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है? मदवार एवं वर्षवार विवरण देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार उक्त अवधि में कुक्कुट चूजों एवं गौवंशीय सांड़ का वितरण विभागीय शासकीय प्रक्षेत्रों से तथा उन्नत नस्ल के बकरे एवं सूकर का क्रय हितग्राही द्वारा स्थानीय बाजार से किया गया है। पशुओं की खरीदी संबंधित संस्थाओं, फर्मों की जानकारी तथा भुगतान की गई राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** एवं हितग्राही द्वारा स्थानीय बाजार से क्रय किये गये पशुओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।(ग)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में पशुओं में किये गये टीकाकरण की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

| क्र | वर्ष | पशुओं में टीकाकरण की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 2,52,646 |
| 2 | 2024-25 | 2,62,444 |
| 3 | 2025-26 | 1,85,568 |

टीकाकरण हेतु एन्टीरेबीज टीकाद्रव्य, ब्रुसेलोसिस टीकाद्रव्य, एच.एस. एवं बी.क्यू (कम्बाईन्ड) टीकाद्रव्य, इन्टेरोटाक्सिमिया टीकाद्रव्य, एफ.एम.डी.टीकाद्रव्य एच.एस.टीकाद्रव्य, पी.पी.आर. टीकाद्रव्य, शीप एवं गोट पाक्स टीकाद्रव्य एवं स्वाईन फिवर टीकाद्रव्य का उपयोग किया गया, **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ)** उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन, पशु वितरण एवं टीकाकरण कार्यो पर कुल राशि रू. 68,32,039/- व्यय की गई है। मदवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'द' अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" ]**

## जिला सक्ती अंतर्गत आदिम जाति छात्रावासों एवं आश्रमों हेतु सामग्री क्रय

[आदिम जाति विकास]

**36. ( क्र. 782 ) श्री रामकुमार यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला सक्ती अंतर्गत संचालित आदिम जाति छात्रावासों एवं आश्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्तमान तिथि तक किन-किन सामग्रियों का क्रय किया गया है? सामग्रीवार, मात्रा, दर एवं व्यय राशि का विवरण देवें ? **(ख)** उक्त सामग्री किन-किन फर्मो/संस्थाओं से क्रय की गई है तथा प्रत्येक फर्म/संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? फर्मवार विवरण देवें ? **(ग)** क्रय की गई सामग्री किन-किन आदिम जाति छात्रावासों एवं आश्रमों को वितरित की गई है? छात्रावास एवं आश्रमवार, सामग्रीवार एवं वितरण तिथिवार विवरण देवें? **(घ)** उक्त सामग्री क्रय हेतु अपनाई गई निविदा प्रक्रिया का विवरण क्या है तथा क्या सभी क्रय प्रचलित वित्तीय एवं क्रय नियमों के अनुरूप किए गए हैं ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब''** अनुसार है। **(घ)** जी हॉ। सामग्रियों का क्रय प्रचलित वित्तीय एवं क्रय नियमों के अनुरूप भंडार

क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2012 का पालन करते हुए जिला स्तरीय क्रय समिति की अनुशंसा उपरांत Gem Portal के माध्यम से सामाग्रियों का क्रय किया गया है।

## अवैध प्लॉटिंग रोकने हेतु कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक

[वाणिज्यिक कर]

**37. ( क्र. 785 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या अवैध प्लॉटिंग रोकने हेतु प्रदेश में 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है ? यदि हां तो उक्त संबंध में आदेश कब एवं किसके द्वारा जारी किया गया है ? **(ख)** क्या प्रश्नांक ''क'' के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में नियम विरूद्ध रजिस्ट्री एवं डायवर्सन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांक ''ख'' के अनुसार जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में की गई रजिस्ट्री एवं डायवर्सन हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई ? विकासखंडवार प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(घ)** प्रश्नांक ''ख'' के कितने प्रकरणों में निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण किया जा चुका है एवं कितने प्रकरणों कॉलोनाईजरों के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई है ? क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिूसचना दिनांक 22 सितंबर 2025 द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के माध्यम से संहिता की धारा 70 की उपधारा (1) के परन्तुक में '' परंतु किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का ऐसा उप-खण्ड नही बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो'' राजस्व विभाग के उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक है।**(ख)** प्रश्नांश ''क'' के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में नियम विरूद्ध रजिस्ट्री एवं डायवर्सन किए जाने की कोई भी शिकायत नहीं है। अतएव शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।**(ग)**प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।**(घ)** प्रश्नांश (घ) की जानकारी निरंक है।

## जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डोलोमाईट खदानों से प्रदूषण पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**38. ( क्र. 786 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी डोलोमाईट खदानें संचालित हैं ? कितनों के पास वैध पर्यावरणीय स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र है ? कितनी डालोमाईट खदानें बिना स्वीकृति अथवा शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में संचालित पाए गए ? डोलोमाईट खदानों का विवरण दे ? **(ख)** पिछले तीन वर्षो में विभाग द्वारा उक्त डोलोमाईट खदानों का कितनी बार निरीक्षण किया गया ? कितने मामलों मे नोटिस जारी किए गए, आर्थिक दंड लगाया गया तथा कितने डोलोमाईट का संचालन अस्थायी या स्थायी रूप से बंद किया गया है ? **(ग)** प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण, ग्रामीणों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 16 डोलोमाईट खदानें संचालित है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में 19 डोलोमाईट खदानों के पास वैध पर्यावरणीय स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति प्राप्त है। वर्तमान में 02 खदाने बंद है एवं 01 खदान द्वारा उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है। बिना वैध पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के डोलोमाईट खदाने संचालित नहीं है। विगत 03 वर्ष (दिनांक 01/04/2023 से दिनांक

31/03/2026) में निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय शर्तों का उल्लघंन करते हुए 14 डोलोमाईट खदाने संचालित पाये गये। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)**विगत तीन वर्षों में संचालित डोलोमाईट खदानों का 46 बार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान खदानों द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लघंन पाये जाने पर कुल 14 खदानों को नोटिस जारी किया गया एवं 14 खदानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है तथा 10 खदानों को जल एवं वायु अधिनियम के तहत् खदानों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कराया गया। 09 खदानों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने पर पुनः उत्पादन करने का आदेश जारी किया गया।**(ग)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा खदान क्षेत्र एवं आंतरिक परिवहन मार्गों पर नियमित जल छिड़काव, सघन वृक्षारोपण, तारपोलिन से ढंककर परिवहन सुनिश्चित करते हुए प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराया जाता है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य संरक्षण के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य विभाग समस्त अपने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (बायो मेडिकल वेस्ट) को इन्वरो केयर के माध्यम से उठाव किया जाता है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर संबंधित बिमारी का जांच किया जाता है व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्यालय जिला अधीक्षक जिला-सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार डोलोमाईट प्रभावित क्षेत्र में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावित मार्गों पर नियमित यातायात पेट्रोलिंग एवं निगरानी की जाती है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" ]**

## मंडी बोर्ड को जिला महासमुंद से प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**39. ( क्र. 795 ) श्रीमती चातुरी नन्द :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** मंडी बोर्ड को जिला महासमुंद की विभिन्न कृषि उपज मंडियों से वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 20/06/2026 तक विपणन विकास निधि के रुप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार बतावें? मंडी बोर्ड द्वारा किन-किन निर्माण/अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्यों हेतु राशि स्वीकृत की जाती है? उपरोक्त वर्षों में मंडी बोर्ड द्वारा किन-किन प्रकार के कार्यों हेतु कुल कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? विधानसभावार बतावें? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र हेतु किस-किस प्रकार की कुल कितनी राशि के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार बतावें? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य प्रारंभ, कितने अप्रारंभ तथा कितने निर्माणाधीन हैं? कितने कार्यों की निविदा आंमत्रित की गई ? कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20/06/2026 तक लंबित है तथा कब तक दी जावेगी? समयावधि बतावें? **(ग)** क्या सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन एवं रंगमंच निर्माण कार्यों की स्वीकृति लंबित है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब से लंबित है और स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी ? समय सीमा सहित जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** मंडी बोर्ड को जिला महासमुन्द की कृषि उपज मंडी महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली से वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 20.06.2026 तक राज्य विपणन विकास निधि के रूप में कुल 3534.70 लाख की राशि प्राप्त हुई। मंडी बोर्ड को राज्य विपणन विकास निधि के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू. 1549.14 लाख, वर्ष 2025-26 में राशि रू. 1929.94 लाख एवं 2026-27 (दिनांक 20.06.2026 तक) में राशि रू. 55.62 लाख प्राप्त हुई। उपरोक्त वर्षों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में मंडी बोर्ड द्वारा राज्य विपणन विकास निधि एवं मंडी समिति निधि से हाटबाजार/धान उपार्जन केन्द्र/गोदाम, मंडी/उपमंडी प्रांगण में अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाएं, ग्रामों में मुख्य मार्ग से जोड़े जाने हेतु सड़क, सी.सी.रोड, पुल-पुलिया, किसान भवन, सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक मंच, शेड,

व्यावसायिक परिसर/दुकान के कार्यों हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। उपरोक्त वर्षों में मंडी बोर्ड द्वारा ग्राम पंचायत में कव्हर्डशेड, सामुदायिक भवन, रंगमंच, सी.सी.रोड, पुलिया, धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा, कव्हर्डशेड, 200 मे.टन गोदाम, अहाता एवं मंडी प्रांगण में 1800 मे.टन गोदाम निर्माण हेतु कुल राशि रू. 1664.07 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये, जिसके अंतर्गत विधानसभा महासमुन्द में राशि रू 454.44 लाख, विधानसभा खल्लारी में राशि रू. 216.86 लाख, विधानसभा बसना में राशि रू. 311.30 लाख एवं विधानसभा सरायपाली में राशि रू. 681.47 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायतों में सी.सी.रोड एवं सामुदायिक भवन की कुल राशि रू. 766.54 लाख के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** 34 स्वीकृत कार्यों में से 02 कार्य प्रारंभ/निर्माणाधीन, 04 कार्य अप्रारंभ तथा 08 कार्य पूर्ण हैं, 20 कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है। 34 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा किसी भी कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित नहीं है। **(ग)** सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन एवं रंगमंच निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिनांक को 24-06-2026 को दिए जाने के उपरांत मंडी बोर्ड द्वारा दिनांक 03.07.2026 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर" ]**

## प्रदेश में कृषि विभाग में चैंप्स प्रणाली के तहत अनुदान पर ट्रैक्टर प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**40. ( क्र. 801 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वर्ष 2024, 2025 एवं वर्ष 2026 दिनांक 20.06.2026 तक कृषि विभाग चैंप्स प्रणाली द्वारा ट्रैक्टर प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा कितने आवेदन किए गए? कंपनियों के द्वारा कितने कृषकों के ऑनलाइन आवेदन किए गए? जिलावार वर्षवार बताएं ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में कितने ट्रैक्टर पर अनुदान दिया गया? वर्षवार, जिलावार, कंपनीवार बताएं ? **(ग)** क्या इस ऑनलाइन प्रक्रिया में उक्तावधि में किसी विशेष कंपनी को लाभ देने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? जांचकर्ता व कार्यवाही का विवरण वर्षवार, प्रकरणवार, जिलावार बताएं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में वर्ष 2024, 2025 एवं वर्ष 2026 दिनांक 20.06.2026 तक ट्रैक्टर प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन एवं कंपनियों के द्वारा कृषकों के ऑनलाइन किए गए आवेदनों की जिलावार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से प्रश्नांश 'क' की अवधि में कृषकों को अनुदान पर वितरित ट्रैक्टर एवं अनुदान राशि की वर्षवार, जिलावार एवं कंपनीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** उक्त संबंध में कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कंपोनेंट-1) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ट्रैक्टर हेतु दिनांक 14.05.2025 को ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के संबंध में कंपनी विशेष को लाभ पहुँचाने हेतु अधिक संख्या में कृषकों के आवेदन किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्कालीन उप सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में प्रबंध संचालक, छ. ग. बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, संयुक्त संचालक वित्त संचालनालय कृषि एवं संयुक्त संचालक कृषि,छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को समाहित करते हुए, प्रारंभिक जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा पंजीयन में वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया नहीं होने, पिछड़े जिले को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता, पंजीयन को आधार मानकर लक्ष्य संशोधन किए जाने से संतुलित वितरण जिलों में नहीं होने तथा त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का नहीं होने संबंधी लेख किया गया था, जांच प्रतिवेदन के आधार पर एवं विधानसभा में दी गयी जानकारी के आधार पर शिकायत अवधि में

योजनांतर्गत ट्रैक्टर अनुदान हेतु ऑनलाइन प्राप्त कृषक आवेदनों को निरस्त कर पुनः नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही की गई। सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंजीनियरिंग, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर को संयोजक नियुक्त कर तथा संयुक्त निदेशक आई. टी.) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं जूनियर डेटाबेस एक्सपर्ट चिप्स को समाहित करते हुए तकनीकी जांच समिति भी गठित की गई। जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में मांगे गए सत्यापित एवं प्रमाणिक दस्तावेज तथा संबंधित तकनीकी लॉग्स प्राप्त नहीं होने से जांच हेतु निर्दिष्ट बिंदुओं से संबंधित किसी भी तकनीकी लाभ, हानि अथवा अनियमितता के संबंध में अंतिम एवं पुष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना संभव नहीं होने सम्बन्धी प्राप्त प्रतिवेदन पर आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## संस्कृति विभाग में विकास कार्य हेतु निर्धारित राशि

[संस्कृति]

**41. ( क्र. 803 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2025- 26 में विभाग हेतु कुल कितनी राशि बजट में स्वीकृत की गई है? उक्त बजट में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य के लिए पृथक-पृथक कितनी राशि निर्धारित की गई है ?वर्ष 2024 -25 की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि या कमी की गई है ? **(ख)**वर्ष 2025 -26 में महासमुंद जिले के धार्मिक न्यासों /मंदिरों /धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? स्वीकृत कार्यों पर अनुमानित लागत कितनी है? विकासखंडवार स्वीकृत कार्यों एवं राशि का विवरण प्रदान करें ? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 मार्च, 2026 तक कितनी बजट राशि व्यय की गई? कितनी राशि अप्रयुक्त है एवं उसके क्या कारण हैं? क्या विभाग द्वारा समयबद्ध व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है? **(घ)** वित्तीय वर्ष 2026 -2027 में कितना बजट स्वीकृत है एवं 20. 06.2026 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विकासखंडवार बताएं? वर्ष 2025-2026 की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि या कमी की गई है? बताएं?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग हेतु कुल राशि 40 करोड़ 52 लाख 46 हजार रूपये मात्र स्वीकृत की गई है। उक्त बजट में धार्मिक स्थलों के संरक्षण जिर्णोद्वार एवं विकास कार्य के लिए राशि रूपये 1 करोड़ 50 लाख निर्धारित की गई है। वर्ष 2024-25 की तुलना में बजट में 233.33 प्रतिशत वृद्धि की गई है। **(ख)** वर्ष 2025-26 में महासमुंद जिले के धार्मिक न्यासों मंदिरों/धार्मिक स्थलों के विकास हेतु संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)** संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 मार्च 2026 तक 22 करोड़ 40 लाख 37 हजार रूपये मात्र व्यय की गई। राशि रूपये 18 करोड़ 12 लाख 09 हजार मात्र अप्रयुक्त है। अप्रयुक्त राशि वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय एवं विभिन्न योजनओं से संबंधित हैं जिनमें आवश्यकता एवं शासन के निर्देशासनुसार मितव्ययता का पालन करते हुए किया गया है तथा पूँजिगत परिव्यय की परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण उपरांत तकनीकी कारणों से राशि अप्रयुक्त रही है। धर्मस्व विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 मार्च, 2026 तक महासमुन्द जिले को 13 मंदिर जीर्णोद्धार कार्यों हेतु राशि 65.00 लाख रू. आवंटित की गई थी जो व्यय नही की गई। उक्त राशि का आहरण नहीं किया जा सका है। पुनः आवंटन जारी करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।**(घ)** वित्तीय वर्ष-2026-27 में कुल बजट 34 करोड़ 40 लाख स्वीकृत है एवं 20.06.2026 तक कुल 4 करोड़ 21 लाख 88 हजार रूपये व्यय की जा चुकी है। महासमुंद जिले के किसी विकासखंड में व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2025-26 की तुलना में बजट में 15.11 प्रतिशत की कमी की गई है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर" ]**

**बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं वाले स्थलों के सर्वेक्षण एवं विकास की स्थिति**

[पर्यटन]

**42. ( क्र. 810 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत पाँच वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संभावित पर्यटन स्थलों के सर्वेक्षण, पहचान एवं विकास हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण दें? **(ख)** क्या विभाग द्वारा ऐसे स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संभावित पर्यटन स्थलों का पुनः सर्वेक्षण कर उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने तथा राज्य पर्यटन मानचित्र में शामिल करने हेतु कोई समयबद्ध कार्ययोजना बना रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** प्रश्नांकित अवधि में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित स्थलों के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है- **1**. राज्य शासन के घोषणा पत्र अनुसार 'गिरौदपुरी अमृत कुंड से पंचकुंडी होते हुए छातापहाड़ को सतनाम मार्ग के रुप में विकसित करने तथा गिरौदपुरी धाम एवं छाता पहाड़ को तीर्थ स्थल में विकसित करने हेतु जिला प्रशासन को रू. 128.20 लाख की स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किस्त में रू. 12.82 लाख जारी किया गया है। **2**. विकासखण्ड बिलाईगढ़ अंतर्गत स्थित ठाकुरदिया बांध क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने हेतु जिला कलेक्टर से निर्धारित मापदंड में स्थल के संबंध में विस्तृत जानकारी चाही गई है। निर्धारित मापदंड में स्थल के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार उसका परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। **3.** उक्त के अतिरिक्त बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ऐसे स्थलों, जिन्हें चिन्हांकित कर पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जा सकता है, का प्रस्ताव जिला प्रशासन से चाहा गया है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उसका परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। **(ख)** शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जायेंगी। **(ग)** उक्त क्षेत्र अंतर्गत स्थित ऐसे स्थलों, जिन्हें चिन्हांकन कर पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जा सकता है, ऐसे स्थलों का सर्वेक्षण / निरीक्षण कराकर निर्धारित प्रारुप में जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छात्रावासों हेतु स्थायी भवन निर्माण**

[आदिम जाति विकास]

**43. ( क्र. 811 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने आदिवासी छात्रावास स्वयं के भवन के अभाव में किराये के भवनों में संचालित हैं? छात्रावासवार विवरण दें? **(ख)** उक्त छात्रावासों के किराया भुगतान हेतु विगत पाँच वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है तथा उसी अवधि में स्थायी भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? **(ग)** जिन छात्रावासों के स्वयं के भवन उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए स्थायी भवन निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गए? कितने स्वीकृत हुए? कितने लंबित हैं तथा लंबित रहने के कारण क्या हैं? **(घ)** क्या शासन के संज्ञान में है कि कुछ छात्रावास नगर मुख्यालय के स्थान पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में किराये के भवनों में संचालित है? यदि हाँ, तो ऐसे छात्रावासों का विवरण, उन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने अथवा स्थायी भवन निर्माण की कार्ययोजना एवं समय-सीमा क्या है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत 05 आदिवासी छात्रावास वर्तमान में किराये के भवन में संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** वित्तीय वर्ष

2021-22 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कुल राशि - 43,80,054.00 रुपये का व्यय किया गया है। उक्त अवधि में स्थायी भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृति नहीं हुई है। अतः व्यय का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जिन छात्रावासों के स्वयं के भवन उपलब्ध नही है, उनके लिए स्थायी भवन निर्माण हेतु 02 प्रस्ताव भेजे गये जिनमें 02 स्वीकृत हुए। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला बलौदाबाजार भाटापारा एवं सारंगढ़ जिले के कोई भी छात्रावास नगर मुख्यालय के स्थान पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे संचालित नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी" ]**

## चारकोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों का निरीक्षण एवं कार्बन उत्सर्जन की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

**44. ( क्र. 816 ) श्री ओंकार साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी एवं रायपुर जिले में संचालित चारकोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों का वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? यूनिटवार एवं निरीक्षण विवरण दें? **(ख)** उक्त निरीक्षणों के दौरान संबंधित यूनिटों में कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) एवं अन्य प्रदूषण मानकों की जांच में निर्धारित मानकों की तुलना में उत्सर्जन का प्रतिशत/मात्रा कितनी पाई गई? यूनिटवार विवरण दें? **(ग)** क्या किसी यूनिट में निर्धारित पर्यावरणीय मानकों से अधिक कार्बन उत्सर्जन अथवा अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हाँ, तो संबंधित इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा जून, 2026 तक कि स्थिति क्या है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** अल्प प्रदूषणकारी होने के कारण चारकोल इकाईयों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार हरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित चारकोल उत्पादन इकाईयां अर्थ माउंड क्लिन प्रक्रिया पर आधारित हैं,जिनमें चिमनी की आवश्यकता नहीं होती है। उद्योग में चिमनी की आवश्यकता नहीं होने के कारण से उक्त निरीक्षण के दौरान कार्बन उत्सर्जन एवं अन्य प्रदूषण मानकों की जांच नहीं की गयी है। उक्त उद्योगों में औद्योगिक प्रक्रिया में जल की खपत नहीं होती है, औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। अतः उक्त निरीक्षण के दौरान दूषित जल की जांच नहीं की गयी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी" ]**

## राज्य में रेत खनन से संबंधित पर्यावरणीय नियमों के उल्लेघन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**45. ( क्र. 817 ) श्री ओंकार साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राज्य में संचालित रेत खदानों में से कितनी खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्रदान की गई है? जिला-वार विवरण दें? **(ख)** उक्त अवधि में रेत खनन से संबंधित पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन, प्रदूषण अथवा नदी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिला-वार एवं कार्यवाहीवार विवरण दें? **(ग)** क्या उक्त अवधि में पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर किसी रेत खदान के विरुद्ध नोटिस जारी करने, जुर्माना लगाने, संचालन प्रतिबंधित करने अथवा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जिला-वार एवं कार्यवाहीवार विवरण दें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में रेत खदानों हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** प्रश्नांश क की अवधि में रेत खनन से संबंधित

पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन, प्रदूषण अथवा नदी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने संबंधी कोई भी शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** प्रश्नांश क की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रेत खदानों के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी " ]**

## रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेजबहार हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित दीनदयाल आवास

[आवास एवं पर्यावरण]

**46. ( क्र. 827 ) श्री मोतीलाल साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ0ग0 हाउसिंग बोर्ड अंतर्गत सेजबहार में दीनदयाल आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत ले आउट के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कितने एलआईजी आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था एवं कितने का निर्माण किया गया ? **(ख)** निजी बिल्डर द्वारा मंडल की भूमि के हिस्से पर अवैध कब्जा कर सड़क निर्माण किये जाने की शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अंतर्गत सेजबहार में दीनदयाल आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत ले आउट के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुल 1435 एल.आई.जी. भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था एवं स्थल पर कुल 1366 भवनों का निर्माण कार्य किया गया है।**(ख)** मंडल कॉलोनी सेजबहार, फेस-01 के सीमांकन हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कार्यालय संभाग-3 रायपुर के पत्र दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से तहसीलदार, जिला रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा दिनांक 26.05.2026 को उक्त कॉलोनी का सीमांकन किया गया तथा सीमांकन प्रतिवेदन में भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के उपरांत मंडल द्वारा दिनांक 16.06.2026 को अनधिकृत रूप से निर्मित सड़क को हटाने की कार्यवाही की गई।

## मत्स्य महासंघ को प्रदाय किये गये जलाशय/मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र

[मछली पालन]

**47. ( क्र. 836 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 20 जून, 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ को कितने जलाशय/मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र शासन के द्वारा प्रदाय किये गये हैं? जलाशय/केन्द्रवार जानकारी देवें ? **(ख)** मत्स्य महासंघ को जलाशयों एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों में मछली बीज उत्पादन के लिये विगत 02 वर्षों में कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है? किन-किन जलाशयों में कितना-कितना मछली बीज डाला गया तथा कितना उत्पादन हुआ है? वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** कण्डिका 'क' के जलाशय/मत्स्यबीज उत्पादन केन्द्रों से दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 20 जून, 2026 तक कितनी आय प्राप्त हुई है तथा इस आय का उपयोग मछुआरों के हितार्थ/सहयोग हेतु कितना-कितना किया गया है? जलाशय/केन्द्रवार, वर्षवार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** दिनांक 20 जून, 2026 की स्थिति में शासन द्वारा नवीन मछलीपालन नीति, 2022 के बिन्दु क्रमांक 1.1.5 के तहत् क्रियान्वयन हेतु 1000 हैक्टेयर से अधिक के जलाशयों को निविदा के आधार पर पट्टे पर देने के निर्देश/प्रक्रिया के अनुसार मछलीपालन एवं मत्स्याखेट हेतु 13 जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ, मर्या., रायपुर के आधिपत्य में हैं एवं 5 मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र में से 3 राज्य शासन के द्वारा हस्तांतरित एवं 2 मत्स्य महासंघ के स्व-वित्त से निर्मित किए गए हैं, **विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** मत्स्य महासंघ को जलाशयों एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों में मछली बीज

उत्पादन के लिये विगत 02 वर्षों में स्वीकृत राशि की जानकारी निरंक है एवं जलाशयों में मछली बीज संचय तथा उत्पादन की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** कण्डिका 'क' के जलाशय से दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 20 जून, 2026 तक प्राप्त आय एवं मछुआरों के हितार्थ/सहयोग हेतु उपयोग में लाई गई राशि की जलाशयवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है एवं मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बयासी" ]**

## छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासों की गुणवत्ता की प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई

[आवास एवं पर्यावरण]

**48. ( क्र. 840 ) श्री दीपेश साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश में निर्मित विभिन्न श्रेणियों के आवासों में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आवंटियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो वर्षवार एवं जिलावार प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है? **(ख)** क्या उक्त तीन वर्षों की अवधि में मंडल द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में गंभीर तकनीकी कमियां, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग अथवा समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेकेदारों को दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो कितने ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया, कितनों की सुरक्षा निधि राजसात की गई अथवा आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया? ठेकेदारवार पूर्ण विवरण देवें ? **(ग)** क्या उक्त समयावधि में मंडल द्वारा निर्मित कॉलोनियों के भवनों में आधिपत्य सौंपने के कुछ समय बाद ही सीलन, दीवारों एवं बीम में दरारें आने तथा अन्य संरचनात्मक कमियों की शिकायतें मिली हैं? यदि हाँ, तो इन निर्माण दोषों को दूर करने तथा भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी, हां। वर्षवार एवं जिलावार प्राप्त शिकायतों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** उक्त तीन वर्षों की अवधि में मंडल द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में गंभीर तकनीकी कमियां, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग के संबंध में ठेकेदारों को दोषी नहीं पाया गया है, यद्यपि सामान्य टूटफूट अथवा समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेकेदारों को दोषी पाया गया है। काली सूची में डाले गये ठेकेदारों का विवरण निरंक है। सुरक्षा निधि राजसात किये गये ठेकेदारों का विवरणः मेसर्स जे.पी.एस. कन्स्ट्रक्शन। आर्थिक दंड अधिरोपित किये गये ठेकेदारों का विवरणः मेसर्स अमित जैन, मेसर्स शिव कृपा बिल्डकॉन, मेसर्स ओम सांई कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स एन. के. कन्स्ट्रक्शन ।**(ग)**जी हां, उक्त समयावधि में मंडल द्वारा निर्मित कॉलोनियों के भवनों में आधिपत्य सौंपने के कुछ समय बाद ही सीलन, दीवारों एवं बीम में दरारें आने तथा अन्य संरचनात्मक कमियों की शिकायतें मिली हैं। इन निर्माण दोषों को दूर करने तथा भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:- (1) प्राप्त शिकायतों का स्थल निरीक्षण कर परीक्षण कराया गया, दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत संबंधित ठेकेदारों से सभी आवश्यक सुधार कार्य कराए गए। (2) निर्माण कार्य के नियमित गुणवत्ता जांच, स्वीकृत ड्राइंग डिज़ाईन एवं विनिर्देश के अनुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। (3) निर्माण सामग्री की गुणवता के आवश्यकतानुसार परीक्षण एवं सत्यापन कराया जा रहा है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी" ]**

## हाउसिंग बोर्ड द्वारा श्रेणीवार निर्मित एवं आवंटित आवास

[आवास एवं पर्यावरण]

**49. ( क्र. 841 ) श्री दीपेश साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पिछले पाँच वर्षों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया तथा उनमें से कितनों का आबंटन किया

गया? **(ख)** निर्मित आवासों में से कितने अभी भी रिक्त पड़े हैं? इसका जिलेवार विवरण क्या है? **(ग)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिए श्रेणीवार कितने आवास निर्मित किए गए हैं? **(घ)** आवास आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं चयनित हितग्राहियों का पूर्ण विवरण क्या है? (**इ)** कितनी आवासीय परियोजनाएं अधूरी या बंद पड़ी हैं? इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** पिछले पाँच वर्षों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कुल 3504 मकानों का निर्माण किया गया तथा उनमें से 3323 का आबंटन किया गया हैं।**(ख)** निर्मित आवासों में से 181 रिक्त हैं। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ग)** प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिए श्रेणीवार आवास निर्मित किए गए हैं, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(घ)** आवास आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या 5054 है एवं चयनित हितग्राहियों की संख्या 3323 है, जिनका पूर्ण विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स अनुसार** है।**(इ)** पिछले 05 वर्षों में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की कोई भी आवासीय परियोजनाएं अधूरी या बंद पड़ी नहीं है। आवासीय परियोजनाओं हेतु पंजीयन प्राप्त होने पर निविदा के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है तथा इन्हें पूरा करने के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया**

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन]

**50. ( क्र. 851 ) श्री ललित चंद्राकर :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत निजी चिकित्सा व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम आदि में जन्म लेने वाले नवजात के जन्म का रजिस्ट्रीकरण करने की कार्यवाही प्रक्रिया क्या है ? **(ख)** क्या निजी चिकित्सा व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम आदि के संचालक एवं चिकित्सक जन्म रजिस्ट्रीकरण करने के लिए बाध्य हैं ? **(ग)** यदि हां, तो जन्म रजिस्ट्रीकरण कार्यवाही नहीं करने वाले चिकित्सक, व्यवसाय प्रबंधक और चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी देवें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम1969 (संशोधित अधिनियम 2023) व छत्तीसगढ़ राज्य जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2026 के तहत राज्य में निजी चिकित्सा व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम के संचालक को सूचनादाता घोषित किया गया है। जिस पंजीयन इकाई (ग्रामीण/नगरीय निकाय) के क्षेत्राधिकार में यह संस्थागत इकाई स्थित है, उससे संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को सूचना देने के उपरांत उक्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के अनुमोदन से प्रमाण पत्रजारी किया जाता है। **(ख)** उक्त नियमों के अधीन निजी चिकित्सा व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम के संचालक द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निर्धारितसमयावधि में सूचना दिया जाना बाध्य है। **(ग)** उक्त नियमों के अधीन निजी चिकित्सा व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम के संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं दिए जाने की स्थिति में प्रत्येक घटना के लिए धारा 23 के तहत 1000 रुपये की शास्ति निर्धारित है।

**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत एवं परिवाद दर्ज किये जाने संबंधी**

[आवास एवं पर्यावरण]

**51. ( क्र. 852 ) श्री ललित चंद्राकर :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध जन सामान्य के द्वारा शिकायत

एवं परिवाद दर्ज करवाये जाने की व्यवस्था है ? विवरण दें ? **(ख)** उक्त प्रश्न **(क)** का उत्तर यदि हां तो 2023-24, 2024-25, 2025-26 कुल 03 वर्षो में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों के पक्षकारों का विवरण व कृत कार्यवाही की जानकारी देवें ? **(ग)** उक्त प्रश्न **(ख)** का उत्तर यदि हां है तो की गई कार्यवाही विषयक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रशासकीय अधिकारी द्वारा तैयार किए गए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाइये ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी, हाँ । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जन सामान्य के द्वारा शिकायत एवं परिवाद दर्ज करवाये जाने की व्यवस्था है । मंडल में शासन के अन्य विभागों की तरह जन प्रतिनिधियों, शासन, जन दर्शन, सी.एम. हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से जन सामान्य द्वारा की गयी शिकायत प्राप्त की जाती है ।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ग)**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में किसी भी शिकायत संबंधी प्रकरण का जांच प्रतिवेदन प्रशासकीय अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, अपितु मंडल के अन्य अधिकारियों द्वारा शिकायत पर की गयी जांच का प्रतिवेदन प्रशासकीय अधिकारी द्वारा आयुक्त महोदय के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है । अतः जानकारी निरंक है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी" ]**

## खरीफ वर्ष 2026 हेतु उर्वरकों की उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**52. ( क्र. 862 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ वर्ष 2026 हेतु राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं अन्य उर्वरकों की कुल मांग कितनी निर्धारित की गई है तथा उसके विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा आवंटित की गई है? वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक की जिला-वार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** क्या राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध न होने, लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने अथवा मांग के अनुरूप खाद नहीं मिलने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो जिला-वार शिकायतों, उनके कारणों एवं निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें ? **(ग)** उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री रोकने हेतु विगत एक वर्ष में कितने निरीक्षण किए गए, कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा क्या कार्रवाई की गई? किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु शासन की वर्तमान कार्ययोजना का विवरण प्रदान करें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खरीफ 2026 हेतु राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी एवं एसएसपी की मांग/आबंटन की उर्वरकवार जानकारी तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2026 तक की गई आपूर्ति की उर्वरकवार जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | उर्वरक | मांग/आबंटन ( टन मे.) | आपूर्ति (टन मे.) |
|---|---|---|---|
| 1 | यूरिया | 725000 | 625201 |
| 2 | डीएपी | 300000 | 149874 |
| 3 | एनपीके | 250000 | 207304 |
| 4 | एमओपी | 80000 | 77847 |
| 5 | एसएसपी | 200000 | 256280 |
| योग | | **1555000** | **1316506** |

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में वितरण पश्चात् शेष उपलब्ध उर्वरक स्कंध की जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी नहीं। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** राज्य में विगत वित्तीय वर्ष 2025-26

अंतर्गत 6757 एवं खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 तक) 4337 निरीक्षण किये गये, जिसमें से उर्वरकों की कालाबाजारी/निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री एवं जमाखोरी की अनियमितता पाये जाने पर कुल 163 प्रकरण दर्ज कर उनमें से 47 का उर्वरक विक्रय अभिस्वीकृति पत्र निलंबन, 11 की अभिस्वीकृति निरस्त, 38 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत तथा 08 प्रकरण में एफआईआर की कार्यवाही की गई है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने से किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु राज्य में उपलब्ध उर्वरकों के समानुपातिक वितरण के दृष्टिकोण से जारी दिशा-निर्देश दिनांक 18.05.2026 की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**यूरिया वितरण के संबंध में जारी निर्देश को विलोपित करते हुए आवश्यकता अनुसार शत्-प्रतिशत यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 27.06.2026 को विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** विगत वर्ष कृषक द्वारा उठाव किये गये डी.ए.पी. उर्वरक का 60 प्रतिशत् मात्रा एवं शेष मात्रा वैकल्पिक उर्वरकों जैसे-एन.पी.के., एस.एस.पी. एवं नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।उर्वरक विक्रय सतर्कता अभियान चलाये जाने के हेतु जिलों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जिसके अनुपालन में जिलों में उड़नदस्ता दल, उर्वरक निरीक्षकों तथा मैदानी अमलों द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। संचालनालय कृषि द्वारा जारी निर्देश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी" ]**

## प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

**53. ( क्र. 863 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी नीतियां एवं प्रोत्साहन प्रावधान लागू हैं? विगत तीन वर्षों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों एवं स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें ? **(ख)** क्या राज्य के पर्यटन स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है? यदि हाँ, तो उसका विवरण उपलब्ध करायें ? **(ग)** राज्य में नए पर्यटन स्थलों की पहचान एवं विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकृत किए गए? **(घ)** राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन हेतु वर्तमान में कितने प्रशिक्षित गाइड, पर्यटक सूचना केंद्र एवं सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं? पर्यटन स्थलवार जानकारी प्रदान करें? जिन पर्यटन स्थलों पर गाइड अथवा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं अंतर्गत प्रोत्साहन प्रावधान लागू है। विगत तीन वर्षों में उद्योग संचालनालय, रायपुर एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर कुल 79 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 68 प्रस्तावों पर सैद्धांतिक स्वीकृति/इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी किए गए हैं। परियोजनावार निवेश प्रस्तावों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को कुल 01 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। विवरण **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है। **(ख)** राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु एक नई योजना "मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन" प्रारंभ की गयी है। इस योजना के लिये इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि रू. 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। **(ग)** राज्य में नए पर्यटन स्थलों की पहचान एवं विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में कुल 464 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से 23 प्रस्ताव विकास कार्यों के एवं 02 प्रस्ताव नए पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन के स्वीकृत किये गए हैं। **(घ)** राज्य के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को जानकारी एवं मार्गदर्शन देने हेतु 45 गाइडों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है एवं राज्य में प्रशिक्षित गाइडो की संख्या एवं पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थलवार

जानकारी **संलग्न प्रपत्र स** अनुसार है। पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नही कराये जाते है अतएव पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस द्वारा प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा संचालित होटल, मोटल, रिसॉर्ट में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है। आगामी वर्षों में प्रशिक्षण के माध्यम से और पर्यटक गाइड तैयार किये जाने प्रस्तावित है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - छियासी" ]**

## मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत राशि

[मछली पालन]

**54. ( क्र. 873 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ अंतर्गत जिला राजनांदगांव एवम खैरागढ़-छुईखदान-गँड़ई में वर्ष 2023 से जून, 2026 तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य बीज हैचरी. नर्सरी/बीज पालन, केज कल्चर, एक्वा कल्चर सिस्टम तथा अन्य मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा कितनी अनुदान राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई? वर्षवार ग्रामवार पूर्ण जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में मत्स्य पालकों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए? इनमें कितने मत्स्य पालकों ने भाग लिया तथा इस मद में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ग)** जिले की मछुआरा सहकारी समितियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी अनुदान राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई? संबंधित समितियों के नाम, राशि एवं उपयोगिता की वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें ? **(घ)** क्या जिले में संचालित केज कल्चर, मत्स्य पालन एवं अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी अथवा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हॉ, तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ अंतर्गत जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंड़ई में वर्ष 2023 से जून, 2026 तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य बीज हैचरी. नर्सरी/बीज पालन, केज कल्चर, एक्वा कल्चर सिस्टम तथा अन्य मत्स्य पालन गतिविधियों हेतु 243 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा राशि रू. 653.248 लाख अनुदान स्वीकृत एवं वितरित की गई, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** उक्त अवधि में मत्स्य पालकों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु 42 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 3073 मत्स्य पालकों ने भाग लिया तथा इस मद में राशि रू. 35.35 लाख व्यय की गई, वर्षवार विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** जिले की मछुआरा सहकारी समितियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि रू. 49.14 लाख अनुदान राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई संबंधित समितियों के नाम, राशि एवं उपयोगिता की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** जी हां, जिले में संचालित केज कल्चर, मत्स्य पालन एवं अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी अथवा भ्रष्टाचार संबंधी 05 शिकायतें प्राप्त हुई है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

## क्रय सामग्री का सत्यापन

[आदिम जाति विकास]

**55. ( क्र. 877 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला राजनांदगांव व KCG में विषयांतर्गतवर्ष 2024 जनवरी से 2026, जून तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आंबटन में कौन-कौन सी सामग्री किन-किन

फर्म/संस्था से क्रय की गई है? क्या क्रय की गई सामग्री को भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये जिला स्तरीय क्रय समिति से सत्यापन कराया गया है? अगर नहीं तो क्यों?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जानकारी **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब''** अनुसार है। जी हां। क्रय की गई सामग्रियों को भंडार क्रय नियम का पालन करते हुये जिला स्तरीय क्रय समिति से सत्यापन कराया गया है।

**राज्य में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए जाने का प्रावधान**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**56. ( क्र. 881 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वर्तमान में कौन सा अधिनियम/नियम/आदेश लागू है ? उक्त अधिनियम के तहत उर्वरक विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं ? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें ? **(ख)** जिला राजनांदगांव में कितने अनुज्ञप्तिधारी अधिकृत उर्वरक विक्रेता पंजीकृत हैं ? विगत 3 वर्षों में अधिनियम/नियम/आदेश का पालन नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारी, गैर अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाहियों की विक्रेतावार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? कितने अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस, विक्रय प्रतिबंध, उर्वरक जब्ती, अनुज्ञप्ति निलंबन, अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण तथा दर्ज एफआईआर के प्रकरणों की जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' जिला में विगत 3 वर्षों में कितने मामलों में जब्त/राजसात किये गये उर्वरकों का वितरण किसानों को किया गया है साथ ही अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय के प्रकरणों में कितने अनुज्ञप्तिधारी विक्रताओं के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है ? वर्षवार, विक्रेतावार, विकासखंडवार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** राज्य में उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वर्तमान में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 लागू है। उक्त आदेश के खण्ड 8(3) के तहत् उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक विक्रय अभिस्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** वर्तमान में जिला राजनांदगांव में कुल 612 अधिकृत उर्वरक विक्रेता पंजीकृत हैं। विगत तीन वर्षों यथा 2023-24, 2024-2025 एवं 2025-26 में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का पालन नहीं करने वाले अभिस्वीकृति प्राप्त एवं गैर अभिस्वीकृति धारी विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की वर्षवार, विकासखंडवार एवं विक्रेतावार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है।** अभिस्वीकृतिधारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस, विक्रय प्रतिबंध, उर्वरक जब्ती, निलंबन, निरस्तीकरण तथा दर्ज एफ.आई.आर. की वर्षवार, विकासखण्डवार, विक्रेतावार संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश "ख" के जिला राजनांदगांव में विगत तीन वर्षों यथा 2023-24, 2024-25, 2025-26 में कुल 18 प्रकरणों में उर्वरकों की जप्ति/राजसात की गई है, 2 प्रकरणों में उर्वरकों का वितरण किसानों को किया गया है, जिसकी वर्षवार, विकासखंडवार, विक्रेतावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** विगत तीन वर्षों में अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय के प्रकरण में 1 अभिस्वीकृति धारी विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिसकी वर्षवार, विकासखंडवार, विक्रेतावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई अनुसार है।**

**मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित कार्यक्रम**

[आदिम जाति विकास]

**57. ( क्र. 883 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राज्य में मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना लागू की गयी हैं? यदि हॉ, तो इस योजना के तहत किन किन

कार्यक्रमों या योजनाओं को शामिल किया गया है? इस योजना के तहत संचालित कार्यक्रमों में विगत 3 वर्षो में कितने छात्रों/हितग्राहियों ने प्रवेश लिया है एवं उन्हें कौन-कौन सी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है? वर्षवार, जिलावार, योजनावार छात्रवार दी गयी सुविधाएं/सामग्री/प्रोत्साहन राशि, चयनित छात्रों का नाम एवं चयनित संस्था व पाठ्यक्रम की जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हॉ। राज्य में मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्रदाय योजना एवं आर्थिक सहायता योजना को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत् संचालित कार्यक्रमों में विगत 03 वर्षो में 15915 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। प्रवेशित छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क आवास, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, खेल-कूद सामग्री, लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं, जेईई (मेंस/एडवांस)/नीट/सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए/क्लैट/पीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग इत्यादि सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है**।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी" ]**

## सहायक पशु चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद

[पशुधन विकास]

**58. ( क्र. 890 ) श्री भोलाराम साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किः- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में स्वीकृत सहायक पशु चिकित्सक के कुल कितने पद हैं? इनमें से कितने पद कार्यरत एवं कितने पद रिक्त हैं? विकासखण्डवार, संस्थावार जानकारी देवें? **(ख)** क्या सहायक पशु चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण पशुओं के उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? यदि हाँ, तो इसके निराकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कब-कब प्रस्ताव भेजे गए हैं? पदपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सभी रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 101 पद स्वीकृत हैं 58 पद कार्यरत तथा 43 पद रिक्त हैं तथा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 30 पद स्वीकृत 27 पद कार्यरत तथा 03 पद रिक्त हैं विधानसभावार संस्थावार **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)** जी नहीं। **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 100 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई है, भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पदों को भरने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठासी" ]**

## कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**59. ( क्र. 891 ) श्री भोलाराम साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किः- **(क)** वर्ष 2024-25 जून, 2026 तक राज्य में कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं ? योजनावार स्वीकृत, आबंटित एवं व्यय राशि की जानकारी वर्षवार, जिलेवार देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में योजनावार कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? जिला एवं योजनावार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** क्या विभाग की कुछ योजनाओं में पात्र किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाने तथा लक्ष्य

के अनुरूप उपलब्धि नहीं होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की जांच एवं की गई कार्रवाई का विवरण जिलेवार,विकासखण्डवार देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**

## आदिम जाति कल्याण विभाग मोहला-मानपुर-अं.चौकी को प्राप्त आबंटन एवं व्यय

[आदिम जाति विकास]

**60. ( क्र. 896 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 से जून 2026 तक आदिम जाति कल्याण विभाग, मोहला-मानपुर-अं.चौकी को किन-किन मदो में कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आबंटन से किन-किन मदों में कितना-कितना व्यय किया गया है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका ''क'' में प्राप्त आबटंन के विरू़द्ध कौन-कौन से मदों में कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से फर्म से किस माध्यम से क्रय की गई है? क्रय की गई सामग्री को कौन-कौन से छात्रावास/आश्रमों को कितनी-कितनी सामग्री कब-कब वितरित की गई? जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क) जानकारी ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ'' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' में प्राप्त आवंटन से क्रय की गई सामग्री, मात्रा, फर्म तथा क्रय के माध्यम की **जानकारी ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब'' अनुसा**र है। क्रय की गई सामग्री को छात्रावास/आश्रमों में किये गये वितरण की छात्रावासवार **जानकारी ''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स'' अनुसार संलग्न** है।

## राज्य में खरीफ सीजन हेतु किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज की उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**61. ( क्र. 901 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि राज्य में वर्तमान खरीफ सीजन हेतु किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो जिलेवार विस्तृत जानकारी देवे? **(ख)** राज्य में पिछले तीन वर्षों में किसानों को वितरित किए गए उर्वरक एवं प्रमाणित बीजों के जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कितने किसानों ने बीमा कराया तथा कितने किसानों को दावा राशि प्राप्त हुई है? जिलेवार जानकारी देवें? **(घ)** राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा उनसे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? क्या सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर रही है? यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित किसानों की संख्या एवं अनुदान राशि की जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वैश्विक परिस्थितियों के कारण वर्तमान खरीफ वर्ष 2026 में आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, यद्यपि उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। उर्वरकों के लक्ष्य तथा दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में भण्डारण (उपलब्धता) की जिलावार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** खरीफ वर्ष 2026 में बीज की निर्धारित मांग 4,95,006 क्विंटल के विरुद्ध दिनांक 06.07.2026 की स्थिति में 4,72,975 क्विंटल बीज का भण्डारण हो चुका है। जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** राज्य में पिछले तीन वर्षों यथा 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में खरीफ एवं रबी मौसम में वितरित किए गए रासायनिक उर्वरकों एवं प्रमाणित बीजों की जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं द अनुसार है। (ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना अंतर्गत पिछले तीन वर्षों यथा मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में बीमित किसानों की संख्या एवं बीमित पात्र किसानों को प्राप्त दावा राशि की जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।** **(घ)** राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना एवं राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजना संचालित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों यथा 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत कुल 41,297 कृषक एवं राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजना अंतर्गत 30,500 कृषक, इस प्रकार कुल 71,797 लाभान्वित हुए है। जी हाँ, राज्य में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों यथा 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में आधुनिक कृषि यंत्रों पर कुल 86,438 लाभान्वित किसानों को कुल राशि रू. 45,689.04 लाख का अनुदान दिया गया है। लाभान्वित किसानों की संख्या एवं अनुदान राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क अनुसार है।**

## विभागान्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[आदिम जाति विकास]

**62. ( क्र. 906 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभागांतर्गत आदिम जाति विकास विभाग में संचालित संस्थायें (आश्रम, छात्रावास, प्रशिक्षण संस्थान, खेल परिसर) एवं इन संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतनभोगी के कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति बतावें ? **(ख)** विगत् 05 वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं नवीन भर्तियों की वर्षवार जिलेवार जानकारी दें? **(ग)** ऐसी कितनी संस्थायें हैं जहां चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत हैं लेकिन कार्यरत संख्या शून्य है ? कृपया जानकारी देवें ? **(घ)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय प्रस्तावित कार्ययोजना एवं की जा रही कार्यवाही की जानकादी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** प्रश्नांश के संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के 'दैनिक वेतनभोगी' कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हैं।**(ख)** जानकारी **''संलग्न प्रपत्र''** अनुसार है।**(ग)** ऐसी कोई संस्थाएं नहीं हैं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।**(घ)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सभी जिलों से वर्गवार रिक्तियों का संकलन किया जा रहा है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - नवासी" ]

## विधानसभा क्षेत्र बस्तर में देवस्थलों एवं पुरातात्विक/ ऐतिहासिक भवनों का रखरखाव

[संस्कृति]

**63. ( क्र. 907 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत विभागान्तर्गत कौन-कौन से देवस्थल एवं ऐतिहासिक/ पुरातात्विक भवन अथवा स्थल हैं ? कृपया बतावें ? **(ख)** इन स्थलों के लिए विभाग के द्वारा प्रावधानित कार्य सहित विगत् 05 वर्षों में इनके रखरखाव हेतु बंटित/स्वीकृत व व्यय की गई राशि (व्यय की गई राशि किन-किन कार्यों के लिए) के संबंध में जानकारी देवें ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) :(क)** विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत विभागान्तर्गत **राज्य संरक्षित स्मारक - देवस्थल एवं ऐतिहासिक/ पुरातात्विक स्थल निरंक** है।महादेव मंदिर, बस्तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल के अंतर्गत एक केन्द्रीय स्मारक है और यह बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल रायपुर द्वारा इस स्मारक में संरक्षण एवं रख-रखाव कार्य समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।विधान सभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत निम्नानुसार देवस्थल एवं

ऐतिहासिक/पुरातात्विक भवन स्थित हैः-1 शिव मंदिर बस्तर - 11 वीं शताब्दी।2 शिव पार्वती मंदिर पातरी बकावण्ड- 11वीं से 14वीं शताब्दी।3 शिव मंदिर को सभी बकावण्ड- 11वीं से 12वीं शताब्दी।उक्त देवस्थल के विवरण के संबंध में **संलग्र प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है।**(ख)** इन स्थलों के लिए छत्तीसगढ़ शासन, पुरातत्व विभाग के प्रावधानित कार्य निरंक है।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल के अंतर्गत एक केन्द्रीय स्मारक महादेव मंदिर, बस्तर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर सर्कल द्वारा पिछले पांच वर्षों में संरक्षण एवं रख रखाव हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर (आदिवासी विकास शाखा) की जानकारी अनुसार इन ऐतिहासिक स्थलों के लिए विगत 05 वर्षों में रख-रखाव हेतु किसी भी प्रकार का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः व्यय की गई राशि निरंक मान्य किया जावे। तथा देवस्थल हेतु 05 वर्षों में स्वीकृत एवं व्यय **संलग्र प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे" ]**

## बस्तर संभाग के अंतर्गत किसान सम्मान निधि हेतु प्राप्त आवेदन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**64. ( क्र. 913 ) श्री कवासी लखमा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2024 से जून, 2026 तक कुल कितने किसानों ने कृषि यंत्र हेतु आवेदन दिए हैं? विभाग द्वारा कितने किसानों को पात्र एवं अपात्र की श्रेणी में रखा गया है ? विवरण जिलेवार, वर्षवार देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने किसानों को कृषि यंत्र प्रदाय किया गया है ? कितने किसानों को प्रदाय क्यों नहीं किया गया है ? कारण सहित जानकारी जिलेवार देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2024 से जून, 2026 तक संचालनालय कृषि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु कुल 5995 कृषकों द्वारा आवेदन किया गया है। प्राप्त आवेदनों, पात्र एवं अपात्र कृषकों की वर्षवार, जिलेवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।**प्रश्नाधीन अवधि में ही संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि यंत्र क्रय करने हेतु कुल 365 किसानों ने कृषि यंत्र हेतु आवेदन दिए हैं। प्राप्त आवेदनों, पात्र एवं अपात्र कृषकों की वर्षवार, जिलेवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालनालय कृषि अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1123 कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये है। लाभांवित हितग्राहियों एवं शेष प्रकरणों की वर्षवार, जिलेवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र प्रपत्र-अ अनुसार है।**संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं आवेदन प्रस्तुत करने वाले सभी 365 किसानों को कृषि यंत्र प्रदाय किया गया है। अत: शेष जानकारी निरंक है।

## खसरा नंबरों की विसंगति के आधार पर प्लॉटिंग एवं कॉलोनी विकास अनुमति का प्रकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

**65. ( क्र. 922 ) श्री संदीप साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या रायपुर नगर निगम क्षेत्र के शहीद चूड़ामणि-वार्ड-क्रमांक-38, चिखलीडीह स्थित भूमि प.ह.न. 0052, खसरा क्रमांक 905, 906 एवं 907 के संबंध में ऐसा मामला शासन के संज्ञान में आया है, जिसमें स्वीकृत भूमि एवं राजस्व-अभिलेखों के खसरा-नंबरों में विसंगति होने की शिकायत प्राप्त हुई हो? **(ख)** उक्त भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत-लेआउट, कॉलोनी-विकास-अनुमति अथवा विकास-अनुज्ञा कब जारी की गई?स्वीकृति में उल्लेखित खसरा-नंबर, क्षेत्रफल एवं भूमि स्वामी का विवरण क्या है? **(ग)** क्या जांच में यह पाया

गया कि स्वीकृत-लेआउट में अंकित खसरा-नंबर एवं वास्तविक राजस्व अभिलेखों में दर्ज खसरा-नंबर अलग-अलग हैं?यदि हाँ,तो जांच-प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सहित विवरण दें? **(घ)** क्या संबंधित भूमि पर नगर तथा ग्राम-निवेश विभाग की अनुमति के बिना अथवा गलत खसरा-नंबरों के आधार पर प्लॉटों का विक्रय,नामांतरण अथवा निर्माण कार्य किया गया है?यदि हाँ,तो संबंधित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दें ? (ड.) क्या विभाग द्वारा लेआउट-स्वीकृति के पूर्व राजस्व-विभाग के डिजिटल-भू-अभिलेख (Bhuiyan/Bhu-Naksha) से अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है? यदि हाँ,तो कब से तथा यदि नहीं,तो इसके लिए क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** जी हाँ, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा तहसीलदार रायपुर को भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रदान करने हेतु लेख किया गया है। वर्तमान में प्रकरण दर्ज कर विधिवत् जांच की जा रही है।**(ख)** उक्त भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अध्यक्ष समता गृह निर्माण समिति, रायपुर-म.प्र. को वर्ष 1984 में विकास अनुज्ञा जारी की गई थी, स्वीकृत अभिन्यास में खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल का विवरण दर्शित नहीं है।**(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।**(घ)**प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।(ड.)जी हॉ. छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश दिनांक 02.06.2025 के परिपालन में ले-आउट स्वीकृति के पूर्व राजस्व विभाग के डिजिटल भू-अभिलेख (भुईंया/भू-नक्शा) से सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है।

**<u>बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर जिले में छात्रावासों/आश्रमों की व्यवस्थाओं एवं की स्थिति</u>**

[आदिम जाति विकास]

**66. ( क्र. 923 ) श्री संदीप साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विभागीय समीक्षा में बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर जिलों में छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालन, रखरखाव तथा स्वीकृत बजट के उपयोग में अनियमितताएँ अथवा शिथिलता पाई गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है एवं क्या कार्यवाही दोषियों पर की गई ? जानकारी दे ? **(ख)** वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक उक्त दोनों जिलों में छात्रावासों एवं आश्रमों के रखरखाव, मरम्मत एवं अधोसंरचना-विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई? वर्षवार एवं जिलावार विवरण प्रदान करें ? **(ग)** वर्तमान में बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर जिले के कितने छात्रावास एवं आश्रम भवन मरम्मत, पेयजल, विद्युत, शौचालय, सीसीटीवी-कैमरा, अग्निशमन-यंत्र एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? संस्था-वार विवरण क्या है? **(घ)** क्या उक्त जिलों में छात्रावासों एवं आश्रमों के निर्माण अथवा मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है? (ड.) बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर जिले के छात्रावासों एवं आश्रमों में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु क्या समयबद्ध-कार्ययोजना बनाई गई है तथा इसके लिए कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी नहीं, विभागीय समीक्षा में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों के संचालन, रखरखाव तथा स्वीकृत बजट के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं शिथिलता नहीं पाई गई है। रायपुर जिले में स्वीकृत बजट के उपयोग में अनियमितता के अंतर्गत निर्माण मद हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग सामग्री क्रय (रोटी मेंकिंग मशीन क्रय) में किया जाना पाये जाने पर दोषी 02 अधिकारियों के विरूद्ध एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई है। **(ख)** जानकारी **प्रपत्र ''अ''** अनुसार **संलग्न** है। **(ग)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं

रायपुर के कोई भी छात्रावास एवं आश्रम पेयजल, विद्युत, शौचालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित नही है। आवश्यकता अनुसार भवनों के मरम्मत कार्य समय-समय पर कराये जाते है। सी.सी.टी.वी एवं अग्निशमन यंत्र विहीन छात्रावास/आश्रमों की जिलेवार एवं संस्थावार जानकारी **प्रपत्र ''ब''** अनुसार **संलग्न** है। **(घ)** जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड)** बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर जिले के छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालन, रखरखाव एवं लघु मरम्मत कार्य हेतु पूर्व वर्षों की भांति कार्यालय द्वारा विभिन्न मदों में आवंटन उपलब्ध कराया गया है। जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में प्राथमिकता अनुसार कार्य कराये जाते है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे" ]**

## धरसींवा विधानसभा अंतर्गत मछली पालक संस्थाओं/व्यक्तियों को विभाग द्वारा प्रदाय सहायता

[मछली पालन]

**67. ( क्र. 928 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत मछली पालन विभाग द्वारा जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक कितनी-कितनी राशि/अनुदान, कौन-कौन सी योजना अंतर्गत किस-किस हितग्राही/संस्था/सोसाईटी को प्रदान की गई? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार कितने कृषकों/हितग्राहियों एवं संस्थाओं को किस-किस दर पर कितना-कितना ऋण प्रदाय किया गया तथा वर्तमान समय तक तय ब्याज दर पर कितनी ऋण राशि की वसूली विभाग द्वारा कर ली गई है ? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या मछली पालक संस्थाओं एवं कृषकों को उनकी उपज/पैदावार अनुसार पर्याप्त बजार उपल्ब्ध कराये जाने की कोई विभागीय कार्ययोजना चलन में है ? यदि हां तो जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत मछली पालन विभाग द्वारा जनवरी, 2024 से जून, 2026 तक प्रदाय अनुदान राशि रू. 103.07 लाख एवं योजना अंतर्गत लाभान्वित 661 हितग्राही/संस्था/सोसाईटी की विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार मछली पालन विभाग में मत्स्य कृषकों को ऋण प्रदाय करने की कोई योजना संचालित नहीं है, अतः ऋण राशि की वसूली का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार मछली पालक संस्थाओं एवं कृषकों को उनकी उपज/पैदावार अनुसार पर्याप्त बाजार उपल्ब्ध कराये जाने की कोई विभागीय कार्ययोजना चलन में नहीं है।

## प्रदूषण संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) की रिपोर्ट पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**68. ( क्र. 929 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) ने राज्य के प्रमुख शहरों में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर माह दिसम्बर, 2025 से फरवरी, 2026 के मध्य में जांच के कोई आदेश या रिपोर्ट प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो क्या और इस पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** रायपुर, भिलाई एवं कोरबा सहित बड़े नगरों में वायु एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम को लेकर क्या उपाय किये जा रहे हैं ? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अंकित शहरों में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 (पी.एम.2.5) एवं पर्टिकुलेट मैटर 10 (पी.एम.10) प्रदूषण की कितनी-कितनी हिस्सेदारी किन-किन क्षेत्रों की दर्ज की गई है तथा इन प्रदूषण कारकों से सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं एवं मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना होती है ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल, द्वारा ओ.ए.

नंबर, 175/2025 में दिनांक 16/01/2026 को राज्य के रायपुर, भिलाई एवं कोरबा शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा हेतु समिति गठित कर जाँच के आदेश दिए गए थे। गठित समिति द्वारा रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. के समक्ष दिनांक 05.04.2026 को प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।**(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं :- (1)औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना किया जाना(2)घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट / सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाना (3) शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखा जाना (4) वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई.एस.पी.) /बैग फ़िल्टर / सायक्लोन डस्ट कलेक्टर/ वेट स्क्रबर / जल छिडकाव किया जाना (5) सघन वृक्षारोपण किया जाना। प्रदूषण कारी उद्योगों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण दौरान अनियमितता या उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना एवं आवश्यकता अनुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रायपुर, भिलाई एवं कोरबा सहित बड़े नगरों में वायु एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु सडको का डामरीकरण, फूटपाथ निर्माण, पेविंग कार्य, वृक्षारोपण, विद्युत वाहनों (ई.वी) हेतु चार्जिंग स्टेशनो की स्थापना, प्रदूषण-मुक्त शवदाह गृह इकाइयों का निर्माण, सड़को के सफाई हेतु स्वीपिंग मशीन एवं मिस्टिंग वाहन आपूर्ति, वर्टिकल गार्डन का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं का उन्नयन एवं दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जनजागरूकता बढ़ने के लिए सुचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन के कार्य किये जा रहे है।**(ग)** प्रश्नांक 'ख' में अंकित शहरों में राष्ट्रीय वायु मापन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में 06 स्थानों पर, दुर्ग-भिलाई में 03 स्थानों पर तथा कोरबा में 04 स्थानों पर वायु मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान किये गए वायु मापन में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 (पी.एम. 2.5) एवं पर्टिकुलेट मैटर 10 (पी.एम. 10) की मात्रा की मासिक औसत मान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। वायु मापन रिपोर्ट में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 (पी.एम. 2.5) एवं पर्टिकुलेट मैटर 10 (पी.एम. 10) की मात्रा मानको के अनुरूप पाई गयी है। अतः क्षेत्र प्रभावित होने की स्थिति नहीं है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे श्वसन एवं हृदय रोग, आंख व त्वचा सम्बन्धी एलर्जी, ध्वनि प्रदूषण, तनाव, उच्च रक्तचाप तथा जल जनित रोग एवं अन्य गंभीर बीमारियाँ की बढ़ने की संभावना होती है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बयानबे" ]**

## बजटीय आबंटन के विरूद्ध व्यय राशि

[वित्त]

**69. ( क्र. 936 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की प्रथम तिमाही में स्वीकृत बजट के विरूद्ध आबंटित व्यय राशि की जानकारी विभागवार देवें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की प्रथम तिमाही में स्वीकृत बजट के विरूद्ध आबंटित व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरानबे" ]**

**उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को पैक हाउस एवं शेडनेट हाउस हेतु प्रदत्त अनुदान**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**70. ( क्र. 941 ) श्रीमती विद्यावती सिदार :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़, सूरजपुर एवं एम.सी.बी. जिले में वर्ष 2024 से जून, 2026 तक उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को पैक हाउस एवं शेड नेट हाउस के लिए कितने-कितने हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किए गए थे ? कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी ? कितने हितग्राहियों को स्वीकृति एवं कार्य पूर्ण होने के बाद भी अनुदान की राशि विभाग द्वारा नहीं दी गई है तथा क्यों ? स्वीकृति प्राप्तकर्त्ता शेष हितग्राही को कब तक अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ? जानकारी जिलेवार, हितग्राहियों के नाम, पता सहित जानकारी दीजिए ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** कृषि (उद्यान) विभाग अंतर्गत वर्ष 2024 से जून 2026 तक रायगढ़, सूरजपुर एवं एम.सी.बी. जिले में पैक हाउस हेतु 63 तथा शेडनेट हाउस हेतु 39 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किए गए थे। पैक हाउस हेतु 53 हितग्राहियों को राशि रू. 105.92 लाख तथा शेडनेट हाउस हेतु 39 हितग्राहियों को राशि रू. 355.00 लाख की अनुदान राशि प्रदान की गई है। विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** पैक हाउस के 10 स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में 8 हितग्राहियों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने तथा 2 हितग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक कार्य पूर्ण नहीं करने एवं भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में जारी नवीन मार्गदर्शिका में उक्त घटक सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। शेडनेट हाउस के हितग्राहियों का अनुदान लंबित नहीं है। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में जारी नवीन मार्गदर्शिका में पूर्व में निर्धारित मापदंड का पैक हाउस घटक सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुदान राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। हितग्राही के नाम, पता सहित जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।**

**मत्स्य महासंघ को मछली पालन के ठेकों/पट्टे/रायल्टी से आय**

[मछली पालन]

**71. ( क्र. 954 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ को मछली पालन तथा मत्स्याखेट हेतु कौन-कौन से जलाशय सौंपे गये हैं ? उनके औसत जलक्षेत्र सहित बताएं ? इन जलाशयों से 2022-23 से 2025-26 तक उत्पादन तथा कितनी-कितनी आय वर्षवार हुई ? **(ख)** उपरोक्त जलाशय से प्राप्त आय की राशि में से कितनी-कितनी राशि मछुआरों को बोनस के रूप में, शासन को रायल्टी के रूप में तथा महासंघ को 2020-21 से 2025-26 तक वर्षवार प्राप्त हुई? **(ग)** ठेकेदार के द्वारा मछुआरों को पारिश्रमिक का भुगतान वर्तमान में किन दरों से किया जाता है? 2020-21 से 2025-26 तक कितना भुगतान किया गया ? वर्षवार बताएं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ को शासन द्वारा नवीन मछलीपालन नीति, 2022 के बिन्दु क्रमांक 1.5 के तहत् क्रियान्वयन हेतु 1000 हैक्टेयर से अधिक के जलाशयों/बैराजों को मछली पालन तथा मत्स्याखेट के लिए निविदा के आधार पर पट्टे पर देने हेतु सौंपे गए कुल 13 जलाशयों के औसत जलक्षेत्र एवं इन जलाशयों से 2022-23 से 2025-26 तक उत्पादन तथा आय की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक उपरोक्त जलाशयों से प्राप्त आय की राशि में से मछुआरों को बोनस के रूप में, शासन को रायल्टी के रूप में तथा महासंघ को प्राप्त आय की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** नवीन मछलीपालन नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देश/प्रक्रिया के बिन्दु क्रमांक 1.1.5 के उप कण्डिका 18 में वर्णित श्रेणीवार निर्धारित पारिश्रमिक

दर के अनुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है निर्धारित पारिश्रमिक दर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** ठेकेदार द्वारा मछुआरों को पारिश्रमिक भुगतान की जानकारी छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ के पास उपलब्ध नहीं है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौरानबे" ]**

## भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा के विकास कार्यों के संबंध में

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

**72. ( क्र. 967 ) श्री इंद्र साव :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा के विकास के लिए जून, 2026 तक कब-कब, किस-किस विकास कार्य/निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? वर्षवार विकास कार्य/निर्माण कार्यो तथा स्वीकृत राशि की जानकारी बताएं ? **(ख)** कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा में सर्वसुविधायुक्त धर्मशाला तथा महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक-पृथक शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष बजट 2026-27 में राशि स्वीकृति है? यदि हां तो कब तक जारी की जावेगी? यदि नहीं तो उक्त राशि का प्रावधान कब किया जावेगा?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा के विकास के लिए जून 2026 तक स्वीकृत विकास/निर्माण कार्यो की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)** जानकारी "निरंक" है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पंचानबे" ]**

## राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**73. ( क्र. 970 ) श्री इंद्र साव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राज्य में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) हेतु वर्ष 2022 से जून, 2026 तक जिलेवार कब-कब, कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों, खरीदी आदि के लिए किया गया है ? जिलेवार, मंडीवार, वर्षवार, कार्यवार, भुगतानवार, दिनांकवार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) हेतु वर्ष 2022 से जून, 2026 तक केन्द्र सरकार से कोई भी राशि ई-नाम से जुड़ी मंडी समितियों को प्राप्त नहीं हुई है, राशि प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्नांश का उत्तर निरंक है।

## रायपुर जिला अंतर्गत मंडी बोर्ड से स्वीकृत किए गए कार्य एवं उनकी वर्तमान स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**74. ( क्र. 971 ) श्री सुनील कुमार सोनी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2025-26 में रायपुर जिला अंतर्गत मंडी बोर्ड से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं एवं इन कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ हैं? विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावे? अपूर्ण एवं अप्रारंभ की स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कृपया कारण सहित बतावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** वर्ष 2025-26 में रायपुर जिला अंतर्गत मंडी बोर्ड से सी.सी.रोड़, नाली निर्माण, कव्हर्ड शेड, किसान कुटीर, सामुदायिक भवन, एवं बाउण्ड्रीवाल के कार्य स्वीकृत

किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में से सी.सी.रोड़ का 01 कार्य पूर्ण, कव्हर्ड शेड के 12 कार्य अपूर्ण, 10 कार्य अप्रारंभ, किसान कुटीर के 05 कार्य अप्रारंभ, सामुदायिक भवन के 12 कार्य में से 01 कार्य पूर्ण, 03 कार्य अपूर्ण, 08 कार्य अप्रारंभ एवं बाउण्ड्रीवाल का 01 कार्य अपूर्ण हैं। विधानसभावार पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की कारण सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**
[ संलग्न "परिशिष्ट - छियानबे" ]

## छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना की वर्तमान स्थिति

[पर्यटन]

**75. ( क्र. 972 ) श्री सुनील कुमार सोनी :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना कब एवं किस हेतु बनाई गई थी ? इस हेतु शासन द्वारा प्रारंभिक चरण में कितनी राशि का प्रावधान किया गया ? इस पूरी योजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ? इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ? कितने शक्ति पीठों को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जा चुका है ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) :** छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना श्रदालुओं को एक सुरक्षित, राज्य के 05 प्रमुख शक्तिपीठों सूरजपुर के कुदरगढ़ में मां बागेश्वरीदेवी मंदिर, चन्द्रपुर में मां चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर में मां महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर की तीर्थयात्रा में आम जनता के लिये सुगम बनाने के उद्देश्य से है। इस योजना में यात्रियों के लिए शक्तिपीठों के दर्शन आराम दायक एवं रात्रि विश्राम हेतु ठहरने, दैनिक भोजन की सुविधा होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 05 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त पांचों शक्तिपीठों को समाहित कर धार्मिक पर्यटन सर्किट (Pilgrimage Circuit) का निर्माण किया जा रहा है। उक्त सर्किट के मार्ग, दूरी भ्रमण अवधि, आवासीय व्यवस्था, स्थानीय दर्शनीय स्थलों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का परीक्षण एवं अंतिम रूप प्रदान कर योजना के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश, पात्रता, पंजीयन, वित्तीय प्रावधान संचालन व्यवस्था एवं अन्य कार्यवाही प्रकियाधीन है।प्रदेश के शक्तिपीठों मां बम्लेश्वरी देवी मदिर डोंगरगढ़, मां दंतेश्वरी देवी मंदिर-दंतेवाड़ा, मां महामाया देवी मंदिर-रतनपुर, मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर-चन्द्रपुर एवं मां कुदरगढ़ी देवी मंदिर-कुदरगढ़ को शक्तिपीठ सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

## संयोजक के पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन

[आदिम जाति विकास]

**76. ( क्र. 980 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या आदिवासी विकास विभाग द्वारा 14/07/2023 को संयोजक पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है? यदि हां, तो परीक्षा तिथि कब जारी की गयी है? **(ख)** क्या उक्त विज्ञापित पद पर परीक्षा का आयोजन किया गया है? यदि हां तो कब, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं की गयी है? जानकारी दीजिए। **(ग)** प्रश्न ''क'' के अनुसार विज्ञापित पद के विरूद्ध कितने प्रतिभागियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्रति आवेदक से कितना शुल्क और उक्त परीक्षा हेतु समस्त प्रतिभागियों से कुल कितना शुल्क प्राप्त हुआ है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हॉ, जारी विज्ञापन में परीक्षा की संभावित तिथि 27.08.2023 उल्लेखित की गई थी। परन्तु अपरिहार्य कारण से स्थगित किया गया।**(ख)** जी नहीं, जारी विज्ञापन को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किए जाने के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है।**(ग)** प्रश्नांश ''क''

के अनुसार विज्ञापित पद के विरुद्ध कुल 189 प्रतिभागियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है।

## मण्डल संयोजक के भर्ती हेतु जारी विज्ञापन

[आदिम जाति विकास]

**77. ( क्र. 981 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2023 में आदिवासी विभाग द्वारा मण्डल संयोजक पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां, तो उसकी भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं किया जा रही है? **(ख)** क्या मण्डल संयोजक के पद के विरूद्ध स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षाकों को नियुक्ति दी गयी है? यदि हां, तो किस आधार पर उन्हें नियुक्त किया गया है? जानकारी दे? **(ग)** क्या **(ख)** प्रश्नानुसार जो पदस्थ शिक्षक हैं, उन्हें युक्ति-युक्तकरण के माध्यम से विद्यालय में पदस्थ क्यों नहीं किया गया है? **(घ)** क्या शासन के आदेश के तहत् छात्रावास/विभागीय लिपकीय संवर्गीय कर्मचारी को उक्त पद के विरूद्ध प्रभार दिए जाना है? यदि हां, तो शिक्षकों को मण्डल संयोजक का प्रभार कैसे दिया गया है? जानकारी देवें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हॉ, उक्त विज्ञापन को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई।**(ख)** जी नहीं, विभाग में मण्डल संयोजक के पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अस्थायी रुप से शिक्षकों को मण्डल संयोजक का कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किया गया है।**(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर में दर्शित अनुसार शिक्षकों को कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किए जाने के कारण उन्हें युक्तियुक्तकरण के माध्यम से विद्यालयों में पदस्थ नहीं किया गया है।**(घ)** जी हॉ, शासन निर्देश के तहत जिलों में छात्रावास अधीक्षक एवं लिपिक संवर्गीय कर्मचारी की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण शिक्षकों को उनके विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत अस्थायी रुप से मण्डल संयोजक का प्रभार दिया गया है।

## जिला बिलासपुर अंतर्गत मत्स्य पालन योजनाओं का क्रियान्वयन

[मछली पालन]

**78. ( क्र. 983 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला-बिलासपुर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विकासखण्डवार कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? योजनावार, विकासखण्डवार एवं राशि सहित जानकारी दें? **(ख)** बिलासपुर जिले के अंतर्गत किन-किन तालाबों एवं जलाशयों का मत्स्य पालन हेतु पट्टा दिया गया है? विकासखंडवार पट्टाधारियों का नाम, पट्टे की अवधि एवं प्रश्नांश **(क)** अवधि में प्राप्त राजस्व की जानकारी दें? **(ग)** कोटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में मत्स्य विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों, उनकी लागत एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जिला-बिलासपुर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 1518 हितग्राहियों एवं 2025-26 में 1346 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजनावार, विकासखण्डवार एवं अनुदान राशि सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** बिलासपुर जिले के अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिए तालाबों एवं जलाशयों की विकासखंडवार पट्टाधारियों का नाम, पट्टे की अवधि एवं प्रश्नांश **(क)** अवधि में प्राप्त राजस्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** कोटा

विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में मत्स्य विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों, उनकी लागत एवं वर्तमान स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

## पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाए

[आवास एवं पर्यावरण]

**79. ( क्र. 984 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में विगत 3 वर्षों में वायु एवं जल प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा है? तीन वर्षों में जिलेवार वायु एवं जल गुणवत्ता की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपायों का विवरण दें। **(ख)** राज्य में पिछले तीन वर्षों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? जिलेवार एवं मदवार जानकारी दें। **(ग)** बिलासपुर जिले एवं कोटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में पर्यावरण संरक्षण, नदी एवं तालाब संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा हरित क्षेत्र विकास के लिए स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी दें।

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)**राज्य में विगत 3 वर्षों में जल एवं वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ नहीं पाया गया है। वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये परिवेशीय वायु मापन रिपोर्ट की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये प्रमुख नदियों का जल गुणवत्ता रिपोर्ट की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गए उपाय का विवरण निम्नानुसार हैं :-(1) वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई.एस.पी.) / बैग फ़िल्टर / सायक्लोन डस्ट कलेक्टर/ वेट स्क्रबर की स्थापना एवं जल छिडकाव किया जाना । (2) औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना । (3) घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट / सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना । (4) शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखा जाना। (5) सघन वृक्षारोपण किया जाना । प्रदूषण कारी उद्योगों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण दौरान अनियमितता या उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना एवं आवश्यकता अनुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सडको का डामरीकरण, फूटपाथ निर्माण, वृक्षारोपण, विद्युत वाहनों (ई.वी) हेतु चार्जिंग स्टेशनो की स्थापना, सड़को के सफाई हेतु स्वीपिंग मशीन एवं मिस्टिंग वाहन आपूर्ति। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(ख)**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए पिछले 3 वर्षों में कोई राशि स्वीकृत एवं व्यय नहीं की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत राशि एवं व्यय की गयी राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(ग)**बिलासपुर जिले एवं कोटा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, नदी एवं तालाब संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा हरित क्षेत्र विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

## आदिम जाति उपयोजना बजट के डायवर्जन, पेसा (PESA) नियमों के उल्लंघन

[आदिम जाति विकास]

**80. ( क्र. 992 ) श्री भूपेश बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 'आदिम जाति उपयोजना' (Tribal Sub-Plan) के तहत विशेष बजटीय मद की कितनी राशि को नियमों के विपरीत अन्य सामान्य प्रशासनिक एवं अधोसंरचना कार्यों में डायवर्ट किया गया? संभाग-वार (विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा) लैप्स हुई राशि का आधिकारिक डेटा क्या

है? **(ख)** क्या 'छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022' की धारा 4 व 6 के प्रावधानों को दरकिनार कर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बिना लिखित सहमति के कतिपय खनन व भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है? विगत दो वर्षों में विभाग को प्राप्त शिकायतों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई? **(ग)** जनवरी, 2024 से अप्रैल, 2026 के छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्रों के आवेदन निरस्त किए गए? क्या यह सच है कि निरस्तीकरण से पूर्व आवेदकों को 'अपील का वैधानिक अधिकार' (Right to Appeal) नहीं दिया गया?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में ''आदिम जाति उपयोजना''(Tribal Sub-Plan) के तहत विशेष बजटीय मद की राशि को नियमों के विपरीत अन्य सामान्य प्रशासनिक एवं अधोसंरचना कार्यो में डायवर्ट करने के संबंध में जानकारी निरंक है। संभाग-वार लैप्स/समर्पित हुई राशि की विभागवार वित्तीय वर्ष 2024-25 की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश ''ख'' से संबंधित नोडल विभाग पंचायत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त संबंध में जानकारी निरंक है। **(ग)** जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 की अवधि में राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कुल 1709 व्यक्तिगत वन अधिकार एवं 165 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के आवेदन निरस्त हुए है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के निरस्त आवेदनों की संख्या निरंक है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 में दावाकर्ताओं को उनके दावों के ग्रामसभा स्तर पर अमान्य होने की स्थिति में उपखण्ड स्तरीय समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अमान्य किए जाने पर जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरस्तीकरण से पूर्व आवेदकों को अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया गया है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सन्तानबे" ]**

## कॉलोनाइज़रों द्वारा हितग्राहियों को मकान न देने एवं राशि न लौटाने पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**81. ( क्र. 994 ) श्री रिकेश सेन :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई निजी कॉलोनाइज़रों द्वारा प्रोजेक्ट पूर्ण न करने के बावजूद हितग्राहियों से पूरी राशि वसूल ली गई है, परंतु उन्हें आज दिनांक तक मकान का आधिपत्य (पज़ेशन) नहीं सौंपा गया है और न ही उनकी राशि लौटाई जा रही है? यदि हाँ, तो विभाग के पास विगत तीन वर्षों में ऐसे प्रकरणों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कॉलोनाइज़र-वार सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार ऐसे डिफाल्टर कॉलोनाइज़रों के खिलाफ कार्रवाई करने और हितग्राहियों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई गाइडलाइन या नियम हैं? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कार्य योजना है ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जिन पीड़ित हितग्राहियों को मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें पैसा वापस कराने या मकान का पज़ेशन दिलाने के लिए विभाग द्वारा क्या ठोस पहल की जा रही है? **(घ)** क्या विभाग दोषी कॉलोनाइज़रों के खिलाफ रेरा के नियमों के तहत या एफ.आई.आर. दर्ज कराकर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की दंडात्मक कार्रवाई कब तक की जावेगी?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** विगत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन दुर्ग जिला अंतर्गत मकान का आधिपत्य (पज़ेशन) सौंपें जाने के संबंध में 14 प्रकरण प्राप्त हुई है, जिसमें से 13 प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किया गया है एवं 01 प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रक्रियाधीन है। रेरा में स्थानीय निकायवार प्रकरण दर्ज नहीं

किया जाता है । आवेदक/अनावेदक का नाम एवं पता, प्रकरण क्रमांक, दिनाक, कार्यवाही सहित**जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार**है।**(ख)** हितग्राहियों के हितों की रक्षा हेतु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा- 11, 17, 18 एवं 31 में उपबंध है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अधीन आबंटित (हितग्राही) प्राधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकते है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)** जिन पीड़ित हितग्राहियों को मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें पैसा वापस कराने या मकान का पज़ेशन दिलाने आबंटिती द्वारा अधिनियम की धारा- 31 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने पर अर्धन्यायिक प्रक्रिया में भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा- 11, 12 17, 18 एवं 19 के अधीन सुनवाई कर गुणदोष पर यथोचित कार्यवाही (आदेश) पारित किया जाता है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(घ)** भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन प्राधिकरण को कॉलोनाइज़रों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने का उपबंध नहीं है । प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर धारा -60 , 61 एवं 63 के अधीन प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए सुनवाई उपरांत समुचित शास्ति अधिरोपण का क्षेत्राधिकार है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन में क्रियान्वयन अधिकारी जो की प्राधिकरण के न्याय निर्णायक अधिकारी होते है उन्हें क्रियान्वयन में सिविल कोर्ट की डिक्री की भांति अधिकार है । यह सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

## सुपेला भिलाई के पशु चिकित्सालय का भवन

[पशुधन विकास]

**82. ( क्र. 995 ) श्री रिकेश सेन :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुपेला भिलाई पशु चिकित्सालय का भवन अत्यंत जर्जर व क्षतिग्रस्त स्थिति में है, यदि हाँ, तो इस भवन के जीर्णोद्धार या नवीन निर्माण की क्या कोई योजना है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार उक्त चिकित्सालय में ऑपरेशन रूम, डॉक्टर रूम व शल्य चिकित्सा के संसाधनों की उपलब्धता तथा पशु चिकित्सा सहायक विशेषज्ञों के पदों की वृद्धि कर पदस्थापना कब तक की जाएगी? **(ग)** क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर की शासकीय भूमि पर सर्वसुविधायुक्त नए पशु चिकित्सालय भवन निर्माण मांग शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो बजट का प्रावधान कब तक किया जाएगा?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ। उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला-दुर्ग के पत्र दिनांक 10.04.2026 द्वारा पशु चिकित्सालय सुपेला-भिलाई के नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी नहीं।

## जशपुर जिला में वन अधिकार पट्टा का वितरण

[आदिम जाति विकास]

**83. ( क्र. 999 ) श्रीमती गोमती साय :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** वन अधिकार कानून के तहत जशपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 15 जून, 2026 तक सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने ग्राम पंचायतों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया, वर्षवार एवं ग्रामवार सूची दे? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में कितने प्रकरण, कहा॑-कहा॑॑ वर्षवार लंबित हैं, लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा, समयावधि

बतावें? **(ग)** वनांचलों के अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को उचां उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजना/कदम उठाये जा रहे हैं, क्या उन योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है, विवरण देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में जिले में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वनांचलों के अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा विभाग अंतर्गत 1. छात्रावास आश्रम योजना, 2. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (टयूशन) योजना, 3. ऑनलाईन शिष्यवृत्ति, 4. भोजन सहाय योजना, 5. खाद्यान्न सुरक्षा योजना, 6. स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना, 7. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, 8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 9. विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय का संचालन, 10. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना 11. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, 12. क्रीडा परिसर 13. राजीव युवा उत्थान योजना (ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली सहित), 14. अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना, 15. बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना, 16. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण योजना, 17. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना, 18. शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान/पुरस्कार, 19. गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान पुरस्कार, 20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना, 21. अंतर्जातीय विवाह, 22. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, 23. मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना 24. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) एवं 25.धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के नियम-16 के तहत वन अधिकार पत्र धारकों को दावा पश्चात सहायता एवं सहयोग दिए जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - अन्ठानबे" ]**

## अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदत्त अनुदान सहायता राशि

[आदिम जाति विकास]

**84. ( क्र. 1004 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान सहायता राशि किस प्रक्रिया के तहत प्रदान की जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विगत 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई है एवं आबंटन के अनुरूप कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** रायपुर संभाग अंतर्गत अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में जिलों के द्वारा कितनी अनुदान सहायता राशि हेतु प्रस्तावित कार्य योजना उच्च कार्यालय को प्रेषित की गई है कितने कार्य हेतु स्वीकृति एवं आबंटन प्राप्त हुआ है? विकासखंड वार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** क्या प्रश्नांश अवधि के दौरान जिलों के द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के अनुरूप उन्हें आबंटन प्राप्त होना शेष है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? **(ड)** क्या जिलों को विगत वर्षों के शेष लंबित राशि का भुगतान किया जायेगा? अप्राप्त आबंटन हेतु कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :(क)** भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान सहायता

की राशि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला योजना एवं निगरानी समिति तथा विभिन्न विभागों एवं मान. जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (SLEC) की अनुशंसा उपरांत अनुशंसित कार्ययोजना प्रस्ताव को भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। तत् पश्चात भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC) द्वारा अनुमोदन उपरांत कार्यों की स्वीकृति/आबंटन भारत सरकार से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विगत 03 वर्ष में कुल राशि रू. 34415.66 लाख केंद्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में प्रदाय/आबंटित की गई है, जिसमें वर्ष 2023-24 में राशि रू. 15676.77 लाख, वर्ष 2024-25 में राशि रू. 14506.46 लाख तथा वर्ष 2025-26 में राशि रू. 4232.43 लाख आबंटित की गई है। विगत 03 वर्षों में कुल प्राप्त आबंटन के विरूद्ध कुल राशि रू. 11131.63 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्षवार विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है।**(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ, वर्ष 2025-26 में जिलों द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना में से स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से राशि रू.4232.43 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। राज्य हेतु स्वीकृत कार्ययोजना की राशि में से शेष राशि का आबंटन अप्राप्त है। **(ड)** जी हाँ। आबंटन भारत सरकार से प्राप्त होता है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[ संलग्न "परिशिष्ट - निन्यानबे" ]

## पंजीकृत कलाकारों की ग्रेडिंग, कार्यक्रमों के लंबित भुगतान

[संस्कृति]

**85. ( क्र. 1012 ) सुश्री लता उसेंडी :** क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकार एवं सांस्कृतिक दल के ग्रेडिंग का क्या प्रावधान है एवं अंतिम बार ग्रेडिंग कब की गई थी? वर्तमान में ग्रेडवार, जिलेवार, विधावार कितने कलाकार/दल पंजीकृत हैं, जानकारी देवे? **(ख)** शासन द्वारा विभिन्न विधाओं में पारंगत कलाकारों के उत्थान एवं कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित है? विगत 3 वर्षों में योजनावार कितने कलाकार लाभान्वित हुए तथा भविष्य की क्या कार्ययोजना है? **(ग)** विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा आयोजित एवं जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पश्चात विभाग को प्रेषित पत्रों के अनुसार कितने कलाकारों/संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं? उनमें से कितने कार्यक्रमों का भुगतान लंबित है, लंबित रहने के कारण क्या हैं, विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है एवं शेष भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? कार्यक्रमवार, राशिवार विवरण देवें।

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल ) : (क)** संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकार एवं सांस्कृतिक दल के ग्रेडिंग हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 सितंबर 2021 में प्रकाशित "छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम, 2021" बनाये गये हैं। अंतिम बार दिनांक 02 जुलाई 2026 को ग्रेडिंग की अनंतिम सूची जारी किया गया है। वर्तमान में विधावार, ग्रेडवार पंजीकृत कलाकार दल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** शासन द्वारा विभिन्न विधाओं में पारंगत कलाकारों के उत्थान एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाएं एवं विगत 03 वर्षों में योजनावार लाभान्वित कलाकारों का विवरण **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। भविष्य के लिये सांस्कृतिक पंचांग के अनुरूप राज्य के सभी 33 जिलों से 89 उत्सव/महोत्सव मेला/मड़ई चिन्हित किए गए हैं। स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नक्सल प्रभावित LWE जिलों में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु लोक कला, संस्कृति, परंपरा, पर्व, तीज त्यौहार, मेला-मड़ई, जात्रा, ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थलों कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से किया जावेगा। **(ग)** विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा आयोजित एवं जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पश्चात विभाग को प्रेषित

पत्रों के अनुसार कलाकारों/संस्थाओं द्वारा 10682 कार्यक्रम किए गए हैं। कुल 1197 कार्यक्रमों का भुगतान लंबित है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित थी। वर्तमान मे भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - सौ" ]**

## कोंडागांव जिले में शासकीय कुक्कुट पालन परिक्षेत्र की पुनर्स्थापना

[पशुधन विकास]

**86. ( क्र. 1013 ) सुश्री लता उसेंडी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** कोंडागांव जिले में शासकीय कुक्कुट पालन परिक्षेत्र की पुनर्स्थापना हेतु क्या विगत 02 वर्षों में शासन को कोई पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब-कब किनके किनके द्वारा प्राप्त हुआ एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है? वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। **(ख)** विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधित योजना का लाभ एवं पशु इलाज की व्यवस्था हेतु भवन एवं कर्मचारी का क्या-क्या प्रावधान है? बस्तर संभाग में उक्त सेटअप की वर्तमान स्थिति क्या है? जिलेवार, संख्यावार जानकारी देवें कि कितने पशु चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं, कितने पद स्वीकृत/रिक्त हैं एवं कितने भवनविहीन हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ,**जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।(ख)** विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधित योजना का लाभ एवं पशु इलाज हेतु शासन द्वारा संस्थाएं, भवन निर्माण एवं कर्मचारियों की पदस्थापना पशुधन संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार किए जाने का प्रावधान है, बस्तर संभाग में सेटअप की जिलेवार संचालित पशु चिकित्सालय/औषधालय, स्वीकृत एवं रिक्त पद की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** बस्तर संभाग में जिलेवार भवनविहीन संस्था की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।**
**[ संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ एक" ]**

## जिला सरगुजा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**87. ( क्र. 1016 ) श्री प्रबोध मिंज :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? संचालित योजनाओं में वर्ष 2023 से दिनांक 15.06.2026 तक कौन-कौन से मदों से राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त मदों से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं? स्वीकृत कार्यों के वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। **(ख)** क्या सरगुजा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना संचालित है तथा इनके अतिरिक्त महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम एवं जिला खनिज नीति के मद से कृषकों को लाभान्वित किया गया है? यदि हॉ, तो वर्ष 2023 से 15.06.2026 तक प्राप्त आबंटन एवं स्वीकृत कार्य की स्थिति की वर्षवार, योजनावार एवं मदवार जानकारी देवें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला सरगुजा में संचालित योजनाओं की जानकारी तथा संचालित योजनान्तर्गत प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राशि, स्वीकृत कार्य एवं कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** सरगुजा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना संचालित है तथा इसके अतिरिक्त मात्र जिला खनिज न्यास निधि मद से कृषकों को लाभान्वित किया गया है। संचालित योजनाओं के तहत प्राप्त आबंटन एवं कार्य की स्थिति तथा लाभान्वित कृषकों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
**[ संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ दो" ]**

## सरगुजा संभाग अंतर्गत मांझी समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाना

[आदिम जाति विकास]

**88. ( क्र. 1019 ) श्री रामकुमार टोप्पो :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या तारांकित संख्या 02 (क्र. 1653) दिनांक 26 फरवरी, 2024 में जानकारी दी गई थी कि "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने में जाति की मात्रात्रुटी संबंधी समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो त्रुटी संबंधी समस्या का निराकरण कब तक हो पायेगा? इस पर अब तक क्या प्रक्रिया की गई है? संपादित प्रक्रिया एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हां। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-16-03/2025/25-2 नवा रायपुर दिनांक 12.02.2025 के माध्यम से भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रकरण वर्तमान में भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

## जिला दन्तेवाड़ा में जैविक खेती को प्रोत्साहन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**89. ( क्र. 1021 ) श्री चैतराम अटामी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला दंतेवाड़ा में जैविक खेती से उत्पादित धान एवं रासायनिक विधि से उत्पादित धान का समर्थन मूल्य वर्तमान में समान है? यदि हॉ तो क्या जैविक खेती में किसानों को अधिक श्रम एवं लागत के एवज में समर्थन मूल्य समान होने के कारण उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है? **(ख)** जैविक खेती को प्रोत्साहित करने एवं जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से क्या शासन जैविक धान के लिए पृथक समर्थन मूल्य अथवा अतिरिक्त बोनस प्रदान करने पर विचार कर रही है? **(ग)** दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा अन्य कौन-कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हाँ, जिला दंतेवाड़ा में जैविक खेती से उत्पादित धान एवं रासायनिक विधि से उत्पादित धान का समर्थन मूल्य वर्तमान में समान है। रासायनिक विधि की तुलना में जैविक खेती में अपेक्षाकृत कम लागत आती है। जिले में उत्पादित जैविक उत्पाद को स्थानीय स्तर पर एफ.पी.ओ. के माध्यम से विक्रय कर कृषक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। **(ख)** जी नहीं। यद्यपि कृषक को उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के माध्यम से मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) किया जा रहा है, जिससे कृषकों को बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।**(ग)** जिला-दंतेवाड़ा में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग संचालित है। इनके अंतर्गत कृषकों के क्षमता विकास हेतु जैविक खेती आधारित कृषक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, जैविक प्रमाणीकरण सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपो में उत्पाद के प्रदर्शन तथा कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से अनुदान सहायता प्रदाय की जाती है।

## जिला दंतेवाड़ा में निर्माण कार्यो एवं सामग्री आपूर्ति का भुगतान

[आदिम जाति विकास]

**90. ( क्र. 1022 ) श्री चैतराम अटामी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** क्या जिला दंतेवाड़ा में विगत 05 वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्य तत्कालीन अधिकारियों द्वारा संबंधित ठेकेदारों से पूर्ण करा लिए गए हैं, किन्तु आज पर्यन्त उनके भुगतान लंबित हैं? यदि हॉ, तो जिले में ऐसे कितने

निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है? कार्यवार, ठेकेदारवार, वर्षवार एवं बकाया राशि का विवरण दे? **(ख)** क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया है, जिससे मूल कार्यों के भुगतान लंबित हो गए हैं? यदि हाँ, तो इसकी जांच हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** लंबित भुगतान की कुल राशि कितनी है तथा उसके भुगतान हेतु वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? लंबित भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है? समय-सीमा बतावे?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हॉ। जानकारी ''**संलग्न प्रपत्र**'' अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। जिला प्रशासन के संज्ञान मे आने पर जिला प्रशासन द्वारा जांच हेतु कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा जिला दंतेवाड़ा के आदेश क्रमांक/491/ आ0वि0/लेखा/2026-27 दंतेवाड़ा दिनांक 04.05.2026 के द्वारा अपर कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ग)** लंबित भुगतान की कुल राशि रू. 212.02 लाख है। वर्तमान में लंबित भुगतान हेतु प्रश्नांक ''ख'' अनुसार गठित जांच समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लंबित भुगतान जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार यथाशीघ्र किया जावेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ तीन" ]**

## जनजातीय विभाग द्वारा संचालित आवासीय शिक्षा, शिक्षण संसाधन सुविधायें

[आदिम जाति विकास]

**91. ( क्र. 1027 ) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं दूरस्थ जनजातीय ग्रामों, विशेषकर सोनहत, केल्हारी एवं भरतपुर विकासखंड के बैगा, गोंड एवं अन्य अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा, छात्रावास सुविधा, डिजिटल शिक्षण संसाधन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था व उपलब्धता अपेक्षित स्तर पर है? **(ख)** विगत तीन वर्षों में भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र में संचालित जनजातीय छात्रावासों, आश्रमों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या, स्वीकृत क्षमता तथा वास्तविक छात्र संख्या का विवरण दें? **(ग)** क्या शासन द्वारा क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन, छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन आवासीय सुविधाओं की स्थापना हेतु कोई कार्ययोजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दे?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क)** जी हां। **(ख)** विगत तीन वर्षो में भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में संचालित जनजातीय छात्रावास/आश्रमों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या, स्वीकृत क्षमता तथा वास्तविक छात्र संख्या की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-अ''** अनुसार है। **(ग)** जी हां। उक्त क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन, छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन आवासीय सुविधाओं हेतु धरती आबा योजना एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत कार्य वर्ष 2025-26 में स्वीकृति हुई है। जानकारी **''संलग्न प्रपत्र-ब''** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ चार" ]**

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 688) की जानकारी

प्रपत्र

## पट्टा आबंटन हेतु पात्रता की जानकारी

## नवीन मछली पालन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के कण्डिका क्रमांक 33

33. पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम:-

1. पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति एवं मछुआ समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता होगी।)
2. स्थानीय महिला स्व सहायता समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता) होगी।
3. ऐसे मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नात्कोत्तर हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह/समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने हेतु प्रथामिकता दी जावेगी।
5. गोधन न्याय योजना अन्तर्गत् निर्मित गौठान हेतु निर्मित तालाबों मे मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह द्वारा की जावेगी।

"मछुआ" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपनी आजिविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करता है। (वंशानुगत मछुआ जाति/धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह को प्राथमिकता क्रम में रखा जाएगा।

प्राथमिकता क्रम का आशय यह है कि जब प्रथम प्राथमिकता के लोग उपलब्ध नहीं होंगे अथवा आवष्यक सदस्य संख्या का अभाव होगा, तब ही द्वितीय प्राथमिकता के लोगों का समावेष किया जा सकेगा। इसी तरह ही तृतीय चतुर्थ एवं पंचम प्राथमिकता का विचार किया जा सकेगा।

33.2. शासन की स्पष्ट नीति है कि तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु निर्धारित प्राथमिकता क्रमानुसार ही इन तालाब/जलाशयों को स्थानीय मछुओं को प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य पालन हेतु पंचायते पट्टे पर आबंटित करेंगी किसी भी स्थिति में इन जलक्षेत्रों की नीलामी नहीं करेगा।

33.3. अनुसूचित जनजाति अधिसूचित जिला/क्षेत्र में उसी जाति/वर्ग के स्थानीय पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति/महिला स्व सहायता समूह/मछुआ समुह/मछुआ व्यक्ति को प्राथमिकताओं का पालन करते हुये उनकी आर्थिक बायेबिलिटी को भी ध्यान रख पंचायते पट्टा आबंटित करेगा।

33.4. यदि सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र के तालाब/जलाशय के परिधि में अन्य वर्ग (सामान्य/अ.ज.जा/अ.जा) की मछुआ सहकारी समिति पंजीकृत हों तो उन्हें समिति के पंजीकृत बायलॉज में वर्णित कार्यक्षेत्र के तालाबों को नीति में निहित निर्देशानुसार प्रथम प्राथमिकता होगी।

33.5. तालाब/जलाशय की परिधि में आने वाली उन्ही स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को प्राथमिकता रहेगी जिनके समिति गठन के समय पंजीकृत उपविधि में कार्यक्षेत्र ग्राम/ग्राम पंचायत का स्पष्ट उल्लेख हो।

33.6. यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक स्थानीय क्रियाशील पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियॉ है तो निर्धारित समयावधि में आवेदन देने की स्थिति में सबसे पुरानी क्रियाशील पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता होगी किंतु संबंधित तालाब/जलाशय समिति के उपविधि में वर्णित हो। यदि दोनों समिति के कार्यक्षेत्र में तालाब/जलाशय वर्णित न हो तो उक्त स्थिति में पुरानी समिति को प्राथमिकता होगी।

33.7. पंचायत ऐसे तालाब/जलाशय जिसमें पूर्व से ही सिंघाड़ा, ढेंस, कमल आदि की फसल ली जा रही है को मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा, ढेंस फसल के लिए उसी मछुआ समिति मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को जिसे मछली पालन हेतु पट्टा दिया जा रहा है, अतिरिक्त फसल हेतु अतिरिक्त पट्टा राशि लेकर सिंघाड़ा, ढेस उत्पादन के लिए पट्टा पर दिये जावे ताकि दोनो ही तरह की खेती में विवाद न हों।

33.8. कंण्डिका-2 में वर्णित प्राथमिकता क्रम में तालाब/जलाशय का आबंटन स्थानीय मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा ।

स्थानीय मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा।

33.9. मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 0.50 हेक्टर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 2.00 हेक्टर प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से दिया जा सकेगा ।

33.10. मछुआ सहकारी समिति को एक से अधिक तालाब ऊपर वर्णित अधिकतम औसत जलक्षेत्र सीमा तक आबंटित किया जा सकता है ।

33.11. शासन द्वारा उल्लेखित प्राथमिकता क्रम अनुरूप ही पंचायत स्थानीय पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति/पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह/मछुआ समूह/मछुआ व्यक्ति आबंटित करेगी और ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण विस्थापित हो गये है ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह/समिति को अथवा उस क्षेत्र में स्व सहायता समूह उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह मछुआ व्यक्ति को तालाब/जलाशय आबंटित करेगी।

नोडल अधिकारी विधानसभा
उप संचालक मछलीपालन
संचालनालय मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 848) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र | उपकरणों की सूची | खरीदी दर | फर्म का नाम | गारंटी अवधि | डेमो | क्रय माध्यम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑटोमैटिक बैटर ब्रेडिंग मशीन | 8,99,900.00 | एडवांस्ड लैबॅरेट्री सिस्टम्स | 1 साल | सभी उपकरणों का भुगतान 100 प्रतिशत बैंक के आधार पर एम.एस.एम.ई पोर्टल द्वारा किया गया तथा डेमो पश्चात् बैंक गारंटी को रिलीज किया गया। | गवर्नमेंट ई–मार्केटिंग (जेम) |
| 2 | मेकैनिकल फिश ड्रायर | 2,42,372.87 | | | | |
| 3 | फिश स्मोकिंग किल्न | 12,01,180.98 | | | | |
| 4 | फिश फिलेटिंग मशीन | 11,51,799.98 | | | | |
| 5 | फिश बॉल एंड कटलेट मेकिंग मशीन | 5,06,999.99 | | | | |
| 6 | फिश डी–स्केलिंग मशीन | 66,078.82 | | | | |
| 7 | डीप फ्रिज़र – 40*C | 2,97,360.00 | थर्मो टेक एक्विपमेंट्स | | | कोटेशन |
| 8 | आईसक्रिम सॉफ्टनर | 2,97,360.00 | | | | |
| 9 | होमोजिनाईज़र | 2,89,100.00 | जे.एस.के. मशीनरी | | | |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 164) की जानकारी

'प्रपत्र'

## //जॉच प्रतिवेदन//

**शिकायतः-** छल व कपट पूर्ण कार्य करने वाले पूर्व सरपंच श्रीमती केसर वर्मा पति खुबीराम वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने बाबत्।

**संदर्भः-** अनुविभागीय अधिकारी (रा) तिल्दा नेवरा के ज्ञापन कं./1166/वाचकं/अविअ/2025, तिल्दा नेवरा दिनांक 02.06.2025 एवं कृष्ण कुमार वर्मा एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम अल्दा।

--::0::--

दिनांक 06.06.2025 को शा.उ.मा.वि. अल्दा के प्रांगण में उपस्थित ग्रामवासियो के समक्ष जांच किया गया। शिकायतकर्ता उपस्थित, सचिव श्रीमती रंजीता वर्मा उपस्थित तथा पूर्व सरपंच श्रीमती केसर वर्मा पति खुबीराम वर्मा अनुपस्थित रहे। श्री रोहित चौहान पिता संतुराम ग्राम कोटवार द्वारा पूर्व सरपंच को बैठक में उपस्थित होने हेतु उनके निवास में भेजा गया किन्तु वे जांच दल के समक्ष उपस्थित नही हुई।

जांच के दौरान पूर्व उपसरपंच श्रीमती खेमिन बाई पति लखनलाल वर्मा, श्री मेघनाथ पिता शत्रुहन प्रसाद वर्मा पूर्व पंच वार्ड कमांक 05, श्री रामकरण वर्मा पिता गौकरण वर्मा पूर्व पंच, श्रीमती नेहा वर्मा पति गंभीर लाल वर्मा पूर्व पंच वार्ड कमांक 08, श्री मेघनाथ वर्मा पिता परदेशी वर्मा वर्तमान उपसरपंच, श्री रोहित चौहान पिता संतुराम ग्राम कोटवार सहित अन्य ग्रामवासियो का समक्ष में बयान लिया गया, जो शिकायत में उल्लेखित दिनांक 22.10.2024 की ग्रामसभा में उपस्थित थे। उक्त सभी के द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन में यह कहा गया है कि दिनांक 22.10.2024 को सम्पन्न ग्रामसभा की बैठक में मेसर्स बालाजी स्पंज एवं पावर प्राईवेट लिमिटेड को अनापत्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का एक मत से उपस्थित ग्रामसभा के सभी सदस्यो के द्वारा विरोध किया गया तथा उक्त कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया साथ ही मूल प्रस्ताव में लिखित अंतिम दो लाईन गलत तरीके से लिखी गई है, ऐसा सभी गवाहो ने अपने बयान में कहा है।

श्रीमती रंजीता वर्मा पति तुकेश्वर सिंह वर्मा सचिव ग्राम पंचायत अल्दा द्वारा भी अपने शपथ पूर्वक कथन में यह बयान दिया गया है कि दिनांक 22.10.2024 को सम्पन्न ग्राम सभा में उक्त कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके पश्चात् सचिव द्वारा कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर कर दिया गया था। कार्यवाही पंजी में प्रस्ताव की अंतिम दो लाईन किसके द्वारा लिखी गई है, इस संबंध में सचिव द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त श्री झंगलु जांगड़े पिता बोधी जांगड़े वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत अल्दा द्वारा भी उक्त कंपनी ग्राम पंचायत अल्दा में स्थापित करने के विरोध में बयान दर्ज कराया गया।

जांच दल का अभिमत – दिनांक 22.10.2024 को हुई ग्रामसभा में उपस्थित तत्कालीन पंचो, ग्रामीणो, सचिव, कोटवार के बयान से यह परिलक्षित होता है कि मेसर्स बालाजी स्पंज एवं पावर प्राईवेट लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सभी गवाहो के द्वारा कार्यवाही पंजी में लिखित अंतिम दो लाईन किसके द्वारा लिखी गई है इसकी जानकारी किसी को नहीं है।

अतः यह प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की ओर सादर सम्प्रेषित।

विपिन पटेल
नायब तहसीलदार
तहसील – तिल्दा नेवरा

विवेक गोस्वामी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत तिल्दा नेवरा

ज्योति मसियारे
तहसीलदार
तहसील – तिल्दा नेवरा

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 776) की जानकारी

प्रपत्र

# छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

पर्यटन भवन, इंदिरा गांधी मार्ग, रायपुर – 492 006

दूरभाष : (0771) 5066426, 5066427 फैक्स : (0771) 5066425 ई–मेल : tourism@cg.nic.in

क्र. 1521 /प.मं./2004 रायपुर, दिनांक : 09-06-04

## – : आदेश : –

चंद्रपुर, जिला–जांजगीर–चाम्पा में स्थित चंद्रहासनी देवी स्थल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है, जहां काफी संख्या में देशी–विदेशी धार्मिक श्रद्धालू प्रवास पर आते हैं ।

स्थल की धार्मिक विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन द्वारा चंद्रहासनी देवी स्थल, चंद्रपुर, जिला– जांजगीर–चाम्पा को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया जाता है ।

प्रबंध संचालक

पृ.क्र. 1522/प.मं./2004 रायपुर, दिनांक : 09-06-04

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय पर्यटन मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर उनकी टीप दिनांक 09.03.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ ।
3. प्रबंधक, चंद्रहासनी देवी मंदिर, चंद्रपुर, जिला – जांजगीर–चाम्पा ।

प्रबंध संचालक

परिशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 737) की जानकारी

प्रपत्र

| क. | नगर पंचायत | वितरित वन अधिकार पत्रों की जानकारी | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक का नाम | पति/पत्नी का नाम | पिता का नाम | संवर्ग का नाम (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, (सामान्य/अन्य) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अंतागढ़ | ओमप्रकाश | अनिमा | रविशंकर | अजजा |
| 2 | | जगदीश | कौशिल्या | सुन्दर | अजजा |
| 3 | | जयंती मांझी | उदय मांझी | — | अजजा |
| 4 | | यशोदा मांझी | उमेन्द्र मांझी | — | अजजा |
| 5 | | मन्नू राम | समरोतिन | आयतूराम | अजजा |
| 6 | | सरोज नेताम | मेहरू राम | — | अजजा |
| 7 | | श्री मंगलू पोटाई | श्रीमति सुगंधे पोटाई | श्री जुगरू पोटाई | अजजा |
| 8 | | श्रीमति मंगलदई नाग | श्री रामविलास नाग | — | अजजा |
| 9 | | श्री अखिलेश श्रीवास्तव | श्रीमति हेमलता श्रीवास्तव | श्री शंकरलाल श्रीवास्तव | सामान्य |
| 10 | | श्री विजय राम कुमेटी | श्रीमति फागोन्तिन कुमेटी | श्री जयराम कुमेटी | अजजा |
| 11 | | श्री मति राधाबाई पुड़ो | श्री हिरगूराम पुड़ो | — | अजजा |
| 12 | | श्रीमति सोनाबाई वर्मा | श्री कांशी वर्मा | श्री विशाली | अपिव |
| 13 | | श्रीमति सुमित्रा पोटाई | श्री रत्तुपोटाई | — | अजजा |
| 14 | | श्री अंकाल सिंह गावड़े | — | श्री बोयदोड़ गावड़े | अजजा |
| 15 | | प्रमिला तुरतुरिया | गजेन्द्र कुमार | — | अजा |
| 16 | | महेश रसिया | अनिता | सगनूराम | अपिव |
| 17 | | धनेश राम | सरिता | हजारी राम | अपिव |
| 18 | | जगदीश तेता | जानकी तेता | रामसिंह | अजजा |
| 19 | | बिदेसिंह परचापी | बुधनीबाई | मुरहाराम | अजजा |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 720) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिले में स्थापित एवं संचालित एकल एवं इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध ताप विद्युत इकाई से वर्ष 2025-26 में जनित होने वाले फ्लाई ऐश मात्रा

| क्र. | संयंत्रों का नाम व पता | फ्लाई ऐश की मात्रा प्रतिवर्ष (मी. टन) |
|---|---|---|
| | एकल ताप विद्युत संयंत्र | |
| 1. | मेसर्स जिंदल पॉवर लि. ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़ | 1,00,47,897.47 |
| 2. | मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, डोंगामहुआ केप्टिव पॉवर प्लांट, ग्राम-डोंगामौहा, जिला-रायगढ़ | 16,58,577.00 |
| 3. | मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तह.-पुसौर, जिला-रायगढ़ | 24,89,037.87 |
| 4. | मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़े भण्डार, छोटे भण्डार, जिला-रायगढ़ | 15,52,636.30 |
| 5. | मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्रा. लिमिटेड, ग्राम- भेंगारी, नवापारा, तह.-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ | 15,89,746.00 |
| 6. | मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़ | 14,95,663.62 |
| 7. | मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, जिला-रायगढ़ | 25,753.55 |
| 8. | मेसर्स रुकमणी पॉवर एण्ड स्टील लि. ग्राम-कुनकुनी, जिला-रायगढ़ | 13,415.35 |
| 9. | मेसर्स आर. आर. इनर्जी. लि. ग्राम-गढ़उमरिया, जिला-रायगढ़ | 32,758.00 |
| | इस्पात संयंत्र से सम्बद्ध ताप विद्युत इकाई | |
| 1. | मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़ | 5,01,694.00 |
| 2. | मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़ | 39,926.00 |
| 3. | मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, मौहापाली, तह. व जिला-रायगढ़ | 21,032.00 |
| 4. | मेसर्स एनआरव्हीएस स्टील लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ | 92,925.01 |
| 5. | मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, | 35,746.34 |

| | | |
|---|---|---|
| | जिला-रायगढ़ | |
| 6. | मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला-रायगढ़ | 3,46,073.64 |
| 7. | मेसर्स एम.एस.पी. स्पंज ऑयरन लिमिटेड ग्राम-मनुआपाली, जिला-रायगढ़ | 68,556.00 |
| 8. | मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़ | 25,566.07 |
| 9. | मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ | 1,53,384.00 |
| 10. | मेसर्स एम. एस. पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़ | 2,40,998.00 |
| 11. | मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़ | 50,909.86 |
| 12. | मेसर्स मां काली एलॉयस प्रा. लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़ | 42,537.64 |
| 13. | मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला रायगढ़ | 40,481.00 |
| 14. | मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्रा.लि., ग्राम-टेमटेमा, जिला-रायगढ़ | 70,539.68 |
| 15. | मेसर्स एन. आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़ | 67,390.86 |
| 16. | मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़ | 54,125.64 |
| 17. | मेसर्स बी. एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ | 50,277.88 |
| 18. | मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्रा. लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ | 25,883.13 |
| 19. | मेसर्स सन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़े गुमद, जिला-रायगढ़ | 34,236.00 |
| 20. | मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, ग्राम पंचायत लाखा, जिला-रायगढ़ | 44,240.70 |
| 21. | मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ | 22,459.38 |
| 22. | मेसर्स अग्रोहा स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, तहसील व जिला- रायगढ़ | 2,907.66 |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 752) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सीपत से विगत 03 वर्षों में उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा, उपयोग एवं निपटान की वर्षवार जानकारी -:

| वर्ष | कुल उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा (मीट्रिक टन) | सीमेंट निर्माण (मीट्रिक टन) | फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण (मीट्रिक टन) | भू-भराव (मीट्रिक टन) | सड़क निर्माण (मीट्रिक टन) | निष्क्रिय खदान भराव (मीट्रिक टन) | रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट कार्य (मीट्रिक टन) | कुल उपयोग (मीट्रिक टन) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 5353046 | 17333 | 387206 | 409222 | 4374853 | 231827 | 0 | 5420441 | ऐश डाईक में पूर्व से एकत्रित फ्लाई ऐश का निपटान भी किया जा रहा है। |
| 2024-25 | 5855626 | 107049 | 579274 | 705985 | 4096125 | 486010 | 5631 | 5980074 | |
| 2025-26 | 4617656 | 73790 | 592481 | 362985 | 3331796 | 372680 | 659 | 4734391 | |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- ब

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विगत 03 वर्षो (अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक) में उद्योग का किये गए निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्रवाई की वर्षवार जानकारी

| क्रमांक | निरीक्षण दिनांक | पाई गई स्थिति | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| | | वर्ष-2023-24 | |
| 1. | 23/05/2023 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही नहीं की गयी। |
| 2. | 18/08/2023 | परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम मानक से अधिक पाया गया। | दिनांक 21/09/2023 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया। |
| 3. | 28/08/2023 | नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्य किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 4. | 15/01/2024 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 5. | 28/03/2024 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| | | वर्ष-2024-25 | |
| 6. | 20/05/2024 | परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम मानक से अधिक पायी गयी। | दिनांक 26/06/2024 को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया। |
| 7. | 11/06/2024 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 8. | 19/06/2024 | परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम मानक से अधिक पायी गयी। | पत्र दिनांक 29/10/2024 के द्वारा राशि रूपये 30,000 /- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी। |
| 9. | 31/07/2024 | चिमनी उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम मानक के भीतर पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 10. | 19/10/2024 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 11. | 21/01/2025 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 12. | 05/02/2025 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| | | वर्ष-2025-26 | |
| 13. | 22/05/2025 | उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 14. | 28/05/2025 | ग्राम हरदाडीह में स्थित-ऐश डाईक में जल छिड़काव हेतु (राखड़ डैम) स्प्रींकलर्स एवं रेनगन स्थापित एवं संचालित पाया गया। | स्थिति सामान्य पायी गई। अतः कार्यवाही नहीं की गयी। |
| 15. | 12/06/2025 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 16. | 23/07/2025 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 17. | 29/08/2025 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 18. | 15/10/2025 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन का मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। | पत्र दिनांक 06/03/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित किया गया। |
| 19. | 21/01/2026 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 20. | 16/02/2026 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |
| 21. | 11/03/2026 | निरीक्षण के दौरान उद्योग की परिवेशीय वायु गुणवत्ता/चिमनी मापन में मॉनिटरिंग रिपोर्ट निर्धारित मानक से भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

**प्रपत्र- स**

एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं करते पाये जाने पर की गई कार्यवाही/अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में जानकारी

| क्र. | निरीक्षण दिनांक | पाई गई स्थिति | की गई कार्यवाही | जमा की गई क्षतिपूर्ति राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15/04/2024 | फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय फ्लाई ऐश (स्लरी युक्त) का सड़क मार्ग में रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 19/04/2024 के माध्यम से 1500/- रूपये/टन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 120000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 03/05/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 2. | 15/05/2024 | फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय फ्लाई ऐश (स्लरी युक्त) का सड़क मार्ग में रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 21/05/2024 के माध्यम से 1500/- रूपये/टन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 10/06/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 3. | 13/08/2024 | फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय फ्लाई ऐश (स्लरी युक्त) का सड़क मार्ग में रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 16/08/2024 के माध्यम से 1500/- रूपये/टन के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 30/09/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 4. | 11/09/2024 | एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 12/09/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 120000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 14/11/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 5. | 22/10/2024 | परिवहन के दौरान गीला फ्लाई ऐश का रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 28/10/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 14/11/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 6. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर का पत्र क्र. 4343 दिनांक 23/10/2024 के माध्यम से फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय रिसाव होने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूति राशि अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 28/10/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 120000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 14/11/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 7. | 17/11/2024 | परिवहन के दौरान सड़क मार्ग में गीला फ्लाई ऐश का रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 19/11/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 540000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 27/11/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का पत्र क्र .4886 दिनांक 21/11/2024 के माध्यम से फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय रिसाव होने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूति राशि अधिरोपित करने के हेतु प्राप्त पत्र। | फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 26/11/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 06/03/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 9. | 24/11/2024 | पूर्ण रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 03/12/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 240000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 15/01/2025, 27/01/2025, 12/02/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 10. | 26/11/2024 | पूर्ण रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाया गया। | | |
| 11. | 13/12/2024 | परिवहन के दौरान सड़क मार्ग पर गीला फ्लाई ऐश का रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 20/12/2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 180000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 03/01/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 12. | 02/01/2025 | परिवहन के दौरान सड़क मार्ग पर गीला फ्लाई ऐश का रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 09/01/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 12/03/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 13. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक 6977 दिनांक 05/02/2025 के माध्यम से समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 18/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 180000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 12/03/2025 के माध्यम से 1,20,000/-, पत्र दिनांक 06/03/2025 के माध्यम से 60,000/- क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। |
| 14. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा का पत्र क्रमांक 2859 दिनांक 12/02/2025 एवं पत्र क्रमांक 2872 दिनांक 12/02/2025 के माध्यम से एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढके बिना परिवहन किये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 420000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 18/03/2025 के माध्यम से 3,00,000/-एवं पत्र दिनांक 21/03/2025 के माध्यम से 1,20,000/- क्षतिपूर्ति रशि जमा की गई। |
| 15. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा का पत्र क्रमांक 2806 दिनांक 05/02/2025 के माध्यम से उचित ढंग से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं किये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60000 /- रूपयेअधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 16. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा का पत्र क्रमांक 3037 दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से उचित ढंग से | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2025 के |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं किये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | पाया गया। | पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 17. | 28/02/2025 | एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 04/03/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 120000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 19/03/2025 के माध्यम से 60,000/- तथा पत्र दिनांक 13/03/2025 के माध्यम से 60,000/- क्षतिपूर्ति रशि जमा की गई है। |
| 18. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर का पत्र क्रमांक 3152 दिनांक 20/03/2025 के माध्यम से एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं किये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 04/06/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 19. | 20/03/2025 | परिवहन के दौरान गीला फ्लाई ऐश का रिसाव होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 28/03/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 240000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 10/05/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 20. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा का पत्र क्रमांक 3314 दिनांक 26/03/2025 के माध्यम से एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं किये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 04/06/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 21. | 02/04/2025 | उचित ढंग से तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 15/04/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 10/05/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 22. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर का पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/04/2025 के माध्यम से समुचित रूप से एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 24/06/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 75000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 30/07/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 23. | 25/04/2025 | फ्लाई ऐश का परिवहन फटे हुए तारपोलिन से ढककर किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 05/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 240000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा यूनियन बैंक - डी.डी .क्रमांक 454240 दिनांक 16/05/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | 01/05/2025 | गीला फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय सड़क मार्ग पर फ्लाई ऐश उत्सर्जन पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 21/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 120000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 21/06/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 25. | 18/06/2025 | फटे हुए तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना पाया गया। जिससे फ्यूजीटिव डस्ट उत्सर्जन अवलोकित किया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 24/06/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि 60000/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 01/07/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 26. | 24/06/2025 | फ्लाई ऐश का परिवहन सड़क मार्ग में गिराते हुए किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 04/07/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 70500/- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 18/08/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 27. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक 2637 दिनांक 30/06/2025 के माध्यम से उचित ढंग से एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 19/09/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 60000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 20/11/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 28. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा का पत्र क्रमांक 2346 दिनांक 06/11/2025 के माध्यम से उचित ढंग से एस.ओ.पी .के अनुसार तारपोलिन से ढककर परिवहन किया जाना नहीं पाये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 120000 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 22/12/2025 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |
| 29. | क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का पत्र क्रमांक 5749 दिनांक 15/12/2025 के माध्यम से उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश का परिवहन करते समय फ्लाई ऐश को निरंतर सड़क मार्ग में गिराते पाये जाने के संबंध में उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्राप्त पत्र। | समुचित रूप से तारपोलिन से ढककर परिवहन नहीं होना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 22/12/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 66465 /- रूपये अधिरोपित की गई। | उद्योग द्वारा दिनांक 09/01/2026 के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है। |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 824) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्रं. 04 कौशल्या माता विहार अंतर्गत सेक्टर-03ए (ग्राम-बोरियाखुर्द, टिकरापारा एवं ग्राम-डूंडा) एवं सेक्टर-11ए एवं 11बी (ग्राम-डूण्डा) में स्थित अमोद-प्रमोद के भूमि की जानकारी

सेक्टर-3ए

1. ग्राम-बोरियाखुर्द -71, रा.नि.-रायपुर-14-बोरियाखुर्द

| स.क्रं. | खसरा क्रं. | प.ह.न. | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/मार्ग का नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194, 196/3, 194/4, 194/5, 194/6, 195, 196, 197 का भाग | 71 | बोरियाखुर्द (पुराना धमतरी रोड़) | 0.240 |

2. ग्राम-टिकरापारा -70, रा.नि.-रायपुर-11-टिकरापारा

| स.क्रं. | खसरा क्रं. | प.ह.न. | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/मार्ग का नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 682/1 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.549 |
| 2 | 680 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.124 |
| 3 | 682/2 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.590 |
| 4 | 682/3 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.947 |
| 5 | 701 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.387 |
| 6 | 689 | 70 (1) | टिकरापारा | 1.181 |
| 7 | 683 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.080 |
| 8 | 683/1 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.097 |
| 9 | 683/2 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.155 |
| 10 | 683/3 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.240 |
| 11 | 683/4 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.277 |
| 12 | 683/6 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.192 |
| 13 | 683/7 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.215 |
| 14 | 679 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.033 |
| 15 | 678 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.249 |
| 16 | 693 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.379 |
| 17 | 687/2 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.099 |
| 18 | 687/3 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.182 |
| 19 | 687/4 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.174 |
| 20 | 687/5 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.039 |
| 21 | 688/1 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.586 |
| 22 | 688/2 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.359 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 691 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.175 |
| 24 | 685 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.453 |
| 25 | 684 | 70 (1) | टिकरापारा | 1.358 |
| 26 | 686/1 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.788 |
| 27 | 686/2 | 70 (1) | टिकरापारा | 0.354 |
| | | | कुल क्षेत्रफल | 10.260 |

3. ग्राम-डूण्डा -72, रा.नि.-रायपुर-11-टिकरापारा

| स.क्रं. | खसरा क्रं. | प.ह.न. | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/मार्ग का नाम | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 4.006 |
| 2 | 4 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 8.570 |
| 3 | 5 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.253 |
| 4 | 98 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.001 |
| 5 | 6 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 4.068 |
| 6 | 7/2, | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.008 |
| 7 | 12/3, | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.108 |
| 8 | 8/1, 8/2, | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.084 |
| 9 | 8/3, | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.004 |
| 10 | 46/3, 46/4, | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.369 |
| 11 | 45 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.032 |
| 12 | 46/1, 46/5, 46/6 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.847 |
| 13 | 46/2 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.120 |
| 14 | 46/7 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.252 |
| 15 | 47 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.647 |
| 16 | 48/1 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.160 |
| 17 | 48/3 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.618 |
| 18 | 48/5 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.139 |
| 19 | 48/6 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.127 |
| 20 | 66/11, 48/8, 48/10, 48/4, 48/5 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.661 |
| 21 | 55 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.074 |
| 22 | 56 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.046 |
| 23 | 56/4 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.052 |
| 24 | 56/6 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.142 |
| 25 | 56/8 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.038 |
| 26 | 56/9 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.209 |
| 27 | 56/10 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.036 |
| 28 | 56/11 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.039 |
| 29 | 66/37 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 0.003 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल क्षेत्रफल | 21.713 |
| | | | | महायोग | 32.213 |
| | | | | | |

नोटः- शेष रकबा बोरिया तालाब के अंतर्गत है।

सेक्टर-11ए एवं 11बी

4 ग्राम-डूण्डा -72, रा.नि.-रायपुर-11-टिकरापारा

| स.क्रं. | खसरा क्रं. | प.ह.न. | मोहल्ला/कॉलोनी/सोसायटी/मार्ग का नाम | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 26.32 |
| 2 | 500/1 | 72 | डूण्डा (पुराना धमतरी रोड़) | 4.61 |
| | | | कुल क्षेत्रफल | 30.93 |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

**परिशिष्ट - नौ**

**तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 842) की जानकारी**

**प्रपत्र–अ**

प्रश्नांकित अवधि में निम्नलिखित स्थलों को विकसित किया जा रहा जिसकी जिलेवार संख्या एवं नाम की जानकारी निम्नानुसार है–

| क्र. | जिला | नये पर्यटन स्थलों की संख्या | स्थलों के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | राजनादगांव | 1 | ऐतिहासिक कबीर मंदिर/आश्रम परिसर ग्राम पेण्ड्री |
| 2 | बालोद | 3 | कुकुरदेव मंदिर ग्राम खपरी |
| 3 | | | ग्राम ओनाकोना |
| 4 | | | शिव मंदिर, ग्राम पलारी |
| 5 | धमतरी | 1 | नरहरा जलप्रपात |
| 6 | कोण्डागांव | 2 | कुएंमारी जलप्रपात |
| 7 | | | टाटामारी |
| 8 | बस्तर | 1 | धुड़मारास |
| 9 | रायपुर | 1 | प्राचीन ईटों का मंदिर, ग्राम नवागांव |
| 10 | बिलासपुर | 2 | शिव मंदिर, ग्राम गनियारी |
| 11 | | | विजयपुर किला, ग्राम विजयपुर |
| 12 | बलरामपुर | 1 | शिव मंदिर, ग्राम हर्राटोली (बेलसर) |
| 13 | सरगुजा | 1 | सतमहला मंदीर समूह, ग्राम कलचा–भदवाही |
| **नये पर्यटन स्थलों की कुल संख्या** | | **13** | |

प्रपत्र–ब

विगत तीन वर्षों में राज्य में आने वाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की वर्षवार एवं पृथक–पृथक संख्या की जानकारी

| स.क्र. | वर्ष | घरेलु पर्यटक | विदेशी पर्यटक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2,60,22,069 | 953 |
| 2 | 2024 | 3,14,87,900 | 3,485 |
| 3 | 2025 | 3,18,76,357 | 1,514 |
| 4 | 2026 (मई 2026 तक) | 1,06,33,755 | 639 |

iii=&v

परिशिष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र.870) की जानकारी

खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत एवं कार्यरत अधीक्षक, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी की जानकारी

| क्र. | संस्था का नाम | अधीक्षक | | | शिक्षक | | | अन्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | कार्यरत भरे पद | रिक्त पद | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्[illegible] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [illegible] |
| 1 | आदिवासी बालक आश्रम गातापार जंगल | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | [illegible] |
| 2 | प्री.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास खैरागढ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [illegible] |
| 3 | प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास उरईडबरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 4 | प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास ठेलकाडीह | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 5 | प्री.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 6 | प्री.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास खैरागढ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [illegible] |
| 7 | प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास ठेलकाडीह | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 8 | प्री.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास जालबांधा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 9 | पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खैरागढ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [illegible] |
| 10 | पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खैरागढ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 11 | पोष्ट मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास खैरागढ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 12 | आदिवासी बालक आश्रम बकरकट्टा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | [illegible] |
| 13 | प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुईखदान | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | [illegible] |
| 14 | प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हेवारा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 15 | प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास साल्हेवारा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [illegible] |
| 16 | प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास समुंदपानी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बकरकट्टा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बकरकट्टा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गण्डई | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | प्री.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास छुईखदान | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुईखदान | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हेवारा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास साल्हेवारा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | योग :– | 23 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 96 | 19 | 7[illegible] |

टीप :–

1. छात्रावास अधीक्षक के रिक्त 12 पद के विरूद्ध 06 पद पर विभागीय अधीक्षक छात्रावास के अतिरिक्त प्रभार में है एवं 05 पद के विरूद्ध शिक्षा विभाग के शिक्षक छात्रावास के अतिरिक्त प्रभार कार्यरत है। आदिवासी बालक आश्रम गातापार जंगल में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध "टी" संवर्ग के उच्च वर्ग शिक्षक कार्यरत है।
2. आदिवासी बालक आश्रम गातापार जंगल में शिक्षण कार्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है वर्तमान में उक्त आश्रम में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 01 शिक्षक एवं 02 सहायक शिक्षक कार्यरत है।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के विरूद्ध दैनिक मजदूर कलेक्टर दर पर कार्यरत है।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

Pa

प्रपत्र&C

खैरागढ़–छुईखदान–गंडई चालय एवं अन्य मूलभू

सुविधाओं हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी

| क्र. | वर्श | भवन मरम्मत | | पेयजल | | विधुत | | भौचालय | | मूलभूत सुविधाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | स्वीकृत राशि | व्यय र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2022-23 | जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक जानकारी निरंक है। | | | | | | | | | |
| 2 | 2023-24 | 1884000 | 1795812 | 750000 | 683746 | – | – | 350000 | 299702 | – | – |
| 3 | 2024-25 | 513000 | 513000 | 750000 | 750000 | – | – | 1835000 | 1833000 | – | – |
| 4 | 2025-26 | 4199000 | 2740000 | 100000 | 98000 | 349000 | 301000 | 903000 | 351000 | 590000 | 5900 |
| योग :– | | **6596000** | **5048812** | **1600000** | **1531746** | **349000** | **301000** | **3088000** | **2483702** | **590000** | **5900** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 966) की जानकारी

प्रपत्र – 'अ'

| क. | योजना का नाम | योजना की इकाई लागत रू. में | सब्सिडी का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य वर्ग | अनु.जाति / जनजा. |
| 1 | बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना | 3000.00 | 75 % | 90 % |
| 2 | अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना | 25000.00 | - | 90 % |
| 3 | अनुदान पर बकरा वितरण योजना | 14000.00 | 75 % | 90 % |
| 4 | शतप्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण योजना | 35000.00 | 100 % | 100 % |
| 5 | उन्नत मादा वत्स पालन योजना | 19500.00 | 75 % | 90 % |
| 6 | राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना | 1,50,000.00 | 25 % | 33.3 % |
| 7 | छ.ग. कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना | ** | 25 से 30 % | 30 से 40 % |
| 8 | दूधारू गाय वितरण योजना | 1,50,000.00 | | |

** 1. प्रदेश के जिले अ श्रेणी एवं ब श्रेणी में विभाजित किए गये है। अ श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 ब्रायलर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 2.86 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 0.72 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 0.86 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

2. अ श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 लेयर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 3.70 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 0.93 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 1.11 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

3.. ब श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 ब्रायलर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 2.86 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 1.00 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 1.14 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

4.. ब श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 लेयर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 3. 70 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 1.30 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 1.48 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'ब'

—पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजनाओं की जानकारी—

1. **बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना –** योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर अनु.जनजाति हितग्राहियों को प्रति इकाई 28 दिवसीय 45 रंगीन मुर्गी/बतख चूजे अथवा 80 बटेर चूजों का वितरण तथा कुक्कुट आहार एवं परिवहन सहित प्रदाय किया जाता है। इकाई लागत राशि रू. 3000 निर्धारित है जिसमें अनुदान राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत अथवा अधिकत राशि रू. 2700.00 एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू.2250.00 रू. के कुक्कुट/बत्तख/बटेर चूजे प्रदाय करने का प्रावधान है। योजना अन्तर्गत कुक्कुट/बत्तख/बटेर चूजों का प्रदाय शासकीय प्रक्षेत्रों के साथ साथ कृषि विज्ञान केन्दों या अन्य शासकीय संस्थानों से कय कर वितरण किया जाता है।

2. **अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना—** योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के सूकर पालक हितग्राहियों को अनुदान पर उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाईट यार्क शायर ) की सूकरत्रयी ईकाई (1नर+2मादा ) कय हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है। योजना अन्तर्गत कम से कम 25 कि.ग्रा. वजन ( आयु 8 माह से 1 वर्ष ) के उन्नत नस्ल के सूकरों का कय/वितरण हितग्राही द्वारा शासकीय सूकर पालन पालन प्रक्षेत्र / स्थानीय तौर पर कय किया जावेगा । इकाई लागत राशि रू. 25000.00 का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 22500.00 अनुदान डीबीटी. के माध्यम से प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

3. **शतप्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण योजना—** पशु नस्ल सुधार हेतु शतप्रतिशत अनुदान पर ग्राम पंचायत की अनुसंशा पर उन्नत नस्ल का सांड़ शतप्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। योजना अन्तर्गत सांड़ों का वितरण शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों मे उपलब्ध/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कय कर पाले गये सांड़ों का कय उनके पुस्तकीय मूल्य पर किया जावेगा एवं /अथवा निविदा में पाप्त न्यूनतम दर (परिवहन सहित) सांड़ की इकाई लागत होगी। इकाई लागत राशि रू. 35000.00 प्रावधानित है। बीमा कम्पनियों की प्रचलित दरों पर सांड़ों का बीमा करया जावेगा तथा बीमा की राशि भी इकाई लागत में शामिल होगी ।

4. **अनुदान पर बकरा वितरण योजना –** योजना अन्तर्गत अनु.जाति/जनजाति/सामान्य/ अन्य पिछड़ा वग वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर उन्नत नस्ल (ग्रेडेड जमनापारी /ग्रेडेड सिरोही/ग्रेडेड ब्लेक बंगाल/ बारबरी नस्ल आदि) का एक बकरा कय करने हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है। उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य एक बकरा (आयु 1 से 2 वर्ष, कम से कम 18 कि.ग्रा. वजन) का हितग्राही द्वारा शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र/ स्थानीय बाजार से कय किया जावेगा । इकाई जागत राशि रू. 14000.00 तथा अनुदान अनु.जाति, जन जाति वर्ग के लिये 90 प्रतिशत या अधिकतम रू. 12600.00 का अनुदान जो भी कम हो। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये इकाई लागत कय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू.10500.00 का अनुदान जो भी कम हो। डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

5. **उन्नत मादा वत्स पालन योजना–** योजनान्तर्गत ऐसे लघु/सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूरों के पास कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न स्वयं की उन्नत नस्ल की बछिया के भरण पोषण हेतु 4 से 24 माह की आयु तक 13 क्विंटल पशु आहार प्रदाय किया जाता है। योजना की इकाई लागत राशि रू. 19500.00 है।

अनुदान– सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम राशि रू.15000 या 75 प्रतिशत जो भी कम हो, अनु.जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को राशि रू. 18000.00 या 90 प्रतिशत जो भी कम हो प्रदाय किया जाना प्रावधानित है । संचालक मार्कफेडे की अनुमोदित दरों पर खाद्यान्न / पशु आहार का कय किया जाता है।

6. **राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना –** योजना अन्तर्गत 13 बकरिया एवं उन्नत नस्ल के 2 बकरों का कय जिसमें दाना/पानी हेतु बर्तन, परिवहन 3 माह के लिए बकरी एवं मेमनों हेतु आहार एवं अन्य विविध ब्यय सम्मिलित है। हितग्राही द्वारा बकरी शेड का निर्माण स्वयं के व्यय, बैंक ऋण अथवा अन्य योजनाओं के अभिसरण से किया जावेगा ।

अनुदान– योजना बैंक लिंक्ड एवं स्ववित्तीय है आधार पर संचालित है। योजना की इकाई लागत राशि रू. 1.50 लाख है । सामान्य श्रेणी हितग्राही हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 37500.00 एवं अ.जा./अ.ज.जा. हितग्राही हेतु कुल वित्तीय लागत का 33.3 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50000.00 घटकवार पूंजी अनुदान प्रावधानित है।

बकरा/बकरियों का कय– हितग्राही द्वारा 02 उन्नत नस्ल के बकरों का कय शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्रों से अथवा निजी संस्था या पशुपालकों से किया जावेगा । कय किये जाने वाले पशुओं की उम्र 1–1.5 वर्ष एवं प्रजनन योग्य होने चाहिए ।

7. **छ.ग.राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना** – हितग्राही द्वारा 1000 लेयर/ ब्रायलर से 10000 लेयर /ब्रायलर इकाई की स्थापना पर स्थाई पूंजी लागत पर सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को 25–35 प्रतिशत एवं अनु.जनजाति/अन.जन जाति के हितग्राहियों को 30 से 40 प्रतिशत अनुदान प्रावधानित है।

7.1 प्रदेश के जिले अ श्रेणी एवं ब श्रेणी में विभाजित किए गये है। अ श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 ब्रायलर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 2.86 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 0.72 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 0.86 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

7.2 अ श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 लेयर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 3.70 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 0.93 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 1.11 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

7.3.. ब श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 ब्रायलर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 2.86 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 1.00 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 1.14 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

7.4.. ब श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित जिलों में 1000 लेयर पक्षी पालन हेतु सामान्य वर्ग को राशि रू. 3.70 लाख पूंजी निवेश पर राशि रू. 1.30 लाख तथा अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राही को राशि रू. 1.48 लाख का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है।

8. **दूधारू गाय वितरण योजना –** राज्य शासन द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु दुधारू पशु प्रदाय परियोजना का क्रियान्वयन चिन्हित 6 जिलों–कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़–बिलाईगढ़, जशपुर एवं बलरामपुर में किया गया है। इसी परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला हितग्राहियों को 2 दुधारू

पशु वितरित किया जा रहा है (पूर्व में इस परियोजनांतर्गत केवल आदिवासी महिला हितग्राहियों को दुधारू गाय प्रदान किया जा रहा था, वर्तमान में राज्य शासन की अनुसंशा पश्चात यह परियोजना सभी वर्गों के महिला हितग्राही लाभान्वित हो सकते हैं)। इस परियोजनांतर्गत सभी वर्गों के कुल 325 के महिला हितग्राही लाभान्वित होंगी। इस परियोजना में राज्य सरकार पशु की लागत पर 50% अनुदान प्रदान करती है, जो कि 2 दुधारू पशुओं के लिए 70,000 रुपये है, 40% बैंक ऋण (56,000 रुपये) एवं शेष 10% लाभार्थी के अंशदान (14,000 रुपये) के रूप में है, जिसके अंतर्गत योग्य हितग्राही किसी भी बैंक से ऋण ले सकते हैं साथ ही यदि कोई हितग्राही ऋण नहीं लेना चाहती तो वह गाय की कीमत का 50% हिस्सा खुद देना चाहती है तो दे सकते हैं। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक रियायती दर में (9% प्रतिवर्श) में ऋण प्रदान करती है।

इसके अलावा, हितग्राहियों को एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क सहायता भी प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत हितग्राही को प्रति दुधारू गाय के लिये प्रतिदिन साइलेज 5 कि.ग्रा., पशु आहार 2 कि. ग्रा. प्रतिदिन और खनिज मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन के साथ 1 वर्ष के लिये बीमा, पशु निगरानी उपकरण और वैज्ञानिक पशु प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- **प्रदान किये जाने वाले पशुओं की नस्ल–** साहीवाल नस्ल की गाय (जो कम से कम 8 लीटर दूध देती हो) अथवा क्रास–बीड गाय (कम से कम 10 लीटर दूध देती हो) खरीदने के लिये भी पात्र होंगे।
- **कार्यान्वयन क्षेत्र– जिला– कांकेर, कोण्डागांव, महासमुंद, सारंगढ़–बिलाईगढ़, जशपुर और बलरामपुर।**
- पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
  - सामान्य (Gen), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के परिवारों की महिलाएँ ही पात्र होंगी।
  - आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा अनुदान स्वीकृति की तिथि को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - आवेदिका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ (CGCDF) से संबद्ध दुग्ध सहकारी समिति अथवा दुग्ध उत्पादक संगठन (MPO) की सदस्य हो या सदस्य बनने के लिए तैयार हो।
  - आवेदिका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ से संबद्ध दुग्ध सहकारी समिति अथवा दुग्ध उत्पादक संगठन (MPO) के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को दूध की आपूर्ति नहीं करेगी।
  - आवेदिका को डेयरी पशुपालन का ज्ञान होना चाहिए अथवा इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु तैयार होना चाहिए।
  - आवेदिका के पास पशुओं के रखने हेतु पशुशाला (Cattle Shed) उपलब्ध हो या पशु वितरण से पूर्व उसके निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई हो।
  - जिस आवेदिका ने पिछले 5 वर्षों में इसी प्रकार की किसी वर्तमान अथवा पूर्व सरकारी योजना का लाभ प्राप्त किया हो, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

- आवेदिका पशु प्राप्ति की तिथि से 5 वर्षों तक पशु को किसी अन्य व्यक्ति को न तो बेचेगी और न ही हस्तांतरित करेगी।
- एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा (5 वर्षों में केवल एक बार)।

**केन्द प्रवर्तित हितग्राही मूलक योजनाएं–**

**1. नेशनल लाइव स्टॉक मिशन**

1.1 **पशुधन बीमा योजना–** पशुधन विकास विभाग अतंर्गत संचालित केन्द्रीय योजना नेभानल लाईव स्टॉक मिभान के सबमिशन– नवाचार एवं विस्तार अंतर्गत पशुधन बीमा योजना संचालित है। पशुपालकों को उनके उन्नत पशुधन जैसे गौवंशीय, भैसवंशीय, भेंड़, बकरी, सूकर इत्यादि के एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष के बीमा हेतु 85 प्रतिशत अनुदान (60 प्रतिशत केन्द्रांश, 40 प्रतिशत राज्यांश) एवं 15 प्रतिशत हितग्राही अंशदान का प्रावधान है। पशुधन बीमा योजना के कियान्वयन हेतु खुली निविदा के माध्यम से टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ अनुबंध किया गया है जिसकी वैधता नवम्बर 2026 तक है।

1.2. **धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना –** अनुसूचित जनजाति वनपट्टाधारी हितग्राहियों को लाभांवित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना–धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्श अभियान योजना प्रारंभ की गई है। पशुधन विकास विभाग अतंर्गत संचालित केन्द्रीय योजना नेभानल लाईव स्टॉक मिभान में धरती आबा योजना हेतु पृथक से गाईडलाइन उपलब्ध करायी गई है, जिसके अनुसार 90 प्रतिशत अनुदान (60 प्रतिशत केन्द्रांश 40 प्रतिशत राज्यांश) एवं 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर 05 घटक (बकरी 5+1, बकरी 10+1, सूकर 5+1, लेयर कुक्कुट 100 नग, लेयर कुक्कुट 200 नग) प्रावधानित है।

1.3 **नेशनल लाईव स्टाक मिशन योजना अन्तर्गत– ई.डी.पी. योजना**

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में नेशनल लाईवस्टॉक मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल को जुलाई 2025 को बंद किया गया है।

नेशनल लाईवस्टॉक मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों द्वारा एन.एल.एम. पोर्टल में स्वयं ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तथा बैंक से ऋण की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, जिसमें ब्याज दर बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है।

नेशनल लाईवस्टॉक मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों को परियोजना की स्थाई लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है, जिसकी परियोजना एवं ईकाई आकार अनुसार अधिकतम सीमा निर्धारित है।

नेशनल लाईवस्टॉक मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों को एन.एल.एम. पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन करना होता है जिसमें योजना प्रावधान अनुसार किसान को आवेदित परियोजना के संबंध में प्रशिक्षण अथवा अनुभव, भुमि की उपलब्धता (1–5 एकड), पूंजी की उपलब्धता/ बैंक ऋण की उपलब्धता, योजना की मार्गदर्शिका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन इत्यादी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र 'स'

| क्र. | जिला | हिग्राहीयों द्वारा पशुपालन हेतु बैंक से लिए गए ऋण की राशि का विवरण (राशि रू. में) | | | | विभाग द्वारा हिग्राहीयों को प्रदत्त सब्सिडी (राशि रू. में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024–25 | | 2025–26 | | 2024-25 | 2025-26 |
| | | केन्द्रीय योजनाएं | राज्य परिवर्तित योजनाएं | केन्द्रीय योजनाएं | राज्य परिवर्तित योजनाएं | | |
| 1 | कोरिया | 0 | 1540000 | 0 | 0 | 3973891 | 2608503 |
| 2 | सरगुजा | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050957 | 6073925 |
| 3 | जशपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978400 | 10045800 |
| 4 | रायगढ़ | 0 | 7 | 0 | 1680000 | 5438000 | 7525300 |
| 5 | कोरबा | 0 | 1 | 0 | 140000 | 8498286 | 3816200 |
| 6 | जॉजगीर | 9000020 | 0 | 65 | 8 | 7914692 | 4555382 |
| 7 | बिलासपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 10575143 | 5311275 |
| 8 | कबीरधाम | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217182 | 3975928 |
| 9 | राजनादगॉव | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 3168504 |
| 10 | दुर्ग | 0 | 0 | 1 | 0 | 7514802.571 | 3152343 |
| 11 | रायपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 35496897 | 3449700 |
| 12 | महासमुंद | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216800 | 5748750 |
| 13 | धमतरी | 8252500 | 280000 | 20954000 | 0 | 10635215 | 3565431 |
| 14 | कांकेर | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141337 | 8523885 |
| 15 | बस्तर | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101000 | 4885000 |

| क्र. | जिला | हिग्राहीयों द्वारा पशुपालन हेतु बैंक से लिए गए ऋण की राशि का विवरण (राशि रू. में) | | | | विभाग द्वारा हिग्राहीयों को प्रदत्त सब्सिडी (राशि रू. में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024–25 | | 2025–26 | | | |
| | | केन्द्रीय योजनाएं | राज्य परिवर्तित योजनाएं | केन्द्रीय योजनाएं | राज्य परिवर्तित योजनाएं | **2024-25** | **2025-26** |
| 16 | दंतेवाड़ा | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014000 | 3984671 |
| 17 | नारायणपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041491 | 3371287 |
| 18 | बीजापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200006 | 1529058.992 |
| 19 | बलोदाबाजार | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990103 | 4715775 |
| 20 | गरियाबंद | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182118 | 4523723 |
| 21 | मुंगेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748237 | 3136400 |
| 22 | बालोद | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391667 | 5059500 |
| 23 | बेमेतरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.063 | 31.759 |
| 24 | कोण्डागॉव | 0 | 0 | 0 | 0 | 12444150 | 9708310 |
| 25 | सुकमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297700 | 2308850 |
| 26 | बलरामपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.878 | 1155044.637 |
| 27 | सूरजपुर | 0 | 720000 | 0 | 0 | 7671839 | 4612690 |
| 28 | गौरेला पेन्ड्रा मरवाही | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | मोहला मान.चौकी | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 2458650 |
| 30 | बैरागढ़ गण्डई छुईखदान | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1625250 |
| 31 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |
| 32 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060000 |
| 33 | सक्ती | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443750 | 3348800 |
| योग | | **17252520** | **2540008** | **20954066** | **1820008** | **196397780.5** | **132403967.4** |

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,

परिशिष्ट - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1017) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला सरगुजा अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल

| क्र. | चिन्हांकित पर्यटन स्थल | पर्यटन स्थल की श्रेणी | प्रमुख दर्शनीय स्थल |
|---|---|---|---|
| 1. | अम्बिकापुर | धार्मिक | महामाया मंदिर, तकिया |
| 2. | रामगढ़ | ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक | सीताबेंगरा (नाट्यशाला), जोगीमारा गुफा, हाथीपोल, सीता कुंड एवं महेशपुर |
| 3. | देवगढ़ | धार्मिक | अर्धनारीश्वर शिव मंदिर |
| 4. | मैनपाट (ग्राम कमलेश्वरपुर) | धार्मिक, प्राकृतिक | हिल स्टेशन, बौद्ध मंदिर |

प्रपत्र-C

वनविभाग द्वारा – जिला सरगुजा अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत एवं व्यय राशि की ब्लॉकवार जानकारी का

| क्र. | ब्लॉक का नाम | पर्यटन स्थल का नाम | वर्ष 2022 | | वर्ष 2023 | | वर्ष 2024 | | वर्ष 2025 | | वर्ष 2026 | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख मे |
| 1 | अम्बिकापुर | महामाया मंदिर | मंदिर के मदो की सभी व्यवस्था राजपरिवार द्वारा संचालित है। | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | तकिया | तकिया के सभी मदो की व्यवस्था कमेटी द्वारा किया जाता है। | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | उदयपुर | रामगढ | 600.64 | 250.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 199.55 | 6.42 | 0.00 | 7.29 | 800.19 | 500.7 |
| 3 | देवगढ | अर्घनारीश्वर शिव मंदिर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | मैनपाट | जलजली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 4.26 |
| | मैनपाट | उल्टापानी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | मैनपाट | मछली प्वाईंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 4.25 |
| | मैनपाट | टाईगर प्वाईंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | मैनपाट | सनसेट प्वाईंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 3.8 |
| | मैनपाट | बयोडायवर्सिटी पार्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **कुल राशि –** | **600.24** | **250.00** | **0.00** | **237.00** | **0.00** | **0.00** | **212.36** | **18.82** | **0.00** | **7.29** | **813.00** | **513.** |

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा)सीतापुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

अ. जलजली (ग्राम पंचायत लुरैना), उल्टापानी (ग्राम पंचायत बिसरपानी), सनसेट पाइंट (ग्राम पंचायत परपटिया), टाईगर पाइंट (ग्राम पंचायत बायोडायवर्सिटी पार्क (ग्राम पंचायत रोपाखार), मेहता पांइट (ग्राम पंचायत केसरा) स्थलों में विकास हेतु वर्ष 2022 से 15.06.2026 तक कुल 84,80,000.00 स्वीकृत किये गए एवं राशि रु. 57,55,000.00 व्यय हुए हैं।

ब. अर्ध नारीश्वर शिव मंदिर (ग्राम पंचायत देवगढ) तह.सीतापुर तथा तह.बतौली में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि निरंक है।

प्रपत्र–स

## जिला सरगुजा अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में प्रदाय किये गए सुविधाओं की ब्लाकवार जानकारी

| क्र. | ब्लाक का नाम | चिन्हांकित पर्यटन स्थल | प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल | मूलभूत सुविधाएं की वर्तमान स्थिति | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पेयजल व्यवस्था | शौचालय व्यवस्था | विश्रामगृह व्यवस्था | साफ–सफाई व्यवस्था | सुरक्षा व्यवस्था हेतु घेराव | |
| 1 | अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | महामाया मंदिर | है | है | है | है | मंदिर के मद की सभी व्यवस्था राज परिवार द्वारा संचालित है। | |
| | | | तकिया | है | है | – | है | कमेटी के द्वारा की जाती है। | |
| 2 | उदयपुर | रामगढ़ | सीताबेंगा (नाट्यशाला) | है | है | है | संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों एवं समूह के सदस्यों के द्वारा पर्यटन स्थलों की साफ–सफाई का कार्य किया जाता है। | नही है | सामुदायिक शौचालय का निर्माण वन विभाग के द्वारा कराया गया है। |
| | | | जोगीमारा गुफा | | | | | | |
| | | | हाथीपोल | | | | | | |
| | | | सीता कुंड | | | | | | |
| 3 | मैनपाट | मैनपाट | जलजली | है | है | है | | है | ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया है। |
| | | | उल्टापानी | है | है | नही है | | नही है | |
| | | | मछली पाइंट | है | है | है | | नही है | |
| | | | टाईगर पाइंट | है | है | नही है | | है | |
| | | | सनसेट पाइंट | है | है | है | | है | |
| | | | बायोडायवर्सिटी पार्क | है | है | नही है | | है | सामुदायिक शौचालय का निर्माण वन विभाग के द्वारा कराया गया है। |
| 4 | | देवगढ़ | अर्धनारीश्वर शिव मंदिर | है | है | है | – | नही है | |

परिशिष्ट - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 898) की जानकारी

प्रपत्र–अ

| क | जिले का नाम | प्रश्नाधीन अवधि | योजना का नाम | विकासखंड का नाम | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | मोहला–मानपुर– अं.चौकी | 2024–25 से 31 जून 2026 तक | प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना | मोहला | पाटनखास |
| 2 | | | | | मार्री |
| 3 | | | | | कुंवारदल्ली |
| 4 | | | | | हर्राटोला |
| 5 | | | | | कनेरी |
| 6 | | | | | कंदाड़ी |
| 7 | | | | | ढारनी |
| 8 | | | | | पाण्डरवानी |
| 9 | | | | | देवरसुर |
| 10 | | | | | पाउरखेड़ा |
| 11 | | | | | रेंगाकठेरा |
| 12 | | | | | पेंदाकोड़ो |
| 13 | | | | | कोडेमरा |
| 14 | | | | | पद्दाटोला |
| 15 | | | | | जोबटोला |
| 16 | | | | | आमाडुला |
| 17 | | | | | बोगाटोला |
| 18 | | | | | गिधाली |
| 19 | | | | | ककईपार |
| 20 | | | | | मटेवा |
| 21 | | | | | अड़मागोंदी |
| 22 | | | | | कुम्हली |
| 23 | | | | | मुकादाह |
| 24 | | | | | शेरपार |
| 25 | | | | | घावड़ेटोला |
| 26 | | | | | मोहभट्ठा |
| 27 | | | | | आलकन्हार |
| 28 | | | | | चांपाटोला |
| 29 | | | | | रानाटोला |
| 30 | | | | अं.चौकी | पेंदलकुही |
| 31 | | | | | चिल्हाटी |
| 32 | | | | | खड़खड़ी |
| 33 | | | | | हालमकोड़ो |
| 34 | | | | | हांडीटोला |
| 35 | | | | | केकतीटोला |
| 36 | | | | | केशरीटोला |
| 37 | | | | | गोपलिनचुवा |
| 38 | | | | | आड़ेझर |
| 39 | | | | | करमतरा |
| 40 | | | | | लेड़ीजोब |
| 41 | | | | | अरजकुण्ड |
| 42 | | | | | नेतामटोला |
| 43 | | | | | पटेली |

| क | जिले का नाम | प्रश्नाधीन अवधि | योजना का नाम | विकासखंड का नाम | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 44 | | | | | नीचेकोहड़ा |
| 45 | | | | | भर्रीटोला |
| 46 | | | | | भगवानटोला |
| 47 | | | | | कौड़ीकसा |
| 48 | मोहला–मानपुर– अं.चौकी | 2024–25 से 31 जून 2026 तक | प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना | अं.चौकी | मोंगरा |
| 49 | | | | | डुमरघुंचा |
| 50 | | | | मानपुर | डोकला |
| 51 | | | | | सम्बलपुर |
| 52 | | | | | हथरा |
| 53 | | | | | खरदी |
| 54 | | | | | खड़गांव |
| 55 | | | | | भटगांव |
| 56 | | | | | बोरियामोकासा |
| 57 | | | | | बोरिया ठेकेदारी |
| 58 | | | | | गुबियागढ़ |
| 59 | | | | | दोरबा |
| 60 | | | | | अडजाल |
| 61 | | | | | सिवनी |
| 62 | | | | | वाको |
| 63 | | | | | कुम्हारी |
| 64 | | | | | मिंचगांव |
| 65 | | | | | घोटिया |
| 66 | | | | | ढोढरी |
| 67 | | | | | चवेला |
| 68 | | | | | फूलकोड़ो |
| 69 | | | | | भर्रीटोला |
| 70 | | | | | ईरागांव |
| 71 | | | | | कहगांव |
| 72 | | | | | भैंसबोड़ |
| 73 | | | | | पानाबरस |
| 74 | | | | | उरझे |
| 75 | | | | | ख्वासफड़की |
| 76 | | | | | जबकसा |
| 77 | | | | | कनेली |
| 78 | | | | | तुमड़ीकसा |
| 79 | | | | | नेडगांव |
| 80 | | | | | टोहे |
| 81 | | | | | येरकोड |
| 82 | | | | | कोण्डे |
| 83 | | | | | परालझरी |
| 84 | | | | | सीतागांव |
| 85 | | | | | कंदाड़ी |
| 86 | | | | | जामड़ी |
| 87 | | | | | पालेभट्टी |
| 88 | | | | | औंधी |
| 89 | | | | | सरखेड़ा |



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र –ब

(राशि लाखों में)

| क्र. | जिले का नाम | योजना का नाम | विभाग का नाम | विकासखंड का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | मोहला–मानपुर–अं. चौकी | धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | आदिवासी विकास विभाग | मोहला | आदिवासी बालक आश्रम शाला वासड़ी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण | 29.54 | 0.00 | कार्य प्रगतिरत |
| | | | | अं.चौकी | प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौड़ीकसा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण | 29.54 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | आदिवासी बालक आश्रम शाला वासड़ी में शौचालय निर्माण | 20.00 | 0.00 | |
| | | | | अं.चौकी | आदिवासी कन्या आश्रम शाला कौड़ीकसा में शौचालय निर्माण | 20.00 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोर्रामटोला में शौचालय निर्माण | 20.00 | 0.00 | |
| | | | | मानपुर | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नेड़गांव में छात्रावास भवन निर्माण | 275.00 | 0.00 | |
| | | | | अं.चौकी | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जादूटोला में छात्रावास भवन निर्माण | 275.00 | 0.00 | |
| | | | | अं.चौकी | प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चिल्हाटी में छात्रावास भवन निर्माण | 275.00 | 0.00 | |
| | | | | मानपुर | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्र.02 मानपुर में छात्रावास भवन निर्माण | 275.00 | 0.00 | |
| | | | | अं.चौकी | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्र.02 अं.चौकी में छात्रावास भवन निर्माण | 275.00 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | आदिवासी बालक आश्रम शाला वासड़ी में फर्नीचर कार्य | 2.563 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास वासड़ी में फर्नीचर कार्य | 2.563 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोर्रामटोला में फर्नीचर कार्य | 2.563 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | आदिवासी बालक आश्रम शाला वासड़ी में मरम्मत कार्य | 8.00 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास वासड़ी में मरम्मत कार्य | 15.00 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोर्रामटोला में मरम्मत कार्य | 15.00 | 0.00 | |
| | | | | मोहला | कार्यालय कलेक्टर, अ.जा.क.वि. में वन अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना | 2.50 | 0.00 | |
| योग :– | | | | | | **1542.27** | **0.00** | |

| क्र. | जिले का नाम | योजना का नाम | विभाग का नाम | विकासखंड का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | मोहला–मानपुर – अं.चौकी | धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | मछली पालन विभाग | मानपुर | ग्राम सीतागांव में लाईव फिश वेंडिंग सेंटर | 9.00 | 9.00 | – |
| | | | | मोहला | मोटर साईकिल सह आईस बॉक्स प्रदाय ग्राम उरवाही | 0.675 | 0.675 | – |
| | | | | मानपुर | मोटर साईकिल सह आईस बॉक्स प्रदाय ग्राम कंदाड़ी | 0.675 | 0.675 | – |
| | | | | अं.चौकी | मोटर साईकिल सह आईस बॉक्स प्रदाय ग्राम मोंगरा | 0.675 | 0.675 | – |
| | | | | अं.चौकी | मोटर साईकिल सह आईस बॉक्स प्रदाय ग्राम मोंगरा | 0.675 | 0.675 | – |
| | | | | अं.चौकी | मोटर साईकिल सह आईस बॉक्स प्रदाय ग्राम गौलीटोला | 0.675 | 0.675 | – |
| | योग– | | | | | **12.38** | **12.38** | |
| 3 | मोहला–मानपुर – अं.चौकी | धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | CSPDCL (उर्जा विभाग) | अंबागढ़ चौकी | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम झिटिया | 96.48 | 86.24 | – |
| | | | | अंबागढ़ चौकी | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम सांगली | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम अढाईकट्टा | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम बोदाल | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम डंडासूर | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम कुंवारदल्ली | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम कुंवारदल्ली | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम मार्री | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम पदगोंदी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम पदगोंदी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम तोयागोंदी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम वासड़ी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम भगवानटोला | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम छुरियाडोंगरी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम दनगढ़ | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम भुरकुण्डी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम कर्रेगांव | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण काय ग्राम मुरेर | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम नाटीपार | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम पाटनवाड़वी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम पथरेल | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम साल्हे | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम पाटनवाड़वी | | | – |
| | | | | मोहला | अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कार्य ग्राम पाटनवाड़वी | | | – |
| योग– | | | | | | **96.48** | **86.24** | – |

| क्र. | जिले का नाम | योजना का नाम | विभाग का नाम | विकासखंड का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | मोहला–मानपुर – अं.चौकी | धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग | | –निरंक– | | | |
| 5 | | | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | | | | | |
| 6 | | | छ0ग0 अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) | | | | | |
| 7 | | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | | | | | |
| 8 | | | इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रद्यौगिकी | | | | | |
| 9 | | | खाद्य विभाग | | | | | |
| 10 | | | महिला एवं बाल विकास विभाग | | | | | |
| 11 | | | समग्र शिक्षा | | | | | |
| 12 | | | छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण | | | | | |
| 13 | | | कृषि विकास विभाग | | | | | |
| 14 | | | पशुधन विकास विभाग | | | | | |
| 15 | | | पंचायत विभाग | | | | | |
| 16 | | | पर्यटन विभाग | | | | | |
| | | | | | महायोग :– | 1651.13 | 98.62 | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

# नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

## परिशिष्ट - चौदह

### परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 25) की जानकारी

प्रपत्र अ

**सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी बोर्ड के तहत वर्ष 2024–25 से जून 2026 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी**

| क्र. | जिला | विधान सभा क्षेत्र का नाम | वित्तीय वर्ष | स्वीकृत कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक | तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक | कार्यादेश क्र./दिनांक | समयावधि | निविदा दर सहित लागत (रू. लाख में) | व्यय (रू. लाख में) | निर्माण एजेंसी का नाम | कार्यों की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | धमतरी | सिहावा | सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी बोर्ड निधि से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। | | | | | | | | | | | | |
| मंडी निधि से स्वीकृत | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | धान उपार्जन केन्द्र दुगली वि.ख. नगरी अंतर्गत 01 नग 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य। | 489 / 16.12.2024 | 1972 / 10.12.2024 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 13.03 | 62.14 | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 1 | 0 | पूर्ण |
| 2 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | धान उपार्जन केन्द्र दुगली वि.ख. नगरी अंतर्गत 01 नग पक्का फड़ निर्माण कार्य। साईज (60.20 X 9.20 मी.) | 489 / 16.12.2024 | 1972 / 10.12.2024 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 8.98 | | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 0 | 1 | फाउन्डेशन स्तर। |
| 3 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | धान उपार्जन केन्द्र घुरावड वि.ख. नगरी अंतर्गत 01 नग 200 मे. टन गोदाम निर्माण कार्य। | 489 / 16.12.2024 | 1972 / 10.12.2024 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 13.03 | | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 1 | 0 | पूर्ण |
| 4 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | धान उपार्जन केन्द्र धुरावड वि.ख. नगरी अंतर्गत 01 नग पक्का फड़ निर्माण कार्य। साईज (60.20X9.20 मी.) | 489 / 16.12.2024 | 1972 / 10.12.2024 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 8.98 | | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 1 | 0 | पूर्ण |
| 5 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | मूल मंडी प्रांगण नगरी में पूर्व निर्मित खुले चबूतरे को कव्हर्ड शेड में परिवर्तित करने का निर्माण कार्य। (30 X 30 मी.) | 187 / 04.07.2025 | 766 / 26.06.2025 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 49.41 | | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 0 | 1 | ट्रस लेवल |
| 6 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | धान उपार्जन केन्द्र बाजार कुर्रीडीह वि.ख. नगरी अंतर्गत 01 नग 200 मे.टन गोदाम निर्माण कार्य। | 489 / 16.12.2024 | 1972 / 10.12.2024 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 13.03 | | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 1 | 0 | पूर्ण |
| 7 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | धान उपार्जन केन्द्र बाजार कुर्रीडीह वि.ख. नगरी अंतर्गत 01 नग पक्का फड़ निर्माण कार्य। साईज (60.20 X 9.20 मी.) | 489 / 16.12.2024 | 1972 / 10.12.2024 | 509 / 26.11.2025 | 12 माह | 8.98 | | आई.ए.आई.ए. जनरल सप्लायर नगरी जिला धमतरी | 1 | 0 | 1 | फाउन्डेशन स्तर। |
| 8 | धमतरी | सिहावा | 2024-25 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बाजार कुर्रीडीह से धमतरी पहुंच मार्ग में विद्यमान क्षतिग्रस्त पुलिया का विशेष मरम्मत कार्य। | 491/ 16.12.2024 | 1987/ 13.12.2024 | 568 / 18.01.2025 | 3 माह | 17.45 | 17.01 | एम.हाई साल्यूशन प्राय. लिमि. रायपुर | 1 | 1 | 0 | पूर्ण |
| | | योग :– 2024–25 | | | | | | | 132.89 | 79.15 | | 8 | 5 | 3 | |

I/508471/2026

| क्र. | जिला | विधान सभा क्षेत्र का नाम | वित्तीय वर्ष | स्वीकृत कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक | तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक | कार्यादेश क्र./दिनांक | समयावधि | निविदा दर सहित लागत (रू. लाख में) | व्यय (रू. लाख में) | निर्माण एजेंसी का नाम | कार्यों की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत सियादेही के गंगरेलिया पारा में (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | 45.37 | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फिटिंग कार्य पूर्ण |
| 10 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत सियादेही के ग्राम लहसुनवाही में रंगमंच के सामने (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फिटिंग कार्य पूर्ण |
| 11 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकरेल में शीतला मंदिर के पास (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फिटिंग कार्य पूर्ण |
| 12 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बाजार कुर्रीडीह में बाजार चौक पारा (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फेब्रिकेशन का कार्य प्रगतिरत |
| 13 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बाजार कुर्रीडीह के ग्राम बरबांधा डोंगरीपारा में (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फिटिंग कार्य पूर्ण |
| 14 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत झुरातराई के ग्राम छलकनी में रंगमंच के पास (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फिटिंग कार्य पूर्ण |
| 15 | धमतरी | सिहावा | 2025-26 | वि.खं. नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत झुरातराई में रंगमंच के पास (23 X 15 मी.) शेड निर्माण कार्य। | 48/ 19.04.2025 | 191/ 16.04.2025 | 507 / 26.11.2025 | 12 माह | 15.27 | | मेसर्स नारायणी बिल्डर्स सक्ती | 1 | 0 | 1 | ट्रस फिटिंग कार्य पूर्ण |
| योग :- 2025-26 | | | | | | | | | 106.89 | 45.37 | | 7.00 | 0 | 7 | |
| महायोग | | | | | | | | | 239.78 | 124.52 | | 15 | 5 | 10 | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 08-07-2026
12:14:12

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

**विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 25**

**मान. जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी**

| क्र. | वित्तीय वर्ष | जिला | विधान सभा क्षेत्र का नाम | जनप्रतिनिधि का नाम | कुल कार्यो की संख्या | पत्र में उल्लेखित राशि (रू. लाख में) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | 2024-25 | धमतरी | सिहावा | श्रवण मरकाम पूर्व विधायक वि.स.क्षे. सिहावा का ज्ञापन क्रमांक 131 दिनांक 28.08.2024 | 7 | 101.00 | |
| | 2025-26 | | सिहावा | श्रवण मरकाम पूर्व विधायक वि.स.क्षे. सिहावा का ज्ञापन क्रमांक 38 दिनांक 15.07.2025 | 1 | 12.00 | मुख्यालय के पत्र कमांक 1644 दिनांक 09.06.2026 द्वारा कार्य मंडी निधि से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। |
| 2 | 2025-26 | धमतरी | सिहावा | अंबिका मरकाम विधायक वि.स.क्षे. सिहावा का ज्ञापन क्रंमांक 820 दिनांक 18.05.2025. | 56 | 500.80 | |
| 3 | 2025-26 | धमतरी | सिहावा | अजय ध्रुव सभापति वन स्थायी समिति जिला पंचायत धमतरी का ज्ञापन क्रमांक 25 दिनांक 12. 07.2025. | 4 | 30.00 | |
| 4 | 2025-26 | धमतरी | सिहावा | प्रकाश बैस जिलाध्यक्ष भा.ज.पा. जिला धमतरी का ज्ञापन क्रमांक 207 दिनांक 09.06.2025. | 2 | 180.00 | |
| | | | | **योग :–** | **70** | **823.80** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 08-07-2026
12:15:08

**(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पन्द्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 27) की जानकारी

प्रपत्र – अ

धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त राईस मिल, क्रशर इकाई एवं अन्य उद्योगों की नामवार एवं विकासखंडवार जानकारी

| क्र. | उद्योग का नाम एवं पता |
|---|---|
| | विकासखण्ड -धमतरी |
| | राईस मिल |
| 1. | मेसर्स श्री विष्णु एग्रोटेक, ग्राम-पोटियाडीह, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी, सुंदरगंज वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स मीरा राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मुडपार, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स सुमित चावल उद्योग, शांति कॉलोनी, हरफतराई, धमतरी, तहसील व जिला - धमतरी |
| 5. | मेसर्स ए.के. राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोयना, जिला-धमतरी |
| 6. | मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, ग्राम-हटकेश्वर, इण्डस्ट्रियल वॉर्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 7. | मेसर्स माँ वैष्णव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-तेंदुकोना, जिला-धमतरी |
| 8. | मेसर्स रश्मि राईस मिल, ग्राम-नहरगांव, जिला-धमतरी |
| 9. | मेसर्स अग्रवाल उसना उद्योग धमतरी, जिला-धमतरी |
| 10. | मेसर्स शारदा राईस मिल, एफ.सी.आई.रोड नवागांव, जिला-धमतरी |
| 11. | मेसर्स अन्नपूर्णा फूड्स, ग्राम-डोमा, जिला-धमतरी |
| 12. | मेसर्स ओम उसना उद्योग, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 13. | मेसर्स वरदान राईस इण्ड., ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 14. | मेसस धनलक्ष्मी चावल उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र अर्जुनी, जिला- धमतरी |
| 15. | मेसर्स सूर्या राईस मिल, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 16. | मेसर्स सावित्री धान कुटाई उद्योग, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 17. | मेसर्स ओम इण्डस्ट्रीज, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 18. | मेसर्स देवश्री एग्रोटेक प्रा.लि. यूनिट-2, जिला-धमतरी |
| 19. | मेसर्स विनय राईस इण्डस्ट्रीज, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 20. | मेसर्स कुशल पेड्डी इण्डस्ट्रीज, हरकतराई रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 21. | मेसर्स श्री महावीर ट्रेडर्स, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 22. | मेसर्स विजय राईस मिल, ग्राम-श्यामतराई, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 23. | मेसर्स अंबिका राईस मिल, शंकरदाह रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 24. | मेसर्स गोपाल इण्डस्ट्रीज, राजधानी रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 25. | मेसर्स श्री शाकम्भरी राईस मिल इण्डस्ट्रीयल एरिया धमतरी, जिला-धमतरी |
| 26. | मेसर्स शेखर पेड्डी इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र धमतरी, जिला-धमतरी |
| 27. | मेसर्स श्री राधे एग्रोटेक, ग्राम-शंकरवारा, तहसील व जिला-धमतरी |
| 28. | मेसर्स फूल मिनी राईस मिल, ग्राम-सोरस, जिला-धमतरी |
| 29. | मेसर्स श्री महामाया राईस इण्ड., चरमुडिया धमतरी, जिला-धमतरी |
| 30. | मेसर्स अरिहंत उसना उद्योग, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 31. | मेसर्स सिद्धार्थ एग्रो, सिहावा रोड, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 32. | मेसर्स माँ भुवाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-देमार, तह व जिला-धमतरी |
| 33. | मेसर्स श्री हरि ओम धान कुटाई केन्द्र, सरदार पटेल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 34. | मेसर्स अजय राईस प्रोडक्टस, ग्राम-सरसोपुरी, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 35. | मेसर्स आदिश्वर राईस मिल (आदिश्वर ट्रेडर्स), ग्राम-सम्बलपुर, जिला-धमतरी |
| 36. | मेसर्स श्री शिव राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 37. | मेसर्स आशीष इण्डस्ट्रीज रायपुर रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 38. | मेसर्स छत्तीसगढ राईस मिल ग्राम-संबलपुर, जिला-धमतरी |
| 39. | मेसर्स श्री बजरंग पेड्डी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, जिला-धमतरी |

| | |
|---|---|
| 40. | मेसर्स सतीश एग्रोटेक, सम्बलपुर, जिला-धमतरी |
| 41. | मेसर्स रिषभ एग्रोटेक, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 42. | मेसर्स श्री सांई एग्रोटेक, बस्तर रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 43. | मेसर्स आर.एल. एग्रोटेक इण्ड. धमतरी, जिला-धमतरी |
| 44. | मेसर्स पूजा राईस मिल सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 45. | मेसर्स तुलसी राईस मिल ग्राम-सम्बलपुर, जिला-धमतरी |
| 46. | मेसर्स अशोक राईस मिल इण्डस्ट्रीयल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 47. | मेसर्स खंडेलवाल एग्रो, इण्डस्ट्रीयल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 48. | मेसर्स शक्ति राईस मिल नवागांव वार्ड, जिला-धमतरी |
| 49. | मेसर्स अतुल राईस मिल ग्राम-हरफतराई, जिला-धमतरी |
| 50. | मेसर्स इंडियन राईस मिल, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 51. | मेसर्स गोपाल एग्रो इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 52. | मेसर्स श्री राम इन्टरप्राईजेस, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 53. | मेसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज, ग्राम-हरफतराई, जिला-धमतरी |
| 54. | मेसर्स आशीष एग्रोटेक, रायपुर रोड सम्बलपुर धमतरी, जिला-धमतरी |
| 55. | मेसर्स कुशाल एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम-मुडपार, जिला-धमतरी |
| 56. | मेसर्स किशन कन्हैया राईस इण्डस्ट्रीज, सेहराडबरी, जिला-धमतरी |
| 57. | मेसर्स महालक्ष्मी चांवल उद्योग औद्योगिक क्षेत्र अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 58. | मेसर्स आनंद राईस मिल, प.ह.नं. - 31, खसरा नं. - 558, हटकेश्वर, रायपुर रोड धमतरी, तहसील व जिला-धमतरी |
| 59. | मेसर्स सागर राईस मिल, ग्राम-देमार, जिला-धमतरी |
| 60. | मेसर्स राजधानी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 61. | मेसर्स श्री राधे फूड्स, ग्राम-शकरवारा, तहसील व जिला-धमतरी |
| 62. | मेसर्स जगतराम पेड्डी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-देमार, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 63. | मेसर्स सौरभ राईस मिल, सदर बाजार धमतरी, जिला-धमतरी |
| 64. | मेसर्स कृष्णा राईस मिल, इण्डस्ट्रीज वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 65. | मेसर्स आर्शीवाद इण्डस्ट्रीज ग्राम-सम्बलपुर, जिला-धमतरी |
| 66. | मेसर्स मां चण्डी राईस इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 67. | मेसर्स रामदयाल धिरजी लाल, औद्योगिक वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 68. | मेसर्स देव श्री इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 69. | मेसर्स देविका एग्रोटेक, ग्राम-देमार, तहसील व जिला- धमतरी |
| 70. | मेसर्स श्री सांई राईस मिल ग्राम-भोथली रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 71. | मेसर्स विकास राईस मिल शांति कलोनी रोड, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 72. | मेसर्स अरिहंत राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-पोटियाडीह, जिला-धमतरी |
| 73. | मेसर्स किसान राईस मिल, नगरी डिपो के पास धमतरी, जिला-धमतरी |
| 74. | मेसर्स श्री विनायक पेड्डी इण्ड., धमतरी, जिला-धमतरी |
| 75. | मेसर्स श्री शिव राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 76. | मेसर्स गुडविल राईस मिल, देना बैंक के सामने धमतरी, जिला-धमतरी |
| 77. | मेसर्स गोयल परबायलिंग पेड्डी, शंकरदाह रोड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 78. | मेसर्स उमा एग्रोटेक, ग्राम-भोयना, तहसील व जिला- धमतरी |
| 79. | मेसर्स सत्यम पेड्ॖडी, सेहराडबरी रायपुर रोड, जिला-धमतरी |
| 80. | मेसर्स चन्द्रा परबायलिंग इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रियल वॉर्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 81. | मेसर्स गोपाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, तहसील व जिला- धमतरी |
| 82. | मेसर्स सिद्धी विनायक एग्रोटेक इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पटपरछेड़ी, जिला-धमतरी |
| 83. | मेसर्स पार्वती राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, तहसील व जिला- धमतरी |
| क्रशर | |
| 1. | मेसर्स साहू स्टोन क्रशर, धौराभाठा, कुन्देल, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स श्री तुंगभद्र चन्द्राकर, ग्राम- दोनर, तहसील व जिला - धमतरी |
| 3. | मेसर्स के.जी.एन. क्रशर उद्योग, धौराभाटा, जिला-धमतरी |
| अन्य उद्योग | |

| | |
|---|---|
| 1. | मेसर्स भारती रासायनिक उद्योग, सोरिद भाट, बस्तर रोड़, धमतरी, जिला - धमतरी |
| 2. | मेसर्स इन्दु सांई केमिकल, ग्राम-छाती, भोथली, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स पार्थ ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज ग्राम-लोहरसी, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स शिवनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 5. | मेसर्स लक्ष्मी पोहा मिल ग्राम-डोड़की, जिला-धमतरी |
| 6. | मेसर्स सुनील फूड प्रोडक्ट, ग्राम- देमार, तहसील एंड जिला- धमतरी |
| 7. | मेसर्स केवलिन हीटर्स, ग्राम- देमार, जिला-धमतरी |
| 8. | मेसर्स मैग्नेटो पालीमर्स, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी |
| 9. | मेसर्स बाफना बायोटेक, ग्राम-लिमतरा, धमतरी, जिला-धमतरी |
| 10. | मेसर्स रजा बोर्ड, ग्राम-भोयना, जिला-धमतरी |
| 11. | मेसर्स ओम शिव शंकर पोहा मिल ग्राम-बागतराई, जिला-धमतरी |
| 12. | मेसर्स शॉलीमार कार्प लिमिटेड, ग्राम-बारना, ब्लॉक-धमतरी, जिला-धमतरी |
| 13. | मेसर्स वनराज ऑयल मिल प्रा.लि., इण्डस्ट्रीयल एरिया अर्जुनी, जिला-धमतरी |
| 14. | मेसर्स केसरी पोल इण्डस्ट्रीज, ग्राम - अर्जुनी, तहसील व जिला-धमतरी |
| 15. | मेसर्स श्री मोहिनी दुर्गा फूड प्रोसेस, ग्राम-सेहराडबरी, तहसील व जिला- धमतरी |
| 16. | मेसर्स मगेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सोरम, तहसील व जिला - धमतरी |
| 17. | मेसर्स शांतिरतन इण्डस्ट्री, प.ह.नं. - 24, खसरा नं.- 682, ग्राम - देमार, तहसील व जिला - धमतरी |
| 18. | मेसर्स सागरी एग्रोग्रेन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 24, खसरा नं.- 630/2 एवं 634, ग्राम-देमार, तहसील व जिला-धमतरी |
| | विकासखण्ड-कुरूद |
| | राईस मिल |
| 1. | मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, भोथली रोड, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स श्री सुन्दरम परबायलिंग, ग्राम-चरमुडिया, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स ज्योति इन्टरप्राईजेस, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स अनमोल एग्रोटेक, मेघा रोड़ कुरुद, जिला-धमतरी |
| 5. | मेसर्स राधेश्याम राईस मिल, करेली (छोटी), जिला-धमतरी |
| 6. | मेसर्स प्रतीक राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 7. | मेसर्स गणपति राईस मिल, ग्राम- कुरुद, जिला-धमतरी |
| 8. | मेसर्स आशीष परबायलिंग, ग्राम-भठेली, भखारा, जिला-धमतरी |
| 9. | मेसर्स मूर्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज, राईस मिल ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 10. | मेसर्स ज्योति पेड्डी, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 11. | मेसर्स श्याम राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 12. | मेसर्स उत्तम फूड्स, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 13. | मेसर्स परमेश्वरी राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 14. | मेसर्स श्री भगवती इन्टरप्राईजेस, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 15. | मेसर्स सिद्धार्थ एग्रो प्रोडक्ट्स, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 16. | मेसर्स भगवती राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 17. | मेसर्स सिद्धी गणेश राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया रोड कुरूद, जिला-धमतरी |
| 18. | मेसर्स श्री राईस मिल, ग्राम- कुरुद, जिला-धमतरी |
| 19. | मेसर्स मंगल मूर्ति एग्रो, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 20. | मेसस मॉ अन्नपूर्णा आहार, प.ह.नं. - 15, खसरा नं.- 161, 163/1, ग्राम-पुरैना, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 21. | मेसस मॉ अन्नपूर्णा आहार (यूनिट-2), प.ह.नं. -04, खसरा नं. - 163/1 (पार्ट), ग्राम-पुरेना, ब्लॉक - कुरूद, जिला-धमतरी |
| 22. | मेसर्स एस.एस.डी. फूड इण्डस्ट्रीज, फूड पार्क बगौदा, कुरूद, जिला-धमतरी |
| 23. | मेसर्स अमृत एग्रोटेक, प.ह.नं. - 34, खसरा नं. - 953, 954, 956, 261(1,2), ग्राम-चरमुडिया एण्ड कुरूद, जिला-धमतरी |
| 24. | मेसस देवकॉन फूड्स प्राईवेट लि. इण्डस्ट्रीयल एरिया फूड पार्क बगौद, तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी |
| 25. | मेसर्स बंसीवाले राईस इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड़ कुरूद, जिला-धमतरी |
| 26. | मेसस अग्रबंधु इण्डस्ट्रीज, ग्राम- सेमरा, कुरुद, धमतरी |
| 27. | मेसर्स स्वास्तिक एग्रो, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी |

| | |
|---|---|
| 28. | मेसर्स केला राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 29. | मेसर्स पूनम राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 30. | मेसर्स विजय फुड्स, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 31. | मेसर्स एच.पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 32. | मेसर्स शिवनाथ इण्डस्ट्रीज, भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 33. | मेसर्स कबीर राईस मिल, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 34. | मेसर्स महामाया फुड्स, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 35. | मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 36. | मेसर्स प्रिस राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 37. | मेसर्स जय मां चण्डी राईस मिल, ग्राम-भरदा, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 38. | मेसर्स अमृत एग्रोटेक, प.ह.नं. - 25, खसरा नं. - 958, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 970 एवं 1109, ग्राम-चरमुडिया एवं कुरुद, जिला-धमतरी |
| 39. | मेसर्स कृष्णा राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 40. | मेसर्स गीता लक्ष्मी मार्डन राईस मिल प्रा.लि., ग्राम-सोनपुर, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 41. | मेसर्स महाराजा अग्रसेन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सेमरा, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 42. | मेसर्स अतुल राईस मिल, ग्राम-भुसरेंगा, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 43. | मेसर्स श्री महावीर राईस मिल ग्राम-बंजारी, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 44. | मेसर्स कृष्णा फुड्स ग्राम-मदरौद, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 45. | मेसर्स जय अम्बे राईस मिल, ग्राम- कुरुद, जिला-धमतरी |
| 46. | मेसर्स जगदम्बा राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 47. | मेसर्स आनंद राईस मिल, प.ह.नं. - 31, खसरा नं. - 50, ग्राम-मनरौद, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 48. | मेसर्स आनंद राईस इण्डस्ट्रीज, प.ह.नं. - 48, खसरा नं. - 78, 79 ग्राम - मंदरौद, कुरूद, जिला-धमतरी |
| 49. | मेसर्स महेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 50. | मेसर्स अमृत राईस मिल, भरदा रोड, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 51. | मेसर्स श्री शिवम इण्डस्ट्रीज ग्राम-चरमुडिया कुरुद, जिला-धमतरी |
| 52. | मेसर्स मॉ पीताम्बरा पेड्डी परबायलिंग, ग्राम व पोस्ट - कुरुद, जिला-धमतरी |
| 53. | मेसर्स रुचि पेड्डी परबायलिंग ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 54. | मेसर्स मूर्ति राईस मिल चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 55. | मेसर्स नाहर पेड्डी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कोसरंगी, भखारा, जिला-धमतरी |
| 56. | मेसर्स आध्या फूड्स, ग्राम- कुरूद, तहसील- कुरूद, जिला- धमतरी |
| 57. | मेसर्स जगत ऐग्रो, ग्राम-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 58. | मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया फुड पार्क बगौद, सेक्टर 1, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 59. | मेसर्स शांति एफआरके राईस फूड, ग्राम-सेमरा, तहसील-कुरुद, जिला- धमतरी |
| 60. | मेसर्स श्री केसर राईस मिल, ग्राम-कोसमर्रा, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 61. | मेसर्स आशीष चावल उद्योग, ग्राम-भढेली-भखारा, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 62. | मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रो, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 63. | मेसर्स श्री रोशन राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भखारा, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 64. | मेसर्स पारेख राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सिलहद, भखारा, जिला-धमतरी |
| 65. | मेसर्स सर्वमंगला राईस मिल, ग्राम-पुरेना, जिला-धमतरी |
| 66. | मेसर्स कनक राईस मिल, ग्राम-पुरेना, जिला-धमतरी |
| 67. | मेसर्स श्री तिरुपति बालाजी राईस मिल, कुरुद, भोथली रोड, जिला-धमतरी |
| 68. | मेसर्स बजाज एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोथली, जिला-धमतरी |
| 69. | मेसर्स जैन राईस (राईस प्रोसेसिंग यूनिट), ग्राम-कुर्रा, जिला-धमतरी |
| 70. | मेसर्स ओम श्री नारायण राईस मिल, ग्राम-कुर्रा, जिला-धमतरी |
| 71. | मेसर्स श्री प्रोसेस, ग्राम-कुरूद, चरमुडिया रोड, जिला-धमतरी |
| 72. | मेसर्स हर्ष परबायलिंग, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 73. | मेसर्स श्री लक्ष्मी राईस मिल धमतरी रोड़ कुरूद, जिला-धमतरी |
| 74. | मेसर्स कबीर एग्रोटेक, ग्राम-भोथली, तहसील - कुरूद, जिला- धमतरी |
| 75. | मेसर्स उपासना राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भखारा, कुरूद, जिला-धमतरी |
| 76. | मेसर्स आर्शीवाद राईस मिल, ग्राम-सेमरा, तहसील-भखारा, जिला- धमतरी |

| | |
|---|---|
| | क्रशर |
| 1. | मेसर्स सरस्वती स्टोन (टेकचंद मेघवानी), ग्राम-गोजी नारी, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स कंचन स्टोन (श्री नीरज गंगवाल), ग्राम-गोजी, नारी, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स ओवेश क्रशर, ग्राम-कोकडी, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स सूर्यान क्रशर, ग्राम-कोकडी (नारी), तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी |
| 5. | मेसर्स इन्दुरा स्टोन्स, ग्राम- गोजी, कुरुद, जिला- धमतरी |
| 6. | मेसर्स रेवेन्द्र चन्द्राकर, ग्राम-गोजी, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 7. | मेसर्स आर्कान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इण्ड. प्रा.लि. कुरुद, जिला-धमतरी |
| 8. | मेसर्स अरिहंत क्रशर, ग्राम-कोकडी, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 9. | मेसर्स शांति विजय क्रशर, ग्राम-कठौली, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 10. | मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्रशर (प्रो. रजत पारख), ग्राम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमतरी |
| 11. | मेसर्स गुरूदेव क्रशर (श्री आशीष टाटियॉ), ग्राम-गोजी, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 12. | मेसर्स अंजनी क्रशर, ग्राम-गोजी, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 13. | मेसर्स राजेन्द्र पहाडिया स्टोन क्रशर, ग्राम-गोजी (नारी), जिला-धमतरी |
| 14. | मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाईट क्वारी (प्रोपराईटर-श्री शैलेन्द्र दुबे (पुजारी)), ग्राम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमतरी |
| | अन्य उद्योग |
| 1. | मेसर्स संघवी फूडस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बगौद, तहसील - कुरूद, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स रूपगढ़ पावर प्रा.लि., ग्राम-बंजारी, तह-भखारा, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स बी.एम.एस. प्रोडक्शन ग्राम-सेमरा, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्राम-भाटागांव, तह.-कुरुद, जिला- धमतरी |
| 5. | मेसर्स विकास हाथ करघा बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्राम-कुरूद, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 6. | मेसर्स नेटकेयर बॉयोटेक प्रा.लि. सेक्टर-1, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 7. | मेसर्स योगेश सोनी, ग्राम- कोसमर्रा, कुरूद, धमतरी |
| 8. | मेसर्स गन्नी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोथाली, कुरूद, जिला- धमतरी |
| 9. | मेसस नेविक ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. इण्डस्ट्रीयल एरिया फुड पार्क बगौद, कुरुद, जिला- धमतरी |
| 10. | मेसर्स मुकेश एग्रो प्रोडक्ट्स, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी |
| 11. | मेसर्स पिनाकल हाईड्रोकोलायड, ग्राम-कोडापार, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 12. | मेसर्स अरिहंत फूड्स ग्राम-देवरी, कुरुद, जिला-धमतरी |
| 13. | मेसर्स सुनील पल्सेस, प्लाट नं 21, सेक्टर 2, इण्डस्ट्रियल एरिया फूड पार्क बगौद, तहसील-कुरूद्, जिला - धमतरी |
| 14. | मेसर्स तृप्ति फूड प्रोसेसिंग एण्ड ट्रेडर्स प्लॉट नं.-13, इण्डस्ट्रीयल एरिया फूड पार्क बगौद, तहसील-कुरुद एण्ड जिला- धमतरी |
| 15. | मेसर्स एस.के. इंटरप्राईजेस, ग्राम- अंवरी, तहसील-कुरूद, जिला- धमतरी |
| 16. | मेसर्स एम.एस.एम. ग्रीन टेक मशीनरी प्रा.लि. ग्राम-बंजारी, कुरूद, जिला-धमतरी |
| 17. | मेसर्स पान सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - बंजारी, तहसील -भखारा, जिला-धमतरी |
| 18. | मेसर्स रॉयल स्वर्णा सीड्स एग्रीटेक, ग्राम-मौरीकला, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी |
| 19. | मेसर्स श्री गणेशा फॉयर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चटौद, तहसील-कुरूद, जिला - धमतरी |
| 20. | मेसर्स रूपगढ़ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 08, खसरा नं.- 873/1, ग्राम - बंजारी, तहसील - भखारा, जिला - धमतरी |
| | विकासखण्ड - नगरी |
| | राईस मिल |
| 1. | मेसर्स श्री सांई कृपा चांवल उद्योग बांसपारा, कुकरेल, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स अरूणोदय फूड्स प्रा.लि., खसरा नं.-411, ग्राम-दरगहन, भोथली, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स अंबिका राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम- कुकरेल, नगरी, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स विकास राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-नगरी, जिला-धमतरी |
| 5. | मेसर्स जयश्री राईस मिल, ग्राम-दरगहन, जिला-धमतरी |
| 6. | मेसर्स राठी राईस इण्डस्ट्रीज, मेन रोड आमदी, जिला-धमतरी |
| 7. | मेसर्स राठी राईस मिल, मेन रोड आमदी, जिला-धमतरी |
| 8. | मेसर्स रजा राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-गेदरा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी |

| | |
|---|---|
| 9. | मेसर्स रजत इन्टरप्राइजेस, ग्राम-सियादेही, नगरी, जिला-धमतरी |
| 10. | मेसर्स सीता राईस मिल पारसपानी, तहसील-नगरी, जिला- धमतरी |
| 11. | मेसर्स गजराज एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम-गढडोंगरी माल नगरी, जिला-धमतरी |
| 12. | मेसर्स सूर्या राईस मिल, ग्राम-देवपुर, नगरी, जिला-धमतरी |
| 13. | मेसर्स मीरा राईस मिल, ग्राम-नगरी, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी |
| 14. | मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रोटेक ग्राम-सियादेवी, नगरी, जिला-धमतरी |
| 15. | मेसर्स श्री गणेश एग्रोटेक ग्राम-खडपथरा, नगरी, जिला-धमतरी |
| 16. | मेसर्स सिहावा राईस मिल, सिहावा नगरी धमतरी, जिला-धमतरी |
| 17. | मेसर्स महाकाल राईस मिल, ग्राम-मोहलाई, जिला-धमतरी |
| 18. | मेसर्स तिरूपति राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सिरौदखुर्द , जिला-धमतरी |
| 19. | मेसर्स परमेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-आमदी, जिला-धमतरी |
| 20. | मेसर्स विष्णु राईस इण्डस्ट्रीज प.ह.नं.-14, खसरा नं.- 2672, ग्राम- अमदी, तहसील एवं जिला-धमतरी |
| 21. | मेसर्स विन्ध्याचल एग्रोटेक, ग्राम-आमदी, जिला-धमतरी |
| 22. | मेसर्स कंवल राईस मिल छिपलीपारा नगरी, जिला-धमतरी |
| 23. | मेसर्स सर्वमंगला न्यूट्रीफूड्स, ग्राम-आमदी, जिला-धमतरी |
| 24. | मेसर्स साक्षी गोपाल राईस मिल, ग्राम-सांकरा, भोथली, जिला-धमतरी |
| 25. | मेसर्स अरूणोदय फूड्स प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-3, प.ह.नं. - 35, खसरा नं. - 412, 413, 414, 416, ग्राम-दरगहन, तहसील व जिला-रायपुर |
| 26. | मेसर्स सीता एग्रोटेक, ग्राम- परसपानी, जिला- धमतरी |
| 27. | मेसर्स राम मोहन इण्डस्ट्रीज, प.ह.नं. - 22, खसरा नं. - 98, ग्राम-डोंगरडूला, तहसील-नगरी जिला-धमतरी |
| 28. | मेसर्स न्यू पूजा राईस मिल, ग्राम-सिहावा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी |
| 29. | मेसर्स अमित राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सियादेही, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी |
| 30. | मेसर्स मारूति एग्रो, ग्राम-काटांकुर्रीडीह, तहसील-कुकरेल, जिला-धमतरी |
| 31. | मेसर्स श्रुतिका एग्रो, ग्राम-बनरौद, तहसील-कुकरेल, जिला- धमतरी |
| 32. | मेसर्स श्री गढ़िया बाबा राईस मिल, प.ह.नं. - 31, खसरा नं.- 560/2, ग्राम-पण्डरीपानी, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी |
| | क्रशर |
| 1. | मेसर्स वैभव मिनरल्स (प्रोप. - श्री नागेन्द्र शुक्ला), प.ह.नं. - 08, खसरा नं.- 462, 463 (पार्ट), ग्राम-अछोली, तहसील - नगरी, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स गगन नाहटा स्टोन क्रशर, ग्राम-देवपुर, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स अभिषेक मिनरल्स (प्रोपराईटर-श्री ज्ञानचंद गोलछा), ग्राम - पाईकभाठा, तहसील-बेलरगांव, जिला - धमतरी |
| | अन्य उद्योग |
| 1. | मेसर्स ए.जे. इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सांकरा, जिला- धमतरी |
| 2. | मेसर्स गुलाब चंद जैन (हाट मिक्स प्लांट), ग्राम-कल्लेमेटा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, प.ह.नं. - 13, खसरा नं. - 13, 17, 18, ग्राम-गोंदलानाला, तहसील-नगरी, जिला- धमतरी |
| | विकासखण्ड-मगरलोड |
| | राईस मिल |
| 1. | मेसर्स डी.एम.एच. एग्रोटेक, ग्राम-अमलीडीह, मगरलोड, जिला-धमतरी |
| 2. | मेसर्स लक्ष्मी मिनी राईस मिल, ग्राम-परसवानी, तहसील-मगरलोड, जिला- धमतरी |
| | क्रशर |
| 1. | मेसर्स गरीबनाथ स्टोन क्रशर (श्री विक्रम मेघवानी), ग्राम-धौराभाठा, मगरलोड, जिला-धमतरी |
| | अन्य उद्योग |
| 1. | मेसर्स चेवराक्स कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., ग्राम-राजपुर, तह.-मगरलोड जिला-धमतरी (छ.ग) |
| 2. | मेसर्स चेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन ग्राम-परसवानी, मगरलोड, जिला-धमतरी |
| 3. | मेसस दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम-केवराडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी |
| 4. | मेसर्स शॉलीमार कार्प लिमिटेड, ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी |

अवर सचिव

**प्रपत्र – ब**

**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी साईटिंग क्राइटेरिया अनुसार धमतरी जिले में उद्योगों की आबादी से न्यूनतम दूरी के संबंध में उद्योगवार एवं विकासखंडवार जानकारी**

| क्रमांक | उद्योग का नाम एवं पता | विकासखण्ड | उद्योग का प्रकार | श्रेणी (लाल/ नारंगी/हरा) | उद्योग से आबादी की न्यूनतम दूरी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ग्राम | कि.मी. |
| 1. | मेसर्स देविका एग्रोटेक, ग्राम-देमार, तहसील व जिला- धमतरी | धमतरी | अरवा राईस | हरा | तेलिनसत्ती | 1 |
| 2. | मेसर्स गोपाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, तहसील व जिला- धमतरी | धमतरी | अरवा राईस | हरा | संबलपुर | 1 |
| | | | | | उसलापुर | 1.2 |
| 3. | मेसर्स मगेन्द्र इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सोरम, तहसील व जिला - धमतरी | धमतरी | फ्लाई ऐश ब्रिक्स | हरा | सोरम | 1 |
| | | | | | भटगांव | 3 |
| 4. | मेसर्स शांतिरतन इण्डस्ट्री, प.ह.नं. - 24, खसरा नं.- 682, ग्राम - देमार, तहसील व जिला - धमतरी | धमतरी | बायोमॉस पैलेट्स/ ब्रिकेट | हरा | देमार | 2.3 |
| | | | | | तेलिनसत्ती | 2.5 |
| 5. | मेसर्स सागरी एग्रोग्रेन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 24, खसरा नं.- 630/2 एवं 634, ग्राम- देमार, तहसील व जिला-धमतरी | धमतरी | रेडीमिक्स कांक्रीट | हरा | ताराशिव | 0.3 |
| | | | | | तेलिनसत्ती | 2 |
| 6. | मेसर्स पान सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - बंजारी, तहसील -भखारा, जिला-धमतरी | कुरूद | राईस पेड्डी/ सीड एवं रेफ्रिजिरेटेड स्टोरेज सर्विसेस | नारंगी | मरोड | 1 |
| | | | | | बंजारी | 2 |
| | | | | | खपरी | 2.5 |
| 7. | मेसर्स आर्शीवाद राईस मिल, ग्राम-सेमरा, तहसील-भखारा, जिला- धमतरी | कुरूद | अरवा राईस | हरा | सेमरा | 0.18 |
| 8. | मेसर्स रॉयल स्वर्णा सीड्स एग्रीटेक, ग्राम- मौरीकला, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी | कुरूद | पेड्डी सीड प्रोसेसिंग | हरा | गोजी | 0.5 |
| | | | | | मौरीकला | 1 |
| 9. | मेसर्स श्री गणेशा फॉयर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चटौद, तहसील-कुरूद, जिला - धमतरी | कुरूद | स्पार्कलर्स | नारंगी | चटौद | 0.35 |
| | | | | | सिर्री | 0.5 |
| 10. | मेसर्स रूपगढ़ प्रोडक्ट्स प्रराईवेट लिमिटेड, प.ह.नं. - 08, खसरा नं.- 873/1, ग्राम - बंजारी, तहसील - भखारा, जिला - धमतरी | कुरूद | बायोमॉस पैलेट्स/ ब्रिकेट | हरा | बंजारी | 0.75 |
| | | | | | बगौद | 1.33 |
| | | | | | भाठागांव | 1.82 |
| | | | | | राखी | 1.90 |
| | | | | | चरमुड़िया | 3.60 |
| 11. | मेसर्स मारूति एग्रो, ग्राम-काटांकुर्रीडीह, तहसील-कुकरेल, जिला-धमतरी | नगरी | अरवा राईस | हरा | बनबगौद | 1 |
| | | | | | कुकरेल | 1.2 |
| 12. | मेसर्स श्रुतिका एग्रो, ग्राम-बनरौद, तहसील- कुकरेल, जिला- धमतरी | नगरी | अरवा राईस | हरा | कुम्हड़ा | 2.5 |
| 13. | मेसर्स अभिषेक मिनरल्स (प्रोपराईटर-श्री ज्ञानचंद गोलछा), ग्राम - पाईकभाठा, तहसील- बेलरगांव, जिला - धमतरी | नगरी | स्टोन क्रशर | नारंगी | चर्रा | 0.62 |
| | | | | | पाईकभाठा | 0.75 |
| 14. | मेसर्स श्री गढ़िया बाबा राईस मिल, प.ह.नं. - 31, खसरा नं.- 560/2, ग्राम-पण्डरीपानी, तहसील- नगरी, जिला- धमतरी | नगरी | अरवा राईस | हरा | गढ़ियापारा | 0.6 |
| | | | | | छिपलीपारा | 01 |
| 15. | मेसर्स लक्ष्मी मिनी राईस मिल, ग्राम-परसवानी, तहसील-मगरलोड, जिला- धमतरी | मगरलोड | अरवा राईस | हरा | मेघा | 02 |
| | | | | | खैरझिटी | 2.5 |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

## परिशिष्ट - सोलह

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 50) की जानकारी

प्रपत्र

### प्रदेश में खाद की उपलब्धता एवं वितरण

इकाई मे.टन

| क्र | जिला का नाम | आंकलित मांग / लक्ष्य | | | | | | दिनांक 01.04.2026 से आज दिनांक 17.06.2026 तक कुल भण्डारण | | | | | | वितरण दिनांक 17.06.2026 की स्थिति में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | रायपुर | 34800 | 19000 | 12500 | 4300 | 4600 | **75200** | 21284 | 11203 | 11538 | 3519 | 12711 | **60256** | 11455 | 4756 | 3673 | 1487 | 2451 | **23823** |
| 2 | गरियाबंद | 22670 | 9000 | 7500 | 2400 | 4200 | **45770** | 14929 | 3100 | 3040 | 1645 | 3774 | **26487** | 5502 | 1485 | 1553 | 634 | 1487 | **10661** |
| 3 | बलौदाबाजार | 42930 | 16500 | 14500 | 3500 | 8000 | **85430** | 32484 | 5857 | 13653 | 4717 | 15709 | **72421** | 14959 | 4388 | 4062 | 1461 | 3326 | **28195** |
| 4 | महासमुंद | 56760 | 21400 | 9500 | 3500 | 13600 | **104760** | 36231 | 9152 | 6762 | 3178 | 17493 | **72816** | 18351 | 5730 | 2509 | 1187 | 6226 | **34003** |
| 5 | धमतरी | 31540 | 15500 | 13500 | 2500 | 8200 | **71240** | 22967 | 5493 | 9132 | 2097 | 8570 | **48260** | 11527 | 3131 | 5217 | 781 | 3869 | **24525** |
| **योग रायपुर संभाग** | | **188700** | **81400** | **57500** | **16200** | **38600** | **382400** | **127895** | **34805** | **44125** | **15157** | **58257** | **280239** | **61794** | **19490** | **17015** | **5550** | **17359** | **121207** |
| 6 | दुर्ग | 27780 | 15300 | 8000 | 6300 | 10500 | **67880** | 21813 | 4238 | 5443 | 5376 | 11733 | **48603** | 9719 | 3448 | 2871 | 2999 | 5651 | **24689** |
| 7 | बालोद | 27270 | 12000 | 14000 | 4800 | 10000 | **68070** | 22038 | 3714 | 14105 | 4517 | 12445 | **56820** | 14484 | 2904 | 11005 | 2857 | 5469 | **36719** |
| 8 | बेमेतरा | 43860 | 21500 | 15500 | 7000 | 11000 | **98860** | 35612 | 7358 | 8183 | 5721 | 11618 | **68492** | 21633 | 6465 | 6396 | 2956 | 5581 | **43030** |
| 9 | राजनांदगांव | 28460 | 13000 | 15000 | 4500 | 8000 | **68960** | 25438 | 4526 | 11023 | 4516 | 12043 | **57546** | 17406 | 3779 | 8754 | 2481 | 5526 | **37946** |
| 10 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | 16160 | 9200 | 10200 | 2600 | 5000 | **43160** | 12678 | 3489 | 3884 | 2122 | 5368 | **27541** | 7450 | 3099 | 3626 | 1037 | 3164 | **18376** |
| 11 | मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी | 8100 | 3300 | 3800 | 2000 | 4000 | **21200** | 7599 | 1121 | 3002 | 1517 | 3122 | **16360** | 4373 | 883 | 2329 | 810 | 1782 | **10177** |
| 12 | कर्वधा | 34220 | 13000 | 10300 | 3500 | 19500 | **80520** | 27364 | 4198 | 6769 | 3515 | 13436 | **55282** | 15513 | 3354 | 4173 | 1629 | 7043 | **31712** |
| **योग दुर्ग संभाग** | | **185850** | **87300** | **76800** | **30700** | **68000** | **448650** | **152543** | **28643** | **52408** | **27284** | **69765** | **330643** | **90577** | **23932** | **39155** | **14768** | **34216** | **202648** |

| क्र | जिला का नाम | आंकलित मांग / लक्ष्य | | | | | | दिनांक 01.04.2026 से आज दिनांक 17.06.2026 तक कुल भण्डारण | | | | | | वितरण दिनांक 17.06.2026 की स्थिति में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 13 | बिलासपुर | 36350 | 13000 | 7200 | 1900 | 10500 | **68950** | 30131 | 5848 | 8520 | 1960 | 13229 | **59688** | 16919 | 3589 | 4268 | 780 | 3573 | **29129** |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 2520 | 1600 | 1000 | 400 | 700 | **6220** | 3125 | 727 | 852 | 387 | 571 | **5663** | 932 | 191 | 334 | 125 | 206 | **1788** |
| 15 | मुंगेली | 27110 | 6500 | 7100 | 2200 | 15700 | **58610** | 17515 | 2302 | 4786 | 1392 | 9408 | **35403** | 9739 | 1432 | 2302 | 649 | 4879 | **19000** |
| 16 | जांजगीर चांपा | 35730 | 10200 | 6500 | 1900 | 11500 | **65830** | 25269 | 2740 | 4362 | 2214 | 8911 | **43495** | 14827 | 1901 | 2673 | 506 | 4219 | **24126** |
| 17 | सक्ती | 22810 | 8000 | 4000 | 1200 | 4500 | **40510** | 19779 | 3053 | 6723 | 874 | 5784 | **36213** | 9594 | 1488 | 3324 | 339 | 1430 | **16173** |
| 18 | कोरबा | 9480 | 3500 | 1500 | 500 | 3500 | **18480** | 7025 | 1130 | 498 | 503 | 2684 | **11840** | 2876 | 723 | 295 | 225 | 1036 | **5155** |
| 19 | रायगढ | 25900 | 10500 | 6000 | 2100 | 6000 | **50500** | 24133 | 4547 | 5908 | 1756 | 6224 | **42568** | 11014 | 2756 | 2505 | 523 | 1873 | **18671** |
| 20 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 26130 | 8500 | 4500 | 1600 | 6800 | **47530** | 19935 | 2631 | 2630 | 1493 | 5564 | **32254** | 10428 | 1999 | 1593 | 655 | 2669 | **17344** |
| योग बिलासपुर संभाग | | **186030** | **61800** | **37800** | **11800** | **59200** | **356630** | **146913** | **22978** | **34279** | **10579** | **52375** | **267124** | **76329** | **14077** | **17294** | **3801** | **19884** | **131387** |
| 21 | सरगुजा | 16020 | 7000 | 10000 | 1500 | 3700 | **38220** | 13517 | 5579 | 6613 | 1821 | 4803 | **32334** | 7314 | 3180 | 3247 | 397 | 1195 | **15333** |
| 22 | सूरजपुर | 20420 | 6500 | 11500 | 1400 | 3600 | **43420** | 17190 | 6382 | 11353 | 1184 | 4969 | **41079** | 9778 | 2571 | 6101 | 436 | 1945 | **20830** |
| 23 | बलरामपुर | 23550 | 8000 | 10500 | 1200 | 6900 | **50150** | 16736 | 5760 | 5986 | 1474 | 6943 | **36899** | 7387 | 2739 | 2688 | 342 | 2635 | **15792** |
| 24 | कोरिया | 6190 | 3600 | 4000 | 500 | 600 | **14890** | 4917 | 2104 | 1299 | 351 | 866 | **9538** | 1673 | 751 | 453 | 60 | 175 | **3113** |
| 25 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी | 2810 | 2000 | 2000 | 300 | 200 | **7310** | 2664 | 962 | 580 | 184 | 219 | **4610** | 952 | 374 | 370 | 20 | 50 | **1766** |
| 26 | जशपुर | 13250 | 7000 | 5500 | 1200 | 3200 | **30150** | 9029 | 4769 | 2075 | 957 | 2403 | **19234** | 3401 | 1997 | 686 | 323 | 672 | **7078** |
| योग सरगुजा संभाग | | **82240** | **34100** | **43500** | **6100** | **18200** | **184140** | **64054** | **25556** | **27907** | **5972** | **20204** | **143693** | **30506** | **11612** | **13546** | **1577** | **6671** | **63912** |

| क्र | जिला का नाम | आंकलित मांग/लक्ष्य | | | | | | दिनांक 01.04.2026 से आज दिनांक 17.06.2026 तक कुल भण्डारण | | | | | | वितरण दिनांक 17.06.2026 की स्थिति में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | योग |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 27 | जगदलपुर | 19050 | 10500 | 10500 | 4200 | 2500 | **46750** | 15134 | 6619 | 5159 | 3185 | 1407 | **31504** | 5230 | 3062 | 1338 | 1141 | 422 | **11193** |
| 28 | कोंडागांव | 29640 | 11000 | 9000 | 4000 | 4000 | **57640** | 22130 | 5608 | 4943 | 3064 | 4216 | **39962** | 11382 | 3569 | 2098 | 1172 | 1016 | **19236** |
| 29 | कांकेर | 28060 | 10500 | 11000 | 6000 | 9000 | **64560** | 22923 | 3881 | 9006 | 4420 | 9367 | **49597** | 10577 | 2270 | 5001 | 1953 | 3820 | **23622** |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 31 | सुकमा | 1775 | 1200 | 1000 | 400 | 50 | **4425** | 1672 | 528 | 360 | 350 | 33 | **2943** | 215 | 144 | 189 | 60 | 2 | **610** |
| 32 | बीजापुर | 2110 | 1400 | 1400 | 100 | 50 | **5060** | 2366 | 682 | 218 | 71 | 11 | **3348** | 763 | 327 | 76 | 19 | 2 | **1187** |
| 33 | नारायणपुर | 1545 | 800 | 1500 | 500 | 400 | **4745** | 1429 | 344 | 266 | 268 | 77 | **2383** | 635 | 222 | 184 | 107 | 13 | **1161** |
| **योग बस्तर संभाग** | | **82180** | **35400** | **34400** | **15200** | **16000** | **183180** | **65654** | **17662** | **19953** | **11356** | **15112** | **129737** | **28802** | **9594** | **8886** | **4451** | **5275** | **57009** |
| **महायोग** | | **725000** | **300000** | **250000** | **80000** | **200000** | **1555000** | **557059** | **129644** | **178671** | **70349** | **215712** | **1151436** | **288009** | **78705** | **95896** | **30148** | **83406** | **576163** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
19:18:23

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 104) की जानकारी

प्रपत्र–अ

विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर में बीज की गुणवत्ता जांच का विवरण

| क्र. | विकासखण्ड | वर्ष | मौसम | प्रयोगशाला को प्रेषित नमूनों की संख्या | विश्लेषित नमूनों की संख्या | मानक नमूनों की संख्या | अमानक नमूनों की संख्या | अमानक नमूनों के विक्रेताओं के विरूद्ध कृत कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चारामा | 2024–25 | खरीफ | 32 | 32 | 32 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | चारामा | | रबी | 12 | 12 | 11 | 1 | भण्डारण / वितरण पर प्रतिबंध |
| | भानुप्रतापपुर | | | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| योग | | | | **76** | **76** | **75** | **1** | |
| 3 | चारामा | 2025–26 | खरीफ | 38 | 38 | 37 | 1 | भण्डारण / वितरण पर प्रतिबंध |
| | भानुप्रतापपुर | | | 26 | 26 | 26 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 10 | 10 | 9 | 1 | भण्डारण / वितरण पर प्रतिबंध |
| 4 | चारामा | | रबी | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| योग | | | | **97** | **97** | **95** | **2** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:03:05

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–ब

विधानसभा. क्षेत्र भानुप्रतापपुर में उर्वरक की गुणवत्ता जांच का विवरण

| क्र. | विकासखण्ड | वर्ष | मौसम | प्रयोगशाला को प्रेषित नमूनों की संख्या | विश्लेषित नमूनों की संख्या | मानक नमूनों की संख्या | अमानक नमूनों की संख्या | अमानक नमूनों के विक्रेताओं के विरूद्ध कृत कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चारामा | 2024–25 | खरीफ | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 18 | 18 | 17 | 1 | भण्डारण / वितरण पर प्रतिबंध |
| | दुर्गूकोंदल | | | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | चारामा | | रबी | 7 | 7 | 6 | 1 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **योग** | | | | **67** | **67** | **64** | **3** | |
| 3 | चारामा | 2025–26 | खरीफ | 24 | 24 | 22 | 2 | भण्डारण / वितरण पर प्रतिबंध |
| | भानुप्रतापपुर | | | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 2 | 2 | 1 | 1 | भण्डारण / वितरण पर प्रतिबंध |
| 4 | चारामा | | रबी | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **योग** | | | | **60** | **60** | **57** | **3** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:04:25

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

B

प्रपत्र–स

विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर में कीटनाशक की गुणवत्ता जांच का विवरण

| क्र. | विकासखण्ड | वर्ष | मौसम | प्रयोगशाला को प्रेषित नमूनों की संख्या | विश्लेषित नमूनों की संख्या | मानक नमूनों की संख्या | अमानक नमूनों की संख्या | अमानक नमूनों के विक्रेताओं के विरूद्ध कृत कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चारामा | 2024–25 | खरीफ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | चारामा | | रबी | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 1 | 1 | 0 | 1 | भंडारण / वितरण पर प्रतिबंध। |
| | दुर्गूकोंदल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| योग | | | | **14** | **14** | **13** | **1** | |
| 3 | चारामा | 2025–26 | खरीफ | 6 | 6 | 3 | 3 | भंडारण / वितरण पर प्रतिबंध। |
| | भानुप्रतापपुर | | | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | चारामा | | रबी | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| | भानुप्रतापपुर | | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | दुर्गूकोंदल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| योग | | | | **21** | **21** | **18** | **3** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:05:25

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–द

खरीफ वर्ष 2026 हेतु बीज मांग एवं भण्डारण (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में) की जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड | फसल का नाम | बीज मांग (क्वि.) | भण्डारित बीज मात्रा (क्वि.) | वितरित बीज मात्रा (क्वि.) | शेष बीज मात्रा (क्वि.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चारामा | धान | 851.00 | 605.70 | 158.20 | 447.50 |
| | | रागी | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कोदो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उड़द | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 14.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| | | अरहर | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| | | रामतिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| | | ढेचा | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 |
| **योग** | | | **936.20** | **677.40** | **229.90** | **447.50** |
| 2 | भानुप्रतापपुर | धान | 1596.00 | 1474.00 | 1072.60 | 401.40 |
| | | रागी | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कोदो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उड़द | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | अरहर | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| | | ढेचा | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| **योग** | | | **1696.50** | **1564.00** | **1162.60** | **401.40** |
| | | धान | 1314.00 | 1377.00 | 827.54 | 549.46 |

| क्र. | विकासखण्ड | फसल का नाम | बीज मांग (क्वि.) | भण्डारित बीज मात्रा (क्वि.) | वितरित बीज मात्रा (क्वि.) | शेष बीज मात्रा (क्वि.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | दुर्गूकोंदल | रागी | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कोदो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उड़द | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 19.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | अरहर | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| | | रामतिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढेचा | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| **योग** | | | **1360.50** | **1399.50** | **850.04** | **549.46** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:06:20

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–क

**खरीफ वर्ष 2026 में उर्वरक की मांग एवं आपूर्ति की जानकारी (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)**

| क्र. | विकासखण्ड | उर्वरकों के नाम | मांग | इकाई मी.टन./ली. | आपूर्ति /भण्डारित किए गए उर्वरक की मात्रा | वितरित किए गए उर्वरक की मात्रा | शेष (वर्तमान भण्डारण) | मांग के परिपेक्ष्य में आपूर्ति हेतु शेष उर्वरक की मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चारामा | यूरिया | 4989 | मे.टन | 3644.90 | 2740.95 | 903.95 | 1344.096 |
| | | डी.ए.पी. | 1882 | मे.टन | 365.45 | 288.60 | 76.85 | 1516.550 |
| | | एन.पी.के. | 2934 | मे.टन | 1683.50 | 1104.15 | 579.35 | 1250.500 |
| | | एम.ओ.पी. | 1143 | मे.टन | 384.30 | 241.25 | 143.05 | 758.700 |
| | | एस.एस.पी. | 2124 | मे.टन | 1771.60 | 1315.70 | 455.90 | 352.400 |
| योग | | | **13072** | | **7849.75** | **5690.65** | **2159.10** | **5222.25** |
| 2 | भानुप्रतापपुर | यूरिया | 2806 | मे.टन | 2265.97 | 1588.86 | 677.12 | 540.025 |
| | | डी.ए.पी. | 1338 | मे.टन | 458.70 | 246.00 | 212.70 | 879.300 |
| | | एन.पी.के. | 1100 | मे.टन | 1089.75 | 859.65 | 230.10 | 10.250 |
| | | एम.ओ.पी. | 514 | मे.टन | 583.40 | 414.65 | 168.75 | 0.000 |
| | | एस.एस.पी. | 1080 | मे.टन | 1073.50 | 715.65 | 357.85 | 6.500 |
| योग | | | **6838** | | **5471.32** | **3824.81** | **1646.52** | **1436.08** |
| 3 | दुर्गूकोंदल | यूरिया | 533 | मे.टन | 1206.40 | 852.34 | 354.06 | 0 |
| | | डी.ए.पी. | 233 | मे.टन | 365.55 | 314.50 | 51.05 | 0 |
| | | एन.पी.के. | 98 | मे.टन | 473.70 | 370.00 | 103.70 | 0 |
| | | एम.ओ.पी. | 114 | मे.टन | 468.25 | 334.25 | 134.00 | 0 |
| | | एस.एस.पी. | 225 | मे.टन | 428.60 | 367.90 | 60.70 | 0 |
| योग | | | **1203** | | **2942.51** | **2239.00** | **703.51** | **0** |
| महायोग | | | **21113** | | **16263.58** | **11754.46** | **4509.13** | **6658.32** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:08:54

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

K

## परिशिष्ट - अट्ठारह
## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 105) की जानकारी

प्रपत्र-

**विगत दो वर्षों में मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिलेवार मत्स्य पालकों को मछली बीज, मत्स्य आहार एवं अन्य अनुदान सामग्री वितरण की जानकारी**

| क्र. | जिला | योजना का नाम | घटक का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रायपुर | राज्य पोषित योजना | मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय | 53 | 80 | **133** |
| 2 | महासमुंद | | | 255 | 60 | **315** |
| 3 | धमतरी | | | 70 | 130 | **200** |
| 4 | गरियाबंद | | | 74 | 150 | **224** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 225 | 344 | **569** |
| 6 | दुर्ग | | | 75 | 130 | **205** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 105 | 110 | **215** |
| 8 | कबीरधाम | | | 70 | 70 | **140** |
| 9 | बालोद | | | 275 | 261 | **536** |
| 10 | बेमेतरा | | | 65 | 65 | **130** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 40 | 80 | **120** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई | | | 65 | 65 | **130** |
| 13 | सरगुजा | | | 85 | 278 | **363** |
| 14 | सूरजपुर | | | 80 | 85 | **165** |
| 15 | बलरामपुर | | | 35 | 90 | **125** |
| 16 | कोरिया | | | 60 | 40 | **100** |
| 17 | जशपुर | | | 342 | 390 | **732** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि -भरतपुर | | | 40 | 40 | **80** |
| 19 | बिलासपुर | | | 55 | 44 | **99** |
| 20 | मुंगेली | | | 140 | 175 | **315** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 90 | 90 | **180** |
| 22 | रायगढ़ | | | 90 | 343 | **433** |
| 23 | कोरबा | | | 80 | 80 | **160** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 65 | 70 | **135** |
| 25 | सक्ती | | | 50 | 80 | **130** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 60 | 30 | **90** |
| 27 | बस्तर | | | 151 | 207 | **358** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 64 | 75 | **139** |
| 29 | कांकेर | | | 75 | 135 | **210** |
| 30 | बीजापुर | | | 20 | 20 | **40** |
| 31 | नारायणपुर | | | 25 | 45 | **70** |
| 32 | सुकमा | | | 30 | 85 | **115** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 120 | 150 | **270** |
| **योग** | | | | **3129** | **4097** | **7226** |
| 1 | रायपुर | राज्य पोषित योजना | फुटकर मछली विक्रय योजना | 57 | 70 | **127** |
| 2 | महासमुंद | | | 200 | 50 | **250** |
| 3 | धमतरी | | | 65 | 90 | **155** |
| 4 | गरियाबंद | | | 70 | 100 | **170** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 155 | 265 | **420** |
| 6 | दुर्ग | | | 55 | 80 | **135** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 96 | 120 | **216** |
| 8 | कबीरधाम | | | 60 | 55 | **115** |
| 9 | बालोद | | | 130 | 45 | **175** |
| 10 | बेमेतरा | | | 100 | 45 | **145** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 35 | 85 | **120** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई | | | 45 | 45 | **90** |
| 13 | सरगुजा | | | 35 | 278 | **313** |
| 14 | सूरजपुर | | | 30 | 30 | **60** |
| 15 | बलरामपुर | | | 35 | 45 | **80** |
| 16 | कोरिया | | | 35 | 30 | **65** |
| 17 | जशपुर | | | 165 | 170 | **335** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि -भरतपुर | | | 20 | 20 | **40** |

| क्र. | जिला | योजना का नाम | घटक का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | बिलासपुर | राज्य पोषित योजना | फुटकर मछली विक्रय योजना | 41 | 58 | **99** |
| 20 | मुंगेली | | | 110 | 75 | **185** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 60 | 55 | **115** |
| 22 | रायगढ़ | | | 65 | 354 | **419** |
| 23 | कोरबा | | | 50 | 80 | **130** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 45 | 35 | **80** |
| 25 | सक्ती | | | 35 | 40 | **75** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 40 | 50 | **90** |
| 27 | बस्तर | | | 35 | 40 | **75** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 15 | 41 | **56** |
| 29 | कांकेर | | | 35 | 80 | **115** |
| 30 | बीजापुर | | | 15 | 15 | **30** |
| 31 | नारायणपुर | | | 5 | 10 | **15** |
| 32 | सुकमा | | | 15 | 25 | **40** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 35 | 20 | **55** |
| | | **योग** | | **1989** | **2601** | **4590** |
| 1 | रायपुर | राज्य पोषित योजना | मत्स्य बीज संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता | 30 | 33 | **63** |
| 2 | महासमुंद | | | 20 | 19 | **39** |
| 3 | धमतरी | | | 10 | 10 | **20** |
| 4 | गरियाबंद | | | 18 | 22 | **40** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 31 | 31 | **62** |
| 6 | दुर्ग | | | 15 | 20 | **35** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 12 | 20 | **32** |
| 8 | कबीरधाम | | | 13 | 15 | **28** |
| 9 | बालोद | | | 15 | 16 | **31** |
| 10 | बेमेतरा | | | 16 | 21 | **37** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 12 | 12 | **24** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई | | | 12 | 12 | **24** |
| 13 | सरगुजा | | | 15 | 15 | **30** |
| 14 | सूरजपुर | | | 15 | 15 | **30** |
| 15 | बलरामपुर | | | 15 | 15 | **30** |
| 16 | कोरिया | | | 15 | 14 | **29** |
| 17 | जशपुर | | | 35 | 28 | **63** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी -भरतपुर | | | 150 | 190 | **340** |
| 19 | बिलासपुर | | | 17 | 26 | **43** |
| 20 | मुंगेली | | | 28 | 30 | **58** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 14 | 20 | **34** |
| 22 | रायगढ़ | | | 30 | 38 | **68** |
| 23 | कोरबा | | | 16 | 18 | **34** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 8 | 12 | **20** |
| 25 | सक्ती | | | 7 | 13 | **20** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 15 | 15 | **30** |
| 27 | बस्तर | | | 15 | 17 | **32** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 5 | 6 | **11** |
| 29 | कांकेर | | | 0 | 8 | **8** |
| 30 | बीजापुर | | | 5 | 7 | **12** |
| 31 | नारायणपुर | | | 5 | 6 | **11** |
| 32 | सुकमा | | | 5 | 6 | **11** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 21 | 22 | **43** |
| | | **योग** | | **640** | **752** | **1392** |
| 1 | रायपुर | राज्य पोषित योजना | पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय) | 90 | 105 | **195** |
| 2 | महासमुंद | | | 315 | 255 | **570** |
| 3 | धमतरी | | | 713 | 557 | **1270** |
| 4 | गरियाबंद | | | 150 | 175 | **325** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 150 | 270 | **420** |
| 6 | दुर्ग | | | 195 | 240 | **435** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 240 | 240 | **480** |
| 8 | कबीरधाम | | | 0 | 0 | **0** |
| 9 | बालोद | | | 240 | 225 | **465** |
| 10 | बेमेतरा | | | 470 | 364 | **834** |

| क्र. | जिला | योजना का नाम | घटक का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | राज्य पोषित योजना | पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय) | 75 | 105 | **180** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | | | 105 | 105 | **210** |
| 13 | सरगुजा | | | 0 | 0 | **0** |
| 14 | सूरजपुर | | | 45 | 225 | **270** |
| 15 | बलरामपुर | | | 11 | 11 | **22** |
| 16 | कोरिया | | | 61 | 105 | **166** |
| 17 | जशपुर | | | 10 | 11 | **21** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 12 | 54 | **66** |
| 19 | बिलासपुर | | | 120 | 135 | **255** |
| 20 | मुंगेली | | | 45 | 60 | **105** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 135 | 180 | **315** |
| 22 | रायगढ़ | | | 45 | 165 | **210** |
| 23 | कोरबा | | | 45 | 60 | **105** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 147 | 189 | **336** |
| 25 | सक्ती | | | 60 | 60 | **120** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 60 | 105 | **165** |
| 27 | बस्तर | | | 30 | 105 | **135** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 10 | 11 | **21** |
| 29 | कांकेर | | | 0 | 0 | **0** |
| 30 | बीजापुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 31 | नारायणपुर | | | 0 | 15 | **15** |
| 32 | सुकमा | | | 15 | 15 | **30** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 15 | 195 | **210** |
| | **योग** | | | **3609** | **4342** | **7951** |
| 1 | रायपुर | राज्य पोषित योजना | फिंगरलिंग क्रय कर संचयन | 250 | 270 | **520** |
| 2 | महासमुंद | | | 123 | 203 | **326** |
| 3 | धमतरी | | | 288 | 260 | **548** |
| 4 | गरियाबंद | | | 220 | 128 | **348** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 650 | 734 | **1384** |
| 6 | दुर्ग | | | 500 | 500 | **1000** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 55 | 750 | **805** |
| 8 | कबीरधाम | | | 650 | 650 | **1300** |
| 9 | बालोद | | | 236 | 362 | **598** |
| 10 | बेमेतरा | | | 250 | 270 | **520** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 108 | 125 | **233** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | | | 30 | 75 | **105** |
| 13 | सरगुजा | | | 278 | 279 | **557** |
| 14 | सूरजपुर | | | 262 | 250 | **512** |
| 15 | बलरामपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 16 | कोरिया | | | 258 | 250 | **508** |
| 17 | जशपुर | | | 375 | 422 | **797** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 19 | बिलासपुर | | | 249 | 283 | **532** |
| 20 | मुंगेली | | | 168 | 200 | **368** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 650 | 650 | **1300** |
| 22 | रायगढ़ | | | 295 | 300 | **595** |
| 23 | कोरबा | | | 342 | 314 | **656** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 32 | 55 | **87** |
| 25 | सक्ती | | | 0 | 25 | **25** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 135 | 135 | **270** |
| 27 | बस्तर | | | 883 | 945 | **1828** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 160 | 160 | **320** |
| 29 | कांकेर | | | 10 | 74 | **84** |
| 30 | बीजापुर | | | 75 | 48 | **123** |
| 31 | नारायणपुर | | | 106 | 103 | **209** |
| 32 | सुकमा | | | 90 | 66 | **156** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 310 | 266 | **576** |
| | **योग** | | | **8038** | **9152** | **17190** |

| क्र. | जिला | योजना का नाम | घटक का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रायपुर | राज्य पोषित योजना | झींगा पॉली कल्चर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) | 0 | 0 | **0** |
| 2 | महासमुंद | | | 54 | 20 | **74** |
| 3 | धमतरी | | | 0 | 0 | **0** |
| 4 | गरियाबंद | | | 25 | 5 | **30** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 175 | 35 | **210** |
| 6 | दुर्ग | | | 6 | 29 | **35** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 0 | 0 | **0** |
| 8 | कबीरधाम | | | 0 | 0 | **0** |
| 9 | बालोद | | | 30 | 0 | **30** |
| 10 | बेमेतरा | | | 0 | 0 | **0** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 15 | 15 | **30** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | | | 10 | 10 | **20** |
| 13 | सरगुजा | | | 0 | 0 | **0** |
| 14 | सूरजपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 15 | बलरामपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 16 | कोरिया | | | 0 | 0 | **0** |
| 17 | जशपुर | | | 55 | 55 | **110** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 19 | बिलासपुर | | | 96 | 45 | **141** |
| 20 | मुंगेली | | | 65 | 20 | **85** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 70 | 60 | **130** |
| 22 | रायगढ़ | | | 35 | 35 | **70** |
| 23 | कोरबा | | | 0 | 0 | **0** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 5 | 5 | **10** |
| 25 | सक्ती | | | 0 | 0 | **0** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 10 | 10 | **20** |
| 27 | बस्तर | | | 25 | 25 | **50** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 105 | 89 | **194** |
| 29 | कांकेर | | | 45 | 43 | **88** |
| 30 | बीजापुर | | | 25 | 25 | **50** |
| 31 | नारायणपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 32 | सुकमा | | | 168 | 55 | **223** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 130 | 135 | **265** |
| | **योग** | | | **1149** | **716** | **1865** |
| 1 | रायपुर | केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) | नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण) सह इनपुट्स सहायता | 12 | 0 | **12** |
| 2 | महासमुंद | | | 3 | 6 | **9** |
| 3 | धमतरी | | | 18 | 4 | **22** |
| 4 | गरियाबंद | | | 8 | 11 | **19** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 11 | 3 | **14** |
| 6 | दुर्ग | | | 9 | 7 | **16** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 25 | 18 | **43** |
| 8 | कबीरधाम | | | 0 | 0 | **0** |
| 9 | बालोद | | | 10 | 3 | **13** |
| 10 | बेमेतरा | | | 24 | 7 | **31** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 69 | 24 | **93** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | | | 1 | 4 | **5** |
| 13 | सरगुजा | | | 0 | 0 | **0** |
| 14 | सूरजपुर | | | 16 | 7 | **23** |
| 15 | बलरामपुर | | | 2 | 0 | **2** |
| 16 | कोरिया | | | 12 | 8 | **20** |
| 17 | जशपुर | | | 31 | 14 | **45** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 6 | 0 | **6** |
| 19 | बिलासपुर | | | 3 | 0 | **3** |
| 20 | मुंगेली | | | 6 | 0 | **6** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 0 | 0 | **0** |
| 22 | रायगढ़ | | | 0 | 8 | **8** |
| 23 | कोरबा | | | 0 | 2 | **2** |

| क्र. | जिला | योजना का नाम | घटक का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) | नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण) सह इनपुट्स सहायता | 10 | 6 | **16** |
| 25 | सक्ती | | | 0 | 2 | **2** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 0 | 1 | **1** |
| 27 | बस्तर | | | 3 | 2 | **5** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 1 | 0 | **1** |
| 29 | कांकेर | | | 59 | 13 | **72** |
| 30 | बीजापुर | | | 4 | 3 | **7** |
| 31 | नारायणपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 32 | सुकमा | | | 16 | 1 | **17** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 45 | 1 | **46** |
| | **योग** | | | **404** | **155** | **559** |
| 1 | रायपुर | केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) | मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर) | 7 | 0 | **7** |
| 2 | महासमुंद | | | 16 | 0 | **16** |
| 3 | धमतरी | | | 4 | 0 | **4** |
| 4 | गरियाबंद | | | 0 | 0 | **0** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 7 | 11 | **18** |
| 6 | दुर्ग | | | 10 | 9 | **19** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 42 | 7 | **49** |
| 8 | कबीरधाम | | | 0 | 0 | **0** |
| 9 | बालोद | | | 7 | 10 | **17** |
| 10 | बेमेतरा | | | 2 | 3 | **5** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 6 | 12 | **18** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई | | | 0 | 0 | **0** |
| 13 | सरगुजा | | | 0 | 0 | **0** |
| 14 | सूरजपुर | | | 3 | 12 | **15** |
| 15 | बलरामपुर | | | 1 | 7 | **8** |
| 16 | कोरिया | | | 0 | 0 | **0** |
| 17 | जशपुर | | | 4 | 11 | **15** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 19 | बिलासपुर | | | 9 | 14 | **23** |
| 20 | मुंगेली | | | 15 | 12 | **27** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 0 | 0 | **0** |
| 22 | रायगढ़ | | | 3 | 11 | **14** |
| 23 | कोरबा | | | 0 | 3 | **3** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 10 | 1 | **11** |
| 25 | सक्ती | | | 10 | 0 | **10** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 14 | 24 | **38** |
| 27 | बस्तर | | | 1 | 1 | **2** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 4 | 1 | **5** |
| 29 | कांकेर | | | 0 | 2 | **2** |
| 30 | बीजापुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 31 | नारायणपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 32 | सुकमा | | | 0 | 0 | **0** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 5 | 4 | **9** |
| | **योग** | | | **180** | **155** | **335** |
| 1 | रायपुर | केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) | जलाशयों में पिंजरों की स्थापना (केज कल्चर) | 0 | 0 | **0** |
| 2 | महासमुंद | | | 17 | 2 | **19** |
| 3 | धमतरी | | | 3 | 8 | **11** |
| 4 | गरियाबंद | | | 10 | 1 | **11** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 0 | 0 | **0** |
| 6 | दुर्ग | | | 0 | 0 | **0** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 18 | 0 | **18** |
| 8 | कबीरधाम | | | 0 | 0 | **0** |
| 9 | बालोद | | | 4 | 10 | **14** |
| 10 | बेमेतरा | | | 0 | 0 | **0** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 0 | 5 | **5** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई | | | 12 | 12 | **24** |
| 13 | सरगुजा | | | 0 | 0 | **0** |

| क्र. | जिला | योजना का नाम | घटक का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | सूरजपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 15 | बलरामपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 16 | कोरिया | | | 0 | 0 | **0** |
| 17 | जशपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 0 | 9 | **9** |
| 19 | बिलासपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 20 | मुंगेली | | | 0 | 0 | **0** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 0 | 0 | **0** |
| 22 | रायगढ़ | केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) | | 0 | 18 | **18** |
| 23 | कोरबा | | जलाशयों में पिंजरों की स्थापना (केज कल्चर) | 0 | 11 | **11** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 51 | 0 | **51** |
| 25 | सक्ती | | | 0 | 0 | **0** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 0 | 0 | **0** |
| 27 | बस्तर | | | 0 | 0 | **0** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 0 | 0 | **0** |
| 29 | कांकेर | | | 3 | 8 | **11** |
| 30 | बीजापुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 31 | नारायणपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 32 | सुकमा | | | 0 | 0 | **0** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 0 | 0 | **0** |
| | **योग** | | | **118** | **84** | **202** |
| 1 | रायपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 2 | महासमुंद | | | 0 | 0 | **0** |
| 3 | धमतरी | | | 1 | 0 | **1** |
| 4 | गरियाबंद | | | 0 | 0 | **0** |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | | 0 | 0 | **0** |
| 6 | दुर्ग | | | 0 | 0 | **0** |
| 7 | राजनांदगांव | | | 32 | 60 | **92** |
| 8 | कबीरधाम | | | 0 | 0 | **0** |
| 9 | बालोद | | | 7 | 3 | **10** |
| 10 | बेमेतरा | | | 0 | 0 | **0** |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | | 2 | 6 | **8** |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | | | 0 | 0 | **0** |
| 13 | सरगुजा | | | 0 | 0 | **0** |
| 14 | सूरजपुर | | | 22 | 0 | **22** |
| 15 | बलरामपुर | केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) | नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण | 0 | 0 | **0** |
| 16 | कोरिया | | | 4 | 21 | **25** |
| 17 | जशपुर | | | 12 | 12 | **24** |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 19 | बिलासपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 20 | मुंगेली | | | 0 | 0 | **0** |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | | 0 | 0 | **0** |
| 22 | रायगढ़ | | | 2 | 0 | **2** |
| 23 | कोरबा | | | 0 | 0 | **0** |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | | 3 | 0 | **3** |
| 25 | सक्ती | | | 0 | 0 | **0** |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | | 0 | 0 | **0** |
| 27 | बस्तर | | | 0 | 0 | **0** |
| 28 | दंतेवाड़ा | | | 0 | 0 | **0** |
| 29 | कांकेर | | | 15 | 9 | **24** |
| 30 | बीजापुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 31 | नारायणपुर | | | 0 | 0 | **0** |
| 32 | सुकमा | | | 0 | 0 | **0** |
| 33 | कोण्डागांव | | | 1 | 18 | **19** |
| | **योग** | | | **101** | **129** | **230** |
| | **महायोग** | | | **19357** | **22183** | **41540** |

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

# परिशिष्ट - उन्नीस

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 121) की जानकारी

प्रपत्र

डी.ए.पी. उर्वरक वितरण की जानकारी खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)

इकाई मे.टन

| क. | जिला का नाम | डीएपी |
|---|---|---|
| | | वितरण |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | रायपुर | 6473 |
| 2 | गरियाबंद | 2157 |
| 3 | बलौदाबाजार | 4777 |
| 4 | महासमुंद | 6819 |
| 5 | धमतरी | 3872 |
| 6 | दुर्ग | 3905 |
| 7 | बालोद | 3131 |
| 8 | बेमेतरा | 6997 |
| 9 | राजनांदगांव | 4068 |
| 10 | खैरागढ़ | 3361 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 952 |
| 12 | कर्वधा | 3905 |
| 13 | बिलासपुर | 4011 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 302 |
| 15 | मुंगेली | 1675 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 2246 |
| 17 | **सक्ती** | 2083 |
| 18 | कोरबा | 932 |
| 19 | रायगढ | 3412 |
| 20 | **सारंगढ़** | 2267 |
| 21 | सरगुजा | 3690 |
| 22 | सूरजपुर | 3253 |
| 23 | बलरामपुर | 2863 |
| 24 | कोरिया | 854 |
| 25 | **मनेन्द्रगढ़** | 537 |
| 26 | जशपुर | 2773 |
| 27 | जगदलपुर | 3794 |
| 28 | कोंडागांव | 3622 |
| 29 | कांकेर | 2325 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 |
| 31 | सुकमा | 330 |
| 32 | बीजापुर | 333 |
| 33 | नारायणपुर | 273 |
| **महायोग** | | **91991** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
15:34:16

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परिशिष्ट - बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 151) की जानकारी

**प्रपत्र-अ**

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नवा रायपुर एवं समीपस्थ क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किन-किन स्थानों पर कब से आवास भवन निर्माण एवं आवासीय भवन हेतु आबंटित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य किया गया/जा रहा है क्षेत्रवार 15.06.2026 की तिथि में भौतिक स्थिति की जानकारी

| क्र. | स्थान का नाम | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|
| 1 | तिलक नगर कालोनी, गुढ़ियारी | कार्य पूर्ण |
| 2 | रामकृष्ण परमहंस कालोनी, कोटा | कार्य पूर्ण |
| 3 | टांटीबंध कालोनी | कार्य पूर्ण |
| 4 | माधव राव सप्रे नगर कालोनी बीरगाव | कार्य पूर्ण |
| 5 | वीरसावरकर नगर, | कार्य पूर्ण |
| 6 | पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, | कार्य पूर्ण |
| 7 | कबीर नगर कालोनी | कार्य पूर्ण |
| 8 | सड्डू रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 9 | दोंदेखुर्द रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 10 | नरदहा, फेस-1, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 11 | नरदहा, फेस-2, रायपुर | निर्माणाधीन |
| 12 | पिरदा, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 13 | सरहद फेस-1, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 14 | सरहद फेस-2, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 15 | कचना फेस-1, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 16 | कचना फेस-2, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 17 | खम्हारडीह, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 18 | शंकर नगर, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 19 | अवंति विहार, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 20 | मुनगी फेस-1, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 21 | मुनगी फेस-2, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 22 | मुनगी फेस-3, रायपुर | निर्माणाधीन |
| 23 | धनसुली फेस-1, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 24 | धनसुली फेस-2, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 25 | परसुलीडीह, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 26 | सुर्या अपार्टमेंट, कटोरा तालाब, रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 27 | सेजबहार, फेस-01, रायपुर | कार्य पूर्ण। |
| 28 | विशेष आवासीय योजना पुरैना, रायपुर | कार्य पूर्ण। |
| 29 | दीनदयाल आवास योजना, खिलौरा, रायपुर | कार्य पूर्ण। |
| 30 | बोरियाकला, रायपुर | कार्य पूर्ण। |
| 31 | डूमरतराई, रायपुर | कार्य पूर्ण। |
| 32 | सेजबहार, फेस-02, रायपुर | कार्य पूर्ण। |

| क्र. | स्थान का नाम | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|
| 33 | सेक्टर-27 नवा रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 34 | सेक्टर-29 नवा रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 35 | सेक्टर-12 नवा रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 36 | सेक्टर-16 नवा रायपुर | सड़क निर्माण पूर्णता की ओर। |
| 37 | सेक्टर-30 नवा रायपुर | कार्य पूर्ण |
| 38 | सेक्टर-34 नवा रायपुर | सड़क निर्माण प्रगति पर। |
| 39 | धरमपुरा | कार्य पूर्ण |
| 40 | आरंग | कार्य पूर्ण |
| 41 | गोबरा, नवापारा | कार्य पूर्ण |
| 42 | गातापार, अभनपुर | कार्य पूर्ण |
| 43 | उरला, अभनपुर | कार्य पूर्ण |
| 44 | बेलभाठा, अभनपुर | कार्य पूर्ण |
| 45 | सेरीखेड़ी (मंत्रालयीन कर्मचारी) | कार्य पूर्ण |
| 46 | सेरीखेड़ी(एम.पी./एम.एल.ए.) फेस-1 | कार्य पूर्ण |
| 47 | सेरीखेड़ी (ए.आई.एस.) फेस-1 | कार्य पूर्ण |
| 48 | सेरीखेड़ी (एम.पी./एम.एल.ए.)फेस-2 | सड़क निर्माण प्रगति पर। |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

**प्रपत्र-ब**

छेड़ीखेडी में आबंटित आवासीय प्लाट के क्षेत्र में सड़क निर्माण की स्थिति 15.06.2026 तिथि तक, सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं कार्यपूर्णता की तिथि की जानकारी

| | |
|---|---|
| 1. | सेरीखेड़ी में एम.पी., एम.एल.ए. फेस-1 हेतु विशेष आवासीय योजना के तहत् 61 भूखण्डों का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण। |
| 2. | सेरीखेड़ी में ए.आई.एस. अधिकारियों फेस-1 हेतु विशेष आवासीय योजना के तहत् 196 भूखण्डों का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण। |
| 3. | मंत्रालयीन कर्मचारियों हेतु विशेष आवासीय योजना के तहत् 298 भूखण्डों का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण। |
| 4. | सेरीखेड़ी में एम.पी./एम.एल.ए./ए.आई.एस. फेस-2 हेतु विशेष आवासीय योजना के तहत् 134 भूखण्डों का सड़क निर्माण प्रगति पर है तथा पूर्णता तिथि बताया जाना संभव नहीं है। |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 501) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम- फुलझर, तहसील व जिला- राजनांदगांव के किये गये निरीक्षण व उनके परिणाम की जानकारी

| क्र. | उद्योग के निरीक्षण का दिनांक | पाई गई स्थिति का विवरण | की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2024 | स्थिति सामान्य पाई गई। | तदानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है। |
| 2. | 04.09.2025 | स्थिति सामान्य पाई गई। | तदानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है। |
| 3. | 19.01.2026 | स्थिति सामान्य पाई गई। | तदानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है। |
| 4. | 01.04.2026 | स्थिति सामान्य पाई गई। | तदानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है। |
| 5. | 01.07.2026 | 1. उद्योग में स्थापित चिमनी से अत्याधिक मात्रा में उत्सर्जन अवलोकित हुआ।<br>2. आशिंक उपचारित दूषित जल का उद्योग परिसर के भीतर विभिन्न स्थानों पर जमाव एवं पिट में संग्रहण पाया गया।<br>3. फ्युजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपाय किये बगैर फ्लाई ऐश का खुले में भण्डारण पाया गया।<br>4. हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नही पाई गई। | उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 01.07.2026 को नोटिस जारी किया गया है। |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ में स्थापित एवं संचालित एथेनाल इकाईयों की सूची जिनके द्वारा जल एवं वायु प्रदूषकों की सतत् निगरानी हेतु ऑनलाइन कंटीन्यूअस मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गयी है

| क्र. | उद्योग का नाम एवं पता |
|---|---|
| 1. | मेसर्स हयाती बेवरेजेस प्राईवेट लिमिटड, ग्राम- भैसा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) |
| 2. | मेसर्स सुयश बायो फ्यूल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- रांका, तहसील- बेरला, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) |
| 3. | मेसर्स न्यू लुक बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- फुलझर, तहसील व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) |
| 4. | मेसर्स एनकेजे बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- रम्हेपुर, विकासखण्ड बोडला जिला- कबीरधाम (छ.ग.) |
| 5. | मेसर्स बायोटेक फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- पथर्रा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) |
| 6. | मेसर्स मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-भिलाई, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर |
| 7. | मेसर्स श्री बजरंग केमिकल डिस्टीलरी एलएलपी, ग्राम व् तहसील-आरंग, जिला-रायपुर |
| 8. | मेसर्स पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-बेलटुकरी, तहसील व् जिला-महासमुंद |
| 9. | मेसर्स माँ दंतेश्वरी मैजे प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ग्राम-कोकोड़ी, तहसील व जिला-कोंडागांव |
| 10. | मेसर्स माँ मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ |
| 11. | मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ |

अनुभाग अधिकारी,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

# परिशिष्ट - बाईस
## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 665) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ 2025– एवं रबी 2025–26 में प्रमाणित बीज भंडारण एवं वितरण की जिलेवार जानकारी

(मात्रा क्वि.)

| क्र. | जिला | खरीफ 2025 | | रबी 2025–26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बीज भण्डारण | बीज वितरण | बीज भण्डारण | बीज वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रायपुर | 41955.58 | 41,637.26 | 3133.51 | 3,109.89 |
| 2 | बलौदाबाजार | 30745.9 | 29,447.04 | 3401.92 | 3,238.94 |
| 3 | गरियाबंद | 18587.74 | 16,922.24 | 2032.98 | 2,032.98 |
| 4 | महासमुन्द | 34202.02 | 33,561.22 | 4132.38 | 4,008.66 |
| 5 | धमतरी | 13033.8 | 12,105.00 | 3295.12 | 3,077.83 |
| | **योग रायपुर संभाग** | **1,38,525.04** | **1,33,672.76** | **15,995.91** | **15,468.30** |
| 6 | दुर्ग | 29619.54 | 28,791.17 | 9595.75 | 9,476.96 |
| 7 | बालोद | 23686.18 | 23,182.48 | 4073.84 | 4,053.84 |
| 8 | बेमेतरा | 24944.58 | 24,944.58 | 15159.76 | 12,487.90 |
| 9 | राजनांदगांव | 12953.18 | 12,630.97 | 9708.68 | 6,825.40 |
| 10 | मानपुर–मोहला | 5448.1 | 5,215.86 | 2002.82 | 2,002.82 |
| 11 | खैरागढ़ | 6551.28 | 6,510.18 | 3624.34 | 3,614.30 |
| 12 | कबीरधाम | 7344.38 | 7,192.88 | 6757.5 | 5,218.50 |
| | **योग दुर्ग संभाग** | **1,10,547.24** | **1,08,468.12** | **50,922.69** | **43,679.72** |
| 13 | बिलासपुर | 20373.06 | 20,032.66 | 4919.54 | 4,892.30 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा मरवाही | 4469.5 | 4,078.40 | 1861.68 | 1,843.48 |
| 15 | मुंगेली | 17737.5 | 17,690.18 | 4401.29 | 4,401.29 |
| 16 | जांजगीर | 24712.5 | 24,275.40 | 2366.2 | 2,935.80 |
| 17 | सक्ती | 23860.76 | 23,797.46 | 2094.72 | 2,192.00 |
| 18 | कोरबा | 12060.74 | 11,871.14 | 1409.32 | 1,409.32 |
| 19 | रायगढ़ | 28634.64 | 27,668.34 | 3674.76 | 3,670.28 |
| 20 | सारंगढ़ | 21345.28 | 21,328.18 | 3034.7 | 3,109.30 |
| | **योग बिलासपुर संभाग** | **1,53,193.98** | **1,50,741.76** | **23,762.21** | **24,453.77** |
| 21 | सरगुजा | 10871.38 | 10,871.38 | 6238.68 | 6,239.48 |
| 22 | सूरजपुर | 5397.48 | 5,199.08 | 3832.6 | 3,832.60 |
| 23 | बलरामपुर | 5065.86 | 4,953.22 | 3348.35 | 3,261.71 |
| 24 | कोरिया | 5462.56 | 5,462.56 | 5136.96 | 5,136.96 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 3746.02 | 3,746.02 | 2821.08 | 2,821.08 |
| 26 | जशपुर | 8726.04 | 8,190.32 | 1904.32 | 2,035.92 |
| | **योग सरगुजा संभाग** | **39,269.34** | **38,422.58** | **23,281.99** | **23,327.75** |
| 27 | जगदलपुर | 10613.64 | 10,552.64 | 947.88 | 954.56 |
| 28 | कोण्डागॉव | 5209.02 | 4,993.02 | 1432.29 | 1,313.19 |
| 29 | दंतेवाड़ा | 2859.54 | 2,859.54 | 429.34 | 429.34 |
| 30 | सुकमा | 3723.6 | 3,723.60 | 228.24 | 228.24 |
| 31 | बीजापुर | 9991.3 | 9,418.20 | 113.76 | 113.76 |
| 32 | नारायणपुर | 1539.12 | 1,536.02 | 592.96 | 592.26 |
| 33 | कांकेर | 11819.71 | 10,647.56 | 2716.2 | 2,631.20 |
| | **योग बस्तर संभाग** | **45,755.93** | **43,730.58** | **6,460.67** | **6,262.55** |
| | **कुल योग्य** | **4,87,291.53** | **4,75,035.80** | **1,20,423.47** | **1,13,192.09** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
20:17:38

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - तेईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 673) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में संचालित मत्स्य पालन केन्द्र की जानकारी

| क्र. | मत्स्य पालन केन्द्र का नाम | पता | निजी/ शासकीय | निर्माण वर्ष | निर्मित तालाब संख्या | रकबा (हैक्टेयर में) | उत्पादन क्षमता | वर्तमान में क्रियाशील या अक्रियाशील |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र | बसदेई, वि.ख. सूरजपुर | शासकीय | 1983-84 | 04 प्रजनक पोखर 21 संवर्धन पोखर | 4.00 | स्पान उत्पादन 420 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई 90 लाख | क्रियाशील |
| 2 | मत्स्य बीज प्रक्षेत्र | महंगई, वि.ख. प्रेमनगर | निजी | 2020-21 | 04 संवर्धन पोखर | 2.00 | - | अक्रियाशील |

सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

नोडल अधिकारी विधानसभा
उप संचालक मछलीपालन
संचालनालय मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 681) की जानकारी

प्रपत्र– 'अ'

| क. | जिला का नाम | गौधाम का नाम | गौधाम संचालन समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक / दिनांक | प्रदायित अनुदान राशि रूपये | | | कुल अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पोषण आहार | अधोसंचना निर्माण | चरवाहा मानदेय | |
| 1 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | ग्राम सालर, वि.ख. सारंगढ़ | हरिदेव गौ सेवा समति कंवलाझर, वि.ख. सारंगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 027 / 02.03.2026 | 36000.00 | 500000.00 | - | **536000.00** |
| 2 | बिलासपुर | लाखासार, वि.खं.– तखतपुर | कामधेनु गौशाला सेवा समिति, लाखासार, जिला बिलासपुर | 001 / 08.12.2025 | 199450.00 | 500000.00 | - | **699450.00** |
| 3 | | ओखर, वि.खं.– मस्तूरी | श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति, ओखर, जिला बिलासपुर | 002 / 08.12.2025 | 108300.00 | 500000.00 | - | **608300.00** |
| 4 | गौ–पे.–मरवाही | तरईगांव, वि.ंख. गौरेला | सजल श्रद्धा विकास गौशाला, तरईगांव, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 005 / 08.12.2025 | 3570.00 | - | - | **3570.00** |
| 5 | | पड़वनिया, वि.ंख. गौरेला | गौसेवा संस्थान, पेंड्रारोड, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 006 / 08.12.2025 | 3850.00 | - | - | **3850.00** |
| 6 | महासमुंद | कुटेला, वि.खं. –सरायपाली | माँ शारदा गौशाला समिति, नवरंगपुर, सरायपाली, महासमुंद | 003 / 08.12.2025 | 30780.00 | - | - | **30780.00** |
| 7 | दुर्ग | ग्राम नारधा, वि.ख. धमधा, | सर्वोदय मंदिर फाउंडेशन, भिलाई–3, जिला दुर्ग | 022 / 02.03.2026 | 5100.00 | - | - | **5100.00** |
| 8 | | ग्राम उमरपोटी, वि.ख. दुर्ग | एकता स्व सहायता समूह ग्राम उमरपोटी, तह. व जिला दुर्ग | 029 / 02.03.2026 | 55800.00 | 500000.00 | - | **555800.00** |

| क. | जिला का नाम | गौधाम का नाम | गौधाम संचालन समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक / दिनांक | प्रदायित अनुदान राशि रूपये | | | कुल अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पोषण आहार | अधोसंचना निर्माण | चरवाहा मानदेय | |
| 9 | बेमेतरा | केंवतरा, वि.ख. साजा | मां भगवती गौशाला समिति ग्राम पिपरिया, जिला बेमेतरा | 004 / 08.12.2025 | 165750.00 | 500000.00 | 39536.00 | **705286.00** |
| 10 | | देवकर, वि.ख. साजा | केशव कुंज गौसेवा समिति ग्राम देवकर, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा | 024 / 02.03.2026 | 35400.00 | 500000.00 | 9976.00 | **545376.00** |
| 11 | | राखी, वि.ख. साजा | अन्नपूर्ण स्व सहायता समूह, ग्राम राखी, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा | 025 / 02.03.2026 | 41100.00 | 500000.00 | 9976.00 | **551076.00** |
| 12 | राजनांदगांव | ग्राम बरगाही, वि.ख. राजनांदगांव | मां बंजारी गौशाला पिंजरापोल, बरगाही, जिला राजनादांगवं | 016 / 02.03.2026 | 23400.00 | - | - | **23400.00** |
| | | | | कुल | **708500.00** | **3500000.00** | **59488.00** | **4267988.00** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'ब'

| क | गौधाम का नाम | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | देवीगंज, वि.खं.– रामचंद्रपुर | बलरामपुर | रामचन्द्रपुर | देवीगंज | देवीगंज |
| 2 | गम्हरिया, वि.खं.–रामचंद्रपुर | बलरामपुर | रामचन्द्रपुर | गम्हरिया | गम्हरिया |
| 3 | बासेन, वि.खं.–राजपुर | बलरामपुर | राजपुर | जिगड़ी | बासेन |
| 4 | जयनगर, वि.ख. सूरजपुर | सूरजपुर | सूरजपुर | जयनगर | जयनगर |
| 5 | सत्यनगर, वि.ख. भैयाथान | सूरजपुर | भैयाथान | सत्यनगर | सत्यनगर |
| 6 | करवाँ, वि.ख. सूरजपुर | सूरजपुर | सूरजपुर | करवाँ | करवाँ |
| 7 | सूरजपुर, वि.ख. सूरजपुर | सूरजपुर | सूरजपुर | तिलसिंवा | सूरजपुर |
| 8 | गोविन्दपुर, वि.ख. सूरजपुर | सूरजपुर | सूरजपुर | गोविन्दपुर | गोविन्दपुर |
| 9 | सोनतराई, वि.ख. सीतापुर | सरगुजा | सीतापुर | सोनतराई | सोनतराई |
| 10 | कोसमनारा, वि.खं.–रायगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | कोसमनारा | कोसमनारा |
| 11 | संबलपुरी, वि.खं.–रायगढ़ | रायगढ़ | रायगढ़ | संबलपुरी | संबलपुरी |
| 12 | बरपाली, वि.खं.–पुसौर | रायगढ़ | पुसौर | बरपाली | बरपाली |
| 13 | झलमला, वि.खं.–पुसौर | रायगढ़ | पुसौर | झलमला | झलमला |
| 14 | लिंजीर, वि.खं.–पुसौर | रायगढ़ | पुसौर | लिंजीर | लिंजीर |
| 15 | राजपुर, वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | राजपुर | राजपुर |
| 16 | नारायणपुर वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | नारायणपुर | नारायणपुर |
| 17 | बीरसिंघा, वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | बीरसिंघा | बीरसिंघा |
| 18 | गेरूपानी (कर्राहन), वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | गेरूपानी | गेरूपानी |
| 19 | केन्दाटिकरा, वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | रूडुकेला | केन्दाटिकरा |
| 20 | झरन, वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | झरन | झरन |
| 21 | कोड़ासिया, वि.खं.–लैलूंगा | रायगढ़ | लैलूंगा | कोड़सिया | कोड़सिया |
| 22 | ग्राम सहसपानी, वि.ख. सारंगढ़ | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | सहसपानी | सहसपानी |
| 23 | ग्राम सालर, वि.ख. सारंगढ़ | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | सालर | सालर |
| 24 | ग्राम लेंधा, वि.ख. सारंगढ़ | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | लेंधा | लेंधा |
| 25 | ग्राम बरदुला, वि.ख. सारंगढ़, | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | बरदुला | बरदुला |
| 26 | कोसीर, वि.ख. सारंगढ़ | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | कोसीर | कोसीर |
| 27 | ओखर, वि.खं.– मस्तूरी | बिलासपुर | मस्तूरी | ओखर | ओखर |
| 28 | लाखासार, वि.खं.– तखतपुर | बिलासपुर | तखतपुर | लाखासार | लाखासार |
| 29 | हरदीकला, वि.ख. बिल्हा | बिलासपुर | बिल्हा | हरदीकला | हरदीकला |
| 30 | कनई (खोंदरा), वि.खं–मस्तूरी | बिलासपुर | मस्तूरी | खोंदरा | कनई |
| 31 | श्रीधाम गौधाम जैतपुर, वि.खं–मस्तूरी | बिलासपुर | मस्तूरी | जैतपुर | जैतपुर |
| 32 | पड़वनिया, विं.ख. गौरेला | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | गौरेला | पड़वनिया | पड़वनिया |
| 33 | तरईगांव, विं.ख. गौरेला | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | गौरेला | तरईगांव | तरईगांव |

| क | गौधाम का नाम | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | धनौली, वि.ख. गौरेला | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | गौरेला | धनौली | धनौली |
| 35 | सोहागपुर, वि.खं.– करतला | कोरबा | करतला | सोहागपुर | सोहागपुर |
| 36 | सराईडीह, वि.खं.– कोरबा | कोरबा | कोरबा | पहंदा | सरईडीह |
| 37 | महोरा, वि.खं.–पोड़ी उपरोडा | कोरबा | पोड़ी उपरोडा | महोरा | महोरा |
| 38 | कपोट, वि.ख. पाली | कोरबा | पाली | कपोट | कपोट |
| 39 | केराझरिया, वि.ख. पाली | कोरबा | पाली | केराझरिया | केराझरिया |
| 40 | लेपरा, वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा | कोरबा | पोड़ी उपरोडा | लेपरा | लेपरा |
| 41 | अमरपुर, वि.ख. कटघोरा | कोरबा | कटघोरा | अमरपुर | अमरपुर |
| 42 | छुरी, वि.ख. कटघोरा | कोरबा | कटघोरा | नगर पंचायत छुरीकला | छुरी |
| 43 | पचेड़ा, वि.ख. नवागढ़ | जांजगीर–चांपा | नवागढ़ | पचेड़ा | पचेड़ा |
| 44 | ग्राम किरारी, वि.ख. अकलतरा | जांजगीर–चांपा | अकलतरा | किरारी | किरारी |
| 45 | रसेड़ा, वि.ख. अकलतरा | जांजगीर–चांपा | अकलतरा | रसेड़ा | रसेड़ा |
| 46 | कोनारगढ़, वि.ख. पामगढ़ | जांजगीर–चांपा | पामगढ़ | कोनारगढ़ | कोनारगढ़ |
| 47 | राहौद, वि.ख. पामगढ़ | जांजगीर–चांपा | पामगढ़ | नगर पंचायत राहौद | राहौद |
| 48 | खरौद, वि.ख. पामगढ़ | जांजगीर–चांपा | पामगढ़ | नगर पंचायत खरौद | खरौद |
| 49 | ससहा, वि.ख. पामगढ़ | जांजगीर–चांपा | पामगढ़ | ससहा | ससहा |
| 50 | महुदा (ब), वि.ख. बलौदा | जांजगीर–चांपा | बलौदा | महुदा (ब) | महुदा (ब) |
| 51 | धनेली, वि.ख. धरसींवा | रायपुर | धरसींवा | धनेली | धनेली |
| 52 | ताराशिव, वि.खं–तिल्दा | रायपुर | तिल्दा | ताराशिव | ताराशिव |
| 53 | मंगसा, वि.ख. धरसींवा | रायपुर | धरसींवा | मंगसा | मंगसा |
| 54 | ग्राम मनोहरा, वि.ख. धरसींवा | रायपुर | धरसींवा | मनोहरा | मनोहरा |
| 55 | गाम मांठ, वि.ख. तिल्दा | रायपुर | तिल्दा | मांठ | मांठ |
| 56 | मोहतरा, वि.ख. बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | सकरी | मोहतरा |
| 57 | कोदवा, वि.ख. पलारी | बलौदाबाजार | पलारी | कोदवा | कोदवा |
| 58 | घोटिया, वि.ख. पलारी | बलौदाबाजार | पलारी | घोटिया | घोटिया |
| 59 | किरवई, वि.ख. सिमगा | बलौदाबाजार | सिमगा | किरवई | किरवई |
| 60 | तरेंगा, वि.ख. भाटापारा | बलौदाबाजार | भाटापारा | तरेंगा | तरेंगा |
| 61 | खम्हरिया, वि.ख. भाटापारा | बलौदाबाजार | भाटापारा | खम्हरिया | खम्हरिया |
| 62 | छरछेद, वि.ख. कसडोल | बलौदाबाजार | कसडोल | छरछेद | छरछेद |
| 63 | कटगी, वि.ख. कसडोल | बलौदाबाजार | कसडोल | कटगी | कटगी |
| 64 | कुम्हारी मुडा, वि.खं.–पिथौरा | महासमुंद | पिथौरा | कुम्हारी | कुम्हारी |
| 65 | कुटेला, वि.खं.–सरायपाली | महासमुंद | सरायपाली | कुटेला | कुटेला |
| 66 | सिरपुर, वि.खं.–सरायपाली | महासमुंद | सरायपाली | सिरपुर | सिरपुर |
| 67 | ग्राम बरनाईदादर, वि.ख. पिथौरा | महासमुंद | पिथौरा | बरनाईदादर | बरनाईदादर |
| 68 | परेवापाली, वि.ख. सरायपाली | महासमुंद | सरायपाली | राफेल | परेवापाली |
| 69 | टेमरी, वि.ख. बागबाहरा | महासमुंद | बागबाहरा | टेमरी | टेमरी |
| 70 | सिलतरा, वि.ख. कुरूद | धमतरी | कुंरूद | सिलतरा | सिलतरा |
| 71 | गाड़ाडीह, वि.ख. कुरूद | धमतरी | कुंरूद | गाड़ाडीह | गाड़ाडीह |
| 72 | ग्राम फरसरा, वि.ख. मैनपुर | गरियाबंद | मैनपुर | फरसरा | फरसरा |

| क | गौधाम का नाम | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | ग्राम अड़गड़ी, वि.ख. मैनपुर | गरियाबंद | मैनपुर | अड़गड़ी | अड़गड़ी |
| 74 | धवलपुरडीह, वि.ख. गरियाबंद | गरियाबंद | गरियाबंद | धवलपुरडीह | धवलपुरडीह |
| 75 | चिचिया, वि.ख. देवभोग | गरियाबंद | देवभोग | चिचिया | चिचिया |
| 76 | बरकानी, वि.ख. देवभोग | गरियाबंद | देवभोग | बरकानी | बरकानी |
| 77 | ग्राम चंदखुरी, वि.ख. दुर्ग | दुर्ग | दुर्ग | चंदखुरी | चंदखुरी |
| 78 | ग्राम उमरपोटी, वि.ख. दुर्ग | दुर्ग | दुर्ग | उमरपोटी | उमरपोटी |
| 79 | ग्राम नारधा, वि.ख. धमधा | दुर्ग | धमधा | नारधा | नारधा |
| 80 | कचान्दुर, वि.ख. दुर्ग | दुर्ग | दुर्ग | कचान्दुर | कचान्दुर |
| 81 | बासीन, वि.ख. दुर्ग | दुर्ग | दुर्ग | बासीन | बासीन |
| 82 | केंवतरा, वि.ख. साजा | बेमेतरा | साजा | केंवतरा | केंवतरा |
| 83 | देवकर, वि.ख. साजा | बेमेतरा | साजा | देवकर | देवकर |
| 84 | राखी, वि.ख. साजा | बेमेतरा | साजा | राखी | राखी |
| 85 | खाती, वि.ख. साजा | बेमेतरा | साजा | खाती | खाती |
| 86 | डोंगरगढ़. वि.ख. डोंगरगढ़ | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | नगर पालिका डोंगरगढ़ | डोंगरगढ़ |
| 87 | ग्राम बरगाही, वि.ख. राजनांदगांव | राजनांदगांव | राजनांदगांव | कलडबरी | बरगाही |
| 88 | ग्राम गनेरी, वि.ख. डोंगरगांव | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | चिचदो | गनेरी |
| 89 | लालपुर, वि.ख. खैरागढ़ | खैरागढ़–छुई.गंडई | खैरागढ़ | नगर पालिका खैरागढ़ | लालपुर |
| 90 | ग्राम आमदनी, वि.ख. खैरागढ़ | खैरागढ़–छुई.गंडई | खैरागढ़ | आमदनी | आमदनी |
| 91 | ग्राम पथर्रा, वि.ख. छुईखदान | खैरागढ़–छुई.गंडई | छुईखदान | पथर्रा | पथर्रा |
| 92 | ग्राम पंडरिया, वि.ख. छुईखदान | खैरागढ़–छुई.गंडई | छुईखदान | नगर पंचायत गण्डई | पंडरिया |
| 93 | ग्राम चकनार, वि.ख. छुईखदान | खैरागढ़–छुई.गंडई | छुईखदान | चकनार | चकनार |
| 94 | ग्राम भर्रीटोला, वि.ख. डौण्डी | बालोद | डौण्डी | भर्रीटोला | भर्रीटोला |
| 95 | ग्राम बड़ेकनेरा, वि.ख. कोण्डागांव | कोण्डागांव | कोण्डागांव | बड़ेकनेरा | बड़ेकनेरा |
| 96 | खड़पड़ी, वि.ख. कोण्डागांव | कोण्डागांव | कोण्डागांव | खड़पड़ी | खड़पड़ी |
| 97 | जामपदर, वि.ख. कोण्डागांव | कोण्डागांव | कोण्डागांव | नगर पालिका कोण्डागांव | जामपदर |
| 98 | धुरगुड़ा, वि.ख. जगदलपुर | बस्तर | जगदलपुर | धुरगुड़ा | धुरगुड़ा |
| 99 | सोसनपाल, वि.ख. तोकापाल | बस्तर | तोकापाल | सोसनपाल | सोसनपाल |
| 100 | लेण्ड्रा, वि.ख. दरभा | बस्तर | दरभा | लेण्ड्रा | लेण्ड्रा |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'स'

| क्र. | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | गौधाम का नाम | गौधाम संचालन समिति का नाम | संरक्षित पशुधन संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | राजपुर | बासेन | रक्षा वेलफेयर फाउंडेशन, ग्राम–लदकुड, बलरामपुर | 89 |
| 2 | सूरजपुर | भैयाथान | सत्यनगर | श्री गोपाल गौ सेवा समिति सत्यनगर, जिला सूरजपुर | 102 |
| 3 | | सूरजपुर | करवाँ | कामधेनु कल्पतरू सेवा संस्थान करवाँ, सूरजपुर | 165 |
| 4 | | सूरजपुर | गोविन्दपुर | पंचगव्य चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र ग्राम शिवनेदनपुर | 69 |
| 5 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | ग्राम सहसपानी | सरस्वती लक्ष्मी गौशाला सेवा समिति ग्राम अमलडीहा, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 145 |
| 6 | | सारंगढ़ | ग्राम सालर | हरिदेव गौ सेवा समति कंवलाझर, वि.ख. सारंगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 101 |
| 7 | कोरबा | कटघोरा | अमरपुर | सुरभि गौसेवा समिति लखनपुर, पोड़ी उपरोड़ा कोरबा | 162 |
| 8 | बिलासपुर | तखतपुर | लाखासार | कामधेनु गौशाला सेवा समिति, लाखासार, जिला बिलासपुर | 205 |
| 9 | | मस्तूरी | ओखर | श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति, ओखर, जिला बिलासपुर | 190 |
| 10 | | मस्तूरी | श्रीधाम गौधाम जैतपुर | फुलवारी शिक्षण एवं समाजसेवा समिति, खमतराई, बिलासपुर | 115 |
| 11 | | बिल्हा | हरदीकला | भृगुऋषि गौशाला, पोड़ी (स), तह. –बिल्हा, जिला–बिलासपुर, छ.ग. | 15 |
| 12 | | मस्तूरी | कनई (खोंदरा) | सार्थक पहल वेलफेयर सोसायटी, कनई, जिला बिलासपुर | 50 |
| 13 | गौ–पे. –मरवाही | गौरेला | तरईगांव | सजल श्रद्धा विकास गौशाला, तरईगांव, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 55 |
| 14 | | गौरेला | पड़वनिया | गौसेवा संस्थान, पेंड्रारोड, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 102 |
| 15 | रायपुर | धरसींवा | धनेली | सद्गुरू मानव सेवा असंग आश्रम ग्राम सोनपैरी, जिला रायपुर | 48 |
| 16 | | धरसींवा | मंगसा | गौमाता सेवा समिति, ग्राम–मंगसा, जिला रायपुर | 17 |
| 17 | | तिल्दा | ताराशिव | शंभु शिवा प्रिय सेवा समिति, ग्राम–ताराशिव जिला रायपुर | 92 |

| क्र. | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | गौधाम का नाम | गौधाम संचालन समिति का नाम | संरक्षित पशुधन संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | मोहतरा | मां शाकुम्भरी देवी सेवा संस्थान, ग्राम केशडबरी, बलौदाबाजार | 110 |
| 19 | | पलारी | गौधाम कोदवा | श्री महालक्ष्मी गौ सेवा संस्थान ग्राम लटुवा | 85 |
| 20 | महासमुंद | सरायपाली | कुटेला | माँ शारदा गौशाला समिति, नवरंगपुर, सरायपाली, महासमुंद | 42 |
| 21 | धमतरी | कुरूद | गाड़ाडीह | मां पावर्ती गौ सेवा एवं जनकल्याण समिति ग्राम गाड़ाडीह, धमतरी | 50 |
| 22 | दुर्ग | धमधा | ग्राम नारधा | सर्वोदय मंदिर फाउंडेशन, भिलाई–3, जिला दुर्ग | 106 |
| 23 | | दुर्ग | ग्राम उमरपोटी | एकता स्व सहायता समूह ग्राम उमरपोटी, तह. व जिला दुर्ग | 231 |
| 24 | बेमेतरा | साजा | केंवतरा | मां भगवती गौशाला समिति ग्राम पिपरिया, जिला बेमेतरा | 203 |
| 25 | | साजा | देवकर | केशव कुंज गौसेवा समिति ग्राम देवकर, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा | 238 |
| 26 | | साजा | राखी | अन्नपूर्ण स्व सहायता समूह, ग्राम राखी, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा | 217 |
| 27 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | ग्राम बरगाही | मां बंजारी गौशाला पिंजरापोल, बरगाही, जिला राजनादांगवं | 90 |
| 28 | | डोंगरगांव | ग्राम गनेरी | श्री गणेश गौशाला गनेरी, वि.ख. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव | 70 |
| कुल | | | | | 3164 |

(हस्ताक्षर)

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 684) की जानकारी

प्रपत्र –अ

विधानसभा क्षेत्र रामपुर अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित अनुदानित बीज मात्रा की जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | मौसम | विभागीय कार्यालय /प्राथमिक सहकारी समिति का नाम | वितरित बीजों की मात्रा (क्वि.) | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | करतला | 2025–26 | खरीफ | कार्यालय वरिष्ठ कृषि वि. खंण्ड़ करतला | 474.44 | 2242 |
| | | | खरीफ | सह समिति सुखरीकला | 210.30 | 180 |
| | | | | फरसवानी | 102.20 | 365 |
| | | | | सोहागपुर | 218.90 | 131 |
| | | | | कोथारी | 305.60 | 270 |
| | | | | बरपाली | 461.80 | 57 |
| | | | | पठियापाली | 131.20 | 175 |
| | | | | कनकी | 131.20 | 26 |
| | | | | चिकनीपाली | 151.30 | 38 |
| | | | | तुमान | 121.30 | 275 |
| | | | | करतला | 189.30 | 136 |
| | | | | रामपुर | 246.30 | 141 |
| | | | | नवापारा | 223.20 | 20 |
| | | | | **योग** | **2967.04** | **4056** |
| 2 | कोरबा | 2025–26 | खरीफ | कार्या. व.कृ.वि.अ. कोरबा | 241.86 | 1424 |
| | | | खरीफ | आ.से.सह.समिति मर्या. सोनपुरी | 444.3 | 490 |
| | | | | भैसमा | 320.1 | 318 |
| | | | | तिलकेजा | 159.9 | 286 |
| | | | | कोंरकोमा | 364.2 | 534 |
| | | | | स्यांग | 185.1 | 348 |
| | | | | बरपाली | 150.3 | 330 |
| | | | | **योग** | **1865.76** | **3730** |
| | | | | **महायोग खरीफ** | **4832.8** | **7786** |
| | | | रबी | कार्यालय वरिष्ठ कृषि वि. खंण्ड़ करतला | 429.86 | 976 |

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | मौसम | विभागीय कार्यालय /प्राथमिक सहकारी समिति का नाम | वितरित बीजों की मात्रा (क्वि.) | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | करतला | 2025–26 | रबी | सह. समिति रामपुर | 9.20 | 23 |
| | | | | सह. समिति बरपाली | 9.20 | 24 |
| | | | | सह. समिति फरसवानी | 9.20 | 25 |
| | | | | सह. समिति करतला | 9.20 | 26 |
| | | | | सह. समिति तुमान | 4.80 | 12 |
| | | | | **योग** | **471.46** | **1086** |
| 4 | कोरबा | 2025–26 | रबी | कार्या. व.कृ.वि.अ. कोरबा | 249.28 | 876 |
| | | | रबी | आ.से.सह.समिति मर्या. सोनपुरी | 6.00 | **12** |
| | | | | भैसमा | 4.80 | **10** |
| | | | | **योग** | **260.08** | **898** |
| | | | | **महायोग रबी** | **731.54** | **1984** |
| 5 | करतला | 2026–27 (1 अप्रैल से जून 2026 तक) | खरीफ | कार्यालय वरिष्ठ कृषि वि. खंण्ड़ करतला | 326.62 | 2380 |
| | | | खरीफ | सह. समिति सुखरीकला | 60.00 | 110 |
| | | | | कर्रापाली | 47.70 | 98 |
| | | | | फरसवानी | 79.66 | 85 |
| | | | | सोहागपुर | 147.60 | 185 |
| | | | | कोथारी | 221.68 | 201 |
| | | | | बरपाली | 100.96 | 99 |
| | | | | पुरेना | 15.90 | 20 |
| | | | | पठियापाली | 72.72 | 85 |
| | | | | कनकी | 93.38 | 83 |
| | | | | चिकनीपाली | 207.30 | 205 |
| | | | | तुमान | 159.10 | 198 |
| | | | | लबेद | 30.00 | 41 |
| | | | | करतला | 100.60 | 99 |

I/516310/2026

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | मौसम | विभागीय कार्यालय /प्राथमिक सहकारी समिति का नाम | वितरित बीजों की मात्रा (क्वि.) | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | करतला | 2026–27 (1 अप्रैल से जून 2026 तक) | खरीफ | केरवाद्वारी | 87.90 | 89 |
| | | | | रामपुर | 146.26 | 156 |
| | | | | नवापारा | 118.48 | 163 |
| | | | | मदवानी | 90.00 | 82 |
| | | | | खुंटाकूड़ा | 89.40 | 89 |
| | | | | **योग** | **2195.26** | **4468** |
| 6 | कोरबा | 2026–27 (1 अप्रैल से जून 2026 तक) | खरीफ | कार्या. व.कृ.वि.अ. कोरबा | 200.3 | 809 |
| | | | | सोनपुरी | 258.84 | 892 |
| | | | | भैसमा | 227.10 | 820 |
| | | | | तिलकेजा | 122.70 | 390 |
| | | | | कोंरकोमा | 101.64 | 459 |
| | | | | स्यांग | 158.70 | 470 |
| | | | | बरपाली | 132.84 | 431 |
| | | | | चचिया | 96.00 | 210 |
| | | | | कुदुरमाल | 51.90 | 150 |
| | | | | **योग** | **1350.02** | **4631** |
| | | | | **महायोग खरीफ** | **3545.28** | **9099** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
19:51:36

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/516311/2026

प्रपत्र–ब

विधानसभा क्षेत्र रामपुर अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित अनुदानित कीटनाशक /सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | मौसम | विभागीय कार्यालय /प्राथमिक सहकारी समिति का नाम | वितरित कीटनाशक | | हितग्राहियों की संख्या | वितरित सूक्ष्म पोषक तत्व | | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ली. | कि.ग्रा. | | ली. | कि.ग्रा. | |
| 1 | करतला | 2025–26 | खरीफ | कार्या. व.कृ.वि.अ. करतला | 319 | 120 | 439 | 0 | 1345 | 1345 |
| 2 | | | रबी | | 447 | 0 | 447 | 40 | 1891 | 1931 |
| | | | **योग** | | **766** | **120** | **886** | **40** | **3236** | **3276** |
| 3 | कोरबा | 2025–26 | खरीफ | कार्या. व.कृ.वि.अ. कोरबा | 376 | 0 | 751 | 0 | 2151 | 1594 |
| 4 | | | रबी | | 422 | 0 | 355 | 0 | 853 | 384 |
| | | | **योग** | | **797** | **0** | **1106** | **0** | **3004** | **1978** |
| **महायोग** | | | | | **1563** | **120** | **1992** | **40** | **6240** | **5254** |
| 5 | करतला | 2026–27 (1 अप्रैल से जून 2026 तक) | खरीफ | कार्या. व.कृ.वि.अ. करतला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | कोरबा | | खरीफ | कार्या. व.कृ.वि.अ. कोरबा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **महायोग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
19:52:38

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/516313/2026

प्रपत्र–स

विधानसभा क्षेत्र रामपुर अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित अनुदानित सामग्रियों की जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | मौसम | विभागीय कार्यालय /प्राथमिक सहकारी समिति का नाम | वितरित सामग्री | | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | करतला | 2025–26 | खरीफ/रबी | कार्यालय वरिष्ठ कृषि वि. खंण्ड़ करतला | सबमर्सिबल पंप | 174 | 174 |
| | | | | बीज निगम | कम्बाईन हार्वेस्टर | 2 | 2 |
| | | | | | कल्टीवेटर | 1 | 1 |
| | | | | | पॉवर वीडर | 1 | 1 |
| | | | | | सीड कम फर्टीलाईज़र ड्रिल | 3 | 3 |
| | | | | | स्व चलित राईस ट्रांसप्लांटर | 1 | 1 |
| | | | | | स्व चलित रीपर | 1 | 1 |
| | | | | | स्प्रेयर | 0 | 0 |
| | | | | | ड्रिप | 11 | 11 |
| | | | | | स्प्रिंकलर | 31 | 31 |
| | | | | | सिचाई पम्प | 5 | 5 |
| | | | | | थ्रेसर | 7 | 7 |
| | | | | | रोटावेटर | 5 | 5 |
| | | | | | ट्रेक्टर | 5 | 5 |
| | | | | | **योग** | **247** | **247** |
| 2 | कोरबा | 2025–26 | खरीफ/रबी | व.कृ.वि.अ.कोरबा | सबमर्सिबल पंप | 264 | 264 |
| | | | | बीज निगम से | मिनी राईस मिल | 1 | 1 |
| | | | | | कल्टीवेटर | 1 | 1 |
| | | | | | पॉवर वीडर | 5 | 5 |
| | | | | | सीड कम फर्टीलाईज़र ड्रिल | 3 | 3 |
| | | | | | स्व चलित राईस ट्रांसप्लांटर | 0 | 0 |
| | | | | | स्व चलित रीपर | 4 | 4 |
| | | | | | स्प्रेयर | 0 | 0 |
| | | | | | ड्रिप | 38 | 38 |

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | मौसम | विभागीय कार्यालय /प्राथमिक सहकारी समिति का नाम | वितरित सामग्री | | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | कोरबा | 2025–26 | खरीफ/रबी | बीज निगम से | स्प्रिंकलर | 156 | 156 |
| | | | | | सिचाई पम्प | 21 | 21 |
| | | | | | थ्रेसर | 9 | 9 |
| | | | | | रोटावेटर | 7 | 7 |
| | | | | | ट्रेक्टर | 2 | 2 |
| | | | | | **योग** | **511** | **511** |
| **महायोग** | | | | | | **758** | **758** |
| 1 | करतला | 2026–27 (1 अप्रैल से जून 2026 तक) | खरीफ | कार्यालय वरिष्ठ कृषि वि. खंण्ड़ करतला | सबमर्सिबल पंप | 0 | 0 |
| | | | | बीज निगम | स्प्रेयर | 0 | 0 |
| | | | | | सिचाई पम्प | 23 | 23 |
| | | | | | ड्रिप | 4 | 4 |
| | | | | | ट्रेक्टर | 1 | 1 |
| | | | | | **योग** | **28** | **28** |
| 2 | कोरबा | 2026–27 (1 अप्रैल से जून 2026 तक) | खरीफ | कार्यालय वरिष्ठ कृषि वि. खंण्ड़ कोरबा | सबमर्सिबल पंप | 0 | 0 |
| | | | | बीज निगम | स्प्रेयर | 0 | 0 |
| | | | | | सिचाई पम्प | 1 | 1 |
| | | | | | ड्रिप | 3 | 3 |
| | | | | | ट्रेक्टर | 0 | 0 |
| | | | | | **योग** | **4** | **4** |
| **महायोग** | | | | | | **32** | **32** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
19:53:27

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/516315/2026

प्रपत्र–द

विधानसभा प्रश्न 684 तारांकित द्वारा श्री फूलसिंह राठिया, माननीय सदस्य, विधानसभा
रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हितग्राहियों को बीज का वितरण

| वर्ष | विकासखंड | प्रदाय बीज का विवरण | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वितरित किये गये बीज का नाम | प्रदाय मात्रा (कि.ग्रा.) | लाभान्वित कृषक सं. | संस्था/फर्म का नाम जहा से बीज क्रय किया गया | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 | कोरबा | लौकी | 25.00 | 10 | कृषि बेस्ट प्रायवेट लिमिटेड,हिमांचल प्रदेश | सब्जी बीज का वितरण विभिन्न योजनातंर्गत किया गया है।अतः लाभाविंत हितग्राही योजनावार है। |
| | | करेला | 12.50 | 10 | | |
| | | खीरा | 6.00 | 10 | | |
| | | धनिया | 100.00 | 10 | | |
| | करतला | लौकी | 25.00 | 11 | | |
| | | करेला | 12.50 | 11 | | |
| | | खीरा | 6.00 | 13 | | |
| | | धनिया | 0.00 | 0 | | |
| | | **योग** | **187.00** | **75** | | |
| | कोरबा | भिण्डी | 72.00 | 24 | खजुराहों सीड्स प्रा. लि.,भोपाल म.प्र. | |
| | करतला | भिण्डी | 56.00 | 10 | | |
| | | **योग** | **128.00** | **34** | | |
| | कोरबा | धनिया | 33.00 | 3 | कृषि विज्ञान केन्द्र,रायगढ़,छ.ग. | |
| | करतला | धनिया | 22.00 | 4 | | |
| | | **योग** | **55.00** | **7** | | |
| | कोरबा | बरबट्टी | 30.00 | 10 | शासकीय उद्यान रोपणी,नगोई– पोड़ीउपरोड़ा | |
| | | | 30.00 | | शा.उ.रो.नगोई– पोडीलाफा–पाल | |
| | | | 12.00 | | कार्यालय उप संचालक दुर्ग | |
| | | पालक | 50.00 | | शास.साग सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, बाना रायपुर | |
| | | | 71.20 | | .शा.उ.रो.नगोई– पोड़ीउपरोड़ा | |
| | | भिण्डी | 11.20 | | शास.साग सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, बाना रायपुर | |
| | | तरोई | 1.60 | | | |
| | | बैगन | 1.25 | | | |
| | | मूली | 0.00 | | | |
| | | टमाटर | 0.25 | | | |
| | | **योग** | **207.50** | **10** | | |
| | करतला | बरबट्टी | 11.00 | **22** | .शा.उ.रो.नगोई– पोड़ीउपरोड़ा | |
| | | | 11.00 | | शा.उ.रो.नगोई– पोडीलाफा–पाल | |
| | | | 50.00 | | कार्यालय उप संचालक दुर्ग | |
| | | पालक | 15.00 | | शास.साग सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, बाना रायपुर | |
| | | | 125.20 | | .शा.उ.रो.नगोई– पोड़ीउपरोड़ा | |
| | | भिण्डी | 11.20 | | शास.साग सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, बाना रायपुर | |
| | | तरोई | 4.60 | | | |
| | | बैगन | 0.00 | | | |
| | | मूली | 7.50 | | | |
| | | टमाटर | 0.25 | | | |
| | | **योग** | **235.75** | **22** | | |
| 1 अप्रैल 2026 से अब तक | निरंक | | | | | |
| **महायोग** | | | **813.25** | **148** | | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
19:54:22

**(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/516318/2026

प्रपत्र–इ

रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हितग्राहियों को खाद, कीटनाशक व अन्य सामग्री का वितरण

| वर्ष | विकासखंड | प्रदाय खाद का विवरण | | | | संस्था/फर्म का नाम जहा से बीज कय किया गया | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वितरित किये गये खाद का नाम | इकाई | प्रदाय मात्रा | लाभान्वित कृषक सं. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 | कोरबा | जिंक सोलूबलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर | लीटर | 240 | 40 | इन्दौर बायोटेक इनपुट एण्ड रिसर्च प्रा. लि. इन्दौर म.प्र. | खाद का वितरण विभिन्न योजनातंर्गत किया गया है। अतः लाभाविंत हितग्राही योजनावार है। |
| | | पोटेशियम मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया | लीटर | 160 | | | |
| | | ट्राईकोडर्मा | कि.ग्रा. | 290 | | | |
| | | प्रोम | कि.ग्रा. | 2000 | | | |
| | | एन.पी.के. | कि.ग्रा. | 160 | | | |
| | | माईक्रोन्यूट्रियेन्ट मिक्चर | लीटर | 170 | | | |
| | | माईकोराईजा बायोफर्टिलाईजर | कि.ग्रा. | 330 | | | |
| | | **योग** | | | **40** | | |
| | करतला | जिंक सोलूबलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर | लीटर | 200 | 35 | इन्दौर बायोटेक इनपुट एण्ड रिसर्च प्रा. लि. ,इन्दौर म.प्र. | |
| | | पोटेशियम मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया | लीटर | 120 | | | |
| | | ट्राईकोडर्मा | कि.ग्रा. | 250 | | | |
| | | प्रोम | कि.ग्रा. | 1500 | | | |
| | | एन.पी.के. | कि.ग्रा. | 110 | | | |
| | | माईक्रोन्यूट्रियेन्ट मिक्चर | लीटर | 140 | | | |
| | | माईकोराईजा बायोफर्टिलाईजर | कि.ग्रा. | 240 | | | |
| | | **योग** | | | **35** | | |
| | कोरबा | माईकोराईजा | कि.ग्रा. | 25 | 28 | आकाश लैब्रटोरी, रायपुर | |
| | | ट्राईकोडर्मा | कि.ग्रा. | 50 | | | |
| | | जिंक सोलूबलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर | लीटर | 35 | | | |
| | | पोटेशियम मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया | लीटर | 0 | | | |
| | | **योग** | | | **28** | | |

| वर्ष | विकासखंड | प्रदाय खाद का विवरण | | | | संस्था/फर्म का नाम जहा से बीज कय किया गया | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वितरित किये गये खाद का नाम | इकाई | प्रदाय मात्रा | लाभान्वित कृषक सं. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 | करतला | माईकोराईजा | कि.ग्रा. | 100 | 54 | आकाश लैब्रटोरी, रायपुर | खाद का वितरण विभिन्न योजनातंर्गत किया गया है। अतः लाभाविंत हितग्राही योजनावार है। |
| | | ट्राईकोडर्मा | कि.ग्रा. | 170 | | | |
| | | जिंक सोलूबलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर | लीटर | 130 | | | |
| | | पोटेशियम मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया | लीटर | 30 | | | |
| | | **योग** | | | **54** | | |
| | कोरबा | जिंक सोलूबलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर | लीटर | 18 | 24 | आकाश लैब्रटोरी, रायपुर | |
| | करतला | | | 14 | 10 | | |
| | | **योग** | | | **34** | | |
| | कोरबा | वर्मी कम्पोस्ट | कि.ग्रा. | 6220 | 10 | गोवर्धन महिला क्षेत्र स्तरीय संघ न. क. जोन 08 बीर सावरकर जारवाय, हीरापुर,रायपुर | |
| | करतला | | | 8500 | 22 | | |
| | | **योग** | | | **32** | | |
| 1 अप्रैल 2026 से अब तक | निरंक | | | | | | |
| **महायोग** | | | | | **223** | | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
19:55:57

**(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 701) की जानकारी

प्रपत्र–अ

चित्रकोट जलप्रपात में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहें है :–

1. भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की "एक राज्य एक ग्लोबल डेस्टीनेशन" योजना के अंतर्गत "चित्रकोट" टूरिस्ट डेस्टीनेशन का नाम प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से गाईड लाईन जारी की जायेगी, जिसके अनुसार चित्रकोट एवं इसके आस पास के पर्यटन स्थलों के विकास की योजना तैयार की जायेगी।
2. चित्रकोट में पर्यटकों के रुकने हेतु जलप्रपात के दूसरी ओर ग्राम तिरथा में निजी निवेश से टेंट सिटी की स्थापना हेतु योजना बनायी जा रही है।
3. पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को ठहरने की व्यवस्था एवं स्थानीय लोगों के रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में **होमस्टे पालिसी 2025–30** लागू की गयी है। जिसमें होमस्टे के विकास हेतु सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले पर्यटकों को अच्छा पर्यटन अनुभव प्राप्त हो सके एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस्तर जिले के 09 युवाओं सहित बस्तर संभाग से कुल 32 युवाओं को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेव्हल मैनेजमेंट ग्वालियर से **01 माह की गाईड ट्रेनिंग** निःशुल्क करायी गयी हैं।
5. चित्रकोट सहित बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर टूरिज्म सर्किट तैयार किया जा रहा है।
6. चित्रकोट के साथ साथ राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती ओड़िसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में दिनांक 05.06.2026 को रोड शो आयोजित किया गया था।
7. चित्रकोट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 रात्रि/4 दिवस का "ईको एथनो डिलाईट" पैकेज टूर पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है।
8. चित्रकोट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि एवं विभिन्न पर्यटन इवेंट के माध्यम से निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
9. चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस–पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से रिक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव मांगे गये है। प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रपत्र–ब

## चित्रकोट जलप्रपात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा किए गए विकास/निर्माण कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है –

| क्र. | वर्ष | कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | चित्रकोट में सुलभ शौचालय (18 सीटर) का निर्माण। | 16.98 |
| 2 | 2006 | चित्रकोट कोटेजेस के पास पर्यटन सूचना केन्द्र, मंच, शौचालय, पार्किंग, गार्ड रूम का निर्माण (केंद्रीय परियोजना – ग्रामीण पर्यटन चित्रकोट के अंतर्गत) | 57.17 |
| 3 | 2006 | चित्रकोट में काटेज, रेस्टोरेंट ( टूरिस्ट रिसॉर्ट ) का निर्माण | 244.85 |
| 4 | 2006 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट में लैण्डस्केपिंग कार्य | 104.00 |
| 5 | 2007 | यूएनडीपी प्रोजेक्ट (केंद्रीय परियोजना) – चित्रकोट में ग्रामीण पर्यटन का विकास हार्डवेयर प्लान का क्रियान्वयन हेतु। | 39.26 |
| 7 | 2010 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट में लैण्डस्केपिंग कार्य | 50.10 |
| 9 | 2011 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट परिसर में 13 नग लग्जरी टेंट का निर्माण। | 113.81 |
| 10 | 2012 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट में सोलर प्रकाशीकरण कार्य | 43.81 |
| 11 | 2012 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट परिसर में 13 नग लग्जरी टेंट में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रिकल आयटम सप्लाई कार्य | 59.99 |
| 12 | 2012 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट परिसर में व्यूइंग वॉकवे का निर्माण कार्य। | 42.17 |
| 13 | 2015 | चित्रकोट जल प्रपात में लगे फ्लड लाईट्स के रख रखाव कार्य। | 3.00 |
| 14 | 2016 | चित्रकोट में पुराने काटेज के पास लैण्डस्केपिंग कार्य | 7.81 |
| 15 | 2016 | चित्रकोट एथनिक डेस्टीनेशन डेव्लपमेंट के तहत टूरिस्ट रिसॉर्ट परिसर में लॉग हटस, व्यू पांईट, टायलेट का निर्माण कार्य (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत) | 395.77 |
| 16 | 2018 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट परिसर में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर, एम्पी थियेटर/ट्रालबल इंटर प्रिटेशन सेंटर, प्रकाशिकरण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत) | 142.90 |
| 17 | 2018 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसॉर्ट परिसर में रेन शेल्टर, पार्किंग, लैण्डस्केपिंग, साईनेज, सम्पवेल का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत) | 133.10 |
| 18 | 2018 | चित्रकोट में नेचर ट्रेल का निर्माण। (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत) | 220.56 |
| 19 | 2018 | चित्रकोट टूरिस्ट रिसार्ट में अंदरुनी पहुंच मार्ग का निर्माण (भारत सरकार की योजना ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत) | 53.32 |
| 20 | 2022 | चित्रकोट में लाईट एण्ड साउंड शो की स्थापना | 997.88 |

परिशिष्ट - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 705) की जानकारी

प्रपत्र

विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत स्पान संवर्धन पोखर निर्माण, तालाब निर्माण एवं पॉण्ड लाईनर से लाभान्वित हितग्राहियों एवं स्वीकृत राशि की जानकारी

| क्र. | जिला | घटक का नाम | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | | वर्ष 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | रायपुर | नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | महासमुंद | | 5 | 6.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | धमतरी | | 6 | 10.05 | 1 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 4 | गरियाबंद | | 3 | 3.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | बलोदाबाजार- भाटापारा | | 9 | 37.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | दुर्ग | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | राजनांदगांव | | 84 | 236.73 | 46 | 154.51 | 44 | 166.27 |
| 8 | कबीरधाम | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | बालोद | | 16 | 19.58 | 8 | 7.57 | 3 | 3.40 |
| 10 | बेमेतरा | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | सरगुजा | | 76 | 91.66 | 8 | 7.70 | 0 | 0.00 |
| 14 | सूरजपुर | | 3 | 0.43 | 22 | 26.80 | 7 | 6.69 |
| 15 | बलरामपुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | कोरिया | | 6 | 5.74 | 4 | 5.11 | 21 | 19.60 |
| 17 | जशपुर | | 13 | 12.04 | 12 | 11.20 | 12 | 12.74 |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | बिलासपुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| क्र. | जिला | घटक का नाम | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | | वर्ष 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 20 | मुंगेली | नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | 1 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | रायगढ़ | | 5 | 4.34 | 2 | 1.40 | 1 | 5.04 |
| 23 | कोरबा | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | 2 | 1.12 | 3 | 3.28 | 0 | 0.00 |
| 25 | सक्ती | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | बस्तर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | दंतेवाड़ा | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | कांकेर | | 49 | 69.00 | 15 | 22.85 | 7 | 5.39 |
| 30 | बीजापुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | नारायणपुर | | 0 | 0.00 | 1 | 1.47 | 4 | 3.08 |
| 32 | सुकमा | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | कोण्डागांव | | 12 | 13.50 | 8 | 15.00 | 18 | 44.52 |
| **योग** | | | **290** | **512.51** | **130** | **257.69** | **117** | **266.73** |
| 1 | रायपुर | नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण) | 11 | 14.84 | 12 | 11.45 | 0 | 0.00 |
| 2 | महासमुंद | | 0 | 0.00 | 3 | 18.99 | 6 | 10.50 |
| 3 | धमतरी | | 36 | 112.18 | 18 | 58.24 | 4 | 11.51 |
| 4 | गरियाबंद | | 27 | 149.01 | 8 | 54.48 | 11 | 64.56 |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | 27 | 223.29 | 11 | 66.56 | 3 | 29.83 |
| 6 | दुर्ग | | 8 | 20.47 | 9 | 25.35 | 6 | 26.50 |
| 7 | राजनांदगांव | | 39 | 169.35 | 105 | 840.85 | 10 | 44.07 |
| 8 | कबीरधाम | | 17 | 67.57 | 0 | 0.00 | 1 | 4.20 |
| 9 | बालोद | | 18 | 50.39 | 9 | 24.09 | 3 | 9.81 |
| 10 | बेमेतरा | | 36 | 110.21 | 24 | 78.62 | 10 | 46.41 |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | 0 | 0.00 | 42 | 240.22 | 19 | 90.62 |

| क्र. | जिला | घटक का नाम | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | | वर्ष 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण) | 0 | 0.00 | 1 | 3.78 | 3 | 9.37 |
| 13 | सरगुजा | | 131 | 439.20 | 84 | 277.66 | 3 | 5.88 |
| 14 | सूरजपुर | | 12 | 17.12 | 16 | 48.54 | 0 | 0.00 |
| 15 | बलरामपुर | | 3 | 6.60 | 2 | 13.20 | 0 | 0.00 |
| 16 | कोरिया | | 13 | 28.62 | 12 | 30.80 | 8 | 16.80 |
| 17 | जशपुर | | 33 | 73.36 | 40 | 100.94 | 8 | 17.64 |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | 3 | 17.60 | 6 | 14.82 | 0 | 0.00 |
| 19 | बिलासपुर | | 3 | 6.72 | 3 | 5.88 | 0 | 0.00 |
| 20 | मुंगेली | | 18 | 77.35 | 6 | 23.80 | 0 | 0.00 |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | 4 | 5.95 | 1 | 8.16 | 0 | 0.00 |
| 22 | रायगढ़ | | 17 | 56.56 | 9 | 39.48 | 2 | 7.42 |
| 23 | कोरबा | | 2 | 10.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | 5 | 25.96 | 10 | 37.60 | 6 | 17.16 |
| 25 | सक्ती | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 17.60 |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 |
| 27 | बस्तर | | 27 | 45.25 | 14 | 15.51 | 7 | 11.85 |
| 28 | दंतेवाड़ा | | 22 | 76.51 | 1 | 2.10 | 0 | 0.00 |
| 29 | कांकेर | | 173 | 557.42 | 17 | 29.87 | 15 | 32.80 |
| 30 | बीजापुर | | 0 | 0.00 | 4 | 31.42 | 3 | 22.44 |
| 31 | नारायणपुर | | 3 | 14.70 | 8 | 25.76 | 4 | 14.28 |
| 32 | सुकमा | | 21 | 108.90 | 16 | 70.40 | 10 | 29.70 |
| 33 | कोण्डागांव | | 10 | 48.80 | 44 | 204.94 | 1 | 5.28 |
| **योग** | | | **719** | **2534.49** | **535** | **2403.49** | **148** | **548.22** |

| क्र. | जिला | घटक का नाम | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | | वर्ष 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | रायपुर | | 0 | 0.00 | 3 | 50.40 | 0 | 0.00 |
| 2 | महासमुंद | | 19 | 252.00 | 2 | 33.60 | 0 | 0.00 |
| 3 | धमतरी | | 6 | 53.20 | 3 | 33.60 | 0 | 0.00 |
| 4 | गरियाबंद | | 5 | 53.20 | 1 | 16.80 | 0 | 0.00 |
| 5 | बलौदाबाजार- भाटापारा | | 3 | 42.00 | 7 | 89.60 | 11 | 165.20 |
| 6 | दुर्ग | | 6 | 13.60 | 10 | 24.00 | 9 | 20.00 |
| 7 | राजनांदगांव | | 0 | 0.00 | 39 | 625.60 | 2 | 16.80 |
| 8 | कबीरधाम | | 0 | 0.00 | 2 | 16.80 | 0 | 0.00 |
| 9 | बालोद | | 2 | 16.80 | 6 | 53.20 | 9 | 76.08 |
| 10 | बेमेतरा | | 0 | 0.00 | 2 | 16.80 | 3 | 25.20 |
| 11 | मोहला-मानपुर-अं.चौकी | | 0 | 0.00 | 4 | 50.40 | 7 | 100.33 |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई | मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | सरगुजा | | 0 | 0.00 | 105 | 855.40 | 40 | 336.00 |
| 14 | सूरजपुर | | 3 | 33.60 | 3 | 33.60 | 12 | 123.20 |
| 15 | बलरामपुर | | 0 | 0.00 | 1 | 8.40 | 7 | 56.00 |
| 16 | कोरिया | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | जशपुर | | 0 | 0.00 | 4 | 33.60 | 11 | 86.80 |
| 18 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि - भरतपुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 259.20 |
| 19 | बिलासपुर | | 0 | 0.00 | 8 | 75.60 | 6 | 47.60 |
| 20 | मुंगेली | | 0 | 0.00 | 21 | 170.80 | 6 | 50.40 |
| 21 | जांजगीर-चांपा | | 0 | 0.00 | 7 | 58.80 | 16 | 134.40 |
| 22 | रायगढ़ | | 0 | 0.00 | 3 | 19.60 | 9 | 92.40 |
| 23 | कोरबा | | 1 | 8.40 | 3 | 22.40 | 0 | 0.00 |
| 24 | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | | 0 | 0.00 | 11 | 92.40 | 0 | 0.00 |

| क्र. | जिला | घटक का नाम | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | | वर्ष 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) | हितग्राही संख्या | प्रदाय अनुदान राशि (रू. लाख में) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 25 | सक्ती | मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर) | 0 | 0.00 | 10 | 81.20 | 0 | 0.00 |
| 26 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | | 0 | 0.00 | 10 | 117.60 | 15 | 182.00 |
| 27 | बस्तर | | 0 | 0.00 | 3 | 17.02 | 2 | 16.80 |
| 28 | दंतेवाड़ा | | 3 | 22.47 | 4 | 30.70 | 0 | 0.00 |
| 29 | कांकेर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16.80 |
| 30 | बीजापुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | नारायणपुर | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | सुकमा | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | कोण्डागांव | | 2 | 16.80 | 5 | 39.20 | 4 | 33.60 |
| **योग** | | | **50** | **512.07** | **277** | **2667.12** | **180** | **1838.81** |
| महायोग | | | **1059** | **3559.07** | **942** | **5328.31** | **445** | **2653.75** |

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

**परिशिष्ट - अट्ठाईस**

**परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 754) की जानकारी** **प्रपत्र**

जन सुनवाई के सम्बन्ध में ग्रामवार प्राप्त आपत्तियों, हस्ताक्षरकर्ताओं एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

| क्रमांक | ग्राम का नाम | ग्रामवासी /प्रतिनिधि का नाम | प्राप्त आपत्तियां | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|
| 1. - | ग्राम पंचायत गोहाडीह | श्री लक्ष्मी प्रसाद भार्गव | कृपया हल्ला न करें बात सुने सब को मौका मिलेगा। जितने भी लोग दूरदराज से आये है सबका स्वागत है। आज जो जनसुनवाई हो रही है। उसका घोर विरोध करते हैं। हमको बोला गया कि गांव में एसीसी सीमेंट फैक्ट्ररी लगाया जायेगा। पर यहां तो माईंस लगाया जा रहा है। इससे किसी का भला नहीं होंगा। यह जनसुनवाई विधिवत नहीं है। मैं जनसुनवाई भंग करने की मांग करता हूँ। सारी जिम्मेदारी आप की होगी। इसका मैं एक वर्ष से विरोध करता हूँ। | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा परियोजना की जनसुनवाई के दौरान प्राप्त लिखित आवेदन और मौखिक विचार/टीका-टिप्पणीयों को लिपिबद्ध कर दिनांक 21/06/2019 को अग्र कार्यवाही हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। |
| 2. - | कार्यवाही विवरण में ग्राम का नाम दर्ज नहीं है। | श्री राजेश्वर भार्गव | मैं विरोध करता हूँ। आज जो जनसुनवाई है। जनहित को देखते हुए स्थगित किया जायें। | |
| 3. - | | श्री लतेल दिनकर | अभी पता चला माईंस खुल रहा है। हम विरोध करते है। अगर फैक्ट्री है। तो हम समर्थन करते है। माईंस है तो विरोध करते है। | |
| 4. - | | श्री दामोदर | सभी लोगों को गुमराह कर रहे है सभी किसानों की राय है समर्थन नहीं है। हम इनका घोर विरोध करते है।<br>नारे बाजी की गई जन सुनवाई स्थगित करे के नारे लगाये गये ए.सी.सी कंपनी हाय-हाय, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये। | |
| 5. - | | श्री चंद्रप्रकाश सूर्या जिला उपाध्यक्ष भाजपा बिलासपुर | विरोध करते है। | |
| 6. - | | श्री भागबली धृतलहरे, गोदाडीह | विरोध करते है। | |
| 7. - | | श्री पन्ना लाला दिव्या | विरोध करते है। ए.सी.सी. कंपनी वापस जाओ। | |
| 8. - | | श्री मनोहर | विरोध करता हूँ। ये धरती को लूटने आये है हमारे मौलिक | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुर्रे | अधिकारों को लूटने आये है धरती के कीमती पत्थर को लेने आये है। पूरी की पूरी जमीन किसानो को वापस किया जाये। गांव में फैक्ट्री मत खुले। | |
| 9. - | | श्री अमित जोगी | सबसे पहले छत्तीसगढ़ का पहला एवं एक मात्र मान्यता प्राप्त दल का प्रतिनिधि होने के नाते आप लोग जो इस जनसुनवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं उसका समर्थन देता हूँ। हमारा परिवार एक है हम सब छत्तीसगढ़िया है। यहा जो अधिकारी आये है मैं उनसे 03 सवाल पूछना चाहता हूँ। एसीसी के जो अधिकारी आये है उन्हें छत्तीसगढ़ी आती है कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न है कि ईआईए रिपोर्ट जो 300 पन्ने की है, मस्तूरी में कितने लोग है जिन्हें अंग्रेजी आती है। जो एसीसी कंपनी रिपोर्ट बना रही हैं। वे अंग्रेजी में क्यो बना रही है छत्तीसगढ़ी व हिन्दी में क्यों नहीं बना रही है। यहां पर टाईम्स ऑफ इंडिया कौन-कौन पढ़ता है। लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन अंग्रजी अखबार में करते है। चुपचाप हमें ठगना चाहते है। सरपंच जी बोल रहे थे तब यह कह रहे थे कि फैक्ट्री खुलेगी, लेकिन फैक्ट्री के बजाय खदान खोलना चाहते है। रिपोर्ट में क्या लिखा है मे। रिपोर्ट का सार मैं आपको बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे जमीन से 40 लाख टन सीमेंट निकालना चाहते है। हर साल पूरा खोद के 10 लाख टन निकालेंगे। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 10 किमी. के क्षेत्र के अंदर कोई जल स्त्रोत नहीं है। क्या तुम अंधे हो? यहां आसपास लीलागर, अरपा, शिवनाथ नदी है। इसमें सबसे महत्वूपर्ण खदान के लिए 3 लाख 30 हजार पानी रोज देना पड़ेगा। नौकरी नहीं मिलेगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी की रिपोर्ट कह रही है और बदले में क्या मिलेगा। तुम लोगों को 01 एम्बुलेंस और स्वच्छ जल देंगे इसके अलावा कोई चीज नहीं लिखी है। 01 एम्बुलेंस और 01 मटका पानी के लिए क्या सारी जमीन तुम लोगों को दे देंगे। मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि केन्द्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल ड्राफ्ट बिल पास हुआ है। जिसमें लिखा हुआ है पानी में पहला अधिकार पेयजल का है दूसरा सिंचाई का है। इसके बाद उद्योग को देना चाहिए। हमारे लोग बूंद-बूंद पानी को तरसेंगे। मैं यहा के नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि ड्राफ्ट वाटर बिल को कानून बनाना चाहिए। मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। मैं जहां जहां गया हू वहां एक भी जन सुनवाई की कार्यवाही नहीं हुई है। यहां भी वहीं हाल होगा। जिन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई है इसकी जांच होगी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए। रिपोर्ट का हिन्दी छत्तीसगढ़ में ट्रांसलेशन कराकर हमको जानकारी मिलना चाहिए। एसीसी वापस जाओं के नारे लगाये गये। | |

अनुभाग अधिकारी

PLGMJ/2450/2026-Agriculture Section(Technical)
I/513167/2026

## परिशिष्ट - उन्तीस
## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 770) की जानकारी

प्रपत्र अ

राज्य विपणन विकास निधि

| क0 | वर्ष | मंडी/मंडी क्षेत्र का नाम | विकास खण्ड | ग्राम /ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि रू0 लाख में | प्रशासीय स्वीकृति क./ दिनॉक | तकनीकी स्वीकृति क/ दिनांक | कार्यादेश क/ दिनॉक | व्यय लाख में | अद्यतन स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रगतिरत | अन्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 01 जन. 25 से 31 मार्च 25 तक | नैला | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 1 | 2025–26 | नैला | बलौदा | महुदा– च | हाट बाजार अद्योसंरचना निर्माण कार्य के अंतर्गत 04 नग छायादार चबूतरा एवं सी. सी. रोड निर्माण कार्य। | 19.73 | 1851/03.06.2025 | 748/26-05-2025 | 4653/23.01.2026 | 0.00 | – | – | अप्रारंभ |
| 2 | 2025–26 | नैला | बम्हनीडीह | हथनेवरा | हाट बाजार अद्योसंरचना निर्माण कार्य के अंतर्गत 04 नग छायादार चबूतरा एवं सी. सी. रोड निर्माण कार्य। | 19.73 | 1851/03.06.2025 | 748/26-05-2025 | 4653/23.01.2026 | 0.00 | – | – | अप्रारंभ |
| 3 | 2025–26 | नैला | बलौदा | उच्चभिट्ठी | ग्राम उच्चभिट्ठी में सी.सी. रोड निर्माण कार्य जीवन यादव के घर से मुख्य गली से सरपंच घर की ओर | 16.83 | 1851/03.06.2025 | 748/26-05-2025 | 4651/23.01.2026 | 0.00 | – | – | अप्रारंभ |
| 4 | 2025–26 | नैला | बलौदा | कुरदा | ग्राम कुरदा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य बाजार चौक से माता चौरा तक। | 19.45 | 1851/03.06.2025 | 748/26-05-2025 | 4651/23.01.2026 | 0.00 | – | – | अप्रारंभ |
| 5 | 2025–26 | नैला | बम्हनीडीह | परसापाली | ग्राम परसापाली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य रामेश्वर प्रधान घर से रमेश प्रधान घर तक | 19.64 | 1851/03.06.2025 | 748/26-05-2025 | 4651/23.01.2026 | 0.00 | – | – | अप्रारंभ |
| 6 | 2025–26 | नैला | बम्हनीडीह | गिधौरी | मुख्य सड़क से धान खरीदी केन्द्र की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य। | 5.61 | 1851/03.06.2025 | 748/26-05-2025 | 4651/23.01.2026 | 0.00 | – | – | निविदा स्तर पर |
| | | | | | **योग** | **100.99** | | | | **0.00** | – | – | |
| | 01 अप्रैल 26 से 30 जून 26 तक | नैला | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| **कुल योग** | | | | | | **100.99** | | | | **0.00** | – | – | |

I/513167/2026

| क0 | वर्ष | मंडी/मंडी क्षेत्र का नाम | विकास खण्ड | ग्राम /ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि रू0 लाख में | प्रशासीय स्वीकृति क./ दिनॉक | तकनीकी स्वीकृति क/ दिनांक | कार्यादेश क/ दिनॉक | व्यय लाख में | अद्यतन स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रगतिरत | अन्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| मंडी समिति निधि | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 जन. 25 से 31 मार्च 25 तक | नैला | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 1 | 2025–26 | नैला | नवागढ़ | खोखसा, हाथीटिकरा, खैरा (नैला), खैरा (अमोरा), दहिदा | मण्डी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खोखसा से बसंतपुर, ग्राम हाथाटीकरा से कांपन, ग्राम खैरा (नैला) बस्ती से भाठापारा के मध्य पुलिया निर्माण तथा ग्राम खैरा (अमोरा) में अमोरा से खैरा के रास्ते नाला पर एवं ग्राम नवापारा दहिदा मार्ग के नाला में पुलिया निर्माण कार्य। | 110.55 | 497-498/ 17.10.2025 | 3287-3288/ 22.09.2025 | 853-854/ 27.02.2026 | 0.00 | - | प्रगतिरत | . |
| 2 | 2025–26 | नैला | नवागढ़ | जांजगीर, शिवरीनारायण | मंडी प्रांगण नैला में निर्मित दुकान के सामने पेवर ब्लाक, उपमंडी प्रांगण शिवरीनारायण में निर्मित स्टॉफ क्वार्टर एवं गोदाम के सामने सी.सी. रोड निर्माण एवं 200 मी. टन क्षमता गोदाम निर्माण कार्य। | 58.48 | 400-401/ 09.09.2025 | 3046-3047/ 21.09.2025 | - | 0 | - | . | निविदा स्तर पर |
| 3 | 2025–26 | नैला | नवागढ़ | पिसौद, किरीत, घुठिया, बुड़ेना, सेमरा | मण्डी क्षेत्रान्तर्गत धान उपार्जन केन्द्र पिसौद, किरित,घुठिया,बुड़ेना,सेमरा मे अहाता सह गेट निर्माण कार्य व ग्राम सिउड़ से चोरभट्ठी के मध्य कोकड़ी नाला मे पुल निर्माण कार्य। | 111.00 | 783-784/06.02.2026 | 4665-4666/28.01.2026 | - | 0 | - | . | निविदा स्तर पर |

| क0 | वर्ष | मंडी/मंडी क्षेत्र का नाम | विकास खण्ड | ग्राम /ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि रू0 लाख में | प्रशासीय स्वीकृति क./ दिनॉक | तकनीकी स्वीकृति क/ दिनांक | कार्यादेश क/ दिनॉक | व्यय लाख में | अद्यतन स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रगतिरत | अन्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 2025–26 | नैला | नवागढ़ | जांजगीर | कृषि उपज मण्डी समिति नैला के मूल मण्डी प्रांगण निर्मित पुराने सेण्ड्रीशाप क्रमांक 06 का मरम्मत कार्य, कृषि उपज मंडी समिति नैला, जिला जांजगीर–चांपा के मूल मंडी प्रांगण में निर्मित स्टॉफ क्वार्टर (नंबर 3, 5, व 6) एव बाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य। | 3.31 | 674-675, 851-852/ 22.12.2025, 27.02.2026 | 4059-4060, 5025/ 04.12.2025 24.02.2026 | - | 0 | - | . | निविदा स्तर पर |
| | | | | | योग – | 283.34 | | | | 0.00 | | | |
| | 01 अप्रैल 26 से 30 जून 26 तक | नैला | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | | | | | कुल योग – | 283.34 | | | | 0.00 | | | |
| राज्य विपणन विकास निधि अनुदान | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 जन. 25 से 31 मार्च 25 तक | नैला | नवागढ़ | जांजगीर | मण्डी प्रांगण नैला में 02 नग 3600 मी. टन गोदाम एवं गोदाम के सामने सी. सी.रोड, आर.सी.सी. नाली, प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट एल.ई.डी. लाईट पोल) | 343.28 | 727-728/ 09.01.2025 | 6700-6701 2751-2752/ 09.01.2025 08.01.2025 | 974-975/ 28.03.2025 | 146.28 | - | प्रगतिरत | - |
| | योग :– | | | | | 343.28 | | | | 146.28 | | | |
| | 2025–26 | नैला | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| | 01 अप्रैल 26 से 30 जून 26 तक | नैला | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| कुलयोग :– | | | | | | 343.28 | | | | 146.28 | | | |
| महायोग | | | | | | 727.61 | | | | 146.28 | | | |

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 09-07-2026 20:24:51

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र ब

| क्र. | मंडी समिति का नाम | निधि | सावधि खाता (लाख में) | बचत खाता (लाख में) | योग (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नैला | मंडी निधि | **718.37** | **280.59** | **998.96** |
| योग | | | **718.37** | **280.59** | **998.96** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
20:25:43

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

## परिशिष्ट - तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 784) की जानकारी

प्रपत्र

| स.क. | क्र. | जिला | संस्था का नाम | स्थानांतरित अधिकारी की संख्या | कार्यमुक्त अधिकारी की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | गौरेला पेण्ड्रा मरवाही | पशु चिकित्सालय कोटमी जिला गौरलो पेण्ड्रा मारवाही | 1 | 1 |
| 2 | 2 | गरियाबंद | कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला गरियाबंद | 1 | 1 |
| 3 | 3 | जांजगीर | पशु चिकित्सालय अकलतरा | 1 | 1 |
| 4 | | जांजगीर | विकास खण्ड पामगढ जिला जांजगीर | 1 | 1 |
| 5 | 4 | दुर्ग | शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा जिला दुर्ग | 1 | 1 |
| 6 | | दुर्ग | कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र दुर्ग जिला दुर्ग | 1 | 1 |
| 7 | | दुर्ग | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला दुर्ग जिला दुर्ग | 1 | 1 |
| 8 | | दुर्ग | रोग अनुसंधान प्रयोगशाला दुर्ग | 1 | 1 |
| 9 | | दुर्ग | केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा जिला दुर्ग | 1 | 1 |
| 10 | | दुर्ग | पशु चिकित्सालय उतई जिला दुर्ग | 1 | 1 |
| 11 | 5 | दंतेवाड़ा | पशु चिकित्सालय किरंदुल, जिला दंतेवाडा | 1 | 1 |
| 12 | | दंतेवाड़ा | रोग अनुसंधान प्रयोगशाला दंतेवाडा जिला दंतेवाडा | 1 | 0 |
| 13 | 6 | सुकमा | पशु चिकित्सालय तोंगपाल जिला सुकमा | 1 | 1 |
| 14 | 7 | सारगढ़ बिलाईगढ | पशु चिकित्सालय कोसिर, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ | 1 | 1 |
| 15 | 8 | सरगुजा | सूकर पालन प्रक्षेत्र सकालो जिला सरगुजा | 1 | 1 |
| 16 | 9 | सक्ती | विकासखण्ड जैजैपुर, जिला सक्ती | 1 | 1 |
| 17 | 10 | राजनांदगांव | पशु चिकित्सालय गैदाटोला, जिला राजनांदगांव | 1 | 1 |
| 18 | | राजनांदगांव | जिला पशु चिकित्सालय राजनांदगांव | 1 | 1 |
| 19 | | राजनांदगांव | पशु चिकित्सालय सामेनी जिला राजनांदगांव | 1 | 1 |
| 20 | | राजनांदगांव | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला राजनांदगांव जिला | 1 | 1 |
| 21 | 11 | रायगढ़ | विकास खण्ड घरघोडा जिला रायगढ़ | 1 | 1 |
| 22 | | रायगढ़ | चल विरुजालय धरमजयगढए जिला रायगढ़ | 1 | 1 |
| 23 | | रायगढ़ | पशु चिकित्सालय खरसिया जिला रायगढ | 1 | 1 |
| 24 | | रायगढ़ | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रायगढ़ जिला रायगढ | 1 | 1 |
| 25 | 12 | रायपुर | संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ | 2 | 2 |
| 26 | | रायपुर | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रायपुर जिला रायपुर | 2 | 2 |
| 27 | | रायपुर | राज्य स्तरीय रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रायपुर | 1 | 1 |
| 28 | | रायपुर | राज्य स्तरीय रोग अनुसंधान प्रयोगशाला रायपुर | 1 | 1 |
| 29 | | रायपुर | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र मंदिरहसौद जिला रायपुर | 1 | 1 |
| 30 | | रायपुर | पशु चिकित्सालय खोरपा | 1 | 1 |
| 31 | | रायपुर | पशु चिकित्सालय नवापारा जिला रायपुर | 1 | 1 |
| 32 | | रायपुर | स्थानीय पशु चिकित्सालय अश्विनी नगर (भाठागांव) रायपुर | 2 | 1 |

| स.क. | क्र. | जिला | संस्था का नाम | स्थानांतरित अधिकारी की संख्या | कार्यमुक्त अधिकारी की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 33 | | रायपुर | जिला पशु चिकित्सालय रायपुर | 1 | 0 |
| 34 | | रायपुर | राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय रायपुर | 1 | 1 |
| 35 | 13 | बिलासपुर | पशु चिकित्सालय सीपत जिला बिलासपुर | 1 | 1 |
| 36 | | बिलासपुर | कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बिलासपुर जिला बिलासपुर | 1 | 1 |
| 37 | | बिलासपुर | जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर जिला बिलासपुर | 1 | 1 |
| 38 | | बिलासपुर | विकास खण्ड मस्तूरी बिलासपुर | 1 | 1 |
| 39 | | बिलासपुर | जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर जिला बिलासपुर | 1 | 1 |
| 40 | | बिलासपुर | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बिलासपुर जिला बिलासपुर | 1 | 1 |
| 41 | | बिलासपुर | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बिलासपुर जिला बिलासपुर | 1 | 0 |
| 42 | | बिलासपुर | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बिलासपुर जिला बिलासपुर | 1 | 0 |
| 43 | | बिलासपुर | पशु चिकित्सालय बेलगहना जिला बिलासपुर | 1 | 0 |
| 44 | | बिलासपुर | जिला पशु चिकित्सालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर | 1 | 0 |
| 45 | | बिलासपुर | कार्याण्संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला बिलासपुर | 1 | 0 |
| 46 | 14 | मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर | पशु चिकित्सालय नागपुर जिला मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर | 1 | 1 |
| 47 | 15 | महासमुंद | विकास खण्ड सरायपाली जिला महासमुंद | 1 | 1 |
| 48 | | महासमुंद | पशु चिकित्सालय झलप | 1 | 1 |
| 49 | | महासमुंद | विकास खण्ड पिथौरा जिला महासमुंद | 1 | 1 |
| 50 | 16 | कोरबा | पशु चिकित्सालय कटघोरा जिला कोरबा | 1 | 1 |
| 51 | | कोरबा | पशु चिकित्सालय पसान जिला कोरबा | 1 | 1 |
| 52 | | कोरबा | जिला पशु चिकित्सालय कोरबा | 1 | 1 |
| 53 | | कोरबा | जिला पशु चिकित्सालय कोरबा | 2 | 2 |
| 54 | 17 | कोरिया | पशु चिकित्सालय पाटन जिला कोरिया | 1 | 1 |
| 55 | 18 | कोण्डागांव | पशु चिकित्सालय केशकाल, जिला कोण्डागांव | 1 | 1 |
| 56 | 19 | कांकेर | रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कांकेर जिला कांकेर | 1 | 1 |
| 57 | | कांकेर | कार्या.उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला कांकेर | 1 | 1 |
| 58 | 20 | कबीरधाम | कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला कबीरधाम | 1 | 1 |
| 59 | | कबीरधाम | पशु चिकित्सा पंडरिया | 1 | 1 |
| 60 | | कबीरधाम | जिला पशु चिकित्सालय कबीरधाम | 1 | 1 |
| 61 | | कबीरधाम | पशु चिकित्सालय बोडला जिला कबीरधाम | 1 | 1 |
| 62 | 21 | बलौदाबाजार | पशु चिकित्सालय नवपारा, जिला बलौदाबाजार | 1 | 1 |
| 63 | | बलौदाबाजार | कार्या.उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला बलौदाबाजार | 1 | 1 |
| 64 | | बलौदाबाजार | विकास खण्ड बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार | 1 | 1 |
| 65 | | बलौदाबाजार | जिला पशु चिकित्सालय बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार | 1 | 1 |
| 66 | | बलौदाबाजार | विकास खंड़ बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार–भाटापारा | 1 | 1 |

| स.क. | क्र. | जिला | संस्था का नाम | स्थानांतरित अधिकारी की संख्या | कार्यमुक्त अधिकारी की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 67 | 22 | बेमेतरा | पशु चिकित्सालय साजा जिला बेमेतरा | 1 | 1 |
| 68 | 23 | बस्तर | प्रबंधक, कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, जिला बस्तर | 1 | 1 |
| 69 | | बस्तर | प्रबंधक शासकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र परचनपालए जिला बस्तर | 1 | 1 |
| 70 | | बस्तर | रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जगदलपुर जिला बस्तर | 1 | 1 |
| 71 | | बस्तर | विकास खण्ड बकावण्ड जिला बस्तर | 1 | 1 |
| 72 | | बस्तर | जिला रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जगदलपुर जिला बस्तर | 1 | 0 |
| 73 | 24 | बालोद | पशु चिकित्सालय गुण्डरदेही, जिला बालोद | 1 | 1 |
| 74 | | बालोद | पशु चिकित्सालय गुरूर जिला बालोद | 1 | 1 |
| 75 | | बालोद | पशु चिकित्सालय देवरीबंगला जिला बालोद | 1 | 1 |
| 76 | | बालोद | विकास खण्ड डौंडीलोहाराए जिला बालोद | 1 | 0 |
| 77 | 25 | बीजापुर | मोटर सायकल युनिट भोपालपट्टनम जिला बीजापुर | 1 | 1 |
| 78 | 26 | खैरागढ़ छुईखदान गंडई | पशु चिकित्सालय खैरागढ जिला खैरागढ–छुईखदान–गंडई | 1 | 1 |
| 79 | | खैरागढ़ छुईखदान गंडई | पशु चिकित्सालय गंडई जिला खैरागढ–छुईखदान–गंडई | 1 | 1 |
| | | | योग | 83 | 73 |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - इकतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 789) की जानकारी

**प्रपत्र-अ**

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश का भू-भराव किये जाने की ग्रामवार एवं खसरावार की जानकारी :-

| क्र. | उद्योग का नाम व पता | ग्राम का नाम | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर) | अनुमति क्षमता (मी.टन) | अनुमति जारी दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. - | मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती | ग्राम-कांशीगढ़, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | 2124/1 | 16.187 | 2,00,000 | 22/05/2026 |
| | | ग्राम-भड़ोरा, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती | 306/2, 362/4, 362/5, 353/1, 353/4, 361/1, 361/2, 352/1, 352/2 | 2.704 | 1,00,000 | 22/05/2026 |
| | | ग्राम-हरदीडीह, तहसील-हसौद, जिला-सक्ती | 718 | 0.243 | 15,000 | 16/03/2026 |
| 2. - | मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती | ग्राम-ओड़ेकेरा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | 871 | 0.2830 | 12,000 | 30/06/2026 |
| 3. - | मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम- मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दर्रामुड़ा, तहसील- खरसिया, जिला-रायगढ़ | ग्राम-भोथिया, तहसील-भोथिया, ब्लॉक-जैजैपुर, जिला-सक्ती | 77/3 | 0.40 | 10,000 | 06/03/2026 |
| | | ग्राम-बिर्रा, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा | 3160/2,2571/6,2795/1,2969/8,3053/1,2970/8 | 1.1 | 30,000 | 21/04/2026 |
| 4. - | मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू स्टील लिमिटेड (पूर्वनाम - मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड), ग्राम व पोस्ट - नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ | ग्राम-नंदेली, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | 15 | 2.732 | 15,000 | 04/02/2026 |
| | | ग्राम-छपोरा, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती | 301/1, 302/2, 303/1, 303/4, 303/5, 304/4, 333/1, 333/2, 333/3, 334/11, 304/2, 323/2, 330/1, 330/5, 330/6, 330/7, 331, 332/4, 332/1, 303/6 | 42.734 | 50,000 | 21/05/2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम-छपोरा, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती | 301/1, 302/2, 303/1, 303/4, 303/5, 304/4, 333/1, 333/2, 333/3, 334/11, 304/2, 323/2, 330/1, 330/5, 330/6, 330/7, 331, 332/4, 332/1, 303/6 | 4.734 | 28,400 | 21/05/2026 |

अधिकारी
विभाग
मंत्रालय,

**प्रपत्र-ब**

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में स्वीकृत खसरों के स्थान पर अन्य खसरों में अवैध राखड़ डम्पिंग किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत, निरीक्षणकर्ता अधिकारी, की गयी कार्यवाही संबंधी जानकारी।

| क्र. | शिकायतकर्ता का नाम | उद्योग का नाम | शिकायत का बिन्दु | निरीक्षण दिनांक | निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम | पाई गई स्थिति | की गयी कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कार्यालय कलेक्टर, जिला-सक्ती के पत्र दिनांक 28/06/2023 माध्यम से ग्रामवासी, ग्राम-खम्हारडीह, तहसील-जैजैपुर से प्राप्त शिकायत। | मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) | ग्राम खम्हारडीह पो. खजुरानी तह. जैजैपुर, जिला-सक्ती में अवैध रूप से राखड़ गिराया जा रहा है। जिसमें हमारे ग्राम रोड पूरी तरह से जरजर हो रहा हैं एवं किसानों के गाय-बछड़ा रोजाना दुर्घटना में मारे जा रहे है। हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों व जनता जनार्दन को आने जाने में राखड़ के धुल-धक्कड़ से बहुत परेशान है। | 28/02/2024 | श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता, श्री आर.आर. वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक | शिकायत स्थल पर राखड़ भराव हेतु कार्यालय से अनुमति प्राप्त की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 2. | अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-सक्ती से पत्र क्रमांक 1104 दिनांक 28/08/2024 को प्राप्त शिकायत। | मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ | ग्राम पंचायत कचंदा तहसील जैजैपुर जिला सक्ती छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 679, 60/1, 887/1,क कुल रकबा- 16.22 हेक्ट. भूमि में राखड़ (फ्लाई ऐश) को पाटने की अनुमति हेतु अनापत्ति के संबंध में। | 17/10/2024 | श्री एस.के. धुर्वे, मुख्य रसायनज्ञ, | शिकायत स्थल पर राखड़ भराव हेतु कार्यालय से अनुमति प्राप्त की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 3. | श्री विजय मिश्रा, अधिवक्ता, फ्लैट नं. एमआईजी -608, हिमालयन हाईट्स हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, झूमरतराई, थोक सब्जी मंडी के सामने, पोस्ट- | मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ | विधिक सूचना - ग्राम कचंदा के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 887/1क में फ्लाई ऐश डंपिंग पर रोक लगाने बाबत्। | 18/12/2024 | श्री आलोक कुमार साहू, कार्यपालन अभियंता एवं श्री एस.के. धुर्वे, मुख्य रसायनज्ञ | शिकायत स्थल पर फ्लाई ऐश अपवहन हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। निरीक्षण दौरान स्थल में फ्लाई ऐश के समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | माना कैम्प, जिला-रायपुर से दिनांक 18/12/2024 को प्राप्त शिकायत पत्र। | | | | | | |
| 4. | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-सक्ती का पत्र क्रमांक 1298 दिनांक 22/07/2025 के माध्यम से प्राप्त शिकायत पत्र। | मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती | ग्राम पंचायत दतौद में अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग की शिकायत के संबंध में। | 28/07/2025 | श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल ग्राम-दतौद, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती में स्थित भूमि खसरा नंबर-1198/1, 1204/2, 1204/3, 1204/5, रकबा-0.252 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा अवैध डंपिंग किया जाना नहीं पाया गया। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 5. | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-सक्ती का पत्र क्रमांक 1643 दिनांक 11/09/2025 के माध्यम से समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित खबर की प्रति। | मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, नहरपाली, खरसिया रोड, जिला-रायगढ़ | ग्राम नंदेली तहसील जैजैपुर में हो रहे फ्लाई ऐश डंपिंग की जांच करने बाबत्। | 12/09/2025 | श्री आलोक कुमार साहू, कार्यपालन अभियंता | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल पर राखड़ भराव हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश का नियमानुसार निष्पादन किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 6. | सुश्री मंजूला चन्द्रा, ग्राम-दतौद, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती से दिनांक 13/05/2025 को प्राप्त शिकायत पत्र। | - | अवैध रूप से राखड़ गिराने पर रोक हेतु। | 28/11/2025 | श्री के.सी. साहू, वैज्ञानिक, श्री ए.के. भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक | शिकायत के परिपेक्ष्य में स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत स्थल में फ्लाई ऐश का भराव किया जाना नहीं पाया गया। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 7. | समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित खबर दिनांक 10/11/2025 | मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) | "जैजैपुर-बाराद्वार मुख्य मार्ग पर राखड़ के गुब्बार से राहगीर परेशान, चलना मुश्किल' ' | 12/11/2025 | श्री के.सी. साहू, वैज्ञानिक, | समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित समाचार के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/11/2025 को स्थल का निरीक्षण किया गया। शिकायत स्थल ग्राम-जैजैपुर, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती स्थित भूमि खसरा नंबर-5762/2, रकबा-0.323 हेक्टेयर में उद्योग द्वारा राखड़ भराव हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा अनुमति प्राप्त स्थल में फ्लाई ऐश का भराव न किया जाकर अन्य स्थल खसरा नंबर-5759/10, 5809/3, 5802/4, 5814 रकबा क्रमशः-0.061, 0.040, 0.073, 0.316 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव किया जाना पाया। फ्लाई ऐश डाले गये खसरा नंबर का भू-स्वामी की सहमति एवं आवश्यकता के अनुरूप खसरा नंबर-5759/10, 5809/3, 5802/4, 5814 रकबा क्रमशः-0.061, 0.040, 0.073, 0.316 हेक्टेयर को सम्मिलित करते हुए पूर्व में जारी अनुमति को संशोधित में राखड़ भराव हेतु दिनांक 15/12/2025 को अनुमति जारी की गई एवं उद्योग के विरूद्ध राशि रूपये 6,80,000/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा वर्तमान में क्षतिपूर्ति राशि मंडल में जमा नहीं की गई है। | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | पुनः स्मरण पत्र दिनांक 03/07/2026 को जारी किया गया है। | |
| 8. | समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित खबर दिनांक 20/01/2026. | मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती | खुले में डंप अवैध राखड़ बेजुबान जानवरों के लिए मौत का अड्डा बना। | 21/01/2026 | श्री के.सी. साहू, वैज्ञानिक एवं श्री अर.आर. वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 9. | स्थानीय समाचार/ सोशल मीडिया में प्रकाशित खबर दिनांक 10/02/2026 | मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ | सोन नदी के पास नियम विरूद्ध जहरीली राखड़ डंपिंग ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा। | 10/02/2026 | श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 10. | मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर का पत्र क्रमांक 2319, दिनांक 01/06/2026 के माध्यम से सुश्री/श्रीमती निकिता, ग्राम अचानकपुर, ग्राम पंचायत कांशीगढ़, तहसील-जैजैपुर, जिला सक्ती का प्राप्त शिकायत पत्र। | मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.) | छत्तीसगढ़ के सक्ती ज़िले के जांजगीर-चांपा में अचानकपुर में औद्योगिक कचरे (राखड़) को अवैध रूप से डंप करने और उससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में। | 24/06/2026 | श्री ए.के. भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल ग्राम-कांशीगढ़, तहसील- जैजैपुर, जिला-सक्ती में स्थित भूमि खसरा नंबर 2124/1 रकबा-16.187 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा अवैध डंपिंग किया जाना नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान भराव स्थल के कुछ भागों में बंड/मेड़ का निर्माण नहीं किया जाना तथा भराव स्थल, हाल रोड एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं पाया गया। | मंडल के पत्र दिनांक 25/06/2026 के माध्यम से उद्योग के विरूद्ध राशि 30,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 800) की जानकारी प्रपत्र - अ

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech. 18-05-2026

प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. आयुक्त संभाग, सर्व ..........................
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बेंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. कलेक्टर, जिला सर्व....................
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्व.................
7. संयुक्त संचालक कृषि संभाग, सर्व...................
8. उप संचालक कृषि जिला सर्व..........................

विशय :– राज्य में आगामी खरीफ 2026 हेतु सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

---

प्रस्तावना :– वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अनुशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ–साथ अन्य उपाय जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद आदि भी सम्मिलित है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव की परिस्थति के कारण राज्य के सभी कृषकों को समानुपातिक मात्रा एवं समसामयिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

उद्देश्य :–

1. संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. कास्त लागत में कमी।
3. रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नीलहरित काई आदि के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति संरक्षित करना।
4. उर्वरकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग को रोकना।
5. कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) अनुरूप उर्वरकों का कृषि में उपयोग सुनिश्चित करना।

कियान्वयन हेतु निर्देश :–

1. खरीफ 2025 में कृषक को वितरित उर्वरक यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डी.ए.पी की 60 प्रतिशत मात्रा का ही वितरण खरीफ 2026 में किया जाना है।
2. यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया की आपूर्ति होने पर की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में नैनो यूरिया के रूप में प्रदाय की जायेगी। डी.ए.पी. की शेष 40 प्रतिशत मात्रा

अन्य वैकल्पिक एन.पी.के. उर्वरकों अथवा नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नैनो उर्वरक लेने के लिये कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

3. प्रदेश के समस्त सीमांत कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा एक मुश्त प्रदाय की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त लघु कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 से 5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 2 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
5. प्रदेश के बड़े कृषक (जिनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस एवं तृतीय किश्त द्वितीय किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
6. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कृषक को देय उर्वरक का निर्धारण बोरी की गणना के आधार पर किया जायेगा। विगत वर्ष (खरीफ 2025) वितरित उर्वरक की गणना बोरी में करने के उपरांत यूरिया हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.ए.पी. हेतु 60 प्रतिशत की गणना बोरी में ही की जायेगी। गणना में यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त न हो तो निकटतम पूर्णांक को मान्य किया जायेगा अर्थात यदि बोरी की गणना 7.2 या 7.8 प्राप्त हो तो क्रमशः 7 एवं 8 बोरी मान्य किया जायेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 18-05-2026
14:17:43

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-g.Tech. 18-05-2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन,पशुपालन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
16:38:22

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, ..., अटल नगर

प्रपत्र-ब I/515430/2026

ISQC-2/37/2026-Agriculture Section(Technical)-Part(1) I/490051/2026

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ ।
8. उप संचालक कृषि, जिला- ...............(सर्व)

विषय: राज्य में खरीफ-2026 में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

**संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech 18-05-2026**

विषयान्तर्गत वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। वर्तमान मे यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3 से 5 एतद द्वारा विलोपित किए जाते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 1 में मात्र यूरिया उर्वरक हेतु निर्धारित मात्रा 80 प्रतिशत को भी विलोपित किया जाता है, तथा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. कृषक को खरीफ 2025 में वितरित यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा मे यूरिया का विक्रय खरीफ 2026 में किया जाएगा।
2. उक्त प्रदाय एकमुश्त अथवा तत्समय संबंधित सहकारी समिति में उर्वरक उपलब्धता के आधार पर होगा । सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पात्रतानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकेगा ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 27-06-2026
15:49:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
16:39:42

I/515441/2026

प्रपत्र स

किसानों को निर्धारित अनुपातिक मात्रा से कम अथवा अधिक खाद वितरण से संबंधित प्रकरणों तथा दोषी विक्रेताओं एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

| क्र. | वर्ष | जिला | फर्म जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई | | | | | | | सहकारी समिति जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई | | | | | | | अधिकारी/कर्मचारी जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रकरण संख्या | फर्म का नाम जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई | की गई कार्यवाही | | | | | प्रकरण संख्या | सहकारी समिति का नाम जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई | की गई कार्यवाही | | | | | प्रकरण संख्या | अधिकारी का नाम जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई | कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण |
| | | | | | न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण | एफ.आई.आर | लाईसेंस निरस्तीकरण | लाईसेंस निलबंन | जब्ती/ राजसात | | | न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण | एफ. आई. आर | लाईसेंस निरस्तीकरण | लाईसेंस निलबंन | जब्ती/ राजसात | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2024 | महासमुन्द | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2025 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2026 (01.04. 2026 से 30.06. 2026 तक) | | 4 | मे. ओम फर्टिलाईजर सरायपाली | - | एफ.आई आर की कार्यवाही प्रकियाधीन है। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | श्री बुंदरलाल मिर्धा | अक्रियाशील फसल अवधि में अनियमित रूप से अधिक यूरिया उर्वरक का वितरण संबंधित फर्मो के द्वारा किया गया किंतु उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठालय के द्वारा दिये गये निर्देशो के परिपालन में कोई भी कार्यवाही संबंधित अधिकारी द्वारा नही किया गया इस कारण से छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका 3, (क), (ख) (ग) के प्रावधानानुसार कलेक्टर महासमुन्द द्वारा निलंबित किया गया। |
| | | | | मे. राजेश अग्रवाल सरायपाली | - | एफ.आई आर की कार्यवाही प्रकियाधीन है। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | मे.आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा | - | एफ.आई आर की कार्यवाही प्रकियाधीन है। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | श्री गंगा प्रसाद शरणागत | अक्रियाशील फसल अवधि में अनियमित रूप से अधिक यूरिया उर्वरक का वितरण संबंधित फर्मो के द्वारा किया गया किंतु उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठालय के द्वारा दिये गये निर्देशो के परिपालन में कोई भी कार्यवाही संबंधित अधिकारी द्वारा नही किया गया इस कारण से छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका 3, (क), (ख) (ग) के प्रावधानानुसार कलेक्टर महासमुन्द द्वारा निलंबित किया गया। |
| | | | | मे. जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया | - | एफ.आई आर की कार्यवाही प्रकियाधीन है। | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2026 16:40:51

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैवप्रौद्योगिकी विभाग

I/511031/2026

परिशिष्ट - तैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 808) की जानकारी

प्रपत्र–अ

## खरीफ/रबी रासायनिक उर्वरकवार, वर्षवार विक्रय दर की जानकारी

| क्र. | उर्वरक का नाम | इकाई | खरीफ | | | रबी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | यूरिया | 45 कि.ग्रा./बोरी | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 |
| 2 | सुपर फास्फेट (पावडर) | 50 कि.ग्रा./बोरी | 470 | 469 | 474 | 470 | 469 | 474 |
| | सुपर फास्फेट (दानेदार) | | 510 | 510 | 516 | 510 | 510 | 516 |
| | सुपर फास्फेट (जिंकेटेड) | | 490 | 490 | 495 | 490 | 490 | 495 |
| 3 | डी.ए.पी. | 50 कि.ग्रा./बोरी | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 4 | पोटाश | 50 कि.ग्रा./बोरी | 1700 | 1625 | 1535 | 1625 | 1500 | 1800 |
| 5 | एन.पी.के. | 50 कि.ग्रा./बोरी | 1470 | 1470 | 1420 | 1470 | 1470 | 1900 |

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 09-07-2026
11:55:18

**(अमित कुमार सिंह)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/511034/2026

प्रपत्र–ब

## खरीफ प्रमाणित बीज की वर्षवार विक्रय दर की जानकारी

| क्र. | फसल का नाम | इकाई | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | धान मोटा | रू. / क्विं. | 2800 | 3400 | 3550 |
| 2 | धान पतला | रू. / क्विं. | 3000 | 3900 | 4030 |
| 3 | धान सुगंधित | रू. / क्विं. | 3400 | 4500 | 4650 |
| 4 | कोदो | रू. / क्विं. | 6000 | 7200 | 7300 |
| 5 | कुटकी | रू. / क्विं. | - | 4700 | - |
| 6 | रागी | रू. / क्विं. | 4600 | 3400 | 4500 |
| 7 | अरहर | रू. / क्विं. | 8400 | 13590 | 12500 |
| 8 | उड़द | रू. / क्विं. | 10250 | 12500 | 11300 |
| 9 | मूंग | रू. / क्विं. | 10100 | 11200 | 11400 |
| 10 | कुल्थी | रू. / क्विं. | - | 7600 | 7750 |
| 11 | सोयाबीन | रू. / क्विं. | 8100 | 8200 | 7400 |
| 12 | मूंगफली | रू. / क्विं. | 9500 | 11900 | 11900 |
| 13 | तिल | रू. / क्विं. | 14700 | 19300 | 19300 |
| 14 | रामतिल | रू. / क्विं. | 11050 | 13000 | 13000 |
| 15 | ढेंचा | रू. / क्विं. | 8350 | 9900 | 9900 |
| 16 | सनई | रू. / क्विं. | 7800 | 11600 | 11600 |

I)/1214/2026-Agriculture Section(Technical) I/511034/2026

## रबी प्रमाणित बीज की वर्षवार विक्रय दर की जानकारी

| क्र. | फसल का नाम | इकाई | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023—24 | 2024—25 | 2025—25 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | गेहूं | रू. / क्विं. | 3750 | 3870 | 4085 |
| 2 | रागी | रू. / क्विं. | - | 9085 | 7400 |
| 3 | चना | रू. / क्विं. | 8000 | 8665 | 8957 |
| 4 | मटर | रू. / क्विं. | 8900 | 9550 | 9315 |
| 5 | मसूर | रू. / क्विं. | 10000 | 10900 | 11022 |
| 6 | मूंग | रू. / क्विं. | 11000 | 11500 | 13341 |
| 7 | उड़द | रू. / क्विं. | 10250 | 12500 | 13571 |
| 8 | तिवड़ा | रू. / क्विं. | 5328 | 6120 | 6209 |
| 9 | सरसों | रू. / क्विं. | 7500 | 7770 | 8374 |
| 10 | अलसी | रू. / क्विं. | 6500 | 9765 | 12329 |
| 11 | कुसुम | रू. / क्विं. | 6284 | 8760 | - |
| 12 | मूंगफली | रू. / क्विं. | 8500 | 10795 | 8858 |
| 13 | तोरिया | रू. / क्विं. | - | - | 9883 |

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 09-07-2026
11:56:11

**(अमित कुमार सिंह)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I)/1214/2026-Agriculture Section(Technical) I/511037/2026

प्रपत्र–स

## कीटनाशक औषधि/डीजल की जानकारी

कीटनाशक औषधि के मूल्य निर्धारण का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। यद्यपि विगत तीन वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश में डीज़ल की कीमतों में आंशिक वृद्धि हुई है। जनवरी 2024 की स्थिति में डीज़ल की कीमत 96.57 रूपये प्रति लीटर, जनवरी 2025 में 94.52 रूपये प्रति लीटर, जनवरी 2026 में 94.53 रूपये प्रति लीटर एवं वर्तमान माह जुलाई 2026 में डीज़ल की कीमत 102.47 रूपये प्रति लीटर है। डीज़ल का दर संबंधित ऑयल कम्पनियों द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किया जाता है।

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 09-07-2026
12:01:47

**(अमित कुमार सिंह)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - चौंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 819) की जानकारी

प्रपत्र-अ

**वर्ष 2022-2023 से 2025-26 तक गंगरेल जलाशय में वर्षवार मत्स्य उत्पादन, प्राप्त रायल्टी/आय व लाभान्वित मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों की जानकारी**

| क्र. | वर्ष | मत्स्य उत्पादन (मेट्रिक टन में) | मत्स्याखेट से शासन को प्राप्त रायल्टी (रू. लाख में) | संबंधित मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 2022-23 | 109.17 | 42.50 | 172 |
| 2 | 2023-24 | 157.51 | 61.05 | 108 |
| 3 | 2024-25 | 196.39 | 55.00 | 89 |
| 4 | 2025-26 | 199.39 | 37.20 | 260 |
| योग | | **662.46** | **195.75** | |

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.,
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

**वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक गंगरेल जलाशय से जुडे मछुआरों को मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट कार्य हेतु शासन द्वारा प्रदाय अनुदान/सहायता की वर्षवार जानकारी**

| वर्ष | सहायता अनुदान (बचत सह अनुदान) | | प्रशिक्षण | | उपकरण (आईस बॉक्स) | | उपकरण (जाल) | | उपकरण (नाव) | | दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) | | अन्य सुविधाये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सदस्य संख्या | अनुदान राशि | सदस्य संख्या | अनुदान राशि | सदस्य संख्या | अनुदान राशि | सदस्य संख्या | अनुदान राशि | सदस्य संख्या | अनुदान राशि | सदस्य संख्या | अनुदान राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2022-23 | 659 | 19.77 | - | - | - | - | - | - | | | 659 | - | - |
| 2023-24 | 249 | 7.47 | - | - | 6 | 0.36 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 249 | - | मत्स्यजीवि दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत गंगरेल जलाशय में कार्यरत समिति के बीमित सदस्य श्री बसदेवराम निषाद की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी श्री जयराम निषाद, ग्राम कोलियारी को बीमा राशि रूपये 5.00 लाख दिनांक 27-03-2024 को प्रदाय की गयी है। |
| 2024-25 | 243 | 7.29 | 50 | 0.625 | 2 | 0.12 | 9 | 0.9 | 0 | 0.00 | 243 | - | मत्स्यजीवि दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत गंगरेल जलाशय में कार्यरत समिति के बीमित सदस्य श्री ईश्वर की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी श्रीमती सोनबती, ग्राम उरपुटी को बीमा राशि रूपये 5.00 लाख दिनांक 03.10.2024 को प्रदाय की गयी है। |
| 2025-26 | 380 | - | - | - | 17 | 10.20 | 8 | 0.8 | 0 | 0.00 | 380 | - | बचत सह राहत योजनान्तर्गत अनुदान राशि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |

टीप:- छ.ग शासन की नवीन मछली पालन नीति 2022 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर द्वारा वर्ष 2022-23 में राशि रू. 15.00 लाख, वर्ष 2023-24 में राशि रू. 15.00 लाख एवं वर्ष 2024-25 में राशि रू. 16.50 लाख मछुआरों को मत्स्य उत्पादकता बोनस का वितरण किया गया है। वर्ष 2025-26 में गंगरेल जलाशय में समितियों द्वारा रायल्टी आधार पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें बोनस की पात्रता नही है।

**सही/-अस्पष्ट**
**सहायक संचालक मछलीपालन**
**जिला-धमतरी (छ.ग.)**

**सही/-अस्पष्ट**
**प्रबंध संचालक**
**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.,**
**रायपुर (छ.ग.)**

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

1 of 1

परिशिष्ट - पैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 833) की जानकारी

I/513602/2026

प्रपत्र–अ

प्रश्नांश "क" – जिला बालोद अंतर्गत खरीफ 2026 में बीज मांग, उपलब्धता एवं भंडारण की जानकारी

( मात्रा क्विं. में)

| क्र. | सीजन | फसल | बीज मांग | उपलब्धता | बीज भंडारण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | समितियों में भंडारण | कृषि विभाग के कार्यालयों में भंडारण | प्रक्रिया केन्द्र में नगद वितरण | योग भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | खरीफ 2026 | धान | 22,178.70 | 23,008.80 | 21,281.10 | - | 1,292.30 | 22,573.40 |
| 2 | | कोदो | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | अरहर | 20.00 | 55.36 | 22.48 | 4.40 | - | 26.88 |
| 4 | | उड़द | 13.00 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 |
| 5 | | मूंग | 4.00 | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 |
| 6 | | ढेचा | | 116.00 | | 116.00 | | 116.00 |
| योग खरीफ 2026 :– | | | **22,215.70** | **23,242.16** | **21,303.58** | **182.40** | **1,292.30** | **22,778.28** |

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 10-07-2026 11:21:27

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/513627/2026

**प्रपत्र—ब**

| क्र. | वर्ष | उर्वरकवार मांग एवं भंडारण की जानकारी (इकाई मे. टन में) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | | डी.ए.पी. | | एन.पी.के. | | एम.ओ.पी. | | एस.एस.पी. | |
| | | मांग / लक्ष्य | भंडारण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | मांग / लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | खरीफ 2023 | 26200 | 33110 | 12500 | 18551 | 3300 | 5898 | 2750 | 4059 | 14100 | 8085 |
| 2 | खरीफ 2024 | 28000 | 33364 | 17400 | 12022 | 6000 | 14112 | 3700 | 4294 | 7700 | 11067 |
| 3 | खरीफ 2025 | 29600 | 29925 | 11300 | 11651 | 13270 | 13808 | 3800 | 4951 | 10000 | 13684 |
| 4 | खरीफ 2026 (20 जून की स्थिति में) | 27270 | 23210 | 12000 | 3790 | 14000 | 14700 | 4800 | 4590 | 10000 | 12600 |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
11:25:21

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/513640/2026

प्रपत्र–स

| क्र. | वर्ष | उर्वरकवार मांग, भंडारण एवं वितरण की जानकारी (इकाई मे. टन में) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | | | डी.ए.पी. | | | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | | | एस.एस.पी. | | |
| | | मांग / लक्ष्य | भंडारण | वितरण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | वितरण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | वितरण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | वितरण | मांग / लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | खरीफ 2026 (20 जून की स्थिति में) | 27270 | 23210 | 15336 | 12000 | 3790 | 3004 | 14000 | 14700 | 11425 | 4800 | 4590 | 3001 | 10000 | 12600 | 6090 |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
11:26:55

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/424332/2026

प्रपत्र–6

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech. 18-05-2026

प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. आयुक्त संभाग, सर्व ..........................
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बेंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. कलेक्टर, जिला सर्व....................
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्व................
7. संयुक्त संचालक कृषि संभाग, सर्व..................
8. उप संचालक कृषि जिला सर्व..........................

विशय :– राज्य में आगामी खरीफ 2026 हेतु सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

---

**प्रस्तावना** :– वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अनुशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ–साथ अन्य उपाय जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद आदि भी सम्मिलित है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव की परिस्थति के कारण राज्य के सभी कृषकों को समानुपातिक मात्रा एवं समसामयिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

**उद्देश्य** :–

1. संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. कास्त लागत में कमी।
3. रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नीलहरित काई आदि के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति संरक्षित करना।
4. उर्वरकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग को रोकना।
5. कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) अनुरूप उर्वरकों का कृषि में उपयोग सुनिश्चित करना।

**कियान्वयन हेतु निर्देश** :–

1. खरीफ 2025 में कृषक को वितरित उर्वरक यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डी.ए.पी की 60 प्रतिशत मात्रा का ही वितरण खरीफ 2026 में किया जाना है।
2. यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया की आपूर्ति होने पर की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में नैनो यूरिया के रूप में प्रदाय की जायेगी। डी.ए.पी. की शेष 40 प्रतिशत मात्रा

I/513646/2026
I/424332/2026

अन्य वैकल्पिक एन.पी.के. उर्वरकों अथवा नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नैनो उर्वरक लेने के लिये कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

3. प्रदेश के समस्त सीमांत कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा एक मुश्त प्रदाय की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त लघु कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 से 5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 2 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
5. प्रदेश के बड़े कृषक (जिनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस एवं तृतीय किश्त द्वितीय किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
6. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कृषक को देय उर्वरक का निर्धारण बोरी की गणना के आधार पर किया जायेगा। विगत वर्ष (खरीफ 2025) वितरित उर्वरक की गणना बोरी में करने के उपरांत यूरिया हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.ए.पी. हेतु 60 प्रतिशत की गणना बोरी में ही की जायेगी। गणना में यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त न हो तो निकटतम पूर्णांक को मान्य किया जायेगा अर्थात यदि बोरी की गणना 7.2 या 7.8 प्राप्त हो तो क्रमशः 7 एवं 8 बोरी मान्य किया जायेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 18-05-2026
14:17:43

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-g.Tech. | 18-05-2026

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन,पशुपालन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
11:28:13

I/513655/2026

प्रपत्र-ट

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ ।
8. उप संचालक कृषि, जिला- ................(सर्व)

विषय: राज्य में खरीफ-2026 में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

**संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech 18-05-2026**

विषयान्तर्गत वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। वर्तमान मे यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3 से 5 एतद द्वारा विलोपित किए जाते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 1 में मात्र यूरिया उर्वरक हेतु निर्धारित मात्रा 80 प्रतिशत को भी विलोपित किया जाता है, तथा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. कृषक को खरीफ 2025 में वितरित यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा मे यूरिया का विक्रय खरीफ 2026 में किया जाएगा।
2. उक्त प्रदाय एकमुश्त अथवा तत्समय संबंधित सहकारी समिति में उर्वरक उपलब्धता के आधार पर होगा । सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पात्रतानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकेगा ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 27-06-2026
15:49:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

**I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
11:29:35

I/513665/2026

प्रपत्र—क

इकाई—रूपये में

| क्र. | वर्ष | जिला बालोद की सहकारी समितियों द्वारा किस दर पर वितरण किया जा रहा है (इकाई प्रति बोरी) | | | | नैनो यूरिया (500 एम.एल.) बॉटल | नैनो डी.ए.पी. (500 एम.एल.) बॉटल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | खरीफ 2026 | 266.50 | 1350.00 | ग्रेड | दर | 225.00 | 600.00 |
| | | | | 12:32:16 | 1990.00 | | |
| | | | | 20:20:0:13 | 1850.00 | | |
| | | | | 10:26:26 | 1990.00 | | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
11:32:41

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - छत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 837) की जानकारी

प्रपत्र 'V

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के बालक/कन्या छात्रावास/आश्रमों की स्तरवार एवं जिलेवार जानकारी

| क | जिला का नाम | अनुसूचित जनजाति | | | | | | | | | | | | अनुसूचित जाति | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्री. मैट्रिक छात्रावास | | | | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास | | | | आश्रम | | | | प्री. मैट्रिक छात्रावास | | | | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास | | | | आश्रम | | | |
| | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | |
| | | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | बालोद | 44 | 1645 | 7 | 300 | 5 | 250 | 6 | 300 | 12 | 1000 | 5 | 400 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बलौदाबाजार | 22 | 970 | 8 | 400 | 4 | 200 | 4 | 200 | 2 | 100 | 2 | 100 | 18 | 930 | 9 | 525 | 5 | 300 | 3 | 150 | 0 | 0 | 3 | 32[illegible] |
| 3 | बलरामपुर | 46 | 2050 | 21 | 1220 | 8 | 400 | 7 | 400 | 38 | 1970 | 28 | 1700 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 4 | बस्तर | 62 | 3797 | 28 | 1829 | 16 | 900 | 16 | 880 | 60 | 4076 | 42 | 3314 | 1 | 50 | 1 | 80 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 5 | बेमेतरा | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 | 4 | 200 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 0 | 1 | [illegible] |
| 6 | बीजापुर | 24 | 1785 | 13 | 1300 | 4 | 200 | 4 | 200 | 95 | 7750 | 42 | 3850 | 2 | 100 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 7 | बिलासपुर | 21 | 890 | 7 | 490 | 2 | 190 | 2 | 170 | 12 | 650 | 2 | 100 | 15 | 850 | 8 | 510 | 5 | 400 | 6 | 370 | 4 | 200 | 1 | [illegible] |
| 8 | दन्तेवाड़ा | 24 | 2590 | 11 | 1400 | 8 | 950 | 9 | 1050 | 50 | 4325 | 20 | 2015 | 2 | 130 | 1 | 65 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 9 | धमतरी | 21 | 840 | 5 | 230 | 2 | 100 | 2 | 150 | 4 | 180 | 9 | 500 | 6 | 300 | 4 | 200 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 10 | दुर्ग | 5 | 160 | 2 | 100 | 2 | 150 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 | 1 | 50 | 4 | 250 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 11 | गरियाबंद | 25 | 1160 | 8 | 500 | 3 | 150 | 4 | 250 | 16 | 1300 | 14 | 950 | 7 | 325 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | [illegible] |
| 12 | गौरेला–पेण्ड्रा | 23 | 860 | 29 | 1420 | 4 | 200 | 3 | 150 | 13 | 650 | 4 | 250 | 3 | 150 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 13 | जांजगीर | 4 | 200 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 540 | 25 | 1220 | 4 | 200 | 5 | 250 | 0 | 0 | 1 | [illegible] |
| 14 | जशपुर | 51 | 2410 | 37 | 2010 | 14 | 900 | 15 | 1270 | 50 | 2680 | 30 | 1590 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | [illegible] |
| 15 | कबीरधाम | 23 | 1190 | 12 | 650 | 2 | 100 | 3 | 150 | 22 | 1325 | 14 | 815 | 11 | 540 | 3 | 230 | 2 | 150 | 1 | 50 | 2 | 100 | 2 | [illegible] |
| 16 | कांकेर | 70 | 3685 | 28 | 1550 | 8 | 475 | 8 | 400 | 43 | 2280 | 33 | 2515 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 50 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 17 | खैरागढ़ | 5 | 200 | 3 | 150 | 3 | 150 | 2 | 100 | 2 | 150 | 0 | 0 | 3 | 150 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 18 | कोण्डागांव | 42 | 2160 | 22 | 1250 | 8 | 500 | 6 | 350 | 28 | 1990 | 26 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 19 | कोरबा | 76 | 2980 | 16 | 800 | 7 | 350 | 7 | 350 | 32 | 1730 | 27 | 1560 | 6 | 240 | 10 | 500 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 20 | कोरिया | 15 | 765 | 6 | 280 | 3 | 150 | 3 | 150 | 12 | 650 | 10 | 520 | 1 | 20 | 3 | 150 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 21 | महासमुन्द्र | 37 | 1380 | 16 | 900 | 4 | 200 | 4 | 200 | 10 | 640 | 12 | 1030 | 13 | 650 | 12 | 600 | 1 | 50 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | [illegible] |
| 22 | मनेन्द्रगढ़ | 22 | 1065 | 14 | 700 | 3 | 150 | 3 | 150 | 4 | 220 | 6 | 300 | 2 | 70 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| 23 | मोहला–मानपुर | 35 | 1385 | 21 | 970 | 4 | 200 | 5 | 250 | 7 | 350 | 15 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | [illegible] |

...ग अधिकारी
...ति कल्याण विभाग
रायपुर, अटल नगर

| क | जिला का नाम | अनुसूचित जनजाति | | | | | | | | | | | | अनुसूचित जाति | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्री. मैट्रिक छात्रावास | | | | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास | | | | आश्रम | | | | प्री. मैट्रिक छात्रावास | | | | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास | | | | आश्रम | | | |
| | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | | बालक | | कन्या | |
| | | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सीट | संस्था | स्वी. सी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24 | मुंगेली | 5 | 250 | 4 | 200 | 1 | 50 | 2 | 100 | 3 | 150 | 2 | 100 | 8 | 470 | 5 | 250 | 3 | 250 | 3 | 250 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 25 | नारायणपुर | 12 | 1050 | 9 | 700 | 4 | 200 | 2 | 100 | 63 | 3920 | 25 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | रायगढ़ | 55 | 2310 | 19 | 1040 | 9 | 500 | 10 | 600 | 10 | 660 | 19 | 1150 | 6 | 300 | 4 | 200 | 1 | 50 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 27 | रायपुर | 6 | 280 | 3 | 130 | 5 | 325 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 575 | 8 | 390 | 4 | 300 | 3 | 250 | 0 | 0 | 6 | 650 |
| 28 | राजनांदगांव | 7 | 340 | 7 | 320 | 3 | 200 | 4 | 250 | 1 | 50 | 3 | 150 | 6 | 240 | 6 | 296 | 2 | 150 | 1 | 100 | 3 | 150 | 1 | 50 |
| 29 | सक्ती | 5 | 250 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 7 | 560 | 1 | 50 | 17 | 640 | 11 | 520 | 2 | 100 | 1 | 50 | 7 | 450 | 2 | 100 |
| 30 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 12 | 450 | 9 | 430 | 1 | 50 | 1 | 50 | 8 | 500 | 2 | 150 | 19 | 910 | 14 | 700 | 4 | 250 | 1 | 50 | 7 | 400 | 3 | 175 |
| 31 | सुकमा | 21 | 1400 | 12 | 895 | 6 | 300 | 5 | 250 | 60 | 5095 | 35 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | सुरजपुर | 38 | 2005 | 23 | 1120 | 6 | 300 | 7 | 350 | 17 | 950 | 16 | 1090 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | सरगुजा | 38 | 1885 | 28 | 1480 | 8 | 465 | 8 | 460 | 33 | 1800 | 15 | 800 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग | 896 | 44387 | 430 | 24864 | 160 | 9405 | 160 | 10030 | 714 | 47701 | 459 | 32627 | 199 | 9151 | 144 | 7456 | 48 | 3050 | 44 | 2560 | 26 | 1500 | 25 | 2250 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "ब"

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 837 द्वारा श्रीमती संगीता सिन्हा माननीय विधानसभा सदस्यके प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में भवन विहीन, आहाता विहीन, स्नानागार विहीन, शौचालय विहीन तथा शुद्ध पेयजल व्यवस्था विहीन संस्थाओ की जिलेवार जानकारी।

| क | जिला का नाम | भवन विहीन संस्थाओं की संख्या | आहाता विहीन संस्थाओं की संख्या | स्नानागार विहीन | शौचालय विहीन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बालोद | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बलौदाबाजार | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | बलरामपुर | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | बस्तर | 15 | 43 | 0 | 0 |
| 5 | बेमेतरा | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | बीजापुर | 1 | 35 | 0 | 0 |
| 7 | बिलासपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | दन्तेवाड़ा | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | धमतरी | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | दुर्ग | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | गरियाबंद | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | गौरेला–पेण्ड्रा | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | जांजगीर | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | जशपुर | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | कबीरधाम | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | कांकेर | 39 | 22 | 0 | 0 |
| 17 | खैरागढ़ | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | कोण्डागांव | 9 | 21 | 0 | 0 |
| 19 | कोरबा | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | कोरिया | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | महासमुन्द्र | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | मनेन्द्रगढ़ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | मोहला–मानपुर | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 24 | मुंगेली | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | नारायणपुर | 29 | 22 | 0 | 0 |
| 26 | रायगढ़ | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 27 | रायपुर | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | राजनांदगांव | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | सक्ती | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | सुरजपुर | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | सरगुजा | 20 | 8 | 0 | 0 |
| | योग | 286 | 300 | 0 | 0 |

टीप :– सभी संस्थाओं में शुद्ध पेयजल हेतु स्वयं के स्त्रोत उपलब्ध है।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - सैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 843) की जानकारी

प्रपत्र–अ

## छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के स्वीकृत पदों की श्रेणीवार जानकारी

| स.क. | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम श्रेणी | 07 | 02 | 05 |
| 2 | द्वितीय श्रेणी | 08 | 03 | 05 |
| 3 | तृतीय श्रेणी | 68 | 46 | 22 |
| 4 | चतुर्थ श्रेणी | 38 | 22 | 16 |
| | (कलेक्टर दर/अंशकालीन) | 08 | 06 | 02 |
| | **योग** | **129** | **79** | **50** |

## छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के स्वीकृत पदों की श्रेणीवार जानकारी

| श्रेणी | पदनाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | प्रबंध संचालक | 01 | 01 | – |
| | महाप्रबंधक | 02 | – | 02 |
| | उपमहाप्रबंधक | 03 | 01 | 02 |
| | कार्यपालन अभियंता | 01 | – | 01 |
| **योग** | | **07** | **02** | **05** |
| द्वितीय श्रेणी | लेखाधिकारी | 01 | 01 | – |
| | प्रशासकीय अधिकारी | 01 | 01 | – |
| | सहायक अभियंता | 02 | 01 | 01 |
| | वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी | 03 | – | 03 |
| | वरिष्ठ प्रबंधक | 01 | – | 01 |
| **योग** | | **08** | **03** | **05** |
| तृतीय श्रेणी | जनसम्पर्क अधिकारी | 01 | 01 | – |
| | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 01 | – | 01 |
| | सहायक अधीक्षक | 01 | – | 01 |
| | वरिष्ठ लेखापाल | 01 | – | 01 |
| | योजना सहायक | 01 | – | 01 |
| | वरिष्ठ स्टेनोग्राफर | 01 | – | 01 |
| | निज सहायक/स्टेनोग्राफर | 01 | 01 | – |
| | उप अभियंता | 03 | 01 | 02 |
| | सहायक ग्रेड–1 | 02 | 02 | – |
| | सहायक ग्रेड–2 | 02 | 02 | – |
| | सहायक ग्रेड–3 | 05 | 04 | 01 |
| | कम्पयूटर ऑपरेटर | 01 | 01 | – |
| | वाहन चालक | 05 | 03 | 02 |
| | पर्यटन अधिकारी | 15 | 13 | 02 |
| | सूचना सहायक | 15 | 10 | 05 |
| | प्रबंधक | 03 | 03 | – |
| | स्वागतकर्ता | 02 | – | 02 |
| | फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट | 02 | – | 02 |
| | स्टूवर्ड | 01 | 01 | – |
| | इलेक्ट्रीशियन | 02 | 01 | 01 |
| | कुक ग्रेड–1 | 01 | 01 | – |
| | कुक ग्रेड–2 | 01 | 01 | – |
| | कुक ग्रेड–3 | 01 | 01 | – |
| **योग** | | **68** | **46** | **22** |

| श्रेणी | पदनाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| **चतुर्थ श्रेणी** | वरिष्ठ भृत्य | 01 | — | 01 |
| | भृत्य | 21 | 13 | 08 |
| | कुक ग्रेड–4 | 02 | 02 | — |
| | हेडवेटर | 02 | 02 | — |
| | वेटर | 04 | 01 | 03 |
| | हेल्पर | 04 | 01 | 03 |
| | चौकीदार | 03 | 02 | 01 |
| | स्वीपर | 01 | 01 | — |
| **चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर दर/ अंशकालीन** | चौकीदार कलेक्टर दर | 01 | — | 01 |
| | माली कलेक्टर दर | 02 | 02 | — |
| | स्वीपर कलेक्टर दर | 04 | 04 | — |
| | स्वीपर अंशकालीन | 01 | — | 01 |
| **योग** | | **46** | **28** | **18** |
| **महायोग** | | **129** | **79** | **50** |

प्रपत्र–ब

| स. क्र. | वर्ष | योजना का नाम | परियोजना का नाम | केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (लाख़) | केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि (लाख़) | केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि में से व्यय की गई राशि (लाख़) | यू.सी. प्रेषित | यू.सी. लंबित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024–25 | स्वदेश दर्शन 2.0 योजना | भोरमदेव कारिडोर का विकास | 14599.83 | 1459.98 | 173.84 | 173.84 | 1286.14 |
| 2 | 2024–25 | स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की सब स्कीम चैलेंज बेस्ड डेस्टीनेशन डेवलपमेंट (CBDD) | मयाली–बगीचा का विकास | 996.97 | 99.69 | 2.45 | 2.45 | 97.24 |
| 3 | 2024–25 | प्रशाद योजना | ''माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, डोंगरगढ़'' का विकास'' | 4843.83 | 805.66 | 397.21 | निरंक | 805.66 |
| 4 | 2024–25 | पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment. | चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास नवा रायपुर | 9579.00 | 6322.14 | 60.09 | 60.09 | 6261.45 |
| 5 | 2024–25 | पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment. | ट्रायबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का विकास नवा रायपुर | 5187.00 | 3423.42 | 32.36 | 32.36 | 3391.06 |

**नोट– वर्ष 2025–26 में राशि स्वीकृत नहीं हुयी है।**

परिशिष्ट - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 861) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि रू. लाख मे)

| क्र. | जिला | योजना का नाम | आंबटित राशि | व्यय राशि | कार्य की स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | स्वीकृत कार्य | पूर्ण | अपूर्ण / लंबित कार्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सरगुजा | सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 777.02 | 279.65 | 100 | 0 | 100 |
| | योग | | **777.02** | **279.65** | **100** | **0** | **100** |
| 2 | सूरजपुर | सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 438.50 | 114.79 | 99 | 19 | 80 |
| | | संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 42.94 | 0.00 | 3 | 0 | 3 |
| | योग | | **481.44** | **114.79** | **102** | **19** | **83** |
| 3 | बलरामपुर | सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 543.80 | 266.90 | 62 | 20 | 42 |
| | | धरती–आबा योजना | 265.86 | 0.00 | 9 | 0 | 9 |
| | | भवन निर्माण | 2664.47 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
| | योग | | **3474.13** | **266.90** | **73** | **20** | **53** |
| 4 | जशपुर | सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 2710.89 | 1216.75 | 236 | 107 | 129 |
| | योग | | **2710.89** | **1216.75** | **236** | **107** | **129** |
| 5 | कोरिया | सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 204.83 | 72.19 | 29 | 0 | 29 |
| | योग | | **204.83** | **72.19** | **29** | **0** | **29** |
| 6 | मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर | सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 324.66 | 80.00 | 51 | 6 | 45 |
| | योग | | **324.66** | **80.00** | **51** | **6** | **45** |
| 7 | रायगढ | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 439.06 | 69.00 | 38 | 0 | 38 |
| | योग | | **439.06** | **69.00** | **38** | **0** | **38** |
| 8 | सारंगढ–बिलाईगढ | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 107.00 | 37.32 | 13 | 7 | 6 |
| | योग | | **107.00** | **37.32** | **13** | **7** | **6** |
| 9 | कोरबा | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 718.00 | 239.00 | 61 | 19 | 42 |
| | | धरती–आबा योजना | 582.00 | 53.96 | 30 | 0 | 30 |
| | योग | | **1300.00** | **292.96** | **91** | **19** | **72** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | बिलासपुर | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 286.50 | 0.00 | 36 | 0 | 36 |
| योग | | | **286.50** | **0.00** | **36** | **0** | **36** |
| 11 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 712.00 | 505.53 | 75 | 52 | 23 |
| | | धरती–आबा योजना | 325.36 | 0.00 | 17 | 0 | 17 |
| योग | | | **1037.36** | **505.53** | **92** | **52** | **40** |
| 12 | जांजगीर–चांपा | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 75.00 | 30.00 | 8 | 0 | 8 |
| योग | | | **75.00** | **30.00** | **8** | **0** | **8** |
| 13 | सक्ती | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 114.00 | 30.00 | 12 | 3 | 9 |
| | | धरती–आबा योजना | 5.70 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| योग | | | **119.70** | **30.00** | **13** | **3** | **10** |
| 14 | मुंगेली | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 113.00 | 45.20 | 15 | 4 | 11 |
| | | धरती–आबा योजना | 59.08 | 11.40 | 2 | 0 | 2 |
| योग | | | **172.08** | **56.60** | **17** | **4** | **13** |
| 15 | रायपुर | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 50.00 | 25.00 | 7 | 0 | 7 |
| योग | | | **50.00** | **25.00** | **7** | **0** | **7** |
| 16 | महासमुंद | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 504.00 | 250.00 | 66 | 0 | 66 |
| | | धरती–आबा योजना | 91.00 | 0.00 | 11 | 0 | 11 |
| योग | | | **595.00** | **250.00** | **77** | **0** | **77** |
| 17 | बलौदाबाजार | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 240.50 | 172.20 | 29 | 14 | 15 |
| | | धरती–आबा योजना | 135.73 | 0.00 | 7 | 0 | 7 |
| योग | | | **376.23** | **172.20** | **36** | **14** | **22** |
| 18 | गरियाबंद | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 235.00 | 95.37 | 28 | 2 | 26 |
| | | धरती–आबा योजना | 96.95 | 0.00 | 5 | 0 | 5 |
| योग | | | **331.95** | **95.37** | **33** | **2** | **31** |
| 19 | कबीरधाम | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 203.84 | 125.62 | 23 | 10 | 13 |
| | | धरती–आबा योजना | 295.40 | 0.00 | 10 | 0 | 10 |
| | | संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 153.87 | 0.00 | 11 | 0 | 11 |
| योग | | | **653.11** | **125.62** | **44** | **10** | **34** |
| 20 | दुर्ग | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| योग | | | **10.00** | **0.00** | **1** | **0** | **1** |
| 21 | बेमेतरा | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| योग | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | राजनांदगांव | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 109.20 | 50.08 | 20 | 6 | 14 |
| योग | | | **109.20** | **50.08** | **20** | **6** | **14** |
| 23 | मोहला–मानपुर–अं.चौकी | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 198.00 | 79.20 | 21 | 3 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योग | | | **198.00** | **79.20** | **21** | **3** | **18** |
| 24 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 110.00 | 75.68 | 18 | 9 | 9 |
| | | संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 169.80 | 0.00 | 17 | 0 | 17 |
| | | धरती–आबा योजना | 59.08 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
| योग | | | **338.88** | **75.68** | **37** | **9** | **28** |
| 25 | धमतरी | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 352.55 | 194.28 | 34 | 7 | 27 |
| | | धरती–आबा योजना | 37.20 | 0.00 | 6 | 0 | 6 |
| | | देवगुडी निर्माण | 65.00 | 62.50 | 13 | 10 | 3 |
| योग | | | **454.75** | **256.78** | **53** | **17** | **36** |
| 26 | कांकेर | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 2091.90 | 280.87 | 418 | 62 | 356 |
| | | धरती–आबा योजना | 135.80 | 0.00 | 7 | 0 | 7 |
| योग | | | **2227.70** | **280.87** | **425** | **62** | **363** |
| 27 | कोण्डागांव | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 2151.60 | 909.90 | 418 | 74 | 344 |
| | | धरती–आबा योजना | 55.80 | 0.00 | 9 | 0 | 9 |
| | | देवगुडी निर्माण | 40.00 | 14.00 | 8 | 1 | 7 |
| योग | | | **2247.40** | **923.90** | **435** | **75** | **360** |
| 28 | बस्तर | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 1535.00 | 1137.50 | 280 | 18 | 262 |
| | | धरती–आबा योजना | 354.48 | 0.00 | 12 | 0 | 12 |
| योग | | | **1889.48** | **1137.50** | **292** | **18** | **274** |
| 29 | दंतेवाड़ा | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 813.61 | 138.04 | 94 | 0 | 94 |
| | | धरती–आबा योजना | 80.60 | 37.57 | 13 | 0 | 13 |
| योग | | | **894.21** | **175.61** | **107** | **0** | **107** |
| 30 | सुकमा | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 197.06 | 50.28 | 31 | 0 | 31 |
| | | धरती–आबा योजना | 236.32 | 0.00 | 8 | 0 | 8 |
| | | संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 112.78 | 0.00 | 13 | 0 | 13 |
| योग | | | **546.16** | **50.28** | **52** | **0** | **52** |
| 31 | बीजापुर | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 295.50 | 0.00 | 34 | 0 | 34 |
| | | धरती–आबा योजना | 1270.97 | 0.00 | 79 | 0 | 79 |
| योग | | | **1566.47** | **0.00** | **113** | **0** | **113** |
| 32 | नारायणपुर | बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 210.55 | 84.79 | 29 | 0 | 29 |
| | | धरती–आबा योजना | 174.51 | 0.00 | 9 | 0 | 9 |
| योग | | | **385.06** | **84.79** | **38** | **0** | **38** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | बालोद | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 347.50 | 168.75 | 32 | 11 | 21 |
| | | धरती–आबा योजना | 413.56 | 0.00 | 14 | 0 | 14 |
| योग | | | **761.06** | **168.75** | **46** | **11** | **35** |
| महायोग | | | **25144.33** | **7003.32** | **2736** | **464** | **2272** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–अ

परिशिष्ट - उनतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 892) की जानकारी

जिला राजनांदगांव अंतर्गत सेवा सहकारी समिति में खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में डीएपी उर्वरक की मांग, आबंटन/उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 की स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग/लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | ढाबा | 98.65 | 11.00 | 9.65 |
| 2 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | धर्मापुर (नवीन) | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | कन्हारपुरी | 111.50 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | सोमनी | 58.60 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | अजोरा (नवीन) | 56.00 | 10.15 | 9.95 |
| 6 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | मनकी (नवीन) | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | गठुला | 93.30 | 49.20 | 49.20 |
| 8 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | बोईरडीह (नवीन) | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | रेंगाकठेरा | 139.00 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | सांकरा | 129.65 | 30.00 | 30.00 |
| 11 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | सुरगी | 139.00 | 110.00 | 64.90 |
| 12 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | आरला (नवीन) | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | भर्रेगांव | 68.20 | 30.00 | 30.00 |
| 14 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | सिंघोला | 80.40 | 30.00 | 30.00 |
| 15 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | संबलपुर (नवीन) | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | रानीतराई | 144.00 | 112.55 | 112.55 |

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 की स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग / लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | बुद्धभरदा बनहरदी (नवीन) | 97.00 | 30.00 | 30.00 |
| 18 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | भानपुरी | 84.00 | 35.00 | 35.00 |
| 19 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | सुकुलदैहान | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | हरदी (नवीन) | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | घुमका | 150.00 | 36.30 | 33.40 |
| 22 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | भैंसातरा | 69.00 | 44.75 | 38.40 |
| 23 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | कौहाकुडा (नवीन) | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | पटेवा | 68.00 | 32.00 | 31.00 |
| 25 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | मासुल (नवीन) | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | मुरमुंदा | 121.50 | 35.75 | 35.20 |
| 27 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | उपरवाह | 74.00 | 35.00 | 34.30 |
| 28 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | चवरढाल (नवीन) | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | बघेरा | 91.00 | 0.55 | 0.00 |
| 30 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | नवागांव (नवीन) | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | पदुमतरा | 68.00 | 1.15 | 1.15 |
| 32 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | डुमरडीहकला (नवीन) | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | | | | **2775.80** | **693.55** | **634.85** |
| 33 | राजनांदगांव | डोगरगांव | रामपुर | 97.00 | 20.00 | 20.00 |
| 34 | राजनांदगांव | डोगरगांव | तुमडीबोड | 114.00 | 70.00 | 70.00 |
| 35 | राजनांदगांव | डोगरगांव | मचानपार (नवीन) | 115.00 | 20.00 | 20.00 |

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 को स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग / लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | राजनांदगांव | डोगरगांव | कोहका | 109.00 | 30.00 | 30.00 |
| 37 | राजनांदगांव | डोगरगांव | तिलईरवार | 94.00 | 50.25 | 50.05 |
| 38 | राजनांदगांव | डोगरगांव | बम्हनीभाटा (नवीन) | 104.00 | 30.00 | 30.00 |
| 39 | राजनांदगांव | डोगरगांव | तेंदुनाला | 57.00 | 1.45 | 1.45 |
| 40 | राजनांदगांव | डोगरगांव | डोंगरगांव | 69.00 | 39.85 | 28.80 |
| 41 | राजनांदगांव | डोगरगांव | घुघवा (नवीन) | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | राजनांदगांव | डोगरगांव | मोहड़ (नवीन) | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | राजनांदगांव | डोगरगांव | अर्जुनी | 117.20 | 68.50 | 68.45 |
| 44 | राजनांदगांव | डोगरगांव | दीवानभेंड़ी | 115.75 | 60.00 | 51.75 |
| 45 | राजनांदगांव | डोगरगांव | कोकपुर | 75.00 | 1.15 | 0.10 |
| 46 | राजनांदगांव | डोगरगांव | आसरा (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | राजनांदगांव | डोगरगांव | खुज्जी | 124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | राजनांदगांव | डोगरगांव | खुर्सीपार | 124.00 | 80.00 | 80.00 |
| 49 | राजनांदगांव | डोगरगांव | किरगी | 91.00 | 47.35 | 46.80 |
| 50 | राजनांदगांव | डोगरगांव | सोनेसरार (नवीन) | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| योग | | | | **1687.95** | **518.55** | **497.40** |
| 51 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | ला.ब.नगर | 84.00 | 50.55 | 34.90 |
| 52 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | रामाटोला | 74.00 | 46.20 | 20.00 |
| 53 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | झण्डातलाव (नवीन) | 74.00 | 45.00 | 37.50 |
| 54 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | सीतागोटा | 74.00 | 41.60 | 33.15 |

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 की स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग / लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | कनेरी (नवीन) | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | बागरेकसा | 86.65 | 45.70 | 38.55 |
| 57 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मडियान | 84.00 | 39.90 | 36.85 |
| 58 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | झिंझारी (नवीन) | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | चारभाठा | 84.00 | 25.00 | 25.00 |
| 60 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मेढा | 61.00 | 30.40 | 30.10 |
| 61 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | पिपरिया (नवीन) | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मुडपार | 37.00 | 4.25 | 3.20 |
| 63 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | कुरूभाठ (नवीन) | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | कोलिहापुरी | 74.00 | 30.00 | 29.80 |
| 65 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | रेगाकठेरा (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | ढारा | 116.00 | 45.20 | 41.80 |
| 67 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | अछोली | 104.00 | 50.00 | 48.45 |
| 68 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | देवकट्टा (नवीन) | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मुसराकला | 74.00 | 34.85 | 19.85 |
| 70 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | भानपुरी (नवीन) | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | बेलगांव | 73.85 | 31.00 | 30.00 |
| 72 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | पनियाजोब | 74.00 | 34.00 | 16.10 |
| 73 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | ठाकुरटोला | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | भोथली (नवीन) | 57.00 | 0.00 | 0.00 |

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 को स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग / लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | बोरतलाव | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | पीपरखारकला (नवीन) | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मोहारा | 81.00 | 30.00 | 30.00 |
| 78 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | मुढिया (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | रूवातला | 81.00 | 30.00 | 0.00 |
| 80 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | कसारी (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | छीपा | 79.25 | 30.00 | 30.00 |
| 82 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | खुर्सीपार | 67.00 | 30.00 | 13.80 |
| 83 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | खुडमड़ी (नवीन) | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | | | | **2277.75** | **673.65** | **519.05** |
| 84 | राजनांदगांव | छुरिया | खुर्सीटिकुल | 129.00 | 94.75 | 70.10 |
| 85 | राजनांदगांव | छुरिया | आमगांव (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | राजनांदगांव | छुरिया | बादराटोला | 55.00 | 7.60 | 0.00 |
| 87 | राजनांदगांव | छुरिया | आतरगांव (नवीन) | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | राजनांदगांव | छुरिया | कुमरदा | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | राजनांदगांव | छुरिया | चिरचारीकला (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | राजनांदगांव | छुरिया | चारभाठा (कु,) | 64.00 | 32.25 | 23.20 |
| 91 | राजनांदगांव | छुरिया | धनगांव कु (नवीन) | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | राजनांदगांव | छुरिया | रतनभाट | 83.50 | 43.05 | 43.05 |

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026–27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 की स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग / लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 93 | राजनांदगांव | छुरिया | गिदर्री | 54.80 | 21.95 | 21.95 |
| 94 | राजनांदगांव | छुरिया | पांगरीखुर्द | 89.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | राजनांदगांव | छुरिया | मटिया | 121.00 | 10.00 | 10.00 |
| 96 | राजनांदगांव | छुरिया | गोडलवाही (नवीन) | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
| 97 | राजनांदगांव | छुरिया | उमरवाही | 85.45 | 60.00 | 51.15 |
| 98 | राजनांदगांव | छुरिया | छुरिया | 77.00 | 1.65 | 0.00 |
| 99 | राजनांदगांव | छुरिया | घुपसाल (नवीन) | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | राजनांदगांव | छुरिया | शि.महका | 130.50 | 76.55 | 66.35 |
| 101 | राजनांदगांव | छुरिया | भोलापुर | 133.65 | 60.00 | 60.00 |
| 102 | राजनांदगांव | छुरिया | झिथराटोला | 134.00 | 85.90 | 65.55 |
| 103 | राजनांदगांव | छुरिया | ब.चारभाटा | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | राजनांदगांव | छुरिया | झाड़ीखैरी (नवीन) | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | राजनांदगांव | छुरिया | खोंभा | 93.00 | 5.00 | 0.00 |
| 106 | राजनांदगांव | छुरिया | सडक चिरचारी (नवीन) | 100.60 | 26.40 | 0.00 |
| 107 | राजनांदगांव | छुरिया | गैंदाटोला | 59.00 | 7.75 | 0.00 |
| 108 | राजनांदगांव | छुरिया | जोशीलमती | 59.00 | 25.00 | 25.00 |
| 109 | राजनांदगांव | छुरिया | केसाल (नवीन) | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | राजनांदगांव | छुरिया | कुहीकला | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | राजनांदगांव | छुरिया | जयसिगटोला (नवीन) | 66.00 | 0.00 | 0.00 |

| क्र. | जिला राजनांदगांव | विकासखंड | सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026—27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 को स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग / लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112 | राजनांदगांव | छुरिया | क.बंजारी | 70.00 | 29.05 | 24.10 |
| 113 | राजनांदगांव | छुरिया | बूचाटोला (नवीन) | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | राजनांदगांव | छुरिया | साल्हेटोला | 44.00 | 9.40 | 0.00 |
| 115 | राजनांदगांव | छुरिया | गहिराभेंड़ी | 74.00 | 32.35 | 32.35 |
| 116 | राजनांदगांव | छुरिया | महाराजपुर | 184.00 | 127.80 | 50.80 |
| 117 | राजनांदगांव | छुरिया | लालूटोला | 179.00 | 116.45 | 73.85 |
| **योग** | | | | **3008.50** | **932.90** | **677.45** |
| **महायोग** | | | | 9750.00 | 2818.65 | 2328.75 |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:49:58

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधानसभा**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र—ब

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेवा सहकारी समिति में खरीफ वर्ष 2026—27 हेतु डीएपी खाद की मांग, आबंटन/उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी

| क्र. | जिले का नाम | खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम | खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समितियो का नाम | खरीफ वर्ष 2026—27 हेतु दिनांक 15 जून 2026 की स्थिति में डीएपी खाद की (इकाई मे.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मांग/लक्ष्य | उपलब्धता (भंडारण) | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राजनांदगांव | छुरिया | खुर्सीटिकुल | 129.00 | 94.75 | 70.10 |
| 2 | | | आमगांव (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | | बादराटोला | 55.00 | 7.60 | 0.00 |
| 4 | | | आतरगांव (नवीन) | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | कुमरदा | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | चिरचारीकला (नवीन) | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | चारभाठा (कु.) | 64.00 | 32.25 | 23.20 |
| 8 | | | धनगांव कु (नवीन) | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | रतनभाट | 83.50 | 43.05 | 43.05 |
| 10 | | | गिदर्री | 54.80 | 21.95 | 21.95 |
| 11 | | | पांगरीखुर्द | 89.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | मटिया | 121.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | | | गोडलवाही (नवीन) | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
| 14 | | | उमरवाही | 85.45 | 60.00 | 51.15 |
| 15 | | | छुरिया | 77.00 | 1.65 | 0.00 |
| 16 | | | घुपसाल (नवीन) | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | शि.महका | 130.50 | 76.55 | 66.35 |
| 18 | | | भोलापुर | 133.65 | 60.00 | 60.00 |
| 19 | | | झिथराटोला | 134.00 | 85.90 | 65.55 |
| 20 | | | ब.चारभाटा | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | झाड़ीखैरी (नवीन) | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | खोंभा | 93.00 | 5.00 | 0.00 |
| 23 | | | सडक चिरचारी (नवीन) | 100.60 | 26.40 | 0.00 |
| 24 | | | गैंदाटोला | 59.00 | 7.75 | 0.00 |
| 25 | | | जोशीलमती | 59.00 | 25.00 | 25.00 |
| 26 | | | केसाल (नवीन) | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | कुहीकला | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | जयसिगटोला (नवीन) | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | क.बंजारी | 70.00 | 29.05 | 24.10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | राजनांदगांव | छुरिया | बूचाटोला (नवीन) | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | | साल्हेटोला | 44.00 | 9.40 | 0.00 |
| 32 | | | गहिराभेंड़ी | 74.00 | 32.35 | 32.35 |
| 33 | | | महाराजपुर | 184.00 | 127.80 | 50.80 |
| 34 | | | लालूटोला | 179.00 | 116.45 | 73.85 |
| योग | | | | **3008.50** | **932.90** | **677.45** |
| 35 | मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी | अं.चौकी | अं.चौकी | 100.000 | 50.800 | 51.650 |
| 36 | | | गौलीटोला | 20.000 | 25.000 | 22.800 |
| 37 | | | आतरगांव | 125.000 | 75.750 | 37.545 |
| 38 | | | आड़ेझार | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | | | छछानपाहरी | 70.000 | 54.850 | 54.500 |
| 40 | | | दाउटोला | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41 | | | कौड़ीकसा | 110.000 | 25.000 | 24.050 |
| 42 | | | अरजकुंड | 30.000 | 0.000 | 0.000 |
| 43 | | | बांधाबाजार | 100.000 | 65.150 | 49.500 |
| 44 | | | चिखली | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | | | आमाटोला | 175.000 | 74.350 | 67.900 |
| 46 | | | रेंगाकठेरा | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | | | चिल्हाटी | 150.000 | 25.000 | 13.200 |
| 48 | | | कोरचाटोला | 30.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49 | | | विचारपुर | 70.000 | 50.000 | 36.400 |
| 50 | | | मुड़पार | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| योग | | | | **980.000** | **445.900** | **357.545** |
| महायोग | | | | **3988.5** | **1378.8** | **1035.0** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:50:50

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधानसभा**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

## परिशिष्ट - चालीस

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 904) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

| क्र | जिला का नाम | अवधि | पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | | | निरस्त आवेदनों की संख्या | | | | | निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | | वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या | | | | | निरस्त प्रकरणों में पुनः अपील के आवेदनों की संख्या | | | | | अपील के आवेदनों में से निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR |
| | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | कोरिया | 2019-20 | 1083 | 182 | 1265 | 21 | 139 | 100 | 43 | 143 | 0 | 0 | 1083 | 182 | 1265 | 21 | 139 | 983 | 139 | 1122 | 21 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 8 | 0 | 8 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 346 | 0 | 8 | 0 | 8 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 1054 | 773 | 1827 | 73 | 15 | 158 | 314 | 472 | 0 | 0 | 1054 | 773 | 1827 | 73 | 15 | 896 | 459 | 1355 | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 2310 | 1379 | 3689 | 0 | 0 | 6169 | 2621 | 8790 | 0 | 0 | 10694 | 4167 | 14861 | 0 | 0 | 4525 | 1546 | 6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 1218 | 194 | 1412 | 0 | 11 | 70 | 44 | 114 | 0 | 0 | 1288 | 238 | 1526 | 0 | 11 | 1148 | 150 | 1298 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 369 | 314 | 683 | 14 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 450 | 314 | 764 | 14 | 0 | 288 | 314 | 602 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 2475 | 258 | 2733 | 92 | 0 | 148 | 81 | 229 | 0 | 0 | 2623 | 339 | 2962 | 92 | 0 | 2327 | 177 | 2504 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **8517** | **3100** | **11617** | **546** | **165** | **6726** | **3103** | **9829** | **0** | **0** | **17200** | **6013** | **23213** | **546** | **165** | **10175** | **2785** | **12960** | **546** | **165** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | मनेन्द्रगढ़ | 2019-20 | जिला गठित नहीं हुआ था। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022-23 | 331 | 121 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 121 | 452 | 0 | 0 | 331 | 121 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 717 | 312 | 1029 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 312 | 1029 | 8 | 0 | 717 | 312 | 1029 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 209 | 148 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 148 | 357 | 1 | 0 | 209 | 148 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **1257** | **581** | **1838** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1257** | **581** | **1838** | **10** | **0** | **1257** | **581** | **1838** | **10** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | सरगुजा | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 296 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 150 | 0 | 0 | 0 | 296 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 136 | 2 | 138 | 79 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 138 | 79 | 34 | 136 | 2 | 138 | 79 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 273 | 27 | 300 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 27 | 300 | 33 | 47 | 273 | 27 | 300 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 139 | 193 | 332 | 210 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 193 | 332 | 210 | 8 | 139 | 193 | 332 | 210 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 15 | 0 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 23 | 15 | 0 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **563** | **269** | **832** | **619** | **262** | **0** | **47** | **47** | **0** | **0** | **563** | **269** | **832** | **619** | **262** | **563** | **222** | **785** | **619** | **262** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | जशपुर | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 10958 | 7803 | 18761 | 522 | 357 | 9776 | 5874 | 15650 | 0 | 0 | 10958 | 7803 | 18761 | 522 | 357 | 1182 | 1929 | 3111 | 522 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 1558 | 1552 | 3110 | 2 | 29 | 1501 | 1338 | 2839 | 0 | 0 | 1558 | 1552 | 3110 | 2 | 29 | 57 | 214 | 271 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 418 | 717 | 1135 | 16 | 0 | 25 | 55 | 80 | 0 | 0 | 418 | 717 | 1135 | 16 | 0 | 393 | 662 | 1055 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 120 | 171 | 291 | 0 | 14 | 25 | 38 | 63 | 0 | 0 | 120 | 171 | 291 | 0 | 14 | 95 | 133 | 228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **13054** | **10243** | **23297** | **541** | **400** | **11327** | **7305** | **18632** | **0** | **0** | **13054** | **10243** | **23297** | **541** | **400** | **1727** | **2938** | **4665** | **541** | **400** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | रायगढ़ | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 2702 | 3825 | 6512 | 3530 | 153 | 2032 | 3140 | 5172 | 0 | 0 | 2702 | 3825 | 6527 | 3530 | 153 | 670 | 685 | 1355 | 3530 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 1466 | 1062 | 2528 | 11 | 2 | 49 | 157 | 206 | 0 | 0 | 1466 | 1062 | 2528 | 11 | 2 | 1417 | 905 | 2322 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 395 | 134 | 529 | 5 | 3 | 126 | 50 | 176 | 0 | 0 | 380 | 134 | 514 | 5 | 3 | 254 | 84 | 338 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **4563** | **5021** | **9569** | **3546** | **158** | **2207** | **3347** | **5554** | **0** | **0** | **4548** | **5021** | **9569** | **3546** | **158** | **2341** | **1674** | **4015** | **3546** | **158** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | जिला गठित नहीं हुआ था। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

| क्र | जिला का नाम | अवधि | पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | | | निरस्त आवेदनों की संख्या | | | | | निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | | वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या | | | | | निरस्त प्रकरणों में पुनः अपील के आवेदनों की संख्या | | | | | अपील के आवेदनों में से निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR |
| | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 6 | सारंगढ़ | 2021-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | कोरबा | 2019-20 | 6384 | 2273 | 8657 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 2273 | 8657 | 385 | 0 | 6384 | 2273 | 8657 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 381 | 243 | 624 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 243 | 624 | 437 | 0 | 381 | 243 | 624 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 20 | 58 | 78 | 26 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58 | 78 | 26 | 248 | 20 | 58 | 78 | 26 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 83 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 10 | 83 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 3513 | 1663 | 5176 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513 | 1663 | 5176 | 0 | 29 | 3513 | 1663 | 5176 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 10846 | 4260 | 15106 | 848 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10846 | 4260 | 15106 | 848 | 287 | 10846 | 4260 | 15106 | 848 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | जांजगीर चांपा | 2019-20 | 11 | 117 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 117 | 128 | 60 | 0 | 11 | 117 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 40 | 105 | 145 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 105 | 145 | 120 | 0 | 40 | 105 | 145 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 12 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 56 | 0 | 0 | 12 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 80 | 289 | 369 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 289 | 369 | 180 | 0 | 80 | 289 | 369 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | सक्ती | 2019-20 | जिला गठित नहीं हुआ था। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | बिलासपुर | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 597 | 37 | 634 | 222 | 17 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 597 | 37 | 634 | 222 | 17 | 518 | 37 | 555 | 222 | 17 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 232 | 292 | 524 | 0 | 12 | 121 | 46 | 167 | 0 | 0 | 232 | 292 | 524 | 0 | 12 | 111 | 246 | 357 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 674 | 1862 | 2536 | 0 | 2 | 51 | 366 | 417 | 0 | 0 | 674 | 1862 | 2536 | 0 | 2 | 623 | 1496 | 2119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 66 | 0 | 66 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 1597 | 2191 | 3788 | 222 | 49 | 317 | 412 | 729 | 0 | 0 | 1612 | 2191 | 3803 | 222 | 49 | 1280 | 1779 | 3059 | 222 | 49 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| 11 | कबीरधाम | 2019-20 | 290 | 281 | 571 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 281 | 571 | 289 | 0 | 290 | 281 | 571 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 3 | 3 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 589 | 0 | 0 | 3 | 3 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 140 | 2 | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | 142 | 8 | 0 | 140 | 2 | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 103 | 1 | 104 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 104 | 1 | 7 | 103 | 1 | 104 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 533 | 287 | 820 | 887 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 287 | 820 | 887 | 7 | 533 | 287 | 820 | 887 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र | जिला का नाम | अवधि | पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | | | निरस्त आवेदनों की संख्या | | | | | निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | | वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या | | | | | निरस्त प्रकरणों में पुनः अपील के आवेदनों की संख्या | | | | | अपील के आवेदनों में से निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR |
| | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 12 | राजनांदगांव | 2019-20 | 4136 | 6622 | 10758 | 442 | 0 | 3059 | 5737 | 8796 | 88 | 0 | 4136 | 6622 | 10758 | 442 | 0 | 1077 | 885 | 1962 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 2273 | 5361 | 7634 | 505 | 0 | 1487 | 4588 | 6075 | 0 | 0 | 2273 | 5361 | 7634 | 505 | 0 | 389 | 773 | 1162 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 363 | 316 | 679 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 316 | 679 | 32 | 0 | 363 | 316 | 679 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 45 | 124 | 169 | 0 | 0 | 45 | 124 | 169 | 0 | 0 | 45 | 124 | 169 | 0 | 0 | 13 | 90 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 6817 | 12423 | 19240 | 979 | 0 | 4591 | 10449 | 15040 | 88 | 0 | 6817 | 12423 | 19240 | 979 | 0 | 1842 | 2064 | 3906 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | खैरागढ़ | 2019-20 | जिला गठित नहीं हुआ था। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023-24 | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 | 84 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | मोहला | 2019-20 | जिला गठित नहीं हुआ था। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023-24 | 74 | 36 | 110 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 36 | 110 | 24 | 37 | 56 | 28 | 84 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 74 | 36 | 110 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 36 | 110 | 24 | 37 | 56 | 28 | 84 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | महासमुंद | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 2204 | 6254 | 8458 | 102 | 54 | 2120 | 5693 | 7813 | 0 | 0 | 2204 | 6254 | 8458 | 102 | 54 | 84 | 561 | 645 | 102 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 86 | 296 | 382 | 0 | 5 | 5 | 51 | 56 | 0 | 0 | 86 | 296 | 382 | 0 | 5 | 81 | 245 | 326 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 109 | 85 | 194 | 0 | 9 | 84 | 19 | 103 | 0 | 0 | 109 | 85 | 194 | 0 | 9 | 25 | 66 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 66 | 123 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 123 | 189 | 0 | 0 | 66 | 123 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 2466 | 6758 | 9224 | 102 | 73 | 2209 | 5763 | 7972 | 0 | 0 | 2466 | 6758 | 9224 | 102 | 73 | 257 | 995 | 1252 | 102 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | धमतरी | 2019-20 | 123 | 25 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 25 | 148 | 0 | 1 | 123 | 25 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 144 | 1 | 145 | 519 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 145 | 519 | 5 | 144 | 1 | 145 | 519 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 5407 | 4333 | 9740 | 0 | 117 | 5352 | 4313 | 9665 | 0 | 0 | 5407 | 4333 | 9740 | 0 | 117 | 55 | 20 | 75 | 0 | 117 | 485 | 10 | 495 | 0 | 0 | 485 | 10 | 495 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 30 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 7 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 13 | 7 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 26 | 4 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 | 0 | 16 | 26 | 4 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 5756 | 4364 | 10120 | 519 | 163 | 5352 | 4313 | 9665 | 0 | 0 | 5756 | 4364 | 10120 | 519 | 163 | 404 | 51 | 455 | 519 | 163 | 485 | 10 | 495 | 0 | 0 | 485 | 10 | 495 | 0 | 0 |
| 17 | कांकेर | 2019-20 | 255 | 5 | 260 | 192 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 5 | 270 | 20 | 18 | 265 | 5 | 270 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 511 | 277 | 788 | 5011 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 1033 | 4012 | 4929 | 289 | 2979 | 1033 | 4012 | 4929 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 118 | 68 | 186 | 0 | 25 | 3639 | 2899 | 6538 | 0 | 0 | 3757 | 2967 | 6724 | 332 | 25 | 118 | 68 | 186 | 332 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 699 | 118 | 817 | 176 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 118 | 817 | 253 | 38 | 699 | 118 | 817 | 253 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 125 | 15 | 140 | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 140 | 126 | 48 | 125 | 15 | 140 | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 88 | 14 | 102 | 35 | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 88 | 14 | 102 | 35 | 10 | 80 | 13 | 93 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र | जिला का नाम | अवधि | पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों की संख्या IFR ST | IFR OTFD | IFR Total | CFR | CFRR | निरस्त आवेदनों की संख्या IFR ST | IFR OTFD | IFR Total | CFR | CFRR | निराकृत आवेदनों की संख्या IFR ST | IFR OTFD | IFR Total | CFR | CFRR | वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या IFR ST | IFR OTFD | IFR Total | CFR | CFRR | निरस्त प्रकरणों में पुनः अपील के आवेदनों की संख्या IFR ST | IFR OTFD | IFR Total | CFR | CFRR | अपील के आवेदनों में से निराकृत आवेदनों की संख्या IFR ST | IFR OTFD | IFR Total | CFR | CFRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 1796 | 497 | 2293 | 5540 | 428 | 3647 | 2900 | 6547 | 0 | 0 | 7913 | 4152 | 12065 | 5695 | 428 | 4266 | 1252 | 5518 | 5695 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 653 | 41 | 694 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 41 | 694 | 53 | 0 | 653 | 41 | 694 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 20 | 0 | 20 | 117 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 117 | 119 | 20 | 0 | 20 | 117 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 44 | 169 | 213 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 169 | 213 | 4 | 69 | 44 | 169 | 213 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | बस्तर | 2022-23 | 889 | 2129 | 3018 | 573 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 2129 | 3018 | 573 | 146 | 889 | 2129 | 3018 | 573 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 170 | 42 | 212 | 150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 42 | 212 | 150 | 11 | 170 | 42 | 212 | 150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 714 | 371 | 1085 | 0 | 0 | 675 | 369 | 1044 | 0 | 0 | 714 | 371 | 1085 | 0 | 0 | 39 | 2 | 41 | 0 | 0 | 672 | 343 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 2490 | 2752 | 5242 | 897 | 345 | 675 | 369 | 1044 | 0 | 0 | 2490 | 2752 | 5242 | 897 | 345 | 1815 | 2383 | 4198 | 897 | 345 | 672 | 343 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 80 | 32 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 112 | 4 | 0 | 80 | 32 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 113 | 0 | 113 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 410 | 0 | 113 | 0 | 113 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 35 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | नारायणपुर | 2022-23 | 1906 | 7 | 1913 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 7 | 1913 | 110 | 0 | 1906 | 7 | 1913 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 97 | 23 | 120 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 23 | 110 | 0 | 10 | 97 | 13 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 2248 | 104 | 2352 | 524 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 104 | 2342 | 524 | 10 | 2248 | 94 | 2342 | 524 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 190 | 37 | 227 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 37 | 227 | 589 | 0 | 190 | 37 | 227 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 252 | 120 | 372 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 120 | 372 | 5 | 61 | 252 | 120 | 372 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 120 | 27 | 147 | 159 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 27 | 147 | 159 | 16 | 120 | 27 | 147 | 159 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | दंतेवाड़ा | 2022-23 | 48 | 18 | 66 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 66 | 36 | 3 | 48 | 18 | 66 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 27 | 4 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 31 | 0 | 10 | 27 | 4 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 692 | 206 | 898 | 789 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 206 | 898 | 789 | 91 | 692 | 206 | 898 | 789 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 349 | 0 | 349 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 229 | 0 | 349 | 0 | 349 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 1433 | 133 | 1566 | 1501 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 133 | 1566 | 1501 | 229 | 1433 | 133 | 1566 | 1501 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 1423 | 121 | 1544 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 121 | 1544 | 88 | 68 | 1423 | 121 | 1544 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | बीजापुर | 2022-23 | 642 | 0 | 642 | 488 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 | 488 | 0 | 581 | 0 | 581 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 327 | 9 | 336 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 9 | 336 | 12 | 0 | 327 | 9 | 336 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 230 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1 | 231 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 384 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 4788 | 270 | 5058 | 2318 | 297 | 61 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4788 | 270 | 5058 | 2318 | 297 | 4733 | 263 | 4996 | 2318 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 2209 | 34 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 1224 | 353 | 1577 | 198 | 198 | 1412 | 141 | 1553 | 0 | 0 | 2979 | 381 | 3360 | 198 | 198 | 1567 | 240 | 1807 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 795 | 85 | 880 | 99 | 59 | 2561 | 606 | 3167 | 0 | 0 | 2634 | 701 | 3335 | 99 | 59 | 73 | 95 | 168 | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | सुकमा | 2022-23 | 1012 | 44 | 1056 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 0 | 0 | 1514 | 92 | 1606 | 0 | 0 | 1504 | 32 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 674 | 22 | 696 | 187 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 9 | 369 | 187 | 41 | 360 | 9 | 369 | 187 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 1487 | 7 | 1494 | 0 | 0 | 163 | 23 | 186 | 0 | 0 | 607 | 50 | 657 | 0 | 0 | 444 | 27 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 1156 | 7 | 1163 | 0 | 0 | 645 | 7 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 7575 | 545 | 8120 | 484 | 298 | 4657 | 830 | 5487 | 0 | 0 | 9283 | 1240 | 10523 | 484 | 298 | 4626 | 410 | 5036 | 484 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 45 | 45 | 1172 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1172 | 117 | 0 | 45 | 45 | 1172 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | कोण्डागांव | 2022-23 | 1064 | 855 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 855 | 1919 | 0 | 0 | 1064 | 855 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र | जिला का नाम | अवधि | पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | | | निरस्त आवेदनों की संख्या | | | | | निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | | वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या | | | | | निरस्त प्रकरणों में पुनः अपील के आवेदनों की संख्या | | | | | अपील के आवेदनों में से निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR |
| | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | 2023-24 | 2169 | 2691 | 4860 | 1115 | 14 | 389 | 759 | 1148 | 0 | 0 | 2169 | 2691 | 4860 | 1115 | 14 | 1780 | 1932 | 3712 | 1115 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 713 | 560 | 1273 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 560 | 1273 | 20 | 8 | 713 | 560 | 1273 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 3946 | 4151 | 8097 | 2331 | 179 | 389 | 759 | 1148 | 0 | 0 | 3946 | 4151 | 8097 | 2331 | 179 | 3557 | 3392 | 6949 | 2331 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | गरियाबंद | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 215 | 272 | 487 | 242 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 272 | 487 | 242 | 32 | 215 | 272 | 487 | 242 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 116 | 110 | 226 | 62 | 0 | 115 | 97 | 212 | 62 | 0 | 116 | 110 | 226 | 62 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 403 | 300 | 703 | 0 | 0 | 177 | 88 | 265 | 0 | 0 | 403 | 300 | 703 | 0 | 0 | 226 | 212 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 4 | 43 | 47 | 1 | 6 | 4 | 43 | 47 | 0 | 0 | 4 | 43 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 191 | 216 | 407 | 1 | 0 | 187 | 211 | 398 | 0 | 0 | 191 | 216 | 407 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | 53 | 0 | 0 | 34 | 19 | 53 | 0 | 0 |
| | | योग | 929 | 941 | 1870 | 306 | 38 | 483 | 439 | 922 | 62 | 0 | 929 | 941 | 1870 | 306 | 38 | 446 | 502 | 940 | 243 | 38 | 34 | 19 | 53 | 0 | 0 | 34 | 19 | 53 | 0 | 0 |
| 25 | बलौदाबाजार | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 1055 | 1522 | 2577 | 0 | 0 | 112 | 307 | 419 | 0 | 0 | 1055 | 1522 | 2577 | 0 | 0 | 943 | 1215 | 2158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 30 | 29 | 59 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 26 | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 28 | 39 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | 67 | 0 | 1 | 28 | 39 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 83 | 47 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 47 | 130 | 0 | 0 | 83 | 47 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 57 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 1196 | 1694 | 2890 | 1 | 1 | 116 | 308 | 424 | 0 | 0 | 1196 | 1638 | 2834 | 0 | 1 | 1080 | 1330 | 2410 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | बलरामपुर | 2019-20 | 1430 | 446 | 1876 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 446 | 1876 | 483 | 0 | 1430 | 446 | 1876 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 1313 | 104 | 1417 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 104 | 1417 | 744 | 0 | 1313 | 104 | 1417 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 1326 | 380 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 380 | 1706 | 0 | 364 | 1326 | 380 | 1706 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 378 | 63 | 441 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 63 | 441 | 0 | 0 | 378 | 63 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 190 | 92 | 282 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 92 | 282 | 0 | 21 | 190 | 92 | 282 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 4648 | 1085 | 5733 | 1227 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648 | 1085 | 5733 | 1227 | 385 | 4648 | 1085 | 5733 | 1227 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | सूरजपुर | 2019-20 | 681 | 444 | 1125 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 444 | 1125 | 217 | 0 | 681 | 444 | 1125 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 57 | 72 | 129 | 168 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 72 | 129 | 168 | 159 | 57 | 72 | 129 | 168 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 71 | 64 | 135 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 64 | 135 | 21 | 10 | 71 | 64 | 135 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 20 | 10 | 30 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 46 | 15 | 20 | 10 | 30 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग. | 829 | 590 | 1419 | 834 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 590 | 1419 | 834 | 184 | 829 | 590 | 1419 | 834 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | बालोद | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 4 | 0 | 4 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 502 | 0 | 4 | 0 | 4 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 6 | 13 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 11 | 8 | 6 | 13 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 21 | 13 | 34 | 565 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | 565 | 29 | 21 | 13 | 34 | 565 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 22 | 0 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 | 9 | 22 | 0 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र | जिला का नाम | अवधि | पंजीकृत/प्राप्त आवेदनों की संख्या | | | | | निरस्त आवेदनों की संख्या | | | | | निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | | वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या | | | | | निरस्त प्रकरणों में पुनः अपील के आवेदनों की संख्या | | | | | अपील के आवेदनों में से निराकृत आवेदनों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR |
| | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 29 | मुंगेली | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 31 | 51 | 82 | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 31 | 51 | 82 | 0 | 9 | 26 | 44 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 62 | 131 | 193 | 24 | 29 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 62 | 131 | 193 | 24 | 29 | 57 | 124 | 181 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | गौरेला | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 1691 | 5 | 51 | 1121 | 0 | 1121 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 21390 | 4968 | 26358 | 0 | 0 | 21945 | 4968 | 26913 | 9 | 8 | 555 | 0 | 555 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 22 | 5 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 36 | 2 | 5 | 36 | 5 | 41 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 181 | 4 | 185 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 | 181 | 16 | 14 | 181 | 4 | 185 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | योग | 215 | 9 | 224 | 37 | 78 | 21960 | 4968 | 26928 | 0 | 0 | 23861 | 4977 | 28829 | 32 | 78 | 1901 | 9 | 1910 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

| क्र | जिला का नाम | अवधि | अपील के लंबित आवेदनों की संख्या | | | | | नवीन लंबित आवेदनों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFRR | IFR | | | CFR | CFRR |
| | | | ST | OTFD | Total | | | ST | OTFD | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | महासमुंद | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 42 | 11 | 0 |
| | | **योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **32** | **42** | **11** | **0** |
| 2 | बस्तर | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 672 | 343 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **672** | **343** | **1015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | सुकमा | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **505** | **0** | **505** | **0** | **0** |
| 4 | गौरेला | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **5** | **0** |

टीप– शेष जिलों की जानकारी निरंक है।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - इकतालीस

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 905) की जानकारी

प्रपत्र–अ

धान बीज लक्ष्य/मांग एवं आपूर्ति की जानकारी

(मात्रा क्विं. में)

| क. | जिला | धान | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | खरीफ 2025 | | खरीफ 2026 | |
| | | लक्ष्य/मांग | आपूर्ति/भण्डारण | लक्ष्य/मांग | आपूर्ति/भण्डारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रायपुर | 36,485 | 41,722 | 38,607 | 40,511 |
| 2 | बलौदाबाजार | 30,075 | 30,577 | 32,690 | 28,775 |
| 3 | गरियाबंद | 19,310 | 18,342 | 18,335 | 19,653 |
| 4 | महासमुन्द | 31,955 | 33,337 | 32,981 | 34,480 |
| 5 | धमतरी | 12,359 | 12,921 | 12,305 | 15,021 |
| संभाग रायपुर | | **1,30,183** | **1,36,899** | **1,34,918** | **1,38,441** |
| 6 | दुर्ग | 27,400 | 29,397 | 29,500 | 30,220 |
| 7 | बालोद | 23,673 | 23,921 | 23,295 | 23,008 |
| 8 | बेमेतरा | 23,301 | 24,015 | 25,251 | 22,963 |
| 9 | राजनांदगांव | 13,654 | 12,079 | 13,965 | 13,909 |
| 10 | मानपुर–मोहला | 5,740 | 5,444 | 5,796 | 4,488 |
| 11 | खैरागढ़ | 5,219 | 5,498 | 5,966 | 6,023 |
| 12 | कबीरधाम | 6,395 | 5,903 | 5,455 | 5,970 |
| संभाग दुर्ग | | **1,05,381** | **1,06,257** | **1,09,228** | **1,06,581** |
| 13 | बिलासपुर | 21,778 | 20,360 | 20,780 | 17,393 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा मरवाही | 6,200 | 4,211 | 5,290 | 4,400 |
| 15 | मुंगेली | 14,400 | 17,120 | 17,238 | 19,194 |
| 16 | जांजगीर | 26,132 | 24,687 | 24,142 | 21,541 |
| 17 | सक्ती | 22,255 | 23,845 | 24,185 | 23,979 |
| 18 | कोरबा | 12,338 | 11,004 | 11,924 | 11,501 |
| 19 | रायगढ़ | 30,761 | 27,888 | 28,109 | 25,872 |
| 20 | सारंगढ़ | 20,357 | 21,247 | 21,513 | 25,893 |
| संभाग बिलासपुर | | **1,54,220** | **1,50,362** | **1,53,181** | **1,49,773** |
| 21 | सरगुजा | 9,935 | 9,758 | 8,973 | 8,329 |
| 22 | सूरजपुर | 4,861 | 4,571 | 4,398 | 3,566 |
| 23 | बलरामपुर | 2,590 | 2,910 | 2,500 | 2,895 |
| 24 | कोरिया | 4,650 | 4,931 | 5,671 | 4,854 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 2,901 | 3,375 | 3,525 | 3,210 |
| 26 | जशपुर | 8,086 | 7,662 | 8,377 | 9,153 |
| संभाग सरगुजा | | **33,023** | **33,207** | **33,444** | **31,848** |
| 27 | जगदलपुर | 11,768 | 9,920 | 10,051 | 9,455 |
| 28 | कोण्डागॉव | 6,692 | 5,175 | 5,277 | 4,748 |
| 29 | दंतेवाड़ा | 3,410 | 2,775 | 3,112 | 3,541 |
| 30 | सुकमा | 4,680 | 3,580 | 4,057 | 3,538 |
| 31 | बीजापुर | 12,850 | 9,889 | 11,766 | 8,966 |
| 32 | नारायणपुर | 1,910 | 1,519 | 1,950 | 2,262 |
| 33 | कांकेर | 14,265 | 11,547 | 12,021 | 10,905 |
| संभाग बस्तर | | **55,575** | **44,405** | **48,234** | **43,113** |
| राज्य | | **4,78,383** | **4,71,130** | **4,79,005** | **4,73,262** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:41:45

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–ब

## उर्वरक का लक्ष्य एवं भंडारण की जानकारी खरीफ 2025

इकाई मे.टन

| क. | जिला का नाम | यूरिया | | डीएपी | | एन.पी.के. | | एम.ओ.पी. | | एस.एस.पी. (समस्त) | | महायोग :– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | रायपुर | 31600 | 36707 | 19700 | 15999 | 6990 | 24014 | 3320 | 8588 | 4600 | 14933 | 66210 | 100241 |
| 2 | गरियाबंद | 20000 | 24126 | 9300 | 7114 | 5220 | 18905 | 1850 | 1922 | 4200 | 5914 | 40570 | 57982 |
| 3 | बलौदाबाजार | 40700 | 46217 | 17200 | 13722 | 8700 | 17121 | 2960 | 3316 | 8000 | 14986 | 77560 | 95361 |
| 5 | महासमुंद | 56100 | 61103 | 22200 | 14125 | 6260 | 11930 | 2750 | 3773 | 13600 | 29016 | 100910 | 119946 |
| 6 | धमतरी | 26400 | 33520 | 15600 | 14358 | 10300 | 15428 | 1820 | 2256 | 8200 | 13675 | 62320 | 79237 |
| योग रायपुर संभाग | | **174800** | **201674** | **84000** | **65317** | **37470** | **87397** | **12700** | **19855** | **38600** | **78524** | **347570** | **452767** |
| 7 | दुर्ग | 27600 | 29519 | 15800 | 12784 | 5370 | 7923 | 5700 | 6212 | 10500 | 18199 | 64970 | 74637 |
| 8 | बालोद | 29600 | 29925 | 11300 | 11651 | 13270 | 13808 | 3800 | 4951 | 10000 | 13684 | 67970 | 74019 |
| 9 | बेमेतरा | 43500 | 46560 | 22400 | 20307 | 11020 | 15140 | 6100 | 7442 | 11000 | 17666 | 94020 | 107115 |
| 10 | राजनांदगांव | 30000 | 30157 | 13600 | 12227 | 9510 | 15704 | 3550 | 4636 | 8000 | 12598 | 64660 | 75322 |
| 11 | खैरागढ़ | 15650 | 17143 | 9400 | 9662 | 7400 | 10218 | 2050 | 2479 | 5000 | 7895 | 39500 | 47398 |
| 12 | मानपुर–मोहला | 8800 | 8789 | 3500 | 3264 | 4000 | 3129 | 1500 | 1780 | 4000 | 4686 | 21800 | 21648 |
| 13 | कर्वधा | 31500 | 38907 | 13200 | 11281 | 4930 | 9388 | 2900 | 3736 | 19500 | 23642 | 72030 | 86955 |
| योग दुर्ग संभाग | | **186650** | **201000** | **89200** | **81176** | **55500** | **75309** | **25600** | **31237** | **68000** | **98370** | **424950** | **487093** |
| 14 | बिलासपुर | 40000 | 39131 | 13400 | 11812 | 5220 | 7595 | 1320 | 2087 | 10500 | 16364 | 70440 | 76990 |
| 15 | गौरेला पेण्ड्रा | 3100 | 2860 | 1700 | 1120 | 820 | 720 | 250 | 257 | 700 | 985 | 6570 | 5942 |
| 16 | मुंगेली | 26700 | 28783 | 6500 | 5103 | 4750 | 7078 | 1600 | 1918 | 15700 | 17099 | 55250 | 59981 |
| 17 | जांजगीर चांपा | 36600 | 37917 | 10400 | 8903 | 3950 | 7266 | 1000 | 1700 | 11500 | 14098 | 63450 | 69885 |
| 18 | सक्ती | 23000 | 25256 | 8200 | 6187 | 3200 | 4176 | 500 | 864 | 4500 | 8374 | 39400 | 44858 |
| 19 | कोरबा | 9000 | 9824 | 3700 | 3027 | 1040 | 1489 | 340 | 385 | 3500 | 4316 | 17580 | 19042 |
| 20 | रायगढ | 26700 | 28003 | 11000 | 8489 | 4410 | 5794 | 1350 | 1869 | 6000 | 8689 | 49460 | 52845 |
| 4 | सारंगढ़ | 24000 | 27641 | 8700 | 7107 | 2510 | 4030 | 1170 | 1441 | 6800 | 8668 | 43180 | 48886 |
| योग बिलासपुर संभाग | | **189100** | **199415** | **63600** | **51749** | **25900** | **38149** | **7530** | **10521** | **59200** | **78594** | **345330** | **378428** |
| 21 | सरगुजा | 19200 | 19209 | 8300 | 6105 | 10360 | 10032 | 1000 | 1837 | 3700 | 6081 | 42560 | 43264 |
| 22 | सूरजपुर | 18900 | 22381 | 7100 | 5673 | 11100 | 12173 | 230 | 1699 | 3600 | 8859 | 40930 | 50785 |
| 23 | बलरामपुर | 23600 | 25555 | 9200 | 5616 | 10950 | 10409 | 680 | 1242 | 6900 | 19826 | 51330 | 62649 |
| 24 | कोरिया | 5800 | 8677 | 3600 | 1151 | 1900 | 4538 | 140 | 334 | 600 | 1440 | 12040 | 16139 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 3000 | 3879 | 1900 | 1377 | 790 | 2616 | 150 | 157 | 200 | 614 | 6040 | 8642 |
| 26 | जशपुर | 11600 | 14505 | 7000 | 6016 | 3680 | 5300 | 780 | 1103 | 3200 | 4876 | 26260 | 31800 |
| योग सरगुजा संभाग | | **82100** | **94206** | **37100** | **25939** | **38780** | **45068** | **2980** | **6371** | **18200** | **41695** | **179160** | **213279** |
| 27 | जगदलपुर | 20450 | 20804 | 11100 | 10460 | 7060 | 10824 | 3740 | 4155 | 2500 | 3712 | 44850 | 49955 |
| 28 | कोंडागांव | 27000 | 32402 | 10600 | 11104 | 5180 | 7620 | 2650 | 4245 | 4000 | 7859 | 49430 | 63229 |
| 29 | कांकेर | 27500 | 31018 | 11000 | 9291 | 8460 | 9003 | 4200 | 6361 | 9000 | 15688 | 60160 | 71361 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 1200 | 1935 | 1200 | 1695 | 500 | 985 | 240 | 309 | 50 | 27 | 3190 | 4951 |
| 32 | बीजापुर | 2100 | 2355 | 1400 | 1210 | 450 | 1117 | 40 | 133 | 50 | 60 | 4040 | 4874 |
| 33 | नारायणपुर | 1100 | 1815 | 800 | 776 | 700 | 1195 | 320 | 435 | 400 | 407 | 3320 | 4628 |
| योग बस्तर संभाग | | **79350** | **90329** | **36100** | **34536** | **22350** | **30745** | **11190** | **15637** | **16000** | **27751** | **164990** | **198998** |
| महायोग | | **712000** | **786624** | **310000** | **258717** | **180000** | **276669** | **60000** | **83622** | **200000** | **324935** | **1462000** | **1730566** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:42:54

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–स

## उर्वरक का लक्ष्य एवं भंडारण की जानकारी रबी 2025–26

इकाई मे.टन

| क्र. | जिला का नाम | यूरिया | | डी.ए.पी. | | एन.पी.के. | | एम.ओ.पी. | | एस.एस.पी. (समस्त) | | महायोग :– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | रायपुर | 11450 | 37607 | 3600 | 19302 | 3900 | 31401 | 3800 | 7046 | 1700 | 32079 | 24450 | 127435 |
| 2 | गरियाबंद | 9150 | 16727 | 4300 | 5672 | 2700 | 4013 | 2300 | 1272 | 1900 | 4158 | 20350 | 31841 |
| 3 | बलौदाबाजार | 10500 | 27990 | 2100 | 9873 | 2800 | 19755 | 1500 | 3468 | 1900 | 18057 | 18800 | 79143 |
| 4 | महासमुंद | 29950 | 34845 | 7060 | 13715 | 3600 | 7342 | 2700 | 3266 | 7750 | 21084 | 51060 | 80251 |
| 5 | धमतरी | 11800 | 23527 | 6300 | 10654 | 5700 | 9906 | 2000 | 2160 | 3400 | 8566 | 29200 | 54813 |
| | योग रायपुर संभाग | **72850** | **140695** | **23360** | **59216** | **18700** | **72417** | **12300** | **17212** | **16650** | **83944** | **143860** | **373484** |
| 6 | दुर्ग | 10950 | 20936 | 5200 | 9676 | 2600 | 6210 | 3100 | 5793 | 2650 | 11230 | 24500 | 53844 |
| 7 | बालोद | 8900 | 18897 | 3700 | 7595 | 3200 | 16020 | 2200 | 4363 | 2450 | 12277 | 20450 | 59151 |
| 8 | बेमेतरा | 23650 | 36854 | 12300 | 17114 | 3800 | 9029 | 3300 | 5089 | 2500 | 10412 | 45550 | 78498 |
| 9 | राजनांदगांव | 10900 | 21355 | 4100 | 7942 | 2400 | 11298 | 1900 | 3967 | 1400 | 11395 | 20700 | 55957 |
| 10 | खैरागढ़ | 3800 | 9534 | 2250 | 5369 | 1500 | 4994 | 600 | 1714 | 800 | 4272 | 8950 | 25884 |
| 11 | मोहला–मानपुर | 1500 | 5643 | 600 | 1958 | 500 | 3000 | 700 | 732 | 600 | 2952 | 3900 | 14285 |
| 12 | कर्वधा | 8800 | 17296 | 4450 | 6739 | 900 | 4738 | 1500 | 2319 | 3850 | 13855 | 19500 | 44948 |
| | योग दुर्ग संभाग | **68500** | **130514** | **32600** | **56393** | **14900** | **55289** | **13300** | **23977** | **14250** | **66393** | **143550** | **332567** |
| 13 | बिलासपुर | 14250 | 30006 | 4500 | 12977 | 1800 | 9523 | 2000 | 2027 | 3850 | 14025 | 26400 | 68558 |
| 14 | गौरेलापेण्ड्रा | 650 | 1992 | 210 | 831 | 80 | 903 | 200 | 334 | 120 | 613 | 1260 | 4673 |
| 15 | मुंगेली | 8550 | 13458 | 1800 | 3990 | 2100 | 4648 | 1500 | 1000 | 3500 | 9986 | 17450 | 33082 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 18850 | 17691 | 5200 | 5110 | 2200 | 3731 | 1000 | 1037 | 3800 | 9338 | 31050 | 36907 |
| 17 | सक्ती | 8600 | 16289 | 3000 | 3781 | 700 | 6548 | 1100 | 813 | 1900 | 5810 | 15300 | 33242 |
| 18 | कोरबा | 450 | 2745 | 90 | 1129 | 70 | 1410 | 300 | 420 | 250 | 2250 | 1160 | 7953 |
| 19 | रायगढ | 10850 | 19993 | 3200 | 7362 | 1800 | 5846 | 1400 | 1536 | 3050 | 7353 | 20300 | 42091 |
| 20 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 11050 | 16131 | 2300 | 4933 | 1100 | 2245 | 1500 | 1381 | 2600 | 5229 | 18550 | 29919 |
| | योग बिलासपुर संभाग | **73250** | **118305** | **20300** | **40112** | **9850** | **34855** | **9000** | **8548** | **19070** | **54605** | **131470** | **256425** |
| 21 | सरगुजा | 7000 | 9513 | 2500 | 8434 | 2800 | 6905 | 1400 | 904 | 3400 | 5804 | 17100 | 31560 |
| 22 | सूरजपुर | 6150 | 17150 | 1400 | 6327 | 2700 | 11726 | 1100 | 1011 | 2600 | 7795 | 13950 | 44009 |
| 23 | बलरामपुर | 10250 | 19608 | 2900 | 9037 | 2070 | 7118 | 1100 | 1062 | 5400 | 10799 | 21720 | 47624 |
| 24 | कोरिया | 600 | 3904 | 180 | 2065 | 250 | 1386 | 350 | 1150 | 250 | 671 | 1630 | 9176 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी | 200 | 1896 | 80 | 933 | 100 | 626 | 300 | 127 | 100 | 155 | 780 | 3736 |
| 26 | जशपुर | 1400 | 4558 | 1200 | 4234 | 800 | 2663 | 1100 | 866 | 1300 | 1939 | 5800 | 14260 |
| | योग सरगुजा संभाग | **25600** | **56628** | **8260** | **31030** | **8720** | **30424** | **5350** | **5119** | **13050** | **27163** | **60980** | **150364** |
| 27 | जगदलपुर | 9450 | 20803 | 3400 | 9601 | 2400 | 5672 | 2700 | 2643 | 1500 | 1894 | 19450 | 40612 |
| 28 | कोंडागांव | 19950 | 25277 | 6900 | 9629 | 2100 | 4517 | 2900 | 2667 | 1500 | 5113 | 33350 | 47203 |
| 29 | कांकेर | 17750 | 20923 | 4700 | 7841 | 2900 | 10069 | 3500 | 4028 | 3830 | 10543 | 32680 | 53405 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 250 | 1394 | 300 | 389 | 200 | 526 | 350 | 87 | 50 | 19 | 1150 | 2416 |
| 32 | बीजापुर | 250 | 553 | 120 | 524 | 80 | 218 | 200 | 36 | 50 | 11 | 700 | 1342 |
| 33 | नारायणपुर | 150 | 935 | 60 | 185 | 150 | 242 | 400 | 114 | 50 | 41 | 810 | 1517 |
| | योग बस्तर संभाग | **47800** | **69886** | **15480** | **28168** | **7830** | **21245** | **10050** | **9573** | **6980** | **17622** | **88140** | **146494** |
| | महायोग | **288000** | **516028** | **100000** | **214920** | **60000** | **214230** | **50000** | **64429** | **70000** | **249728** | **568000** | **1259335** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:43:59

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–द

उर्वरक का सहकारी एवं निजी लक्ष्य एवं भंडारण की जानकारी खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)

इकाई मे.टन

| क्र. | जिला का नाम | यूरिया | | डीएपी | | एन.पी.के. | | एम.ओ.पी. | | एस.एस.पी. (समस्त) | | महायोग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | रायपुर | 34800 | 25068 | 19000 | 11219 | 12500 | 12262 | 4300 | 4990 | 5100 | 13735 | 75700 | 67273 |
| 2 | गरियाबंद | 22670 | 17189 | 9000 | 4377 | 7500 | 5443 | 2400 | 1862 | 4200 | 5115 | 45770 | 33985 |
| 3 | बलौदाबाजार | 42930 | 38165 | 16500 | 7031 | 14500 | 16638 | 3500 | 5239 | 8000 | 16361 | 85430 | 83434 |
| 4 | महासमुंद | 56760 | 41184 | 21400 | 10277 | 9500 | 7465 | 3500 | 3381 | 16600 | 19602 | 107760 | 81910 |
| 5 | धमतरी | 31540 | 27280 | 15500 | 6416 | 13500 | 9286 | 2500 | 2162 | 8200 | 12555 | 71240 | 57701 |
| | रायपुर संभाग | **188700** | **148886** | **81400** | **39320** | **57500** | **51093** | **16200** | **17634** | **42100** | **67368** | **385900** | **324302** |
| 6 | दुर्ग | 27780 | 23616 | 15300 | 5339 | 8000 | 6364 | 6300 | 5676 | 10500 | 13245 | 67880 | 54239 |
| 7 | बालोद | 27270 | 27594 | 12000 | 3854 | 14000 | 15190 | 4800 | 5197 | 10000 | 14197 | 68070 | 66033 |
| 8 | बेमेतरा | 43860 | 39669 | 21500 | 8609 | 15500 | 10029 | 7000 | 6391 | 11000 | 16502 | 98860 | 81200 |
| 9 | राजनांदगांव | 28460 | 29921 | 13000 | 5490 | 15000 | 11255 | 4500 | 4582 | 8000 | 12967 | 68960 | 64216 |
| 10 | खैरागढ़ | 16160 | 15594 | 9200 | 4027 | 10200 | 6932 | 2600 | 2467 | 4800 | 6508 | 42960 | 35528 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 8100 | 8873 | 3300 | 1181 | 3800 | 3330 | 2000 | 1597 | 3800 | 5035 | 21000 | 20016 |
| 12 | कर्वधा | 34220 | 29733 | 13000 | 5419 | 10300 | 8560 | 3500 | 3711 | 19000 | 15381 | 80020 | 62804 |
| | दुर्ग संभाग | **185850** | **175000** | **87300** | **33919** | **76800** | **61661** | **30700** | **29621** | **67100** | **83834** | **447750** | **384035** |
| 13 | बिलासपुर | 36350 | 33384 | 13000 | 6933 | 7200 | 8826 | 1900 | 2160 | 10500 | 13927 | 68950 | 65230 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 2520 | 3220 | 1600 | 817 | 1000 | 860 | 400 | 397 | 700 | 666 | 6220 | 5960 |
| 15 | मुंगेली | 27110 | 20815 | 6500 | 2969 | 7100 | 5355 | 2200 | 1585 | 14700 | 13675 | 57610 | 44399 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 35730 | 26295 | 10200 | 3775 | 6500 | 5994 | 1900 | 2314 | 11000 | 10517 | 65330 | 48895 |
| 17 | **सक्ती** | 22810 | 20795 | 8000 | 3757 | 4000 | 8553 | 1200 | 1164 | 4500 | 8362 | 40510 | 42632 |
| 18 | कोरबा | 9480 | 8759 | 3500 | 1572 | 1500 | 705 | 500 | 578 | 3500 | 3189 | 18480 | 14803 |
| 19 | रायगढ | 25900 | 24486 | 10500 | 5060 | 6000 | 6048 | 2100 | 1846 | 6000 | 7379 | 50500 | 44818 |
| 20 | **सारंगढ़** | 26130 | 21521 | 8500 | 3031 | 4500 | 2751 | 1600 | 1523 | 6800 | 6439 | 47530 | 35266 |
| | बिलासपुर संभाग | **186030** | **159274** | **61800** | **27915** | **37800** | **39094** | **11800** | **11567** | **57700** | **64154** | **355130** | **302003** |
| 21 | सरगुजा | 16020 | 14605 | 7000 | 5891 | 10000 | 7667 | 1500 | 1851 | 3700 | 7319 | 38220 | 37334 |
| 22 | सूरजपुर | 20420 | 19084 | 6500 | 6675 | 11500 | 11517 | 1400 | 1284 | 3600 | 5352 | 43420 | 43912 |
| 23 | बलरामपुर | 23550 | 18063 | 8000 | 6064 | 10500 | 6251 | 1200 | 1574 | 6900 | 7481 | 50150 | 39433 |
| 24 | कोरिया | 6190 | 6278 | 3600 | 2715 | 4000 | 2018 | 500 | 411 | 600 | 908 | 14890 | 12330 |
| 25 | **मनेन्द्रगढ़** | 2810 | 3733 | 2000 | 1306 | 2000 | 1375 | 300 | 265 | 200 | 435 | 7310 | 7115 |
| 26 | जशपुर | 13250 | 9799 | 7000 | 5290 | 5500 | 2133 | 1200 | 1057 | 3000 | 2953 | 29950 | 21232 |
| | सरगुजा संभाग | **82240** | **71562** | **34100** | **27941** | **43500** | **30962** | **6100** | **6442** | **18000** | **24448** | **183940** | **161356** |
| 27 | जगदलपुर | 19050 | 16698 | 10500 | 7847 | 10500 | 5586 | 4200 | 3238 | 1800 | 1497 | 46050 | 34866 |
| 28 | कोंडागांव | 29640 | 22609 | 11000 | 6913 | 9000 | 8227 | 4000 | 3402 | 3900 | 4672 | 57540 | 45824 |
| 29 | कांकेर | 28060 | 25622 | 10500 | 4146 | 11000 | 9692 | 6000 | 5062 | 9000 | 10042 | 64560 | 54565 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 1775 | 1672 | 1200 | 809 | 1000 | 360 | 400 | 471 | 50 | 33 | 4425 | 3345 |
| 32 | बीजापुर | 2110 | 2448 | 1400 | 692 | 1400 | 261 | 100 | 143 | 50 | 70 | 5060 | 3614 |
| 33 | नारायणपुर | 1545 | 1429 | 800 | 371 | 1500 | 368 | 500 | 268 | 300 | 161 | 4645 | 2596 |
| | जगदलपुर संभाग | **82180** | **70478** | **35400** | **20779** | **34400** | **24495** | **15200** | **12583** | **15100** | **16476** | **182280** | **144810** |
| महायोग | | **725000** | **625201** | **300000** | **149874** | **250000** | **207304** | **80000** | **77847** | **200000** | **256280** | **1555000** | **1316506** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:44:52

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–इ

## वर्ष 2026 में धान बीज की प्राप्त शिकायत की जानकारी

| क्र. | जिला का नाम | फसल | शिकायत संख्या | शिकायत का विवरण | | | | कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अमानक | नकली | कम अंकुरण | अन्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | जगदलपुर | धान | 1 | - | - | - | अधिक मूल्य पर बीज विक्रय | बीज विक्रय पर प्रतिबंध |
| 2 | रायपुर | धान | 1 | - | - | 1 | - | श्री गोविंद राम साहू, पिता श्री गुनू राम साहू ग्राम–छांटा विकासखंड अभनपुर द्वारा रबी में चना किस्म छ.ग. चना 2 मात्रा 3.75 क्वि. राशि रू. 28376 लिया गया था, जिसमें अंकुरण की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त कृषक बीज को उधारी में लिया था कृषक से राशि नहीं लिया गया है अंकुरण प्रभावित होने पर बीज निगम के नीति बीज के बदले बीज या बीज की राशि के आधार पर कृषक से भविष्य में किसी प्रकार से राशि नहीं लिया जावेगा। |

Digitally signed by Vikas Mishra Date: 10-07-2026 17:45:42

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

PLGMJ/2429/2026-Agriculture Section(Technical)
I/515856/2026

प्रपत्र–ई

**वर्ष 2026 में उर्वरक की प्राप्त शिकायत की जानकारी**

| क्र. | जिला का नाम | शिकायत संख्या | शिकायत का विवरण | | | | कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अमानक | नकली | कालाबाजारी | उर्वरक उपलब्धता के संबंध में | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1. अमानक उर्वरक के विरूद्ध विक्रय पर प्रतिबंध किया गया।<br>2. नकली खाद के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज।<br>3. कालाबाजारी के प्रति एफ.आई.आर. एवं जब्ती की कार्यवाही की गई। |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:46:32

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

## परिशिष्ट - बयालीस
## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 912) की जानकारी

I/513274/2026

प्रपत्र–अ

इकाई में.टन

| क्र. | बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का नाम | लक्ष्य / मांग खरीफ 2026 | | | | | | भंडारण खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में) | | | | | | वितरण खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | योग | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | योग | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | जगदलपुर | 19050 | 10500 | 10500 | 4200 | 1800 | 46050 | 16698 | 7847 | 5586 | 3238 | 1497 | 34866 | 6372 | 3794 | 2169 | 1134 | 658 | 14127 |
| 2 | कोंडागांव | 29640 | 11000 | 9000 | 4000 | 3900 | 57540 | 22609 | 6913 | 8227 | 3402 | 4672 | 45824 | 14412 | 3622 | 3368 | 1598 | 1710 | 24710 |
| 3 | कांकेर | 28060 | 10500 | 11000 | 6000 | 9000 | 64560 | 25622 | 4146 | 9692 | 5062 | 10042 | 54565 | 13740 | 2325 | 6248 | 2301 | 5168 | 29782 |
| 4 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | सुकमा | 1775 | 1200 | 1000 | 400 | 50 | 4425 | 1672 | 809 | 360 | 471 | 33 | 3345 | 749 | 330 | 189 | 327 | 2 | 1597 |
| 6 | बीजापुर | 2110 | 1400 | 1400 | 100 | 50 | 5060 | 2448 | 692 | 261 | 143 | 70 | 3614 | 926 | 333 | 119 | 25 | 2 | 1405 |
| 7 | नारायणपुर | 1545 | 800 | 1500 | 500 | 300 | 4645 | 1429 | 371 | 368 | 268 | 161 | 2596 | 838 | 273 | 248 | 154 | 29 | 1542 |
| | योग | **82180** | **35400** | **34400** | **15200** | **15100** | **182280** | **70478** | **20779** | **24495** | **12583** | **16476** | **144810** | **37037** | **10676** | **12342** | **5538** | **7569** | **73163** |

टीप :– जिला दन्तेवाड़ा जैविक जिला की ओर अग्रसर होने के कारण जिले मे किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का भण्डारण एवं वितरण नहीं किया जा रहा है। अतः जानकारी निरंक है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
10:18:29

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र - ब

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech. 18-05-2026

प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. आयुक्त संभाग, सर्व ...........................
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बेंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. कलेक्टर, जिला सर्व.....................
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्व.................
7. संयुक्त संचालक कृषि संभाग, सर्व...................
8. उप संचालक कृषि जिला सर्व...........................

विशय :– राज्य में आगामी खरीफ 2026 हेतु सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

---

**प्रस्तावना** :– वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अनुशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ–साथ अन्य उपाय जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद आदि भी सम्मिलित है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव की परिस्थति के कारण राज्य के सभी कृषकों को समानुपातिक मात्रा एवं समसामयिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

उद्देश्य :–

1. संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. कास्त लागत में कमी।
3. रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नीलहरित काई आदि के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति संरक्षित करना।
4. उर्वरकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग को रोकना।
5. कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) अनुरूप उर्वरकों का कृषि में उपयोग सुनिश्चित करना।

**कियान्वयन हेतु निर्देश** :–

1. खरीफ 2025 में कृषक को वितरित उर्वरक यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डी.ए.पी की 60 प्रतिशत मात्रा का ही वितरण खरीफ 2026 में किया जाना है।
2. यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया की आपूर्ति होने पर की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में नैनो यूरिया के रूप में प्रदाय की जायेगी। डी.ए.पी. की शेष 40 प्रतिशत मात्रा

अन्य वैकल्पिक एन.पी.के. उर्वरकों अथवा नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नैनो उर्वरक लेने के लिये कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

3. प्रदेश के समस्त सीमांत कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा एक मुश्त प्रदाय की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त लघु कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 से 5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 2 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
5. प्रदेश के बड़े कृषक (जिनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस एवं तृतीय किश्त द्वितीय किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
6. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कृषक को देय उर्वरक का निर्धारण बोरी की गणना के आधार पर किया जायेगा। विगत वर्ष (खरीफ 2025) वितरित उर्वरक की गणना बोरी में करने के उपरांत यूरिया हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.ए.पी. हेतु 60 प्रतिशत की गणना बोरी में ही की जायेगी। गणना में यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त न हो तो निकटतम पूर्णांक को मान्य किया जायेगा अर्थात यदि बोरी की गणना 7.2 या 7.8 प्राप्त हो तो क्रमशः 7 एवं 8 बोरी मान्य किया जायेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 18-05-2026
14:17:43

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-g.Tech. 18-05-2026

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन,पशुपालन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
10:19:49

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय ... अटल नगर

प्रपत्र - स

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ ।
8. उप संचालक कृषि, जिला- ................(सर्व)

विषय: राज्य में खरीफ-2026 में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

**संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech 18-05-2026**

विषयान्तर्गत वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। वर्तमान मे यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3 से 5 एतद द्वारा विलोपित किए जाते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 1 में मात्र यूरिया उर्वरक हेतु निर्धारित मात्रा 80 प्रतिशत को भी विलोपित किया जाता है, तथा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. कृषक को खरीफ 2025 में वितरित यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा मे यूरिया का विक्रय खरीफ 2026 में किया जाएगा।
2. उक्त प्रदाय एकमुश्त अथवा तत्समय संबंधित सहकारी समिति में उर्वरक उपलब्धता के आधार पर होगा । सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पात्रतानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकेगा ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 27-06-2026
15:49:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

**I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
10:20:59

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

I/513291/2026

प्रपत्र–द

## निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय प्रकरण की जानकारी

| क्र. | बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का नाम | वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक) | प्रकरण संख्या | फर्म का नाम | विगत वर्ष 2025–26 में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय प्रकरण में की गई कार्यवाही | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | विक्रय प्रतिबंध | लाइसेंस निरस्त | लाइसेंस निलंबन | एफ.आई.आर | जब्ती | न्यायालय में प्रस्तुत | |
| | | | | | | | | | | प्रस्तुत दिनांक | निर्णय की स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जगदलपुर | दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 | 1 | मतोंष कुमार गुप्ता लोहण्डीगुडा | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | | 1 | बस्तर कृषि केन्द्र बस्तर | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | | | 1 | मॉ दन्तेश्वरी किसान कृषि केन्द्र | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | कोण्डागांव | ——— : निरंक :——— | | | | | | | | | |
| 3 | नारायणपुर | ——— : निरंक :——— | | | | | | | | | |
| 4 | दन्तेवाड़ा | जिला दन्तेवाड़ा जैविक जिला की ओर अग्रसर होने के कारण जिले में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण/वितरण भी फर्म को नहीं दिया गया है। अतः जानकारी निरंक है। | | | | | | | | | |
| 5 | सुकमा | ——— : निरंक :——— | | | | | | | | | |
| 6 | बीजापुर | ——— : निरंक :——— | | | | | | | | | |
| 7 | कांकेर | निरंक | | | | | | | | | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
10:21:57

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तिरालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 914) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र | जिला का नाम | FRA की धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही | इस धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णय | | इस धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तारीख (DD/MM/YYYY) | निर्णय | संख्या | जलक्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कोरिया | समय–समय पर होने वाले जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों/कर्मचारियो के मध्य सामुदायिक वन अधिकार की धारा 3(1)(घ) के संबंध में चर्चा की जाती है। | 16.12.2022, 21.03. 2023, 07.08.2023 इत्यादि | ग्राम वन अधिकार समिति, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति को सामुदायिक वन अधिकार की धारा 3(1)(घ) का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये। | 60 | 1638.972 |
| 2 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | सामुदायिक वन अधिकार के तहत् विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। | – | – | 30 | 289.160 |
| 3 | सरगुजा | – | – | – | 47 | 111.078 |
| 4 | जशपुर | – | – | – | 1714 | 1719.721 |
| 5 | रायगढ़ | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1) घ के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं का पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। | – | – | 247 | 159.475 |
| 6 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। | – | – | 30 | 18.192 |
| 7 | कोरबा | – | – | – | 134 | 137.508 |
| 8 | जांजगीर–चांपा | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1) घ के पालन एवं कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन कियें जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। | – | – | 12 | 524.687 |
| 9 | सक्ती | - | - | - | 108 | 367.067 |
| 10 | बिलासपुर | - | - | - | 36 | 54.239 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

| क्र | जिला का नाम | FRA की धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही | इस धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णय | | इस धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तारीख (DD/MM/YYYY) | निर्णय | संख्या | जलक्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | कबीरधाम | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। | – | – | 61 | 112.307 |
| 12 | राजनांदगांव | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3 (1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। | B-121/2012-13 | सामुदायिक तालाब एवं सामुदायिक मत्स्यपालन | 5 | 5.618 |
| 13 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | – | – | – | 33 | 39.530 |
| 14 | मोहला–मानपुर–अं0चौकी | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। | – | – | 103 | 58.631 |
| 15 | महासमुंद | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3 (1 ) घ के पालन एवम क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय समय पर कार्यशाला ,निर्देश एवम एफ आर ए सेल के एम आई एस सहायकों ,प्रभारी मंडल संयोजको द्वारा फील्ड में जागरूकता फैलाई जा रही है | – | – | 0 | 0.000 |
| 16 | धमतरी | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1) घ के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन कियें जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है । | – | – | 192 | 398.146 |
| 17 | उत्तर बस्तर कांकेर | ग्रामसभाओं को मान्यता पत्र प्रदान किये जाने के उपरांत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी विभाग द्वारा दी जाती है तथा साथ ही समय–समय पर अशासकीय संस्थाओं/एन.जी.ओ. के माध्यम से ग्रामों में बैठक कराकर क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी जाती है। | - | - | 311 | 454.249 |

| क्र | जिला का नाम | FRA की धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही | इस धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णय | | इस धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तारीख (DD/MM/YYYY) | निर्णय | संख्या | जलक्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | बस्तर | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1) घ के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन कियें जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है । | 12/01/2014 | प्रस्तुत 04 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदाय की गई । | 4 | 2.500 |
| 19 | नारायणपुर | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओ के साथ ही धारा 1 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। | 11ध्26ध्2019 | गांव के सीमा क्षेत्र विद्यमान जलाषयों एवं तालाबों को सामुदायिक अधिकार पत्र दिये जाने हेतु अनुंषंसा | 26 | 1750.360 |
| 20 | दंतेवाड़ा | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1) घ के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन कियें जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है । | – | – | 31 | 133.770 |
| 21 | बीजापुर | ग्रामसभाओं को मान्यता पत्र प्रदान किये जाने के उपरांत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी विभाग द्वारा दी जाती है तथा साथ ही समय–समय पर अशासकीय संस्थाओं/एन.जी.ओ. के माध्यम से ग्रामों में बैठक कराकर क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी जाती है। | - | - | 102 | 387.666 |
| 22 | सुकमा | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। | – | – | 253 | 948.892 |
| 23 | कोण्डागांव | – | – | – | 62 | 43.734 |
| 24 | गरियाबंद | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। | – | – | 40 | 7574.119 |
| 25 | बलौदाबाजार | – | – | – | 0 | 0.000 |
| 26 | बलरामपुर–रा0गंज | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1) (घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जानें हेतु निर्देशित किया गया हैं। | – | – | 32 | 21.320 |

| क्र | जिला का नाम | FRA की धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही | इस धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णय | | इस धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तारीख (DD/MM/YYYY) | निर्णय | संख्या | जलक्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | सूरजपुर | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। | – | – | 106 | 161.110 |
| 28 | बालोद | – | – | – | 130 | 522.292 |
| 29 | मुंगेली | वन अधिकार अधिनियम 2006 के धारा 3(1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु प्राप्त दिशा–निर्देशों को समय–समय पर ग्राम सभाओं को जारी किया जाता है। | – | – | 53 | 74.463 |
| 30 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | सामुदायिक वन अधिकार के तहत विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 3 (1)(घ) के पालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर ग्राम सभाओं को पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। | - | - | 71 | 59.279 |
| | | योग | | | 4033 | 17768.085 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 920) की जानकारी

प्रपत्र

कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रेस्पोंसिबिलिटी (सी.ई.आर.) के तहत् खदान प्रबंधन द्वारा लीज सम्पादन दिनांक 19/01/2026 से 31/03/2026 तक की अवधि में विभिन्न मदों में किये गये कार्यों एवं कार्यस्थल की जानकारी

| क्रमांक | मद का नाम | कार्यस्थल पंचायत का नाम | राशि (रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | शिक्षा | पत्थरचुआ | 39000 |
| 2. | स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पेयजल | पत्थरचुआ | 10000 |
| 3. | पर्यावरण संरक्षण | पत्थरचुआ | 40000 |
| 4. | महिला सशक्तिकरण | पत्थरचुआ | 24000 |
| 5. | अधोसंरचना | पत्थरचुआ | 494469 |
| 6. | सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिए योगदान | पत्थरचुआ | 25000 |
| 7. | खेलकूद | पत्थरचुआ | 6000 |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

## परिशिष्ट - पैंतालीस

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 927) की जानकारी

प्रपत्र-अ

| क्र. | विभाग का नाम | वितीय वर्ष | बजट में शामिल कार्य का नाम | प्रशासकीय लागत (लाख में) | प्रशासकीय स्वीकृति लंबित होने के कारण | कब तक वितीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी | प्रश्नांक के अनुसार कितने कार्यो को लक्षित वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण पुनः नवीन | प्रश्नांक के अनुसार कितने कार्य पूर्ण/प्रगतिरत/विलोपित/अपूर्ण रह गये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 2026-27 | वार्ड क्रमांक 02 में इंडोर स्टेडियम एवं खेल मैदान जीर्णोद्धार | 300.00 | नगर पंचायत खरोरा को स्पष्ट प्रतिवेदन सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु दिनांक 23-06-2026 को पत्र प्रेषित किया गया | | | |
| 2 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 2025-26 | जिला रायपुर के सामु. स्वा. केन्द्र धरसींवा में उन्नयन संबंधी भवन निर्माण कार्य | 120.00 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर से विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | |
| 3 | स्कूल शिक्षा विभाग | 2026-27 | | | | | | |
| | | 1 | शास. हाई स्कूल बरौण्डा, वि.ख. धरसीवा जिला रायपुर हेतु नवीन भवन निर्माण कार्य | 75.23 | कार्यवाही प्रचलन में है | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | |
| | | 2 | शास. हाई स्कूल मांठ, वि.ख. धरसीवा जिला रायपुर छ.ग. हेतु नवीन भवन निर्माण कार्य | 75.23 | कार्यवाही प्रचलन में है | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | |
| 4 | लोक निर्माण विभाग | 2024-25 | | | | | | |
| | | 1 | जिला रायपुर के खरोरा तिगड्डा चौक के छड़िया पचरी गौरवपथ लंबाई 2.60 किमी | | | | | विलोपित |
| | | 2 | जिला रायपुर के चिचोली -रायखेड़ा, देवगांव, खौना मार्ग लंबाई 13.00 किमी कार्य | | | | | विलोपित |
| | | 3 | जिला रायपुर के कोदवा- जंजगीरा-कोनारी मार्ग लंबाई 10.00 किमी कार्य | | | | | विलोपित |
| 5 | जल संसाधन विभाग | 2024-25 | | | | | | |
| | | 1 | सेरीखेड़ी जलाशय का सौंदर्यीकरण कार्य | 295.58 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 23.08.2024 | | | प्रगतिरत |
| | | 2 | मूरा जलाशय का जीर्णोद्वार एवं नहर लाईनिंग कार्य | 143.73 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 23.08.2024 | | | पूर्ण |
| | | 3 | रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसींवा की कोल्हान नाले पर नगरगांव स्टापडेम निर्माण कार्य | 295.94 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 23.08.2024 | | | पूर्ण |
| | | 4 | रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसींवा की जरौंदा तटबंध तक पहुंच हेतु सी.सी. रोड 03 नग पाईप कलवर्ट (पाईप पुलिया) का निर्माण | 150.79 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 23.08.2024 | | | पूर्ण |
| | | 5 | रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा की चंगोरी जलाशय का जीर्णोद्वार एवं नगर लाईनिंग कार्य | 145.11 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 23.08.2024 | | | पूर्ण |
| | | 6 | बरतनारा बाढ़ नियंत्रण योजना का निर्माण कार्य | 856.15 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 14.11.2024 | | | प्रगतिरत |
| | | 7 | कोल्हान नाले पर अकोली स्टापडेम का जीर्णोद्वार एवं मरम्मत कार्य | 284.38 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 20.12.2024 | | | पूर्ण |
| | | 2024-25 | नवीन मद | | | | | |
| | | 1 | मांढर शाखा नहर के वितरक क्र. 16 के वितरक एवं माइनर नहरों के लाइनिंग कार्यो का जीर्णोद्धार | 207.92 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 23.08.2024 | | | - |
| | | 2 | मांढर शाखा नहर के वितरक क्र. 15 के वितरक एवं माइनर नहरों के लाइनिंग कार्यो का जीर्णोद्धार। | . | | | | विलोपित |
| | | 3 | मांढर शाखा नहर के आर.डी. 39.14 से 52.79 कि.मी. तक लाइनिंग कार्यो का जीर्णोद्धार | . | | | | विलोपित |
| | | 4 | रायपुर जिले के महानदी जलाशय परियोजना अंतर्गत मांढर शाखा नहर के वितरक शाखा क्र. 17 में रोड ब्रिज एवं व्ही.आर.बी. निर्माण तथा बैंक प्रोटेक्शन कार्य। | . | | | | विलोपित |
| | | 5 | मांढर शाखा नहर के वितरक क्र. 17 के वितरक एवं माइनर नहरों के लाइनिंग कार्यो का जीर्णोद्धार | . | | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | पिछले बजट में विलोपित कार्य को पुनः शामिल किया गया है। | |
| | | 6 | रायपुर जिले के पठारीडीह बांढ नियंत्रण योजना | . | | | | विलोपित |
| | | 7 | [illegible] | | | | | विलोपित |

| क्र. | विभाग का नाम | वित्तीय वर्ष | बजट में शामिल कार्य का नाम | प्रशासकीय लागत (लाख में) | प्रशासकीय स्वीकृति लंबित होने के कारण | कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी | प्रश्नांक के अनुसार कितने कार्यों को लक्षित वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण पुनः नवीन | प्रश्नांक के अनुसार कितने कार्य पूर्ण/प्रगतिरत/विलोपित/अपूर्ण रह गये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2025-26 | | | | | | |
| | | 1 | रायपुर जिले के कोल्हान नाले पर सारागांव स्टापडेम निर्माण कार्य | 774.79 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 10.07.2025 | | पिछले बजट में विलोपित कार्य को पुनः शामिल किया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। | |
| | | 2 | रायपुर जिले के खारून नदी पर गोमची एनीकट का निर्माण कार्य | 2340.00 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 24.06.2025 | | पिछले बजट में विलोपित कार्य को पुनः शामिल किया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। | |
| | | 3 | रायपुर जिले के पठारीडीह बाढ़ नियंत्रण योजना कार्य | 1267.43 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 22.07.2025 | | पिछले बजट में विलोपित कार्य को पुनः शामिल किया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। | |
| | | 4 | गुजरा व्यपवर्तन योजना का जीर्णोद्धार एवं नगर लाईनिंग कार्य | 500.00 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 06.08.2025 | | पिछले बजट में विलोपित कार्य को पुनः शामिल किया जाकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। | |
| | | 5 | रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसींवा की भिम्भौरी जलाशय का नगर लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य | 422.25 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 13.08.2025 | | | प्रगतिरत |
| | | 6 | बरडीह जलाशय का नहर लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य | 243.98 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 22.01.2026 | | | प्रगतिरत |
| | | 2025-26 | नवीन मद | | | | | |
| | | 1 | रायपुर जिले के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत मांढर शाखा नहर के वितरक शाखा क्रं. 11ए, 13, 14 एवं उनके माईनर्स का जीर्णोद्धार कार्य। | - | - | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | |
| | | 2 | रायपुर जिले के महानदी परियोजना अंतर्गत मांढर शाखा नहर की वितरक शाखा क्र. 14 के आर.डी. 2700 मी. से 3500 मी. तक ह्यूम पाईप से नहर को भूमिगत करने का कार्य। | - | - | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 3 | रायपुर जिले के बड़े तालाब टीकेकला का जीर्णोद्धार कार्य। | - | डी.पी.आर. प्रेषित नहीं किये जाने के कारण | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 4 | रायपुर जिले के बड़े तालाब गिधौरी का जीर्णोद्धार कार्य। | - | डी.पी.आर. प्रेषित नहीं किये जाने के कारण | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 5 | रायपुर जिले के नवातालाब तुलसी का जीर्णोद्धार कार्य। | - | डी.पी.आर. प्रेषित नहीं किये जाने के कारण | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 6 | रायपुर जिले के ग्राम कुम्हारी के पास खारून नदी में एनीकट एवं उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य। | - | शासन स्तर पर लंबित होने के कारण | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 7 | रायपुर जिले के ग्राम मुरेठी में लोकल नाले में स्टापडेम निर्माण कार्य। | 200.8 | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 14.08.2025 | | | - |
| | | 8 | भाटापारा शाखा नहर के कि.मी. 22.50 पर डी.सी. एवं कि.मी.0.570 व कि.मी. 14.400 पर व्ही.आर.बी. का निर्माण तथा कि.मी. 3.300 व कि.मी. 18.100 पर इनलेट का निर्माण कार्य। | - | | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 9 | महानदी परियोजना अंतर्गत भाटापारा शाखा नहर के अड़सेना वितरक नहर 03 नग माईनर के शेष पक्के कार्यों का निर्माण व रिमाडलिंग एवं सी. सी. लाईनिंग कार्य। | - | मंत्रालय जल संसाधन में परीक्षणाधीन है। | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |
| | | 10 | महानदी परियोजना अंतर्गत भाटापारा शाखा नहर के किरना वितरक नहर की किरना माईनर नं. 1, रैता माईनर, मनोहरा माईनर, एवं देवरी माईनर के शेष पक्के कार्यों का निर्माण व रिमाडलिंग एवं सी. सी. लाईनिंग कार्य। | - | प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रमुख अभियंता में परीक्षणाधीन | वित्त विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | - |

| क्र. | विभाग का नाम | वितीय वर्ष | बजट में शामिल कार्य का नाम | प्रशासकीय लागत (लाख में) | प्रशासकीय स्वीकृति लंबित होने के कारण | कब तक वितीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी | प्रश्नांक के अनुसार कितने कार्यों को लक्षित वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण पुनः नवीन | प्रश्नांक के अनुसार कितने कार्य पूर्ण/प्रगतिरत/विलोपित/अपूर्ण रह गये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 11 | भाटापारा शाखा नहर के कि.मी. 11.00 से 22.50 के मध्य रिसेक्शनिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य। | . | प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रमुख अभियंता में परीक्षणाधीन | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | . |
| | | 12 | भाटापारा शाखा नहर की कोदवा वितरक नहर की कोदवा माईनर नं. 1 एवं तरेसर माईनर के तरेसर सबमाईनर के रिमाडलिंग एवं सी. सी. लाईनिंग कार्य। | . | प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रमुख अभियंता में परीक्षणाधीन | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | . |
| | | 2026-27 | | | | | | . |
| | | 1 | रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड अंतर्गत टोर जलाशय के जीर्णोद्वार एवं नहर लाईनिंग कार्य | 380.00 | प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है | . | | |
| | | 2 | रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड अंतर्गत तुलसी (असौंदा) जलाशय के जीर्णोद्वार एवं नगर लाईनिंग कार्य | 385.00 | प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है | | | |
| | | 3 | रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड अंतर्गत जोता जलाशय के जीर्णोद्वार एवं नगर लाईनिंग कार्य | 50.00 | प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है | | | |
| | | 4 | रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड अंतर्गत भरूवाडीह जलाशय के जीर्णोद्वार एवं नगर लाईनिंग कार्य | 400.00 | प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है | | | |
| | | 2026-27 | नवीन मद | | | | | |
| | | 1 | रायपुर जिले के विकासखंड धरसींवा अंतर्गत ग्राम टोर में कोल्हान नाले पर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण कार्य | | डी.पी.आर. संशोधन नहीं होने के कारण। | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | |
| | | 2 | रायपुर जिले के मांढर शाखा नहर के वितरक शाखा क्रमांक 17 के वितरक नहर एवं माइनर नहरों लाइनिंग का जीर्णोद्धार का कार्य | . | शासन स्तर पर लंबित होने के कारण | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | . |
| | | 3 | रायपुर जिले के विकासखंड धरसीवा के कोल्हान नाला में निर्मित स्टापडेम को निस्तारी हेतु मांढर ब्रांच केनाल से पाइपलाईन द्वारा जल प्रदाय कार्य | . | डी.पी.आर. प्रेषित नहीं किये जाने के कारण | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | . |
| | | 4 | रायपुर जिले के न्यू भाटागाँव बैराज से उरला इंडस्ट्रीज एरिया तक पेयजल आपूर्ति हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का कार्य | - | डी.पी.आर. प्रेषित नहीं किये जाने के कारण | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | . |
| | | 5 | महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 99.00 से 116.00 कि.मी. के बीच लाईनिंग का मरम्मत कार्य सर्विस बैंक सुदृढ़ीकरण व मुरूमीकरण चैनेज कम बाउंड्री स्टोन एवं किमी. स्टोन लगाने का कार्य । | - | डी.पी.आर. प्रेषित नहीं किये जाने के कारण | वित विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त | | . |
| 6 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | 2026-27 | आईटीआई धरसींवा में GI Shed Wrok ITI Building | 2.12 | निर्माण विभाग से प्राक्कलन अद्यतन अप्राप्त होने के कारण | नस्ती विभाग में प्रचलन में है वित विभाग में प्रस्ताव अप्राप्त | | |

टीपः- सूची में दिया गया विवरण विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उल्लेखित है, उक्त प्रस्ताव वित विभाग में लंबित नहीं हैं।

(अतीश पाण्डेय)
अपर सचिव
छतीसगढ़ शासन वित विभाग

परिशिष्ट - छियालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 935) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

## बस्तर संभाग अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम एवं पोटकेबिन की जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी।

| क | जिला का नाम | विकास खण्ड | संचालित संस्थाओं की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | छात्रावास | आश्रम | पोटाकेबिन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | 19 | 10 | 5 |
| 2 | | गीदम | 20 | 31 | 5 |
| 3 | | कुआकोण्डा | 13 | 17 | 3 |
| 4 | | कटेकल्याण | 6 | 12 | 4 |
| 5 | नारायणपुर | नारायणपुर | 24 | 30 | 0 |
| 6 | | ओरछा | 5 | 58 | 0 |
| 7 | कांकेर | कांकेर | 20 | 9 | 0 |
| 8 | | नरहरपुर | 14 | 11 | 0 |
| 9 | | चारामा | 16 | 7 | 0 |
| 10 | | भानुप्रतापपुर | 15 | 13 | 0 |
| 11 | | दुर्गूकोन्दल | 14 | 11 | 0 |
| 12 | | अंतागढ़ | 19 | 14 | 0 |
| 13 | | कोयलीबेड़ा | 23 | 11 | 0 |
| 14 | बीजापुर | बीजापुर | 20 | 21 | 6 |
| 15 | | उसूर | 9 | 29 | 8 |
| 16 | | भोपालपटनम | 8 | 23 | 6 |
| 17 | | भैरमगढ़ | 15 | 64 | 14 |
| 18 | जगदलपुर | बकावण्ड | 15 | 9 | 0 |
| 19 | | बास्तानार | 12 | 18 | 0 |
| 20 | | बस्तर | 41 | 26 | 0 |
| 21 | | दरभा | 10 | 15 | 0 |
| 22 | | तोकापाल | 13 | 8 | 0 |
| 23 | | जगदलपुर | 15 | 22 | 0 |
| 24 | | लोहण्डीगुड़ा | 25 | 4 | 0 |
| 25 | कोण्डागॉव | बडेराजपुर | 11 | 6 | 0 |
| 26 | | कोण्डागॉव | 29 | 21 | 0 |
| 27 | | केशकाल | 15 | 5 | 0 |
| 28 | | माकड़ी | 11 | 8 | 0 |
| 29 | | फरसगॉव | 14 | 14 | 0 |
| 30 | सुकमा | सुकमा | 14 | 30 | 6 |
| 31 | | कोन्टा | 14 | 34 | 6 |
| 32 | | छिन्दगढ़ | 18 | 31 | 4 |
| योग | | | **517** | **622** | **67** |

प्रपत्र ''ब''

बस्तर संभाग अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रम के स्वयं अथवा अपने मूल स्थान पर संचालित होने तथा अन्य स्थान पर संचालित होने की जानकारी।

| क | जिला का नाम | विकास खण्ड | स्वयं के भवन अथवा अपने मूल स्वीकृत स्थान पर संचालित संस्थाओं की संख्या | अन्य स्थान पर संचालित संस्थाओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | 29 | 0 |
| 2 | | गीदम | 50 | 1 |
| 3 | | कुआकोण्डा | 24 | 6 |
| 4 | | कटेकल्याण | 18 | 0 |
| 5 | नारायणपुर | नारायणपुर | 54 | 0 |
| 6 | | ओरछा | 52 | 11 |
| 7 | कांकेर | कांकेर | 29 | 0 |
| 8 | | नरहरपुर | 22 | 3 |
| 9 | | चारामा | 23 | 0 |
| 10 | | भानुप्रतापपुर | 28 | 0 |
| 11 | | दुर्गूकोन्दल | 25 | 0 |
| 12 | | अंतागढ़ | 32 | 1 |
| 13 | | कोयलीबेड़ा | 33 | 1 |
| 14 | बीजापुर | बीजापुर | 32 | 9 |
| 15 | | उसूर | 27 | 11 |
| 16 | | भोपालपटनम | 23 | 8 |
| 17 | | भैरमगढ़ | 57 | 22 |
| 18 | जगदलपुर | बकावण्ड | 24 | 0 |
| 19 | | बास्तानार | 30 | 0 |
| 20 | | बस्तर | 67 | 0 |
| 21 | | दरभा | 25 | 0 |
| 22 | | तोकापाल | 21 | 0 |
| 23 | | जगदलपुर | 37 | 0 |
| 24 | | लोहण्डीगुड़ा | 27 | 2 |
| 25 | कोण्डागॉव | बडेराजपुर | 15 | 2 |
| 26 | | कोण्डागॉव | 47 | 3 |
| 27 | | केशकाल | 16 | 4 |
| 28 | | माकड़ी | 19 | 0 |
| 29 | | फरसगॉव | 25 | 3 |
| 30 | सुकमा | सुकमा | 40 | 4 |
| 31 | | कोन्टा | 29 | 19 |
| 32 | | छिन्दगढ़ | 48 | 1 |
| **योग** | | | **1028** | **111** |

प्रपत्र "स"

विभागीय छात्रावास/आश्रम के सेटअप की जानकारी।

| क | छात्रावास का प्रकार | पद का नाम | स्वीकत पद |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | प्री मैट्रिक छात्रावास 50 सीटर | छात्रावास अधीक्षक | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 3 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 2 | प्री मैट्रिक छात्रावास 100 सीटर | छात्रावास अधीक्षक | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 4 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 3 | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 50 सीटर | छात्रावास अधीक्षक | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 3 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 4 | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 100 सीटर | छात्रावास अधीक्षक | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 4 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 3 | प्राथमिक आश्रम 50 सीटर | प्रधान पाठक सह अधीक्षक | 1 |
| | | सहायक शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग 03 | 2 |
| | | भृत्य नियमित | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 3 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 3 | प्राथमिक आश्रम 50 सीटर | प्रधान पाठक सह अधीक्षक | 1 |
| | | सहायक शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग 03 | 3 |
| | | भृत्य नियमित | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 5 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 3 | माध्यमिक आश्रम 50 सीटर | प्रधान पाठक | 1 |
| | | शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग 02 | 2 |
| | | अधीक्षक | 1 |
| | | सहायक शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग 03 | 1 |
| | | भृत्य नियमित | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 3 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |
| 3 | माध्यमिक आश्रम 50 सीटर | प्रधान पाठक | 1 |
| | | शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग 02 | 3 |
| | | अधीक्षक | 1 |
| | | सहायक शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग 03 | 1 |
| | | भृत्य नियमित | 1 |
| | | चतुथ श्रेणी | 5 |
| | | पूर्णकालिक स्वीपर | 1 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्रn

## बस्तर संभाग अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रम के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी।

| क | जिला का नाम | विभागीय छात्रावास में स्वीकृत सेटअप की जानकारी। | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अधीक्षक | | | भृत्य नियमित | | | भृत्य अकास्मिक स्थापना | | | पूर्णकालिक स्वीपर | | |
| | | स्वीकृत पद | भरे पर | रिक्त पद | स्वीकृत पद | भरे पर | रिक्त पद | स्वीकृत पद | भरे पर | रिक्त पद | स्वीकृत पद | भरे पर | रिक्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | दंतेवाड़ा | 128 | 25 | 103 | 80 | 75 | 5 | 501 | 231 | 270 | 128 | 19 | 109 |
| 2 | नारायणपुर | 117 | 11 | 106 | 88 | 72 | 16 | 414 | 291 | 123 | 117 | 81 | 36 |
| 3 | कांकेर | 197 | 80 | 117 | 76 | 42 | 34 | 627 | 88 | 539 | 197 | 0 | 197 |
| 4 | बीजापुर | 189 | 8 | 181 | 137 | 137 | 0 | 742 | 742 | 0 | 189 | 24 | 165 |
| 5 | जगदलपुर | 233 | 43 | 190 | 102 | 102 | 0 | 850 | 850 | 0 | 233 | 233 | 0 |
| 6 | कोण्डागॉव | 134 | 38 | 96 | 69 | 69 | 0 | 481 | 240 | 241 | 164 | 164 | 0 |
| 7 | सुकमा | 141 | 4 | 137 | 126 | 126 | 0 | 527 | 142 | 385 | 141 | 0 | 141 |
| | योग | 1139 | 209 | 930 | 678 | 623 | 55 | 4142 | 2584 | 1558 | 1169 | 521 | 648 |

टीप :– 1. छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध शिक्षा विभाग के शिक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् प्रभारी अधीक्षक का दायित्व सौपा गया है।

2. भृत्य–आकस्मिक स्थापना/पूर्णकालिक स्वीपर के रिक्त पदों के विरूद्ध कलेक्ट दर/दैनिक दर पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् कार्यरत् है।

3. पूर्वकालिक स्वीपर की जगह अंशकालीन स्वीपर से कार्य लिया जा रहा है।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - सैंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 942) की जानकारी

प्रपत्र—अ

प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति की जिलेवार एवं जनजातिवार जनसंख्या की जानकारी

| क्र. | जिला | विशेष रूप से कमजोर जनजाति (PVTG) का नाम | PVTG महिलाओं की जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नारायणपुर | अबूझमाड़िया | 11874 |
| 2 | बिलासपुर | बैगा | 2663 |
| | | बिरहोर | 240 |
| 3 | गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही | बैगा | 3186 |
| 4 | कबीरधाम | बैगा | 21858 |
| 5 | कोरिया (मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर) | बैगा | 9874 |
| 6 | मुंगेली | बैगा | 4155 |
| 7 | राजनांदगांव (खैरागढ़—छुईखदान—गण्डई) | बैगा | 2179 |
| 8 | जशपुर | बिरहोर | 257 |
| | | पहाड़ी कोरवा | 7583 |
| 9 | कोरबा | बिरहोर | 773 |
| | | पहाड़ी कोरवा | 1259 |
| 10 | रायगढ़ | बिरहोर | 494 |
| 11 | बलौदाबाजार | कमार | 80 |
| 12 | धमतरी | कमार | 3289 |
| 13 | गरियाबंद | कमार | 8135 |
| 14 | कांकेर | कमार | 153 |
| 15 | कोण्डागांव | कमार | 17 |
| 16 | महासमुंद | कमार | 1654 |
| 17 | बलरामपुर | पहाड़ी कोरवा | 7757 |
| 18 | सरगुजा | पहाड़ी कोरवा | 5231 |
| | योग | | **92711** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

| क्र. | जिला | कितनी विशेष रूप से कमजोर जनजाति (PVTG) की महिलाओं को पी.एम. मातृ वंदना योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है ? | कितनी विशेष रूप से कमजोर जनजाति (PVTG) महिलाएं योजना के लाभ से वंचित है? | योजना के लाभ से वंचित होने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नारायणपुर | 307 | 0 | – |
| 2 | बिलासपुर | 75 | 0 | – |
| 3 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 48 | 6 | हितग्राहियों के शासन द्वारा निर्धारित मापदंड पात्रता पूर्ण नहीं करने के कारण। |
| 4 | कबीरधाम | 581 | 29 | दस्तावेज अपूर्ण होने एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण। |
| 5 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 154 | 0 | – |
| 6 | मुंगेली | 34 | 2 | बैंक खाता नहीं खुलने के कारण |
| 7 | खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई | 170 | 0 | – |
| 8 | जशपुर | 47 | 66 | दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण |
| 9 | कोरबा | 90 | 0 | – |
| 10 | रायगढ़ | 61 | 7 | योजना के निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने के कारण |
| 11 | बलौदाबाजार | 4 | 15 | महिलाओं द्वारा पलायन होने के कारण दस्तावेज उपलब्ध नही करा पाने के कारण। |
| 12 | धमतरी | 199 | 0 | – |
| 13 | गरियाबंद | 60 | 0 | – |
| 14 | कांकेर | 10 | 0 | – |
| 15 | कोण्डागांव | 2 | 0 | – |
| 16 | महासमुंद | 0 | 0 | – |
| 17 | बलरामपुर | 279 | 7 | दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण |
| 18 | सरगुजा | 1294 | 39 | बैंक खाता आधार कार्ड से सीड नहीं होने के कारण। |
|  | योग | **3415** | **171** |  |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

I/511783/2026

परिशिष्ट - अड़तालीस

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 947) की जानकारी

प्रपत्र-अ

### रायगढ़ जिले में उर्वरक भण्डारण की जानकारी (दिनांक - 30-06-2026 की स्थिति में)

| क्र. | सहकारी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | सहकारी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | | निजी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | निजी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | सेवा सहकारी समिति कोकड़ीतराई | 272.09 | 29.75 | 0.00 | 15.00 | 24.55 | गनपति पैडी आईएफएफडीसी खरसियां | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | सेवा सहकारी समिति तरेकेला | 222.29 | 17.70 | 50.15 | 5.00 | 35.15 | संदीप ट्रेडर्स लैलूंगा | 34.25 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | सेवा सहकारी समिति तारापुर | 271.22 | 17.95 | 77.30 | 0.00 | 35.00 | संतोष ट्रेडर्स खरसियां | 842.95 | 251.45 | 635.60 | 64.40 | 652.00 |
| 4 | सेवा सहकारी समिति धनागर | 226.98 | 7.95 | 50.00 | 20.00 | 40.00 | पंडरीपानी वेस्ट फार्मर प्रोडूसर कंपनी रायगढ़ | 183.74 | 38.25 | 0.00 | 2.50 | 30.00 |
| 5 | सेवा सहकारी समिति नंदेली | 202.50 | 40.00 | 60.00 | 18.00 | 46.00 | हरिराम सुल्तानिया खरसियां | 1207.56 | 332.25 | 682.15 | 36.00 | 649.25 |
| 6 | सेवा सहकारी समिति बायंग | 164.56 | 15.00 | 60.00 | 25.00 | 34.95 | किसान इंटरप्राईजेस रायगढ़ | 61.92 | 40.00 | 18.20 | 0.00 | 81.50 |
| 7 | सेवा सहकारी समिति भातपुर | 214.92 | 45.00 | 0.00 | 14.75 | 42.25 | अग्रवाल खाद भण्डार घरघोड़ा | 191.75 | 26.00 | 20.05 | 2.00 | 0.00 |
| 8 | सेवा सहकारी समिति कांटाहरदी | 195.89 | 35.00 | 14.25 | 10.00 | 45.00 | अशोक कृषि सेवा केन्द्र पुसौर | 2.97 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 |
| 9 | सेवा सहकारी समिति बंगुरसिया | 226.95 | 34.25 | 50.00 | 12.00 | 22.00 | गोयल फर्टिलाईजर्स रायगढ़ | 850.46 | 323.25 | 243.00 | 125.50 | 491.50 |
| 10 | सेवा सहकारी समिति टारपाली | 192.44 | 25.60 | 0.00 | 27.00 | 41.65 | जितेन्द्र भोय लैलूंगा | 170.87 | 46.40 | 21.00 | 2.00 | 30.00 |
| 11 | सेवा सहकारी समिति जामगांव | 199.23 | 15.75 | 32.00 | 30.00 | 40.00 | किसान कृषि केन्द्र खरसियां | 62.87 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 12 | सेवा सहकारी समिति लोइंग | 160.93 | 0.20 | 51.10 | 33.15 | 52.00 | मांगेराम रामकुमार रायगढ़ | 141.94 | 372.20 | 539.85 | 22.00 | 315.70 |
| 13 | सेवा सहकारी समिति कोड़तराई | 237.83 | 0.00 | 257.15 | 0.00 | 38.15 | प्रगति कृषि सेवा केन्द्र लैलूंगा | 129.69 | 26.30 | 84.15 | 15.00 | 291.50 |
| 14 | सेवा सहकारी समिति कछार | 220.32 | 30.00 | 31.75 | 33.40 | 26.10 | संदीप ट्रेडर्स लैलूंगा | 66.15 | 12.00 | 79.00 | 0.00 | 78.00 |
| 15 | सेवा सहकारी समिति पुसौर | 300.17 | 0.00 | 35.00 | 32.00 | 65.00 | सतीश कुमार अग्रवाल पुसौर | 28.58 | 6.05 | 57.75 | 10.00 | 32.65 |
| 16 | सेवा सहकारी समिति पड़ीगाँव | 275.16 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 55.00 | प्रधान ट्रेडर्स पुसौर | 0.04 | 2.00 | 0.60 | 0.25 | 9.40 |
| 17 | सेवा सहकारी समिति बड़े हल्दी | 320.60 | 25.00 | 32.75 | 25.00 | 50.00 | राम अवतार अग्रवाल रायगढ़ | 9.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 16.00 |
| 18 | सेवा सहकारी समिति बड़े भंडार | 207.45 | 30.70 | 79.65 | 33.00 | 35.00 | सुनिल कुमार अग्रवाल लैलूंगा | 32.94 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | सेवा सहकारी समिति गोर्रा | 290.50 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 76.40 | जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पुसौर | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 20 | सेवा सहकारी समिति नवापारा मांड | 226.22 | 0.00 | 12.20 | 20.00 | 61.80 | सामुद्री कृषि सेवा केन्द्र धरमजयगढ़ | 125.82 | 22.85 | 2.70 | 0.00 | 10.00 |
| 21 | सेवा सहकारी समिति कोड़ातराई | 262.68 | 35.90 | 68.50 | 29.95 | 45.00 | नरेश ट्रेडर्स पुसौर | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 |
| 22 | सेवा सहकारी समिति तेलिपाली | 272.13 | 30.00 | 53.40 | 25.00 | 45.00 | हरियाली खरसियां | 272.01 | 165.20 | 49.95 | 2.00 | 55.20 |
| 23 | सेवा सहकारी समिति जतरी | 257.46 | 21.25 | 92.60 | 31.95 | 41.50 | बजरंग लाल अग्रवाल खरसियां | 224.97 | 127.35 | 0.00 | 22.00 | 30.00 |

| क्र. | सहकारी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | सहकारी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | | निजी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | निजी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | सेवा सहकारी समिति छिछोर उमारिया | 242.29 | 0.00 | 93.95 | 10.00 | 25.00 | गांधी कृषि केन्द्र धरमजयगढ़ | 130.28 | 54.30 | 35.95 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | सेवा सहकारी समिति तेतला | 251.43 | 8.30 | 214.15 | 15.40 | 29.20 | गजेन्द्र कुमार राय धरमजयगढ़ | 53.42 | 15.05 | 39.00 | 0.30 | 115.00 |
| 26 | सेवा सहकारी समिति तिलगी | 203.54 | 0.00 | 74.00 | 38.30 | 83.50 | डनसेना कृषि सेवा केन्द्र धरमजयगढ़ | 11.25 | 2.00 | 11.75 | 1.00 | 4.65 |
| 27 | सेवा सहकारी समिति कोड़पाली | 243.63 | 30.35 | 0.00 | 28.00 | 105.00 | महामाया जिंदल स्टोर घरघोड़ा | 255.86 | 11.90 | 49.75 | 0.00 | 38.00 |
| 28 | सेवा सहकारी समिति केशला ( 331 ) | 149.31 | 15.50 | 30.15 | 35.00 | 38.35 | सूरज इंटरप्राईजेस रायगढ़ | 65.69 | 5.50 | 81.75 | 27.25 | 168.50 |
| 29 | सेवा सहकारी समितिगढ़उमरिया | 303.46 | 16.35 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | गोपीराम अग्रवाल खरसियां | 61.11 | 26.40 | 11.00 | 1.55 | 12.30 |
| 30 | सेवा सहकारी समिति खरसिया | 248.04 | 60.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | साहिल कृषि केन्द्र घरघोड़ा | 9.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | सेवा सहकारी समिति हालाहुली | 392.35 | 101.95 | 108.45 | 35.50 | 50.00 | अग्रवाल खाद भण्डार पुसौर | 191.08 | 19.85 | 43.50 | 6.00 | 89.90 |
| 32 | सेवा सहकारी समिति बरगढ़ | 335.97 | 112.40 | 190.15 | 29.75 | 101.00 | प्रदीप खाद भण्डार पुसौर | 19.22 | 7.45 | 12.00 | 0.00 | 10.00 |
| 33 | सेवा सहकारी समिति तुरेकेला | 480.64 | 167.65 | 73.10 | 31.00 | 65.25 | रघुवीर भोय लैलूंगा | 252.27 | 78.10 | 10.00 | 3.00 | 130.00 |
| 34 | सेवा सहकारी समि तितिउर | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 19.50 | 95.00 | प्रतीक कृषि केन्द्र तमनार | 47.70 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 4.50 |
| 35 | सेवा सहकारी समिति चपले | 308.71 | 75.00 | 90.00 | 10.00 | 45.00 | गुप्ता कृषि केन्द्र धरमजयगढ़ | 76.77 | 19.10 | 1.75 | 2.00 | 19.00 |
| 36 | सेवा सहकारी समिति बनीपाथर | 185.14 | 47.35 | 82.05 | 25.00 | 90.00 | शंकर  ट्रेडिंग कंपनी रायगढ़ | 117.81 | 19.75 | 30.00 | 0.00 | 40.30 |
| 37 | सेवा सहकारी समिति मुरा | 248.76 | 20.00 | 89.75 | 15.00 | 30.00 | बाबा मोहन दास एग्रो वर्क पुसौर | 16.34 | 24.15 | 0.00 | 3.05 | 144.95 |
| 38 | सेवा सहकारी समिति जैमुरा | 272.52 | 28.65 | 0.00 | 24.05 | 65.00 | उदित बीज भण्डार धरमजयगढ़ | 223.85 | 2.00 | 17.00 | 0.40 | 2.00 |
| 39 | सेवा सहकारी समिति जोबी | 235.44 | 127.70 | 65.00 | 22.50 | 33.90 | संकट मोचन ट्रेडर्स खरसियां | 52.97 | 42.60 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | सेवा सहकारी समिति फरकानारा | 282.43 | 97.50 | 65.00 | 20.00 | 50.00 | दीक्षा कृषि केन्द्र पुसौर | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 34.00 |
| 41 | सेवा सहकारी समिति खडगाँव | 257.50 | 36.20 | 25.00 | 20.00 | 55.00 | विश्वास कृषि केन्द्र धरमजयगढ़ | 249.80 | 34.90 | 32.25 | 4.95 | 41.15 |
| 42 | सेवा सहकारी समिति धरमजयगढ़ | 385.20 | 64.05 | 30.00 | 30.00 | 64.90 | नवीन कृषि सेवा केन्द्र धरमजयगढ़ | 147.57 | 37.65 | 1.45 | 8.25 | 27.00 |
| 43 | सेवा सहकारी समिति दुर्गापुर | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 15.00 | 30.00 | साना ट्रेडर्स धरमजयगढ़ | 48.83 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 |
| 44 | सेवा सहकारी समिति सिसरिंगा | 371.93 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | डनसेना ट्रेडर्स घरघोड़ा | 108.99 | 8.80 | 7.35 | 1.75 | 1.00 |
| 45 | सेवा सहकारी समिति ससकोबा | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | श्री श्याम खाद भण्डार धरमजयगढ़ | 90.23 | 13.85 | 24.00 | 1.00 | 9.20 |
| 46 | सेवा सहकारी समिति खम्हार | 137.43 | 45.65 | 40.00 | 0.95 | 20.00 | जय किशन इंटरप्राईजेश पुसौर | 6.39 | 6.90 | 0.00 | 0.80 | 17.00 |
| 47 | सेवा सहकारी समिति जमरगीडीह | 207.05 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | किसान कृषि केन्द्र धरमजयगढ़ | 29.97 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | सेवा सहकारी समिति खड़गाँव | 365.00 | 14.30 | 0.00 | 35.00 | 25.00 | संजू कृषि केन्द्र तमनार | 16.88 | 1.35 | 13.50 | 0.25 | 3.75 |
| 49 | सेवा सहकारी समिति हाटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | आकाश कृषि केन्द्र धरमजयगढ़ | 282.42 | 81.25 | 26.70 | 3.30 | 28.95 |

| क्र. | सहकारी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | सहकारी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | | निजी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | निजी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | सेवा सहकारी समिति गेरसा | 206.10 | 60.00 | 0.00 | 4.65 | 18.00 | शर्मा कृषि केन्द्र घरघोड़ा | 53.73 | 0.00 | 13.75 | 0.50 | 1.85 |
| 51 | सेवा सहकारी समिति कुडेकेला | 365.09 | 74.40 | 0.00 | 10.00 | 35.00 | केदार फर्टिलाईजर्स पुसौर | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 24.15 |
| 52 | सेवा सहकारी समिति पोड़ीछाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 45.00 | मां दूर्गा ट्रेडर्स लैलूंगा | 94.73 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 12.00 |
| 53 | सेवा सहकारी समिति मुनुन्द | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 75.00 | कृषि प्रभा एग्रो बीज लि. घरघोड़ा | 118.89 | 22.25 | 35.50 | 0.00 | 17.00 |
| 54 | सेवा सहकारी समिति छाल | 135.90 | 25.35 | 0.00 | 30.00 | 79.90 | प्रधान कृषि सेवा केन्द्र धरमजयगढ़ | 68.04 | 18.40 | 2.00 | 1.00 | 0.75 |
| 55 | सेवा सहकारी समिति कापू | 241.20 | 46.40 | 0.00 | 20.00 | 35.00 | विक्की खाद भण्डार पुसौर | 45.41 | 30.75 | 0.50 | 0.75 | 8.20 |
| 56 | सेवा सहकारी समिति लिप्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | पवन पुत्र कृषि सेवा केन्द्र लैलूंगा | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 10.00 |
| 57 | सेवा सहकारी समिति घरघोड़ा | 251.96 | 66.50 | 5.00 | 25.00 | 60.00 | शर्मा कृषि सेवा केन्द्र तमनार | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 |
| 58 | सेवा सहकारी समिति कुडुमकेला | 205.53 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 59.95 | गोयल बीज भण्डार घरघोड़ा | 12.15 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 14.00 |
| 59 | सेवा सहकारी समिति कुर्मीभौना | 204.31 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 45.00 | पटेल कृषि केन्द्र घरघोड़ा | 4.95 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | सेवा सहकारी समिति टेंडानवापारा | 218.67 | 45.10 | 30.00 | 24.36 | 45.50 | अंगत कृषि केंद्र बादिमाल | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | सेवा सहकारी समिति छर्राटांगर | 246.70 | 79.70 | 30.00 | 27.50 | 75.95 | बाबा कृषि केंद्र रायगढ़ | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | सेवा सहकारी समिति तमनार | 190.63 | 27.50 | 5.65 | 22.10 | 57.30 | भोय कृषि सेवा केंद्र पुसौर | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 6.25 |
| 63 | सेवा सहकारी समिति जरेकेला | 193.27 | 54.65 | 0.00 | 33.65 | 41.25 | धरमजयगढ़ एग्रो प्रोड्सर कम्पनी धरमजयगढ़ | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | सेवा सहकारी समिति खम्हरिया | 255.20 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 | गोपेश कृषि केंद्र पुसौर | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | सेवा सहकारी समिति उरबा | 285.50 | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 55.00 | किसन लाल अग्रवाल रायगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 66 | सेवा सहकारी समिति धौराभांटा | 191.39 | 50.80 | 60.00 | 30.00 | 34.50 | कृष्णा कृषि केंद्र खरसिया | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | सेवा सहकारी समिति खुरूसलेंगा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 45.00 | नेगी कृषि केंद्र | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | सेवा सहकारी समिति हमीरपुर | 260.88 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | माँ दुर्गा कृषि सेवा केंद्र लैलूंगा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 69 | सेवा सहकारी समिति सराईटोला | 205.43 | 95.00 | 0.00 | 25.85 | 30.00 | मुनमुन उर्वरक एवं कृषि सेवा केंद्र धरमजयगढ़ | 0.09 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 70 | सेवा सहकारी समिति चितवाही | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | नारायणी स्टील खरसिया | 36.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | सेवा सहकारी समिति सराईपाली | 279.55 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | पंकज कृषि सेवा केंद्र धरमजयगढ़ | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PLGMJ/2425/2026-Agriculture Section(Technical) I/511783/2026

| क्र. | सहकारी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | सहकारी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | | निजी संस्था का नाम जिनको उर्वरक प्रदाय किया गया है | निजी संस्था को प्रदाय उर्वरक मात्रा (टन में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी | | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 72 | सेवा सहकारी समिति लैलूंगा | 157.14 | 16.50 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | प्रकाश ट्रेडर्स पुसौर पुसौर | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 73 | सेवा सहकारी समिति राजपुर | 98.28 | 15.35 | 0.30 | 8.25 | 16.60 | प्रतीक ट्रेडर्स धरमजयगढ़ | 5.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
| 74 | सेवा सहकारी समिति कोड़ासिया | 216.50 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 49.00 | राजेंद्र कृषि केंद्र - घरघोड़ा | 16.16 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 75 | सेवा सहकारी समिति घटगाँव | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 32.50 | साहू कृषि केंद्र पुसौर | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
| 76 | सेवा सहकारी समिति केशला ( 100 ) | 140.32 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | सहयोग ग्रीन प्लस कापू | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 77 | सेवा सहकारी समिति लारीपानी | 150.39 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | ठाकुर एग्रो सर्विस सेंटर घरघोड़ा | 40.41 | 33.70 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | सेवा सहकारी समिति मुकडेगा | 124.20 | 18.70 | 10.00 | 6.70 | 40.00 | केलो समृधी किसान लैलूंगा | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | सेवा सहकारी समिति लिबरा | 110.70 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| | **योग** | **16463.00** | **2597.00** | **2879.50** | **1458.26** | **3467.60** | **-** | **8022.62** | **2463.45** | **3168.00** | **388.30** | **3911.05** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:22:19

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र - ब

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech. 18-05-2026

प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. आयुक्त संभाग, सर्व ..........................
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बेंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. कलेक्टर, जिला सर्व....................
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्व.................
7. संयुक्त संचालक कृषि संभाग, सर्व...................
8. उप संचालक कृषि जिला सर्व..........................

**विशय :– राज्य में आगामी खरीफ 2026 हेतु सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

---

**प्रस्तावना** :– वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अनुशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ–साथ अन्य उपाय जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद आदि भी सम्मिलित है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव की परिस्थिति के कारण राज्य के सभी कृषकों को समानुपातिक मात्रा एवं समसामयिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

**उद्देश्य** :–

1. संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. कास्त लागत में कमी।
3. रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नीलहरित काई आदि के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति संरक्षित करना।
4. उर्वरकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग को रोकना।
5. कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) अनुरूप उर्वरकों का कृषि में उपयोग सुनिश्चित करना।

**कियान्वयन हेतु निर्देश** :–

1. खरीफ 2025 में कृषक को वितरित उर्वरक यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डी.ए.पी की 60 प्रतिशत मात्रा का ही वितरण खरीफ 2026 में किया जाना है।
2. यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया की आपूर्ति होने पर की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में नैनो यूरिया के रूप में प्रदाय की जायेगी। डी.ए.पी. की शेष 40 प्रतिशत मात्रा

अन्य वैकल्पिक एन.पी.के. उर्वरकों अथवा नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नैनो उर्वरक लेने के लिये कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

3. प्रदेश के समस्त सीमांत कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा एक मुश्त प्रदाय की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त लघु कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 से 5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 2 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
5. प्रदेश के बड़े कृषक (जिनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस एवं तृतीय किश्त द्वितीय किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
6. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कृषक को देय उर्वरक का निर्धारण बोरी की गणना के आधार पर किया जायेगा। विगत वर्ष (खरीफ 2025) वितरित उर्वरक की गणना बोरी में करने के उपरांत यूरिया हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.ए.पी. हेतु 60 प्रतिशत की गणना बोरी में ही की जायेगी। गणना में यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त न हो तो निकटतम पूर्णांक को मान्य किया जायेगा अर्थात यदि बोरी की गणना 7.2 या 7.8 प्राप्त हो तो क्रमशः 7 एवं 8 बोरी मान्य किया जायेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 18-05-2026
14:17:43

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-g.Tech. 18-05-2026

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन,पशुपालन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:23:34

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय ... अटल नगर

प्रपत्र - स

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ ।
8. उप संचालक कृषि, जिला- ................(सर्व)

विषय: राज्य में खरीफ-2026 में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

**संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech 18-05-2026**

विषयान्तर्गत वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। वर्तमान मे यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3 से 5 एतद द्वारा विलोपित किए जाते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 1 में मात्र यूरिया उर्वरक हेतु निर्धारित मात्रा 80 प्रतिशत को भी विलोपित किया जाता है, तथा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. कृषक को खरीफ 2025 में वितरित यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा मे यूरिया का विक्रय खरीफ 2026 में किया जाएगा।
2. उक्त प्रदाय एकमुश्त अथवा तत्समय संबंधित सहकारी समिति में उर्वरक उपलब्धता के आधार पर होगा । सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पात्रतानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकेगा ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 27-06-2026
15:49:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

**I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech** **दिनांक- 27/06/2026**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:24:31

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

# परिशिष्ट - उन्चास

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 953) की जानकारी

प्रपत्र–अ

### खरीफ फसल 2025–उर्वरकों का लक्ष्य, भंडारण एवं वितरण की जानकारी
### (दिनांक 30.09.2025 की स्थिति में)

इकाई मे.टन

| क्र. | जिला का नाम | यूरिया | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रायपुर | 21000 | 24228 | 23579 | 10600 | 12479 | 11222 | 31600 | 36707 | 34801 |
| 2 | गरियाबंद | 12500 | 13783 | 13041 | 7500 | 10343 | 9635 | 20000 | 24126 | 22676 |
| 3 | बलौदाबाजार | 27000 | 31538 | 29800 | 13700 | 14679 | 13132 | 40700 | 46217 | 42932 |
| 4 | महासमुंद | 30000 | 29313 | 28011 | 26100 | 31790 | 28753 | 56100 | 61103 | 56764 |
| 5 | धमतरी | 15500 | 17050 | 15997 | 10900 | 16470 | 15548 | 26400 | 33520 | 31545 |
| 6 | दुर्ग | 19500 | 22575 | 21468 | 8100 | 6944 | 6315 | 27600 | 29519 | 27783 |
| 7 | बालोद | 24200 | 21862 | 20892 | 5400 | 8063 | 6380 | 29600 | 29925 | 27272 |
| 8 | बेमेतरा | 28100 | 31849 | 30082 | 15400 | 14711 | 13779 | 43500 | 46560 | 43861 |
| 9 | राजनांदगांव | 20500 | 18612 | 17524 | 9500 | 11545 | 10941 | 30000 | 30157 | 28465 |
| 10 | खैरागढ़ | 11000 | 11362 | 10813 | 4650 | 5781 | 5353 | 15650 | 17143 | 16166 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 8000 | 7164 | 6721 | 800 | 1625 | 1379 | 8800 | 8789 | 8100 |
| 12 | कर्वधा | 21600 | 25294 | 24139 | 9900 | 13613 | 10091 | 31500 | 38907 | 34230 |
| 13 | बिलासपुर | 22100 | 23146 | 22660 | 17900 | 15985 | 13697 | 40000 | 39131 | 36357 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 3000 | 2162 | 2055 | 100 | 698 | 469 | 3100 | 2860 | 2524 |
| 15 | मुंगेली | 15200 | 13667 | 12856 | 11500 | 15116 | 14262 | 26700 | 28783 | 27118 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 19600 | 19883 | 18810 | 17000 | 18034 | 16923 | 36600 | 37917 | 35733 |
| 17 | सक्ती | 16000 | 16059 | 15656 | 7000 | 9197 | 7156 | 23000 | 25256 | 22812 |
| 18 | कोरबा | 6900 | 7083 | 6894 | 2100 | 2741 | 2590 | 9000 | 9824 | 9484 |
| 19 | रायगढ | 16100 | 17406 | 15968 | 10600 | 10597 | 9937 | 26700 | 28003 | 25905 |
| 20 | सारंगढ़ | 14000 | 15015 | 14233 | 10000 | 12626 | 11905 | 24000 | 27641 | 26138 |
| 21 | सरगुजा | 12200 | 10857 | 8925 | 7000 | 8352 | 7096 | 19200 | 19209 | 16021 |
| 22 | सूरजपुर | 11500 | 10589 | 8712 | 7400 | 11792 | 11710 | 18900 | 22381 | 20422 |
| 23 | बलरामपुर | 12000 | 8047 | 7142 | 11600 | 17508 | 16416 | 23600 | 25555 | 23558 |
| 24 | कोरिया | 5400 | 7280 | 5334 | 400 | 1397 | 858 | 5800 | 8677 | 6192 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 2900 | 2870 | 2637 | 100 | 1009 | 175 | 3000 | 3879 | 2812 |
| 26 | जशपुर | 7400 | 8945 | 8293 | 4200 | 5560 | 4957 | 11600 | 14505 | 13250 |
| 27 | जगदलपुर | 11950 | 9399 | 8849 | 8500 | 11405 | 10206 | 20450 | 20804 | 19055 |
| 28 | कोंडागांव | 19000 | 9109 | 8249 | 8000 | 23293 | 21395 | 27000 | 32402 | 29644 |
| 29 | कांकेर | 15600 | 14155 | 14099 | 11900 | 16863 | 13967 | 27500 | 31018 | 28066 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 1000 | 1829 | 1709 | 200 | 106 | 67 | 1200 | 1935 | 1776 |
| 32 | बीजापुर | 1800 | 1884 | 1759 | 300 | 471 | 353 | 2100 | 2355 | 2112 |
| 33 | नारायणपुर | 1000 | 1218 | 1198 | 100 | 597 | 349 | 1100 | 1815 | 1547 |
| महायोग | | **453550** | **455233** | **428105** | **258450** | **331391** | **297013** | **712000** | **786624** | **725118** |

| क. | जिला का नाम | डीएपी | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | रायपुर | 15800 | 11245 | 10549 | 3900 | 4754 | 3436 | 19700 | 15999 | 13985 |
| 2 | गरियाबंद | 7000 | 5267 | 4989 | 2300 | 1847 | 1604 | 9300 | 7114 | 6593 |
| 3 | बलौदाबाजार | 15000 | 10795 | 9588 | 2200 | 2927 | 1472 | 17200 | 13722 | 11060 |
| 4 | महासमुंद | 15000 | 8035 | 7200 | 7200 | 6090 | 5028 | 22200 | 14125 | 12228 |
| 5 | धमतरी | 10600 | 8948 | 8113 | 5000 | 5410 | 4318 | 15600 | 14358 | 12431 |
| 6 | दुर्ग | 11100 | 9192 | 8334 | 4700 | 3592 | 3313 | 15800 | 12784 | 11647 |
| 7 | बालोद | 10000 | 7573 | 7011 | 1300 | 4078 | 2078 | 11300 | 11651 | 9089 |
| 8 | बेमेतरा | 17000 | 12084 | 10791 | 5400 | 8223 | 6334 | 22400 | 20307 | 17125 |
| 9 | राजनांदगांव | 11000 | 6923 | 6136 | 2600 | 5304 | 3058 | 13600 | 12227 | 9194 |
| 10 | खैरागढ़ | 8300 | 5705 | 5172 | 1100 | 3957 | 2238 | 9400 | 9662 | 7410 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 3100 | 2860 | 2449 | 400 | 404 | 242 | 3500 | 3264 | 2691 |
| 12 | कर्वधा | 11200 | 8675 | 8263 | 2000 | 2606 | 1122 | 13200 | 11281 | 9385 |
| 13 | बिलासपुर | 10000 | 7989 | 6568 | 3400 | 3823 | 2749 | 13400 | 11812 | 9317 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 1200 | 903 | 875 | 500 | 217 | 176 | 1700 | 1120 | 1051 |
| 15 | मुंगेली | 4500 | 3270 | 2863 | 2000 | 1833 | 1148 | 6500 | 5103 | 4011 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 7500 | 5153 | 4575 | 2900 | 3750 | 3165 | 10400 | 8903 | 7740 |
| 17 | सक्ती | 7300 | 4396 | 4273 | 900 | 1791 | 1363 | 8200 | 6187 | 5636 |
| 18 | कोरबा | 3200 | 2634 | 2548 | 500 | 393 | 85 | 3700 | 3027 | 2633 |
| 19 | रायगढ | 8600 | 5587 | 5309 | 2400 | 2902 | 1932 | 11000 | 8489 | 7241 |
| 20 | सारंगढ़ | 7000 | 4757 | 4539 | 1700 | 2350 | 2028 | 8700 | 7107 | 6567 |
| 21 | सरगुजा | 7000 | 3447 | 1813 | 1300 | 2658 | 2188 | 8300 | 6105 | 4001 |
| 22 | सूरजपुर | 6300 | 3545 | 1836 | 800 | 2128 | 1233 | 7100 | 5673 | 3069 |
| 23 | बलरामपुर | 5500 | 2492 | 2291 | 3700 | 3124 | 2073 | 9200 | 5616 | 4364 |
| 24 | कोरिया | 3400 | 1013 | 1009 | 200 | 138 | 10 | 3600 | 1151 | 1019 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 1800 | 677 | 667 | 100 | 700 | 10 | 1900 | 1377 | 677 |
| 26 | जशपुर | 5000 | 3924 | 2947 | 2000 | 2092 | 1596 | 7000 | 6016 | 4543 |
| 27 | जगदलपुर | 6500 | 5247 | 4874 | 4600 | 5213 | 3321 | 11100 | 10460 | 8195 |
| 28 | कोंडागांव | 5400 | 4780 | 4511 | 5200 | 6324 | 5072 | 10600 | 11104 | 9583 |
| 29 | कांकेर | 7000 | 4764 | 4476 | 4000 | 4527 | 3524 | 11000 | 9291 | 8000 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 700 | 1171 | 1085 | 500 | 524 | 30 | 1200 | 1695 | 1115 |
| 32 | बीजापुर | 1300 | 1078 | 1066 | 100 | 132 | 9 | 1400 | 1210 | 1075 |
| 33 | नारायणपुर | 700 | 561 | 523 | 100 | 215 | 108 | 800 | 776 | 631 |
| महायोग | | **235000** | **164690** | **147243** | **75000** | **94027** | **66062** | **310000** | **258717** | **213305** |

| क. | जिला का नाम | एन.पी.के. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | ल़क्ष्य | भंडारण | वितरण | ल़क्ष्य | भंडारण | वितरण | ल़क्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | रायपुर | 2800 | 4574 | 4535 | 4190 | 19440 | 6888 | 6990 | 24014 | 11423 |
| 2 | गरियाबंद | 3200 | 3595 | 3581 | 2020 | 15310 | 3068 | 5220 | 18905 | 6649 |
| 3 | बलौदाबाजार | 4600 | 7604 | 7558 | 4100 | 9517 | 5857 | 8700 | 17121 | 13415 |
| 4 | महासमुंद | 3600 | 3913 | 3903 | 2660 | 8017 | 4352 | 6260 | 11930 | 8255 |
| 5 | धमतरी | 4800 | 4148 | 4099 | 5500 | 11280 | 8450 | 10300 | 15428 | 12549 |
| 6 | दुर्ग | 3000 | 3122 | 3075 | 2370 | 4801 | 4039 | 5370 | 7923 | 7114 |
| 7 | बालोद | 9400 | 6448 | 6444 | 3870 | 7360 | 6825 | 13270 | 13808 | 13269 |
| 8 | बेमेतरा | 7100 | 9347 | 9200 | 3920 | 5793 | 5420 | 11020 | 15140 | 14620 |
| 9 | राजनांदगांव | 6900 | 9452 | 9430 | 2610 | 6252 | 4725 | 9510 | 15704 | 14155 |
| 10 | खैरागढ़ | 5500 | 6172 | 6162 | 1900 | 4046 | 3433 | 7400 | 10218 | 9595 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 3900 | 2541 | 2532 | 100 | 588 | 385 | 4000 | 3129 | 2917 |
| 12 | कर्वधा | 4300 | 7876 | 7869 | 630 | 1512 | 1233 | 4930 | 9388 | 9102 |
| 13 | बिलासपुर | 3000 | 3016 | 2938 | 2220 | 4579 | 3136 | 5220 | 7595 | 6074 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 650 | 294 | 262 | 170 | 426 | 285 | 820 | 720 | 547 |
| 15 | मुंगेली | 2100 | 3054 | 2896 | 2650 | 4024 | 3394 | 4750 | 7078 | 6290 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 2300 | 2490 | 2315 | 1650 | 4776 | 3304 | 3950 | 7266 | 5619 |
| 17 | सक्ती | 3050 | 2252 | 2110 | 150 | 1924 | 679 | 3200 | 4176 | 2789 |
| 18 | कोरबा | 750 | 522 | 521 | 290 | 967 | 394 | 1040 | 1489 | 915 |
| 19 | रायगढ | 2750 | 2195 | 2091 | 1660 | 3599 | 2666 | 4410 | 5794 | 4757 |
| 20 | सारंगढ़ | 1700 | 1256 | 1250 | 810 | 2774 | 1831 | 2510 | 4030 | 3081 |
| 21 | सरगुजा | 7000 | 4501 | 4491 | 3360 | 5531 | 4546 | 10360 | 10032 | 9037 |
| 22 | सूरजपुर | 7300 | 5528 | 5460 | 3800 | 6645 | 5287 | 11100 | 12173 | 10747 |
| 23 | बलरामपुर | 5500 | 2927 | 2868 | 5450 | 7482 | 5433 | 10950 | 10409 | 8301 |
| 24 | कोरिया | 1650 | 2771 | 2762 | 250 | 1767 | 380 | 1900 | 4538 | 3142 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 780 | 1437 | 1421 | 10 | 1179 | 21 | 790 | 2616 | 1442 |
| 26 | जशपुर | 2000 | 2227 | 2088 | 1680 | 3073 | 2442 | 3680 | 5300 | 4530 |
| 27 | जगदलपुर | 3500 | 4025 | 3777 | 3560 | 6799 | 6063 | 7060 | 10824 | 9840 |
| 28 | कोंडागांव | 3900 | 3513 | 3489 | 1280 | 4107 | 3551 | 5180 | 7620 | 7040 |
| 29 | कांकेर | 6410 | 4806 | 4796 | 2050 | 4197 | 4192 | 8460 | 9003 | 8988 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 480 | 666 | 657 | 20 | 319 | 114 | 500 | 985 | 771 |
| 32 | बीजापुर | 390 | 797 | 795 | 60 | 320 | 224 | 450 | 1117 | 1019 |
| 33 | नारायणपुर | 690 | 814 | 809 | 10 | 381 | 291 | 700 | 1195 | 1100 |
| | महायोग | **115000** | **117883** | **116184** | **65000** | **158786** | **102909** | **180000** | **276669** | **219093** |

| क. | जिला का नाम | एम.ओ.पी. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | रायपुर | 1980 | 2467 | 2402 | 1340 | 6121 | 1391 | 3320 | 8588 | 3793 |
| 2 | गरियाबंद | 1500 | 1573 | 1541 | 350 | 349 | 285 | 1850 | 1922 | 1826 |
| 3 | बलौदाबाजार | 2320 | 2644 | 2634 | 640 | 672 | 329 | 2960 | 3316 | 2963 |
| 4 | महासमुंद | 2270 | 2734 | 2638 | 480 | 1039 | 563 | 2750 | 3773 | 3201 |
| 5 | धमतरी | 1380 | 1681 | 1571 | 440 | 575 | 386 | 1820 | 2256 | 1957 |
| 6 | दुर्ग | 4090 | 4535 | 4382 | 1610 | 1677 | 1339 | 5700 | 6212 | 5721 |
| 7 | बालोद | 3660 | 4242 | 4081 | 140 | 709 | 290 | 3800 | 4951 | 4371 |
| 8 | बेमेतरा | 4570 | 5335 | 5204 | 1530 | 2107 | 1331 | 6100 | 7442 | 6535 |
| 9 | राजनांदगांव | 2970 | 3678 | 3507 | 580 | 958 | 532 | 3550 | 4636 | 4039 |
| 10 | खैरागढ़ | 1730 | 1913 | 1905 | 320 | 566 | 344 | 2050 | 2479 | 2249 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 1480 | 1648 | 1610 | 20 | 132 | 53 | 1500 | 1780 | 1663 |
| 12 | कर्वधा | 2500 | 3105 | 3095 | 400 | 631 | 230 | 2900 | 3736 | 3325 |
| 13 | बिलासपुर | 750 | 1075 | 1071 | 570 | 1012 | 594 | 1320 | 2087 | 1665 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 220 | 240 | 228 | 30 | 17 | 3 | 250 | 257 | 231 |
| 15 | मुंगेली | 930 | 1333 | 1257 | 670 | 585 | 500 | 1600 | 1918 | 1757 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 710 | 1385 | 1262 | 290 | 315 | 172 | 1000 | 1700 | 1434 |
| 17 | सक्ती | 380 | 764 | 740 | 120 | 100 | 77 | 500 | 864 | 817 |
| 18 | कोरबा | 280 | 366 | 334 | 60 | 19 | 13 | 340 | 385 | 347 |
| 19 | रायगढ | 1110 | 1430 | 1387 | 240 | 439 | 292 | 1350 | 1869 | 1679 |
| 20 | सारंगढ़ | 770 | 996 | 958 | 400 | 445 | 306 | 1170 | 1441 | 1264 |
| 21 | सरगुजा | 680 | 782 | 659 | 320 | 1055 | 688 | 1000 | 1837 | 1347 |
| 22 | सूरजपुर | 160 | 853 | 793 | 70 | 846 | 221 | 230 | 1699 | 1014 |
| 23 | बलरामपुर | 150 | 380 | 353 | 530 | 862 | 547 | 680 | 1242 | 900 |
| 24 | कोरिया | 100 | 286 | 267 | 40 | 48 | 4 | 140 | 334 | 271 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 110 | 143 | 139 | 40 | 14 | 4 | 150 | 157 | 143 |
| 26 | जशपुर | 615 | 665 | 619 | 165 | 438 | 277 | 780 | 1103 | 896 |
| 27 | जगदलपुर | 2390 | 1898 | 1853 | 1350 | 2257 | 1568 | 3740 | 4155 | 3421 |
| 28 | कोंडागांव | 2290 | 2748 | 2739 | 360 | 1497 | 788 | 2650 | 4245 | 3527 |
| 29 | कांकेर | 3720 | 4195 | 4190 | 480 | 2166 | 1068 | 4200 | 6361 | 5258 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 210 | 261 | 259 | 30 | 48 | 3 | 240 | 309 | 262 |
| 32 | बीजापुर | 35 | 121 | 84 | 5 | 12 | 0 | 40 | 133 | 84 |
| 33 | नारायणपुर | 300 | 282 | 267 | 20 | 153 | 79 | 320 | 435 | 346 |
| | महायोग | **46360** | **55758** | **54029** | **13640** | **27864** | **14276** | **60000** | **83622** | **68305** |

| क्र. | जिला का नाम | एस.एस.पी. (समस्त) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | रायपुर | 1900 | 4581 | 3672 | 2700 | 10352 | 3360 | 4600 | 14933 | 7032 |
| 2 | गरियाबंद | 2800 | 3801 | 3505 | 1400 | 2113 | 1389 | 4200 | 5914 | 4894 |
| 3 | बलौदाबाजार | 3800 | 8098 | 6831 | 4200 | 6888 | 4051 | 8000 | 14986 | 10882 |
| 4 | महासमुंद | 6200 | 12662 | 11234 | 7400 | 16354 | 12398 | 13600 | 29016 | 23632 |
| 5 | धमतरी | 4100 | 7355 | 6494 | 4100 | 6320 | 4559 | 8200 | 13675 | 11053 |
| 6 | दुर्ग | 6450 | 12489 | 9095 | 4050 | 5710 | 3742 | 10500 | 18199 | 12837 |
| 7 | बालोद | 7100 | 9635 | 8403 | 2900 | 4049 | 2445 | 10000 | 13684 | 10848 |
| 8 | बेमेतरा | 6600 | 11568 | 9701 | 4400 | 6098 | 3892 | 11000 | 17666 | 13593 |
| 9 | राजनांदगांव | 5300 | 8569 | 6816 | 2700 | 4029 | 2556 | 8000 | 12598 | 9372 |
| 10 | खैरागढ़ | 3200 | 5374 | 3510 | 1800 | 2521 | 1773 | 5000 | 7895 | 5283 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 3200 | 3761 | 3734 | 800 | 925 | 471 | 4000 | 4686 | 4205 |
| 12 | कर्वधा | 11900 | 13353 | 13351 | 7600 | 10289 | 6788 | 19500 | 23642 | 20139 |
| 13 | बिलासपुर | 3400 | 7049 | 6536 | 7100 | 9315 | 6750 | 10500 | 16364 | 13286 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 450 | 689 | 544 | 250 | 296 | 204 | 700 | 985 | 748 |
| 15 | मुंगेली | 6200 | 7122 | 6385 | 9500 | 9977 | 8356 | 15700 | 17099 | 14741 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 3800 | 5082 | 4564 | 7700 | 9016 | 6963 | 11500 | 14098 | 11527 |
| 17 | सक्ती | 2200 | 5522 | 5040 | 2300 | 2852 | 1695 | 4500 | 8374 | 6735 |
| 18 | कोरबा | 1800 | 2080 | 1910 | 1700 | 2236 | 1673 | 3500 | 4316 | 3583 |
| 19 | रायगढ | 2700 | 4499 | 4025 | 3300 | 4190 | 2921 | 6000 | 8689 | 6946 |
| 20 | सारंगढ़ | 2600 | 4146 | 3911 | 4200 | 4522 | 3757 | 6800 | 8668 | 7668 |
| 21 | सरगुजा | 800 | 1822 | 1356 | 2900 | 4259 | 3127 | 3700 | 6081 | 4483 |
| 22 | सूरजपुर | 1100 | 2734 | 2060 | 2500 | 6125 | 3108 | 3600 | 8859 | 5168 |
| 23 | बलरामपुर | 1100 | 2128 | 2004 | 5800 | 17698 | 6056 | 6900 | 19826 | 8060 |
| 24 | कोरिया | 350 | 604 | 569 | 250 | 836 | 153 | 600 | 1440 | 722 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 150 | 357 | 229 | 50 | 257 | 40 | 200 | 614 | 269 |
| 26 | जशपुर | 1000 | 1279 | 1098 | 2200 | 3597 | 1881 | 3200 | 4876 | 2979 |
| 27 | जगदलपुर | 200 | 270 | 183 | 2300 | 3442 | 1578 | 2500 | 3712 | 1761 |
| 28 | कोंडागांव | 2700 | 2923 | 2892 | 1300 | 4936 | 1018 | 4000 | 7859 | 3910 |
| 29 | कांकेर | 6500 | 8119 | 7592 | 2500 | 7569 | 2777 | 9000 | 15688 | 10369 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 30 | 0 | 0 | 20 | 27 | 8 | 50 | 27 | 8 |
| 32 | बीजापुर | 30 | 20 | 0 | 20 | 40 | 28 | 50 | 60 | 28 |
| 33 | नारायणपुर | 340 | 222 | 173 | 60 | 185 | 78 | 400 | 407 | 251 |
| महायोग | | **100000** | **157913** | **137417** | **100000** | **167022** | **99596** | **200000** | **324935** | **237013** |

| क. | जिला का नाम | महायोग | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 1 | रायपुर | 43480 | 47095 | 44737 | 22730 | 53146 | 26297 | 66210 | 100241 | 71034 |
| 2 | गरियाबंद | 27000 | 28019 | 26657 | 13570 | 29963 | 15981 | 40570 | 57982 | 42638 |
| 3 | बलौदाबाजार | 52720 | 60679 | 56411 | 24840 | 34682 | 24840 | 77560 | 95361 | 81251 |
| 4 | महासमुंद | 57070 | 56657 | 52986 | 43840 | 63289 | 51094 | 100910 | 119946 | 104080 |
| 5 | धमतरी | 36380 | 39182 | 36274 | 25940 | 40055 | 33261 | 62320 | 79237 | 69535 |
| 6 | दुर्ग | 44140 | 51913 | 46354 | 20830 | 22724 | 18748 | 64970 | 74637 | 65102 |
| 7 | बालोद | 54360 | 49760 | 46831 | 13610 | 24259 | 18017 | 67970 | 74019 | 64848 |
| 8 | बेमेतरा | 63370 | 70183 | 64978 | 30650 | 36932 | 30756 | 94020 | 107115 | 95734 |
| 9 | राजनांदगांव | 46670 | 47234 | 43413 | 17990 | 28088 | 21813 | 64660 | 75322 | 65226 |
| 10 | खैरागढ़ | 29730 | 30526 | 27562 | 9770 | 16872 | 13141 | 39500 | 47398 | 40703 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 19680 | 17974 | 17046 | 2120 | 3674 | 2529 | 21800 | 21648 | 19575 |
| 12 | कर्वधा | 51500 | 58303 | 56717 | 20530 | 28652 | 19465 | 72030 | 86955 | 76182 |
| 13 | बिलासपुर | 39250 | 42275 | 39773 | 31190 | 34715 | 26927 | 70440 | 76990 | 66700 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 5520 | 4288 | 3964 | 1050 | 1654 | 1137 | 6570 | 5942 | 5101 |
| 15 | मुंगेली | 28930 | 28446 | 26257 | 26320 | 31535 | 27660 | 55250 | 59981 | 53917 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 33910 | 33993 | 31526 | 29540 | 35892 | 30527 | 63450 | 69885 | 62053 |
| 17 | सक्ती | 28930 | 28993 | 27819 | 10470 | 15865 | 10971 | 39400 | 44858 | 38790 |
| 18 | कोरबा | 12930 | 12685 | 12207 | 4650 | 6357 | 4756 | 17580 | 19042 | 16963 |
| 19 | रायगढ | 31260 | 31117 | 28780 | 18200 | 21728 | 17748 | 49460 | 52845 | 46528 |
| 20 | सारंगढ़ | 26070 | 26170 | 24891 | 17110 | 22716 | 19827 | 43180 | 48886 | 44718 |
| 21 | सरगुजा | 27680 | 21409 | 17244 | 14880 | 21855 | 17645 | 42560 | 43264 | 34889 |
| 22 | सूरजपुर | 26360 | 23249 | 18861 | 14570 | 27536 | 21558 | 40930 | 50785 | 40419 |
| 23 | बलरामपुर | 24250 | 15974 | 14658 | 27080 | 46675 | 30523 | 51330 | 62649 | 45181 |
| 24 | कोरिया | 10900 | 11954 | 9941 | 1140 | 4185 | 1445 | 12040 | 16139 | 11386 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़ | 5740 | 5484 | 5093 | 300 | 3158 | 207 | 6040 | 8642 | 5300 |
| 26 | जशपुर | 16015 | 17040 | 15045 | 10245 | 14760 | 11154 | 26260 | 31800 | 26199 |
| 27 | जगदलपुर | 24540 | 20839 | 19536 | 20310 | 29221 | 22735 | 44850 | 50060 | 42271 |
| 28 | कोंडागांव | 33290 | 23073 | 21880 | 16140 | 40261 | 31824 | 49430 | 63334 | 53704 |
| 29 | कांकेर | 39230 | 36039 | 35153 | 20930 | 35312 | 25528 | 60160 | 71351 | 60681 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 2420 | 3927 | 3710 | 770 | 1024 | 221 | 3190 | 4951 | 3931 |
| 32 | बीजापुर | 3555 | 3900 | 3704 | 485 | 974 | 614 | 4040 | 4874 | 4318 |
| 33 | नारायणपुर | 3030 | 3097 | 2970 | 290 | 1531 | 904 | 3320 | 4628 | 3874 |
| | महायोग | **949910** | **951477** | **882978** | **512090** | **779289** | **579854** | **1462000** | **1730766** | **1462832** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
11:30:56

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र—ब

खरीफ 2026 उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्र—लक्ष्य एवं भंडारण की जानकारी (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)

इकाई मे.टन

| क. | जिला का नाम | यूरिया | | | | | | डीएपी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | निजी | | योग | | सहकारी | | निजी | | योग | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | रायपुर | 24800 | 18307 | 10000 | 6761 | 34800 | 25068 | 14250 | 5879 | 4750 | 5340 | 19000 | 11219 |
| 2 | गरियाबंद | 13900 | 12169 | 8770 | 5020 | 22670 | 17189 | 6750 | 2933 | 2250 | 1444 | 9000 | 4377 |
| 3 | बलौदाबाजार | 31470 | 26137 | 11460 | 12028 | 42930 | 38165 | 12380 | 4925 | 4120 | 2106 | 16500 | 7031 |
| 4 | महासमुंद | 30000 | 25272 | 26760 | 15912 | 56760 | 41184 | 16050 | 5588 | 5350 | 4689 | 21400 | 10277 |
| 5 | धमतरी | 17000 | 15485 | 14540 | 11795 | 31540 | 27280 | 11640 | 3925 | 3860 | 2491 | 15500 | 6416 |
| 6 | दुर्ग | 22500 | 19236 | 5280 | 4380 | 27780 | 23616 | 11480 | 3874 | 3820 | 1465 | 15300 | 5339 |
| 7 | बालोद | 21500 | 21807 | 5770 | 5787 | 27270 | 27594 | 9000 | 3052 | 3000 | 802 | 12000 | 3854 |
| 8 | बेमेतरा | 31000 | 29524 | 12860 | 10145 | 43860 | 39669 | 16200 | 5425 | 5300 | 3184 | 21500 | 8609 |
| 9 | राजनांदगांव | 18500 | 20725 | 9960 | 9196 | 28460 | 29921 | 9750 | 3581 | 3250 | 1909 | 13000 | 5490 |
| 10 | खैरागढ़ | 11500 | 11613 | 4660 | 3981 | 16160 | 15594 | 6900 | 2458 | 2300 | 1569 | 9200 | 4027 |
| 11 | मानपुर—मोहला | 7200 | 7434 | 900 | 1439 | 8100 | 8873 | 2470 | 848 | 830 | 333 | 3300 | 1181 |
| 12 | कर्वधा | 26000 | 22213 | 8220 | 7520 | 34220 | 29733 | 9750 | 3360 | 3250 | 2059 | 13000 | 5419 |
| 13 | बिलासपुर | 24500 | 21256 | 11850 | 12128 | 36350 | 33384 | 9750 | 4736 | 3250 | 2197 | 13000 | 6933 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 2200 | 2444 | 320 | 776 | 2520 | 3220 | 1200 | 643 | 400 | 174 | 1600 | 817 |
| 15 | मुंगेली | 15000 | 12463 | 12110 | 8352 | 27110 | 20815 | 4880 | 1758 | 1620 | 1211 | 6500 | 2969 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 21000 | 17641 | 14730 | 8654 | 35730 | 26295 | 7650 | 1454 | 2550 | 2321 | 10200 | 3775 |
| 17 | **सक्ती** | 16500 | 15696 | 6310 | 5099 | 22810 | 20795 | 6000 | 2272 | 2000 | 1485 | 8000 | 3757 |
| 18 | कोरबा | 7100 | 7330 | 2380 | 1429 | 9480 | 8759 | 2600 | 1472 | 900 | 100 | 3500 | 1572 |
| 19 | रायगढ | 17500 | 16463 | 8400 | 8023 | 25900 | 24486 | 7800 | 2597 | 2700 | 2463 | 10500 | 5060 |
| 20 | **सारंगढ़** | 16000 | 15109 | 10130 | 6412 | 26130 | 21521 | 6380 | 2056 | 2120 | 975 | 8500 | 3031 |
| 21 | सरगुजा | 10000 | 10394 | 6020 | 4211 | 16020 | 14605 | 5250 | 3540 | 1750 | 2351 | 7000 | 5891 |
| 22 | सूरजपुर | 13000 | 11530 | 7420 | 7554 | 20420 | 19084 | 4870 | 4423 | 1630 | 2252 | 6500 | 6675 |
| 23 | बलरामपुर | 14000 | 8834 | 9550 | 9229 | 23550 | 18063 | 6000 | 3478 | 2000 | 2586 | 8000 | 6064 |
| 24 | कोरिया | 5700 | 4778 | 490 | 1500 | 6190 | 6278 | 2700 | 2134 | 900 | 581 | 3600 | 2715 |
| 25 | **मनेन्द्रगढ़** | 2700 | 2733 | 110 | 1000 | 2810 | 3733 | 1500 | 950 | 500 | 356 | 2000 | 1306 |
| 26 | जशपुर | 8500 | 7841 | 4750 | 1958 | 13250 | 9799 | 5250 | 3922 | 1750 | 1368 | 7000 | 5290 |
| 27 | जगदलपुर | 11500 | 11555 | 7550 | 5143 | 19050 | 16698 | 7880 | 4354 | 2620 | 3493 | 10500 | 7847 |
| 28 | कोंडागांव | 17000 | 9362 | 12640 | 13247 | 29640 | 22609 | 8250 | 3629 | 2750 | 3284 | 11000 | 6913 |
| 29 | कांकेर | 16000 | 15715 | 12060 | 9907 | 28060 | 25622 | 7870 | 2694 | 2630 | 1452 | 10500 | 4146 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 1730 | 1442 | 45 | 230 | 1775 | 1672 | 1150 | 766 | 50 | 43 | 1200 | 809 |
| 32 | बीजापुर | 1900 | 2259 | 210 | 189 | 2110 | 2448 | 1350 | 575 | 50 | 117 | 1400 | 692 |
| 33 | नारायणपुर | 1300 | 1234 | 245 | 195 | 1545 | 1429 | 700 | 281 | 100 | 90 | 800 | 371 |
| | महायोग | **478500** | **426001** | **246500** | **199200** | **725000** | **625201** | **225650** | **93582** | **74350** | **56292** | **300000** | **149874** |

| क. | जिला का नाम | एन.पी.के. | | | | | | एम.ओ.पी. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | निजी | | योग | | सहकारी | | निजी | | योग | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | रायपुर | 4500 | 3472 | 8000 | 8790 | 12500 | 12262 | 2900 | 2801 | 1400 | 2189 | 4300 | 4990 |
| 2 | गरियाबंद | 3800 | 2827 | 3700 | 2616 | 7500 | 5443 | 1950 | 1706 | 450 | 156 | 2400 | 1862 |
| 3 | बलौदाबाजार | 7700 | 5824 | 6800 | 10814 | 14500 | 16638 | 2800 | 2900 | 700 | 2339 | 3500 | 5239 |
| 4 | महासमुंद | 5000 | 4313 | 4500 | 3152 | 9500 | 7465 | 3000 | 2842 | 500 | 539 | 3500 | 3381 |
| 5 | धमतरी | 4200 | 5644 | 9300 | 3642 | 13500 | 9286 | 1900 | 1907 | 600 | 255 | 2500 | 2162 |
| 6 | दुर्ग | 4300 | 3619 | 3700 | 2745 | 8000 | 6364 | 5000 | 4968 | 1300 | 708 | 6300 | 5676 |
| 7 | बालोद | 6500 | 12134 | 7500 | 3056 | 14000 | 15190 | 4300 | 4698 | 500 | 499 | 4800 | 5197 |
| 8 | बेमेतरा | 10000 | 6589 | 5500 | 3440 | 15500 | 10029 | 5600 | 5303 | 1400 | 1088 | 7000 | 6391 |
| 9 | राजनांदगांव | 9800 | 8834 | 5200 | 2421 | 15000 | 11255 | 3600 | 4271 | 900 | 311 | 4500 | 4582 |
| 10 | खैरागढ़ | 6500 | 3915 | 3700 | 3017 | 10200 | 6932 | 2100 | 2038 | 500 | 429 | 2600 | 2467 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 2600 | 3091 | 1200 | 239 | 3800 | 3330 | 1800 | 1445 | 200 | 152 | 2000 | 1597 |
| 12 | कर्वधा | 8500 | 5837 | 1800 | 2723 | 10300 | 8560 | 3200 | 3056 | 300 | 655 | 3500 | 3711 |
| 13 | बिलासपुर | 3000 | 5910 | 4200 | 2916 | 7200 | 8826 | 1500 | 1504 | 400 | 656 | 1900 | 2160 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 700 | 597 | 300 | 263 | 1000 | 860 | 350 | 367 | 50 | 30 | 400 | 397 |
| 15 | मुंगेली | 3800 | 3116 | 3300 | 2239 | 7100 | 5355 | 1800 | 1335 | 400 | 250 | 2200 | 1585 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 3300 | 3242 | 3200 | 2752 | 6500 | 5994 | 1500 | 1648 | 400 | 666 | 1900 | 2314 |
| 17 | **सक्ती** | 3000 | 6681 | 1000 | 1872 | 4000 | 8553 | 1000 | 1010 | 200 | 154 | 1200 | 1164 |
| 18 | कोरबा | 800 | 390 | 700 | 315 | 1500 | 705 | 450 | 547 | 50 | 31 | 500 | 578 |
| 19 | रायगढ | 2500 | 2880 | 3500 | 3168 | 6000 | 6048 | 1600 | 1458 | 500 | 388 | 2100 | 1846 |
| 20 | **सारंगढ़** | 2200 | 1487 | 2300 | 1264 | 4500 | 2751 | 1250 | 1289 | 350 | 234 | 1600 | 1523 |
| 21 | सरगुजा | 5000 | 5620 | 5000 | 2047 | 10000 | 7667 | 1200 | 778 | 300 | 1073 | 1500 | 1851 |
| 22 | सूरजपुर | 6000 | 7478 | 5500 | 4039 | 11500 | 11517 | 1150 | 870 | 250 | 414 | 1400 | 1284 |
| 23 | बलरामपुर | 3500 | 3270 | 7000 | 2981 | 10500 | 6251 | 1000 | 892 | 200 | 682 | 1200 | 1574 |
| 24 | कोरिया | 3000 | 1073 | 1000 | 945 | 4000 | 2018 | 450 | 348 | 50 | 63 | 500 | 411 |
| 25 | **मनेन्द्रगढ़** | 1500 | 541 | 500 | 834 | 2000 | 1375 | 250 | 209 | 50 | 56 | 300 | 265 |
| 26 | जशपुर | 2800 | 1234 | 2700 | 899 | 5500 | 2133 | 1000 | 883 | 200 | 174 | 1200 | 1057 |
| 27 | जगदलपुर | 3700 | 2495 | 6800 | 3091 | 10500 | 5586 | 2500 | 2443 | 1700 | 795 | 4200 | 3238 |
| 28 | कोंडागांव | 4500 | 3199 | 4500 | 5028 | 9000 | 8227 | 3200 | 2232 | 800 | 1170 | 4000 | 3402 |
| 29 | कांकेर | 5900 | 5410 | 5100 | 4282 | 11000 | 9692 | 4800 | 3649 | 1200 | 1413 | 6000 | 5062 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 900 | 300 | 100 | 60 | 1000 | 360 | 350 | 327 | 50 | 144 | 400 | 471 |
| 32 | बीजापुर | 1300 | 171 | 100 | 90 | 1400 | 261 | 90 | 107 | 10 | 36 | 100 | 143 |
| 33 | नारायणपुर | 1300 | 178 | 200 | 190 | 1500 | 368 | 400 | 221 | 100 | 47 | 500 | 268 |
| महायोग | | **132100** | **121371** | **117900** | **85933** | **250000** | **207304** | **63990** | **60052** | **16010** | **17795** | **80000** | **77847** |

इकाई मे.टन

| क्र. | जिला का नाम | एस.एस.पी. | | | | | | महायोग | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सहकारी | | निजी | | योग | | सहकारी | | निजी | | योग | |
| | | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण | लक्ष्य | भंडारण |
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | रायपुर | 2300 | 5020 | 2800 | 8715 | 5100 | 13735 | 48750 | 35479 | 26950 | 31794 | 75700 | 67273 |
| 2 | गरियाबंद | 2100 | 3149 | 2100 | 1966 | 4200 | 5115 | 28500 | 22784 | 17270 | 11201 | 45770 | 33985 |
| 3 | बलौदाबाजार | 4000 | 5529 | 4000 | 10832 | 8000 | 16361 | 58350 | 45315 | 27080 | 38119 | 85430 | 83434 |
| 4 | महासमुंद | 6800 | 10573 | 9800 | 9029 | 16600 | 19602 | 60850 | 48588 | 46910 | 33322 | 107760 | 81910 |
| 5 | धमतरी | 4100 | 6968 | 4100 | 5587 | 8200 | 12555 | 38840 | 33929 | 32400 | 23772 | 71240 | 57701 |
| 6 | दुर्ग | 5250 | 9072 | 5250 | 4173 | 10500 | 13245 | 48530 | 40769 | 19350 | 13470 | 67880 | 54239 |
| 7 | बालोद | 5000 | 10779 | 5000 | 3418 | 10000 | 14197 | 46300 | 52470 | 21770 | 13563 | 68070 | 66033 |
| 8 | बेमेतरा | 5500 | 10073 | 5500 | 6429 | 11000 | 16502 | 68300 | 56914 | 30560 | 24286 | 98860 | 81200 |
| 9 | राजनांदगांव | 4000 | 8173 | 4000 | 4794 | 8000 | 12967 | 45650 | 45584 | 23310 | 18632 | 68960 | 64216 |
| 10 | खैरागढ़ | 2500 | 4418 | 2300 | 2090 | 4800 | 6508 | 29500 | 24442 | 13460 | 11086 | 42960 | 35528 |
| 11 | मानपुर–मोहला | 2000 | 3954 | 1800 | 1081 | 3800 | 5035 | 16070 | 16772 | 4930 | 3244 | 21000 | 20016 |
| 12 | कर्वधा | 9750 | 9590 | 9250 | 5791 | 19000 | 15381 | 57200 | 44056 | 22820 | 18748 | 80020 | 62804 |
| 13 | बिलासपुर | 5250 | 6319 | 5250 | 7608 | 10500 | 13927 | 44000 | 39725 | 24950 | 25505 | 68950 | 65230 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 350 | 383 | 350 | 283 | 700 | 666 | 4800 | 4434 | 1420 | 1526 | 6220 | 5960 |
| 15 | मुंगेली | 7850 | 7285 | 6850 | 6390 | 14700 | 13675 | 33330 | 25957 | 24280 | 18442 | 57610 | 44399 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 5750 | 4989 | 5250 | 5528 | 11000 | 10517 | 39200 | 28974 | 26130 | 19921 | 65330 | 48895 |
| 17 | **सक्ती** | 2250 | 5035 | 2250 | 3327 | 4500 | 8362 | 28750 | 30694 | 11760 | 11938 | 40510 | 42632 |
| 18 | कोरबा | 1750 | 2274 | 1750 | 915 | 3500 | 3189 | 12700 | 12013 | 5780 | 2790 | 18480 | 14803 |
| 19 | रायगढ | 3000 | 3468 | 3000 | 3911 | 6000 | 7379 | 32400 | 26866 | 18100 | 17952 | 50500 | 44818 |
| 20 | **सारंगढ़** | 3400 | 3602 | 3400 | 2837 | 6800 | 6439 | 29230 | 23543 | 18300 | 11723 | 47530 | 35266 |
| 21 | सरगुजा | 1850 | 1469 | 1850 | 5850 | 3700 | 7319 | 23300 | 21801 | 14920 | 15533 | 38220 | 37334 |
| 22 | सूरजपुर | 1800 | 2422 | 1800 | 2930 | 3600 | 5352 | 26820 | 26723 | 16600 | 17189 | 43420 | 43912 |
| 23 | बलरामपुर | 3450 | 2248 | 3450 | 5233 | 6900 | 7481 | 27950 | 18722 | 22200 | 20711 | 50150 | 39433 |
| 24 | कोरिया | 300 | 583 | 300 | 325 | 600 | 908 | 12150 | 8916 | 2740 | 3414 | 14890 | 12330 |
| 25 | **मनेन्द्रगढ़** | 100 | 220 | 100 | 215 | 200 | 435 | 6050 | 4653 | 1260 | 2462 | 7310 | 7115 |
| 26 | जशपुर | 1600 | 1033 | 1400 | 1920 | 3000 | 2953 | 19150 | 14913 | 10800 | 6319 | 29950 | 21232 |
| 27 | जगदलपुर | 1250 | 214 | 550 | 1283 | 1800 | 1497 | 26830 | 21061 | 19220 | 13805 | 46050 | 34866 |
| 28 | कोंडागांव | 2000 | 3163 | 1900 | 1509 | 3900 | 4672 | 34950 | 21585 | 22590 | 24239 | 57540 | 45824 |
| 29 | कांकेर | 4500 | 6028 | 4500 | 4014 | 9000 | 10042 | 39070 | 33496 | 25490 | 21069 | 64560 | 54565 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 25 | 0 | 25 | 33 | 50 | 33 | 4155 | 2835 | 270 | 510 | 4425 | 3345 |
| 32 | बीजापुर | 25 | 20 | 25 | 50 | 50 | 70 | 4665 | 3132 | 395 | 482 | 5060 | 3614 |
| 33 | नारायणपुर | 200 | 89 | 100 | 72 | 300 | 161 | 3900 | 2003 | 745 | 593 | 4645 | 2596 |
| | महायोग | **100000** | **138142** | **100000** | **118138** | **200000** | **256280** | **1000240** | **839148** | **554760** | **477358** | **1555000** | **1316506** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
11:32:06

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र—स

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक—953 द्वारा डॉ. चरण दास महंत, मान. सदस्य छ.ग. विधानसभा के प्रश्नांश ''स'' की जानकारी
खरीफ 2026 में उर्वरकों की मांग, आबंटन एवं प्राप्त मात्रा की जानकारी (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)

इकाई मे.टन

| क्र. | उर्वरक का नाम | राज्य सरकार द्वारा मांग | भारत सरकार द्वारा आबंटन/लक्ष्य | दिनांक 01.04.2026 की स्थिति में बचत मात्रा | भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक | | दिनांक 30.06.2026 तक कुल भण्डारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आबंटित मात्रा | प्राप्त मात्रा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | यूरिया | 725000 | 725000 | 260376 | 482100 | 364825 | **625201** |
| 2 | डी.ए.पी. | 300000 | 300000 | 104311 | 210850 | 45563 | **149874** |
| 3 | एन.पी.के. | 250000 | 250000 | 174064 | 198650 | 33240 | **207304** |
| 4 | एम.ओ.पी. | 80000 | 80000 | 50497 | 68600 | 27350 | **77847** |
| 5 | एस.एस.पी. | 200000 | 200000 | 181771 | 185450 | 74509 | **256280** |
| | **योग** | **1555000** | **1555000** | **771019** | **1145650** | **545487** | **1316506** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
11:33:28

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - पचास

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 960) की जानकारी

प्रपत्र-अ

## जिला कोरबा के हसदेव बांगो जलाशय का वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक वार्षिक उत्पादन की जानकारी

| क्र. | वर्ष | लीज ठेकेदार का नाम | जलाशय का मत्स्योत्पादन (कि.ग्रा. में) | केज का मत्स्योत्पादन (कि.ग्रा. में) | कुल मत्स्योत्पादन (कि.ग्रा. में) | प्रति हैक्टेयर औसत मत्स्योत्पादन (कि.ग्रा. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2022-23 | श्री इरशाद खान, सिविल लाईन्स, जंगल पारा नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) | 162227.00 | 194370.00 | 356597.00 | 31.01 |
| 2 | 2023-24 | श्री इरशाद खान, सिविल लाईन्स, जंगल पारा नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) | 137058.00 | 279175.00 | 416233.00 | 36.19 |
| 3 | 2024-25 | श्री इरशाद खान, सिविल लाईन्स, जंगल पारा नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) | 221937.00 | 917723.00 | 1139660.00 | 99.10 |
| 4 | 2025-26 | श्री इरशाद खान, सिविल लाईन्स, जंगल पारा नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.) | 48259.00 | 1594800.00 | 1643059.00 | 142.87 |
| 5 | | श्री छत्रपाल पटेल, जय मां भवानी दुर्गा मंदिर के पास, रेल्वे एफ.सी.आई. गेट, भरत नगर, गुढ़ियारी रायपुर (छ.ग.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग** | | | **569481.00** | **2986068.00** | **3555549.00** | **309.18** |

**सही/-अस्पष्ट**
**प्रबंध संचालक**
**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.**
**रायपुर (छ.ग.)**

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

प्रपत्र-ब

### हसदेव बांगो जलाशय से वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि में प्राप्त आय की जानकारी

| क्र. | वर्ष | जलाशय की लीज से वार्षिक आय | | | | केज मत्स्यपालन से वार्षिक आय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मत्स्य महासंघ | विभाग | मछुआरों | ठेकेदार | मत्स्य महासंघ | विभाग | मछुआरों | ठेकेदार |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2022-23 | 336228.00 | 383230.00 | नवीन मछली पालन नीति 2022 के पूर्व दिनांक 26.11.2015 का अनुबंध होने के कारण उत्पादकता बोनस की पात्रता नहीं है | जानकारी उपलब्ध नहीं | 0.00 | 0.00 | 1710456.00 | जानकारी उपलब्ध नहीं |
| 2 | 2023-24 | 163677.00 | 790987.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2456740.00 | |
| 3 | 2024-25 | 482625.00 | 482876.00 | | | 0.00 | 0.00 | 8075962.00 | |
| 4 | 2025-26 | 1468699.00 | 1275000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 14034240.00 | |

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
मछली पालन विभाग

PLGMJ-2401/870/2026-Agriculture Section(Technical) परिशिष्ट - इक्यावन I/516105/2026

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 988) की जानकारी

प्रपत्र- अ

खरीफ वर्ष 2026 में डीएपी एवं यूरिया के भण्डारण एवं वितरण की जिलावार सहकारी क्षेत्र की जानकारी
(दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)

| क्रं. | जिले का नाम | यूरिया | | डी. ए. पी. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल भंडारण | वितरण | कुल भंडारण | वितरण |
| 1 | रायपुर | 15206 | 9428 | 5242 | 3778 |
| 2 | गरियाबंद | 9127 | 5321 | 2421 | 1607 |
| 3 | बलौदा बाजार | 24305 | 14088 | 4116 | 3380 |
| 4 | महासमुंद | 18743 | 9825 | 4798 | 2634 |
| 5 | धमतरी | 11969 | 8325 | 3217 | 2191 |
| 6 | दुर्ग | 13530 | 9315 | 3153 | 2862 |
| 7 | बालोद | 16522 | 13001 | 3063 | 2431 |
| 8 | बेमेतरा | 20487 | 15250 | 5230 | 4929 |
| 9 | राजनांदगांव | 17014 | 13233 | 2863 | 2517 |
| 10 | कवर्धा | 18106 | 12460 | 3512 | 2673 |
| 11 | खैरागढ़ | 8544 | 6479 | 2127 | 1888 |
| 12 | मानपुर-मोहला | 6544 | 4920 | 946 | 831 |
| 13 | बस्तर | 6445 | 3966 | 3319 | 2336 |
| 14 | कोंडागांव | 5707 | 2351 | 1758 | 746 |
| 15 | नारायणपुर | 1122 | 718 | 269 | 261 |
| 16 | कांकेर | 9794 | 5437 | 2089 | 1110 |
| 17 | दंतेवाड़ा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | सुकमा | 1224 | 637 | 386 | 176 |
| 19 | बीजापुर | 1443 | 864 | 513 | 233 |
| 20 | बिलासपुर | 17743 | 12413 | 4215 | 2692 |
| 21 | पेन्ड्रा | 2175 | 857 | 623 | 252 |
| 22 | मुगेली | 9465 | 6903 | 1696 | 1140 |
| 23 | जांजगीर | 13971 | 8785 | 1686 | 1302 |
| 24 | सक्ती | 13890 | 7734 | 2052 | 1028 |
| 25 | कोरबा | 5562 | 3642 | 1099 | 927 |
| 26 | सरगुजा | 7989 | 5804 | 3270 | 2427 |
| 27 | बलरामपुर | 6282 | 2335 | 2749 | 954 |
| 28 | सूरजपुर | 8261 | 5877 | 3254 | 1734 |
| 29 | कोरिया | 4218 | 1198 | 2764 | 554 |
| 30 | मनेन्द्रगढ़ | 1649 | 602 | 745 | 312 |
| 31 | रायगढ़ | 13440 | 8419 | 2505 | 1969 |
| 32 | सारंगढ़ | 8816 | 3662 | 1314 | 892 |
| 33 | जशपुर | 5889 | 3483 | 3149 | 1782 |
| योग | | **325180** | **207330** | **80143** | **54548** |

Digitally signed by Vikas Mishra Date: 10-07-2026 18:32:05

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–ब

## ''खरीफ वर्ष 2026 में सहकारी समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु बैकों द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट की जिलेवार जानकारी

राशि लाख में

| क्र. | जिले का नाम | वर्ष 2026-27 हेतु स्वीकृत साख सीमा |
|---|---|---|
| 1 | रायपुर | 2252.00 |
| 2 | गरियाबंद | 984.00 |
| 3 | बलौदाबाजार | 2159.00 |
| 4 | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | 390.00 |
| 5 | महासमुंद | 1948.00 |
| 6 | धमतरी | 1862.00 |
| | **योग :–** | **9595.00** |
| 7 | दुर्ग | 1669.00 |
| 8 | बालोद | 1893.00 |
| 9 | बेमेतरा | 1617.00 |
| | **योग :–** | **5179.00** |
| 10 | राजनांदगांव | 7369.00 |
| 11 | खेरागढ़–छुईखदान–गण्डई | 4451.00 |
| 12 | मोहला–मानपुर–चौकी | 2669.00 |
| 13 | कबीरधाम | 5885.00 |
| | **योग :–** | **20374.00** |
| 14 | बस्तर | 416.00 |
| 15 | बीजापुर | 168.00 |
| 16 | दन्तेवाड़ा | 38.00 |
| 17 | कांकेर | 1003.50 |
| 18 | कोंडागांव | 960.00 |
| 19 | नारायणपुर | 120.00 |
| 20 | सुकमा | 136.50 |
| | **योग :–** | **2842.00** |

| क्र. | जिले का नाम | वर्ष 2026-27 हेतु स्वीकृत साख सीमा |
|---|---|---|
| 21 | बिलासपुर | 2218.50 |
| 22 | गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही | 294.00 |
| 23 | मुगेंली | 1231.80 |
| 24 | जांजगीर | 1495.90 |
| 25 | सक्ती | 759.00 |
| 26 | कोरबा | 1091.00 |
| | **योग :–** | **7090.20** |
| 27 | सरगुजा | 1440.00 |
| 28 | बलरामपुर | 1755.00 |
| 29 | सूरजपुर | 1440.00 |
| 30 | कोरिया | 365.00 |
| 31 | एम.सी.बी. | 460.00 |
| | **योग :–** | **5460.00** |
| 32 | रायगढ़ | 1518.50 |
| 33 | सारंगढ़ | 911.00 |
| 34 | जशपुर | 412.50 |
| | **योग :–** | **2842.00** |
| | **महायोग :–** | **53382.20** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:32:54

**(विकास मिश्रा)**
**उप सांचेव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

PLGMJ-2401/870/2026-Agriculture Section(Technical) I/516112/2026

प्रपत्र–स

**जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव एवं बिलासपुर में वर्ष 2025–26 एवं वर्ष 2026–27 में स्वीकृत उर्वरक साख सीमा की तुलनात्मक जानकारी**

(राशि लाख में)

| क्र. | जिले का नाम | वर्ष **2025-26** हेतु स्वीकृत साख सीमा | वर्ष **2026-27** हेतु स्वीकृत साख सीमा |
|---|---|---|---|
| 1 | राजनांदगांव | 5270.00 | 7369.00 |
| 2 | खेरागढ़–छुईखदान–गण्डई | 2869.00 | 4451.00 |
| 3 | मोहला–मानपुर–चौकी | 1539.00 | 2669.00 |
| 4 | कबीरधाम | 4116.00 | 5885.00 |
| | **योग :–** | **13794.00** | **20374.00** |
| 5 | बिलासपुर | 1951.00 | 2218.50 |
| 6 | गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही | 185.00 | 294.00 |
| 7 | मुगेंली | 1183.80 | 1231.80 |
| 8 | जांजगीर | 1477.40 | 1495.90 |
| 9 | सक्ती | 466.00 | 759.00 |
| 10 | कोरबा | 1015.00 | 1091.00 |
| | **योग :–** | **6278.20** | **7090.20** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:33:48

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - बावन
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 998) की जानकारी

PLGMJ/2414/2026-Agriculture Section(Technical) I/511838/2026

प्रपत्र—अ

जिला जशपुर में खरीफ 2026 अंतर्गत उर्वरकवार, विकासखंडवार, लक्ष्य, भंडारण एवं वितरण की जानकारी (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)

इकाई—मे.टन

| क्र. | जिला | विकास खण्ड | युरिया | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जशपुर | जशपुर | 600.00 | 132.18 | 75.29 | 300.00 | 34.79 | 0.00 | 900.00 | 166.96 | 75.29 |
| 2 | | मनोरा | 500.00 | 119.70 | 108.81 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 119.70 | 108.81 |
| 3 | | दुलदुला | 500.00 | 150.98 | 112.86 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 150.98 | 112.86 |
| 4 | | कुनकुरी | 800.00 | 435.15 | 192.35 | 450.00 | 13.00 | 8.06 | 1250.00 | 448.15 | 200.40 |
| 5 | | कांसाबेल | 850.00 | 542.79 | 298.09 | 450.00 | 320.00 | 103.00 | 1300.00 | 862.79 | 401.09 |
| 6 | | फरसाबहार | 850.00 | 687.38 | 355.58 | 450.00 | 69.00 | 24.39 | 1300.00 | 756.38 | 379.97 |
| 7 | | बगीचा | 1800.00 | 1658.80 | 571.05 | 1100.00 | 478.00 | 316.00 | 2900.00 | 2136.80 | 887.05 |
| 8 | | पत्थलगांव | 2600.00 | 4114.16 | 1769.00 | 1400.00 | 1043.00 | 725.00 | 4000.00 | 5157.16 | 2494.00 |
| | योग | | **8500.00** | **7841.12** | **3483.02** | **4750.00** | **1957.79** | **1176.45** | **13250.00** | **9798.91** | **4659.47** |

| क्र. | जिला | विकास खण्ड | डीएपी | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जशपुर | जशपुर | 400.00 | 224.55 | 86.20 | 150.00 | 6.00 | 0.00 | 550.00 | 230.55 | 86.20 |
| 2 | | मनोरा | 350.00 | 121.30 | 98.85 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 121.30 | 98.85 |
| 3 | | दुलदुला | 400.00 | 115.00 | 68.55 | 150.00 | 7.00 | 3.80 | 550.00 | 122.00 | 72.35 |
| 4 | | कुनकुरी | 500.00 | 242.50 | 109.50 | 150.00 | 27.00 | 24.45 | 650.00 | 269.50 | 133.95 |
| 5 | | कांसाबेल | 600.00 | 300.45 | 171.60 | 150.00 | 176.00 | 110.60 | 750.00 | 476.45 | 282.20 |
| 6 | | फरसाबहार | 600.00 | 472.00 | 189.05 | 200.00 | 15.00 | 11.90 | 800.00 | 487.00 | 200.95 |
| 7 | | बगीचा | 1000.00 | 998.50 | 370.05 | 300.00 | 613.00 | 471.00 | 1300.00 | 1611.50 | 841.05 |
| 8 | | पत्थलगांव | 1400.00 | 1448.00 | 688.00 | 500.00 | 524.00 | 369.00 | 1900.00 | 1972.00 | 1057.00 |
| | योग | | **5250.00** | **3922.30** | **1781.80** | **1750.00** | **1368.00** | **990.75** | **7000.00** | **5290.30** | **2772.55** |

PLGMJ/2414/2026-Agriculture Section(Technical) I/511838/2026

इकाई–मे.टन

| क्र. | जिला | विकास खण्ड | एनपीके | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जशपुर | जशपुर | 250.00 | 7.20 | 4.99 | 200.00 | 20.00 | 0.00 | 450.00 | 27.20 | 4.99 |
| 2 | | मनोरा | 250.00 | 27.95 | 18.37 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 27.95 | 18.37 |
| 3 | | दुलदुला | 250.00 | 26.00 | 15.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 26.00 | 15.00 |
| 4 | | कुनकुरी | 300.00 | 15.00 | 5.55 | 200.00 | 12.00 | 5.30 | 500.00 | 27.00 | 10.85 |
| 5 | | कांसाबेल | 300.00 | 81.05 | 47.20 | 300.00 | 182.00 | 60.00 | 600.00 | 263.05 | 107.20 |
| 6 | | फरसाबहार | 300.00 | 116.20 | 18.73 | 350.00 | 32.00 | 20.10 | 650.00 | 148.20 | 38.83 |
| 7 | | बगीचा | 500.00 | 211.45 | 88.15 | 550.00 | 250.00 | 163.00 | 1050.00 | 461.45 | 251.15 |
| 8 | | पत्थलगांव | 650.00 | 749.60 | 255.00 | 800.00 | 403.00 | 278.10 | 1450.00 | 1152.60 | 533.10 |
| | योग | | **2800.00** | **1234.45** | **452.98** | **2700.00** | **899.00** | **526.50** | **5500.00** | **2133.45** | **980.00** |

| क्र. | जिला | विकास खण्ड | एमओपी | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सहकारी | | | निजी | | | योग | | |
| | | | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण | लक्ष्य | भंडारण | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जशपुर | जशपुर | 55.00 | 20.65 | 18.15 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 75.00 | 21.65 | 18.15 |
| 2 | | मनोरा | 55.00 | 22.50 | 15.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 22.50 | 15.60 |
| 3 | | दुलदुला | 55.00 | 23.95 | 15.85 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 23.95 | 15.85 |
| 4 | | कुनकुरी | 60.00 | 12.50 | 7.00 | 20.00 | 3.00 | 2.00 | 80.00 | 15.50 | 9.00 |
| 5 | | कांसाबेल | 85.00 | 35.40 | 18.60 | 20.00 | 11.00 | 2.00 | 105.00 | 46.40 | 20.60 |
| 6 | | फरसाबहार | 90.00 | 149.15 | 25.00 | 20.00 | 3.00 | 0.75 | 110.00 | 152.15 | 25.75 |
| 7 | | बगीचा | 250.00 | 173.95 | 112.30 | 35.00 | 65.00 | 28.00 | 285.00 | 238.95 | 140.30 |
| 8 | | पत्थलगांव | 350.00 | 445.00 | 137.00 | 45.00 | 91.00 | 47.00 | 395.00 | 536.00 | 184.00 |
| | योग | | **1000.00** | **883.10** | **349.50** | **200.00** | **174.00** | **79.75** | **1200.00** | **1057.10** | **429.25** |

इकाई–मे.टन

| क्र. | जिला | विकास खण्ड | एस.एस.पी. सहकारी लक्ष्य | एस.एस.पी. सहकारी भंडारण | एस.एस.पी. सहकारी वितरण | एस.एस.पी. निजी लक्ष्य | एस.एस.पी. निजी भंडारण | एस.एस.पी. निजी वितरण | एस.एस.पी. योग लक्ष्य | एस.एस.पी. योग भंडारण | एस.एस.पी. योग वितरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जशपुर | जशपुर | 150.00 | 19.10 | 13.65 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 250.00 | 23.10 | 13.65 |
| 2 | | मनोरा | 150.00 | 28.50 | 19.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 28.50 | 19.80 |
| 3 | | दुलदुला | 150.00 | 14.05 | 9.75 | 100.00 | 2.00 | 0.70 | 250.00 | 16.05 | 10.45 |
| 4 | | कुनकुरी | 150.00 | 11.00 | 7.25 | 100.00 | 13.00 | 5.40 | 250.00 | 24.00 | 12.65 |
| 5 | | कांसाबेल | 200.00 | 42.40 | 12.85 | 100.00 | 233.00 | 19.80 | 300.00 | 275.40 | 32.65 |
| 6 | | फरसाबहार | 200.00 | 140.15 | 24.95 | 200.00 | 26.00 | 12.00 | 400.00 | 166.15 | 36.95 |
| 7 | | बगीचा | 250.00 | 179.35 | 56.25 | 300.00 | 914.00 | 434.00 | 550.00 | 1093.35 | 490.25 |
| 8 | | पत्थलगांव | 350.00 | 598.00 | 118.00 | 400.00 | 728.00 | 221.00 | 750.00 | 1326.00 | 339.00 |
| | योग | | **1600.00** | **1032.55** | **262.50** | **1400.00** | **1920.00** | **692.90** | **3000.00** | **2952.55** | **955.40** |

| क्र. | जिला | विकास खण्ड | महायोग सहकारी लक्ष्य | महायोग सहकारी भंडारण | महायोग सहकारी वितरण | महायोग निजी लक्ष्य | महायोग निजी भंडारण | महायोग निजी वितरण | महायोग योग लक्ष्य | महायोग योग भंडारण | महायोग योग वितरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जशपुर | जशपुर | 1455.00 | 403.68 | 198.27 | 770.00 | 65.79 | 0.00 | 2225.00 | 469.46 | 198.27 |
| 2 | | मनोरा | 1305.00 | 319.95 | 261.43 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.00 | 319.95 | 261.43 |
| 3 | | दुलदुला | 1355.00 | 329.98 | 222.01 | 720.00 | 9.00 | 4.50 | 2075.00 | 338.98 | 226.51 |
| 4 | | कुनकुरी | 1810.00 | 716.15 | 321.65 | 920.00 | 68.00 | 45.21 | 2730.00 | 784.15 | 366.85 |
| 5 | | कांसाबेल | 2035.00 | 1002.09 | 548.34 | 1020.00 | 922.00 | 295.40 | 3055.00 | 1924.09 | 843.74 |
| 6 | | फरसाबहार | 2040.00 | 1564.88 | 613.31 | 1220.00 | 145.00 | 69.14 | 3260.00 | 1709.88 | 682.45 |
| 7 | | बगीचा | 3800.00 | 3222.05 | 1197.80 | 2285.00 | 2320.00 | 1412.00 | 6085.00 | 5542.05 | 2609.80 |
| 8 | | पत्थलगांव | 5350.00 | 7354.76 | 2967.00 | 3145.00 | 2789.00 | 1640.10 | 8495.00 | 10143.76 | 4607.10 |
| | महायोग | | **19150.00** | **14913.52** | **6331.00** | **10800.00** | **6318.79** | **3467.00** | **29950.00** | **21232.31** | **9798.00** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:34:04

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/511840/2026

प्रपत्र–ब

जशपुर जिले की बीज मांग, भण्डारण एवं वितरण की जानकारी

(मात्रा क्विं. में )

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | फसल | बीज मांग/लक्ष्य | बीज भण्डारण | बीज वितरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जशपुर | धान | 530.50 | 429.38 | 221.18 |
| | | रागी | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 2.56 | 2.56 |
| | | अरहर | 35.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | उड़द | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 2.00 | 0.50 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 6.96 | 6.96 |
| जशपुर कुल योगः– | | | **680.50** | **459.40** | **250.70** |
| 2 | मनोरा | धान | 520.50 | 504.50 | 340.70 |
| | | रागी | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 2.48 | 2.48 |
| | | अरहर | 35.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | उड़द | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 2.00 | 8.14 | 8.14 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 4.96 | 4.96 |
| मनोरा कुल योगः– | | | **671.50** | **540.08** | **376.28** |

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | फसल | बीज मांग/लक्ष्य | बीज भण्डारण | बीज वितरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 | दुलदुला | धान | 342.50 | 633.80 | 374.90 |
| | | रागी | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | अरहर | 30.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | उड़द | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| दुलदुला कुल योगः– | | | **486.50** | **659.80** | **400.90** |
| 4 | कुनकुरी | धान | 625.50 | 446.00 | 339.80 |
| | | रागी | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | अरहर | 34.00 | 20.60 | 20.60 |
| | | उड़द | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| कुनकुरी कुल योगः– | | | **773.50** | **481.60** | **375.40** |

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | फसल | बीज मांग/लक्ष्य | बीज भण्डारण | बीज वितरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | कांसाबेल | धान | 669.50 | 902.00 | 273.20 |
| | | रागी | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 9.96 | 9.96 |
| | | अरहर | 40.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | उड़द | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 18.88 | 18.88 |
| कांसाबेल कुल योगः– | | | **833.50** | **955.84** | **327.04** |
| 6 | फरसाबहार | धान | 711.50 | 841.40 | 300.50 |
| | | रागी | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | अरहर | 40.00 | 61.00 | 0.00 |
| | | उड़द | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 100.00 | 331.60 | 0.00 |
| | | तिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| फरसाबहार कुल योगः– | | | **909.50** | **1264.00** | **300.50** |

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | फसल | बीज मांग/लक्ष्य | बीज भण्डारण | बीज वितरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | बगीचा | धान | 1832.50 | 1958.30 | 566.30 |
| | | रागी | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | अरहर | 40.00 | 126.40 | 126.40 |
| | | उड़द | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| बगीचा कुल योगः– | | | **2039.50** | **2114.70** | **722.70** |
| 8 | पत्थलगांव | धान | 3144.50 | 1980.22 | 1165.12 |
| | | रागी | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंग | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | अरहर | 40.00 | 127.00 | 0.00 |
| | | उड़द | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल्थी | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | मूंगफली | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | तिल | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | रामतिल | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ढ़ेंचा | 0.00 | 19.20 | 0.00 |
| पत्थलगांव कुल योगः– | | | **3351.50** | **2136.42** | **1165.12** |
| महायोगः– | | | **9746.00** | **8611.84** | **3918.64** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:35:02

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र - स

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech. 18-05-2026

प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. आयुक्त संभाग, सर्व ..........................
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बेंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. कलेक्टर, जिला सर्व....................
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्व................
7. संयुक्त संचालक कृषि संभाग, सर्व...................
8. उप संचालक कृषि जिला सर्व..........................

विशय :– राज्य में आगामी खरीफ 2026 हेतु सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

**प्रस्तावना** :– वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अनुशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ–साथ अन्य उपाय जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद आदि भी सम्मिलित है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव की परिस्थति के कारण राज्य के सभी कृषकों को समानुपातिक मात्रा एवं समसामयिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

उद्देश्य :–

1. संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. कास्त लागत में कमी।
3. रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नीलहरित काई आदि के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति संरक्षित करना।
4. उर्वरकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग को रोकना।
5. कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) अनुरूप उर्वरकों का कृषि में उपयोग सुनिश्चित करना।

कियान्वयन हेतु निर्देश :–

1. खरीफ 2025 में कृषक को वितरित उर्वरक यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डी.ए.पी की 60 प्रतिशत मात्रा का ही वितरण खरीफ 2026 में किया जाना है।
2. यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया की आपूर्ति होने पर की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में नैनो यूरिया के रूप में प्रदाय की जायेगी। डी.ए.पी. की शेष 40 प्रतिशत मात्रा

अन्य वैकल्पिक एन.पी.के. उर्वरकों अथवा नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नैनो उर्वरक लेने के लिये कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

3. प्रदेश के समस्त सीमांत कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा एक मुश्त प्रदाय की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त लघु कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 से 5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 2 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
5. प्रदेश के बड़े कृषक (जिनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस एवं तृतीय किश्त द्वितीय किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
6. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कृषक को देय उर्वरक का निर्धारण बोरी की गणना के आधार पर किया जायेगा। विगत वर्ष (खरीफ 2025) वितरित उर्वरक की गणना बोरी में करने के उपरांत यूरिया हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.ए.पी. हेतु 60 प्रतिशत की गणना बोरी में ही की जायेगी। गणना में यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त न हो तो निकटतम पूर्णांक को मान्य किया जायेगा अर्थात यदि बोरी की गणना 7.2 या 7.8 प्राप्त हो तो क्रमशः 7 एवं 8 बोरी मान्य किया जायेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 18-05-2026
14:17:43

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-g.Tech. | 18-05-2026

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन,पशुपालन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:36:14

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, ... अटल नगर

प०प७-ट

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ ।
8. उप संचालक कृषि, जिला- ................(सर्व)

विषय: राज्य में खरीफ-2026 में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

**संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech 18-05-2026**

विषयान्तर्गत वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। वर्तमान मे यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3 से 5 एतद द्वारा विलोपित किए जाते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 1 में मात्र यूरिया उर्वरक हेतु निर्धारित मात्रा 80 प्रतिशत को भी विलोपित किया जाता है, तथा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. कृषक को खरीफ 2025 में वितरित यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा मे यूरिया का विक्रय खरीफ 2026 में किया जाएगा।
2. उक्त प्रदाय एकमुश्त अथवा तत्समय संबंधित सहकारी समिति में उर्वरक उपलब्धता के आधार पर होगा । सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलबधता की स्थिति में कृषक की पात्रतानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकेगा ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 27-06-2026
15:49:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

**I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech** **दिनांक- 27/06/2026**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
14:37:47

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशिष्ट - तिरपन

### परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 1011) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

| क्र. | कर्मचारियों के नाम | पदनाम | मूल पदस्थापना | वर्तमान मे कार्यरत स्थान | कार्यरत दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजीव पाठक | सहायक अभियंता | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कोरिया | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला कोरिया | 06.08.2025 |
| 2 | श्री अजमल जावेद सिद्धीकी | सहायक अभियंता | कार्या. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मुख्यालय नवा रायपुर । | कार्या. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मुख्यालय नवा रायपुर | 18.02.2026 |
| 3 | श्री अजित कुमार तिग्गा | सहायक अभियंता | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बस्तर | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला दुर्ग | 18.02.2026 |
| 4 | श्री संजय कुमार गुप्ता | सहायक अभियंता | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला दुर्ग | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायपुर | 01.01.2026 |
| 5 | श्री आर.एल. घृतलहरे | सहायक अभियंता | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बिलासपुर | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बस्तर | 01.01.2026 |
| 6 | श्री लक्ष्मण सिंह नेताम | उप-अभियंता | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला राजनादगांव | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला राजनादगांव | 22.05.2012 |
| 7 | श्री प्रकाश अनंत | उप-अभियंता | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला दंतेवाड़ा | कार्या. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बिलासपुर | 01.01.2026 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "ब"

| क्रमांक | परियोजना का नाम | परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक तिथि |
|---|---|---|
| 1 | ए.आदि.वि.परि. नारायणपुर | 20.02.2021 |
| 2 | ए.आदि.विकास.परि. दंतेवाड़ा | 08.07.2021<br>20.02.2023<br>08.05.2023 |
| 3 | ए.आदि.विकास.परि. सुकमा | 16.03.2021<br>17.05.2022<br>08.10.2025 |
| 4 | ए.आदि.विकास.परि. कोण्डागांव | 09.04.2021<br>19.06.2022 |
| 5 | ए.आदि.विकास.परि. जगदलपुर | - |
| 6 | ए.आदि.विकास.परि. बीजापुर | 23.11.2022 |
| 7 | ए.आदि.विकास.परि. भानुप्रतापपुर (कांकेर) | 17.08.2021 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र ' ।

(राशि लाखों

| क्रमांक | परियोजना का नाम | वर्ष | आबंटित राशि | स्वीकृत कार्य का भौतिक स्थिति | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्वीकृत कार्य | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ए.आदि.विकास.परि. जगदलपुर | 2021-22 | 163.30 | 7 | 6 | 1 | |
| | | 2022-23 | 79.25 | 36 | 36 | 0 | |
| | | 2023-24 | 917.25 | 54 | 43 | 11 | |
| | | 2024-25 | 283.50 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | |
| | **योग** | | **1443.30** | **99** | **85** | **14** | |
| 2 | ए.आदि.विकास.परि. कोण्डागांव | 2021-22 | 177.25 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 2022-23 | 85.71 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 2023-24 | 1109.77 | 53 | 40 | 13 | वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु 359.44 लाख सम्मिलि |
| | | 2024-25 | 189.00 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 87 | 0 | 87 | |
| | **योग** | | **1561.73** | **143** | **42** | **101** | |
| 3 | ए.आदि.विकास.परि. दंतेवाड़ा | 2021-22 | 743.10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 2022-23 | 778.21 | 32 | 32 | 0 | |
| | | 2023-24 | 921.81 | 22 | 6 | 16 | |
| | | 2024-25 | 472.50 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 60 | 0 | 60 | |
| | **योग** | | **2915.62** | **124** | **48** | **76** | |
| 4 | ए.आदि.विकास.परि. सुकमा | 2021-22 | 742.03 | 8 | 8 | 0 | |
| | | 2022-23 | 1003.16 | 13 | 12 | 1 | |
| | | 2023-24 | 369.56 | 28 | 24 | 4 | |
| | | 2024-25 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | |
| | **योग** | | **2209.25** | **62** | **44** | **18** | |

| क्रमांक | परियोजना का नाम | वर्ष | आबंटित राशि | स्वीकृत कार्य का भौतिक स्थिति | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्वीकृत कार्य | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | ए.आदि.विकास.परि. बीजापुर | 2021-22 | 567.76 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 2022-23 | 649.48 | 39 | 39 | 0 | |
| | | 2023-24 | 2354.88 | 92 | 26 | 66 | |
| | | 2024-25 | 1674.00 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | |
| | **योग** | | **5246.12** | **143** | **71** | **72** | |
| 6 | ए.आदि.वि.परि. नारायणपुर | 2021-22 | 713.94 | 8 | 4 | 4 | |
| | | 2022-23 | 82.95 | 15 | 8 | 7 | |
| | | 2023-24 | 205.09 | 22 | 5 | 17 | |
| | | 2024-25 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 290 | 0 | 290 | |
| | **योग** | | **1096.48** | **335** | **17** | **318** | |
| 7 | ए.आदि.विकास.परि. भानुप्रतापपुर (कांकेर) | 2021-22 | 912.94 | 16 | 15 | 1 | |
| | | 2022-23 | 228.53 | 6 | 4 | 2 | |
| | | 2023-24 | 1174.08 | 58 | 34 | 24 | |
| | | 2024-25 | 490.50 | 0 | 0 | 0 | वर्ष 2023-24 मे स्वीकृत कार्यों की शेष राशि |
| | | 2025-26 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | |
| | **योग** | | **2806.05** | **84** | **53** | **31** | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "द"

| क्र | वर्ष | प्रस्तावक का नाम | प्रस्तावित कार्य का नाम | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | **2023.24** | | | |
| 1 | 2023.24 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में नलकूप खनन कार्य | स्वीकृत |
| 2 | 2023.24 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | शौचालय एवं स्नानागार निर्माण | . |
| 3 | 2023.24 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आहता निर्माण कार्य | . |
| 4 | 2023.24 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | कीचन शेड निर्माण कार्य | स्वीकृत |
| 5 | 2023.24 | स्वास्थ्य विभाग | Physiotherapy Equipment | . |
| 6 | 2023.24 | स्वास्थ्य विभाग | Physiotherapy Room | . |
| 7 | 2023.24 | वनमंडलाधिकारी केशकाल | तालाब निर्माण | . |
| 8 | 2023.24 | वनमंडलाधिकारी केशकाल | अमचूर प्ररसंस्करण केन्द्र की स्थापना | . |
| 9 | 2023.24 | वनमंडलाधिकारी केशकाल | वनोपज के संग्रहण प्रस्संकरण पर प्रशिक्षण | . |
| 10 | 2023.24 | विद्युत विभाग | अविद्युतिकृत ग्राम एवं बसाहट में विद्युतिकरण कार्य | . |
| 11 | 2023.24 | माननीय विधायक केशकाल | लाइब्रेरी स्थापना कार्य | स्वीकृत |
| 12 | 2023.24 | माननीय विधायक केशकाल | विकासखण्ड केशकाल एवं बड़ेराजपुर में बोरखनन कार्य | . |
| 13 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी में कृषि उपकरण प्रदाय | . |
| 14 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | कोण्डागांव जिला अंतर्गत निजी खेतों में फेन्सिंग कार्य | . |
| 15 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | लाख प्रशिक्षण एवं कीट प्रदाय | . |
| 16 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | मधुमक्खी पालन एवं कीट प्रदाय | . |
| 17 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | ईंट निर्माण प्रशिक्षणण् एवं कीट प्रदाय | . |
| 18 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | कौशल विकास कार्यक्रम | . |
| 19 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | मिनी ऑइल मिल प्रदाय | . |
| 20 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | मिनी राईस मिल प्रदाय | . |
| 21 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | मिनी मिलेट मिल प्रदाय | . |
| 22 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में पुस्तक प्रदाय | . |
| 23 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास | . |
| 24 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | स्कूलों में फर्निचर प्रदाय | . |
| 25 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | कम्प्यूटर लैब की स्थापना | स्वीकृत |
| 26 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | पुस्तकालय की स्थापना | स्वीकृत |
| 27 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | खेल मैदान का निर्माण | . |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में स्मार्ट किचन | . |
| 29 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | नलकूप खनन कार्य | . |
| 30 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | सब्जी बीज मिनी कीट प्रदाय | . |
| 31 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | भवन निर्माण चिपावण्ड | . |
| 32 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | ओपन जिम | . |
| 33 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | कन्या आश्रम/छात्रावासों में बारबेड वायर फेसिंग | स्वीकृत |
| 34 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | अहाता निर्माण कार्य | . |
| 35 | 2023.24 | माननीय विधायक कोण्डागांव | अतिरिक्त कक्ष एवं अहाता निर्माण कार्य | स्वीकृत |
| 36 | 2023.24 | माननीय विधायक नारायणपुर | सी.सी. सड़क निर्माण | . |
| 37 | 2023.24 | माननीय विधायक नारायणपुर | पुलिया निर्माण | . |
| 38 | 2023.24 | पशुपालन विभाग | निर्माण ईकाई | . |
| 39 | 2023.24 | पशुपालन विभाग | प्रसंस्करण इकाई हेतु मशीनों की स्थापना | . |
| 40 | 2023.24 | पशुपालन विभाग | प्रसंस्करण इकाई हेतु भवन | . |
| 41 | 2023.24 | पशुपालन विभाग | डेयरी इकाई स्थापना | . |
| 42 | 2023.24 | पशुपालन विभाग | डेयरी इकाई स्थापना हेतु शेड निर्माण | . |
| | **2024.25** | | | |
| 1 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में नलकूप खनन सह सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य | . |
| 2 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में आर.ओ. प्यूरीफायर की स्थापना | . |
| 3 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में कम्प्यूटर लाईब्रेरी की स्थापना | . |
| 4 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में लाईब्रेरी की स्थापना | . |
| 5 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | . |
| 6 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में बारबेड वायर फेसिंग कार्य | . |
| 7 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में आहाता निर्माण कार्य | . |
| 8 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों भवन निर्माण कार्य | . |
| 9 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में किचन शेड निर्माण कार्य | . |
| 10 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में सैनिक कक्ष निर्माण कार्य | . |
| 11 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में अधीक्षक आवास गृह निर्माण कार्य | . |
| 12 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण कार्य | . |
| 13 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा स्थापना कार्य | . |
| 14 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में गैस कनेक्शन का प्रदाय | . |
| 15 | 2024.25 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में पहुंच मार्ग निर्माण | . |
| 16 | 2024.25 | माननीय विधायक कोण्डागांव | सी.सी. सड़क निर्माण | . |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2024.25 | माननीय विधायक कोण्डागांव | पुलिया निर्माण | . |
| 18 | 2024.25 | माननीय विधायक कोण्डागांव | छात्रावास/आश्रमों में खेल कीट, फर्नीचर, पलंग, गद्दा, बर्तन, इत्यादि का प्रदाय | . |
| 19 | 2024.25 | माननीय विधायक कोण्डागांव | छात्रावास/आश्रमों हेतु AC/DC हायब्रिड स्ट्रीट लाईट स्थापना प्रति छात्रावास 06 नग | . |
| 20 | 2024.25 | माननीय विधायक कोण्डागांव | ग्रामीण अंचल हेतु शुद्ध पानी ड्यूल पम्प त्व् वाटर कूलर के साथ स्थापना कार्य | . |
| 21 | 2024.25 | माननीय विधायक कोण्डागांव | ग्रामीण अंचल हेतु हायब्रिड हाईमास्ट लाईट की स्थापना | . |
| 22 | 2024.25 | जनपद पंचायत केशकाल | पुलिया निर्माण | . |
| 23 | 2024.25 | जनपद पंचायत फरसगांव | पुलिया निर्माण | . |
| 24 | 2024.25 | उद्यानिकी विभाग | सामुदायिक फेसिंग कार्य | . |
| 25 | 2024.25 | कृषि विभाग | नलकूप खनन् सह पंप प्रतिस्थापन कार्य | . |
| 26 | 2024.25 | कृषि विभाग | नलकूप खनन् सह पंप प्रतिस्थापन कार्य शैलो नलकूप खनन् कार्य (उथला नलकूप) | . |
| | **2025.26** | | | |
| 1 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | एकलव्य की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान | स्वीकृत |
| 2 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | . |
| 3 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में बारबेड वायर फेसिंग कार्य | स्वीकृत |
| 4 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में आहता निर्माण कार्य | . |
| 5 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावास भवन निर्माण कार्य | . |
| 6 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में किचन शेड निर्माण कार्य | . |
| 7 | 2025.26 | सहायक आयुक्त आ०वि० कोण्डागांव | आश्रम/छात्रावासों में नलकूप खनन सह सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य | स्वीकृत |
| 8 | 2025.26 | कृषि विभाग | स्प्रेयर पंप का प्रदाय | . |
| 9 | 2025.26 | कृषि विभाग | पावर विडर इंजिन का प्रदाय | . |
| 10 | 2025.26 | कृषि विभाग | पावर रियर का प्रदाय | . |
| 11 | 2025.26 | मत्स्य विभाग | मछली जाल प्रदाय | . |
| 12 | 2025.26 | जनपद पंचायत केशकाल | पुलिया निर्माण | . |
| 13 | 2025.26 | जनपद पंचायत केशकाल | आंगनबाड़ी निर्माण कार्य | . |
| 14 | 2025.26 | जनपद पंचायत कोण्डागांव | पुलिया निर्माण | . |
| 15 | 2025.26 | जनपद पंचायत कोण्डागांव | शेड निर्माण कार्य | . |
| 16 | 2025.26 | जनपद पंचायत कोण्डागांव | आंगनबाड़ी निर्माण कार्य | . |
| 17 | 2025.26 | जनपद पंचायत कोण्डागांव | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण | . |
| 18 | 2025.26 | जनपद पंचायत फरसगांव | पुलिया निर्माण | . |
| 19 | 2025.26 | जनपद पंचायत फरसगांव | आंगनबाड़ी निर्माण कार्य | . |
| 20 | 2025.26 | जनपद पंचायत माकड़ी | पुलिया निर्माण | . |
| 21 | 2025.26 | जनपद पंचायत माकड़ी | आंगनबाड़ी निर्माण कार्य | . |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025.26 | जनपद पंचायत माकड़ी | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण | . |
| 23 | 2025.26 | जनपद पंचायत माकड़ी | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण | . |
| 24 | 2025.26 | जनपद पंचायत बड़ेराजपुर | आंगनबाड़ी निर्माण कार्य | . |
| 25 | 2025.26 | जनपद पंचायत बड़ेराजपुर | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण | . |
| 26 | 2025.26 | जनपद पंचायत बड़ेराजपुर | पुलिया निर्माण | . |
| 27 | 2025.26 | जनपद पंचायत बड़ेराजपुर | देवगुड़ी निर्माण | . |
| 28 | 2025.26 | जनपद पंचायत बड़ेराजपुर | घोटूल निर्माण | . |
| 29 | 2025.26 | जिला शिक्षा अधिकारी | अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | . |
| 30 | 2025.26 | माननीय विधायक केशकाल | आश्रम/छात्रावासों में कबड्डी मैट प्रदाय | . |
| 31 | 2025.26 | माननीय विधायक केशकाल | आश्रम/छात्रावासों में ओपन जिम | स्वीकृत |
| 32 | 2025.26 | माननीय विधायक केशकाल | कन्या आश्रम/छात्रावासों में सेनेटरी पैड एवं इन्सीनरेटर मशीन | स्वीकृत |
| 33 | 2025.26 | माननीय विधायक केशकाल | आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने हेतु वाद्ययंत्र एवं वेशभूषा | . |
| 34 | 2025.26 | माननीय विधायक केशकाल | आश्रम/छात्रावासों में बिस्तर प्रदाय | . |
| 35 | 2025.26 | माननीय विधायक केशकाल | हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास | . |
| 36 | 2025.26 | माननीय विधायक कोण्डागांव | छात्रावास/आश्रमों में खेल कीट, फर्नीचर, पलंग, गद्दा, बर्तन, इत्यादि का प्रदाय | . |
| 37 | 2025.26 | माननीय विधायक कोण्डागांव | ग्रामीण अंचल हेतु शुद्ध पानी ड्यूल पम्प RO वाटर कूलर के साथ स्थापना कार्य | . |
| 38 | 2025.26 | माननीय विधायक कोण्डागांव | ग्रामीण अंचल हेतु हायब्रिड हाईमास्ट लाईट की स्थापना | . |
| 39 | 2025.26 | माननीय विधायक कोण्डागांव | छात्रावास/आश्रमों हेतु AC/DC हायब्रिड स्ट्रीट लाईट स्थापना प्रति छात्रावास 06 नग | . |
| 40 | 2025.26 | माननीय सांसद बस्तर | आदिवासी हितग्राहियों के लिए बोरखनन कार्य | . |
| 41 | 2025.26 | माननीय सांसद बस्तर | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण | . |
| 42 | 2025.26 | माननीय सांसद बस्तर | पुलिया निर्माण | . |
| 43 | 2025.26 | परियोजना प्रशासक कोण्डागांव | परियोजना कार्यालय का मरम्मत/नवीनीकरण कार्य | स्वीकृत |
| 44 | 2025.26 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव | चेक डेम का निर्माण | . |
| 45 | 2025.26 | मृदा संरक्षण विभाग कोण्डागांव | चेक डेम का निर्माण | . |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चौवन

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 1014) की जानकारी

प्रपत्र –''अ''

| क्रमांक | विकासखंड का नाम | संचालित छात्रावासों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | लुण्ड्रा | 12 |
| 2 | अम्बिकापुर | 5 |
| 3 | लखनपुर | 3 |
| योग | | 20 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र– "ब"

वित्तीय वर्ष 2023–2024 से दिनांक 15.06.2026 तक छात्रावासों हेतु की गई सामग्री खरीदी एवं विभाग द्वारा की गई सामग्री सप्लाई की जानकारी

वर्ष 2023–24

| क्र. | सामग्री का नाम | की राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | पानी टंकी | 29778 |
| 2 | कड़ाही | 18912 |
| 3 | डस्टबीन | 28400 |
| 4 | फिनाईल | 45540 |
| 5 | आलमीरा | 16000 |
| 6 | जग | 1050 |
| 7 | थाली | 1815 |
| 8 | गिलास | 6120 |
| 9 | कुर्सी | 13725 |
| 10 | भगोना | 11032 |
| 11 | गद्दा | 45000 |
| 12 | एल.इ.डी. ट्यूबलाईट | 5576 |
| | योगः– | **222948** |
| | विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री | |
| **1** | चादर | 79820 |
| **2** | कम्बल | 62961 |
| | योगः– | **142781** |
| | वर्ष 2024–25 | |
| 1 | गद्दा | 162000 |
| 2 | फिनाईल | 32670 |
| 3 | ट्यूबलाईट | 67056 |
| 4 | मच्छरदानी | 111205 |
| 5 | तखत | 60139 |
| 6 | आलमीरा | 63000 |
| 7 | डस्टबीन | 14200 |
| 8 | एस0मॉडल कुर्सी | 51737 |
| 9 | टेबल | 61016 |
| 10 | इमरजेंसी बल्ब | 59950 |
| 11 | पंखा | 49000 |
| 12 | पानी जग | 8190 |
| 13 | डस्टबीन छोटा | 28500 |
| 14 | प्लास्टिक बाल्टी | 28500 |
| 15 | डोर मैट | 47250 |
| 16 | शु–रैक | 51700 |
| 17 | प्लास्टिक कुर्सी | 42000 |
| 18 | गिलास | 15250 |
| 19 | थाली | 24600 |
| | योगः– | **977963** |

| क्र. | सामग्री का नाम | की राशि |
|---|---|---|
| | विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री | |
| 1 | चादर | 84135 |
| 2 | कम्बल | 120000 |
| | योगः– | **204135** |
| | वर्ष 2025–26 | |
| 1 | प्लास्टिक चेयर | 39200 |
| 2 | मच्छरदानी | 127075 |
| 3 | वॉल फेन | 43200 |
| 4 | फिनाईल | 68750 |
| 5 | पंखा | 157275 |
| 6 | स्ट्रीट लाईट | 225600 |
| 7 | आयरन रैक | 63000 |
| 8 | स्टील गिलास | 5650 |
| 9 | एल0ई0डी0बल्ब | 76200 |
| 10 | स्टील जग | 4200 |
| 11 | तखत | 134447 |
| 12 | भगोना | 112200 |
| 13 | गद्दा | 103688 |
| 14 | कुकर | 99998 |
| 15 | डोर मैट | 41400 |
| 16 | दर्पण | 43000 |
| 17 | दिवाल घड़ी | 32000 |
| 18 | टॉयलेट क्लिनर | 4500 |
| 19 | करछी | 6780 |
| 20 | शु–रैक | 59800 |
| 21 | पेटी | 54989 |
| 22 | अनाज कोठी | 70000 |
| 23 | परदा | 32175 |
| 24 | तकिया | 55440 |
| 25 | सेनेटरी नैपकीन | 3760 |
| | योगः– | **1664327** |
| | विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री | |
| 1 | चादर | 97969 |
| | योगः– | **97969** |
| | टीप – वर्ष 2026–27 में वर्तमान तिथि तक सामग्री का क्रय नही किया गया है। | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र– ''स''

राशन एवं भोजन सामग्री खरीदी की जानकारी

| क्र. | विकास खण्ड का नाम | संस्था का नाम | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री का नाम | राशि | सामग्री का नाम | राशि | सामग्री का नाम | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | लुण्ड्रा | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास धौरपुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 627597 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 614494 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 644002 |
| 2 | | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास दुन्दू | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 629000 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 638138 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 646000 |
| 3 | | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बरगीडीह | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 628621 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 633983 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 642344 |
| 4 | | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास लमगांव | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 492490 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 476383 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 515992 |
| 5 | | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास लुण्ड्रा | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 615590 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 657167 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 719482 |
| 6 | | प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास उदारी | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 624537 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 626230 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 612942 |
| 7 | | प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बरगीडीह | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 629000 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 635582 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 646000 |
| 8 | | प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास करौली | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 623645 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 624402 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 638671 |
| 9 | | प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास धौरपुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 622127 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 627190 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 617781 |
| 10 | | प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास लुण्ड्रा | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 612905 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 686248 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 621085 |
| 11 | | पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास लुण्ड्रा | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 587200 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 566000 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 686440 |
| 12 | | पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास लुण्ड्रा | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 589600 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 603400 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 666640 |
| योगः– | | | | 7282312 | | 7389217 | | 7657379 |

| क्र. | विकास खण्ड का नाम | संस्था का नाम | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री का नाम | राशि | सामग्री का नाम | राशि | सामग्री का नाम | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | लखनपुर | षासकीय प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास कुन्नी | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 628875 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 622225 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 641962 |
| 14 | | षासकीय प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास नावापारा | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 574600 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 610781 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 642837 |
| 15 | | षासकीय प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास अरगोती | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 626550 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 616990 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 638889 |
| | | योगः– | | **1830025** | | **1849996** | | **1923688** |
| 16 | अम्बिकापुर | प्री. मै. अ.ज.जा बालक छात्रावास सखौली अ.पुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 600233 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 606915 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 623066 |
| 17 | | प्री. मै. अ.ज.जा बालक छात्रावास करजी अ.पुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 433654 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 454386 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 593018 |
| 18 | | प्री. मै. अ.ज.जा बालक छात्रावास दरिमा अ.पुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 418961 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 464972 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 445485 |
| 19 | | प्री. मै. अ.ज.जा कन्या छात्रावास करजी अ.पुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 333389 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 634888 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 625592 |
| 20 | | प्री. मै. अ.ज.जा कन्या छात्रावास दरिमा अ.पुर | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 585179 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 563668 | चावल,दाल,सब्जी, तेल, मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्री | 626650 |
| | | योगः– | | **2371416** | | **2724829** | | **2913811** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशिष्ट - पचपन

### परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 1015) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि लाखों में)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष | विकासखंड का नाम | कार्य संख्या | स्वीकृत राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1) | जनवरी 2023 से मार्च 2023 (2022–23) | अम्बिकापुर | 9 | 179.79 | – |
| 2 | | | लुण्ड्रा | 9 | 419.99 | – |
| 3 | | | बतौली | 1 | 152.97 | – |
| 5 | | | मैनपाट | 1 | 24.00 | – |
| 6 | | | लखनपुर | 6 | 879.46 | – |
| 7 | | | उदयपुर | 2 | 315.73 | – |
| | | | **योग :–** | **28** | **1971.94** | – |
| 1 | | 2023–24 | अम्बिकापुर | 8 | 426.800 | – |
| 2 | | | लुण्ड्रा | 5 | 211.40 | – |
| 3 | | | बतौली | 6 | 43.78 | – |
| 4 | | | सीतापुर | 6 | 27.25 | – |
| 5 | | | मैनपाट | 4 | 29.06 | – |
| 6 | | | लखनपुर | 6 | 28.37 | – |
| 7 | | | उदयपुर | 5 | 26.82 | – |
| | | | **योग :–** | **40** | **793.48** | – |
| 1 | | 2024–25 | अम्बिकापुर | 0 | 0.00 | |
| 2 | | | लुण्ड्रा | 0 | 0.00 | |
| 3 | | | बतौली | 0 | 0.00 | |
| 4 | | | सीतापुर | 0 | 0.00 | |
| 5 | | | मैनपाट | 0 | 0.00 | |
| 6 | | | लखनपुर | 0 | 0.00 | |
| 7 | | | उदयपुर | 0 | 0.00 | |
| | | | **योग :–** | **0** | **0.00** | |
| 1 | | 2025–26 | अम्बिकापुर | 22 | 1774.12 | शासन से कार्य की स्वीकृति प्राप्त एवं आबंटन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |
| 2 | | | लुण्ड्रा | 10 | 55.20 | |
| 3 | | | बतौली | 6 | 37.16 | |
| 4 | | | सीतापुर | 9 | 51.34 | |
| 5 | | | मैनपाट | 4 | 27.30 | |
| 6 | | | लखनपुर | 5 | 29.16 | |
| 7 | | | उदयपुर | 9 | 51.72 | |
| | | | **योग :–** | **65** | **2026.00** | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष | विकासखंड का नाम | कार्य संख्या | स्वीकृत राशि | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 2026 दिनांक 16.06.2026 तक | अम्बिकापुर | 0 | 0.00 | |
| 2 | | | लुण्ड्रा | 0 | 0.00 | |
| 3 | | | बतौली | 0 | 0.00 | |
| 4 | | | सीतापुर | 0 | 0.00 | |
| 5 | | | मैनपाट | 0 | 0.00 | |
| 6 | | | लखनपुर | 0 | 0.00 | |
| 7 | | | उदयपुर | 0 | 0.00 | |
| | | | **योग :-** | **0** | **0.00** | |
| | | | **कुल योग :-** | **133** | **4791.42** | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - छप्पन

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 1028) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र | विधानसभा | अवधि | प्राप्त दावे /आवेदन | | | | | स्वीकृत दावे/आवेदन | | | | | निरस्त दावे/आवेदन | | | | | पात्र लंबित दावों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IFR | | | CFR | CFR R | IFR | | | CFR | CFR R | IFR | | | CFR | CFR R | IFR | | | CFR | CFR R |
| | | | ST | OTFD | TOTAL | | | ST | OTFD | TOTAL | | | ST | OTFD | TOTAL | | | ST | OTFD | TOTAL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | भरतपुर–सोनहत | वर्ष 2022–23 से 15 जून, 2026 तक | 1767 | 1279 | 3046 | 26 | 11 | 1265 | 707 | 1972 | 26 | 11 | 502 | 572 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

## राज्य में मछलीपालन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी

(अ) राज्य पोषित योजनाएं

| स.क्र. | योजना का नाम | इकाई | इकाई लागत | शासकीय अनुदान सहायता | कृषक अंशदान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | शिक्षण-प्रशिक्षण | | | | |
| 1.1 | 10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण | सं. | 1250/- | 1250/- | निरंक |
| 1.2 | 03 दिवसीय तकनीकी उन्नयन | सं. | 1000/- | 1000/- | निरंक |
| 1.3 | राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण | सं. | 2500/- | 2500/- | निरंक |
| 2 | मत्स्य पालन प्रसार | | | | |
| 2.1 | मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय | सं. | राशि रूपये 10000/- | 10000/- | निरंक |
| 2.2 | मत्स्य बीज संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता | सं. | राशि रूपये 40000/- | 30000/- | 10000/- |
| 2.3 | फिंगरलिंग संचयन | सं. | राशि रूपये 4000/- | 2000/- | 2000/- |
| 2.4 | फुटकर मछली विक्रय योजना | सं. | राशि रूपये 6000/- | 6000/- | निरंक |
| 2.5 | झींगा पॉली कल्चर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) | सं. | राशि रूपये 15000/- | 15000/- | निरंक |
| 2.6 | मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता | सं. | राशि रूपये 45/- प्रति किलोग्राम | 45/- प्रति किलोग्राम | निरंक |
| 2.7 | प्लेंक्टॉन ग्रोवर | सं. | राशि रूपये 7500/- प्रति हेक्टेयर | 7500/- | निरंक |
| 2.8 | झींगा सह पालन (पॉली कल्चर) नवीन योजना (केवल बस्तर संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए) | सं. | राशि रूपये 467000/- | 280000/- | 187000/- |
| 3 | मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय) | सं. | राशि रूपये 3.00 लाख 03 वर्षों में | 03 वर्षो में (121500/-, 90000/-, 75000/-) | 13500/- |

D:\2026-27\Vidhansabha July 2026\VSQ 26\VSQ 26 Plan.xlsxState_A

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं

| स.क्र. | योजना का नाम | इकाई | इकाई लागत (लाख में) | शासकीय अनुदान सहायता | | कृषक अंशदान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सामान्य वर्ग (40%) | अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (60%) | सामान्य वर्ग (60%) | अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (40%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** | | | | | | |
| 1.1 | मीठे जल के नए फिनफिश हैचरीज की स्थापना | सं. | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 1.2 | नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण | हे. | 7.00 | 2.80 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |
| 1.3 | नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण | हे. | 7.00 | 2.80 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |
| 1.4 | मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (Inputs) जिनमें कम्पोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल है। | हे. | 4.00 | 1.60 | 2.40 | 2.40 | 1.60 |
| 1.5 | बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई (ताजा जल) | सं. | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.20 |
| 1.6 | मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई (मीठे जल की मछली) | सं. | 8.00 | 3.20 | 4.80 | 4.80 | 3.20 |
| 1.7 | एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन) | सं. | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 1.8 | मध्यम आर.एस.एस. की स्थापना (10 टन/फसल की मछली उत्पादन के साथ न्यनतम 30 मीटर क्यव/टैंक क्षमता के 6 टैंकों के साथ)/ बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.00 ऊँचाई के 25 टैंक)। | सं. | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 1.9 | छोटे आर.एस.एस. की स्थापना (100 मीटर क्षमता के 1 टैंक के साथ/ बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5 )। | सं. | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 |
| 1.10 | जलाशयों में पिंजरों की स्थापना (केज कल्चर) | सं. | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.20 |
| 1.11 | मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर) | सं. | 14.00 | 5.60 | 8.40 | 8.40 | 5.60 |
| 1.12 | न्यूनतम10 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट) | सं. | 40.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 |
| 1.13 | न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट) | सं. | 80.00 | 32.00 | 48.00 | 48.00 | 32.00 |

| स.क्र. | योजना का नाम | इकाई | इकाई लागत (लाख में) | शासकीय अनुदान सहायता | | कृषक अंशदान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सामान्य वर्ग (40%) | अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (60%) | सामान्य वर्ग (60%) | अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (40%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.14 | न्यूनतम 50 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट) | सं. | 150.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 60.00 |
| 1.15 | प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vehicles) | सं. | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 1.16 | मोटर सायकल सह आईस बॉक्स | सं. | 0.75 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 |
| 1.17 | मछली वेंडिग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर | सं. | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.20 |
| 1.18 | सजीव मछली वेंडिग केंद्र (Live Fish Center) | सं. | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 |
| 1.19 | 8 टन/दिन की उत्पादन क्षमता का मीडियम मिल्स (Fish Feed Plant) | सं. | 100.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 |
| 1.20 | 20 टन/दिनी की उपादन क्षमता का बड़ा मिल्स (Fish Feed Plant) | सं. | 200.00 | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 80.00 |
| 1.21 | पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना। | सं. | 1.170 | 0.468 | 0.702 | 0.702 | 0.468 |
| 1.22 | बड़े आर.एस.एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यव/टैंक क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)/बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.50 ऊँचाई के 50 टैंक)। **(शासकीय अनुदान सहायता सामान्य वर्ग को 20% तथा अ.जा./अ.ज.जा./महिला वर्ग को 25%)** | सं. | 50.00 | 10.00 | 12.50 | 40.00 | 37.50 |
| 1.23 | मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारो के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता **(शासकीय अनुदान सहायता समस्त वर्ग के लिए राशि रू. 3000/-)** | सं. | 0.045 | 0.030 | | 0.015 | |
| 1.24 | दुर्घटना बीमा | | कृषकों के दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा स्थायी विकलांग होने पर राशि रू. 5.00 लाख एवं अस्थायी अपंगता पर राशि रू. 2.50 लाख तथा अस्पताल में भर्ती होने पर राशि रू. 25000/- की सहायता दी जाती है। | | | | |

D:\2026-27\Vidhansabha July 2026\VSQ 26\VSQ 26 Plan.xlsxCentral_A

| स.क्र. | योजना का नाम | इकाई | इकाई लागत (रू. लाख में) | शासकीय अनुदान सहायता (90 प्रतिशत) | कृषक अंशदान (10 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** | | | | |
| 2.1 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के समस्त घटक | सं. | घटकवार | 90 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |

नोडल अधिकारी विधानसभा
उप संचालक मछलीपालन
संचालनालय मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

## सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2024 से जून, 2026 तक शासकीय तालाबों में मत्स्य पालन की वर्षवार

| क्र. | वर्ष | हितग्राही का नाम | तालाब का नाम | ग्राम | रकबा (हैक्टेयर में) | हितग्राही को प्रदाय अनुदान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024-25 | गणेश युवा समिति (समूह) | पल्टु | छिपलीपारा | 0.44 | - |
| 2 | | मछुआ समूह छिपलीपारा | माता | छिपलीपारा | 1.23 | - |
| 3 | | जय डोंगेश्वर मछुआ सहकारी समिति, दरगहन | बडे(नया) | दरगहन | 2.81 | - |
| 4 | | जय भगत बाबा मछुआ सहकारी समिति, खिसोरा, पंक्र 110 | बाला | खिसोरा | 2.00 | 3.00 |
| | | | खुटा | | 1.70 | |
| | | | स्कूल | | 0.66 | |
| 5 | | प्राथमिक गंगा मछुआ सहकारी समिति मर्या., ग्राम भैंसमुण्डी, पं.क्र. 31 | अण्डा | मगरलोड | 2.73 | 3.00 |
| **योग** | | | | | **11.57** | **6.00** |
| 6 | 2025-26 | जय भीमा देव स्व सहायता समूह, ग्राम छिपली | ठाकुरदेव | छिपली | 0.90 | - |
| 7 | | श्री जीवन लाल निषाद पिता श्री प्यारी राम निषाद, ग्राम करेली छोटी | सारंगपुरी तालाब | करेली छोटी | 1.90 | - |
| 8 | | श्री लीलाराम निषाद पिता श्री अर्जुन राम निषाद, ग्राम करेली छोटी | दीना तालाब | करेली छोटी | 2.23 | - |

| क्र. | वर्ष | हितग्राही का नाम | तालाब का नाम | ग्राम | रकबा (हैक्टेयर में) | हितग्राही को प्रदाय अनुदान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 2025-26 | श्री खुमान सिंह धुरव पिता श्री डोमार सिंह, ग्राम दुधवारा | छिन्द तालाब | कोरगांव | 0.66 | - |
| 10 | | जय गुहा निषाद मछुआ सहकारी समिति राजपुर(सरगी), | कचना धुरवा तालाब | डाभा | 1.60 | - |
| 11 | | जय मां सरस्वती महिला स्व सहायता समूह, ग्राम तेन्दूभाठा | मडेलीभाठा | कोरगांव | 0.99 | - |
| 12 | | नव दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, ग्राम तेन्दूभाठा | श्मशान घाट तालाब | कोरगांव | 0.50 | - |
| 13 | | आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, भण्डारवाडी, पंक्र 94 | भण्डारवाडी जलाशय | मगरलोड | 18.42 | 3.00 |
| 14 | | भक्त गुहा मछुआरा कल्याण समिति, ग्राम अमाली, पंक्र 122201750860 | टांगरी तालाब | अमाली | 1.54 | - |
| 15 | | नवीन मछुआ सहकारी समिति मर्या, दुगली, पंक्र 126 | गोंदलानाला जलाशय | नगरी | 24.66 | 3.00 |
| 16 | | नवीन मछुआ सहकारी समिति मर्या, दुगली, पंक्र 126 | मोहमल्ला जलाशय | नगरी | 33.67 | - |
| 17 | | सरस्वती महिला स्व सहायता समूह, हितली | छिन्द तालाब | बगरूमनाला | 1.89 | - |
| 18 | | जय मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, बरकोन्हा | दर्री तालाब | बगरूमनाला | 0.27 | - |
| 19 | | प्रगति ग्राम विकास स्व सहायता समूह, ग्राम फुडहरछाप(हितली) | धोबनी तालाब | बगरूमनाला | 0.47 | - |

| क्र. | वर्ष | हितग्राही का नाम | तालाब का नाम | ग्राम | रकबा (हैक्टेयर में) | हितग्राही को प्रदाय अनुदान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | 2025-26 | ज्योति महिला स्व सहायता समूह, ग्राम छिन्दभर्री | जंगल तालाब | चनागांव | 0.69 | - |
| | | **योग** | | | **90.39** | **6.00** |
| 21 | 2026-27 (जून, 2026 तक) | श्री विश्वनाथ निषाद पिता सुकलाल निषाद | स्कूल तालाब | करेली छोटी | 0.96 | - |
| 22 | | श्री हरिराम निषाद पिता श्री सत्यनारायण | डबरी तालाब | करेली छोटी | 0.80 | - |
| 23 | | श्री कोमल राम निषाद पिता श्री पंचराम निषाद | मुक्तिधाम तालाब | करेली छोटी | 1.00 | - |
| 24 | | कमार मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, पावद्वार, पंक्र 132 | पावद्वार जलाशय | नगरी | 11.73 | 3.00 |
| | | **योग** | | | **14.49** | **3.00** |
| | | **महायोग** | | | **116.45** | **15.00** |

**सही/-अस्पष्ट**
**सहायक संचालक मछलीपालन**
**जिला-धमतरी (छ.ग.)**

**नोडल अधिकारी विधानसभा**
**उप संचालक मछलीपालन**
**संचालनालय मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 28) की जानकारी

PLGMJ/2457/2026-Agriculture Section(Technical)

I/505082/2026

प्रपत्र

सहायक संचालक उद्यान, जिला धमतरी द्वारा क्रय सामग्रियों की आपूर्तिकर्त्ता एजेंसीवार जानकारी

| क्रं. | वर्ष | योजना का नाम | क्रय सामग्रियों/मशीनरी का नाम | मात्रा (कि.ग्रा./क्विं/संख्या) | क्रयकर्ता का एजेंसी का नाम | आपूर्ति कर्ता एजेंसी का नाम | भुगतान की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2024-25 | राज्य पोषित (पोषण बाड़ी विकास) | भिण्डी | 34 कि.ग्रा. | सहायक संचालक उद्यान, धमतरी | सहायक संचालक उद्यान, कबीरधाम | 0.2040 |
| | | | तरोई | 7 कि.ग्रा. | | | 0.0878 |
| | | | तरोई | 102 कि.ग्रा. | | | 1.4280 |
| | | | खीरा | 3 कि.ग्रा. | | | 0.0448 |
| | | | बरबट्टी | 23 कि.ग्रा. | | | 1.4950 |
| | | | सेम | 172 कि.ग्रा. | | सहायक संचालक उद्यान, धमतरी | 1.2040 |
| | | | भिण्डी | 152 कि.ग्रा. | | | 0.9880 |
| | | | मेथी | 115 कि.ग्रा. | | | 0.5463 |
| | | | पालक | 100 कि.ग्रा. | | | 0.5750 |
| | | | धनिया | 205 कि.ग्रा. | | | 1.3325 |
| | | | लौकी | 67 कि.ग्रा. | | | 0.9045 |
| | | | गिल्की | 66 कि.ग्रा. | | सहायक संचालक उद्यान, धमतरी | 0.8910 |
| | | | भिण्डी | 80 कि.ग्रा. | | सहायक संचालक उद्यान, कांकेर | 0.4800 |
| | | | बरबट्टी | 9 कि.ग्रा. | | | 0.0592 |
| | | | मेथी | 100 कि.ग्रा. | | उप संचालक उद्यान, दुर्ग | 0.4250 |
| | | | बरबट्टी | 37 कि.ग्रा. | | | 0.2604 |
| | | | बरबट्टी | 68 कि.ग्रा. | | | 0.4407 |
| | | | मूली | 201 कि.ग्रा. | | सहायक संचालक उद्यान, शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना रायपुर | 1.3434 |
| | | | बैंगन | 540 कि.ग्रा. | | | 0.8103 |
| | | | वर्मी कम्पोस्ट खाद | 300 क्विं. | | सहायक संचालक उद्यान, धमतरी शासकीय उद्यान रोपणी, सेमरा/बिन्द्रानवागांव (धमतरी) | 3.0000 |
| | योग | | | | | | **16.5199** |

PLGMJ/2457/2026-Agriculture Section(Technical)

I/505082/2026

| क्रं. | वर्ष | योजना का नाम | क्रय सामग्रियों/मशीनरी का नाम | मात्रा (कि.ग्रा./क्विं/संख्या) | क्रयकर्ता का एजेंसी का नाम | आपूर्ति कर्ता एजेंसी का नाम | भुगतान की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2** | 2025-26 | राज्य पोषित (समेकित फलोद्यान) | सेम | 105 कि.ग्रा. | सहायक संचालक उद्यान, धमतरी | सहायक संचालक उद्यान, धमतरी शासकीय उद्यान रोपणी, गाड़ाडीह (कुरूद) | 0.6825 |
| | | | बरबट्टी | 71 कि.ग्रा. | | | 0.4615 |
| | | | भिण्डी | 120 कि.ग्रा. | | | 0.7200 |
| | | | पालक | 105 कि.ग्रा. | | | 0.5513 |
| | | | मेथी | 108 कि.ग्रा. | | | 0.4590 |
| | | | भिण्डी | 97 कि.ग्रा. | | | 0.6305 |
| | | | तरोई | 16 कि.ग्रा. | | सहायक संचालक उद्यान, शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना रायपुर | 0.2240 |
| | | | पालक | 50 कि.ग्रा. | | | 0.2875 |
| | | | बरबट्टी | 5 कि.ग्रा. | | | 0.0750 |
| | | | बरबट्टी | 10 कि.ग्रा. | | | 0.0700 |
| | | | टमाटर | 3 कि.ग्रा. | | | 0.0375 |
| | | | मूली | 15 कि.ग्रा. | | | 0.1005 |
| | | | बरबट्टी | 80 कि.ग्रा. | | उप संचालक उद्यान, दुर्ग | 0.5600 |
| | | राष्ट्रीय बागवानी मिशन | टूल किट | 40 नग | | जय हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज, रायपुर | 1.6000 |
| | योग | | | | | | **6.4593** |
| **3** | 2026–27 (30 जून 2026 तक) | राष्ट्रीय बागवानी मिशन | हाईब्रीड खीरा बीज | 27 कि.ग्रा. | सहा.संचा.उद्यान. धमतरी | कृषि बेस्ड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड, नालागढ, सोलन (हिमाचल प्रदेश) | 4.0500 |
| | | | हाईब्रीड लौकी बीज | 66 कि.ग्रा. | | | 1.9800 |
| | | | **बायो प्रोडक्ट इनपुट** | | | | |
| | | | ऐजाडिरेक्टिन 1500 पीपीएम | 314 लीटर | | इंदौर बायोटेक इनपूट एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.) | 14.8275 |
| | | | एजोस्पिरिलम | 342 कि.ग्रा. | | | |
| | | | बायो एनरिच्ड ऑर्गेनिक खाद | 254 कि.ग्रा. | | | |
| | | | जिबरेलिक एसिड | 364 लीटर | | | |
| | | | इंडोजाइम ऑर्गेनिक खाद | 524 कि.ग्रा. | | | |
| | | | केएमबी | 342 लीटर | | | |
| | | | पीएसबी लिक्विड | 342 लीटर | | | |
| | | | स्यूडोमोनास फ्लोरेन्स | 254 कि.ग्रा. | | | |

| क्रं. | वर्ष | योजना का नाम | क्रय सामग्रियों/मशीनरी का नाम | मात्रा (कि.ग्रा./क्विं/संख्या) | क्रयकर्ता का एजेंसी का नाम | आपूर्ति कर्ता एजेंसी का नाम | भुगतान की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | 2026—27 (30 जून 2026 तक) | राष्ट्रीय बागवानी मिशन | ट्राइकोडर्मा विरिडे 1% डब्ल्यूपी | 480 कि.ग्रा. | | इंदौर बायोटेक इनपूट एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.) | |
| | | | वर्टिसिलियिम | 242 कि.ग्रा. | | | |
| | | | जेएसबी | 364 लीटर | | | |
| | | | वर्मी बेड | 400 नग | | एआर, इंटरप्राईजेस, अहमदाबाद (गुजरात) | 28.8000 |
| | | | नेट | 200 नग | | | |
| | | | केंचुआ | 2000 कि.ग्रा. | | | |
| | | | वर्मी बेड कवर | 400 नग | | | |
| | योग | | | | | | **49.6575** |
| | महायोग | | | | | | **72.6367** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 07-07-2026
10:33:12

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 55) की जानकारी

प्रपत्र

## चालू खरीफ वर्ष (2026–27) में रासायनिक खाद उर्वरक की आपूर्ति।

## खरीफ 2026 अंतर्गत लक्ष्य–भण्डारण की जानकारी

इकाई मे.टन

| क्र. | उर्वरक | आंकलित मांग/आबंटन | दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक कुल भण्डारण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | यूरिया | 725000 | 625201 |
| 2 | डीएपी | 300000 | 149874 |
| 3 | एनपीके | 250000 | 207304 |
| 4 | एमओपी | 80000 | 77847 |
| 5 | एसएसपी | 200000 | 256280 |
| योग | | **1555000** | **1316506** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 08-07-2026
12:10:59

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तिसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

# परिशिष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 106) की जानकारी

प्रपत्र-

राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विगत तीन वर्षो में विभाग द्वारा स्वीकृत एवं व्यय/जारी की गई राशि कि जिलेवार जानकारी

| क्र. | जिला | चिन्हांकित पर्यटन स्थल | स्वीकृत एवं खर्च/ जारी की गई राशि (लाख में) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वर्ष 2023 | | वर्ष 2024 | | वर्ष 2025 | | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय/ जारी राशि |
| | | | स्वीकृत राशि | व्यय/जारी राशि | स्वीकृत राशि | व्यय/जारी राशि | स्वीकृत राशि | व्यय/जारी राशि | | |
| 1 | बलौदाजार– भाटापारा | दामाखेड़ा | _ | 940.00 | - | - | - | - | 0.00 | 940.00 |
| 2 | महासमुंद | सिरपुर | _ | - | - | - | 9.88 | 2.47 | 9.88 | 2.47 |
| 3 | धमतरी | सिहावा | 18.88 | 9.44 | - | - | - | - | 18.88 | 9.44 |
| 4 | बालोद | बालोद (सियादेवी) | 34.92 | - | - | 17.46 | | 10.00 | 34.92 | 27.46 |
| 5 | दुर्ग | न्गपुरा | _ | - | - | - | 9.95 | 2.49 | 9.95 | 2.49 |
| 6 | राजनादगांव | डोंगरगढ़ | 15.00 | 15.00 | - | - | - | - | 15.00 | 15.00 |
| 7 | कबीरधाम | प्चराही | - | | - | - | 9.99 | 2.50 | 9.99 | 2.50 |
| 8 | बिलासपुर | लुतरा शरीफ (ग्राम लुथरा) | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - | 30.00 | 30.00 |
| 9 | मुंगेली | सेतगंगा (मुंगेली) | - | 5.00 | - | - | - | - | 0.00 | 5.00 |
| 10 | जशपुर | बगीचा | 56.23 | 28.00 | - | - | - | - | 56.23 | 28.00 |
| 11 | बलरामपुर | डीपाडीह | - | - | - | - | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 2.50 |
| 12 | | रकसगंडा | - | - | - | - | - | 8.49 | 0.00 | 8.49 |
| 13 | कोण्डागांव | गढ़धनोरा | - | - | - | - | 9.98 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| | | कुल राशि – | **155.03** | **1033.47** | **0** | **22.06** | **39.92** | **53.55** | **194.85** | **1075.84** |

**परिशिष्ट - इकसठ**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 407) की जानकारी**

प्रपत्र–अ

प्रसाद पर्यटन योजना के अंतर्गत श्री यंत्र भवन, मॉ बम्लेश्वरी मंदिर व विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्य एवं स्वीकृत राशि का विवरण

| क्र. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | भुगतान राशि (लाख में) | शेष राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास कार्य | 728.84 | 3489.02 | 1124.15 |
| 2. | प्रज्ञागिरी का विकास कार्य | 554.59 | | |
| 3. | पिलग्रीम फेसिलिटेशन सेंटर का विकास कार्य | 3329.74 | | |
| | कुल राशि (लाख में) | **4613.17** | **3489.02** | **1124.15** |

प्रपत्र –ब

| क्र. | तिथि | निरीक्षण कर्ता/एजेंसी |
|---|---|---|
| 1 | 14.08.2022 | प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड |
| 2 | 16.11.2022 | उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड |
| 3 | 15.04.2023 | उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड |
| 4 | 28.09.2023 | श्री अरुण श्रीवास्तव, संयुक्त महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय |
| 5 | 21.11.2023 | उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड |
| 6 | 15.02.2024 | सुश्री भारती शर्मा, सहायक महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय एवं टीम |
| 7 | 19.04.2024 | उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड |
| 8 | 03.05.2025 | प्रबंध संचालक एवं उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड |
| 9 | 17.03.2025 | सुश्री शोवना सारंगी, सहायक महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय एवं टीम |

इसके अतिरिक्त समय-समय पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अन्य इंजीनियर्स के द्वारा परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

परिशिष्ट - बैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 483) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कमांक 1295 E-47383/GENCOR/3230/35/2025 नवा रायपुर, दिनांक 06 /अगस्त/2025

प्रति,

1 संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, अटलनगर, नवा–रायपुर

2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ

विषय :– गौधाम योजना की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 4623 दिनांक 25.07.2025 तथा सलग्नक पंजीयक, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का पत्र कमांक 696 दि 25.07.2025

--0--

विषयातर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्तावानुसार प्रदेश के निराश्रित, घुमन्तु तथा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित)/कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंश पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विस्थापन हेतु संलग्न अनुसार गौधाम योजना की प्रशासकीय स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के File No. FINACC 3602/1363/2025-FINANCE पर दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SURYA KIRAN AGRAWAL
Date: 06-08-2025
14:50:09
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

पृ0 कमांक 1296 E-47383/GENCOR/3230/35/2025 नवा–रायपुर, दिनांक 06 /अगस्त/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मान मुख्यमंत्री जी, (भारसाधक मंत्री, पशुधन विकास विभाग), मंत्रालय, नवा–रायपुर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा–रायपुर।
3. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नवा रायपुर।
4. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
5. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
6. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
7. संचालक, कृषि विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा–रायपुर अटलनगर।
8. पंजीयक, छत्तीसगढ़ राज्य ~~पशु चिकित्सा परिषद~~ गौसेवा आयोग रायपुर, ~~चतुर्थ~~ तृतीय तल, ककाली नगर निगम चिकित्सालय परिसर, ब्राम्हण पारा, रायपुर (छ.ग.)।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

Digitally signed by
Mousam Mehra
Date: 06-08-2025
14:56:49
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

# गौधाम योजना

छत्तीसगढ प्रदेश सात राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है तथा प्रदेश से कुल ग्यारह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते है जिससे अंतर्राज्यीय आवागमन की सघनता है। राज्य में कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 लागू है जिसके अंतर्गत अवैध रूप से पशुओं की तस्करी एवं परिवहन पर रोक है, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर प्रायः अवैध पशु तस्करी पर गृह विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए गौवंशीय पशु जप्त किये जाते है। प्रदेश में निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशु बहुतायत में हैं, ऐसे पशु खेतों में फसलों को नुकसान पुहचाते हैं तथा उनके सड़कों में विचरण करने के कारण दुर्घटनाये होती हैं जिससे पशु के साथ–साथ जनमानस को भी हानि होती है। निराश्रित, घुमन्तू एवं जप्त पशुओं को छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग अंतर्गत निकटस्थ पंजीकृत गौशाला में रखने का प्रावधान है। पंजीकृत गौशालाओं मे क्षमतानुसार पशु विस्थापित हो जाने के कारण वर्तमान में निराश्रित, घुमन्तू एवं जप्त पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासकीय भूमि में गौधाम स्थापित किये जाने की आवश्यकता हैं।

2. **योजना –** छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 के तहत योजनांतर्गत जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर गौधाम स्थापित किये जायेंगे, जो पंजीकृत गौशालाओं से भिन्न होंगे। प्रथम चरण में प्रदेश की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के आस–पास ग्रामीण क्षेत्रो में गौधाम स्थापित किये जायेंगे। गौधाम में स्थानीय निकायो द्वारा निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशुओं तथा गृह विभाग द्वारा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंशीय पशुओं को ही विस्थापित किया जायेगा।

2.1 **गौधाम स्थापना हेतु भूमि –** ऐसी शासकीय भूमि जिसमे सुरक्षित बाड़ा, पशुओं के शेड, पर्याप्त पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, में गौधाम की स्थापना की जायेगी, जैसे स्थापित गौठान जहां पूर्व से अद्योसंरचना विकसित हैं। उपलब्धता अनुसार गौठान से संलग्न चारागाह की भूमि हरा चारा उत्पादन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। गौधाम के संचालन हेतु चयनित संस्था को उपलब्ध कराई गई भूमि, अद्योसंरचना तथा चारागाह पर चयनित संस्था का कोई अधिकार नही होगा।

2.2 **गौधाम का उद्देश्य–**

- निराश्रित, घुमन्तु पशुओं एवं कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2011), छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जप्त गौवंशीय पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण एवं संवर्धन।
- गौउत्पादों को बढ़ावा देना।
- चारा विकास कार्यक्रम विकसित करना।
- प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- पशु नस्ल सुधार करना।
- जन–जन को गौसेवा के लिये प्रेरित करना।
- रोजगार उपलब्ध कराना।

**2.3 पशु क्षमता–** प्रत्येक गौधाम में क्षमतानुसार (अधिकतम 200) गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे।

**2.4 क्रियान्वयन नियंत्रण, अनुश्रवण एवं अनुशीलन–** छत्तीसगढ़ राजपत्र (आसाधारण) मे प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2025) से गठित जिला स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा स्थापित गौधाम का क्रियान्वयन नियंत्रण, अनुश्रवण एवं अनुशीलन किया जायेगा।

**2.5 गौधाम संचालन हेतु पात्र संस्थांए –** छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एन.जी.ओ. (Non-Government Organization), ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सहकारी समिति।

**2.6 गौधाम के संचालन हेतु संस्था का चयन–**

**(i)** गौधाम हेतु चिन्हांकित भूमि के निकटस्थ/आस–पास की पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति द्वारा गौधाम संचालन हेतु सहमति व्यक्त करने पर उक्त समिति को गौधाम संचालन हेतु जिम्मेदारी प्रदाय किये जाने का निर्णय छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग की कियान्वयन समिति द्वारा प्राथमिकता पर लिया जा सकेगा। चयनित पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति एवं छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के मध्य अनुबंध पश्चात् उक्त समिति को गौधाम का संचालन सौपा जायेगा।

**(ii)** निकटस्थ/आस–पास की पंजीकृत गैशाला की समिति द्वारा गौधाम संचालन हेतु असहमति व्यक्त करने पर अन्य स्वयंसेवी संस्था एन.जी.ओ. (Non-Government Organization), ट्रस्ट तथा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सहकारी समिति द्वारा "Public-Private partnership" mode में गौधाम संचालन हेतु आवेदन किया जा सकेगा। गौधाम संचालन हेतु अन्य संस्था के चयन हेतु निम्न प्रकिया होगी–

- **"रूचि की अभिव्यक्ति"** (Expression of Interest) के आधार पर छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के द्वारा संस्था का चयन किया जावेगा।
- कण्डिका 2.4 में उल्लेखित संस्थायें निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला सशक्त समिति के सदस्य सचिव को जमा करेंगी।
- जिला स्तरीय सशक्त समिति प्राप्त आवेदनों का तुलनात्मक अध्ययन कर चयनित **संस्था का नाम** छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
- छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग से अनुमोदन पश्चात् चयनित संस्था एवं आयोग के मध्य अनुबंध किया जायेगा।
- तत्पश्चात उक्त संस्था को गौधाम का संचालन सौपा जायेगा।

**(iii)** संस्था के चयन का मापदण्ड निम्नानुसार होगा–

- गौसेवा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव (5 वर्ष)।
- नस्ल सुधार एवं संचालन के क्षेत्र में अनुभव (3 वर्ष)
- संस्था द्वारा पशुपालकों प्रशिक्षण दिये जाने का अनुभव।
- जैविक खाद उत्पादन एवं जैविक खेती का अनुभव।

- हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम का अनुभव।
- सामाजिक कार्य का अनुभव।

(iv) चयनित संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष को होगा। कियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात् कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।

(v) चयनित समिति/संस्था द्वारा अनुबंध अवधि के मध्य में कार्य बंद किया जाता है, अनुबंध का पालन नहीं किया जाता हैं अथवा किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध समाप्ति करने की दशाये एवं अधिकार निम्नानुसार होगी :–

- जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित संस्था के लापरवाही की जांच किया जावेगा तथा जांच प्रतिवेदन के साथ अनुसंशा सहित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के कियान्वयन समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग की कियान्वयन समिति द्वारा नियमित/आपातकाल बैठक का आयोजन करते हुए चयनित संस्था की लापरवाही के संबंध में जिला स्तरीय समिति की अनुसंशा पर विचार कर निर्णय ले सकेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के कियान्वयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
- दोष सिद्ध होने की स्थिति मे हर्जाना वसूली की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा किया जावेगा।

**2.7 गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था का दायित्व :–**

i. अधोसंरचना विकास कार्य–शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आवश्यकतानुसार बाऊन्ड्रीवाल निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पशु शेड़ निर्माण, चारा विकास कार्यक्रम आदि कार्य कराया जा सकेगा।

ii. गौधाम मे उपलब्ध समस्त पशुओं को नियमित दाना–पानी की उपलब्धता, समस्त शेड एवं परिसर की स्वछता सुनिश्चित करना होगा।

iii. गौधाम मे उपलब्ध समस्त पशुओं का स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना होगा। पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु समुचित व्यवस्था, नियमित टीकाकरण, कृमि नाशक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, प्राथमिक एवं अन्य आवश्यक उपचार आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

iv. गौवंशीय नर पशुओं का बधियाकरण कराकर बैलजोड़ी तैयार करना होगा।

v. गौवंशीय मादा पशुओं की नस्ल सुधार करना होगा।

vi. चयनित समिति/संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर सघन चारा विकास कराया जायेगा।

vii. उपरोक्त समस्त कार्य हेतु आवश्यक अमला की व्यवस्था के साथ–साथ समस्त संबंधित लेखा संधारण करना होगा।

viii. भारत सरकार व राज्य शासन द्वारा पशु कूरता, पशुओं के रखरखाव आदि संबंधी जारी नियम, अधिनियम, दिशा–निर्देश एवं एडवायजरी का पालन करना होगा।

ix. गोबर एवं गोमूत्र उत्पाद जैसे जैविक खाद का उत्पादन, कीट नाशक उत्पादन आदि, कृषको/पशुपालकों का प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार करना होगा।

x. गौधाम परिसर एवं आस–पास स्वच्छता रखना होगा, प्रदुषण नियंत्रण आवश्यक होगा।

**2.8 गौधाम हेतु मानव संसाधन –** व्यवस्था एवं सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक गौधाम में एक चरवाहा एवं एक गौसेवक (प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) रखा जायेगा।

**2.9 गौधाम में पशुओं का प्रबंधन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम –** चयनित समिति/संस्था द्वारा पशुओं का प्रबंधन पशुधन विकास विभाग द्वारा जारी मानक संचालक प्रकिया अनुसार किया जायेगा।

(i) **नर पशुओं का प्रबंधन –** नर पशु की बैलजोडी तैयार की जा सकती है, जिसे पशुधन विकास विभाग द्वारा आवेदको को निःशुल्क वितरित किया जा सकेगा। तैयार की गई बैलजोडी के आवेदको को वितरण हेतु परिवहन, प्रबंधन पर व्यय छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

(ii) **मादा पशुओं की नस्ल सुधार –** मादा पशुओं की नस्लसुधार पशुधन विकास विभाग को केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत Accelerated Breed Improvement Programme Using Sex sorted semen में प्राप्त सीमेन से किया जायेगा, इस हेतु हितग्राही अंश की राशि की प्रतिपूर्ति छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा की जायेगी। योजनांतर्गत सेक्स सोर्टेड सीमेन उपलब्ध नहीं होने पर पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रदाय फोजन सीमेन से नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। गौसेवक (प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा गौधाम के साथ–साथ ग्राम के पशुओं के नस्ल सुधार कार्य भी उपरोक्तानुसार सम्पादित किया जाना होगा।

**2.10 गौधाम को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना–**प्रत्येक गौधाम में चयनित समिति/संस्था के द्वारा गौ उत्पाद विषय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं गौ आधारित कृषि को प्रेरित करने प्रयास किये जायेंगे। साथ ही साथ गोबर गौमूत्र से गौ–उत्पाद जैसे– केंचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौकाष्ठ, गोनाईल, दीया, दंतमंजन, अगरबत्ती इत्यादि का उत्पादन कर विपणन किया जायेगा।

**2.11 योजना का वित्त पोषण –** जिला स्तर समिति के अनुशंसा के आधार पर गौधामों को पोषण आहार हेतु छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा प्रथम वर्ष हेतु 10 रूपये प्रतिदिन/पशु के दर से अनुदान दिया जायेगा। जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के पश्चात उत्कृष्ट गौधामों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी–

| | |
|---|---|
| द्वितीय वर्ष – | 20 रूपये प्रतिदिन/पशु |
| तृतीय वर्ष – | 30 रूपये प्रतिदिन/पशु |
| चतुर्थ वर्ष – | 35 रूपये प्रतिदिन/पशु |

**(i) गौधाम हेतु पोषण आहार अनुदान** –संरक्षित 200 कृषिक पशुओं हेतु व्यय

(राशि रू. में)

| वर्षवार विवरण | दर (प्रतिदिन प्रति पशु) | रूपये 10 की अनुदान के दर पर प्रतिदिन व्यय | प्रति वर्ष व्यय (365 दिवस) |
|---|---|---|---|
| **प्रथम वर्ष** | रूपये 10 | **2000** | **7,30,000** |
| **द्वितीय वर्ष** | रूपये 20 | **4000** | **14,60,000** |
| **तृतीय वर्ष** | रूपये 30 | **6000** | **21,90,000** |
| **चतुर्थ वर्ष** | रूपये 35 | **7000** | **25,55,000** |

**टीपः– स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यो के गुणवत्ता के आधार पर एवं क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात् प्रति वर्ष अनुदान में वृद्धि की जायेगी।**

**(ii) चरवाहों को मानदेय –**चरवाहो को श्रमायुक्त, छ.ग. शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची–"ग" अनुसार मानदेय प्रदाय होगा। वर्तमान में प्रचलित दर का औसत अनुसार प्रति चरवाहा प्रति माह मानदेय– राशि रू. 10916.00 (अकुशल वर्ग), प्रति वर्ष राशि रू. 130902.00 व्यय होगा,, जो तदानुसार परिवर्तनीय होगा।

**(iii) गौसेवक को मानदेय –** गौसेवक (प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को श्रमायुक्त, छ.ग. शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची–"ग" अनुसार मानदेय प्रदाय होगा। वर्तमान में प्रचलित दर का औसत अनुसार प्रति गौसेवक प्रति माह मानदेय– राशि रू. 13126.00 (उच्च कुशल वर्ग), प्रति वर्ष राशि रू. 157512.00 व्यय होगा, जो तदानुसार परिवर्तनीय होगा।

**(iv) पशु नस्ल सुधार–** राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत Accelerated Breed Improvement Programme Using Sex sorted semen में प्राप्त सीमेन से किया जायेगा, इस हेतु चयनित संस्था द्वारा जमा की गई हितग्राही अंश की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति वर्ष राशि रू. 150000.00 व्यय होगा।

**(v) चारा विकास**–आवर्ती व्यय (5 एकड़ के लिए) राशि रू. 285000.00

| क. | विवरण | 1 एकड़ के लिए राशि रू. | 5 एकड़ के लिए राशि रू. |
|---|---|---|---|
| 1 | भूमि तैयार करने में | 5000.00 | 25000.00 |
| 2 | गोबर खाद 10 टन/एकड़ | 20000.00 | 100000.00 |
| 3 | नेपियर रूट स्लीप 20,000 रूट स्लीप/एकड | 5000.00 | 25000.00 |
| 4 | नेपियर लगाने मे मजदूर खर्च | 1600.00 | 8000.00 |
| 5 | चारा परिवहन | 2000.00 | 10000.00 |
| 6 | सिंचाई बिजली | 2000.00 | 10000.00 |
| 7 | कीट नियंत्रण | 1000.00 | 5000.00 |
| 8 | चारा कटाई के लिए मजदूर खर्च (6–7 कटाई/वर्ष) | 4500.00 | 22500.00 |
| 9 | चॉफ कटर | - | 50000.00 |
| 10 | अन्य आकस्मिक व्यय | 5900.00 | 29500.00 |
| | **कुल व्यय** | **47000.00** | **285000.00** |

नोट :– गौधाम अंतर्गत चारा विकास का कार्य भूमि उपलब्ध होने पर संचालित किया जायेगा। प्रथम वर्ष राशि रू. 285000.00, द्वितीय वर्ष से चॉफ कटर हेतु प्रावधानित राशि देय नहीं होगी।

**(vi) अद्योसंरचना विकास –** छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा गौधाम हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि में पूर्व से निर्मित अद्योसंरचना की मरम्मत/मूलभूत अद्योसंरचना हेतु अधिकतम राशि रू. 5.00 लाख प्रदाय होगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नवीन संरचना निर्माण का कार्य जिला स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न विभाग की संचालित योजनाओं के अभिसरण से कराया जा सकता हैं।

**प्रत्येक गौधाम के संचालन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकता :–**

( राशि रू. लाख में)

| वर्षवार विवरण | अद्योसंरचना विकास | पोषण आहार हेतु अनुदान राशि | चरवाहा हेतु मानदेय राशि | गौ सेवकों हेतु मानदेय राशि | नस्ल सुधार हेतु | चारा विकास हेतु | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम वर्ष | 5.00 | 7.30 | 1.31 | 1.58 | 1.50 | 2.85 | **19.54** |
| द्वितीय वर्ष | – | 14.60 | 1.31 | 1.58 | 1.50 | 2.35 | **21.34** |
| तृतीय वर्ष | – | 21.90 | 1.31 | 1.58 | 1.50 | 2.35 | **28.64** |
| चतुर्थ वर्ष | – | 25.55 | 1.31 | 1.58 | 1.50 | 2.35 | **32.29** |

टीपः– समिति/संस्था को प्रदत्त अनुदान छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के नियम 2005 (यथासंशोधित) के नियम 11 (4) एवं 11 (9) अनुसार होगा।

प्रत्येक गौधाम के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार अनुमानित व्यय की आवश्यकता की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से प्राप्त राशि से की जावेगी।

**2.12 गौधाम का छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीयन की प्रकिया :–**

I. जिला में निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशुओं के विस्थापन हेतु आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि/ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गौठान का चिन्हांकन कर गौधाम स्थापना का निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्रार, छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं की भौतिक/वित्तीय जानकारी संलग्न होगी।

II. रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

III. रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल के निकटस्थ/आस–पास संचालित आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति से गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की सहमति ली जायेगी।

IV. पंजीकृत गौशाला की समिति से सहमति प्राप्त होने पर आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर प्राप्त प्रस्ताव तथा सहमति पत्र आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

V. निकटस्थ/आस–पास संचालित आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति द्वारा गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की असहमति व्यक्त करने पर रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्टर/छ.ग. गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2025) अनुसार गठित जिला समिति को

तदाश्य की सूचना दी जाकर योजना अनुसार रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गौधाम संचालन हेतु संस्था के चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जायेगा।

VI. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रकिया अपनाते हुये गौधाम संचालन हेतु संस्था का चयन किये जाने पर निम्नलिखित जानकारी रजिस्ट्रार को प्रेषित की जायेगी–

- संस्था से संबंधित संपत्ति का ब्योरा।
- सस्था के कार्यकारणी सदस्यो के नाम तथा पता।
- संस्था में पद के उत्तराधिकार की रीति।
- संस्था के आय–व्यय का ब्योरा तथा आय का स्त्रोत।
- जिला प्रशासन की अनुशंसा।

VII. यह समाधान होने पर की संस्था पंजीकरण की समस्त आर्हता पूर्ण करती हैं तथा उक्त गौधाम के संचालन पर योजनानुसार व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से आयोग को प्राप्त राशि से हो जायेगी ,रजिस्ट्रार द्वारा समस्त विशिष्टियों को आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर आवेदन पत्रों के साथ आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

VIII. बिन्दु कमांक iv अथवा vii अनुसार क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रार गौधाम के पंजीकरण हेतु शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

IX. विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने पर छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग तथा चयनित संस्था के मध्य निर्धारित् अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा।

X. अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित होने के पश्चात् रजिस्ट्रार गौधाम का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

Digitally signed by
Mousam Mehra
Date: 06-08-2025
15:47:25

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 568) की जानकारी

प्रपत्र

## बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित कांजी हाउस, गौषाला एवं गौठान की जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | संचालित कांजी हाउस की संख्या | संचालित गौठान की संख्या | संचालित पंजीकृत गौषाला की संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | बिल्हा | मोपका | 0 | 1(शहरी गौठान) | 0 | पंजीकृत गौशालाओं के अतिरिक्त जिले में 05 गौधाम (हरदीकला, ओखर,कनई खोंदरा, जैतपुर, लाखासार) स्वीकृत एवं संचालित है। |
| | | सिरगिट्टी | 0 | 1(शहरी गौठान) | 0 | |
| | | भाड़ी | 0 | 0 | 01–जय गुरूदेव गौशाला | |
| | | पोड़ी स | 0 | 0 | 01–भृगुऋषि गौशाला | |
| | | बिलासपुर | 0 | 0 | 01–श्री कृष्णा गौशाला | |
| | | हरदी कला | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | कोटा | – | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | मस्तूरी | गतौरा | 0 | 0 | 01–मां भुनेश्वरी गौशाला | |
| | | ओखर | 0 | 0 | 01–श्री वासुदेव गौशाला | |
| | | कनई खोंदरा | 0 | 0 | 0 | |
| | | जैतपुर | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | तखतपुर | लाखासार | 0 | 0 | 01–कामधेनू गौशाला | |
| | | योग | 0 | 2 | 06 | |

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 10-07-2026
10:28:42

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परिशिष्ट - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 648) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांकित अवधि में जतमई जलप्रपात में स्वीकृत विभिन्न पर्यटन विकास कार्यों का कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

| क्रं. | वित्तीय वर्ष | विभाग का नाम | वनमंडल का नाम | योजना का नाम | कार्य स्थल का विवरण | ईको पर्यटन विकास कार्य के अंतर्गत कराये गये कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | कार्य की अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2023–24 | | | ———————————————— निरंक ———————————————— | | | | | |
| 2 | 2024–25 | | | मांग संख्या 10–2406 राज्य आयोजना (सा) 2536 पर्यावरण वानिकी योजना | जतमई जल प्रपात | चेंजिंग रूम | 653000.00 | 0.00 | वित्तीय वर्ष 2024–25 में FDS-2.0 (ई–कुबेर बाधित होने के कारण अव्यवस्थित शेष राशि 2821721.00 रू का आबंटन वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 01 | 335654.00 | 0.00 | |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 02 | 312185.00 | 0.00 | |
| | | | | | | गार्डन | 429764.00 | 178279.00 | |
| | | | | | | गार्डन हेतु सामग्री क्रय | 1101397.00 | 0.00 | |
| | | | | | | पाथ–वे | 168000.00 | 0.00 | |
| **योग :– वर्ष 2025–26** | | | | | | | **3000000.00** | **178279.00** | |
| 2 | 2025–26 | वन विभाग | गरियाबंद | मांग संख्या 10–2406 राज्य आयोजना (सा) 2536 पर्यावरण वानिकी योजना | जतमई जल प्रपात | चेंजिंग रूम | 653000.00 | 653000.00 | कार्यपूर्ण |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 01 | 335654.00 | 335654.00 | |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 02 | 312185.00 | 312185.00 | |
| | | | | | | गार्डन | 251485.00 | 251485.00 | |
| | | | | | | गार्डन हेतु सामग्री क्रय | 1101397.00 | 1101397.00 | |
| | | | | | | पाथ–वे | 168000.00 | 168000.00 | |
| **योग :– वर्ष 2025–26** | | | | | | | **2821721.00** | **2821721.00** | |

"प्रपत्र "अ"

## परिशिष्ट - पैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 649) की जानकारी

राजिम विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी

वर्ष – 2023–24

| क्र | विकासखण्ड | ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम / विवरण | स्वीकृत | व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गरियाबंद | कोचवाय | ग्राम कोचवाय गायत्री मंदिर जीर्णोद्वार कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 2 | फिंगेश्वर | बहेरापाल | माता शीतला मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 3 | फिंगेश्वर | लचकेरा | मौली माता मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 4 | फिंगेश्वर | पितईबंद | शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 5 | फिंगेश्वर | पितईबंद | गुरूघासीदास मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 2.70 | 2.70 |
| 6 | फिंगेश्वर | भसेरा | शीतला मंदिर जीर्णोद्धार / मरम्मत कार्य | 2.70 | 2.70 |
| 7 | फिंगेश्वर | बेलटुकरी | गायत्री मंदिर भवन जीर्णोद्धार / मरम्मत कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 8 | फिंगेश्वर | रोहिना | अन्नपूर्णा मंदिर के जीर्णोद्धार / मरम्मत कार्य | 4.97 | 4.97 |
| 9 | फिंगेश्वर | रोहिना | शीतला मंदिर भवन जीर्णोद्धार कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 10 | फिंगेश्वर | रोहिना | ग्राम रोहिना बुढ़ादेव मंदिर गोड़ समाज के जीर्णोद्धार मरम्मत कार्य | 4.99 | 2.49 |
| 11 | फिंगेश्वर | सिर्रीखुर्द | शिव मंदिर बाबाजी जीर्णोद्धार | 4.93 | 2.00 |
| 12 | फिंगेश्वर | गुण्डरदेही | शीतला मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 4.99 | 4.99 |
| 13 | फिंगेश्वर | बारूला | शीतला माता मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 4.80 | 4.30 |
| 14 | फिंगेश्वर | चैतरा | मौली माता मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 4.56 | 2.28 |
| 15 | फिंगेश्वर | परसट्ठी / सेंदर | शीतला माता मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 4.90 | 2.45 |
| 16 | फिंगेश्वर | लचकेरा | राधाकृष्ण मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 4.78 | 4.30 |
| 17 | फिंगेश्वर | खैरझिटी | शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 4.55 | 1.82 |
| 18 | फिंगेश्वर | जामगांव | शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष | 5.00 | 5.00 |
| 19 | फिंगेश्वर | बोरिद | डोगेश्वर मंदिर के पास धर्मशाला | 5.00 | 5.00 |
| 20 | फिंगेश्वर | धुरसा | शिव मंदिर भवन जीर्णोद्धार / मरम्मत कार्य कार्य | 5.00 | 5.00 |
| 21 | फिंगेश्वर | धुरसा | शीतला मंदिर जीर्णोद्धार | 4.95 | 4.93 |
| 22 | फिंगेश्वर | रोबा | जय बूढ़ा देव मंदिर जीर्णोद्धार | 4.97 | 4.95 |
| 23 | फिंगेश्वर | रोहिना | गुरूघासीदास मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 5.00 | 2.50 |
| 24 | फिंगेश्वर | छुईहा | रामकृष्ण मंदिर जीर्णोद्धार कार्य | 5.00 | 4.50 |

अनुभाग अधिकारी
धार्मिकन्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

अपर कलेक्टर
जिला गरियाबंद

राजिम विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

वर्ष – 2024–25

| | विकासखण्ड | ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम / विवरण | स्वीकृत | व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गरियाबंद | तेन्दूबाय | माता शीतला मंदिर जीर्णोद्वार कार्य ग्राम तेन्दूबाय | 4.81 | 4.81 |
| 2 | गरियाबंद | नगर पालिका परिषद् गरियाबंद | गायत्री पीठ मंदिर भवन जीर्णोद्वार कार्य गरियाबंद | 5.00 | 2.20 |

अनुभाग अधिकारी
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

अपर कलेक्टर
जिला गरियाबंद

राजिम विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

गरियाबन्द वन मण्डल गरियाबन्द

| क्र. | वित्तीय वर्ष | विभाग का नाम | वन मण्डल का नाम | योजना का नाम | कार्य स्थल का विवरण | ईको पर्यटन विकास कार्य के अंतर्गत कराये गये कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | कार्य की अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2023–24 | वन विभाग | गरियाबन्द | | | —— निरंक —— | | | |
| 2 | 2024–25 | वन विभाग | गरियाबन्द | मांग संख्या 10–2406 राज्य आयोजना (सा.) 2536 पर्यावरण वानिकी योजना | जतमई जल प्रपात | चेंजिंग रूम | 653000.00 | 0.00 | वित्तीय वर्ष 2024–2 में FDS 2.0 (ई–कुबे बाधित होने के कार अव्ययित शेष राशि 2821721.00 रू. क आबंटन वित्तीय व 2025–26 में प्राप्त |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 01 | 335654.00 | 0.00 | |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 02 | 312185.00 | 0.00 | |
| | | | | | | गार्डन | 429764.00 | 178279.00 | |
| | | | | | | गार्डन हेतु सामग्री क्रय | 1101397.00 | 0.00 | |
| | | | | | | पाथ–वे | 168000.00 | 0.00 | |
| | | | | योग :– वर्ष 2024–25 | | | 3000000.00 | 178279.00 | |
| 2 | 2025–26 | वन विभाग | गरियाबन्द | मांग संख्या 10–2406 राज्य आयोजना (सा.) 2536 पर्यावरण वानिकी योजना | जतमई जल प्रपात | चेंजिंग रूम | 653000.00 | 653000.00 | कार्य पूर्ण |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 01 | 335654.00 | 335654.00 | |
| | | | | | | पगोड़ा निर्माण 02 | 312185.00 | 312185.00 | |
| | | | | | | गार्डन | 251485.00 | 251485.00 | |
| | | | | | | गार्डन हेतु सामग्री क्रय | 1101397.00 | 1101397.00 | |
| | | | | | | पाथ–वे | 168000.00 | 168000.00 | |
| | | | | योग :– वर्ष 2025–26 | | | 2821721.00 | 2821721.00 | |

अनुभाग अधिकारी
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

वन मण्डलाधिकारी
गरियाबन्द वन मण्डल गरियाबन्द

प्रपत्र "ब"

| क. | वित्तीय वर्ष | नोडल एजेंसी / विभाग / संस्था एवं स्थान (कार्य जन सुविधायें) | आंबटित राशि | व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | 2023–24 | (1) छ0ग0टूरिज्म बोर्ड को राजिम माघी पुन्नी मेंला | 15,41,00,000.00 | 15,39,90,000.00 |
| | | (2) कलेक्टर गरियांबंद को राजिम माघी पुन्नी मेंला में सांस्कृतिक कार्यक्रम | 45,00,000.00 | 44,44,000.00 |
| | | (3) मॉ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोगरगढ, राजनांदगांव के क्वार एवं चैत नवरात्रि पर्व | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (4) बस्तर दशहरा पर्व | 25,00,000.00 | 25,00,000.00 |
| | | (5) जशपुर दशहरा पर्व | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (6) मुंगेली लालपुर मेला | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (7) बलौदा बाजार गिरौधपुरी मेला | 25,00,000.00 | 18,99,000.00 |
| | | (8) बलौदा बाजार दामाखेड़ा | 50,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| 2 | 2024–25 | (1) छ0ग0टूरिज्म बोर्ड को राजिम माघी पुन्नी मेंला | 16,05,17,994.00 | 15,89,82,160.00 |
| | | (2) कलेक्टर गरियांबंद को राजिम माघी पुन्नी मेंला में सांस्कृतिक कार्यक्रम | 59,19,000.00 | 56,00,000.00 |
| | | (3) मॉ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोगरगढ, राजनांदगांव के क्वार एवं चैत नवरात्रि पर्व | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (4) बस्तर दशहरा पर्व | 25,00,000.00 | 25,00,000.00 |
| | | (5) जशपुर दशहरा पर्व | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (6) मुंगेली लालपुर मेला | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |

अनुभाग अधिकारी
धार्मिकन्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

-----2-----

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (7) बलौदा बाजार गिरौधपुरी मेला | 25,00,000.00 | 25,00,000.00 |
| | | (8) बलौदा बाजार दामाखेड़ा | 50,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| 3 | 2025–26 | (1) कलेक्टर गरियांबंद को राजिम कुंभ कल्प मेला–2026 | 9,50,00,000.00 | 8,04,09,432.00 |
| | | (2) कलेक्टर गरियांबंद को राजिम कुंभ कल्प मेंला–2026 में सांस्कृतिक कार्यकम | 45,00,000.00 | 43,20,000.00 |
| | | (3) मॉ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोगरगढ, राजनांदगांव् के क्वार एवं चैत नवरात्रि पर्व | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (4) बस्तर दशहरा पर्व | 25,00,000.00 | 25,00,000.00 |
| | | (5) जशपुर दशहरा पर्व | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (6) मुंगेली लालपुर मेला | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | (7) बलौदा बाजार गिरौधपुरी मेला | 50,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| | | (8) बलौदा बाजार दामाखेड़ा | 50,00,000.00 | 50,00,000.00 |

——000——

अनुभाग अधिकारी
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - छँसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 666) की जानकारी

प्रपत्र

## टीकाद्रव्य की जानकारी (माह जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक)

| क्र | जिले का नाम/विवरण | विधानसभा | विकासखण्ड | चिकित्सा केन्द्र | उपलब्ध खुरपका मुंहपका टीकाद्रव्य की संख्या | उपलब्ध लम्पी टीकाद्रव्य की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बालोद | विधानसभा क्षेत्र क्र. 59– संजारी बालोद | बालोद | पशु चिकित्सालय बालोद विकासखण्ड बालोद | 0 | 1611 |
| 2 | | | बालोद | पशु चिकित्सालय करहीभदर | 3570 | 1600 |
| 3 | | | गुरूर | पशु चिकित्सालय गुरूर विकासखण्ड गुरूर | 7853 | 0 |
| 4 | | विधानसभा क्षेत्र क्र. 60– डौण्डीलोहारा | डौण्डीलोहारा | पशु चिकित्सालय डौण्डीलोहारा विकासखण्ड डौण्डीलोहारा | 4500 | 4600 |
| 5 | | | डौण्डीलोहारा | पशु चिकित्सालय मंगचुवा | 100 | 0 |
| 6 | | | डौण्डी | पशु चिकित्सालय डौण्डी विकासखण्ड डौण्डी | 1482 | 0 |
| 7 | | | डौण्डी | पशु चिकित्सालय दल्लीराजहरा | 0 | 0 |
| 8 | | | डौण्डी | पशु चिकित्सालय कुसुमकसा | 550 | 0 |
| 9 | | | डौण्डी | पशु चिकित्सालय भैंसबोड़ | 1000 | 0 |
| 10 | | | डौण्डी | पशु चिकित्सालय घोटिया | 1479 | 0 |

| क्र | जिले का नाम/विवरण | विधानसभा वार | विकासखण्ड वार | चिकित्सा केन्द्रवार | उपलब्ध खुरपका मुंहपका टीकाद्रव्य की संख्या | उपलब्ध लम्पी टीकाद्रव्य की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | बालोद | विधानसभा क्षेत्र क्र. 61— गुण्डरदेही | गुण्डरदेही | पशु चिकित्सालय गुण्डरदेही | 0 | 0 |
| 12 | | | गुण्डरदेही | पशु चिकित्सालय अर्जुन्दा | 2350 | 1900 |
| 13 | | | गुण्डरदेही | पशु चिकित्सालय खुटेरी विकासखण्ड गुण्डरदेही | 750 | 2400 |
| 14 | | | डौण्डीलोहारा | पशु चिकित्सालय देवरीबंगला | 4000 | 0 |
| 15 | कार्यालय उपसंचालक, प.चि.से. के भण्डार में उपलब्ध | | बालोद | — | 141450 | 55000 |
| | | | | योग | **169084** | **67111** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - सड़सठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 677) की जानकारी

प्रपत्र

## कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आश्रम, छात्रावासों में अधीक्षक के रिक्त पद की जानकारी

| क. | संस्थान | रिक्त पद की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आश्रम | 00 |
| 2 | प्री. मैट्रिक छात्रावास | 18 |
| 3 | पो.मैट्रिक छात्रावास | 00 |
| | **कुल रिक्त पद** | **18** |

इस प्रकार कटघोरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्री.मैट्रिक छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के **18 पद रिक्त** है।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 693) की जानकारी

प्रपत्र – 'अ'

ग्राम पंचायतों की संख्या (दिसम्बर 2023 तक गौठान निर्माण) की जानकारी –

| क. | जिला | ग्राम पंचायत की संख्या (दिसम्बर 2023 तक गौठान निर्माण) |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | रायपुर | 343 |
| 2 | गरियाबंद | 323 |
| 3 | धमतरी | 360 |
| 4 | महासमुंद | 540 |
| 5 | बलौदाबाजार–भाटापारा | 486 |
| 6 | बिलासपुर | 338 |
| 7 | रायगढ़ | 309 |
| 8 | कोरबा | 385 |
| 9 | जांजगीर–चांपा | 293 |
| 10 | मुंगेली | 251 |
| 11 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 163 |
| 12 | सक्ती | 216 |
| 13 | सारंगढ़–बिलाईग | 261 |
| 14 | दुर्ग | 308 |
| 15 | राजनांदगांव | 408 |
| 16 | बालोद | 396 |
| 17 | बेमेतरा | 356 |
| 18 | कबीरधाम | 404 |
| 19 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडाई | 164 |
| 20 | मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी | 204 |
| 21 | बस्तर | 318 |
| 22 | कांकेर | 402 |
| 23 | कोंडागांव | 265 |
| 24 | दंतेवाड़ा | 116 |
| 25 | बीजापुर | 115 |
| 26 | नारायणपुर | 52 |
| 27 | सुकमा | 88 |
| 28 | सरगुजा | 355 |
| 29 | कोरिया | 111 |

| क. | जिला | ग्राम पंचायत की संख्या (दिसम्बर 2023 तक गौठान निर्माण) |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 30 | सूरजपुर | 369 |
| 31 | बलरामपुर–रामानुजगंज | 437 |
| 32 | जशपुर | 438 |
| 33 | मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 226 |
| | **योग** | **9800** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र–'ब'

## गौधाम में संरक्षित पशुधन की जिलेवार जानकारी –

| क्र. | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | गौधाम का नाम | गौधाम संचालन समिति का नाम | संरक्षित पशुधन संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | राजपुर | बासेन | रक्षा वेलफेयर फाउंडेशन, ग्राम–लदकुड, बलरामपुर | 89 |
| 2 | सूरजपुर | भैयाथान | सत्यनगर | श्री गोपाल गौ सेवा समिति सत्यनगर, जिला सूरजपुर | 102 |
| 3 | | सूरजपुर | करवाँ | कामधेनु कल्पतरू सेवा संस्थान करवाँ, सूरजपुर | 165 |
| 4 | | सूरजपुर | गोविन्दपुर | पंचगव्य चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र ग्राम शिवनेदनपुर | 69 |
| 5 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | ग्राम सहसपानी | सरस्वती लक्ष्मी गौशाला सेवा समिति ग्राम अमलडीहा, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 145 |
| 6 | | सारंगढ़ | ग्राम सालर | हरिदेव गौ सेवा समति कंवलाझर, वि. ख. सारंगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 101 |
| 7 | कोरबा | कटघोरा | अमरपुर | सुरभि गौसेवा समिति लखनपुर, पोड़ी उपरोड़ा कोरबा | 162 |
| 8 | बिलासपुर | तखतपुर | लाखासार | कामधेनु गौशाला सेवा समिति, लाखासार, जिला बिलासपुर | 205 |
| 9 | | मस्तूरी | ओखर | श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति, ओखर, जिला बिलासपुर | 190 |
| 10 | | मस्तूरी | श्रीधाम गौधाम जैतपुर | फुलवारी शिक्षण एवं समाजसेवा समिति, खमतराई, बिलासपुर | 115 |
| 11 | | बिल्हा | हरदीकला | भृगुऋषि गौशाला, पोड़ी (स), तह. –बिल्हा, जिला–बिलासपुर, छ.ग. | 15 |
| 12 | | मस्तूरी | कनई (खोंदरा) | सार्थक पहल वेलफेयर सोसायटी, कनई, जिला बिलासपुर | 50 |
| 13 | गौ–पे.–मरवाही | गौरेला | तरईगांव | सजल श्रद्धा विकास गौशाला, तरईगांव, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 55 |
| 14 | | गौरेला | पड़वनिया | गौसेवा संस्थान, पेंड्रारोड, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 102 |

| क. | जिला का नाम | विकासखण्ड का नाम | गौधाम का नाम | गौधाम संचालन समिति का नाम | संरक्षित पशुधन संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | रायपुर | धरसींवा | धनेली | सद्गुरू मानव सेवा असंग आश्रम ग्राम सोनपैरी, जिला रायपुर | 48 |
| 16 | | धरसींवा | मंगसा | गौमाता सेवा समिति, ग्राम–मंगसा, जिला रायपुर | 17 |
| 17 | | तिल्दा | ताराशिव | शंभु शिवा प्रिय सेवा समिति, ग्राम–ताराशिव जिला रायपुर | 92 |
| 18 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | मोहतरा | मां शाकुम्भरी देवी सेवा संस्थान, ग्राम केशडबरी, बलौदाबाजार | 110 |
| 19 | | पलारी | गौधाम कोदवा | श्री महालक्ष्मी गौ सेवा संस्थान ग्राम लटुवा | 85 |
| 20 | महासमुंद | सरायपाली | कुटेला | माँ शारदा गौशाला समिति, नवरंगपुर, सरायपाली, महासमुंद | 42 |
| 21 | धमतरी | कुरूद | गाड़ाडीह | मां पावर्ती गौ सेवा एवं जनकल्याण समिति ग्राम गाड़ाडीह, धमतरी | 50 |
| 22 | दुर्ग | धमधा | ग्राम नारधा | सर्वोदय मंदिर फाउंडेशन, भिलाई–3, जिला दुर्ग | 106 |
| 23 | | दुर्ग | ग्राम उमरपोटी | एकता स्व सहायता समूह ग्राम उमरपोटी, तह. व जिला दुर्ग | 231 |
| 24 | बेमेतरा | साजा | केंवतरा | मां भगवती गौशाला समिति ग्राम पिपरिया, जिला बेमेतरा | 203 |
| 25 | | साजा | देवकर | केशव कुंज गौसेवा समिति ग्राम देवकर, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा | 238 |
| 26 | | साजा | राखी | अन्नपूर्ण स्व सहायता समूह, ग्राम राखी, वि.ख. साजा, जिला बेमेतरा | 217 |
| 27 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | ग्राम बरगाही | मां बंजारी गौशाला पिंजरापोल, बरगाही, जिला राजनादांगवं | 90 |
| 28 | | डोंगरगांव | ग्राम गनेरी | श्री गणेश गौशाला गनेरी, वि.ख. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव | 70 |
| | | | | **कुल** | **3164** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 695) की जानकारी

PLGMJ/2365/2026-Agriculture Section(Technical)
I/516061/2026

प्रपत्र–अ

## उर्वरकवार आंकलित मांग, प्राप्ति का विवरण

(इकाई मे.टन)

| क्र. | वर्ष | उर्वरक का नाम | मांग/लक्ष्य | पूर्व बचत (अनु.) | नवीन आवक | कुल भंडारण | सहकारी क्षेत्र में आपूर्ति की मात्रा | निजी क्षेत्र में आपूर्ति की मात्रा | उर्वरक अनुपात | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | सहकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र |
| 1 | खरीफ 2024 (1 अप्रैल 2024 से 30.09.2024) | यूरिया | 650000 | 235269 | 626433 | 861702 | 442441 | 419261 | 51 | 49 |
| | | डी.ए.पी. | 340000 | 93498 | 225293 | 318791 | 221839 | 96952 | 70 | 30 |
| | | एन.पी.के. | 120000 | 56051 | 159780 | 215831 | 118057 | 97774 | 55 | 45 |
| | | एम.ओ.पी. | 58000 | 36505 | 46638 | 83143 | 51556 | 31587 | 62 | 38 |
| | | एस.एस.पी. | 200000 | 110051 | 139983 | 250034 | 108903 | 141131 | 44 | 56 |
| | | **योग** | **1368000** | **531374** | **1198127** | **1729501** | **942796** | **786705** | **55** | **45** |
| 2 | खरीफ 2025 (1 अप्रैल 2025 से 30.09.2025) | यूरिया | 712000 | 194880 | 591744 | 786623 | 455233 | 331390 | 58 | 42 |
| | | डी.ए.पी. | 310000 | 40745 | 217972 | 258718 | 164680 | 94038 | 64 | 36 |
| | | एन.पी.के. | 180000 | 44192 | 232477 | 276669 | 117883 | 158786 | 43 | 57 |
| | | एम.ओ.पी. | 60000 | 36986 | 46636 | 83622 | 55758 | 27864 | 67 | 33 |
| | | एस.एस.पी. | 200000 | 149466 | 175469 | 324935 | 157913 | 167022 | 49 | 51 |
| | | **योग** | **1462000** | **466269** | **1264298** | **1730567** | **951467** | **779100** | **55** | **45** |
| 3 | खरीफ 2026 (1 अप्रैल 2026 से 30.06.2026) | यूरिया | 725000 | 260376 | 364826 | 625202 | 426001 | 199200 | 68 | 32 |
| | | डी.ए.पी. | 300000 | 104311 | 45563 | 149874 | 93582 | 56292 | 62 | 38 |
| | | एन.पी.के. | 250000 | 174064 | 33240 | 207304 | 121371 | 85933 | 59 | 41 |
| | | एम.ओ.पी. | 80000 | 50497 | 27349 | 77846 | 60052 | 17795 | 77 | 23 |
| | | एस.एस.पी. | 200000 | 181771 | 74509 | 256280 | 138142 | 118138 | 54 | 46 |
| | | **योग** | **1555000** | **771019** | **545487** | **1316506** | **839148** | **477358** | **64** | **36** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:22:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव,**
**छत्तीसगढ़ शासन,**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

C:\Users\Hitesh\Downloads\कृषि प्रपत्र 695A_A

PLGMJ/2365/2026-Agriculture Section(Technical) I/516068/2026

प्रपत्र–ब

# खरीफ 2024, खरीफ 2025 एवं खरीफ 2026 बीज मांग एवं भंडारण की जानकारी

(मात्रा क्विं. में )

| क. | फसल | खरीफ 2024 | | | | | खरीफ 2025 | | | | | खरीफ 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कृषि विभाग से प्राप्त बीज मांग | भण्डारण | | | | कृषि विभाग से प्राप्त बीज मांग | भण्डारण | | | | कृषि विभाग से प्राप्त बीज मांग | भण्डारण | | | |
| | | | सहकारी समिति | कृषि विभाग | प्रकिया केन्द्र से नगद विक्रय | कुल भंडारण | | सहकारी समिति | कृषि विभाग | प्रकिया केन्द्र से नगद विक्रय | कुल भंडारण | | सहकारी समिति | कृषि विभाग | प्रकिया केन्द्र से नगद विक्रय | कुल भंडारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | धान | 5,09,380 | 4,30,176 | 15,303 | 20,167 | 4,65,645 | 4,78,383 | 4,38,782 | 12,106 | 20,242 | 4,71,130 | 4,79,005 | 4,26,520 | 6,277 | 19,167 | 4,51,964 |
| 2 | मक्का हाई | 2,960 | - | - | - | - | - | | | | - | 320 | | | | - |
| 3 | रागी | 4,835 | 397 | 2,545 | 151 | 3,092 | 2,629 | - | 1,497 | 3 | 1,500 | 1,630 | 99 | 521 | - | 620 |
| 4 | कोदो–कुटकी | 2,132 | 108 | 1,131 | 76 | 1,315 | 1,802 | 103 | 804 | 2 | 909 | 1,541 | - | 136 | 0 | 136 |
| | **योग अनाज** | **5,19,307** | **4,30,680** | **18,979** | **20,394** | **4,70,052** | **4,82,814** | **4,38,885** | **14,407** | **20,247** | **4,73,539** | **4,82,496** | **4,26,619** | **6,934** | **19,167** | **4,52,719** |
| 5 | अरहर | 3,935 | 164 | 1,445 | 94 | 1,704 | 2,224 | 222 | 1,091 | 1,678 | 2,991 | 2,289 | 165 | 3,137 | 40 | 3,341 |
| 6 | उड़द | 3,525 | 119 | 1,633 | 78 | 1,829 | 2,515 | 220 | 1,265 | 55 | 1,540 | 1,964 | 10 | 1,002 | 6 | 1,018 |
| 7 | मूंग | 2,342 | 70 | 1,200 | 10 | 1,279 | 1,440 | 4 | 191 | 8 | 203 | 455 | 348 | 1,717 | 0 | 2,065 |
| 8 | कुल्थी | 52 | - | - | - | - | 44 | - | 3 | 6 | 9 | 15 | - | - | - | - |
| | **योग दलहन** | **9,854** | **353** | **4,277** | **182** | **4,812** | **6,224** | **447** | **2,549** | **1,747** | 4,743 | **4,723** | **522** | **5,855** | **47** | **6,424** |
| 9 | सोयाबीन | 15,115 | 1,307 | 491 | 69 | 1,867 | 2,162 | 854 | 1,141 | 59 | 2,054 | 1,975 | - | - | - | - |
| 10 | तिल | 287 | - | 35 | 2 | 36 | 102 | - | 52 | 1 | 53 | 101 | - | 37 | - | 37 |
| 11 | रामतिल | 328 | - | 4 | 6 | 11 | 220 | - | 39 | 1 | 40 | 108 | - | 11 | 1 | 11 |
| 12 | मूंगफली | 5,079 | - | 1,245 | 29 | 1,275 | 1,537 | 200 | 6,982 | 25 | 7,207 | 5,071 | - | 6,835 | - | 6,835 |
| 13 | सूर्यमुखी | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **योग तिलहन** | **20,949** | **1,307** | **1,775** | **106** | **3,189** | **4,021** | **1,054** | **8,214** | **86** | 9,354 | **7,255** | **-** | **6,883** | **1** | **6,883** |
| 14 | ढेंचा | 4,479 | 174 | 2,218 | 62 | 2,453 | 1,999 | - | 12 | 2 | 14 | 532 | 960 | 2,868 | 10 | 3,839 |
| | **कुल योग समस्त** | **5,54,589** | **4,32,514** | **27,249** | **20,743** | **4,80,506** | **4,95,058** | **4,40,385** | **25,182** | **22,083** | **4,87,650** | **4,95,006** | **4,28,101** | **22,540** | **19,224** | **4,69,866** |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:23:13

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव,**
**छत्तीसगढ़ शासन,**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र–स

उर्वरक कंपनी द्वारा निजी संस्थाओं को विक्रय किये गये उर्वरक की दर तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर का वर्षवार, कंपनीवार, उर्वरकवार विवरण

| क्र. | उर्वरक प्रदाय कंपनी का नाम | वर्ष 2024–25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र हेतु विक्रय मूल्य (रू/मे.टन.) | | | | | | | | | निजी क्षेत्र द्वारा कृषकों हेतु विक्रय मूल्य (रू/मे.टन.) | | | | | | | | |
| | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | | |
| | | | | 20:20:0:13 | 12:32:16 | 28:28:00 | | पाउडर | दानेदार | जिंकेटेड | | | 20:20:0:13 | 12:32:16 | 28:28:00 | | पाउडर | दानेदार | जिंकेटेड |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | नेशनल फर्टिलाईजर लि. | 5556.37 | 26527.49 | - | - | - | - | - | - | - | 5921.63 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टि.लि. | 5556.37 | | - | - | - | - | - | - | - | 5921.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | कृभको | 5356.37 | 25916.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5922.22 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | कृभको (के.एफ.एल.) | 5356.37 | 25916.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5922.22 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि. | 5288.00 | 26107.50 | 24186.29 | - | 33107.50 | - | 9800.00 | 10600.00 | 11300.00 | 5340.00 | 27000.00 | 25000.00 | - | 34000.00 | - | 10200.00 | 11000.00 | 11700.00 |
| 6 | पारादीप फास्फेट लिमि. | - | 26475.00 | 23475.00 | 28875.00 | - | 31975.00 | - | - | - | - | 27000.00 | 24000.00 | 29400.00 | - | 32500.00 | - | - | - |
| 7 | एच.यू.आर.एल. | 5000.00 | 26500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5330.00 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | इंडियन पोटाश लिमिटेड | 5286.00 | 25234.00 | 24668.00 | - | - | 30452.00 | 8702.00 | - | - | 5922.00 | 27000.00 | 26400.00 | - | - | 32700.00 | 12800.00 | - | - |
| 9 | चम्बल फर्टिलाईज एण्ड केमि.लिमि. | 5550.90 | 26475.00 | | - | - | 33317.44 | - | - | - | 5922.00 | 27000.00 | - | - | 34000.00 | - | - | - | - |
| 10 | कृष्णा फास्केम लिमिटेड | - | - | 23475.00 | - | - | 31975.00 | 9220.00 | 10060.00 | 9640.00 | - | - | 24000.00 | - | - | 32500.00 | 9480.00 | 10320.00 | 9900.00 |
| 11 | ओस्तवाल फास्केम इंडिया लिमिटेड | - | - | 23475.00 | - | - | 31975.00 | 9220.00 | 10060.00 | 9640.00 | - | - | 24000.00 | - | - | 32500.00 | 9480.00 | 10320.00 | 9900.00 |
| 12 | श्री गणपति फर्टिलाईजर लिमिटेड | - | - | 23475.00 | - | - | 31975.00 | 9220.00 | 10060.00 | 9640.00 | - | - | 24000.00 | - | - | 32500.00 | 9480.00 | 10320.00 | 9900.00 |
| 13 | मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटिड | - | - | 23475.00 | - | - | 31975.00 | 9220.00 | 10060.00 | 9640.00 | - | - | 24000.00 | - | - | 32500.00 | 9480.00 | 10320.00 | 9900.00 |
| 14 | बी.ई.सी. फर्टिलाइजर बिलासपुर | - | - | - | - | - | - | 9117.50 | 9937.50 | 9537.50 | - | - | - | - | - | - | 9380.00 | 10200.00 | 9800.00 |

PLGMJ/2365/2026-Agriculture Section(Technical)
I/516070/2026

| क्र. | उर्वरक प्रदाय कंपनी का नाम | वर्ष 2025–26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र विक्रय मूल्य (रू./मे.टन) | | | | | | | | | निजी क्षेत्र द्वारा कृषकों विक्रय मूल्य (रू./मे.टन) | | | | | | | | |
| | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | | |
| | | | | 20:20:0:13 | 12:32:16 | 28:28:00 | | पाउडर | दानेदार | जिंकेटेड | | | 20:20:0:13 | 12:32:16 | 28:28:00 | | पाउडर | दानेदार | जिंकेटेड |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | नेशनल फर्टिलाईजर लि. | 5556.37 | 26527.49 | 28527.40 | - | - | - | - | - | - | 5921.63 | 27000.00 | 29000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टि.लि. | 5556.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5921.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | कृभको | 5320.37 | 25916.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5922.22 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | कृभको (के.एफ.एल.) | 5356.37 | 25916.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5922.22 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि. | 5288.00 | 26107.50 | 26186.27 | - | 33107.50 | - | 9800.00 | 10600.00 | - | 5340.00 | 27000.00 | 27000.00 | - | 34000.00 | - | 10200.00 | 11000.00 | - |
| 6 | पारादीप फास्फेट लिमि. | - | 26475.00 | 28475.00 | 37475.00 | | 35475.00 | - | - | - | - | 27000.00 | 29000.00 | 38000.00 | - | 36000.00 | - | - | - |
| 7 | एच.यू.आर.एल. | 5000.00 | 26500.00 | 27440.00 | - | - | - | - | - | - | 5330.00 | 27000.00 | 28000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | इंडियन पोटाश लिमिटेड | - | - | - | - | - | 33785.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36000.00 | - | - | - |
| 9 | चम्बल फर्टिलाईज एण्ड केमि.लिमि. | 5550.92 | 26600.00 | 27500.00 | 34000.00 | - | 35250.00 | - | - | - | 5922.00 | 27000.00 | 28000.00 | 34500.00 | - | 36000.00 | - | - | - |
| 10 | कृष्णा फास्केम लिमिटेड | - | - | 28475.00 | 37475.00 | - | 35475.00 | 9220.00 | 10340.00 | 9940.00 | - | - | 29000.00 | 38000.00 | - | 36000.00 | 9480.00 | 10600.00 | 10200.00 |
| 11 | ओस्तवाल फास्केम इंडिया लिमिटेड | - | - | 28475.00 | 37475.00 | - | 35475.00 | 9220.00 | 10340.00 | 9940.00 | - | - | 29000.00 | 38000.00 | - | 36000.00 | 9480.00 | 10600.00 | 10200.00 |
| 12 | श्री गणपति फर्टिलाईजर लिमिटेड | - | - | 28475.00 | 37475.00 | - | 35475.00 | 9220.00 | 10340.00 | 9940.00 | - | - | 29000.00 | 38000.00 | - | 36000.00 | 9480.00 | 10600.00 | 10200.00 |
| 13 | मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटिड | - | - | 28475.00 | 37475.00 | - | 35475.00 | 9220.00 | 10340.00 | 9940.00 | - | - | 29000.00 | 38000.00 | - | 36000.00 | 9480.00 | 10600.00 | 10200.00 |
| 14 | बी.ई.सी. फर्टिलाइजर बिलासपुर | - | - | - | - | - | - | 9217.50 | 10057.50 | 9637.50 | - | - | - | - | - | - | 9480.00 | 10320.00 | 9900.00 |

PLGMJ/2365/2026-Agriculture Section(Technical)

I/516070/2026

| क्र. | उर्वरक प्रदाय कंपनी का नाम | वर्ष 2026–27 (30.06.26) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र विक्रय मूल्य (रू./मे.टन) | | | | | | | | | निजी क्षेत्र द्वारा कृषकों विक्रय मूल्य (रू./मे.टन) | | | | | | | | |
| | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | | | यूरिया | डी.ए.पी. | एन.पी.के. | | | एम.ओ.पी. | एस.एस.पी. | | |
| | | | | 20:20:0:13 | 12:32:16 | 28:28:00 | | पाउडर | दानेदार | जिंकेटेड | | | 20:20:0:13 | 12:32:16 | 28:28:00 | | पाउडर | दानेदार | जिंकेटेड |
| *1* | *2* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *32* | *33* | *34* | *35* | *36* | *37* | *38* |
| 1 | नेशनल फर्टिलाईजर लि. | 5921.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5556.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टि.लि. | 5928.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5928.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | कृभको | 5320.37 | 25916.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5922.22 | 27000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | कृभको (के.एफ.एल.) | 5356.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5922.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि. | 5922.22 | 27000.00 | 36000.00 | 39000.00 | 38000.00 | 36000.00 | 12000.00 | 12800.00 | 13500.00 | 5922.22 | 27000.00 | 36000.00 | 39000.00 | 38000.00 | 36000.00 | 12000.00 | 12800.00 | 13500.00 |
| 6 | पारादीप फास्फेट लिमि. | - | 132.00 | 2075.00 | 2000.00 | - | 1950.00 | - | - | - | - | 1350.00 | 2100.00 | 2025.00 | - | 1975.00 | - | - | - |
| 7 | एच.यू.आर.एल. | 5558.11 | 26496.0 | | | | | | | | 5922.2 | 27000 | | | | | | | |
| 8 | इंडियन पोटाश लिमिटेड | 5886.00 | 25234.00 | - | - | - | 37119.00 | 10245.00 | - | - | 5536.00 | 25714.00 | - | - | - | 37619.00 | 10495.00 | - | - |
| 9 | चम्बल फर्टिलाईज एण्ड केमि.लिमि. | 5550.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5922.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | कृष्णा फास्केम लिमिटेड | - | - | 41475.00 | 48475.00 | - | 38975.00 | 10760.00 | 11560.00 | 5635.00 | - | - | 42000.00 | 49000.00 | - | 38975.00 | 11020.00 | 11820.00 | 11520.00 |
| 11 | ओस्तवाल फास्केम इंडिया लिमिटेड | - | - | | 48475.00 | - | 38975.00 | 10760.00 | 11560.00 | 5635.00 | - | - | | 49000.00 | - | 38975.00 | 11020.00 | 11820.00 | 11520.00 |
| 12 | श्री गणपति फर्टिलाईजर लिमिटेड | - | - | | 48475.00 | - | 38975.00 | 10760.00 | 11560.00 | 5635.00 | - | - | | 49000.00 | - | 38975.00 | 11020.00 | 11820.00 | 11520.00 |
| 13 | मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटिड | - | - | 41475.00 | 48475.00 | - | 38975.00 | 10760.00 | 11560.00 | 5635.00 | - | - | 42000.00 | 49000.00 | - | 38975.00 | 11020.00 | 11820.00 | 11520.00 |
| 14 | बी.ई.सी. फर्टिलाइजर बिलासपुर | - | - | - | - | - | | 10757.50 | 11557.50 | 11257.50 | - | - | - | - | - | - | 11020.00 | 11820.00 | 11520.00 |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:24:04

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव,**
**छत्तीसगढ़ शासन,**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रपत्र द

## सहकारी समितियों से किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर

(इकाई– रू. प्रति बोरी)

| क्र. | उर्वरक का नाम | कृषक को विक्रय दर | | |
|---|---|---|---|---|
| | | खरीफ 2024 | खरीफ 2025 | खरीफ 2026 |
| 1 | युरिया (45 कि.ग्रा) | 266.50 | 266.50 | 266.50 |
| 2 | डीएपी (50 कि.ग्रा) | 1350 | 1350 | 1350 |
| 3 | एनपीके 12:32:16 (50 कि.ग्रा) | 1470 | 1720 | 1990 |
| 4 | एनपीके 20:20:0:13 (50 कि.ग्रा) | 1200 | 1300 | 1850 |
| 5 | एमओपी (50 कि.ग्रा) | 1625 | 1535 | 1975 |
| 6 | एसएसपी पावडर (50 कि.ग्रा) | 469 | 474 | 551 |
| 7 | एसएसपी दानेदार (50 कि.ग्रा) | 510 | 516 | 591 |
| 8 | एसएसपी जिंकेटेड (50 कि.ग्रा) | 490 | 495 | 576 |
| 9 | टी.एस.पी. | - | - | 1300 |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:25:00

(विकास मिश्रा)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–इ

## खरीफ 2024, खरीफ 2025 एवं खरीफ 2026 में कृषकों को प्रमाणित बीज विक्रय हेतु निर्धारित विक्रय दर

दर राशि रू. प्रति क्विं.

| क. | फसल | अवधि | विक्रय दर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | खरीफ 2024 | खरीफ 2025 | खरीफ 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | धान मोटा | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | 3,400 | 3,550 | 3,478 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 3,538 |
| 2 | धान (पतला) | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | 3,900 | 4,030 | 3,919 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 3,949 |
| 3 | धान सुगंधित | समस्त किस्में | 4,500 | 4650 | 4,803 |
| 4 | कोदो | समस्त किस्में | 7,200 | 7300 | 7,245 |
| 5 | कुटकी | समस्त किस्में | 4,700 | - | |
| 6 | रागी | समस्त किस्में | 3,400 | 4500 | 7,229 |
| 7 | अरहर | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | 11,994 | 11800 | 11,369 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | 13,596 | 12500 | 13,220 |
| 8 | उड़द | 05 वर्ष के अन्दर की किस्में | 12,500 | 11,300 | 14,351 |
| | | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | | | 14,007 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 14,351 |
| 9 | मूंग | 05 वर्ष के अन्दर की किस्में | 11,200 | 11,400 | 14,006 |
| | | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | | | 13,390 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 14,006 |
| 10 | कुल्थी | समस्त किस्में | - | 7750 | 3,893 |
| 11 | सोयाबीन | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | 8,200 | 7,400 | 9,573 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 9,805 |
| 12 | तिल | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | 19,300 | 19,300 | 20,539 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 20,557 |
| 13 | मूंगफली | 10 वर्ष के अन्दर की किस्में | 11,900 | 11,900 | 11,816 |
| | | 10 वर्ष के ऊपर की किस्में | | | 11,816 |
| 14 | रामतिल | समस्त किस्में | 13,000 | 13000 | 12,846 |
| 15 | सनई | समस्त किस्में | 11,600 | 11600 | - |
| 16 | ढेंचा | समस्त किस्में | 9,900 | 9900 | 22,057 |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:25:48

(विकास मिश्रा)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र –ई

बीज आपूर्ति की जानंकारी– उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

| क. | वर्ष | रिमार्क | फसल का नाम | किस्म का नाम | इण्डेन्ट (मांग) की मात्रा (कि.ग्रा. में) | प्राप्त बीज की मात्रा (कि.ग्रा. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024–25 | खरीफ | भिण्डी | काशी क्रांति | 12.00 | 7.50 |
| | | | बरबटी | काशी कंचन | 25.00 | 25.00 |
| | | | चिकनी तरोई | काशी दिव्या | 3.75 | 3.75 |
| | | | हल्दी | रोमा | 1000.00 | 0.00 |
| | | | अदरक | सुप्रभा | 900.00 | 0.00 |
| | | | खीरा | पंत खीरा–1 | 0.63 | 0.63 |
| | | | लौकी | पीएसपीएल | 2.50 | 2.50 |
| | | योग –1 | | | **1943.88** | **39.38** |
| 2 | 2025–26 | खरीफ | भिण्डी | काशी क्रांति | 98.00 | 93.00 |
| | | | | वर्षा उपहार | 10.00 | 0.00 |
| | | | | परभनी क्रांति/अकर्ि अनामिका/अर्का अभय | 2.50 | 0.00 |
| | | | | काशी प्रगति | 5.00 | 0.00 |
| | | | बरबटी | काशी कंचन | 159.00 | 159.00 |
| | | | | पूसा स्नेह | 5.00 | 0.00 |
| | | | लौकी | पीएसपीएल | 2.50 | 0.00 |
| | | योग –2 | | | **282.00** | **252.00** |
| 3 | 2026–27 (जून 2026 तक) | निरंक | | | | |
| | | | महायोग (1+2) | | **2225.88** | **291.38** |

Digitally signed by Vikas Mishra Date: 10-07-2026 18:27:04

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव,**
**छत्तीसगढ़ शासन,**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

PLGMJ/2365/2026-Agriculture Section(Technical)

I/516086/2026

**प्रपत्र –क**

| क्र. | वर्ष | उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत किये गये निरीक्षण की संख्या | कालाबाजारी – अनियमितता पर की गई कार्यवाही | | | | | जमाखोरी – अनियमितता पर की गई कार्यवाही | | | | | वितरण अनियमितता – अनियमितता पर की गई कार्यवाही | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नोटिस | लायसेंस निलंबन | लायसेंस निरस्त | एफ.आई. आर. | न्यायलय में प्रस्तुत | नोटिस | लायसेंस निलंबन | लायसेंस निरस्त | एफ.आई. आर. | न्यायलय में प्रस्तुत | नोटिस | लायसेंस निलंबन | लायसेंस निरस्त | एफ.आई. आर. | न्यायलय में प्रस्तुत | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | खरीफ 2024 (1 अप्रैल 2024 से 30.09.2024) | 3161 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | – |
| 2 | खरीफ 2025 (1 अप्रैल 2025 से 30.09.2025) | 5418 | 17 | 4 | 4 | 5 | 16 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 296 | 28 | 4 | 0 | 3 | – |
| 3 | खरीफ 2026 (1 अपैल 2026 से 30.06.2026) | 4337 | 140 | 30 | 4 | 2 | 6 | 19 | 5 | 2 | 1 | 12 | 270 | 17 | 2 | 0 | 1 | – |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
18:28:10

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव,**
**छत्तीसगढ़ शासन,**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 722) की जानकारी

वि

वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय/खर्च एवं बचत/अव्ययित राशि का विवरण

(राशि ल

| योजना का नाम | मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष | योजना कमांक | बजट प्रावधान | खर्च/व्यय राशि | बचत/ अव्ययित राशि | बचत/अव्ययित रहने का स्पष्ट कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 33-2202 | 363 | 336.00 | 250.25 | 85.75 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण |
| कीडा परिसर | 33-2202 | 979 | 468.00 | 418.91 | 49.09 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण |
| गुरुकुल विद्यालय | 33-2202 | 1117 | 54.00 | 50.35 | 3.65 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण |
| कीडा परिसर (निर्माण) | **33-4225** | 979 | 200.00 | 178.61 | 21.39 | शेष कार्यों में मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने के कारण |
| जिला प्रशासन (निर्माण) | **33-4225** | 1483 | 50.00 | 45.36 | 4.64 | शेष कार्यों में मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने के कारण |
| सामुदायिक भवन निर्माण | **33-4225** | 5705 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | — |
| संचालनालय (वाहन) | **33-4225** | 6130 | 100.00 | 99.17 | 0.83 | आदिम जाति विकास में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालनालय (व 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। जिसमें से 03 व 923912 के मान से कुल 27,71,736/–, 01 वाहन रु. 8,17,423/ 08 वाहन रु. 790967 के मान से कुल 63,27,737/– इस प्रक राशि रु. 99,16,896/– व्यय हुआ। छ0ग0शासन, वित्त विभाग, म महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/1554/सम./ब– दिनांक 13.05.2024 द्वारा पात्रता अनुसार वाहनों का क्रय किए व कारण पूर्ण राशि का व्यय नहीं हो पाया। |
| **योग** | | | **1223.00** | **1057.65** | **165.35** | |
| आश्रम और शालाएं | 41-2202 | 495 | 19672.56 | 19079.99 | 592.57 | जिलों में मांग न होने के कारण |
| जवाहर उत्कर्ष योजना | 41-2202 | 5092 | 1100.00 | 1024.12 | 75.88 | जिले से मांग/कम व्यय होने के कारण |
| विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम | 41-2202 | 7015 | 42.00 | 27.27 | 14.73 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण |
| मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना | 41-2202 | 7437 | 4896.00 | 4224.54 | 671.46 | वर्ष 2025–26 में प्रयास आवासीय विद्यार्थियों के 5620 स्वीकृ के विरूद्ध 4876 विद्यार्थी प्रवेशित होने के कारण |
| एकीकृत अम्ब्रेला योजना | 41-2202 | 8979 | 11000.00 | 10905.19 | 94.81 | भारत सरकार से राशि अप्राप्त होने के कारण |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभा
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल न

| क्रं. | योजना का नाम | मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष | योजना कमांक | बजट प्रावधान | खर्च/व्यय राशि | बचत/ अव्ययित राशि | बचत/अव्ययित रहने का स्पष्ट कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना | 41-2202 | 6682 | 15.00 | 0.50 | 14.50 | वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योज लक्ष्य 30 विद्यार्थियों के विरूद्ध मात्र 01 विद्यार्थी पात्र पाये जा कारण |
| 14 | कन्या शिक्षा परिसर | 41-2202 | 761 | 763.00 | 704.19 | 58.81 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण |
| 15 | छात्रावास | 41-2202 | 1395 | 16493.00 | 16251.41 | 241.59 | जिलों में मांग न होने के कारण |
| 16 | विशेष कोचिंग केन्द्र योजना | 41-2202 | 2194 | 100.00 | 76.83 | 23.17 | जिलों में मांग न होने के कारण |
| 17 | छात्र भोजन सहाय योजना | 41-2202 | 6140 | 2321.00 | 2320.20 | 0.80 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण |
| 18 | युवा कैरियर निर्माण योजना | 41-2202 | 7363 | 925.20 | 406.07 | 519.13 | जिलों से मांग/कम व्यय होने के कारण |
| 19 | सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना | 41-2202 | 7366 | 18.00 | 1.00 | 17.00 | आवेदनों की संख्या कम होने के कारण |
| 20 | खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न | 41-2202 | 7592 | 2400.00 | 1850.13 | 549.87 | खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से जिला को देयक प्राप्त न हो कारण |
| 21 | विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना | 41-2202 | 8549 | 232.00 | 211.90 | 20.10 | जिलें से मांग/व्यय कम होने के कारण |
| 22 | आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1)) | 41-2202 | 5480 | 4357.26 | 885.43 | 3471.83 | भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से कम राशि प्राप्त हो कारण। |
| 23 | अशासकीय संस्थाओं को अंशदान | 41-2202 | 307 | 3721.00 | 3545.35 | 175.65 | प्रवेशित संख्या कम होने के कारण एवं आवश्यकता अनुसार व्य कारण, बालवाड़ी/आरोग्य केन्द्र संचालित नहीं होने के कारण, से सही मांग पत्र नहीं प्राप्त होने कारण। |
| 24 | आदिवासी विशेष पिछडे समूह | 41-2225 | 5024 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | सामग्री एवं पूर्तियां मद अंतर्गत मांग प्रस्ताव अप्राप्त होने के का |
| 25 | पण्डों एवं भुजिया विकास अभिकरण | 41-2225 | 5475 | 150.00 | 148.80 | 1.20 | जिले/अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष में राशि व्यय न कर पा कारण। |
| 26 | बस्तर विकास प्राधिकरण | 41-2225 | 5601 | 2400.00 | 2396.38 | 3.62 | मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त नही होने के कारण राशि अव्यि |
| 27 | सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण | 41-2225 | 5602 | 300.00 | 299.70 | 0.30 | मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त नही होने के कारण राशि अव्यि |

| कं. | योजना का नाम | मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष | योजना कमांक | बजट प्रावधान | खर्च/व्यय राशि | बचत/ अव्ययित राशि | बचत/अव्ययित रहने का स्पष्ट कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | वन अधिकार अधिनियम | 41-2225 | 6672 | 441.28 | 0.00 | 441.28 | वित्तीय वर्ष 2025–26 के मुख्य बजट में योजना क्रमांक 6672 अ राशि रू. 825.04 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसमें से रा 383.75729 लाख, मांग संख्या 41–2225–02–0102–9853–#14–011 मद में कार्या पत्र क्र. File :FINACC–3602/813/2026–Tribal Section दिनांक 30.03 द्वारा पुनर्विनियोजित की गई है। शेष राशि रू. 441.28271 लाख अ रही। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के धरती आबा–जनजातीय उत्कर्ष अभियान (व।.श्रळन्।) के तहत वन अधिकार अधिनियम, 20 क्रियान्वयन के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना, प्रचार–प्रसार, क्षमता वि एफआरए सेल के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, इन्हीं विष संबंधित बजट राज्य के वित्तीय वर्ष 2025–26 के मुख्य बजट में प्राव था। अतः डुप्लीकेशन की स्थिति को ध्यान में रखकर राज्य बजट से राशि अव्ययित थी। |
| 29 | मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि | 41-2225 | 6687 | 500.00 | 479.21 | 20.79 | लक्ष्य की पूर्ति उपरांत बचत होने के कारण |
| 30 | अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत्। | 41-2225 | 6870 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | शासन स्तर से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अव्ययित रहा। |
| 31 | छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम | 41-2225 | 7344 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | – |
| 32 | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण | 41-2225 | 7995 | 100.00 | 97.00 | 3.00 | मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त नही होने के कारण राशि अव्यि |
| 33 | आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास | 41-2225 | 9853 | 2529.76 | 2475.68 | 54.08 | लक्ष्य की पूर्ति उपरांत बचत होने के कारण |
| 34 | विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | 41-2225 | 7626 | 16365.13 | 0.00 | 16365.13 | भारत सरकार द्वारा 733 चिन्हांकित ग्रामों के लिए कार्ययोजना कर शासन के माध्यम से राशि रू. 165371.20 लाख का प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण प्रावधान शेष है। |
| 35 | आदिवासी विशेष पिछडे समूह | 41-2225 | 5024 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | भारत सरकार से कार्यो की स्वीकृति एवं आबंटन अप्राप्त हे कारण |
| 36 | धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान | 41-2225 | 7169 | 3970.22 | 3704.48 | 265.74 | प्रशासकीय विभाग के द्वारा जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन के स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण। |

| क्रं. | योजना का नाम | मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष | योजना कमांक | बजट प्रावधान | खर्च/व्यय राशि | बचत/ अव्ययित राशि | बचत/अव्ययित रहने का स्पष्ट कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | प्रशासनिक व्यय | 41-2225 | 7121 | 186.39 | 185.73 | 0.66 | प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत प्राप्त राशि आहरण पश्चात् शेष है। |
| 38 | वनबंधु कल्याण योजना | 41-2225 | 7672 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | परियोजना कार्यालय जिला कोण्डागांव के स्टेडियम गेट निर्माण स्वीकृत राशि रू. 12.50 लाख कोषालय कोण्डागांव से तक कारणों से आहरण न होने के कारण उक्त राशि का समर्पण को किया गया है। जिसकी पुर्नस्वीकृति अपेक्षित होने के प्रावधान शेष है। |
| 39 | व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाऐं | 41-2225 | 7627 | 300.00 | 242.76 | 57.24 | लक्ष्य अनुसार विद्यार्थी प्रवेशित न होने के कारण |
| 40 | आश्रम और शालाएं (निर्माण) | **41-4202** | 495 | 1500.00 | 1496.73 | 3.27 | देयक प्रस्तुत करने बाबत्, कोषालय में सर्वर लॉक होने के कारण |
| 41 | छात्रावास (निर्माण) | **41-4202** | 1395 | 2000.00 | 1999.10 | 0.90 | शेष कार्यो में मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने के कारण |
| 42 | विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना | **41-4202** | 1400 | 5540.00 | 5044.70 | 495.30 | जिलो के मांग पत्र प्राप्त नहीं हाने के कारण |
| 43 | विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना | **41-4202** | 8549 | 50.00 | 49.99 | 0.01 | — |
| 44 | विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना (नाबार्ड) | **41-4202** | 1400 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | जिलो के मांग पत्र प्राप्त नहीं हाने के कारण |
| 45 | बस्तर विकास प्राधिकरण (निर्माण) | **41-4225** | 5601 | 4900.00 | 4898.84 | 1.16 | मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त नही होने के कारण राशि अव्यि |
| 46 | सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण (निर्माण) | **41-4225** | 5602 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00 | — |
| 47 | मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण (निर्माण) | **41-4225** | 7995 | 4800.00 | 4768.32 | 31.68 | मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त नही होने के कारण राशि अव्यि |
| 48 | विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम | **41-4225** | 7626 | 21501.48 | 0.00 | 21501.48 | भारत सरकार द्वारा 733 चिन्हांकित ग्रामों के लिए कार्ययोजना कर शासन के माध्यम से राशि रू. 165371.20 लाख का प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण प्रावधान शेष है। |
| 49 | आदिवासी विशेष पिछडे समूह | **41-4225** | 5024 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | भारत सरकार से कार्यो की स्वीकृति एवं आबंटन अप्राप्त हे कारण |

| क्र. | योजना का नाम | मांग संख्या/मुख्य शीर्ष | योजना कमांक | बजट प्रावधान | खर्च/व्यय राशि | बचत/अव्ययित राशि | बचत/अव्ययित रहने का स्पष्ट कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | पी.एम. जनमन योजना | **41-4225** | 7119 | 1200.00 | 847.51 | 352.49 | संबंधित जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष में राशि व्यय न कर पाने के क |
| 51 | धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (निर्माण) | **41-4225** | 7169 | 1598.52 | 293.44 | 1305.08 | प्रशासकीय विभाग के द्वारा जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण। |
| 52 | आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1)) | **41-4225** | 5480 | 16000.00 | 3547.00 | 12453.00 | भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से कम राशि प्राप्त हो कारण। |
| 53 | छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम अंशपूंजी धनवेष्ठन | **41-4225** | 5025 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल ऋण आबंटन प्राप्त नहीं होने के कारण अंशपूंजी की राशि अव रही। |
| 54 | शहीद वीरनारायण स्मारक एवं संग्राहालय | **41-4225** | 7844 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | कोई नवीन स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण |
| | **योग** | | | **167223.80** | **99289.49** | **67934.31** | |
| | **महायोग** | | | **168446.80** | **100347.14** | **68099.66** | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 730) की जानकारी



प्रपत्र

**किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023–24 से 2026–27 तक नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी**

| क्र. | वर्ष | विकासखंड | लक्ष्य | प्राप्त आवेदन संख्या | पंजीकृत आवेदन संख्या | पात्र आवेदन संख्या | अपात्र आवेदन संख्या | पंजीकृत कृषक संख्या जिनके द्वारा खनन कराया गया | पंजीकृत कृषक संख्या जिनके द्वारा पंप प्रतिस्थापन कराया गया | पंजीकृत कृषक संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया | | कृषक संख्या जिन्हें अनुदान प्रदाय नहीं किया गया | लंबित आवेदन की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | खनन अनुदान | पंप अनुदान | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1 | 2023-24 | तखतपुर | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2024-25 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2025--26 | | निरंक | | | | | | | | | | |
| 4 | 2026-27 (अद्यतन) | | निरंक | | | | | | | | | | |

टीप – किसान समृद्धि योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में 01–01 कृषकों से नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण अनुदान राशि प्रदाय नहीं की गई है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
13:27:03

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परिशिष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 755) की जानकारी



प्रपत्र

### बिलासपुर संभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत स्वीकृत अर्दन डेम, चेक डेम एवं स्टॉप डेम निर्माण कार्यो की स्वीकृति

(राशि रू. लाख में)

| क्र. | जिला | वित्तीय वर्ष | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | मूल्यांकन की गई राशि | शेष राशि | निर्माण/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | बिलासपुर | 2023-24 | निरंक | | | | | | | |
| | | 2024-25 | निरंक | | | | | | | |
| | | 2025-26 | कोटा | नगपुरा | चेक डेम | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | जलग्रहण समिति नगपुरा |
| | | | कोटा | तुलुफ | चेक डेम | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | जलग्रहण समिति तुलुफ |
| | | | | | **योग** | **49.38** | **0.00** | **0.00** | **49.38** | |
| 2 | मुंगेली | 2023-24 | पथरिया | सोनपुरी | चेक डेम | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | जलग्रहण समिति बमुरहाडीह |
| | | | पथरिया | सोनपुरी | चेक डेम | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | जलग्रहण समिति बमुरहाडीह |
| | | | पथरिया | सोनपुरी | चेक डेम | 6.05 | 6.03 | 6.03 | 0.02 | जलग्रहण समिति बमुरहाडीह |
| | | | पथरिया | सोनपुरी | चेक डेम | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | जलग्रहण समिति बमुरहाडीह |
| | | | पथरिया | सोनपुरी | चेक डेम | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | जलग्रहण समिति बमुरहाडीह |
| | | | मुंगेली | नुनियाकछार | चेक डेम | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | जलग्रहण समिति पालचुवा |
| | | | मुंगेली | पालचुवा | चेक डेम | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | जलग्रहण समिति पालचुवा |
| | | | मुंगेली | नुनियाकछार | चेक डेम | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | जलग्रहण समिति पालचुवा |
| | | | मुंगेली | पालचुवा | चेक डेम | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | जलग्रहण समिति पालचुवा |
| | | | मुंगेली | नुनियाकछार | चेक डेम | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | जलग्रहण समिति पालचुवा |
| | | 2024-25 | मुंगेली | नुनियाकछार | चेक डेम | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | जलग्रहण समिति पालचुवा |
| | | 2025-26 | निरंक | | | | | | | |
| | | | | | **योग** | **164.94** | **164.92** | **164.92** | **0.02** | |

PLGMJ/2451/2026-Agriculture Section(Technical)
I/508512/2026

| क्र. | जिला | वित्तीय वर्ष | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | मूल्यांकन की गई राशि | शेष राशि | निर्माण/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | कोरबा | 2023-24 | निरंक | | | | | | | |
| | | 2024-25 | पोड़ी उपरोड़ा | सेमरा | स्टापडेम | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | जलग्रहण समिति सेमरा |
| | | | पोड़ी उपरोड़ा | ढेलुवा | स्टापडेम | 19.90 | 5.88 | 5.88 | 14.02 | जलग्रहण समिति ढेलुवा |
| | | | पोड़ी उपरोड़ा | सैला | स्टापडेम | 19.88 | 8.16 | 8.16 | 11.72 | जलग्रहण समिति सैला |
| | | | पाली | तेलसरा | स्टापडेम | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | जलग्रहण समिति तेलसरा |
| | | 2025-26 | पोड़ी उपरोड़ा | सेमरा | स्टापडेम | 20.00 | 16.25 | 16.25 | 3.75 | जलग्रहण समिति सेमरा |
| | | | पोड़ी उपरोड़ा | सरिसमार | स्टापडेम | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | जलग्रहण समिति सरिसमार |
| | | | पाली | तेलसरा | स्टापडेम | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | जलग्रहण समिति तेलसरा |
| | | | पाली | उडान | स्टापडेम | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | जलग्रहण समिति उडान |
| | | | पाली | उडान | स्टापडेम | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | जलग्रहण समिति उडान |
| | | 2026-27 | निरंक | | | | | | | |
| | | | | | योग | **179.59** | **50.27** | **50.27** | **129.32** | |
| 4 | रायगढ़ | 2023-24 | घरघोड़ा | टेरम | चेकडेम | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | जलग्रहण समिति टेरम |
| | | | घरघोड़ा | बडेगुमड़ा –1 | चेकडेम | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | जलग्रहण समिति बडेगुमड़ा |
| | | | घरघोड़ा | बडेगुमड़ा –2 | चेकडेम | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | जलग्रहण समिति बडेगुमड़ा |
| | | | घरघोड़ा | बडेगुमड़ा –2 | चेकडेम | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | जलग्रहण समिति बडेगुमड़ा |
| | | 2024-25 | निरंक | | | | | | | |
| | | 2025-26 | निरंक | | | | | | | |
| | | 2025-27 | निरंक | | | | | | | |
| | | | | | योग | **60.00** | **60.00** | **60.00** | **0.00** | |

| क्र. | जिला | वित्तीय वर्ष | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | मूल्यांकन की गई राशि | शेष राशि | निर्माण/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | सक्ती | 2023-24 | सक्ती | आसौंदा | चेकडेम | 12.92 | 12.84 | 12.84 | 0.08 | जलग्रहण समिति आसौंदा |
| | | | | जामपाली | चेकडेम | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | जलग्रहण समिति जामपाली |
| | | 2024-25 | | देवरमाल | चेकडेम | 14.65 | 14.40 | 14.40 | 0.25 | जलग्रहण समिति देवरमाल |
| | | | | जगदल्ली | चेकडेम | 14.05 | 13.82 | 13.82 | 0.24 | जलग्रहण समिति बैलाचुआ |
| | | | | डडई | चेकडेम | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | जलग्रहण समिति अचानकपुर |
| | | | | जाजंग | चेकडेम | 15.60 | 15.20 | 15.20 | 0.40 | जलग्रहण समिति जाजंग |
| | | 2025-26 | | जगदल्ला | चेकडेम | 14.66 | 14.26 | 14.26 | 0.40 | जलग्रहण समिति जामपाली |
| | | | | | योग | **105.07** | **103.70** | **103.70** | **1.37** | |
| | | | | | कुल योग | **558.98** | **378.89** | **378.89** | **180.09** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 08-07-2026
12:20:45

**(विकास मिश्रा)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 763) की जानकारी

**प्रपत्र**

## वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को जिला-जांजगीर-चांपा में फ्लाई ऐश के अवैध निस्तारण संबंधी प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही का विवरण

| क्र. | शिकायतकर्ता का नाम व पता | शिकायत प्राप्ति दिनांक | शिकायत का विषय | निरीक्षण दिनांक | निरीक्षण में पाये गये तथ्य | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री संस्कार मित्तल, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा का ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायत | 23/09/2024 | ग्राम-करमंदा, तहसील- बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा में भराव किये गये फ्लाई ऐश बहकर निजी खदान में जाने के संबंध में। | 23/09/2024 | शिकायत स्थल ग्राम-करमंदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1055, 1054/1, रकबा-0.409 हेक्टेयर में मंडल के पत्र दिनांक 24/07/2024 के माध्यम से फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान भराव कार्य प्रगतिरत पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि अब अतिरिक्त मात्रा में फ्लाई ऐश का भराव नहीं किया जायेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 26/09/2024 के माध्यम से शेष फ्लाई ऐश भराव कार्य बंद करने एवं भराव किये गये फ्लाई ऐश के उपर नियमानुसार मिट्टी की परत बिछाये जाने के संबंध में उद्योग को पत्र प्रेषित की गई। |
| | | | | 01/10/2024 | भराव स्थल पर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। शिकायतकर्ता कार्यवाही से संतुष्ट हुए। | अतः कार्यवाही निरंक है। |
| 2 | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा | 01/10/2024 | फ्लाई ऐश भू-भराव करते समय फ्लाई ऐश अपवहन | 01/10/2024 | शिकायत स्थल ग्राम-तिलई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित | अतः कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर से दूरभाष/व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत | | गाईडलाईन का पूर्णतः पालन नहीं करने के संबंध में। | | भूमि खसरा नंबर-1081/1, 1082/3, 1089, 1090, 1091, रकबा-0.595 हेक्टेयर में मंडल के पत्र दिनांक 23/08/2023 के माध्यम से मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थल से लगा हुआ बिलासपुर-जांजगीर सड़क के किनारे फैला हुआ फ्लाई ऐश उठवाया गया। | |
| 3 | खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा का पत्र क्रमांक 3333 दिनांक 11/12/2024 के माध्यम से संवाद **(24x7)** संपर्क-संवाद -समाधान, जांजगीर-चांपा का प्राप्त शिकायत | 19/12/2024 | ग्राम पंचायत उदयबंद में स्थित ग्राम देवरहा के चूना पत्थर खदान को राखड़ से पाटा जा रहा है। | 03/02/2025 | शिकायत स्थल ग्राम-देवरहा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, रकबा-0.866 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा एवं मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही निरंक है। |
| 4 | श्री देवेश यादव, ग्राम-नक्टीडीह, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का शिकायत | 20/12/2024 | ग्राम-नकटीडीह, विकासखंड-बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा में अवैध राखड़ डंप किया जा रहा है। | 30/01/2025 | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल ग्राम-नकटीडीह, विकासखंड-बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-766/1, रकबा-0.50 | अतः कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | एकड में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 04/08/2022 को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान भराव किये गये फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। | |
| 5 | सोशल मीडिया सच तक न्यूज, चांपा में प्रकाशित खबर दिनांक 14/02/2025 | 14/02/2025 | हनुमानधारा में अवैध राखड़ डंपिंग प्रदूषण से वार्डवासियों का जीना मुहाल। | 06/03/2025 | शिकायत स्थल हनुमानधारा के पास, वार्ड नंबर-01, ग्राम-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-134, 136, रकबा-2.761 हेक्टेयर में मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्‌युत गृह, ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला जांजगीर-चांपा को फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः कार्यवाही निरंक है। |
| 6 | श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, ग्राम व पोस्ट-बनारी (जांजगीर), वार्ड नंबर-13, ब्राम्हण मुहल्ला, जिला-जांजगीर-चांपा का | 16/05/2025 | मड़वा पावर प्लांट द्वारा सफेद राखड़ गिराये जाने के कारण फसल नुकसान की शिकायत एवं नुकसानी दिलाने तथा खसरा नंबर 1955/6 में सुरक्षावाल (दीवाल) खड़ा करने बाबत्। | 20/05/2025 | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल ग्राम बनारी, तहसील-जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1955/11 में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 19/01/2024 के माध्यम से मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 26/06/2025 के माध्यम से उद्योग पर 2,90,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उद्योग को |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शिकायत पत्र दिनांक 15/05/2025 | | | | ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा,-तेन्दुभाठा, जिला- जांजगीर-चांपा अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान अनुमति स्थल के समीप भूमि खसरा नंबर 1955/6 एवं 1955/10 में फ्लाई ऐश का कुछ मात्रा बहकर एकत्रित पाया गया। | दिनांक 06/07/2026 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि बाबत् स्मरण पत्र जारी किया गया। |
| 7 | श्री गगन जयपुरिया, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत जांजगीर चाम्पा का प्राप्त शिकायत पत्र दिनांक 10/11/2025 | 10/11/2025 | ग्राम सोंठी के चाम्पा-बिर्रा मार्ग में राखड़ (Fly Ash) के अनुचित एवं मनमाने ढंग से पाटे जाने के संबंध में। | 10/11/2025 | उद्योग द्वारा शिकायत स्थल ग्राम सोंठी, तहसील-बम्हनीडीह, जिला- जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-291/1, रकबा-0.559 हेक्टेयर में मेसर्स कोरबा पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पथाड़ी, पोस्ट-तिलकेजा, जिला-कोरबा को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 28/10/2025 के माध्यम से फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति जारी कि गई है। निरीक्षण के दौरान नियमानुसार फ्लाई ऐश का भराव किया जाना नहीं पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 24/11/2025 के माध्यम से उद्योग पर 1,40,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उद्योग को दिनांक 06/07/2026 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि बाबत् स्मरण पत्र जारी किया गया। |
| 8 | दैनिक समाचार पत्र नवभारत एवं नई दुनिया में दिनांक 22/11/2025 को प्रकाशित खबर | 22/11/2025 | "पर्यटन स्थल हनुमान धारा में रात में डाल जा रहा राखड़" विषयक। | 24/11/2025 | शिकायत स्थल हनुमानधारा के पास, वार्ड नंबर-01, ग्राम-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-134, 136, रकबा-2.761 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 26/12/2024 के माध्यम से मेसर्स | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्‌युत गृह, ग्राम-मड़वा -तेन्दुभाठा, जिला- जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | |
| 9 | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक /4517/ख.लि./2025 दिनांक 16/12/2025 के माध्यम से प्राप्त शिकायत पत्र शिकायतकर्ता श्री गोपी कुमार यादव एवं अन्य ग्रामवासी, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) | 23/12/2025 | ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) में अवैध रूप से हो रही फ्लाई ऐश भंडारण पर रोक लगाने बाबत्। | 24/12/2025 | शिकायत स्थल ग्राम-बिरगहनी तहसील-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-216/1, 216/2, 220, 221, 223, रकबा-1.052 हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 24/06/2025 के माध्यम से मेसर्स वेदांता लिमिटेड, छत्तीसगढ़ थर्मल पॉवर प्लांट, ग्राम-सिंघीतराई, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान जारी अनुमति पत्र में निहित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को दिनांक 21/01/2026 के माध्यम से 30,000/- रूपये राशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा दिनांक 18/02/2026 को उक्त राशि जमा कर दी गई है। |
| 10 | शिकायतकर्ता पहल युवा समुह, ग्राम-मोहतरा, (देवरी) जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का शिकायत पत्र दिनांक 16/01/2026 | 28/01/2026 | राखड़/फ्लाई ऐश डंपिंग के अनियंत्रित विस्तार, जल निकासी अवरोध एवं सार्वजनकि स्थानों पर पर्यावरणीय एवं जनहित संकट के निवारण हेतु पूर्व स्वीकृत 2 हेक्टेयर भूमि में वैज्ञानिक | 29/01/2026 | शिकायत स्थल ग्राम-मोहतरा, ग्राम पंचायत देवरी, तहसील-शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-335/1, 418, रकबा-31.9490 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रबंधन सुनिश्चित करने बाबत्। | | लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | |
| 11 | समस्त किसानगढ़, ग्रामवासी ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) जिला-जांजगीर-चांपा का शिकायत पत्र दिनांक 17/02/2026 | 20/02/2026 | ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) में संजय अग्रवाल पिता महावीर अग्रवाल निवासी नैला, जांजगीर के द्वारा रायगढ़ से राखड़ लेकर बिरगहनी खदान में पाटा जा रहा है। | 22/02/2026 | शिकायत स्थल ग्राम-बिरगहनी तहसील-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-216/1, 216/2, 220, 221, 223, रकबा-1.052 हेक्टेयर में मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, खरसिया रोड पतरापाली, जिला-रायगढ़, मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस - बाल्को नगर, कोरबा, जिला-कोरबा एवं मेसर्स वेदांता लिमिटेड, छत्तीसढ़ थर्मल पॉवर प्लांट, ग्राम-सिंघीतराई, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 12 | मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक 10955 दिनांक 01/01/2026 | 12/01/2026 | चाम्पा प्रकाश इण्डस्ट्रीज स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड व मड़वा अटल बिहारी बाजपेयी पावर प्लांट मंडवा एवं वर्धा पावर प्लांट अकलतरा से लाखों टन फ्लाई ऐश निकलता है उसे बिना ई.सी. | 22/02/2026 | शिकायत स्थल ग्राम बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर- चांपा में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, चांपा, जिला- जांजगीर-चांपा, मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा,-तेन्दुभाठा, | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री सुभाष चन्द्रा, छ.ग. क्रांति सेना का शिकायत | | कार्यालय पर्यावरण विभाग नया रायपुर के बिना अनुमति सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए करोड़ों रू. का गड्ढा खदान पाटने का अवैध धंधा लगातार नारायण मित्तल उर्फ भालू मित्तल के द्वारा किया जा रहा है उस ठेकेदार के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने बाबत्। | | जिला- जांजगीर-चांपा एवं मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा द्वारा अनुमति प्राप्त किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | |
| 13 | कार्यालय कलेक्टर (शिकायत शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा का पत्र क्रमांक 1352 दिनांक 23/12/2025 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री राजकुमार, मीडिया हाऊस लिंक रोड जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा का शिकायत | 06/02/2026 | जांजगीर-चांपा जिले में फ्लाई ऐश निपटान को लेकर कलेक्टर को लगातार शिकायत लेकिन कार्यवाही के नाम पर शून्य जिस ओर ध्यान आकर्षण कराने बाबत् (ग्राम-बक्सरा, वि.खं.-बलौदा में फ्लाई ऐश का निपटान किया जा रहा है।) | 10/02/2026 | शिकायत स्थल ग्राम बक्सरा, तहसील-बलौदा जिला- जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-490/1, 490/2, रकबा-1035 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स कोरबा पॉवर लिमिटेड, पो.ऑ. तिलकेजा, तहसील व जिला-कोरबा को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 31/10/2025 के माध्यम से अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 14 | शिकायतकर्ता श्री राजकुमार, मीडिया | 30/03/2026 | महेन्द्र मित्तल द्वारा करमंदा स्थित पत्थर खदान पर कोरबा जिले के | 24/04/2026 | शिकायत स्थल ग्राम-करमंदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | हाऊस लिंक रोड जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा का शिकायत पत्र दिनांक 25/02/2026 | | बाल्को प्लांट से फ्लाई ऐश लाकर पाटिन कर रहा है। जिसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाने बाबत्। | | खसरा नंबर-1090, 1091, 1092 रकबा-0.457 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस बाल्को नगर, जिला-कोरबा को सशर्त अनुमति जारी की गई है। स्थिति सामान्य पाई गई। | |
| 15 | खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा का पत्र क्रमांक 959 दिनांक 17/04/2026 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री राजकुमार, मीडिया हाऊस लिंक रोड जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा का प्राप्त शिकायत | 03/06/2026 | नगर पालिका परिषद बलौदा के रिहायसी ईलाका में हजारों टन फ्लाई ऐश डंप किया गया है जिस में निम्नलिखित बिन्दुओं में जांच कर प्रशासनिक कार्यवाही करने बाबत्। | - | शिकायत स्थल वार्ड नंबर-09, ग्राम-बलौदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-3287/1, 3260/1, रकबा-1.06 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, ग्राम-मड़वा-तेन्दुभाठा, जिला-जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। स्थल में नियमानुसार फ्लाई ऐश का भराव किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | अतः की गई कार्यवाही निरंक है। |
| 16 | शिकायतकर्ता श्री राजकुमार, मीडिया हाऊस लिंक रोड जांजगीर, जिला- | 10/02/2026 | जिला जांजगीर चांपा वि.खं. नवागढ़, ग्राम-सलखन में महाप्रबंधक जिला व्यापार (चाम्पा सोना पावर प्लांट) | 12/03/2026 | शिकायत स्थल ग्राम-सलखन, तहसील-शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-960/1, रकबा-36.975 हेक्टेयर में से 25 एकड़ | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 16/03/2026 के माध्यम से सुधारात्मक |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जांजगीर-चांपा का शिकायत पत्र दिनांक 10/02/2026 | | के जमीन को शासकीय भूमि बता कर फ्लाई ऐश निपटान 3 लाख 75 हजार टन का किया गया जिस पर निम्न लिखित बिन्दुओं पर जांच किया जावें। | | में फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान जारी अनुमति पत्र में निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया। | कार्यवाही किया जाने हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित की गई। |
| 17 | शिकायकर्ता श्री रामकृष्ण कश्यप, सरपंच, ग्राम पंचायत सलखन, तहसील-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा का शिकायत पत्र दिनांक 20/05/2026 | 29/05/2026 | सलखन साईट पर फ्लाई ऐश पटाई स्थल पर मिट्टी की परत नहीं डाले जाने बाबत्। | 16/06/2026 | शिकायत स्थल ग्राम सलखन विकासखंड-नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि खसरा नंबर-960/1, रकबा-36.975 हेक्टेयर में से 25 एकड़ फ्लाई ऐश का भराव करने हेतु मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 26/11/2024 के माध्यम से अनुमति जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान जारी अनुमति पत्र में निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 22/06/2026 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही किया जाने हेतु उद्योग को प्रतिदिन 20,000 रूपये की दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित कर पत्र प्रेषित की गई। |
| 18 | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 21/05/2026 के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री राज कुमार, केयर ऑफ श्री राजीव रस्तोगी, | 02/06/2026 | पर्यावरण संभागीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा शिकायत पर गलत एवं भ्रामक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधित शिकायत। | 16/06/2026 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मीडिया हाऊस लिंक रोड, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा का शिकायत | | | | | |
| - | | - | - | 03/07/2026 | निरीक्षण के दौरान मिट्टी की परत बिछाया जाना प्रगतिरत पाया गया। प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है। | - |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 771) की जानकारी

प्रपत्र-अ

## राज्य में मछलीपालन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी

### (अ) राज्य पोषित योजनाएं

| स.क्र. | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | शिक्षण-प्रशिक्षण |
| 1.1 | 10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण |
| 1.2 | 03 दिवसीय तकनीकी उन्नयन |
| 1.3 | राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण |
| 2 | मत्स्य पालन प्रसार |
| 2.1 | मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय |
| 2.2 | मत्स्य बीज संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता |
| 2.3 | फिंगरलिंग संचयन |
| 2.4 | फुटकर मछली विक्रय योजना |
| 2.5 | झींगा पॉली कल्चर<br>(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) |
| 2.6 | मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता |
| 2.7 | प्लेंक्टॉन ग्रोवर |
| 2.8 | झींगा सह पालन (पॉली कल्चर) नवीन योजना<br>(केवल बस्तर संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए) |
| 3 | मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय) |

D:\2026-27\Vidhansabha July 2026\VSQ 771\VSQ 771 Plan.xlsxState_A

(ब) **केन्द्र पोषित योजनाएं**

| स.क्र. | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** |
| 1.1 | मीठे जल के नए फिनफिश हैचरीज की स्थापना |
| 1.2 | नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण |
| 1.3 | नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण |
| 1.4 | मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (Inputs) जिनमें कम्पोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल है। |
| 1.5 | बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई (ताजा जल) |
| 1.6 | मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई (मीठे जल की मछली) |
| 1.7 | एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन) |
| 1.8 | मध्यम आर.एस.एस. की स्थापना (10 टन/फसल की मछली उत्पादन के साथ न्यनतम 30 मीटर क्यव/टैंक क्षमता के 6 टैंकों के साथ)/ बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.00 ऊँचाई के 25 टैंक)। |
| 1.9 | छोटे आर.एस.एस. की स्थापना (100 मीटर क्षमता के 1 टैंक के साथ/ बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5 )। |
| 1.10 | जलाशयों में पिंजरों की स्थापना (केज कल्चर) |
| 1.11 | मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर) |
| 1.12 | न्यूनतम10 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट) |

| स.क्र. | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1.13 | न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट) |
| 1.14 | न्यूनतम 50 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट) |
| 1.15 | प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vehicles) |
| 1.16 | मोटर सायकल सह आईस बॉक्स |
| 1.17 | मछली वेंडिग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर |
| 1.18 | सजीव मछली वेंडिग केंद्र (Live Fish Center) |
| 1.19 | 8 टन/दिन की उत्पादन क्षमता का मीडियम मिल्स (Fish Feed Plant) |
| 1.20 | 20 टन/दिनी की उपादन क्षमता का बड़ा मिल्स (Fish Feed Plant) |
| 1.21 | पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना। |
| 1.22 | बड़े आर.एस.एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यव/टैंक क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैंकों के साथ)/बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.50 ऊँचाई के 50 टैंक)। **(शासकीय अनुदान सहायता सामान्य वर्ग को 20% तथा अ.जा./अ.ज.जा./महिला वर्ग को 25%)** |
| 1.23 | मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारो के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता **(शासकीय अनुदान सहायता समस्त वर्ग के लिए राशि रू. 3000/-)** |
| 1.24 | दुर्घटना बीमा |

| स.क्र. | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** |
| 2.1 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के समस्त घटक |

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

## विगत 2 वर्षों में जांजगीर-चांपा जिले में संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों की जानकारी

| स.क्र. | योजना का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| (अ) | **राज्य पोषित योजना** | | |
| 1 | शिक्षण-प्रशिक्षण योजना | | |
| 1.1 | 10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण | 295 | 295 |
| 1.2 | 03 दिवसीय तकनीकी उन्नयन | 405 | 355 |
| 1.3 | राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण | 16 | 16 |
| 2 | मत्स्य पालन प्रसार योजना | | |
| 2.1 | मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय | 90 | 90 |
| 2.2 | फुटकर मछली विक्रय योजना | 60 | 55 |
| 2.3 | फिंगरलिंग क्रय कर संचयन | 250 | 144 |
| 2.4 | मत्स्य बीज स्पॉन संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता | 14 | 20 |
| 2.5 | झींगा पॉली कल्चर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) | 70 | 60 |
| 3 | मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय) | 224 | 252 |
| | **योग (अ)** | **1424** | **1287** |
| (ब) | **केन्द्र प्रवर्तित योजना** | | |
| 1 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना | | |
| 1.1 | मीठे जल में बॉयोफ्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर) | 9 | 16 |
| 1.2 | बचत सह राहत | 123 | 250 |
| 1.3 | मछुआरों का दुर्घटना बीमा | 3481 | 3500 |
| | **योग (ब)** | **3613** | **3766** |
| | **महायोग (अ + ब)** | **5037** | **5053** |

**सही/- अस्पष्ट**
**सहायक संचालक मछलीपालन**
**जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-स

## प्रदेश में मछली उत्पादन एवं खपत की जिलेवार, प्रजातिवार जानकारी

| क्र | जिला | प्रजातिवार उत्पादन (मेट्रिक टन में) | | | | | | | | वर्ष 2025-26 का उत्पादन (मेट्रिक टन में) | जिले में कुल खपत (मेट्रिक टन में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कतला | रोहू | मृगल | कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प | पंगेशियस | तेलापिया | लोकल मेजर | लोकल माइनर | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | रायपुर | 16752.56 | 13620.02 | 10115.49 | 9541.19 | 5527.63 | 1683.74 | 4489.97 | 3530.63 | 65261.25 | 34050.61 |
| 2 | बलौदाबाजार | 14925.03 | 12134.21 | 9011.99 | 8500.35 | 4924.62 | 1500.06 | 4000.16 | 3145.48 | 58141.90 | 29205.69 |
| 3 | गरियाबंद | 9819.66 | 7983.50 | 5929.29 | 5592.66 | 3240.07 | 986.94 | 2631.84 | 2069.51 | 38253.46 | 18220.00 |
| 4 | धमतरी | 8949.03 | 7275.66 | 5403.58 | 5096.80 | 2952.80 | 899.44 | 2398.49 | 1886.03 | 34861.83 | 17010.15 |
| 5 | महासमुंद | 13699.69 | 11138.01 | 8272.12 | 7802.47 | 4520.31 | 1376.91 | 3671.75 | 2887.24 | 53368.50 | 24513.37 |
| 6 | दुर्ग | 11486.95 | 9339.02 | 6936.03 | 6542.24 | 3790.20 | 1154.51 | 3078.70 | 2420.90 | 44748.55 | 23534.80 |
| 7 | बालोद | 11702.27 | 9514.08 | 7066.04 | 6664.87 | 3861.25 | 1176.15 | 3136.41 | 2466.28 | 45587.35 | 24095.71 |
| 8 | बेमेतरा | 11397.61 | 9266.33 | 6882.08 | 6491.35 | 3760.72 | 1145.53 | 3054.75 | 2402.07 | 44400.50 | 21786.00 |
| 9 | राजनांदगांव | 9228.04 | 7502.50 | 5572.06 | 5255.71 | 3044.86 | 927.48 | 2473.27 | 1944.83 | 35948.75 | 18200.00 |
| 10 | मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी | 3176.92 | 2582.88 | 1918.28 | 1809.37 | 1048.25 | 319.30 | 851.47 | 669.54 | 12376.02 | 8643.00 |
| 11 | खैरागढ़ | 3344.29 | 2718.94 | 2019.34 | 1904.69 | 1103.47 | 336.12 | 896.33 | 704.81 | 13028.00 | 7386.00 |
| 12 | कबीरधाम | 8084.50 | 6572.79 | 4881.56 | 4604.42 | 2667.54 | 812.54 | 2166.78 | 1703.82 | 31493.95 | 17596.18 |
| 13 | बिलासपुर | 14182.16 | 11530.26 | 8563.44 | 8077.26 | 4679.50 | 1425.40 | 3801.06 | 2988.92 | 55247.99 | 34582.00 |
| 14 | गोरेला पेण्ड्रा मरवाही | 2197.35 | 1786.47 | 1326.80 | 1251.47 | 725.03 | 220.85 | 588.93 | 463.10 | 8560.00 | 3823.00 |
| 15 | मुंगेली | 5540.25 | 4504.28 | 3345.30 | 3155.37 | 1828.04 | 556.83 | 1484.88 | 1167.62 | 21582.57 | 10580.00 |
| 16 | जांजगीर | 11430.23 | 9292.91 | 6901.78 | 6509.94 | 3771.49 | 1148.81 | 3063.50 | 2408.94 | 44527.60 | 23551.00 |
| 17 | सक्ति | 7017.40 | 5705.22 | 4237.23 | 3996.66 | 2315.44 | 705.29 | 1880.78 | 1478.93 | 27336.95 | 11514.19 |
| 18 | कोरबा | 6440.26 | 5236.01 | 3888.74 | 3667.96 | 2125.01 | 647.29 | 1726.10 | 1357.30 | 25088.67 | 13599.22 |
| 19 | रायगढ़ | 11244.69 | 9142.06 | 6789.74 | 6404.26 | 3710.27 | 1130.16 | 3013.77 | 2369.84 | 43804.80 | 22124.85 |
| 20 | सारंगढ़ | 6913.65 | 5620.88 | 4174.59 | 3937.58 | 2281.21 | 694.87 | 1852.98 | 1457.07 | 26932.82 | 14463.00 |
| 21 | जशपुर नगर | 2910.98 | 2366.66 | 1757.70 | 1657.91 | 960.50 | 292.57 | 780.19 | 613.49 | 11340.00 | 8236.00 |
| 22 | अंबिकापुर | 2550.17 | 2073.32 | 1539.84 | 1452.42 | 841.45 | 256.31 | 683.49 | 537.45 | 9934.45 | 5164.79 |
| 23 | बलरामपुर रामानुजगंज | 3599.93 | 2926.78 | 2173.70 | 2050.29 | 1187.82 | 361.82 | 964.84 | 758.69 | 14023.88 | 10171.00 |
| 24 | सूरजपुर | 2093.81 | 1702.29 | 1264.28 | 1192.50 | 690.87 | 210.44 | 561.18 | 441.27 | 8156.65 | 5253.45 |
| 25 | कोरिया | 1612.67 | 1311.12 | 973.76 | 918.47 | 532.11 | 162.08 | 432.22 | 339.87 | 6282.30 | 5630.00 |
| 26 | मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर | 2066.44 | 1680.04 | 1247.75 | 1176.91 | 681.84 | 207.69 | 553.84 | 435.51 | 8050.00 | 4093.00 |

| क्र | जिला | प्रजाति (मेट्रिक टन में) | | | | | | | | वर्ष 2025-26 का उत्पादन (मेट्रिक टन में) | जिले में कुल खपत (मेट्रिक टन में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कतला | रोहू | मृगल | कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प | पंगेशियस | तेलापिया | लोकल मेजर | लोकल माइनर | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | कांकेर | 27310.83 | 22204.01 | 16490.76 | 15554.51 | 9011.40 | 2744.91 | 7319.77 | 5755.81 | 106392.00 | 78056.80 |
| 28 | जगदलपुर | 5220.51 | 4244.34 | 3152.24 | 2973.27 | 1722.55 | 524.70 | 1399.19 | 1100.23 | 20337.02 | 9864.06 |
| 29 | कोण्डागांव | 1972.63 | 1603.77 | 1191.11 | 1123.48 | 650.88 | 198.26 | 528.70 | 415.73 | 7684.56 | 7057.20 |
| 30 | नारायणपुर | 531.39 | 432.03 | 320.86 | 302.65 | 175.34 | 53.41 | 142.42 | 111.99 | 2070.08 | 1912.20 |
| 31 | दंतेवाड़ा | 1377.07 | 1119.57 | 831.50 | 784.29 | 454.37 | 138.40 | 369.08 | 290.22 | 5364.50 | 4300.00 |
| 32 | सुकमा | 3766.04 | 3061.83 | 2274.00 | 2144.90 | 1242.63 | 376.51 | 1009.36 | 793.70 | 14670.97 | 6576.65 |
| 33 | बीजापुर | 3710.34 | 3016.55 | 2240.37 | 2113.17 | 1224.25 | 372.91 | 994.44 | 781.96 | 14454.00 | 10791.96 |
| | योग | **246255.35** | **200208.39** | **148693.35** | **140251.39** | **81253.72** | **24750.23** | **66000.64** | **51898.78** | **959311.87** | **535585.90** |

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 781) की जानकारी

प्रपत्र– 'अ'

**विधानसभा चन्द्रपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 में ग्राम पंचायतवार, योजनावार हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित पशुओं के प्रजाति की जानकारी–**

| क. | योजना का नाम | वर्ष 2023–24 | | | वर्ष 2024–25 | | | वर्ष 2025–26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति |
| 1 | अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना | ओडेकेरा | 1 | उन्नत नस्ल का आर. आई. आर चूजा | फरसवानी | 9 | उन्नत नस्ल का आर. आई. आर चूजा | केकराभाट | 6 | उन्नत नस्ल का आर. आई. आर चूजा |
| | | कंवली | 2 | | किरारी | 6 | | कांशीडीह | 6 | |
| | | कांसा | 1 | | सपोस | 6 | | धुरकोट | 1 | |
| | | कुसुमझर | 1 | | ठनगन | 3 | | टून्ड्री | 7 | |
| | | कोमो | 1 | | चुरतेला | 1 | | सपोस | 5 | |
| | | गोपालपुर | 3 | | कांसा | 5 | | हरदी | 5 | |
| | | घींवरा | 2 | | बोरसी | 3 | | गोपालपुर | 3 | |
| | | चन्द्रपुर | 1 | | चंद्रपुर | 5 | | कंवलाझर | 7 | |
| | | चुरतेला | 10 | | कांशीडीह | 11 | | कोटमी | 3 | |
| | | छवारीपाली | 4 | | पेंडरवा | 2 | | किरारी | 4 | |
| | | टुंडरी | 1 | | डभरा | 2 | | चंद्रपुर | 4 | |
| | | डभरा | 6 | | सुखापाली | 7 | | डभरा | 5 | |
| | | धिवरा | 2 | | धुरकोट | 5 | | पुटीडीह | 1 | |
| | | धुरकोट | 2 | | छुहीपाली | 5 | | हीरापुर | 1 | |
| | | नवापारा ड | 3 | | शंकरपाली | 7 | | सुखदा | 2 | |
| | | बालपुर | 4 | | छबारीपाली | 6 | | सकराली | 1 | |

| क. | योजना का नाम | वर्ष 2023–24 | | | वर्ष 2024–25 | | | वर्ष 2025–26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति |
| | अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना | भैसा मुहान | 5 | उन्नत नस्ल का आर. आई. आर चूजा | बरहागुडा | 11 | उन्नत नस्ल का आर. आई. आर चूजा | छोटे कटेकोनी | 1 | उन्नत नस्ल का आर. आई. आर चूजा |
| | | मिरोनी | 2 | | भैसामुहान | 6 | | भैसामुहान | 1 | |
| | | मेढापाली | 1 | | बडेमुडपार | 4 | | बरहागुड़ा | 1 | |
| | | रामभांठा | 2 | | बेल्हाडीह | 1 | | सिरियागढ़ | 1 | |
| | | सकराली | 9 | | कुधरी | 7 | | साल्हे | 3 | |
| | | सराईपाली | 1 | | छतौना | 2 | | रेडा | 2 | |
| | | सुखदा | 3 | | बोकरेल | 2 | | कुसुमझर | 6 | |
| | | सुरसी | 1 | | सिंघरा | 5 | | साराडीह | 5 | |
| | | हीरापुर | 7 | | सारसकेला | 4 | | तौलीपाली | 2 | |
| | | छपोरा | 15 | | झर्रा | 2 | | सुलौनी | 2 | |
| | | चांटीपाली | 13 | | | | | चरौदा | 1 | |
| | | जगमहन | 5 | | | | | कर्रापाली | 2 | |
| | | अड़भार | 10 | | | | | तौलीपाली | 1 | |
| | | मालखरौदा | 2 | | | | | अड़भार | 11 | |
| | | बड़े पाडरमुड़ा | 3 | | | | | छतौना | 2 | |
| | | चारपारा | 4 | | | | | बोकरेल | 1 | |
| | | कलमी | 1 | | | | | | | |
| | | चरौदी | 5 | | | | | | | |
| योग | | | 133 | | | 127 | | | 103 | |

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2023–24 | | | वर्ष 2024–25 | | | वर्ष 2025–26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति |
| 2 | अनुदान पर बकरा वितरण योजना | डभरा | 3 | उन्नत नस्ल (जमनापरी व सिरोही) का नर बकरा | डभरा | 1 | उन्नत नस्ल (जमनापरी व सिरोही) का नर बकरा | कांशीडीह | 1 | उन्नत नस्ल (जमनापरी व सिरोही) का नर बकरा |
| | | धुरकोट | 1 | | धुरकोट | 1 | | डभरा | 1 | |
| | | पेंड्रावा | 1 | | बोरसी | 1 | | सुखदा | 1 | |
| | | सकराली | 1 | | सकर्रा | 1 | | सिरौली | 1 | |
| | | छोटे कोट | 1 | | | | | रेडा | 1 | उन्नत नस्ल (जमनापरी व सिरोही) का नर बकरा |
| | | सकर्रा | 1 | | | | | कटौद | 1 | |
| | | चिखली | 1 | | | | | पुटीडीह | 1 | |
| | | लिमगांव | 1 | | | | | आडिल | 1 | |
| | | कंवली | 1 | | | | | कर्रापाली | 1 | |
| | | | | | | | | ठनगन | 1 | |
| | | | | | | | | मुक्ता | 1 | |
| | | | | | | | | नगझर | 1 | |
| योग | | | 11 | | | 4 | | | 12 | |
| 3 | राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना | खैरमुड़ा | 1 | हितग्राही द्वारा उत्पन्न नस्ल (गिर, साहीवाल, एच.एफ व जर्सी) की गाय खरीदी उपरान्त अनुदान राशि खाते में डी.बी.टी. | पेण्डरूवा | 2 | हितग्राही द्वारा उत्पन्न नस्ल (गिर, साहीवाल, एच.एफ व जर्सी) की गाय खरीदी उपरान्त अनुदान राशि खाते में डी.बी.टी. | 0 | 0 | — |
| | | शंकरपाली | 3 | | बिजनी | 1 | | | | |
| | | सकराली | 2 | | बांधापाली | 1 | | | | |
| | | धुरकोट | 1 | | धुरकोट | 1 | | | | |
| | | बारापीपर | 1 | | बाड़ादरहा | 1 | | | | |
| | | आड़िल | 4 | | कुलबा | 1 | | | | |

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2023–24 | | | वर्ष 2024–25 | | | वर्ष 2025–26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति |
| | राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना | नगझर | 1 | हितग्राही द्वारा उत्पन्न नस्ल (गिर, साहीवाल, एच.एफ व जर्सी) की गाय खरीदी उपरान्त अनुदान राशि खाते में डी.बी.टी. | मालखरौदा | 1 | हितग्राही द्वारा उत्पन्न नस्ल (गिर, साहीवाल, एच.एफ व जर्सी) की गाय खरीदी उपरान्त अनुदान राशि खाते में डी.बी.टी. | 0 | 0 | – |
| | | सकर्रा | 3 | | | | | | | |
| | | मुक्ता | 1 | | | | | | | |
| | | कुलबा | 1 | | | | | | | |
| योग | | | 18 | | | 8 | | | 0 | 0 |
| 4 | अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना | डभरा | 1 | हितग्राही द्वारा उन्नत नस्ल सूकर खरीदी उपरान्त अनुदान राशि खाते में डी.बी.टी. | 0 | 0 | – | बडे कटेकोनी | 1 | हितग्राही द्वारा उन्नत नस्ल सूकर खरीदी उपरान्त अनुदान राशि खाते में डी.बी.टी. |
| | | भैंसामुहान | 2 | | | | | गोरखापाली | 1 | |
| योग | | | 3 | | | 0 | | | 2 | |

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2023–24 | | | वर्ष 2024–25 | | | वर्ष 2025–26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति | ग्राम पंचायत का नाम | लाभान्वित हितग्राही संख्या | पशु/पक्षियों की प्रजाति |
| 5 | शत्प्रतिशत् अनुदान पर सांड वितरण योजना | साराडीह | 1 | गिर एवं साहीवाल नस्ल का साण्ड प्रदाय | 0 | 0 | – | छोटे कटेकोनी | 1 | गिर एवं साहीवाल नस्ल का साण्ड प्रदाय |
| | | चरौदी | 1 | | | | | गोरखापाली | 1 | |
| योग | | | 2 | | | 0 | | | 2 | |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'ब'

| क. | योजना का नाम | पशु/पक्षी खरीदी का वर्षवार विवरण एवं भुगतान संबंधी जानकारी | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संस्था/फर्म का नाम | वर्ष 2023–24 | वर्ष 2024–25 | वर्ष 2025–26 |
| | | | भुगतान की गई राशि रू.में | भुगतान की गई राशि रू.में | भुगतान की गई राशि रू.में |
| 1 | अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना | प्रबंधक, शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोनी, बिलासपुर | 359100.00 | 0.00 | 278100.00 |
| | | प्रबंधक, शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ | 0.00 | 342900.00 | 0.00 |
| 2 | शतप्रतिशत् अनुदान पर सांड वितरण योजना | शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पकरिया | 57000.00 | 0.00 | 57000.00 |
| | | **योग** | **416100.00** | **342900.00** | **335100.00** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'स'

– जिला – सक्ती (छ.ग.) अंतर्गत हितग्राही द्वारा कय की गई पशुओं के विकेता की जानकारी –

| क0 | योजना का नाम | हितग्राही / पिता का नाम | ग्राम का नाम | वर्ग | विकेता का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष 2023–24 | | | |
| 1 | अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना | नोनी बाई सिदार/धनाराम सिदार | डभरा | अजजा | प्रदीप बंजारे |
| 2 | | कमलेश कुमार जगत/लिलांध | भैंसामुहान | अजजा | मनोज कुमार |
| 3 | | डेबा सिंह/दरसूराम | भैंसामुहान | अजजा | मनोज कुमार सहिस |
| | | 2024–25 | निरंक | | |
| | | वर्ष 2025–26 | | | |
| 1 | | सुकदेव कुर्रे/दुजराम कुर्रे | गोरखापाली | अजा | सहाना कुर्रे |
| 2 | | पिरंजन सारथी/श्याम कुमार सारथी | बड़े कटेकोनी | अजा | देश कुमार सारथी |
| | अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना | वर्ष 2023–24 | | | |
| 1 | | अरूण कुमार/छोटेलाल चंद्रा | डभरा | अपिव. | भुनेश्वर सिदार |
| 2 | | रामअवतार साहू/नर्मदा प्रसाद | डभरा | अपिव. | साहेबलाल यादव |
| 3 | | मनोज कुमार बंजारे /कुलेश राम | डभरा | अजा | भागीरथी बरेठ |
| 4 | | विद्याचरण मनहर/ बसंत राम | धुरकोट | अजा | बेठियार यादव |
| 5 | | छोटूलाल यादव / पलटन यादव | छोटेकोट | अपिव. | पुरेन्द्र पटेल |
| 6 | | दिलहरन सतनामी / खिखो | सकर्रा | अजा | सुखाबाई कुर्रे |
| 7 | | श्याम बाई सिदार/गणेश राम | चिखली | अजजा | जनकराम कर्ष |
| 8 | | फेकूराम/रथराम | लिमगांव | अजजा | अमरिका प्रसाद |
| 9 | | उग्रसेन सिदार/हेम प्रसाद | पेंडरूवा | अजजा | पुरेन्द्र पटेल |
| 10 | | दिलचंद सिदार/मोहन लाल | सकराली | अजजा | सेतकुमार |
| 11 | | जयमंगल सिदार/रेशम लाल | कंवली | अजजा | शिवरतन सिदार |

| क0 | योजना का नाम | हितग्राही / पिता का नाम | ग्राम का नाम | वर्ग | विक्रेता का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना | वर्ष 2024–25 | | | |
| 1 | | उदयराम चौहान/संतराम चौहान | डभरा | अजा | अनिल चन्द्रा |
| 2 | | मोहन लाल सोनी/मुनुराम सोनी | धुरकोट | अजा | दुकालूराम सतनामी |
| 3 | | दिनेश कुमार चौहान/गुहाराम चौहान | बोरसी | अजा | पुरूषोत्तम सिंह सिदार |
| 4 | | राजेन्द्र कुमार सतनामी/दिलहरण | सकर्रा | अजा | तुलसीधर सिदार |
| | | वर्ष 2025–26 | | | |
| 1 | | अमरनाथ साहू/भीषम लाल | आड़िल | अपिव. | कार्तिक राम साहू |
| 2 | | रजिन्दर सिंह यादव/अमरसिंह | कटौद | अपिव. | मोहन सारथी |
| 3 | | बंशीधर निषाद/नान्हू राम निषाद | पुटीडीह | अपिव. | भारत सिदार |
| 4 | | बाबूलाल सिदार/बाहदूर सिंह | नगझर | अजजा | अमृतलाल कर्ष |
| 5 | | पानसिंह जगत/बतीलाल जगत | डभरा | अजजा | दिलाखन सिदार |
| 6 | | जतीराम सिदार/बतीलाल जगत | सुखदा | अजजा | मेलाराम आदिले |
| 7 | | हरीशचंद्र सिदार/फोदलू राम | सिरौली | अजजा | तिरीथ राम मांझी |
| 8 | | मंगली बाई सिदार/रामदयाल | रेड़ा | अजजा | सतीश सिदार |
| 9 | | कचरा बाई सिदार/कालीसिंह जगत | कर्रापाली | अजजा | जयशंकर |
| 10 | | गुहाराम/बनाउ राम यादव | ठनगन | अपिव. | दिलाखन सिदार |
| 11 | | जनकराम कर्ष/खोरा कर्ष | मुक्ता | अपिव. | विद्यानंद सिदार |
| 12 | | किशन कुमार/धरमसिंह | कांशीडीह | अजा | हृदयानंद पटेल |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र–'द'

| क. | संस्था | टीकाद्रव्य का नाम | एन्टीरेबीज | ब्रुसेलोसिस | एच.एस. एवं बी.क्यू. (कम्बाईन्ड) | इन्टेरो टाक्सिमिया | एफ.एम.डी. | एच.एस. | पी.पी.आर. | शीप एवं गोट पाक्स | स्वाईन फिवर | पशु वितरण मे व्यय राशि की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष 2023–24 | टीकाकरण | 89 | 4059 | 74271 | 2965 | 72237 | 0 | 23028 | 75064 | 933 | 0 | 0 |
| | | व्यय राशि रू. | 794 | 0 | 297700 | 7160 | 0 | 0 | 0 | 319022 | 0 | 359100 | 57000 |
| | | मद का नाम | एस्काड मद | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | एस्काड मद | एस्काड मद | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | - | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण हेतु | सांड़ वितरण हेतु |
| 2 | वर्ष 2024–25 | टीकाकरण | 68 | 352 | 38481 | 2913 | 125896 | 31849 | 20861 | 41356 | 668 | 0 | 0 |
| | | व्यय राशि रू. | 607 | 0 | 154886 | 7035 | 2445223 | 0 | 29570.4675 | 217119 | 0 | 342900 | 0 |
| | | मद का नाम | एस्काड मद | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | एस्काड मद | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण हेतु | सांड़ वितरण हेतु |
| 3 | वर्ष 2025–26 | टीकाकरण | 60 | 0 | 48884 | 1383 | 89113 | 3000 | 0 | 42379 | 749 | 0 | 0 |
| | | व्यय राशि रू. | 1776 | 0 | 256641 | 3983 | 1762655 | 11277 | 0 | 222489.75 | 0 | 278100 | 57000 |
| | | मद का नाम | एस्काड मद | - | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | एस्काड मद | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | - | एस्काड व विभागीय मद (दवाईयां मद) अंतर्गत | भारत सरकार द्वारा प्रदायित | बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण हेतु | सांड़ वितरण हेतु |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

## परिशिष्ट - छिहत्तर

**अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 786) की जानकारी**

**प्रपत्र**

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विगत 03 वर्ष (दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 31/03/2026) में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित डोलोमाईट खदानों का विवरण, किये गए निरीक्षण, पाई गयी स्थिति, की गयी कार्यवाही की जानकारी

| क्र. | खदान का नाम एवं पता | उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर) | निरीक्षण दिनांक | पायी गयी स्थिति | की गयी कार्यवाही | खदान की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड माइंस, ग्राम-छितापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 250000 टन/वर्ष | 5/2 | 4.990 | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हांकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत/ संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2452 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है । |
| | | | | | 06.11.2024 | नोटिस के परिपेक्ष्य में खदान प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2656 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| | | | | | 24.12.2024 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3210 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 2. | मेसर्स प्रतीष कुमार गोयल, डोलोमाईट माइंस, ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 2,14,812 मी. टन/वर्ष | 583,584, 634/2,3, 4, 640, 641/3, 6, 649, 650/1, 3,4,5,6, 651/2 | 4.107 | 24.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हांकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2420 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है । |
| | | | | | 06.11.2024 | नोटिस के परिपेक्ष्य में खदान प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2658 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | नहीं किया जाना पाया गया। | जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत् 1,10,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया गया। | |
| 3. | मेसर्स गुप्ता स्टोन माइंस, ग्राम-लोहराकोट, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट बोल्डर - 99,960 मी.टन/वर्ष | 406, 407/1,2, 3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2, 423/3 | 4.747 | 09.05.2024 | स्थिति सामान्य पायी गयी। | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है । |
| | | | | | 26.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2454 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | |
| | | | | | 11.11.2024 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2644 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से 1,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया गया। | |
| 4. | मेसर्स प्रतीश कुमार गोयल, ग्राम-अकलसरा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 99294 टन/वर्ष | 837, 838/1, 839, 841/1, 842, 843/1-8, 844/1, 2, 845, 846/1, 2, 847, 848, 855/1, 2, 856, 857/1-6, 859 | 4.469 | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2444 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम सेजल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है । |
| | | | | | 06.11.2024 | नोटिस के परिपेक्ष्य में खदान प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2660 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से 1,10,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया गया। | |
| 5. | मेसर्स अरविंद सोनी, (अकलसरा डोलोमाईट माईन) ग्राम-गिधौरी व पोस्ट- पोरथा, तहसील - सक्ती, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 17500 टन/वर्ष | 1263/1 | 4.047 | 21.08.2023 | निरीक्षण दिवस खदान बंद पाया गया। | खदान बंद होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में |
| | | | | | 24.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2416 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | | जमा की गयी है। |
| | | | | | 12.11.2024 | निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2634 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 33 की धारा 1974 'क' एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा) अधिनियम (नियंत्रण, की धारा 1981 31'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| | | | | | 21.08.2025 | निरीक्षण दौरान सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 2251 दिनांक 01.09.2025 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 6. | मेसर्स खम्हरिया डोलोमाईट डिपोसिट, पूर्व नाम- उमेश प्रसाद अग्रवाल माईंस, ग्राम- खम्हरिया, तहसील- जैजैपुर, जिला- सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट बोल्डर्स - 100000 टन/वर्ष | 792 ,793/1-2, 794/1-2, 801, 802/1-2, 827/1-3, 828, 831/1-2, 832/1-2, 833, 834/1, 838/1, 839/1-3, 865, 866, 867/1-2, 868/1-2, | 4.664 | 01.08.2023 | खदान बंद पाया गया। | खदान बंद होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है। |
| | | | | | 24.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | |
| | | | | | 11.11.2024 | उद्योग से प्राप्त उत्तर के परिपेक्ष्य में पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय सुधारात्मककार्यवाही किया जाना पाया गया। | खदान को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2654 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| | | | | | 27.12.2024 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3205 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 7. | मेसर्स गुरू मिनरल्स एवं | माईनिंग ऑफ | 207/2, 207/3, | 4.998 | 24.05.2024 | स्थिति सामान्य पायी गयी। | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित। उद्योग |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डेव्हलपर्स, ग्राम-झालरौंदा, ब्लॉक-जैजेपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) | डोलोमाईट - 1,52,500 टन/वर्ष | 280/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 210/2, 210/3, 210/4, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 212, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 226/4 | | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन मंा नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2418 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है। |
| | | | | | 12.11.2024 | खदान प्रबंधन द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2640 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| 8. | मेसर्स पुष्पेन्द्र सिंह माइंस, ग्राम-छीतापण्डरिया तहसील-जैजेपुर, | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट 41,372 मी0 टन/वर्ष डोलोमाईट चिप्स 35,000 मी0 टन/वर्ष | 308/1,2, 3, 309, 310, 311/1, 2, 3, 4, 5, 325 | 4.168 | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार पर्याप्त पौधे रोपित किया जाना नहीं पाया गया। खदान के कुछ भागों में फेंसिंग तार से बाड़/घेरा बनाया जाना अपूर्ण पाया गया। खदान प्रबंधन द्वारा वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन/ विद्युत तार एवं प्लग की व्यवस्था किया जाना नहीं पाया गया। खदान के लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/रिनोवेशन का कार्य प्रगति में पाया गया। खदान प्रबंधन द्वारा एप्रोचरोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। स्टोन क्रशर इकाई में डस्ट सप्रेशन एवं स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2436 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है। |
| | | | | | 11.11.2024 | नोटिस के परिपेक्ष्य में खदान प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2652 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 27.12.2024 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3203 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 9. | मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, (माइंस) ग्राम-छितापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 3,00,000 टन/वर्ष | 167, 168/1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 169, 329/1, 2 | 4.297 | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हांकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2414 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है । |
| | | | | | 06.11.2024 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2660 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से 1,10,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया गया। | |
| 10. | मेसर्स मृत्युंजय सिंह सिसोदिया, (डोलोमाईट माईंस), ग्राम-छितापण्डरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) | माईनिंग आफ डोलोमाईट-2,03,522 टन/वर्ष | 74 | 4.708 | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हांकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2422 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहतनोटिस जारी किया गया। | वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देश के परिपेक्ष्य में खदान बंद है। खदान द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं की गयी है। |
| | | | | | 12.11.2024 | निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2642 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| 11. | मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड., खसरा नं.-5/2, 5/20, ग्राम-छितापडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) | माईनिंग आफ डोलोमाईट-2,50,647 टन/वर्ष | 5/2, 5/20 | 4.162 | 08.05.2024 | स्थिति सामान्य पायी गयी | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित |
| | | | | | 12.11.2025 | खदान संचालित नहीं पाया गया। | खदान संचालित नहीं पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मेसर्स खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट, ग्राम-खम्हरिया, तहसील-भोथिया, जिला-सक्ती (छ.ग.) | डोलोमाईट लम्प्स (माईनिंग ऑफ डोलोमाईट बोल्डर्स) - 1,50,000 टन/वर्ष | 869/1, 869/2, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 877, 878, 886 (पार्ट), 887/2 (पार्ट), 888, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 901/2, 906, 907/1, 907/2, 907/ 3 | .4636 | 19.03.2025 | स्थिति सामान्य पायी गयी। | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित |
| 13. | मेसर्स गिरवर अग्रवाल डोलोमाईट माईंस, ग्राम-अकलसरा, तहसील-भोथिया, जिला-सक्ती | डोलोमाईट बोल्डर - 2,47,950 मी.टन/वर्ष | /8041, 804/2, 805, 800/5 क, 800/5 ख, 806, 807, | .4007 | 04.06.2026 | स्थिति सामान्य पायी गयी। | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित |
| 14. | मेसर्स मनीष सिंह बनाफर, खम्हरिया डोलोमाईट माईंस, ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माइनिंग ऑफ डोलोमाईट-50,000 टन/वर्ष | 736/1 | 4.047 | 25.09.2024 | निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3432 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम सेजल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है। |
| | | | | | 11.11.2024 | निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2636 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत्उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| | | | | | 23.03.2026 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 5548 दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 15. | मेसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-छितापण्डरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माइनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर्स (डोलोमाईट) - 2,80,269.45 मी. टन/वर्ष स्टोन चिप्स - 2,00,000 मी. टन/वर्ष | 325 | 4.249 | 25.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हांकित करने हेतु | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2440 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम सेजल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। स्टोन क्रशर इकाई में डस्ट सप्रेशन एवं स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं पाया गया। | | जमा की गयी है। |
| | | | | | 11.11.2024 | नोटिस के परिपेक्ष्य में खदान प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2638 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत्‌उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत्‌ निर्देश जारी किया गया। | |
| | | | | | 20.02.2025 | खदान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 4179 दिनांक 28.02.2025 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने बाबत्‌ पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 16. | मेसर्स डोलोमाईट माइनिंग कारपोरेशन, खम्हरिया डोलोमाईट माईंस, सक्ती रोड बाराद्वार, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 2,78,000 मी.टन/वर्ष | 650/2, 660/2,3, 4, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 694, 695/1,2, 3, 696, 698, 699, 697, 703, 704, 714, 715, 716, 717/1, 2, 717/1, 2, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726/1, 2, 731, 732, 736/14, 736/23, 736/24, 736/25, 736/27, 28, 736/31 | 20.412 | 18.07.2023 | स्थिति सामान्य पायी गयी | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है। |
| | | | | | 24.09.2024 | निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2428 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत्‌ नोटिस जारी किया गया। | |
| | | | | | 11.11.2024 | निरीक्षण दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाना पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2650 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से 1,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया गया। | |
| 17. | मेसर्स अजय सिंह चंद्रा, ग्राम-झालरौंदा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती | माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर (डोलोमाईट) एण्ड स्टोन चिप्स - 2,00,000 मी.टन/वर्ष | 46/1 | 4.004 | 24.09.2024 | निरीक्षण में खदान प्रबंधन द्वारा खदान के सेफ्टी जोन में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाना, खदान के कुछ भागों में पूर्ण फेंसिंग नहीं होना, वायु प्रदूषण मापन हेतु मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था नहीं होना, लीज एरिया को चिन्हाकित करने हेतु स्थापित मुनारे का मरम्मत/ रिनोवेशन का | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2442 दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत्‌ नोटिस जारी किया गया। | संचालित। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गयी है। |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अपूर्ण होना, एप्रोच रोड की मरम्मत /संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। | | |
| | | | | | 12.11.2024 | नोटिस के परिपेक्ष्य में खदान प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया। | खदान प्रबंधन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2636 दिनांक 21.11.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा 2,60,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् निर्देश जारी किया गया। | |
| | | | | | 22.01.2025 | स्थिति सामान्य पायी गयी। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3631 दिनांक 27.01.2025 के माध्यम से उत्पादन पुनः प्रारंभ करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। | |
| 18. | मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्रा.लि., खसरा नं.-30/5 ग्राम-छितापडरिया, तहसील-जैजेपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) | माइनिंग आफ डोलोमाईट-1,50,537 टन/वर्ष | 30/ 5 | 3. 036 | 30.05.2024 | निरीक्षण के दौरान उत्पादन आरंभ किया जाना नहीं पाया गया। | - | - |
| 19. | मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड., खसरा नं.-30/4, 30/5, ग्राम-छितापडरिया, तहसील-जैजेपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) | माइनिंग आफ डोलोमाईट-1,50,672 टन/वर्ष | /304 , 30/5 | .4068 | 30.05.2024 | स्थिति सामान्य पायी गयी। | स्थिति सामान्य पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। | वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देश के परिपेक्ष्य मे खदान बंद है। |
| | | | | | | वैधता समाप्त होने के संबंध में। | खदान की जल एवं वायु सम्मति वैधता समाप्त होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 1026 दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने हेतु खदान को निर्देश जारी किया गया। | |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

## परिशिष्ट - सततर

### अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 795) की जानकारी



प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत राज्य विपणन विकास निधि/मंडी निधि से स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यो की जानकारी वित्तीय वर्ष 2024–25 से 20.06.2026 तक की जानकारी

| क्रं. | रिमार्क | वर्ष | विधान सभा क्षेत्र का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि रू लाख में | अनुमति पत्र क्र/ दिनांक | प्रशासकीय स्वी0 राशि लागत लाख में | प्रशासकीय स्वी0 कं. /दिनांक | व्यय (लाख में) | अद्यतन स्थिति | | | | प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित कार्य की राशि लाख में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रारंभ/ निर्माणाधीन | अप्रारंभ | निविदा आमंत्रण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | राज्य विपणन विकास निधि | 2024–25 | – | – | निरंक | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – |
| 1 | | 2025–26 | मुंगेली | चकरभाठा, | सी.सी.रोड | 98.67 | 3873/ 06.08.2025 | 513.79 | 4111/22.08 .2025 | 156.180 | – | प्रारंभ | – | – | – | – |
| 2 | | 2025–26 | मुंगेली | निरजाम | सी.सी.रोड | 98.67 | | | | | – | – | अप्रारंभ | – | – | – |
| 3 | | 2025–26 | मुंगेली | चीनू | सी.सी.रोड | 98.67 | | | | | पूर्ण | – | – | – | – | – |
| 4 | | 2025–26 | मुंगेली | औराबांधा | सी.सी.रोड | 74.00 | | | | | – | प्रारंभ | – | – | – | – |
| 5 | | 2025–26 | मुंगेली | लोकईपुर | सी.सी.रोड एवं पुलिया | 34.73 | | | | | पूर्ण | – | – | – | – | – |
| 6 | | 2025–26 | मुंगेली | बटहा | सी.सी.रोड | 49.34 | | | | | – | – | अप्रारंभ | – | – | – |
| 7 | | 2025–26 | मुंगेली | कून्हरौली, | पुलिया | 37.51 | | | | | – | – | अप्रारंभ | – | – | – |
| 8 | | 2025–26 | मुंगेली | बगबुड़वा | सी.सी.रोड | 22.20 | | | | | – | – | अप्रारंभ | – | – | – |
| | | | | **योग –** | | **513.79** | | **513.79** | | **156.180** | **2** | **2** | **4** | 0 | | |
| | | 2026–27 (20.06.26) | – | – | निरंक | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| | **कुल योग** | | | | | **513.79** | **0.00** | **513.79** | **0.00** | **156.180** | **2** | **2** | **4** | **0** | | |
| | मंडी समिति निधि | 2024–25 | – | – | निरंक | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 9 | मंडी समिति निधि | 2025–26 | मुंगेली | भथरी | वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम भथरी में सी.सी. रोड निर्माण। | 12.33 | 1777–1778 / 25.06. 2024 | 12.33 | पत्र कं. 248–249 / 15. 05.2025 | 7.560 | पूर्ण | – | | – | – | – |
| 10 | मंडी समिति निधि | 2025–26 | मुंगेली | अमोरा | वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमोरा में सी.सी. रोड निर्माण। | 12.33 | 1777–1778 / 25.06. 2024 | 12.33 | पत्र कं. 248–249 / 15. 05.2025 | 7.444 | पूर्ण | – | | – | – | – |
| 11 | मंडी समिति निधि | 2025–26 | मुंगेली | हथनीकला | वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम हथनीकला में सी.सी.रोड निर्माण। | 12.33 | 1777–1778 / 25.06. 2024 | 12.33 | पत्र कं. 248–249 / 15. 05.2025 | 7.420 | पूर्ण | – | | – | – | – |
| 12 | मंडी समिति निधि | 2025–26 | मुंगेली | जंगलपुर | वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम जंगलपुर में सी.सी. रोड निर्माण। | 7.4 | 1777–1778 / 25.06. 2024 | 7.4 | पत्र कं. 248–249 / 15. 05.2025 | 4.800 | पूर्ण | – | | – | – | – |
| 13 | मंडी समिति निधि | 2025–26 | मुंगेली | निरजाम | वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम निरजाम में सी.सी. रोड निर्माण। | 12.33 | 1777–1778 / 25.06. 2024 | 12.33 | पत्र कं. 248–249 / 15. 05.2025 | 8.100 | पूर्ण | – | | – | – | – |

PLGMJ/2445/2026-Agriculture Section(Technical) I/513162/2026

| क्रं. | रिमार्क | वर्ष | विधान सभा क्षेत्र का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि रू लाख में | अनुमति पत्र क / दिनांक | प्रशासकीय स्वी0 राशि लागत लाख में | प्रशासकीय स्वी0 कं. / दिनांक | व्यय (लाख में) | अद्यतन स्थिति | | | | प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित कार्य की राशि लाख में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रारंभ / निर्माणाधीन | अप्रारंभ | निविदा आमंत्रण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | मंडी समिति निधि | 2025–26 | मुंगेली | सोनुपर | वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोनपुरी में सी.सी. रोड निर्माण। | 12.33 | 1777–1778 / 25.06. 2024 | 12.33 | पत्र कं. 248–249 / 15. 05.2025 | 7.873 | पूर्ण | – | | – | – | – |
| | | | | | | **69.05** | | **69.05** | | **43.197** | | | | – | – | |
| 15 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | सिंगबांधा | वि.ख. मुंगेली सिंगबांधा में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 16 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | सेमरकोना | वि.ख. मुंगेली सेमरकोना में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 17 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | दाऊकापा | वि.ख. मुंगेली दाऊकापा में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06.04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 18 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | खुर्सी | वि.ख. मुंगेली खुर्सी में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 19 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | लोहड़िया | वि.ख. मुंगेली लोहड़िया में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 20 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | सोनपुरी (बांकी) | वि.ख. मुंगेली सोनुपरी (बांकी) में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 21 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | निरजाम | वि.ख. मुंगेली निरजाम में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 22 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | फुलवारी | वि.ख. मुंगेली फुलवारी में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 23 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | अचानकपुर | वि.ख. मुंगेली अचानकपुर में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 24 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | खैरवार (बैरागी) | वि.ख. मुंगेली खैरवार (बैरागी) में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 25 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | जमको | वि.ख. मुंगेली जमको में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 26 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | मदनपुर | वि.ख. मुंगेली मदनपुर में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 27 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | बकबुड़वा | वि.ख. पथरिया बकबुड़वा में सामुदायिक भवन निर्माण | 9.85 | 63–64 / 01.04.2026 | 9.85 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 28 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | किरना | वि.ख. मुंगेली किरना में सी. सी.रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 29 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | दाबो | वि.ख. मुंगेली दाबो में सी.सी. रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06. 04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |

| क्रं. | रिमार्क | वर्ष | विधान सभा क्षेत्र का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि रु लाख में | अनुमति पत्र क/ दिनांक | प्रशासकीय स्वी0 राशि लागत लाख में | प्रशासकीय स्वी0 कं. /दिनांक | व्यय (लाख में) | अद्यतन स्थिति | | | | प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित कार्य की राशि लाख में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | पूर्ण | प्रारंभ/ निर्माणाधीन | अप्रारंभ | निविदा आमंत्रण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | बमपारा | वि.ख. मुंगेली बमपारा में सी.सी.रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06.04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 31 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | नेवासपुर | वि.ख. मुंगेली नेवासपुर में सी.सी.रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06.04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 32 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | चिरहुला | वि.ख. मुंगेली चिरहुला में सी.सी.रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06.04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 33 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | टेमरी | वि.ख. मुंगेली टेमरी में सी.सी. रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06.04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| 34 | मंडी समिति निधि | 2026–27 (20.06.26) | मुंगेली | पड़ोतरा | वि.ख. मुंगेली पड़ोतरा में सी.सी.रोड निर्माण | 7.95 | 63–64 / 01.04.2026 | 7.95 | 05–06 / 06.04.2026 | 0.000 | – | – | – | निविदा आंमत्रित। | – | – |
| | | | | | **योग –** | **183.70** | | **183.70** | | **0.000** | **0** | **0** | **0** | **20** | | |
| | | **कुल योग** | | | | **252.75** | | **252.75** | | **43.20** | **6** | **0** | **0** | **20** | | |
| | | **महायोग** | | | | **766.54** | | **766.54** | | **199.38** | **8** | **2** | **4** | **20** | | |

Digitally signed by Vikas Mishra Date: 09-07-2026 20:21:31

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 803) की जानकारी

**प्रपत्र**

| विकासखण्ड | कार्य | राशि |
|---|---|---|
| महासमुन्द | आनंदप्रभ कुटी विहार सिरपुर में तालाब में विकास कार्य | 993,700 |
| | पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य - 03 नग | 988,600 |
| | स्वास्तिक विहार सिरपुर में शेड निर्माण कार्य। | 273,000 |
| | आनंदप्रभ कुटी विहार सिरपुर में शेड निर्माण कार्य | 272,000 |
| | स्वास्तिक विहार सिरपुर में मरम्मत एवं विकास कार्य | 292,600 |
| | ग्राम धनसुली में कर्रापाठ जीर्णोद्धार कार्य | 500,000 |
| | ग्राम धनसुली में ठाकुरदेव स्थल का जीर्णोद्धार कार्य | 500,000 |
| बागबाहरा | जगन्नाथ मंदिर खल्लारी में मंदिर रथ कक्ष तथा किचन निर्माण, सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण, तथा फर्शीकरण का कार्य | 994,300 |
| | जगन्नाथ मंदिर खल्लारी में अनुरक्षण, छत मरम्मत एवं स्मारक का पोर्टींग कार्य | 990,800 |
| बसना | ग्राम एवं ग्राम पंचायत पलसापाली (अ) के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य। | 500,000 |
| | ग्राम परसगला, ग्राम पंचायत पलसापाली (अ) शिव मंदिर का जीर्णोद्धार | 500,000 |
| | ग्राम पिलवापाली, ग्राम पंचायत देवरी के देवस्थल मंदिर का जीर्णोद्धार | 500,000 |
| | ग्राम एवं ग्राम पंचायत देवरी के देवस्थल मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य। | 500,000 |
| | ग्राम एवं ग्राम पंचायत ठाकुरपाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य। | 500,000 |
| | ग्राम एवं ग्राम पंचायत जमड़ी के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य। | 500,000 |
| सरायपाली | शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत मोहनमुड़ा | 500,000 |
| | जगन्नाथ मंदिर जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत सेमलिया | 500,000 |
| | शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत रिसेकला | 500,000 |
| | महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत कलेण्डा (सी) | 500,000 |
| | शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत रूढ़ा | 500,000 |
| **कुल कार्य - 22** | | **11,305,000** |

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - उन्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 811) की जानकारी

प्रपत्र

## आदिम जाति विकास विभाग

1. प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास बिलाईगढ़
2. प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास भटगांव
3. पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास भटगांव
4. प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास बार
5. पोस्ट मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोनाखान

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 816) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/04/2024 से 31/03/2026 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला रायपुर एवं जिला धमतरी में संचालित चारकोल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का किये गये निरीक्षण के संबंध में जानकारी

| क्रमांक | उद्योग का नाम एवं पता | निरीक्षण दिनांक | निरीक्षणकर्ता अधिकारी | पाई गई स्थिति | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|
| | जिला-रायपुर | | | | |
| 1. | मेसर्स के.जी.एन. कोल डिपो, प.ह.नं. - 41, खसरा नं. - 528/2, ग्राम-असौंदा, पोस्ट - गनियारी, खरोरा, जिला - रायपुर | 17/04/2025 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 2. | मेसर्स चन्द्राकर ट्रेडर्स, प.ह.नं. -41, खसरा नं. - 254, ग्राम - असौंदा, तहसील - तिल्दा, जिला - रायपुर | 17/04/2025 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 3. | मेसर्स अनंत कोल, प.ह.नं. - 26, खसरा नं. - 175/1, ग्राम नकटी - कुम्हारी, तहसील तिल्दा, जिला-रायपुर | 15/05/2025 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 4. | मेसर्स प्रियंका चारकोल डिपो, पटवारी हल्का नंबर-84, खसरा नं.-1017/2, 1028/3, 1031, 1032/3, 1069/5, ग्राम-पथरी, (खुदमुडी), तहसील एवं जिला- रायपुर | 12/03/2026 | सहायक अभियंता एवं वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 5. | मेसर्स रामजी चारकोल, पटवारी हल्का नंबर-65, खसरा नं. 544 पार्ट, ग्राम-अकोलीखुर्द (एफ), तहसील-आरंग, जिला-रायपुर | 12/03/2026 | सहायक अभियंता एवं वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| | जिला-धमतरी | | | | |
| 1. | मेसर्स जसवानी एण्ड कंपनी, पटवारी हल्का नंबर-20, खसरा नं.- 145/(1-2), ग्राम-पोटियाडीह, तहसील व जिला- धमतरी | 01/02/2026 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 2. | मेसर्स विकास ट्रेडिंग कंपनी, पटवारी हल्का नंबर-14/48, खसरा नं.-70, ग्राम-पोटियाडीह, तहसील व जिला-धमतरी | 01/02/2026 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |
| 3. | मेसर्स बी.एन. कपूर, पटवारी हल्का नंबर-48/14, खसरा नं.- 155/5, ग्राम-पोटियाडीह, तहसील व जिला-धमतरी | 01/02/2026 | कनिष्ठ वैज्ञानिक | निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। | सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। |

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 817) की जानकारी

प्रपत्र –अ

## राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 में रेत खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जिलावार जानकारी

| क्र. | जिला | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 |
|---|---|---|---|
| 01 | रायपुर | 2 | 0 |
| 02 | महासमुंद | 6 | 0 |
| 03 | बलौदाबाजार-भाटापारा | 10 | 2 |
| 04 | धमतरी | 9 | 3 |
| 05 | गरियाबंद | 0 | 2 |
| 06 | दुर्ग | 0 | 0 |
| 07 | राजनांदगांव | 0 | 0 |
| 08 | बालोद | 0 | 0 |
| 09 | बेमेतरा | 0 | 0 |
| 10 | कबीरधाम | 0 | 0 |
| 11 | मोहला-मानपुर-चौकी | 0 | 0 |
| 12 | खैरागढ़-छुईखदान-गण्डाई | 0 | 0 |
| 13 | बिलासपुर | 1 | 0 |
| 14 | मुंगेली | 0 | 0 |
| 15 | जांजगीर-चांपा | 2 | 1 |
| 16 | सक्ती | 1 | 3 |
| 17 | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 0 | 0 |
| 18 | रायगढ़ | 2 | 0 |
| 19 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 0 | 0 |
| 20 | जशपुर | 4 | 1 |
| 21 | कोरबा | 7 | 0 |
| 22 | कोरिया | 2 | 0 |
| 23 | सरगुजा | 1 | 0 |
| 24 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 2 | 0 |
| 25 | बलरामपुर-रामानुजगंज | 3 | 1 |
| 26 | सूरजपुर | 0 | 3 |
| 27 | बस्तर | 0 | 0 |
| 28 | बीजापुर | 0 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | उत्तर बस्तर कांकेर | 8 | 0 |
| 30 | दंतेवाड़ा | 4 | 0 |
| 31 | नारायणपुर | 0 | 0 |
| 32 | सुकमा | 1 | 0 |
| 33 | कोण्ड़ागांव | 0 | 0 |
| | कुल | 65 | 17 |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र –ब

## दिनांक 01/04/2024 से दिनांक 31/03/2026 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रेत खदानों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी

| क्र | रेत उत्खनन का स्थल | उल्लंघन का कारण | पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी |
|---|---|---|---|
| | जिला - बालोद | | |
| 1. | ग्राम- भैसमुड़ी, ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील- गुरुर (श्री रविकांत साहू, श्री शंकर लाल एवं श्री हरीश सिन्हा) | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 13.09.2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,85,548/- रूपये अधिरोपित किया गया। |
| 2. | ग्राम- भैसमुड़ी, ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील- गुरुर (श्री देवव्रत ठाकुर) | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 13.09.2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,79,720/- रूपये अधिरोपित किया गया। |
| 3. | ग्राम एवं ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील- गुरुर (श्री देवेन्द्र साहू, श्री अलोक सिंह ठाकुर लाल, श्री हितेश जैन) | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 13.09.2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,91,375/- रूपये अधिरोपित किया गया। |
| 4. | ग्राम एवं ग्राम पंचायत- पोंड, तहसील- गुरुर (श्री शुभम वर्मा, श्री गोपाल ओमप्रकाश जाजू, श्री राजेश देवांगन) | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालोद से दिनांक 28/06/2024 को प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाना बताया गया। | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 13.09.2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 11,655/- रूपये अधिरोपित किया गया। |
| | जिला - रायगढ़ | | |
| 5. | मेसर्स उसरौट सैण्ड माईन, ग्राम-उसरौट, तहसील व जिला-रायगढ़, प्रोपराईटर श्री नमो पटेल | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 24.07.2024 को निरीक्षण के दौरान बिना वैध सम्मति के उत्खनन एवं रेतघाट संचालन के कारण कार्यवाही की गई । | रूपये 6,90,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। |
| 6. | श्री मुरली साव, आत्मज श्री नृपोमणी साव, निवासी- नीचेपारा, पोस्ट ऑफिस, रेंगालपाली, ग्राम-कांदागढ़, तहसील-पुसौर, जिला- रायगढ़ | माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन भोपाल ओए नंबर 151/2024 के अंतर्गत ग्राम कन्दागढ़ तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में अवैध खनिज रेत उत्खनन किये जाने पर पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अवैध उत्खननकर्ता पर रूपए 3,62,680 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु आदेशित किया गया । | रूपये 3,62,680/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 836) की जानकारी

प्रपत्र-अ

## छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ, मर्या., रायपुर के अधीनस्थ जलाशयों की जानकारी

| क्र. | जलाशय का नाम | जलक्षेत्र (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | दुधावा, जिला-धमतरी | 2511.00 |
| 2 | माड़मसिल्ली, जिला-धमतरी | 1387.00 |
| 3 | गंगरेल, जिला-धमतरी | 6935.00 |
| 4 | सिकासार, जिला-गरियाबंद | 1174.00 |
| 5 | मनोहर सागर, जिला-राजनांदगांव | 2518.00 |
| 6 | कोड़ार, जिला-महासमुंद | 2057.00 |
| 7 | खरखरा, जिला-बालोद | 1875.00 |
| 8 | तांदुला, जिला-बालोद | 2275.00 |
| 9 | गोंदली, जिला-बालोद | 1118.00 |
| 10 | दर्री, जिला-बालोद | 1333.75 |
| 11 | हसदेव बांगो, जिला-कोरबा | 11500.00 |
| 12 | खारंग (खूंटाघाट) जिला-बिलासपुर | 2712.00 |
| 13 | खुड़िया (मनियारी), जिला-मुंगेली | 1667.00 |
| | **योग** | **39062.75** |

## छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ, मर्या., रायपुर के अधीनस्थ मत्स्य बीज केन्द्र की जानकारी

| क्र. | मत्स्य बीज केन्द्र | जलक्षेत्र (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **(राज्य शासन द्वारा हस्तांतरित)** | |
| 1 | खूंटाघाट, जिला-बिलासपुर | 2.12 |
| 2 | एतमानगर, जिला-कोरबा | 2.50 |
| 3 | दुधावा, जिला-कांकेर | 3.00 |
| | **(मत्स्य महासंघ के स्व-वित्त से निर्मित)** | |
| 4 | देमार, जिला-धमतरी | 25.00 |
| 5 | सेलूद, जिला-दुर्ग | 10.00 |
| | **योग** | **42.62** |

**सही/-अस्पष्ट**
**प्रबंध संचालक**
**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.**
**रायपुर (छ.ग.)**

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर के अधीनस्थ जलाशयों में मछली बीज संचय तथा उत्पादन की वर्षवार जानकारी**

| क्र. | जलाशय का नाम | जलक्षेत्र (हैक्टेयर में) | मत्स्य उत्पादन (मेट्रिक टन में) | | मत्स्य बीज संचयन (लाख में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | दुधावा | 2511.00 | 716.104 | 740.752 | 43.970 | 54.303 |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1387.00 | 87.527 | 44.969 | 20.549 | 21.765 |
| 3 | गंगरेल | 6935.00 | 196.390 | 199.385 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | सिकासार | 1174.00 | 2.008 | 2.067 | 15.300 | 8.350 |
| 5 | मनोहर सागर | 2518.00 | 15.264 | 9.839 | 10.500 | 37.410 |
| 6 | कोड़ार | 2057.00 | 20.095 | 25.481 | 0.000 | 14.510 |
| 7 | खरखरा | 1875.00 | 9.272 | 8.948 | 8.000 | 21.200 |
| 8 | तांदुला | 2275.00 | 15.461 | 14.748 | 9.000 | 0.000 |
| 9 | गोंदली | 1118.00 | 18.838 | 2.409 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | दर्री | 1333.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | हसदेव बांगो | 11500.00 | 221.937 | 48.259 | 58.980 | 0.000 |
| 12 | खारंग | 2712.00 | 369.540 | 338.842 | 14.730 | 21.270 |
| 13 | खुड़िया (मनियारी) | 1667.00 | 137.908 | 146.771 | 19.218 | 15.725 |
| **योग** | | **39062.75** | **1810.342** | **1582.468** | **200.247** | **194.533** |

**सही/-अस्पष्ट**
**प्रबंध संचालक**
**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.**
**रायपुर (छ.ग.)**

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-स

छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर को जलाशयों से प्राप्त आय एवं मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि की वर्षवार जानकारी

| क्र. | जलाशय का नाम | 2022-23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक) | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | | 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 15.06.2026 तक) | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरो को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरो को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरो को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरो को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरो को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरो को प्रदाय बोनस राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | दुधावा | 2880388.00 | वर्ष 2022 के पूर्व अनुबंध में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। | 7200988.00 | वर्ष 2022 के पूर्व अनुबंध में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। | 7801050.00 | वर्ष 2022 के पूर्व अनुबंध में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। | 7801050.00 | वर्ष 2022 के पूर्व अनुबंध में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। | 1680220.00 | वर्ष 2022 के पूर्व अनुबंध में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। | 27363696.00 | 0.00 |
| 2 | माड़मसिल्ली | 234153.00 | | 1326868.00 | | 1657084.00 | | 1176770.00 | | 0.00 | | 4394875.00 | 0.00 |
| 3 | खुड़िया (मनियारी) | 2200000.00 | | 7150020.00 | | 7150020.00 | | 7701000.00 | | 0.00 | 0.00 | 24201040.00 | 0.00 |
| 4 | हसदेव बांगो | 0.00 | | 954664.00 | | 965501.00 | | 2743699.00 | मत्स्याखेट कार्य प्रारंभ नही हो सका है। | 0.00 | 0.00 | 4663864.00 | 0.00 |
| 5 | सिकासार | 400000.00 | | 650000.00 | 0.00 | 792800.00 | 99100.00 | 496400.00 | 62050.00 | 100000.00 | 12500.00 | 2439200.00 | 173650.00 |
| 6 | गंगरेल | 2500000.00 | 312500.00 | 8460000.00 | 1057500.00 | 6000000.00 | 750000.00 | 8000000.00 | 0.00 | 3600000.00 | रायल्टी आधार पर मत्स्याखेट कार्य किया जा रहा है | 28560000.00 | 2120000.00 |
| 7 | मनोहर सागर | 300000.00 | 37500.00 | 662400.00 | वर्ष 2022 के पूर्व अनुबंध में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। | 1032090.00 | 129011.25 | 1376000.00 | 172000.00 | 444000.00 | 55500.00 | 3814490.00 | 394011.25 |
| 8 | कोड़ार | 188600.00 | 23575.00 | 2872681.00 | 359085.13 | 2568333.00 | 321041.63 | 6376161.00 | 797020.13 | 400000.00 | 50000.00 | 12405775.00 | 1550721.89 |
| 9 | खरखरा | 0.00 | 0.00 | 624375.00 | 0.00 | 780600.00 | 97575.00 | 520000.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 1924975.00 | 162575.00 |
| 10 | तांदुला | 0.00 | 0.00 | 2522650.00 | 315331.25 | 1781136.00 | 222642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4303786.00 | 537973.25 |
| 11 | गोंदली | 0.00 | 0.00 | 2198700.00 | 274837.50 | 1759000.00 | 219875.00 | 421042.00 | 52630.25 | 0.00 | 0.00 | 4378742.00 | 547342.75 |

| क्र. | जलाशय का नाम | 2022-23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक) | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | | 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 15.06.2026 तक) | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि | जलाशय से प्राप्त आय | मछुआरों को प्रदाय बोनस राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | दर्री | 0.00 | 0.00 | 1393453.00 | 0.00 | 396000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1789453.00 | 0.00 |
| 13 | खारंग | 1400000.00 | 175000.00 | 6421000.00 | 802625.00 | 7678800.00 | 959850.00 | 4892600.00 | 611575.00 | 0.00 | 0.00 | 20392400.00 | 2549050.00 |
| योग | | 10103141.00 | 548575.00 | 42437799.00 | 2809378.88 | 40362414.00 | 2799094.88 | 41504722.00 | 1760275.38 | 6224220.00 | 118000.00 | 140632296.00 | 8035324.14 |

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-द

**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर को मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र से प्राप्त आय एवं मछुआरों के हितार्थ/सहयोग की वर्षवार जानकारी**

| क्र. | मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र के नाम | मत्स्य बीज उत्पादन से आय (राशि रू. में) | | | | | मछुआरों के हितार्थ/सहयोग हेतु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक) | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से 15.06.2026 तक) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | देमार, जिला-धमतरी | 9196750.00 | 8725854.00 | 9070815.00 | 7316765.00 | 1633740.00 | मत्स्य महासंघ के प्रक्षेत्रो/हेचरियों से मत्स्य बीज विक्रय पर सदस्य मछुआ समितियों को 10 प्रतिशत एवं अन्य सहकारी समितियों को 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। |
| 2 | सेलूद, जिला-दुर्ग | 2032361.00 | 3067485.00 | 2966035.00 | 2482415.00 | 419650.00 | |
| 3 | खूंटाघाट, जिला-बिलासपुर | 1308360.00 | 701185.00 | 778470.00 | 727455.00 | 0.00 | |
| 4 | एतमानगर, जिला-कोरबा | 1551955.00 | 1167640.00 | 1074960.00 | 1101505.00 | 0.00 | |
| 5 | दुधावा, जिला-कांकेर | 779975.00 | 1281930.00 | 1280505.00 | 1142165.00 | 0.00 | |

**सही/-अस्पष्ट**
**प्रबंध संचालक**
**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.**
**रायपुर (छ.ग.)**

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 840) की जानकारी

प्रपत्र

विगत तीन वर्षों में प्रदेश में निर्मित विभिन्न श्रेणियों के आवासों में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आबंटियों से शिकायतें की वर्षवार एवं जिलावार जानकारी

| क्रमांक | जिला का नाम | 2024 | 2025 | 2026 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रायपुर | 8 | 19 | 5 | 32 |
| 2 | दुर्ग | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | कुल | 8 | 27 | 5 | 40 |

शेष जिलों में निरंक है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

## परिशिष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 852) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जन सामान्य के द्वारा प्रेषित शिकायतो का विवरण

| क्र. | शिकायतकर्ता का नाम | शिकायत का दिनांक | शिकायत का विवरण | कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री गणेश केंवट, रायपुर | 05-04-2023 | भ्रष्ट अधिकारियो को संरक्षण देने वाले हाउसिंग बोर्ड के पूर्व आयुक्त धर्मेश साहू के खिलाफ कार्यवाई बाबत \| | विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |
| 2 | सचिव, राजीव लोचन सोसाइटी कचना रायपुर | 08-05-2023 | कॉमन मेंटेनेंस की राशी वसूली के सम्बन्ध में | मंडल मुख्यालय के आदेश क्र. 215 दिनांक 24-05-2023 द्वारा श्री विशाल मिश्रा को निलंबित किया गया \| जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया \| |
| 3 | श्री कोण्डल राव, भृत्य पीजीएन के संबंध में। | 18-05-2023 | पदोन्नति के संबंध में। वेब पोर्टल http://janshikayat.cg.nic.in के पीजीएन प्रकरणों की ऑनलाईन पर की गई कार्यवाही | पत्र क्रमांक 9 0 9 दिनांक 24-05-2023 द्वारा निराकरण किया गया। |
| 4 | श्री जवाहर गुप्ता, उत्तम कंस्ट्रक्शन बलरामपुर | 05-06-2023 | श्री जी.पी. प्रजापति, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संदीप तिर्की, सहायक के द्वारा निविदा में भारी भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में | अपर आयुक्त प्रक्षेत्र बिलासपुर से शिकायत के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया \| जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया |
| 5 | डॉ. विजय शंकर मिश्रा, रायपुर | 06-06-2023 | श्री अजीत पटेल उपायुक्त एवं अन्य के द्वारा मिलीभगत कर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित मोदित ले-आऊट ले- में निर्धारित प्लाट क.-1 कचना, फेस-1 रायपुर विकास योजना में अनुमोदित ले-आऊट विरूद्ध जा कर में बिल्डर को लाभ पहुंचाते हुए उनके व्यवसायिक प्लाटिंग के लिए मार्ग उपलब्ध कराने हेतु रिक्त भूखण्ड विक्रय अनुमति प्रदान कर भ्रष्टाचार किये जाने की जांच करने हेतु । | तत्कालीन अपर आयुक्त, बिलासपुर से जाँच के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया \| जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधितो को नोटिस जारी किया गया \| कार्यवाही लंबित है \| |
| 6 | श्री प्रीतम शर्मा, नवा रायपुर | 05-10-2023 | श्री राकेश कुमार ध्रुव, प्रशासकीय अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मंडल नवा रायपुर अटल नगर पर नियमानुसार जांच कर कार्यवाही करने बाबत \| | जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया |
| 7 | श्री अमोल मालुसरे, महाराष्ट्र | 26-12-2023<br>17-01-2024<br>22-02-2024<br>25-09-2024 | गैर शासकीय कंपनी एवं सोसायटी "लेट्स ट्रेव्हल्स कंपनी" जो की जन सामान्य से अनियमित आर्थिक व्यवहार कर रहीं है इसकी विधि विरुद्ध गतिविधियों में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारीयों और कर्मचारियों (श्री राजेश नायर, श्री विक्रम यादव, श्री विशाल मिश्रा, स्व.श्री त्रिपत लुम्बा) की संलिप्तता होने के संबंध में संज्ञान कवाकर प्रतिक्रिया लेने बाबत | प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है \| |
| 8 | आपके द्वारा निर्मित कॉलोनी का पीडित व्यक्ति बघेरा दुर्ग | 14-05-2024 | कर्मचारी मुकेश परघनिया सहायक प्रक्षेत्र-दुर्ग के शिकायत बाबत्। | जांच प्रतिवेदन के निकर्ष अनुसार प्रकरण नस्तीबंध किया गया । |
| 9 | श्री धीरेन्द्र घिरवानी, भिलाई | 31-05-2024 | छ.ग. गृह निर्माण मण्डल दुर्ग में भूखण्ड क्रमाक। 400 कोहका के वास्तविक आबंटी के रहते अधिकारी एवं (संविदा) कर्मचारियों द्वारा भवन को भष्ट्राचार कर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय के फर्जी रजिस्ट्री करने के संबंध में। | शिकायत की जांच के सम्बन्ध में जाँच समिति गठित हुई \| जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधितो को नोटिस जारी किया गया \| जवाब प्राप्त हुआ कार्यवाही लंबित है \| |
| 10 | समस्त ठेकेदार | 05-06- | ठेकेदारों से अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार करने बाबत \| | प्रकरण लंबित है \| |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | (श्री आनंद मिश्रा, तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी) | |
| 11 | श्री शेख आरिफ हुसैन, दुर्ग | 03-07-2024 30-07-2024 | 1. छ.ग. गृह निर्माण मंडल वृत्त दुर्ग में पदस्थ उपायुक्त द्वारा व्य. भूखंड ऑफर आधार पर विक्रय होने के बाद उसका अध टुकड़ा कर आवासीय बनाकर एमआईजी वाले को बेचने की शिकायत \| छ.ग. गृह निर्माण मंडल वृत्त दुर्ग में पदस्थ उपायुक्त (उपगृह निर्माण आयुक्त) पूनम चंद अग्रवाल की अचल संपत्तियों की जांच करने शिकायत पत्र \| | शिकायत के सम्बन्ध में जांच समिति गठित की गयी \| जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया \| श्री पूनम चंद अग्रवाल से भी शिकायत के सम्बन्ध में जवाब प्राप्त किया गया \| प्रकरण लंबित है \| |
| 12 | डॉ. चंद्रप्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता, दुर्ग | 22-07-2024 | संभाग कार्यालय दुर्ग में निरंतर 15 वर्षों से पदस्थ सहायक संपत्ति प्रबंधक श्री मुखीराम ध्रुवे के रिश्वत लेने की शिकायत के सम्बन्ध में | मंडल मुख्यालय के आदेश क्र. 904 दिनांक 19-09-2024 के माध्यम से श्री मुखीराम ध्रुवे को निलंबित किया गया तथा मंडल मुख्यालय के आदेश क्र. 106 दिनांक 20-03-2025 द्वारा उन्हें निलंबन से बहाल कर परिनिन्दा की लघुशास्ति अधिरोपित की गयी\| |
| 13 | श्री अभिषेक टंडन | 26.07.2024 | श्रीराम नगर कांकेर में आबंटित भवन का संपूर्ण मूल्य जमा करने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत छूट प्रदान नही किये जाने के संबंध में कार्यपालन अभियंता, कोण्डागांव के विरूद्ध शिकायत्। | छ.ग. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय के आदेश क्र. 61 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से 05 प्रतिशत छूट की राशि कार्यपालन अभियंता से वसूल किये जाने आदेशित किया गया है। |
| 14 | श्री सुबोध सिंह, भिलाई दुर्ग | 03-10-2024 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में पदस्थ कांग्रेस से भिलाई नगर विधायक श्री देवेन्द्र यादव के भाई श्री विक्रम यादव द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में | जांच समिति गठित की गयी है। प्रकरण लंबित है \| |
| 15 | श्री मेहरबान सिंह, दुर्ग | 08-10-2024 | 1- औधोगिक क्षेत्र भिलाई कालीबाडी के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड भिलाई की 15171 वर्गफीट की जमीन आवंटन की प्रकिया को रदद कर नए सिरे से जमीन आवंटन की प्रकिया पारदर्शी तरीका अपना का जमीन आंबटन करने बावत<br>2-भिलाई हाउसिंग बोर्ड की जमीन श्री धर्मेन्द्र यादव को आवंटित करने में छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल के अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर षडयंत्र के तहत विधि विरूद्ध कार्य करते हुए जमीन का आवंटन सिर्फ श्री विधायक देवेन्द्र यादव के परिवार को जमीन आबंटन की निविदा में शामिल कर जमीन आवंटित करने तथा छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल को राजस्व की हानि पहुंचानें के विरूद्ध जाचं कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने बावत<br>3-छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल ने वर्तमान बाजार मूल्य 10 करोड रूपए से अधिक की प्राईम लोकेशन की जमीन को 2,52,51000 लाख में कोडियों के भाव जमीन भिलाई नगर विधान सभा विधायक देवेन्द्र यादव के भाई धर्मेन्द्र यादव को बेचने के विरूद्ध शिकायत बावत | अभ्यावेदन निराकरण हेतु जांच समिति गठित हुई \| जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया \| कार्यवाही लंबित है \| |
| 16 | श्री पियूष मिश्रा | 03-10-2024 | 1- औधोगिक क्षेत्र भिलाई कालीबाडी के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड भिलाई की 15171 वर्गफीट की जमीन आवंटन की प्रकिया को रदद कर नए सिरे से जमीन आवंटन की प्रकिया पारदर्शी तरीका अपना का जमीन आंबटन करने बावत<br>2-भिलाई हाउसिंग बोर्ड की जमीन श्री धर्मेन्द्र यादव को आवंटित करने में छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल के अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर षडयंत्र के तहत विधि विरूद्ध कार्य करते हुए जमीन का आवंटन सिर्फ श्री विधायक देवेन्द्र यादव के परिवार को जमीन आबंटन की निविदा में शामिल कर जमीन आवंटित करने तथा | अभ्यावेदन निराकरण हेतु जांच समिति गठित हुई \| जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया \| कार्यवाही लंबित है \| |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल को राजस्व की हानि पहुंचानें के विरूद्ध जाचं कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने बावत<br>3-छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल ने वर्तमान बाजार मूल्य 10 करोड रूपए से अधिक की प्राईम लोकेशन की जमीन को 2,52,51000 लाख में कोडियों के भाव जमीन भिलाई नगर विधान सभा विधायक देवेन्द्र यादव के भाई धर्मेन्द्र यादव को बेचने के विरूद्ध शिकायत बावत | |
| 17 | श्री उदय नारायण सिंह | 03-10-2024 | 1- औधोगिक क्षेत्र भिलाई कालीबाडी के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड भिलाई की 15171 वर्गफीट की जमीन आवंटन की प्रकिया को रदद कर नए सिरे से जमीन आवंटन की प्रकिया पारदर्शी तरीका अपना का जमीन आंबटन करने बावत<br>2-भिलाई हाउसिंग बोर्ड की जमीन श्री धर्मेन्द्र यादव को आवंटित करने में छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल के अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर षडयंत्र के तहत विधि विरूद्ध कार्य करते हुए जमीन का आवंटन सिर्फ श्री विधायक देवेन्द्र यादव के परिवार को जमीन आबंटन की निविदा में शामिल कर जमीन आवंटित करने तथा छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल को राजस्व की हानि पहुंचानें के विरूद्ध जाचं कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने बावत<br>3-छ.ग. ग्रह निर्माण मंडल ने वर्तमान बाजार मूल्य 10 करोड रूपए से अधिक की प्राईम लोकेशन की जमीन को 2,52,51000 लाख में कोडियों के भाव जमीन भिलाई नगर विधान सभा विधायक देवेन्द्र यादव के भाई धर्मेन्द्र यादव को बेचने के विरूद्ध शिकायत बावत | अभ्यावेदन निराकरण हेतु जांच समिति गठित हुई। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही लंबित है। |
| 18 | रेखा भूते, "द" वर्ग ठेकेदार, रायपुर | 22-10-2024 | श्री गौरव कोरे (उपअभियंता), श्री जितेन्द्र साहू (सहायक अभियंता), श्री विनोद गहरवार (कार्यपालन अभियंता) के खिलाफ शिकायत। | शिकायत के सम्बन्ध में संबंधितो से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं कार्यपालन अभियंता को प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज सहित प्रस्तुत होने लेख किया गया। प्रकरण लंबित है। |
| 19 | श्री तौहिद आलम | 11-11-2024 | आरोपी राजन मरावी पत्नी निर्मला मरावी के द्वारा शाररीक मानसिक रूप से प्रताडित किये जाने के संबंध में। वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग को मेरी जान माल की रक्षा करने हेतु आवेदन पत्र जाने बाबत्। | जांच समिति गठित है। |
| 20 | श्री अशोक अग्रवाल (विश्व हिन्दू परिषद् सरगुजा) | 18-11-2024 | अवैध वसूली करने वाले भ्रष्ट कर्मचारी पर कार्यवाही हेतु। (श्री जी. पी. प्रजापति, उपायुक्त) | शिकायत हेतु जांच समिति का गठन किया गया। प्रकरण लंबित है। |
| 21 | श्री नाहर सिंह यादव और संदीप यादव | 25-11-2024 | व्यासायिक प्लाट क्रमांक 0 1 से अनाधिकृत एवं अवैधानिक संचालित ढाबा हटावाने एवं आबंटित क्षेत्र 99-56 वर्ग मीटर का सीमांकन करने बाबत्। | प्रत्र क्रमांक 2 3 8 3 दिनांक 02-12-2024 के माध्यम से शिकायत का निराकरण करने हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग क्रमांक 1 रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। |
| 22 | श्री सुशील सिंह | 29.11.2024 | श्री सीताराम देवांगन, रजिस्ट्री/पंजीयन शाखा प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक | संपदा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को श्री सीताराम देवांगन को उक्त संबंध में स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री सीताराम देवांगन द्वारा दिनांक 03.12.2024 को कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 04.12.2024 को संपदा अधिकारी द्वारा नस्ती में टीप अंकित की गई है कि उक्त भवन का रजिस्ट्री 26.11.2024 हो गई है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध करे। |
| 23 | श्री के. बी. | 04-12- | छ.ग. गृह निर्माण मंडल के मुख्य संपदा अधिकारी द्वारा | प्रकरण लंबित है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | गुजर, भिलाई | 2024 | के. बी. गुजर ज्येष्ठ नागरिक (83 वर्ष) के प्रति जानलेवा कार्यप्रणाली एवं अपने पद का दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत पत्र \| | |
| 24 | श्री गणेशराम केंवट (पत्रकार) रायपुर | 10-12-2024 | निर्माण कार्यो में गड़बड़ी एवं घोटाला करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही बाबत \| | अपर आयुक्त प्रक्षेत्र रायपुर को शिकायत के सम्बन्ध में जांच करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं शिकायतकर्ता को शिकायत के तथ्यों से सम्बंधित दस्तावेज सहित उपस्थित होने लेख किया गया \| प्रकरण लंबित है \| |
| 25 | श्री अवधेश दुबे, दुर्ग | 29-01-2025 | छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के मकानों की ऑन लाइन बुकिंग बंद कर प्राइव्हेंट बिल्डरों को अधिकारियों के द्वारा करोड़ों रूपयों का लाभ पहुँचाकर करोड़ों रूपयों का भष्ट्राचार कर आम जनता एवं शासन को क्षति पहुँचाए जाने के संबन्ध में गहन जाँच कर यथाशीघ कार्यवाही कर शासन की छवि बिगड़ने से बचाने हेतु । | शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों से आवेदक को अवगत कराया गया \| |
| 26 | श्री आशीष शुक्ला, अधिवक्ता, दुर्ग | 15-02-2025 | कार्यालय संपदा अधिकारी छ.ग. गृह निर्माण मंडल दुर्ग पद्मनाभपुर कॉलोनी स्थित भूखंड क्रमांक M-735 का त्रुटिपूर्ण/फर्जी आबंटन का गहन/वृहद् जांच विषयक | शिकायत के सम्बन्ध में उपायुक्त वृत्त दुर्ग को जांच हेतु पत्र प्रेषित किया गया \| प्रकरण लंबित है \| |
| 27 | श्री ओ. एम. शुक्ल, दुर्ग | 04-03-2025 | छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा किये गए त्रुटिपूर्ण आवास एवं घोटालो की जांच के सम्बन्ध में \| | शिकायत के सम्बन्ध में अपर आयुक्त प्रक्षेत्र दुर्ग से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया \| प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार है \| प्रकरण लंबित है \| |
| 28 | श्रीमती उषा एम. शर्मा, जबलपुर, एम.पी. | 22-03-2025 | वैशाली नगर भिलाई जिला-दुर्ग स्थित भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस 152 के संबंध में छ.ग. गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-दुर्ग कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 252/सं.अधि./स.प्र.शा./वैशाली नगर/2025 दिनांक 16.01.2025 के विरूद्ध शिकायत का निराकरण किये जाने एवं विधिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में। | शिकायत के सम्बन्ध मे अपर आयुक्त प्रक्षेत्र दुर्ग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है \| प्रकरण लंबित है |
| 29 | श्री शुभम साव, दुर्ग | 17-04-2025 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग दुर्ग एवं संपदा अधिकारी प्रक्षेत्र दुर्ग के अंतर्गत तकनीकी शाखा में पदस्थ उप अभियंता एवं सहायक के द्वारा तथा संपदा प्रबंधक के प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत बाबत्। | प्रकरण लंबित है \| |
| 30 | श्री रवि वैष्णव, श्री रुपेश झारिया, राजनांदगांव | 22-04-2025 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के सहायक अभियंता श्री कमलेश कुमार कोटडिया के द्वारा काम के बदले पैसे की मांग करने संबंधी शिकायत \| | शिकायत के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, मुख्यालय को जांच हेतु पत्र प्रेषित किया गया \| कार्यवाही लंबित है \| |
| 31 | श्री मदन लाल गोस्वामी महादेव घाट रायपुर | 24-04-2025 | श्रीमती दीपा सोनी (प्रतिनियुक्ती कर्मचारी) सहायक ग्रेड-01 के शिकायत के संबंध मे। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त।पत्र क्रमांक 1424 दिनांक 01-09-2025 द्वारा पत्र प्रेषित। प्रकरण लंबित है \| |
| 32 | श्रीमती मधु श्रीवास्तव | 07.05.2025 | पंडरीपानी जगदलपुर में आबंटित भवन का संपूर्ण मूल्य जमा करने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत छूट प्रदान नही किये जाने के संबंध में कार्यपालन अभियंता, जगदलपुर के विरूद्ध शिकायत्। | आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय के आदेश क्र. 8 4 दिनांक 18.08.2025 के माध्यम से 0 5 प्रतिशत छूट की राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से कटौती किए जाने आदेशित किया गया है। |
| 33 | ठेकेदार संघ | 01-06-2025 | श्री अनिल साहू, सहायक ग्रेड द्वारा भ्रष्टाचार एवं दलाली एवं पैसा मांगने के सम्बन्ध में | मंडल मुख्यालय के आदेश क्र. 345 दिनांक 18-07-2025 द्वारा श्री अनिल साहू का स्थानांतरण किया गया \| जांच लंबित है |
| 34 | गोपनीय आवेदन (आवेदक का नाम पता अंकित नही) | 05.06.2025 | दुर्ग कार्यालय में काम कर रहे सहायक विक्रम एवं श्री पुरूषोत्तम द्वारा रजिस्ट्री करने अवैध वसूली की जाने बाबत्। | संपदा अधिकारी, प्रक्षेत्र दुर्ग द्वारा शिकायत पर जॉच कर पत्र क्रमांक 4258 दिनांक 05.08.2025 के माध्यम से पत्र आपर आयुक्त को प्रेषित किया गया तद्ोपरान्त अपर आयुक्त प्रक्षेत्र-दुर्ग द्वारा शिकायत को निराकृत किया गया |
| 35 | श्री हेमन्त | 28-06- | शिकायत विरूद्ध श्री पुरानिक राम ध्रुव सहायक संपदा | जांच प्रतिवेदन प्राप्त। कार्यवाही (लंबित) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कुमार ग्राम देवकर जिला - बेमेतरा | 2025 | प्रबंधक छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड दुर्ग। | |
| 36 | श्री के.बी. गुर्जर | 18.07.2025 | मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को दुर्ग कार्यालय अंतर्गत आबंटित भवन के विरूद्ध किराया आधार पर आबंटित संपत्तियों के विरूद्ध स्थानांतरण पश्चात् नियमानुसार दाण्डिक किराया राशि वसूला नही गया है। | छ.ग. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय के पत्र क्र. 1754 दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से मण्डल अधिकारियो/कर्मचारियों को किराया आधार पर आबंटित संपत्तियों के समस्त प्रकरणों की छानबीन करते हुए मण्डल नियमानुसार स्थानांतरण/सेवानिवृत्त पश्चात् दाण्डिक किराया राशि वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। |
| 37 | श्री जगदीश होस्केरे, बेंगलुरु कर्नाटक | 22-07-2025 | Immediate suspensions & recovery of fraudulently disbursed Freedom Fighters Pension (Rs. 60 Lakh+); Freeze Pension Account at Central Bank of India Civil Lines | सम्बंधित कर्मचारी से शिकायत के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, शिकायत तथ्यों से परे होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया |
| 38 | श्रीमती जीवदयादेवी, दुर्ग | 02-08-2025 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग के अंतर्गत वरिष्ठ सहायक प्रभारी सहायक संपदा प्रबंधक श्रीमती सुनीता चंद्राकर के द्वारा संपदा प्रबंधन दुर्ग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जाने की शिकायत पत्र | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-दुर्ग के पत्र क्र. 585 दिनांक 29-08-2025 के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया |
| 39 | श्री सौरभ मिश्रा, पिता स्व. गिरजा शंकर मिश्रा, पता-ए क्वाटर नं. 08/ए, सड़क न.च. 35 सेक्टर 4, भिलाई, दुर्ग | 04.08.2025 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल दुर्ग में बोरसी भवन क्रमांक एम.आई.जी.-74 में रिश्वत न मिलने पर बकाया राशि के नाम से वसूले जा रहे अवैध राशि के संबंध में। | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र दुर्ग कार्यालय का पत्र क्रमांक 461 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्रशासकीय अधिकारी मुख्यालय नवा रायपुर को प्रेषित किया गया । |
| 40 | श्रीमती माया नागरारे, वार्ड नं. 14, एम.आई.जी. 1/191 कुम्हारी, जिला-दुर्ग | 21.08.2025 | हॉउसिंग बोर्ड, दुर्ग में कुम्हारी में एम.आई.जी. 1/191 के फ्री होल्ड कराने में दुर्ग के कर्मचारी मोहनिश राजपुत के द्वारा परेशान किये जाने बाबत्। | संपदा अधिकारी, प्रक्षेत्र-दुर्ग का प्रतिवेदन एवं दोनो पक्षों के बयान का अवलोकन करने पश्चात् जॉच प्रतिवेदन पत्र क्र. 579 दि. 29.08.2025 के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित। |
| 41 | श्री चंद्रप्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता, जिला दुर्ग | 01-09-2025 | 10 वर्षों से दुर्ग कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता प्रीवेश साहू एवं उपअभियंता रिजवान चौहान के द्वारा पद के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-दुर्ग द्वारा पत्र क्र. 633 दिनांक 09-09-2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है प्रकरण लंबित है \| |
| 42 | श्री भक्तचरण कोसरिया, महासमुंद | 09-09-2025 | मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा से स्वीकृत सर्व जन समाज मंगल भवन ग्राम गढ़फुलझर जिला-महासमुंद के निविदा प्रक्रिया में खुला भ्रष्टाचार करने बाबत | सम्बंधित कार्यपालन अभियंता (श्री नरेन्द्र चंद्राकर) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है \| |
| 43 | श्री सुराख़ अली, दुर्ग | 13-09-2025 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग संपदा प्रबंधन अंतर्गत प्रभारी सहायक संपदा प्रबंधक श्रीमती सुनीता चंद्राकर के द्वारा संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र दुर्ग के कार्य में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जाने की शिकायत \| | शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया \| |
| 44 | श्रीमती कविता पटेल, बालोद | 08-10-2025 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र कार्यालय धमतरी में पदस्थ तोरण लाल कुलदीप वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध भ्रष्टाचार रिश्वत लेने एवं कार्य के प्रति लापरवाही करने के सम्बन्ध में \| | मंडल मुख्यालय के आदेश क्र. 468 दिनांक 04-12-2025 द्वारा श्री तोरण लाल कुलदीप को निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गयी है\| |
| 45 | सुश्री दामिनी ध्रुव, सेजबहार रायपुर | 13-10-2025 | सेजबहार फेस 1 प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री नितेश कश्यप गैर जिम्मेदार अधिकारी हटाने बाबत \| | शिकायत के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रायपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है \| कार्यवाही लंबित है \| |
| 46 | श्री भगत राम | 01-12- | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कबीर नगर संभाग में | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-रायपुर के पत्र क्र. 1323 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | हरवंश, रायपुर | 2025 | पदस्थ कार्यपालन अभियंता श्रीमती नीतू गणवीर एवं उपअभियंता श्री शाहरुख अली का स्थानांतरण करने बाबत | दिनांक 23-12-2025 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया |
| 47 | श्री उमेश सिंह, रायपुर | 24-12-2025 | श्रीमती नीतू गणवीर कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कबीर नगर संभाग 01 रायपुर द्वारा अपने मकान क्र. एम्.आई.जी. STD – 276 में अवैध निर्माण कराये जाने बाबत | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-रायपुर के पत्र क्र. 264 दिनांक 27-02-2026 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रकरण लंबित है \| |
| 48 | श्री जगदीश होस्केरे, बेंगलुरु कर्नाटक | 26-12-2025 | Complaint of long time Posting of officials at Raipur Leading to Corruption. | शिकायत शासन के माध्यम से प्राप्त हुई थी, मंडल में स्थानांतरण गृह निर्माण मंडल विनियम 1998 की कंडिका 6 के अनुसार किया जाता है जिसके अनुक्रम में शासन को अवगत कराया गया है |
| 49 | श्री अमोल माल्ुसरे एवं कु. यामिनी मैथिल, रायपुर | 09-02-2026 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कार्यालय में सेवारत अधिकारी श्री राजेश नायर एवं अन्य सहयोगी लोकसेवकों के अनियमित कार्याचरण एवं आर्थिक अपराध के विरुद्ध शिकायत | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है \| |
| 50 | श्री हेमंत श्रीवास्तव, दुर्ग | 23-02-2026 | संपदा कार्यालय जोन दुर्ग के संपदा अधिकारी श्री पुष्पराज सिंह राठौर द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा सांठ गांठ कर अवैध वसूली करने के संबंध में | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-दुर्ग के पत्र क्र. 328 दिनांक 02-04-2026 के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत नस्तीबद्ध किया गया |
| 51 | श्री गौरव साहू एवं अन्य | 24-02-2026 | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कबीर नगर में पदस्थ श्रीमती नीतू गणवीर कार्यपालन अभियंता तथा श्री शाहरुख अली (सहायक अभियंता) के विरुद्ध गंभीर शिकायत एवं अविलम्ब स्थानांतरण हेतु निवेदन | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-रायपुर के पत्र क्र. 264 दिनांक 27-02-2026 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रकरण लंबित है \| |
| 52 | श्री सुजान सिंह पता-मकान नं 1708 छोटे बाबा की मजार पुराना बस स्टैण्ड के पीछे कछहरी वार्ड दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग | 26-02-2026 | मण्डल प्रक्षेत्र दुर्ग के प्रभारी संपदा अधिकारी के द्वारा कार्य में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किए जाने की शिकायत। | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र-दुर्ग के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया |
| 53 | श्री जगदीश होस्केरे, बेंगलुरु कर्नाटक | 27-02-2026 | Complaint of long time Posting of officials at Raipur Leading to Corruption. | उपरोक्त के अनुक्रम में शिकायत नस्तीबद्ध किया गया |
| 54 | श्री शुभम कुमार, दुर्ग | 27-02-2026 | दुर्ग हाउसिंग बोर्ड के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित प्लाट क्र. 241 को मुकेश कुमार परगनिहा सहायक एवं अनियमित कर्मचारी द्वारा धांधली कर दो अलग अलग फर्जी रजिस्ट्री कर सरकार एवं हाउसिंग बोर्ड को लाखो रुपये का राजस्व का नुकसान किया गया है के सम्बन्ध में शिकायत | प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है कार्यवाही लंबित है कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है \| |
| 55 | श्रीमती अन्नपूर्णा ताम्रकार /श्री कमल किशोर | 14.05.2026 | संबंधित कर्मचारी द्वारा अनावश्यक रूप से अटल विहार आरंग में आबंटित भवन की रजिस्ट्री में विलंब पर उचित कार्यवाही करने विषयक। | छ.ग. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय के पत्र क्र. 702 दिनांक 22.05.2026 के माध्यम से शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही करने आदेशित किया गया, जिस पर संबंधित संपदा अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री की कार्यवाही कराई गई। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत निरस्त करने की मांग की गई एवं उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्री हेतु सकारात्मक सहयोग प्रदान किया गया है। |

उपरोक्त जन सामान्य के अतिरिक्त निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए है -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | माननीय विधायक, महासमुंद | 19-04-2024 | वन विद्यालय खेल मैदान में निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक कार्य में गुणवत्ता एवं अनियमितता की जांच बाबत | | अपर आयुक्त, प्रक्षेत्र नवा रायपुर को शिकायत के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। कार्यवाही लंबित है। |
| 2 | माननीय विधायक जैजैपुर | 16-08-2024 | संजय सिन्हा उप अभियंता (विद्युत) की प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में। | शिकायत के सम्बन्ध में उपायुक्त वृत्त बिलासपुर को अपना अभिमत अपर आयुक्त बिलासपुर की अनुशंसा सहित प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रकरण लंबित है। |
| 3 | माननीय विधायक महासमुंद (छत्तीसगढ़ शासन एवं आवास पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त) | 03-07-2024 | छत्तीसगढ़ हाऊसिंग मण्डल में नियम के विरूद्ध 0 3 अपर आयुक्त साख्येत्तर पद को निरस्त करने बाबत्। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रकरण लंबित है। |

-

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

**परिशिष्ट - पच्चासी**

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 862) की जानकारी

प्रपत्र–अ

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में उपलब्ध उर्वरक स्कंध की जिलेवार जानकारी

| क्र. | जिला का नाम | यूरिया | डीएपी | एनपीके | एमओपी | एसएसपी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रायपुर | 11024 | 4746 | 7718 | 2333 | 10517 |
| 2 | गरियाबंद | 9318 | 2219 | 3147 | 912 | 2829 |
| 3 | बलौदाबाजार | 19056 | 2254 | 10724 | 2392 | 11818 |
| 4 | महासमुंद | 17297 | 3459 | 3776 | 1714 | 10942 |
| 5 | धमतरी | 9172 | 2544 | 2812 | 1096 | 6906 |
| 6 | दुर्ग | 11621 | 1434 | 2183 | 2089 | 6031 |
| 7 | बालोद | 11037 | 723 | 3246 | 2011 | 7292 |
| 8 | बेमेतरा | 14634 | 1612 | 2592 | 3199 | 8755 |
| 9 | राजनांदगांव | 8635 | 1422 | 1698 | 1810 | 6281 |
| 10 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | 6180 | 666 | 2497 | 1143 | 2664 |
| 11 | मोहला–मानपुर–अम्ब. चौकी | 3525 | 230 | 689 | 625 | 2660 |
| 12 | कबीरधाम | 10320 | 1514 | 2846 | 1634 | 6090 |
| 13 | बिलासपुर | 11398 | 2922 | 3873 | 1214 | 9187 |
| 14 | गौरेला पेण्ड्रा | 1941 | 515 | 466 | 237 | 392 |
| 15 | मुंगेली | 7979 | 1294 | 2340 | 849 | 6330 |
| 16 | जांजगीर चांपा | 11344 | 1529 | 2733 | 1618 | 4814 |
| 17 | सक्ती | 10760 | 1674 | 4231 | 676 | 5736 |
| 18 | कोरबा | 4534 | 640 | 334 | 278 | 1605 |
| 19 | रायगढ | 9917 | 1648 | 2963 | 994 | 4185 |
| 20 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 8851 | 764 | 872 | 723 | 2787 |
| 21 | सरगुजा | 5256 | 2201 | 3266 | 1330 | 5663 |
| 22 | सूरजपुर | 7020 | 3422 | 4146 | 773 | 2940 |
| 23 | बलरामपुर | 8380 | 3201 | 2792 | 1019 | 3634 |
| 24 | कोरिया | 3741 | 1861 | 1317 | 329 | 605 |
| 25 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 2341 | 769 | 903 | 233 | 354 |
| 26 | जशपुर | 5139 | 2517 | 1154 | 626 | 1997 |
| 27 | जगदलपुर | 10326 | 4054 | 3417 | 2104 | 838 |
| 28 | कोंडागांव | 8197 | 3291 | 4859 | 1804 | 2962 |
| 29 | कांकेर | 11882 | 1822 | 3444 | 2761 | 4874 |
| 30 | दंतेवाडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सुकमा | 923 | 479 | 171 | 144 | 32 |
| 32 | बीजापुर | 1522 | 359 | 142 | 118 | 68 |
| 33 | नारायणपुर | 591 | 98 | 120 | 113 | 132 |
| महायोग | | **263861** | **57883** | **87471** | **38899** | **141920** |

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 10-07-2026
18:01:00

**(अमित कुमार सिंह)**
**अवर सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/515902/2026

I/424332/2026
प्रपत्र-'ब'

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech. | 18-05-2026

प्रति,

1. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर
2. आयुक्त संभाग, सर्व ..............................
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बेंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. कलेक्टर, जिला सर्व......................
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर्व..................
7. संयुक्त संचालक कृषि संभाग, सर्व....................
8. उप संचालक कृषि जिला सर्व............................

**विशय :– राज्य में आगामी खरीफ 2026 हेतु सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

---

**प्रस्तावना :–** वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास (Sustainable Agriculture Development) हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अनुशंसा की गई है, जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ–साथ अन्य उपाय जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद आदि भी सम्मिलित है। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव की परिस्थति के कारण राज्य के सभी कृषकों को समानुपातिक मात्रा एवं समसामयिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

**उद्देश्य :–**

1. संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. कास्त लागत में कमी।
3. रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नीलहरित काई आदि के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति संरक्षित करना।
4. उर्वरकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग को रोकना।
5. कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) अनुरूप उर्वरकों का कृषि में उपयोग सुनिश्चित करना।

**कियान्वयन हेतु निर्देश :–**

1. खरीफ 2025 में कृषक को वितरित उर्वरक यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा एवं डी.ए.पी की 60 प्रतिशत मात्रा का ही वितरण खरीफ 2026 में किया जाना है।
2. यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा पारंपरिक यूरिया की आपूर्ति होने पर की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में नैनो यूरिया के रूप में प्रदाय की जायेगी। डी.ए.पी. की शेष 40 प्रतिशत मात्रा

अन्य वैकल्पिक एन.पी.के. उर्वरकों अथवा नैनो डी.ए.पी. के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में नैनो उर्वरक लेने के लिये कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

3. प्रदेश के समस्त सीमांत कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा एक मुश्त प्रदाय की जायेगी।
4. प्रदेश के समस्त लघु कृषक (जिनकी भूमि धारिता 2.5 से 5 एकड़ तक होती है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 2 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
5. प्रदेश के बड़े कृषक (जिनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक है) को उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक 1 एवं 2) निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में (द्वितीय किश्त प्रथम किश्त के 20 दिवस एवं तृतीय किश्त द्वितीय किश्त के 20 दिवस उपरांत) प्रदाय की जायेगी।
6. बिन्दु कमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कृषक को देय उर्वरक का निर्धारण बोरी की गणना के आधार पर किया जायेगा। विगत वर्ष (खरीफ 2025) वितरित उर्वरक की गणना बोरी में करने के उपरांत यूरिया हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.ए.पी. हेतु 60 प्रतिशत की गणना बोरी में ही की जायेगी। गणना में यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त न हो तो निकटतम पूर्णांक को मान्य किया जायेगा अर्थात यदि बोरी की गणना 7.2 या 7.8 प्राप्त हो तो क्रमशः 7 एवं 8 बोरी मान्य किया जायेगा।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 18-05-2026
14:17:43

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-g.Tech. | 18-05-2026

**प्रतिलिपि :–**

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन,पशुपालन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:55:09

I/515913/2026

I/490051/2026
प्रपत्र- स

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech दिनांक- 27/06/2026

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड), रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स) रायपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ ।
8. उप संचालक कृषि, जिला- ................(सर्व)

विषय: राज्य में खरीफ-2026 में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु दिशा-निर्देश।

**संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. I/424332/2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech 18-05-2026**

विषयान्तर्गत वैज्ञानिकों द्वारा सतत् कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। वर्तमान मे यूरिया उर्वरक की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 3 से 5 एतद द्वारा विलोपित किए जाते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 1 में मात्र यूरिया उर्वरक हेतु निर्धारित मात्रा 80 प्रतिशत को भी विलोपित किया जाता है, तथा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. कृषक को खरीफ 2025 में वितरित यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा मे यूरिया का विक्रय खरीफ 2026 में किया जाएगा।
2. उक्त प्रदाय एकमुश्त अथवा तत्समय संबंधित सहकारी समिति में उर्वरक उपलब्धता के आधार पर होगा । सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पात्रतानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकेगा ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 27-06-2026
15:49:22

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

**I/ /2026/349959/ISQC-2/37/2026-Ag.Tech** **दिनांक- 27/06/2026**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग ।
6. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, नवा रायपुर ।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:56:10

प्रपत्र-'द'

# संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर

इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, ब्लॉक-2, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
Email ID: diagticg.cg@nic.in phone No. 0771-2511630, 2511654

क्र./उर्व./गुण नि./2026-27/ 661 नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2026

प्रति,

उप संचालक कृषि,
जिला -........... (सर्व)

विषय :- उर्वरक बिक्री केंद्रों पर क्षेत्रीय अधिकारी की ड्यूटी लगाकर दिनांक 01.07.2026 से 30.08.2026 तक विशेष विक्रय-सतर्कता अभियान चलाने बाबत।

----00----

मौसम खरीफ 2026 में यूरिया, डीएपी, एनपीके एमओपी एवं एस.एस.पी. का मानसून सक्रिय होते ही उठाव तीव्र हो जाती है, जिससे जिलों में कालाबाजारी, टैगिंग, अधिक दर पर बिक्री एवं PoS मशीन बिना बिक्री की शिकायतें प्राप्त होने की संभावना रहती है । उपरोक्त के ध्यानार्थ किसानों को निर्धारित दर एवं समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.07.2026 से 30.08.2026 तक **"उर्वरक विक्रय-सतर्कता अभियान"** प्रति दिवस रविवार सहित प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अथवा स्टॉक समाप्ति तक चलाया जाना अनिवार्य है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक निजी विक्रय केंद्र पर 1 कृषि विस्तार अधिकारी/ग्रा.कृ.वि.अ./वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करें जिसका रोस्टर जारी कर संचालनालय एवं कलेक्टर को दिनांक 30.06.2026 तक अनिवार्यतः भेजें तथा जिला/ब्लॉक मुख्यालय पर 20% अधिकारी रिजर्व रखें जो अवकाश/आकस्मिक स्थिति में ड्यूटी देंगें।

**1. तैनात अधिकारी के मुख्य कर्तव्य**

I. **स्टॉक सत्यापनः** प्रतिदिन दुकान खुलते ही भौतिक स्टॉक, PoS स्टॉक एवं iFMS स्टॉक का मिलान कर पंजी में हस्ताक्षर करें। अंतर पाये जाने पर तत्काल पंचनामा बनाएं।

II. विक्रय निगरानीः
- केवल आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक PoS से बिक्री हो।
- नगद बिल अनिवार्य, बिल पर किसान का नाम, आधार का अंतिम 4 अंक व मोबाइल नंबर नोट करावें।

III. **दर एवं टैगिंग नियंत्रणः**
- प्रारंभिक स्कंध एवं एमआपी की जानकारी दुकान के बोर्ड पर लगवाएं।
- यूरिया के साथ जिंक/सल्फर/नैनो यूरिया अथवा डीएपी व आदि उर्वरको पर की टैगिंग पाए जाने पर जप्ती बनाएं।

IV. **वीडियोग्राफीः** वीडियोग्राफी से पारदर्शिता आएगी एवं विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध रहेगा।
- **अनिवार्य वीडियोग्राफीः** प्रतिदिन बिक्री प्रारंभ होने से पूर्व स्टॉक की स्थिति, दिन भर में भीड़ की स्थिति, तथा सायं को शेष स्टॉक की मोबाइल से 2-3 मिनट की वीडियोग्राफी की जाए।
- **विशेष स्थितिः** जिस केंद्र पर पूर्व में कालाबाजारी/विवाद की शिकायत मिली हो, वहां पूरे दिन की बिक्री की वीडियोग्राफी कराई जाए।
- **सुरक्षाः** वीडियो की 1 कॉपी जिला व्हाट्सएप ग्रुप में सुरक्षित रखी जाए। वीडियो में दिनांक, समय एवं केंद्र का नाम बोलकर रिकॉर्ड करें।

v. गुणवत्ताः संदेहास्पद लॉट का नमूना लेकर सील बंद कर प्रयोगशाला भेजें।

vi. शिकायत पंजीः पंजी संधारित करें। प्रत्येक शिकायत का 24 घंटे में निराकरण कर संचालनालय कृषि को सुनिश्चित करें।

2. जिला स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था

i. उड़नदस्ताः प्रत्येक अनुविभाग में SDO के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल गठित करें। रोज न्यूनतम 5 केंद्रों की आकस्मिक जांच तथा जांच के दौरान वीडियोग्राफी की फुटेज चेक करें।

ii. कंट्रोल रूमः जिला कार्यालय में प्रातः 9 से रात्रि 8 बजे तक कंट्रोल रूम, दूरभाष नंबर का प्रचार करें।

iii. वाहन जांचः जिले की सीमा पर RTO से समन्वय स्थापित कर उर्वरक वाहनों की जांच करें।

3. अनुशासनात्मक कार्यवाही

i. मिलीभगत/लापरवाही सिद्ध होने पर FCO 1985 के तहत FIR एवं निलंबन/निरस्त की कार्यवाही होगी। वीडियो साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

ii. लाइसेंसी विक्रेता द्वारा उल्लंघन पर तत्काल लाइसेंस निलंबन/निरस्त की कार्यवाही एवं स्टॉक शासकीय नियंत्रण में लिया जाएगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(राहुल देव)
भा.प्र.से.
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

पृ.क्र./ई-6/प्रु.पि./2026-27/662 नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2026

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग – सर्व की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
17:57:35

परिशिष्ट - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 863) की जानकारी

प्रपत्र-

| क्र. | निवेशक इकाइयों का नाम व पता | जिला | सेक्टर | प्रस्तावित मान्य निवेश (राशि लाख रु. में) | प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन (स्वीकृति/इन्विटेशन टू इ दिनांक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मेसर्स इकतारा हास्पिटालिटी प्रा.लि., व्ही.आई.पी. रोड रायपुर, जिला- रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 1829 | 19.12.2025 |
| 2 | मेसर्स एनसीसी रिसॉर्ट इको टूरिज्म सेंटर, ग्राम- कोसनंगी, जिला- महासमुंद | महासमुंद | इको टूरिज्म सेवा गतिविधि | 122 | 19.12.2025 |
| 3 | मेसर्स नया रायपुर रिटेल एंड एंटरटेनमेंट प्रा0लि0, नवा रायपुर जिला रायपुर | रायपुर | एम्युजमेंट पार्क | 13500 | 19.12.2025 |
| 4 | मेसर्स हिमकॉन इंजीनियर्स इंडिया प्रा0लि0, ग्राम-खपरी, मंदिर हसौद, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 3037 | 19.12.2025 |
| 5 | मेसर्स हारावाले रिसॉर्ट प्रा0लि0, ग्राम रूद्री, वि.ख.-धमतरी जिला- धमतरी | धमतरी | होटल सेवा | 2270 | 19.12.2025 |
| 6 | मेसर्स शंकर केशरी इंटरप्राइजेस, खैरागढ़ | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | होटल सेवा | 2045.48 | 06.01.2026 |
| 7 | मेसर्स सिंग देव राम बाग एलएलपी, सिविल कोर्ट के बाजू में, अम्बिकापुर, सरगुजा | सरगुजा | होटल सेवा | 987.55 | 06.01.2026 |
| 8 | मेसर्स मार्स वीवान प्रा0लि0, देवेन्द्र नगर, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 22000 | 06.01.2026 |
| 9 | मेसर्स डीएसएस इंफ्रा, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 2907.44 | 06.01.2026 |
| 10 | मेसर्स एनव्ही एसोसिएट, सेरीखेड़ी, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 6000 | 06.01.2026 |
| 11 | मेसर्स नमन क्लब एंड वेलनेस सेंटर, जगदलपुर | बस्तर | होटल एंड वेलनेस सेवा | 765 | 06.01.2026 |
| 12 | मेसर्स एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स, नगरनार, जगदलपुर | बस्तर | होटल सेवा | 765 | 06.01.2026 |
| 13 | मेसर्स सेलीब्रेशन रिसोर्ट एंड होटल (इंडिया) प्रा0लि0, जगदलपुर | बस्तर | होटल सेवा | 7500 | 06.01.2026 |
| 14 | मेसर्स डॉल्फीन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स, जगदलपुर, जगदलपुर | बस्तर | होटल सेवा | 5500 | 06.01.2026 |
| 15 | मेसर्स भवल ईको टूरिज्म, कांकेर | कांकेर | ईको टूरिज्म सेवा | 213 | 06.01.2026 |
| 16 | मेसर्स बाफना लॉन, धमतरी | धमतरी | होटल सेवा | 2097 | 06.01.2026 |
| 17 | मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा0लि0, टाटीबंध, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 8500 | 06.01.2026 |
| 18 | मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा0लि0, ग्राम-तुमड़ीबोड़, जिला राजनांदगांव | राजनांदगांव | होटल सेवा | 2500 | 06.01.2026 |

| क्र. | निवेशक इकाइयों का नाम व पता | जिला | सेक्टर | प्रस्तावित मान्य निवेश (राशि लाख रु. में) | प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन ि (स्वीकृति/इन्विटेशन टू इन दिनांक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा0लि0, तांदुला बांध, बालोद | बालोद | होटल सेवा | 2500 | 06.01.2026 |
| 20 | मेसर्स एमएम इन होटल एंड रिसोर्ट, एलएलपी, ग्राम-बोरियाकला, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 6300 | 06.01.2026 |
| 21 | मेसर्स एमएम फन पार्क इंडिया, एलएलपी, ग्राम-रायपुरा, जिला- रायपुर | रायपुर | एम्युसमेंट पार्क सेवा | 2490 | 06.01.2026 |
| 22 | मेसर्स पंचामृत इंटरटेनमेंट प्रा0लि0, रायपुर | रायपुर | एम्युसमेंट पार्क सेवा | 8091 | 06.01.2026 |
| 23 | मेसर्स पीएसए रिसोर्ट, गायत्री नगर, रायपुर | रायपुर | होटल एवं रिसोर्ट सेवा | 6000 | 06.01.2026 |
| 24 | मेसर्स विद्या इन, जशपुर नगर | जशपुर नगर | होटल एवं रिसोर्ट सेवा | 2500 | 06.01.2026 |
| 25 | मेसर्स मीरा शांतिवनम प्रा0लि0, सिरपुर, जिला- महासमुंद | महासमुंद | वेलनेस एंड रिसॉर्ट सेवा | 20000 | 06.01.2026 |
| 26 | मेसर्स आरबीडी रायपुर होटल्स प्रा0लि0, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 13063 | 06.01.2026 |
| 27 | मेसर्स क्रिसेंट रिसॉर्ट एंड वाटर पार्क, रायपुर | रायपुर | रिसोर्ट एंड वाटर पार्क सेवा | 170500 | 06.01.2026 |
| 28 | मेसर्स पीएनएस होल्डिंग (एस्पन ट्री होटल्स) महादेव घाट रोड, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 1780 | 06.01.2026 |
| 29 | मेसर्स पीएनएस होल्डिंग (एस्पन ट्री होटल्स), राजनांदगांव | राजनांदगांव | होटल सेवा | 2150 | 06.01.2026 |
| 30 | मेसर्स गायत्री पैलेस यूनिट-2, ग्राम-चिखली, विकासखंड-धमधा, जिला दुर्ग | दुर्ग | होटल सेवा | 1350 | 06.01.2026 |
| 31 | मेसर्स द ग्रैंड रामा रिसोर्ट, ग्राम महमरा, तह0 व जिला दुर्ग | दुर्ग | होटल सेवा | 2846 | 06.01.2026 |
| 32 | मेसर्स होटल आकांक्षा, मोती तलाब पारा जगदलपुर, जिला जगदलपुर | बस्तर | होटल सेवा | 6500 | 06.01.2026 |
| 33 | मेसर्स अरून्धति होटल एंड रिसोर्ट प्रा0लि0, जिला रायगढ़ | रायगढ़ | होटल सेवा | 3800 | 06.01.2026 |
| 34 | मेसर्स श्रीराम पैलेस होटल एंड रिसोर्ट, मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | होटल-रिसोर्ट | 1600 | 06.01.2026 |
| 35 | मेसर्स आर एम ए वेन्चर्स, शंकर नगर, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 2350 | 06.06.2026 |
| 36 | मेसर्स एंट्री पॉइंट होटल्स एण्ड रिसॉर्ट्स प्रा0लिमि0, नवा रायपुर जिला- रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 11458.85 | 04.05.2026 |
| 37 | मेसर्स प्रीतम बिल्डकॉन प्रा0लि0, ग्राम जोरा, विकासखण्ड धरसींवा जिला रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 1690 | लंबित |

| क्र. | निवेशक इकाइयों का नाम व पता | जिला | सेक्टर | प्रस्तावित मान्य निवेश (राशि लाख रु. में) | प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन ि (स्वीकृति/इन्विटेशन टू इन दिनांक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | मेसर्स एस0आर0टी0 रियलिटीज़, अंबुजा माल के बाजू, रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 3335.93 | 24.02.2026 |
| 39 | मेसर्स सेंध इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रा0लि0 सेक्टर-4, नवा रायपुर | रायपुर | होटल सेवा | 22164 | 09.03.2026 |
| 40 | मेसर्स छाबड़ा हॉस्पिटालिटी, रायपुर रोड, बिलासपुर | बिलासपुर | होटल सेवा | 1800 | 13.03.2026 |
| 41 | मेसर्स छाबड़ा हॉस्पिटालिटी, यूनिट-2, भोजपुरी टोल के पास, रायपुर रोड बिलासपुर | बिलासपुर | होटल सेवा | 2500 | 13.03.2026 |
| 42 | मेसर्स जेएसआरसी वेंचर्स प्रा0लि0, कुदरीडीह, विकासखण्ड मैनपाट, जिला सरगुजा | सरगुजा | होटल सेवा | 2000 | 24.02.2026 |
| 43 | मेसर्स मुरली इन, ग्राम सुतर्रा, विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा जिला-कोरबा | कोरबा | होटल सेवा | 1517.75 | 24.02.2026 |
| 44 | मेसर्स दुर्ग निर्वाणा ग्रीन वेंचर्स एलएलपी, ग्राम पोटिया, जिला दुर्ग | दुर्ग | होटल सेवा | 2050 | 24.02.2026 |
| 45 | मेसर्स स्नेहपूर्व होटल एंड रिसॉर्ट प्रा0लि0, नकटीखार, कोरबा | कोरबा | होटल सेवा | 4912.63 | 24.02.2026 |
| 46 | मेसर्स रामा एसोसिएट, जगदलपुर | बस्तर | होटल सेवा | 2300.8 | 11.03.2026 |
| 47 | मेसर्स अंजनी डेव्हलपर्स, मोती तालाब पारा, जगदलपुर | बस्तर | होटल सेवा | 1600 | लंबित |
| 48 | मेसर्स राधा कृष्णा वाटर पार्क, गणेशपुर, सूरजपुर | सूरजपुर | एम्युजमेंट/वॉटर/एडवेंचर पार्क | 1621.5 | 27.03.2026 |
| 49 | मेसर्स ई.सी.एह.टी कॉन्लोमरेट प्रा.लि., नगर निगम गार्डन, बिलासपुर | बिलासपुर | एम्युजमेंट/वॉटर/एडवेंचर पार्क | 3146 | 27.03.2026 |
| 50 | मेसर्स श्री इवारा होटल एण्ड रिसोर्ट, पीसेगांव, दुर्ग | दुर्ग | होटल सेवा | 4000 | 27.03.2026 |
| 51 | मेसर्स रायपुर इंटरनेशनल मरीना प्रा.लि., प्लॉट एलआई/एस24/जेएलपीएल/यू. सेक्टर | रायपुर | होटल सेवा | 3799 | 20.04.2026 |
| 52 | मेसर्स सिया बाय मीर, तखतपुर मेन रोड, बिलासपुर | बिलासपुर | होटल सेवा | 3742 | लंबित |
| 53 | मेसर्स मेफेयर मरीना क्लब एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि., सेक्टर 24, मेफेयर लेक रिसोर्ट, झांझ इ | रायपुर | होटल सेवा | 5520 | लंबित |
| 54 | मेसर्स किंग फार्म विला प्रा.लि., जिला राजनांदगांव | राजनांदगांव | होटल | 3270 | 24.05.2026 |
| 55 | मेसर्स एक ओंकार प्रीमियर होटल्स एलएलपी, जिला राजनांदगांव | राजनांदगांव | होटल | 3607.65 | 24.05.2026 |
| 56 | मेसर्स शुभकामना होटल एवं रिसोर्ट, जिला - बेमेतरा | बेमेतरा | होटल | 2216.25 | निरस्त 24.05.20 |
| 57 | मेसर्स मेसर्स वाईपी हॉस्पिटालिटी, जिला रायगढ़ | रायगढ़ | होटल | 3200 | 02.06.2026 |

| क्र. | निवेशक इकाइयों का नाम व पता | जिला | सेक्टर | प्रस्तावित मान्य निवेश (राशि लाख रु. में) | प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन ि (स्वीकृति/इन्विटेशन टू इ दिनांक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | मेसर्स जीके टाउनशिप, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | होटल | 1790 | 24.05.2026 |
| 59 | मेसर्स रविकिरण रियल एस्टेट एण्ड लीजिंग एलएलपी | बिलासपुर | होटल | 11000 | 02.06.2026 |
| 60 | मेसर्स होटल घूमर, जगदलपुर | बस्तर | होटल | 1000.8 | 25.05.2026 |
| 61 | मेसर्स सूर्योदय होटल एण्ड रिसोर्ट्स | सूरजपुर | होटल | 2113.36 | 25.05.2026 |
| 62 | मेसर्स युवाना होटल एण्ड रिसोर्ट्स, जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 7500 | 25.05.2026 |
| 63 | मेसर्स केएलए हॉस्पिटालिटी प्रा.लि., जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 9500 | 25.05.2026 |
| 64 | मेसर्स हनुमान उद्योग, जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 2400 | निरस्त 25.05.2026 |
| 65 | मेसर्स पुष्पा रियल्टी, जिला धमतरी | धमतरी | होटल | 3295 | 22.05.2026 |
| 66 | मेसर्स कल्पमन फार्म, जिला धमतरी | धमतरी | इको टूरिज्म स्थल | 212.42 | 25.05.2026 |
| 67 | मेसर्स कल्याणी वेंचर्स लिमिटेड, जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 3368 | 06.06.2026 |
| 68 | मेसर्स कृष रायपुर होटल्स प्रा.लि., अटल पथ एक्सप्रेसवे स्क्वायर, फुंडहर, रायपुर | रायपुर | होटल | 25093 | 25.05.2026 |
| 69 | मेसर्स एसशुभ इंटरप्राइजेज, जिला बिलासपुर | बिलासपुर | एडवेंचर टूरिज्म सुविधाएं | 26.25 | 12.06.2026 |
| 70 | मेसर्स अमित ट्रेडकॉम प्रा.लि., जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 4000 | लंबित |
| 71 | मेसर्स महाराणा प्रताप पैलेस एण्ड रिसोर्ट, जिला धमतरी | धमतरी | होटल | 3000 | 12.06.2026 |
| 72 | मेसर्स जी पी इंडस्ट्रीज, जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 18500 | लंबित |
| 73 | मेसर्स अद्वैत वन एलएलपी, जिला दुर्ग | दुर्ग | होटल | 2000 | 12.06.2026 |
| 74 | मेसर्स कवल कृष्णा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा.लि., जगदलपुर | बस्तर | होटल | 3128.9 | 18.06.2026 |
| 75 | मेसर्स द लेक पैलेस, जिला जगदलपुर | बस्तर | होटल | 750.31 | निरस्त 23.06.202 |
| 76 | मेसर्स आनंता एम्युजमेंट पार्क, जिला धमतरी | धमतरी | एम्युजमेंट पार्क | 1859.58 | 18.06.2026 |
| 77 | मेसर्स फनटोला वाटर पार्क, जिला धमतरी | धमतरी | वाटर पार्क | 2152.48 | लंबित |

| क्र. | निवेशक इकाइयों का नाम व पता | जिला | सेक्टर | प्रस्तावित मान्य निवेश (राशि लाख रु. में) | प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन [illegible] (स्वीकृति/इन्विटेशन टू इ[illegible] दिनांक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78 | मेसर्स शशि सिल्वर लाइन, जिला दुर्ग | दुर्ग | होटल | 3200 | निरस्त 18.06.2026 |
| 79 | मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिला रायपुर | रायपुर | होटल | 21270 | इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी 23[illegible] |

प्रपत्र—ब

## पर्यटन विभाग को प्राप्त निवेश प्रस्ताव

| ईकाई का नाम | प्रस्तावित उत्पाद / संयंत्र | प्रस्तावित निवेश | प्रस्तावित रोजगार | प्रस्तावित स्थल / जिला | वर्तमान स्थिति (स्वीकृति) |
|---|---|---|---|---|---|
| ईगल स्टुडियोज इंटरटेनमेंट लिमिटेड (महाराष्ट्र) | फिल्मसिटी एवं कन्वेंशन सेंटर का विकास | 203.53 करोड़ | 300 | नवा रायपुर अटल नगर | 30.03.2026 क्रियान्वयन प्रारंभ |
| | कुल – | **203.53 करोड** | | | |

**प्रपत्र-स**

**प्रशिक्षित गाइड निम्न जिले में कार्य कर रहे है:-**

**(1)** महासमुंद - **01**
**(2)** कबीरधाम**-06**
**(3)** सरगुजा - **06**
**(4)** कांकेर **-07**
**(5)** कोण्डागांव**-11**
**(6)** बस्तर**- 09**
**(7)** दंतेवाड़ा**- 05**

**राज्य में कुल** 15 **स्थानों पर पर्यटन सूचना केन्द्र संचालित है**, **जो निम्नानुसार है-**

**1.** पर्यटन सूचना केंद्र एयरपोर्ट, रायपुर
**2.** पर्यटन सूचना केंद्र सह कॉल सेंटर, घड़ी चौक, रायपुर
**3.** पर्यटन सूचना केंद्र दंतेवाड़ा
**4.** पर्यटन सूचना केंद्र जगदलपुर
**5.** पर्यटन सूचना केंद्र राजिम
**6.** पर्यटन सूचना केंद्र सिरपुर
**7.** पर्यटन सूचना केंद्र दुर्ग
**8.** पर्यटन सूचना केंद्र राजनांदगांव
**9.** पर्यटन सूचना केंद्र रेलवे स्टेशन डोंगरगढ
**10.** पर्यटन सूचना केंद्र सी मार्ट डोंगरगढ़
**11.** पर्यटन सूचना केंद्र बिलासपुर
**12.** पर्यटन सूचना केंद्र रायगढ़
**13.** पर्यटन सूचना केंद्र अंबिकापुर
**14.** पर्यटन सूचना केंद्र चंदखुरी
**15.** पर्यटन सूचना केंद्र शिवरीनारायण

## परिशिष्ट - सत्तासी

### अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 883) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र | वर्ष | जिले का नाम | प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम | योजना का नाम | चयनित छात्र का नाम | चयनित संस्था | चयनित पाठ्यक्रम | प्रदाय की गई सामग्री | प्रदत्त प्रोत्साहन राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | आदर्श राज पैंकरा | एनआईटी रायपुर | मैकेनिकल इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 2 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | मयंक कुमार परतेती | एनआईटी रायपुर | माईनिंग इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 3 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | गेंदलाल | एनआईटी रायपुर | इलेक्ट्रीकल इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 4 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | हिमांशु कड़ोती | एनआईटी रायपुर | माईनिंग इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 5 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | पंकज कुमार | ट्रीपलआईटी नागपुर | कम्प्यूटर साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 6 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | नीलकमल ध्रुव | ट्रीपलआईटी, रायपुर | कम्प्यूटर साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 7 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | समीर लकरा | ट्रीपलआईटी, रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 8 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | सुखराम | ट्रीपलआईटी, रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 9 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | विकास कोसमा | ट्रीपलआईटी, रायपुर | इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्न्युकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 10 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | विजय सहारे | ट्रीपलआईटी, रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 11 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | अनिस कुमार पैंकरा | ट्रीपलआईटी, रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 12 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | ललित दीवान | ट्रीपलआईटी, रायपुर | इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्न्युकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 13 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | खिलित चंद्रवंशी | ट्रीपलआईटी, रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 14 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | अनुराग लकरा | IIT खड़गपुर | इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्टीकल | | 40000 |
| 15 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | संदीप कुमार तिग्गा | IIT वाराणसी | मैथमैटिक्स एंड कम्प्यूटिंग | | 40000 |
| 16 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | वोमेश रात्रे | IIT वाराणसी | मैथमैटिक्स एंड कम्प्यूटिंग | | 40000 |
| 17 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | सुनील केरकेट्टा | IIT खड़गपुर | मैथमैटिक्स एंड कम्प्यूटिंग | | 40000 |
| 18 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | सौम्य गोपाल | IIT भिलाई | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 19 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | तरूण कुमार पैंकरा | IIT बीएचयू | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 20 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | जतिन साहू | IIT भुवनेश्वर | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 21 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | रूद्र प्रताप देवांगन | IIT धनबाद | मैथमैटिक्स एंड कम्प्यूटिंग | | 40000 |
| 22 | 2023–24 | रायपुर | प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर | आर्थिक सहायता | प्रांजल गुप्ता | IIT मण्डी | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 23 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | पवन कुमार कच्छ | IIT भुवनेश्वर | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 24 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | नवीन कुमार श्याम | IIT भिलाई | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 25 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | मनीष साहू | IIT बीएचयू | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 26 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | धनंजय ध्रुव | IIT बीएचयू | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 27 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | आदित्य यादव | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 28 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | आलोक कुमार राजवाड़े | IIT मद्रास | सिरेमिक इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 29 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | हिमांशु साहू | IIT रोपर पंजाब | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | कोषालय से विद्यार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित | 40000 |
| 30 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | किशोर कुमार ध्रुव | IIT वाराणसी | मेटलर्जी एंउ मटेरियल | | 40000 |
| 31 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | साहिल लकड़ा | IIT रोपर पंजाब | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 32 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | अभिजीत चौधरी | IIT वाराणसी | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 33 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | रूद्राक्ष भगत | IIT धनबाद | पेट्रोलियम इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 34 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | लीलाधर ठाकुर | IIT धनबाद | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 35 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | कुलदीप कुमार | IIT कानपुर | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 36 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | त्रिलोक पैंकरा | IIT खड़गपुर | एग्रीकल्चर एंड फुड इंजी. | | 40000 |
| 37 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | श्री सतीश टोप्पो | IIT कानपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 38 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | श्री गुलशन नाग | IIT कानपुर | कम्प्यूटर सांईस | | 40000 |
| 39 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | श्री राकेश तारेन्द्र | IIT खड़गपुर | मेटलर्जी एंउ मटेरियल | | 40000 |
| 40 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | श्री भूपेन्द्र कुमार ध्रुव | IIT कानपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 41 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | श्री भूनेश्वर नेताम | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 42 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | मनीष कुमार रावटे | IIT BHU वाराणसी | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 43 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | प्रवीण चंद्रवंशी | IIT BHU वाराणसी | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 44 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | नीतिश कुमार | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 45 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | विष्णु सिंह पैकरा | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 46 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | सुहाना | मेडिकल कॉलेज जगदलपुर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 47 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | श्रीया पन्ना | मेडिकल कॉलेज जगदलपुर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 48 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | नमिता कोर्राम | मेडिकल कॉलेज जगदलपुर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 49 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | रेश्मी | मेडिकल कॉलेज जगदलपुर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 50 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | अरूणा नेताम | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 51 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | यामिनी कुंजाम | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 52 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | फाल्गुनी बघेल | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 53 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | सेतकुमारी | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 54 | 2023–24 | रायपुर | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर | लैपटॉप योजना | नूतन लाटिया | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 55 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | हर्षिता मंडावी | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 56 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | चित्ररेखा दीवान | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 57 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | पुनिता मण्डावी | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 58 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | माधुरी पैंकरा | मेडिकल कॉलेज कोरबा | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 59 | 2023–24 | | | लैपटॉप योजना | डाली करचाल | मेडिकल कॉलेज कोरबा | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 60 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | उपासना मरकाम | IIT खड़गपुर | सिविल | | 40000 |
| 61 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | पूजा | IIT रूड़की | मेटलर्जी | कोषालय से विद्यार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित | 40000 |
| 62 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | रिया कोरेटी | IIT खड़गपुर | इलेक्ट्रीकल्स | | 40000 |

अनुभाग अधिकारी

| क्र | वर्ष | जिले का नाम | प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम | योजना का नाम | चयनित छात्र का नाम | चयनित संस्था | चयनित पाठ्यक्रम | प्रदाय की गई सामग्री | प्रदत्त प्रोत्साहन राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2023–24 | रायपुर | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर | आर्थिक सहायता | जयश्री उइके | IIT भुवनेश्वर | मैकेनिकल | कोषालय से विद्यार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित | 40000 |
| 64 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | लिशा नेताम | IIT बीएचयू | मेटलर्जी | | 40000 |
| 65 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | निकिता सलामें | IIT बीएचयू | माईनिंग | | 40000 |
| 66 | 2023–24 | | | आर्थिक सहायता | झरना कुमेटी | IIT(ISM) धनबाद | मैकेनिकल | | 40000 |
| 67 | 2023–24 | दुर्ग | प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग | लैपटाप योजना | पूर्व दर्रो | आई.आई.टी. धारवाड़ | इंटर डिसीप्लिनरी साइंस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 68 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | रोशनी | एन.आई.टी रायपुर | सिविल इंजीनियरिंग | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 69 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | तरूण कोसमा | एन.आई.टी रायपुर | बायोटेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 70 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | मुस्कान तेता | ट्रिपल आई.टी. रायपुर | डाटा साइंस एंड ए.आई. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 71 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | सोनाली मिंज | ट्रिपल आई.टी. रायपुर | डाटा साइंस एँड ए.आई. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 72 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | श्रुति ध्रुव | ट्रिपल आई.टी. रायपुर | डाटा साइंस एंड ए.आई. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 73 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | प्रियंका कश्यप | ट्रिपल आई.टी. रायपुर | डाटा साइंस एंड ए.आई. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 74 | 2023–24 | सरगुजा | प्रयास आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर | लैपटाप योजना | रितुराज सिंह | ट्रिपल आई.टी. रायपुर | बी.टेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 75 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | आकाश लकड़ा | ट्रिपल आई.टी. रायपुर | बी.टेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 76 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | मनीता तिर्की | मेडिकल कॉलेज बिलासपुर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 77 | 2023–24 | | | लैपटाप योजना | पुष्पराज सिंह आयाम | मेडिकल कॉलेज कोरबा | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024–25 | रायपुर | प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर | लैपटाप योजना | विकेश कुमार | एन.आई.टी. सिलचर | सिविल इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 2 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | दुष्यंत सिंह ठाकुर | एन.आई.टी रायपुर | माईनिंग इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 3 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | लोकेश कुमार साहू | एन.आई.टी. रायपुर | माईनिंग इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 4 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | मुकेश कुमार नाग | एन.आई.टी. रायपुर | मैकेनिकल इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 5 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | पुष्पेन्द्र रात्रे | एन.आई.टी. रायपुर | इलेक्ट्रीकल इंजी. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 6 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | केतन राजदीप ध्रुव | ट्रीपलआईटी. रायपुर | कम्प्यूटर साईंस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 7 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | खेमराज कंवर | ट्रीपलआईटी. रायपुर | इंलेक्ट्रीकल एवं कम्यूनिकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 8 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | मनिष खस | ट्रीपलआईटी. रायपुर | कम्प्यूटर साईंस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 9 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | शिवा भूआर्य | ट्रीपलआईटी. रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 10 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | चन्दश कुमार कंवर | ट्रीपलआईटी नागपुर | कम्प्यूटर साईंस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 11 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | चाँद कुमार भुआर्य | ट्रीपलआईटी. रायपुर | इंलेक्ट्रीकल एवं कम्यूनिकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 12 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | भावेश भुआर्य | ट्रीपलआईटी. रायपुर | इंलेक्ट्रीकल एवं कम्यूनिकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 13 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | वेद प्रकाश रात्रे | ट्रीपलआईटी. सोनीपत | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 14 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | अंक्षात पाल खुटे | ट्रीपलआईटी. रायपुर | इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्न्युकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 15 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | टेमन साण्डे | ट्रीपलआईटी. रायपुर | डाटा साईस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 16 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | कुणाल कुमार नेताम | ट्रीपलआईटी. रायपुर | इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्न्युकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 17 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | मयंक कुंजाम | ट्रीपलआईटी. रायपुर | इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्न्युकेशन | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 18 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | जतिन साहू | IIT भुवनेश्वर | सिविल इंजीनियरिंग | कोषालय से विद्यार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित | 40000 |
| 19 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | रूद्र प्रताप देवांगन | IIT धनबाद | मैथमैटिक्स एंड कम्प्यूटिंग | | 40000 |
| 20 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | प्रांजल गुप्ता | IIT भुवनेश्वर | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 21 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | नवीन कुमार श्याम | IIT भुवनेश्वर | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 22 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | मनीष साहू | IIT भुवनेश्वर | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 23 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | आदित्य यादव | IIT बीएचयू | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 24 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | आलोक कुमार राजवाड़े | IIT बीएचयू | सिरेमिक इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 25 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | हिमांशु साहू | IIT खड़गपुर | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 26 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | किशोर कुमार ध्रुव | IIT मद्रास | मेटलर्जी एंउ मटेरियल | | 40000 |
| 27 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | साहिल लकड़ा | IIT रोपर पंजाब | इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 28 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | अभिजीत चौधरी | IIT वाराणसी | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 29 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | रूद्राक्ष भगत | IIT धनबाद | पेट्रोलियम इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 30 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | कुलदीप कुमार | IIT कानपुर | सिविल इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 31 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | त्रिलोक पैंकरा | IIT खड़गपुर | एग्रीकल्चर एंड फुड इंजी. | | 40000 |
| 32 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | श्री भूनेश्वर नेताम | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 33 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | मनीष कुमार रावटे | IIT BHU वाराणसी | माईनिंग इंजीनियरिंग | | 40000 |
| 34 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | प्रवीण चंद्रवंशी | IIT BHU वाराणसी | माईनिंग इंजी. | | 40000 |
| 35 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | मोहित कुमार | IIT BHU वाराणसी | बायोमेडिकल इंजी. | | 40000 |
| 36 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | विष्णु सिंह पैंकरा | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजी. | | 40000 |
| 37 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | नीतिश कुमार | IIT खड़गपुर | माईनिंग इंजी. | | 40000 |
| 38 | 2024–25 | रायपुर | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर | लैपटॉप योजना | मिनोली | मेडिकल कॉलेज कांकेर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 39 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | सौम्या ठाकुर | मेडिकल कॉलेज जगदलपुर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 40 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | मनीषा पैकरा | मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 41 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | ऋतु राणा | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 42 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | चंचल हिचामी | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 43 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | चेतना एस्दा | मेडिकल कॉलेज दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 44 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | अर्पणा एक्का | मेडिकल कॉलेज, कांकेर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 45 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | रोहिणी राठिया | मेडिकल कॉलेज, दुर्ग | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 46 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | अदिति बसु | मेडिकल कॉलेज, कांकेर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 47 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | भामनी देहरे | मेडिकल कॉलेज, महासमुंद | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 48 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | मीना बघेल | मेडिकल कॉलेज, कांकेर | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 49 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | गरिमा बारिहा | मेडिकल कॉलेज, महासमंद | एमबीबीएस | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 50 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | उपासना मरकाम | IIT खड़गपुर | सिविल | कोषालय से विद्यार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित | 40000 |
| 51 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | हितेश्वरी | IIT पटना | मेटलर्जी | | 40000 |
| 52 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | रिया कोरेटी | IIT खड़गपुर | इलेक्ट्रीकल्स | | 40000 |
| 53 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | जयश्री उइके | IIT भुवनेश्वर | मैकेनिकल | | 40000 |
| 54 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | लिशा नेताम | IIT बीएचयू | मेटलर्जी | | 40000 |
| 55 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | पूजा | IIT रूड़की | मेटलर्जी | | 40000 |
| 56 | 2024–25 | | | आर्थिक सहायता | निकिता सलामें | IIT बीएचयू | माईनिंग | | 40000 |

अनुभाग अधिकारी

| क्र | वर्ष | जिले का नाम | प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम | योजना का नाम | चयनित छात्र का नाम | चयनित संस्था | चयनित पाठ्यक्रम | प्रदाय की गई सामग्री | प्रदत्त प्रोत्साहन राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2024–25 | दुर्ग | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग | लैपटाप योजना | अमनदीप पैंकरा | रिम्स पटना | एम.बी.बी.एस. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 58 | 2024–25 | | | लैपटाप योजना | मनोहर कोर्राम | मेडिकल कालेज महासमुंद | एम.बी.बी.एस. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 59 | 2024–25 | सरगुजा | प्रयास आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर | लैपटॉप योजना | हेमन्त सिंह | IIT INDORE | बी.टेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 60 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | प्रदीप सिंह | NIT PATNA | बी.टेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 61 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | मान सिंह | NIT RAIPUR | बी.टेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 62 | 2024–25 | | | लैपटॉप योजना | नितिन एक्का | NIT JAMSEDPUR | बी.टेक | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |
| 63 | 2024–25 | बस्तर | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर | लैपटॉप योजना | कु. पूर्वाशी ठाकुर | सिम्स बिलासपुर | एम.बी.बी.एस. | लैपटॉप के लिए 50,000 का चेक | 50000 |

| क्र | वर्ष | जिले का नाम | प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम | योजना का नाम | चयनित छात्र का नाम | चयनित संस्था | चयनित पाठ्यक्रम | प्रदाय की गई सामग्री | प्रदत्त प्रोत्साहन राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025–26 | वर्ष 2025–26 के विद्यार्थियों का काउसलिंग प्रक्रिया जारी होने के कारण उक्त योजना का लाभ नही मिल पाया है। काउसलिंग पश्चात चयनित छात्र को योजना के पात्रतानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी | | | | | | | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अट्ठासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 890) की जानकारी

प्रपत्र –'अ'

## खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी–

| विधानसभा क्षेत्र / जिला | विकासखण्ड | संस्था का नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| खुज्जी विधानसभा क्षेत्र | छुरिया | पशु चिकित्सालय छुरिया | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय जोब | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय बादराटोला | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय महराजपुर | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय भोलापुर | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय बापुटोला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय बुचाटोला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय गैंदाटोला | 2 | 0 | 2 |
| | | पशु औषधालय चिरचारीकला | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय कुर्मदा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय गर्रापार | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय कल्लूबंजारी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय बेलरगोंदी | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय रतनभाठ | 2 | 0 | 2 |
| | | पशु औषधालय साल्हे | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय गिदर्री | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय उमरवाही | 1 | 0 | 1 |
| | अंबागढ़ चौकी | पशु चिकित्सालय अंबागढ़ चौकी | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय बांधाबाजार | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय चिल्हाटी | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय कोरचाटोला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय हांडीटोला | 1 | 0 | 1 |
| जिला राजनांदगांव | राजनांदगांव | कार्यालय उपसंचालक प.चि.से. राजनांदगांव | 2 | 1 | 1 |
| | | चल चिकित्सा इकाई राजनांदगांव | 2 | 2 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय राजनांदगांव | 3 | 1 | 2 |
| | | पशु चिकित्सालय गोकुलनगर | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय सुरगी | 2 | 2 | 0 |
| | | पशु औषधालय भर्रेगांव | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय सुकूलदैहान | 2 | 2 | 0 |

| विधानसभा क्षेत्र / जिला | विकासखण्ड | संस्था का नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जिला राजनांदगांव | राजनांदगांव | पशु औषधालय डिलापहरी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय रेंगाकठेरा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय बोरी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय सोमनी | 2 | 2 | 0 |
| | | पशु औषधालय सांकरा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय बघेरा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय टेडेसरा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय घुमका | 2 | 0 | 2 |
| | | पशु औषधालय भदेरानवागांव | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय भैसातरा | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय इरईकला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय उपरवाह | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय रानीतराई | 2 | 0 | 2 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र डोंगरगढ़ | 2 | 1 | 1 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र बेलगांव | 1 | 0 | 1 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र रामटोला | 1 | 1 | 0 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र ढारा | 1 | 1 | 0 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र पनियाजोब | 1 | 1 | 0 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र देवकटटा | 1 | 1 | 0 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र मुरमुंदा | 1 | 0 | 1 |
| | | मुख्य ग्राम योजना राजनांदगांव | 1 | 0 | 1 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई जंगलपुर | 1 | 0 | 1 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई कन्हारपुरी | 1 | 1 | 0 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई पार्री | 1 | 1 | 0 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई डोम्हाटोला | 1 | 1 | 0 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई पेन्डी | 1 | 0 | 1 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई भरदा | 1 | 1 | 0 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई तिलई | 1 | 0 | 1 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई डुमरडीह | 1 | 1 | 0 |
| | | मुख्य ग्राम इकाई सिंघोला | 1 | 1 | 0 |
| | डोगरगांव | पशु चिकित्सालय डोंगरगांव | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय करमतरा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय खुर्सीपार | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय सोनेसरार | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय अर्जुनी | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय दिवानभेड़ी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय कोकपुर | 1 | 1 | 0 |

| विधानसभा क्षेत्र/ जिला | विकासखण्ड | संस्था का नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जिला राजनांदगांव | डोगरगांव | पशु चिकित्सालय तुमड़ीबोड़ | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय तेंदुनाला | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय कोहका | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय डोंगरगढ़ | 2 | 2 | 0 |
| | | पशु औषधालय मोहारा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय मेंढ़ा | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय मुसराकला | 2 | 2 | 0 |
| | | पशु औषधालय कसारी | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय बिल्हारी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु औषधालय आलीवारा | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय एल.बी.नगर | 2 | 1 | 1 |
| | | पशु औषधालय चारभाठा | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय कोठीटोला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु औषधालय मढ़ियान | 1 | 1 | 0 |
| | | योग | 101 | 58 | 43 |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र –'ब'

**खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी–**

| विधानसभा क्षेत्र/जिला | विकासखण्ड | संस्था का नाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| खुज्जी विधानसभा क्षेत्र | छुरिया | विकासखण्ड छुरिया | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय छुरिया | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय गैंदाटोला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय रतनभाठ | 1 | 1 | 0 |
| | अम्बागढ़ चौकी | विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय अंबागढ़ चौकी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय चिल्हाटी | 1 | 1 | 0 |
| जिला राजनांदगांव | राजनांदगांव | कार्यालय उपसंचालक प.चि.से. राजनांदगांव | 3 | 3 | 0 |
| | | चल चिकित्सा इकाई राजनांदगांव | 1 | 1 | 0 |
| | | विकासखण्ड राजनांदगांव | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय राजनांदगांव | 2 | 2 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय गोकुलनगर | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय सुरगी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय सुकूलदैहान | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय सोमनी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय घुमका | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय रानीतराई | 1 | 1 | 0 |
| | | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र डोंगरगढ़ | 1 | 1 | 0 |
| | | मुख्य ग्राम योजना राजनांदगांव | 1 | 1 | 0 |
| | डोगरगांव | विकासखण्ड डोंगरगांव | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय डोंगरगांव | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय अर्जुनी | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय तुमड़ीबोड़ | 1 | 1 | 0 |
| | डोगरगढ | विकासखण्ड डोगरगढ़ | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय डोंगरगढ़ | 1 | 1 | 0 |
| | | पशु चिकित्सालय मुसराकला | 1 | 0 | 1 |
| | | पशु चिकित्सालय एल.बी.नगर | 1 | 1 | 0 |
| | | योग | 30 | 27 | 3 |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 906) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र. | जिला | वर्ष | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | से.नि. | भर्ती | से.नि. | भर्ती | से.नि. | भर्ती | से.नि. | भर्ती | से.नि. | भर्ती |
| 1 | बस्तर | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | बीजापुर | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | दंतेवाड़ा | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | कांकेर | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | कोण्डागांव | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | नारायणपुर | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | सुकमा | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशिष्ट - नब्बे

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 907) की जानकारी

### प्रपत्र "अ"

| स.क्र | विधानसभा का नाम | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | ग्राम पंचायत | देवगुडी क नाम | स्वीकृत देवगुड़ी की संख्या | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | बस्तर–85 | बकावण्ड | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः–** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | बस्तर–85 | बकावण्ड | 2021-22 | बजावाण्ड | हिंगलाजिन माता देवगुडी | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | | | पाथरी | पाथरी | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | राजनगर –2 | राजनगर 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः–** | | | | | | **3** | **11.00** | **11.00** | **1** | **0** | **0** |
| 5 | बस्तर–85 | बकावण्ड | 2022-23 | कुम्हरावण्ड | कांदाकाई | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | उडियापाल | घोडामारी | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | कौडावण्ड | भंगाराम मंदिर | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | गुमडेल | शितलामाता | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः–** | | | | | | **4** | **6.00** | **6.00** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | बस्तर–85 | बकावण्ड | 2023-24 | कानापाल गंगादई मातागुडी उन्यन कार्य | कानापाल | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः–** | | | | | | **1** | **1.50** | **1.50** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | बस्तर–85 | बकावण्ड | 2024-25 | ग्राम पं. कौड़ावण्ड | आमा कोटीन गुड़ी मरम्मत कार्य | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | ग्राम पं. मरेठा | माता गुड़ी मरम्मत कार्य मरेठा | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | ग्राम पं. सांवरा | जलनी मातागुड़ी मरम्मत कार्य | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | ग्राम पं. गुमलवाड़ा | बामनदेई गुड़ी मरम्मत कार्य गुमलवाड़ा | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः–** | | | | | | **4** | **6.00** | **6.00** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | बस्तर–85 | बकावण्ड | 2025-26 | बारदा | डेगांबारदा सिंगारगुडी | 1 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 15 | | | | बकावण्ड | अलेखमहिमा देवगुडी | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | बडेदेवडा | फिरंतामाता देवगुडी | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |

अनुभाग अधिकारी

| स.क्र | विधानसभा का नाम | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | ग्राम पंचायत | देवगुडी क नाम | स्वीकृत देवगुड़ी की संख्या | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | | बकावण्ड | 2025-26 | बदलावण्ड | मावलीमाता देवगुडी | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः—** | | | | | | **4** | **20.00** | **20.00** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | बस्तर—85 | बस्तर | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः—** | | | | | | **0** | **0.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | बस्तर—85 | बस्तर | 2021-22 | बागमांहलई | भेरमदेव मंदिर कोटेकामा | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | बागमांहलई 1 | महादेवगुडी | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | भैसगांव | हिंगलाजिन माता देवगुडी | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | भैसगांव | आमागुदीन / गंगादई माता | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः—** | | | | | | **4** | **8.00** | **8.00** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | बस्तर—85 | बस्तर | 2022-23 | ग्राम रतेंगा—2 | ग्राम रतेंगा—2 क बड़ेबदरेंगा मांझीपारा में माड़िन मातागुडी | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | कुरुषपाल | मावली मंदिर में रंगमंच भवन निर्माण कार्य | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | छोटेआमाबाल | परदेषीन माता हिरलाभाटा निर्माण कार्य | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | नारायणपाल | ग्राम नारायणपाल में मुसरिया मातागुड़ी का मरम्मत कार्य | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः—** | | | | | | **4** | **6.00** | **6.00** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | बस्तर—85 | बस्तर | 2023-24 | शीतलामातागुडी उन्यन कार्य | टिकनपाल | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| **योगः—** | | | | | | **1** | **1.00** | **1.00** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | बस्तर—85 | बस्तर | 2024-25 | कंकालीन बावड़ी मातागुड़ी मरम्मत कार्य बड़ेपारा | ग्रा.पं. बड़े चकवा | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | राकसीन सुरली मातागुड़ी मरम्मत कार्य स्कुल पारा | ग्रा.पं. आड़ाववाल | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | बोहरिया मातागुड़ी मरम्मत कार्य भुरसुंडी | ग्रा.पं. भाटपाल | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर

| स.क्र | विधानसभा का नाम | विकासखण्ड का नाम | वर्ष | ग्राम पंचायत | देवगुडी क नाम | स्वीकृत देवगुड़ी की संख्या | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| योगः– | | | | | | **3** | **4.50** | **4.50** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | बस्तर–85 | बस्तर | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योगः– | | | | | | **0** | **0.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| महायोगः– | | | | | | **28** | **64.00** | **64.00** | **1** | **0** | **0** |

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र 'ब'

(लाख में)

| क्र | स्मारक के नाम | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 01 | महादेव मंदिर बस्तर | 15.37 | 15.37 | 6.15 | 6.15 | 4.35 | 4.35 | 7.38 | 7.38 | 11.40 | 11.40 |

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - इनकयानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 923) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

जिला रायपुर एवं बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत राशि, आबंटित राशि एवं व्यय राशि का वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी।

| क | वर्ष | जिला | अनुरक्षण एवं लघुनिर्माण मद अंतर्गत | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत राशि | आबंटित राशि | व्यय राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2023–24 | रायपुर | 534.63 | 534.63 | 422.95 |
| | | बलौदाबाजार | 260.77 | 260.77 | 218.52 |
| 2 | 2024–25 | रायपुर | 665.87 | 665.87 | 319.97 |
| | | बलौदाबाजार | 113.15 | 113.15 | 96.15 |
| 3 | 2025–26 | रायपुर | 373.85 | 373.85 | 42.83 |
| | | बलौदाबाजार | 267.6 | 267.6 | 140.16 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'ब'

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा एवं रायपुर अंतर्गत सी.सी.टी.वी विहीन संस्थाओं की जिलेवार एवं संस्थावार जानकारी।

| क | जिला | विकासखण्ड | सी.सी.टी.वी कैमरा विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 2 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 3 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 4 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास धाराशिंव |
| 5 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास लवन |
| 6 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मरदा |
| 7 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पनगांव |
| 8 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास रसेड़ा |
| 9 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास अर्जुनी |
| 10 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 11 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास लवन |
| 12 | बलौदाबाजार | भाटापारा | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 13 | बलौदाबाजार | भाटापारा | पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 14 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 15 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मोपका |
| 16 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 17 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास मोपका |
| 18 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सिंगारपुर |
| 19 | बलौदाबाजार | पलारी | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पलारी |
| 20 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास लच्छनपुर |
| 21 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पलारी |
| 22 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास पलारी |
| 23 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तेलासी |
| 24 | बलौदाबाजार | सिमगा | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सिमगा |
| 25 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास हथबंद |
| 26 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सिमगा |
| 27 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सुहेला |
| 28 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास हथबंद |

| क | जिला | विकासखण्ड | सी.सी.टी.वी कैमरा विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सिमगा |
| 30 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास दामाखेड़ा |
| 31 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 32 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 33 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास गिरौदपुरी |
| 34 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 35 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मटिया |
| 36 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास असनींद |
| 37 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बल्छाकछार |
| 38 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बार |
| 39 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बया |
| 40 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बोरसी |
| 41 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चांदन |
| 42 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चरौदा |
| 43 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 44 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कटगी |
| 45 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास नवागांव |
| 46 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास राजादेवरी |
| 47 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सोनाखान |
| 48 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास थरगांव |
| 49 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जाति कन्या आश्रम गिरौदपुरी (प्राथमिक) |
| 50 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति बालक आश्रम चरौदा (प्राथमिक) |
| 51 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति कन्या आश्रम बार (प्राथमिक) |
| 52 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति बालक आश्रम सोनाखान (माध्यमिक) |
| 53 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सोनाखान |
| 54 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास सोनाखान |
| 55 | रायपुर | धरसींवा | पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा (ब.पै.) रायपुर |
| 56 | रायपुर | धरसींवा | पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा रायपुर |
| 57 | रायपुर | धरसींवा | पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास डंगनिया, रायपुर |
| 58 | रायपुर | धरसींवा | पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास रवि.विवि परि. रायपुर |
| 59 | रायपुर | धरसींवा | परि बालक छात्रावास सुंदरनगर, रायपुर |
| 60 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा रायपुर |
| 61 | रायपुर | धरसींवा | स्नातकोत्तर स्तरीय आदिवासी बालक छात्रावास स्वागत विहार [illegible] रायपुर |

| क | जिला | विकासखण्ड | सी.सी.टी.वी कैमरा विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 62 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै.अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास मोतीनगर, रायपुर |
| 63 | रायपुर | धरसींवा | नवीन पो.मै.अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास कवितानगर मोतीनगर ,रायपुर |
| 64 | रायपुर | धरसींवा | नवीन पो.मै.अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास. संतोषीनगर, रायपुर |
| 65 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा रायपुर |
| 66 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास. पेंशनबांड़ा, रायपुर |
| 67 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास. धरसींवा |
| 68 | रायपुर | धरसींवा | स्नातकोत्तर स्तरीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास. देवपुरी रायपुर |
| 69 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै आदिवासी बालक छात्रावास तिल्दा |
| 70 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावासतिल्दा |
| 71 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास.खौना |
| 72 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास.खरोरा |
| 73 | रायपुर | आरंग | पो.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावासआरंग |
| 74 | रायपुर | आरंग | पो.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास.आरंग |
| 75 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास.आरंग |
| 76 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावासभानसोज |
| 77 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास.मंदिर हसौद |
| 78 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावासभंडारपुरी |
| 79 | रायपुर | आरंग | प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावाससमोदा |
| 80 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अभनपुर |
| 81 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेन्द्री |
| 82 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पारागांव |
| 83 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास.अभनपुर |
| 84 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिवनी |
| 85 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कोलर |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र 'ब'

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा एवं रायपुर अंतर्गत अग्निशमन यंत्र विहीन संस्थाओं की जिलेवार एवं संस्थावार जानकारी।

| क | जिला | विकासखण्ड | अग्निशमन यंत्र विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बलौदाबाजार |
| 2 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 3 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास बलौदाबाजार |
| 4 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 5 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | पो.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास बलौदाबाजार |
| 6 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 7 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास धाराशिव |
| 8 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास लवन |
| 9 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मरदा |
| 10 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पनगांव |
| 11 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास रसेड़ा |
| 12 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास बलौदाबाजार |
| 13 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास लवन |
| 14 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास अर्जुनी |
| 15 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बलौदाबाजार |
| 16 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास लवन |
| 17 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास बलौदाबाजार |
| 18 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास लवन |
| 19 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास अहिल्दा |
| 20 | बलौदाबाजार | भाटापारा | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 21 | बलौदाबाजार | भाटापारा | पो.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास भाटापारा |
| 22 | बलौदाबाजार | भाटापारा | पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 23 | बलौदाबाजार | भाटापारा | पो.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास भाटापारा |
| 24 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 25 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मोपका |
| 26 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास भाटापारा |
| 27 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास करहीबाजार |
| 28 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास भाटापारा |
| 29 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास मोपका |
| 30 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सिंगारपुर |
| 31 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास भाटापारा |
| 32 | बलौदाबाजार | भाटापारा | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास निपनिया |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग

| क | जिला | विकासखण्ड | अग्निशमन यंत्र विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | बलौदाबाजार | पलारी | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पलारी |
| 34 | बलौदाबाजार | पलारी | पो.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास पलारी |
| 35 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास लच्छनपुर |
| 36 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास पलारी |
| 37 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास पलारी |
| 38 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास पलारी |
| 39 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास पलारी |
| 40 | बलौदाबाजार | पलारी | अनु.जाति कन्या आश्रम देवसुन्दरा (प्राथमिक) |
| 41 | बलौदाबाजार | पलारी | अनु.जाति कन्या आश्रम पलारी (प्राथमिक) |
| 42 | बलौदाबाजार | पलारी | प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तेलासी |
| 43 | बलौदाबाजार | सिमगा | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सिमगा |
| 44 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास हथबंद |
| 45 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सिमगा |
| 46 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सुहेला |
| 47 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास सिमगा |
| 48 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास हथबंद |
| 49 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सिमगा |
| 50 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास सिमगा |
| 51 | बलौदाबाजार | सिमगा | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास दामाखेड़ा |
| 52 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 53 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 54 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास कसडोल |
| 55 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास गिरौदपुरी |
| 56 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 57 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास मटिया |
| 58 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास गिरौदपुरी |
| 59 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास कसडोल |
| 60 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास असनींद |
| 61 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बल्छाकछार |
| 62 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बार |
| 63 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बया |
| 64 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास बोरसी |
| 65 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चांदन |
| 66 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास चरौदा |
| 67 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कसडोल |
| 68 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास कटगी |
| 69 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास नवागांव |
| 70 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास राजादेवरी |

| क | जिला | विकासखण्ड | अग्निशमन यंत्र विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास सोनाखान |
| 72 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति बालक छात्रावास थरगांव |
| 73 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास कसडोल |
| 74 | बलौदाबाजार | कसडोल | प्री.मे.अनु.जनजाति कन्या छात्रावास सोनाखान |
| 75 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जाति कन्या आश्रम गिरौदपुरी (प्राथमिक) |
| 76 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति बालक आश्रम चरौदा (प्राथमिक) |
| 77 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति कन्या आश्रम बार (प्राथमिक) |
| 78 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति बालक आश्रम सोनाखान (माध्यमिक) |
| 79 | बलौदाबाजार | कसडोल | अनु.जनजाति कन्या आश्रम कसडोल (माध्यमिक) |
| 80 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास सोनाखान |
| 81 | बलौदाबाजार | कसडोल | पो.मे.अनु.जाति कन्या छात्रावास सोनाखान |
| 83 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा (ब.पै.) रायपुर |
| 84 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै..आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा रायपुर |
| 85 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै..आदिवासी बालक छात्रावास डंगनिया, रायपुर |
| 86 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै..आदिवासी बालक छात्रावास रवि.विवि परि. रायपुर |
| 87 | रायपुर | धरसींवा | परि..बालक छात्रावास सुंदरनगर, रायपुर |
| 88 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै..आदिवासी बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा रायपुर |
| 89 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै..आदिवासी कन्या छात्रावास कालीबाड़ी रायपुर |
| 90 | रायपुर | धरसींवा | स्नातकोत्तर स्तरीय .आदिवासी बालक छात्रावास स्वागत विहार [illegible] रायपुर |
| 91 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास मोतीनगर, रायपुर |
| 92 | रायपुर | धरसींवा | नवीन पो.मै.अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास कपिलनगर मोतीनगर, रायपुर |
| 93 | रायपुर | धरसींवा | नवीन पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास संतोषीनगर, रायपुर |
| 94 | रायपुर | धरसींवा | पो.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा रायपुर |
| 95 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशनबांड़ा, रायपुर |
| 96 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कालीबाड़ी (पु.), रायपुर |
| 97 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कालीबाड़ी (नया), रायपुर |
| 98 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धरसींवा |
| 99 | रायपुर | धरसींवा | प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास धरसीवा |
| 100 | रायपुर | धरसींवा | आदर्श माध्यमिक कन्या .आश्रम शाला रायपुरा |
| 101 | रायपुर | धरसींवा | स्नातकोत्तर स्तरीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास देवपुरी रायपुर |
| 102 | रायपुर | धरसींवा | नवीन प्री–मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रा. सरोरा |
| 103 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मे. आदिवासी बालक छात्रावास तिल्दा |
| 104 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मे.आदिवासी बालक छात्रावासतिल्दा |
| 105 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तिल्दा |
| 106 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तिल्दा |

| क | जिला | विकासखण्ड | अग्निशमन यंत्र विहीन संस्थाओं का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 107 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खौना |
| 108 | रायपुर | तिल्दा | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावासा.खरोरा |
| 109 | रायपुर | आरंग | पो.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास आरंग |
| 110 | रायपुर | आरंग | पो.मै.अनुसूचित जाति .कन्या.छात्रावास आरंग |
| 111 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास आरंग |
| 112 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भानसोज |
| 113 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मंदिर हसौद |
| 114 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भंडारपुरी |
| 115 | रायपुर | आरंग | प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास समोदा |
| 116 | रायपुर | आरंग | प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास.भिलाई |
| 117 | रायपुर | आरंग | अनुसूचित जाति कन्या आश्रम भंडारपुरी |
| 118 | रायपुर | आरंग | नवीन प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मंदिरहसौद |
| 119 | रायपुर | आरंग | अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, कोसरंगी |
| 120 | रायपुर | आरंग | अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, समोदा |
| 121 | रायपुर | आरंग | अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, आरंग |
| 122 | रायपुर | आरंग | प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, आरंग |
| 123 | रायपुर | आरंग | अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, चन्द्रखुरी |
| 124 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै..आदिवासी बालक छात्रावास बेन्द्री |
| 125 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै..आदिवासी बालक छात्रावास पारागांव |
| 126 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै..आदिवासी बालक छात्रावास सिवनी |
| 127 | रायपुर | अभनपुर | प्री.मै.अनु.जाति बा. छात्रा. कोलर |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

**परिशिष्ट - बयानबे**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 929) की जानकारी**

**प्रपत्र**

## राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.)
## राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के पी.एम. (पार्टिकुलेट मेटर) 2.5 एवं पी.एम. (पार्टिकुलेट मेटर) 10 के माहवार औसत परिणाम की जानकारी

| पैरामीटर | इकाई | निर्धारित मानक सीमा | अप्रैल 2025 | मई 2025 | जून 2025 | जुलाई 2025 | अगस्त 2025 | सितम्बर 2025 | अक्टूबर 2025 | नवम्बर-2025 | दिसम्बर-2025 | जनवरी-2026 | फरवरी-2026 | मार्च-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम - न्यू एच.आई.जी. बिल्डिंग ,रिंग रोड नं. 2 , टाटीबंध, जिला - रायपुर (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 29.11 | 26.88 | 22.75 | 20.87 | 20.22 | 17.71 | 21.11 | 28.62 | 32.77 | 33.22 | 30.75 | 28.62 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 100 | 64.25 | 63.81 | 59.77 | 55.12 | 52.81 | 60.65 | 68.29 | 74.66 | 80.74 | 66.66 | 63.83 |
| 2. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम - वूलवर्थ ,सरोरा , जिला - रायपुर (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 34.12 | 31.88 | 26.77 | 23.85 | 23.62 | 19.66 | 27.33 | 31.62 | 35.66 | 36.77 | 35.12 | 33.12 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 68.16 | 66.52 | 61.60 | 57.61 | 61.61 | 65.77 | 71.85 | 71.75 | 78.88 | 85.96 | 70.75 | 69.00 |
| 3. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम - नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 01,खमतराई, जिला - रायपुर (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 29.11 | 27.66 | 23.37 | 21.12 | 21.44 | 18.28 | 18.44 | 32.37 | 32.77 | 32.55 | 29.75 | 27.75 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 64.33 | 61.76 | 56.61 | 52.75 | 50.81 | 51.73 | 55.92 | 70.54 | 73.63 | 78.33 | 66.95 | 63.45 |
| 4. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम - एम्स, टाटीबंध, जिला - रायपुर (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 33.25 | 31.55 | 25.66 | 22.85 | 21.75 | 17.44 | 26.33 | 29.12 | 28.66 | 34.33 | 32.75 | 30.75 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 64.20 | 62.08 | 57.73 | 53.66 | 56.61 | 58.88 | 62.22 | 67.37 | 76.59 | 82.70 | 68.29 | 65.37 |
| 5. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम - वाटर ट्रिटमेंट प्लांट, भाटागांव , जिला - रायपुर (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 24.22 | 22.44 | 20.50 | 19.75 | 16.66 | 17.28 | 20.66 | 29.87 | 27.22 | 28.11 | 25.75 | 24.12 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 62.37 | 65.76 | 59.38 | 54.75 | 49.00 | 51.33 | 60.84 | 64.12 | 70.74 | 74.37 | 63.58 | 64.33 |
| 6. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम - जिला अस्पताल, पंडरी, जिला - रायपुर (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 24.44 | 22.11 | 19.87 | 17.62 | 16.33 | 16.71 | 23.77 | 31.62 | 25.66 | 26.11 | 27.37 | 23.25 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 60.14 | 56.14 | 53.44 | 50.37 | 45.85 | 50.60 | 58.03 | 65.66 | 71.66 | 75.48 | 66.16 | 64.29 |

| पैरामीटर | इकाई | निर्धारित मानक सीमा | अप्रैल 2025 | मई 2025 | जून 2025 | जुलाई 2025 | अगस्त 2025 | सितम्बर 2025 | अक्टूबर 2025 | नवम्बर-2025 | दिसम्बर-2025 | जनवरी-2026 | फरवरी-2026 | मार्च-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 28.5 | 24.46 | 21.85 | 20.48 | 23.04 | 22.52 | 31.18 | 27.1 | 21.96 | 23.99 | 26.88 | 25.85 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 68.37 | 65.24 | 63.59 | 62 | 65.19 | 63.47 | 71.98 | 69.77 | 64.21 | 67.81 | 67.05 | 64.67 |
| 2. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- बोकारो हॉस्टल, सेक्टर-4, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 30.81 | 27.79 | 23.88 | 22.71 | 26.06 | 24.58 | 25.95 | 26.3 | 24.14 | 23.27 | 27.27 | 28.41 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 68.36 | 66.42 | 64.32 | 65.26 | 67.04 | 64.42 | 75.99 | 72.24 | 67.8 | 69.13 | 69.23 | 69.72 |
| 3. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- लघु उद्योग निगम इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 38.24 | 31.58 | 27.54 | 25.48 | 28.4 | 27.09 | 32.07 | 31.31 | 28.62 | 27.93 | 31.09 | 29.92 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 75.66 | 69.73 | 66.03 | 67.44 | 69.72 | 70.33 | 75.85 | 76.53 | 73.32 | 74.19 | 77.22 | 77.45 |

| पैरामीटर | इकाई | निर्धारित मानक सीमा | अप्रैल 2025 | मई 2025 | जून 2025 | जुलाई 2025 | अगस्त 2025 | सितम्बर 2025 | अक्टूबर 2025 | नवम्बर-2025 | दिसम्बर-2025 | जनवरी-2026 | फरवरी-2026 | मार्च-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- प्रगति नगर जमनीपाली कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 36.44 | 38.11 | 33.38 | 22.42 | 26.22 | 28.75 | 28.25 | 26.11 | 28.55 | 30.66 | 32.71 | 34.57 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 61.07 | 62.52 | 61.58 | 54.78 | 56.29 | 58.93 | 57.66 | 58.31 | 57.18 | 59.73 | 62.19 | 60.83 |
| 2. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- तहसील ऑफिस के पास रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 40.87 | 42.22 | 39.13 | 28.25 | 29.00 | 31.22 | 32.00 | 31.37 | 33.00 | 34.87 | 34.38 | 35.88 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 71.14 | 73.77 | 71.79 | 57.66 | 67.79 | 68.29 | 71.31 | 63.28 | 62.42 | 64.24 | 66.46 | 65.51 |
| 3. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- आई.टी.आई. रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 45.77 | 44.22 | 41.00 | 30.87 | 37.25 | 37.55 | 40.87 | 34.37 | 36.00 | 40.11 | 42.29 | 44.11 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 83.21 | 84.22 | 79.20 | 73.43 | 76.60 | 80.23 | 89.85 | 75.45 | 75.70 | 83.47 | 79.10 | 81.05 |
| 4. मॉनिटरिंग स्टेशन का नाम- गीतांजली भवन, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) | | | | | | | | | | | | | | |
| पी.एम. 2.5 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 60 | 49.66 | 53.22 | 47.50 | 37.71 | 41.77 | 43.62 | 41.75 | 41.77 | 45.00 | 44.11 | 45.13 | 47.14 |
| पी.एम. 10 | माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर | 100 | 100.62 | 101.22 | 97.83 | 83.45 | 89.12 | 89.91 | 88.99 | 85.25 | 88.99 | 94.10 | 96.21 | 96.75 |

अनुभाग अधिकारी,

परिशिष्ट - तिरानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 936) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि करोड़ में)

| विभाग का नाम | बजट अनुमान 2025-26 | व्यय प्रथम तिमाही 2025-26 | बजट अनुमान 2026-27 | व्यय प्रथम तिमाही 2026-27 |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य प्रशासन विभाग | 609 | 97 | 701 | 96 |
| गृह विभाग | 8380 | 1935 | 8380 | 2043 |
| जेल विभाग | 279 | 47 | 267 | 49 |
| वित्त विभाग | 20291 | 4062 | 20633 | 4236 |
| वाणिज्यिक कर विभाग | 544 | 129 | 591 | 84 |
| राजस्व, पुनर्वास एवं धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग | 2668 | 317 | 2609 | 377 |
| परिवहन विभाग | 209 | 19 | 245 | 14 |
| खेल एवं युवक कल्याण विभाग | 168 | 5 | 192 | 6 |
| वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 2610 | 346 | 2896 | 331 |
| वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | 1420 | 67 | 1750 | 18 |
| खनिज साधन विभाग | 1000 | 17 | 996 | 14 |
| ऊर्जा विभाग | 6721 | 1503 | 8680 | 1933 |
| कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा | 13506 | 280 | 13507 | 5325 |
| सहकारिता विभाग | 520 | 19 | 572 | 18 |
| श्रम विभाग | 255 | 31 | 256 | 38 |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 8040 | 1285 | 8050 | 1101 |
| नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 6044 | 800 | 6050 | 581 |
| लोक निर्माण विभाग | 8829 | 861 | 8554 | 2244 |
| स्कूल शिक्षा विभाग | 22356 | 6071 | 22360 | 6146 |
| विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 1065 | 216 | 1030 | 232 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 18391 | 4276 | 16490 | 1536 |
| योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 440 | 38 | 447 | 22 |
| जन संपर्क विभाग | 562 | 21 | 475 | 18 |
| आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग | 2956 | 365 | 2961 | 445 |
| समाज कल्याण विभाग | 1575 | 420 | 1600 | 352 |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 9440 | 1983 | 12821 | 110 |
| संस्कृति एवं पर्यटन विभाग | 321 | 47 | 450 | 8 |
| जल संसाधन विभाग | 3800 | 507 | 4400 | 716 |
| आवास और पर्यावरण विभाग | 1208 | 5 | 1247 | 31 |
| लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी | 5284 | 524 | 3875 | 105 |
| पशुपालन विभाग | 745 | 126 | 812 | 132 |
| मछली पालन विभाग | 247 | 19 | 300 | 25 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 1615 | 339 | 1666 | 375 |
| कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 792 | 126 | 975 | 138 |
| इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 380 | 0 | 417 | 11 |
| विमानन विभाग | 159 | 18 | 315 | 12 |
| संसदीय कार्य विभाग | 108 | 20 | 124 | 21 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग | 8245 | 2400 | 11000 | 1635 |
| ग्रामोद्योग विभाग | 190 | 18 | 280 | 111 |
| चिकित्सा शिक्षा विभाग | 2950 | 306 | 2950 | 411 |
| सुशासन एवं अभिसरण विभाग | 74 | 0 | 77 | 21 |

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

## परिशिष्ट - चौरानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 954) की जानकारी

प्रपत्र-अ

### छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या., रायपुर को शासन द्वारा मछली पालन तथा मत्स्याखेट हेतु सौंपे गए जलाशयों के जलक्षेत्र, उत्पादन तथा प्राप्त आय की वर्षवार जानकारी

| क्र. | जलाशय का नाम | जलक्षेत्र (हैक्टेयर में) | वर्ष | मत्स्य उत्पादन (मेट्रिक टन में) | प्राप्त आय (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | दुधावा | 2511.00 | 2022-23 | 656.97 | 72.00 |
| | | | 2023-24 | 685.21 | 72.00 |
| | | | 2024-25 | 716.10 | 78.01 |
| | | | 2025-26 | 740.75 | 78.01 |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1387.00 | 2022-23 | 250.56 | 14.82 |
| | | | 2023-24 | 48.67 | 13.26 |
| | | | 2024-25 | 87.53 | 16.57 |
| | | | 2025-26 | 44.96 | 11.76 |
| 3 | गंगरेल | 6935.00 | 2022-23 | 107.17 | 85.00 |
| | | | 2023-24 | 157.51 | 84.60 |
| | | | 2024-25 | 196.39 | 60.00 |
| | | | 2025-26 | 199.39 | 80.00 |
| 4 | सिकासार | 1174.00 | 2022-23 | 5.60 | 14.50 |
| | | | 2023-24 | 1.43 | 6.50 |
| | | | 2024-25 | 2.01 | 7.92 |
| | | | 2025-26 | 2.07 | 4.96 |
| 5 | मनोहर सागर | 2518.00 | 2022-23 | 41.15 | 8.61 |
| | | | 2023-24 | 34.99 | 6.62 |
| | | | 2024-25 | 15.26 | 10.32 |
| | | | 2025-26 | 9.84 | 13.76 |
| 6 | कोड़ार | 2057.00 | 2022-23 | 15.73 | 9.42 |
| | | | 2023-24 | 15.96 | 28.72 |
| | | | 2024-25 | 20.10 | 25.68 |
| | | | 2025-26 | 25.48 | 63.76 |
| 7 | खरखरा | 1875.00 | 2022-23 | 8.34 | 14.75 |
| | | | 2023-24 | 237.88 | 64.21 |
| | | | 2024-25 | 369.54 | 76.78 |
| | | | 2025-26 | 338.84 | 48.92 |
| 8 | तांदुला | 2275.00 | 2022-23 | 8.05 | 50.00 |
| | | | 2023-24 | 43.01 | 25.22 |
| | | | 2024-25 | 15.46 | 17.81 |
| | | | 2025-26 | 14.75 | 32.29 |
| 9 | गोंदली | 1118.00 | 2022-23 | 9.37 | 0.00 |
| | | | 2023-24 | 16.69 | 21.98 |
| | | | 2024-25 | 18.84 | 17.59 |
| | | | 2025-26 | 2.41 | 4.21 |
| 10 | दर्री | 1333.75 | 2022-23 | 2.68 | 7.15 |
| | | | 2023-24 | 0.00 | 13.93 |
| | | | 2024-25 | 0.00 | 3.96 |
| | | | 2025-26 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | हसदेव बांगो | 11500.00 | 2022-23 | 162.23 | 7.29 |
| | | | 2023-24 | 137.06 | 9.54 |
| | | | 2024-25 | 221.94 | 9.65 |
| | | | 2025-26 | 48.26 | 25.50 |
| 12 | खारंग (खूंटाघाट) | 2712.00 | 2022-23 | 8.34 | 14.75 |
| | | | 2023-24 | 237.88 | 64.21 |
| | | | 2024-25 | 369.54 | 76.78 |
| | | | 2025-26 | 338.84 | 48.62 |

| क्र. | जलाशय का नाम | जलक्षेत्र (हैक्टेयर में) | वर्ष | मत्स्य उत्पादन (मेट्रिक टन में) | प्राप्त आय (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | खुड़िया (मनियारी) | 1667.00 | 2022-23 | 132.04 | 4.21 |
| | | | 2023-24 | 86.29 | 66.00 |
| | | | 2024-25 | 137.91 | 71.50 |
| | | | 2025-26 | 146.77 | 77.01 |
| **योग** | | **39062.75** | **2022-23** | **1408.23** | **302.50** |
| | | | **2023-24** | **1702.58** | **476.79** |
| | | | **2024-25** | **2170.61** | **472.57** |
| | | | **2025-26** | **1912.36** | **488.80** |

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

**वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक जलाशय से प्राप्त आय की वर्षवार जानकारी**

(राशि रू. में)

| क्र. | जलाशय का नाम | जलाशयों से प्राप्त आय | मछुआरो को प्राप्त बोनस राशि | शासन को देय रायल्टी राशि | मत्स्य महासंघ को प्राप्त आय | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **वर्ष 2020-21** | | | |
| 1 | दुधावा | 5520801.00 | 0.00 | 375826.75 | 5144974.25 | वर्ष 2022 के पूर्व मछलीपालन नीति में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। |
| 2 | गंगरेल | 1585799.00 | 0.00 | 289376.00 | 1296423.00 | |
| 3 | मनोहर सागर | 807640.00 | 0.00 | 177027.00 | 630613.00 | |
| 4 | कोडार | 1984900.00 | 0.00 | 102500.00 | 1882400.00 | |
| 5 | सिकासार | 334179.00 | 0.00 | 37746.00 | 296433.00 | |
| 6 | माड़मसिल्ली | 1440943.00 | 0.00 | 720472.00 | 720471.00 | |
| 7 | हसदेव बांगो | 830149.00 | 0.00 | 412578.00 | 417571.00 | |
| 8 | मनियारी खुड़िया | 6050010.00 | 0.00 | 3025000.00 | 3025010.00 | |
| 9 | खरखरा | 1460000.00 | 0.00 | 730000.00 | 730000.00 | |
| 10 | तांदुला | 1260000.00 | 0.00 | 630000.00 | 630000.00 | |
| 11 | गोंदली | 500000.00 | 0.00 | 250000.00 | 250000.00 | |
| 12 | दर्री | 119000.00 | 0.00 | 19574.00 | 99426.00 | |
| 13 | खारंग (खूंटाघाट) | 1406760.00 | 0.00 | 27576.00 | 1379184.00 | |
| **योग** | | **23300181.00** | **0.00** | **6797675.75** | **16502505.25** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **वर्ष 2021-22** | | | |
| 1 | दुधावा | 7681557.00 | 0.00 | 1247723.00 | 6433834.00 | वर्ष 2022 के पूर्व मछलीपालन नीति में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है तथा खरखरा जलाशय में निविदा निरस्त पश्चात् पूर्व वर्षों का रायल्टी भुगतान |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1440943.00 | 0.00 | 884449.00 | 556494.00 | |
| 3 | गंगरेल | 1700000.00 | 0.00 | 299847.00 | 1400153.00 | |
| 4 | मनियारी खुड़िया | 6600000.00 | 0.00 | 1100000.00 | 5500000.00 | |
| 5 | हसदेव बांगो | 899322.00 | 0.00 | 349662.00 | 549660.00 | |
| 6 | सिकासार | 180000.00 | 0.00 | 31320.00 | 148680.00 | |
| 7 | मनोहर सागर | 295960.00 | 0.00 | 153723.00 | 142237.00 | |
| 8 | कोडार | 2517200.00 | 0.00 | 82354.00 | 2434846.00 | |
| 9 | खरखरा | 2650000.00 | 0.00 | 3525000.00 | -875000.00 | |
| 10 | तांदुला | 1300000.00 | 0.00 | 650000.00 | 650000.00 | |
| 11 | गोंदली | 3628248.00 | 0.00 | 1814124.00 | 1814124.00 | |
| 12 | दर्री | 20000.00 | 0.00 | 2229.00 | 17771.00 | |
| 13 | खारंग (खूंटाघाट) | 1802000.00 | 0.00 | 37429.00 | 1764571.00 | |
| **योग** | | **30715230.00** | **0.00** | **10177860.00** | **20537370.00** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **वर्ष 2022-23** | | | |
| 1 | दुधावा | 7200976.00 | 0.00 | 1439960.00 | 5761016.00 | वर्ष 2022 के पूर्व मछलीपालन नीति में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1482971.00 | 0.00 | 741485.00 | 741486.00 | |
| 3 | मनियारी (खुड़िया) | 6600000.00 | 0.00 | 3300000.00 | 3300000.00 | |
| 4 | हसदेव बांगो | 719458.00 | 0.00 | 383230.00 | 336228.00 | |
| 5 | मनोहर सागर | 861000.00 | 0.00 | 118150.00 | 742850.00 | |
| 6 | खरखरा | 1500000.00 | 0.00 | 750000.00 | 750000.00 | |
| 7 | कोडार | 942300.00 | 0.00 | 44889.00 | 897411.00 | |
| 8 | सिकासार | 1450000.00 | 0.00 | 725000.00 | 725000.00 | |
| 9 | दर्री | 715000.00 | 0.00 | 357500.00 | 357500.00 | |

| क्र. | जलाशय का नाम | जलाशयों से प्राप्त आय | मछुआरो को प्राप्त बोनस राशि | शासन को देय रायल्टी राशि | मत्स्य महासंघ को प्राप्त आय | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | गंगरेल | 8500000.00 | 1062500.00 | 4250000.00 | 3187500.00 | नवीन मछलीपालन नीति, 2022 में बोनस भुगतान का प्रावधान है |
| 11 | तांदुला | 5000000.00 | 625000.00 | 2500000.00 | 1875000.00 | |
| 12 | गोंदली | 121500.00 | 0.00 | 31322.00 | 90178.00 | |
| 13 | खारंग (खूंटाघाट) | 4955000.00 | 619375.00 | 2477500.00 | 1858125.00 | |
| | **योग** | **40048205.00** | **2306875.00** | **17119036.00** | **20622294.00** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **वर्ष 2023-24** | | | |
| 1 | दुधावा | 7200988.00 | 0.00 | 2042961.00 | 5158027.00 | वर्ष 2022 के पूर्व मछलीपालन नीति में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1326868.00 | 0.00 | 870443.00 | 456425.00 | |
| 3 | मनियारी (खुड़िया) | 7150020.00 | 0.00 | 3600010.00 | 3550010.00 | |
| 4 | हसदेव बांगो | 954664.00 | 0.00 | 790987.00 | 163677.00 | |
| 5 | सिकासार | 650000.00 | 0.00 | 325000.00 | 325000.00 | |
| 6 | मनोहर सागर | 662400.00 | 0.00 | 77972.00 | 584428.00 | |
| 7 | खरखरा | 624375.00 | 0.00 | 312188.00 | 312187.00 | |
| 8 | दर्री | 1393453.00 | 0.00 | 429000.00 | 964453.00 | |
| 9 | गंगरेल | 8460000.00 | 1057500.00 | 6105000.00 | 1297500.00 | नवीन मछलीपालन नीति, 2022 में बोनस भुगतान का प्रावधान है |
| 10 | कोडार | 2305556.00 | 288194.50 | 1152778.00 | 864583.50 | |
| 11 | तांदुला | 2522650.00 | 315331.25 | 2051894.00 | 155424.75 | |
| 12 | गोंदली | 2198700.00 | 274837.50 | 1570500.00 | 353362.50 | |
| 13 | खारंग (खूंटाघाट) | 6421000.00 | 802625.00 | 3660500.00 | 1957875.00 | |
| | **योग** | **41870674.00** | **2738488.25** | **22989233.00** | **16142952.75** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **वर्ष 2024-25** | | | |
| 1 | दुधावा | 7801050.00 | 0.00 | 1561720.00 | 6239330.00 | वर्ष 2022 के पूर्व मछलीपालन नीति में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1657084.00 | 0.00 | 840550.00 | 816534.00 | |
| 3 | मनियारी (खुड़िया) | 7150020.00 | 0.00 | 3575010.00 | 3575010.00 | |
| 4 | हसदेव बांगो | 965501.00 | 0.00 | 482876.00 | 482625.00 | |
| 5 | गंगरेल | 6000000.00 | 750000.00 | 5500000.00 | -250000.00 | नवीन मछलीपालन नीति, 2022 में बोनस भुगतान का प्रावधान है |
| 6 | सिकासार | 792800.00 | 99100.00 | 495500.00 | 198200.00 | |
| 7 | मनोहर सागर | 932090.00 | 116511.25 | 466034.00 | 349544.75 | |
| 8 | कोडार | 2568333.00 | 321041.63 | 3423913.00 | -1176621.63 | |
| 9 | खरखरा | 780600.00 | 97575.00 | 390300.00 | 292725.00 | |
| 10 | तांदुला | 1781136.00 | 222642.00 | 350000.00 | 1208494.00 | |
| 11 | गोंदली | 1759000.00 | 219875.00 | 408350.00 | 1130775.00 | |
| 12 | दर्री | 396000.00 | 49500.00 | 198000.00 | 148500.00 | |
| 13 | खारंग (खूंटाघाट) | 7678800.00 | 959850.00 | 4168300.00 | 2550650.00 | |
| | **योग** | **40262414.00** | **2836094.88** | **21860553.00** | **15565766.13** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **वर्ष 2025-26** | | | |
| 1 | दुधावा | 7801050.00 | 0.00 | 1907511.00 | 5893539.00 | वर्ष 2022 के पूर्व मछलीपालन नीति में बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है। |
| 2 | माड़मसिल्ली | 1176770.00 | 0.00 | 420275.00 | 756495.00 | |
| 3 | गंगरेल | 8000000.00 | 0.00 | 0.00 | 8000000.00 | |
| 4 | मनियारी (खुड़िया) | 7701000.00 | 0.00 | 3850500.00 | 3850500.00 | |
| 5 | दर्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | हसदेव बांगो | 2550000.00 | 0.00 | 1275000.00 | 1275000.00 | |

| क्र. | जलाशय का नाम | जलाशयों से प्राप्त आय | मछुआरो को प्राप्त बोनस राशि | शासन को देय रायल्टी राशि | मत्स्य महासंघ को प्राप्त आय | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | सिकासार | 496400.00 | 62050.00 | 149100.00 | 285250.00 | नवीन मछलीपालन नीति, 2022 में बोनस भुगतान का प्रावधान है |
| 8 | मनोहर सागर | 1376000.00 | 172000.00 | 688000.00 | 516000.00 | |
| 9 | कोडार | 6376161.00 | 797020.13 | 1550000.00 | 4029140.88 | |
| 10 | खरखरा | 520000.00 | 65000.00 | 260000.00 | 195000.00 | |
| 11 | तांदुला | 3229100.00 | 403637.50 | 1614550.00 | 1210912.50 | |
| 12 | गोंदली | 421042.00 | 52630.25 | 210521.00 | 157890.75 | |
| 13 | खारंग (खूंटाघाट) | 4892600.00 | 611575.00 | 2446300.00 | 1834725.00 | |
| योग | | 44540123.00 | 2163912.88 | 14371757.00 | 28004453.13 | |

सही/-अस्पष्ट
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.
रायपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-स

**शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक की जानकारी**

| क्र. | मत्स्य प्रजाति का नाम | देय न्यूनतम पारिश्रमिक दर (राशि रू. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | कतला 5 किलो से बड़ा | 15.00 प्रति किलो |
| 2 | कतला 3 किलो से 5 किलो | 14.00 प्रति किलो |
| 3 | कतला 2 से 3 किलो तक एवं रोहू 1 किलो से बड़ा | 12.00 प्रति किलो |
| 4 | मृगल 1 किलो से ऊपर | 12.00 प्रति किलो |
| 5 | लोकल मेजर (2 किलो से बड़ा) एवं पाबदा सभी साइज की | 20.00 प्रति किलो |
| 6 | लोकल मेजर (1/2 किलो से 2 किलो) | 15.00 प्रति किलो |
| 7 | कालबासु | 12.00 प्रति किलो |
| 8 | लोकल मेजर 1/2 किलो से छोटी | 06.00 प्रति किलो |

**सही/-अस्पष्ट**
**प्रबंध संचालक**
**छ.ग. राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्या.**
**रायपुर (छ.ग.)**

**संचालक मछलीपालन**
**छत्तीसगढ़**

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - पंचानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्र. 967) की जानकारी

प्रपत्र–अ (प्रश्नांश ''क'' हेतु )

" प्रपत्र "

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क़बीर धर्म नगर, दामाखेड़ा के विकास कार्यों के संबंध में

| क | विधानसभा का नाम | वर्ष | मद / योजना का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | कार्य एजेंसी | स्वीकृत राशि (लाख में) | पूर्ण / प्रगतिरत कार्य | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | भाटापारा | 2008-09 | 67/4210-02-103-0101-4143 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण | जिला रायपुर वि.खं. सिमगा ग्राम दामाखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण मुख्य भवन, 1 जी एवं 1 एच टाईप | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 25.39 | पूर्ण | |
| 2 | भाटापारा | 2008-09 | 67/4210-03-101-0101-4136 वृहद कार्य आयुर्वेदिक कार्यालय भवन का निर्माण | दामाखेड़ा वि.खं. सिमगा जिला रायपुर में आयुर्वेदिक औषद्यालय भवन का निर्माण। | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 6.40 | पूर्ण | |
| 3 | भाटापारा | 2012-13 | एन.आर.एच.एम. | दामाखेड़ा विकासखण्ड सिमगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 15.00 | पूर्ण | |
| 4 | भाटापारा | 2012-13 | आर.आई.डी.एफ. नाबार्ड | 200 मी. टन गोदाम निर्माण कार्य ग्राम दामाखेड़ा | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 10.00 | पूर्ण | |
| 5 | भाटापारा | 2012-13 | आर.आई.डी.एफ. नाबार्ड | धान उपार्जन केन्द्र में 09 नग चबुतरा निर्माण कार्य दामाखेड़ा। | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 9.09 | पूर्ण | |
| 6 | भाटापारा | 2014-15 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.04 | पूर्ण | |
| 7 | भाटापारा | 2014-15 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.36 | पूर्ण | |
| 8 | भाटापारा | 2014-15 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.23 | पूर्ण | |
| 9 | भाटापारा | 2015-16 | पर्यटन मंडल | दामाखेड़ा विख सिमगा में मुख्य स्वागत द्वार का निर्माण | आदिवासी विकास बलौदाबाजार भाटापारा | 46.52 | पूर्ण | |
| 10 | भाटापारा | 2015-16 | 67/4202\|01\|(202)0101-(3490)– माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण | जिला बलौदाबाजार वि.खं. सिमगा के दामाखेड़ा में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण। | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 95.35 | पूर्ण | |
| 11 | भाटापारा | 2015-16 | अटल समरसता | अटल समरसता भवन निर्माण कार्य ग्राम–दामाखेड़ा। | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 19.39 | पूर्ण | |
| 12 | भाटापारा | 2015-16 | मिनी स्टेडियम | मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य दामाखेड़ा | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 31.61 | पूर्ण | |
| 13 | भाटापारा | 2017-18 | 24/5054-04-337-0101-2457-97 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम | तुलसी किरवई दामाखेड़ा मार्ग लं. 1.04 किमी. में सी.सी. रोड निर्माण कार्य | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 71.00 | पूर्ण | |
| 14 | भाटापारा | 2017-18 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 0.79 | पूर्ण | |
| 15 | भाटापारा | 2017-18 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.26 | पूर्ण | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | भाटापारा | 2017-18 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.16 | पूर्ण | |
| 17 | भाटापारा | 2018-19 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.14 | पूर्ण | |
| 18 | भाटापारा | 2018-19 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 0.98 | पूर्ण | |
| 19 | भाटापारा | 2018-19 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 0.98 | पूर्ण | |
| 20 | भाटापारा | 2018-19 | मु.मं. घोषणा मद | दामाखेड़ा विख सिमगा में मुख्य स्वागत द्वार का निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त राशि | आदिवासी विकास बलौदाबाजार भाटापारा | 90.00 | पूर्ण | |
| 21 | भाटापारा | 2019-20 | राज्य मद | आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक–1 में नलकूप खनन कार्य | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.11 | पूर्ण | |
| 22 | भाटापारा | 2019-20 | आयुष्मान भारत | हेल्थ एवं वेलनेंस सेन्टर निर्माण प्राथ.स्वा. केन्द्र दामाखेड़ा | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 4.00 | पूर्ण | |
| 23 | भाटापारा | 2020-21 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.32 | पूर्ण | |
| 24 | भाटापारा | 2020-21 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.32 | पूर्ण | |
| 25 | भाटापारा | 2020-21 | समग्र शिक्षा | शौचालय निर्माण शा.उ.मा.वि. दामाखेड़ा | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 3.09 | पूर्ण | |
| 26 | भाटापारा | 2020-21 | 24/5054-04-337-0101-(6450) मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना | मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन दामाखेडा, विकासखण्ड सिमगा पहुंच मार्ग लं. 245 मीटर | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 19.13 | पूर्ण | |
| 27 | भाटापारा | 2021-22 | स्कूल शिक्षा मद | जीर्णोद्धार कार्य शा.उ.मा.शा. दामाखेड़ा। | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 1.00 | पूर्ण | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | भाटापारा | 2021-22 | 37/5452-01-102-0101-6397-26 दामाखेड़ा अधोसंरचना | दामाखेड़ा, जिला बलौदाबाजार स्थित कबीर सागर (तालाब) में विकास/सौंदर्यीकरण कार्य | लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार | 2243.40 | तालाब खुदाई कार्य – पूर्ण, रिटेनिंग वाल – 1500 मीटर पूर्ण, घाट निर्माण – 01 पूर्ण, 03 प्रगति पर, पाथवे फिलिंग – पूर्ण, युग स्टेचू – 01 प्रगति पर, सेन्ट्रल पोडियम – स्ट्रक्चर पूर्ण, मूर्ति निर्माण कार्य प्रगति पर, पुल निर्माण – फिनिशिंग [illegible] | |
| 29 | भाटापारा | 2021-22 | जेजेएम मद | एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजना–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 132.55 | पूर्ण | |
| 30 | भाटापारा | 2021-22 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.04 | पूर्ण | |
| 31 | भाटापारा | 2021-22 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.04 | पूर्ण | |
| 32 | भाटापारा | 2022-23 | डी.एम.एफ. | धर्मशाला/विश्रामगृह निर्माण कार्य ग्राम दामाखेड़ा | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 30.00 | पूर्ण | |
| 33 | भाटापारा | 2022-23 | राष्ट्रीय आयुष मिशन | शास. आयुर्वेद औषधालय दामाखेड़ा में इन्फास्ट्रक्चर एवं अधोसंरचना निर्माण कार्य। | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 5.00 | पूर्ण | |
| 34 | भाटापारा | 2022-23 | मुख्यमंत्री स्कूल जतन | शास. नवीन प्राथ.शाला में जीर्णोद्धार कार्य ग्राम दामाखेड़ा। | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार | 2.05 | पूर्ण | |
| 35 | भाटापारा | 2022-23 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.49 | पूर्ण | |
| 36 | भाटापारा | 2022-23 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.49 | पूर्ण | |
| 37 | भाटापारा | 2022-23 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.49 | पूर्ण | |
| 38 | भाटापारा | 2022-23 | डीएमएफ | गौठान क्षेत्र में पशु शेड निर्माण कार्य | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 7.000 | पूर्ण | |
| 39 | भाटापारा | 2022-23 | विधायक मद | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (साहू पारा) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 10.000 | पूर्ण | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | भाटापारा | 2023-24 | जनपद पंचायत विकास निधी | मुरमीकरण कार्य (धरसा रोड में) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.000 | पूर्ण | |
| 41 | भाटापारा | 2023-24 | डीएमएफ | सी. सी. रोड निर्माण कार्य (गुरूघासीदास परिसर) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 5.000 | पूर्ण | |
| 42 | भाटापारा | 2023-24 | डीएमएफ | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (खेल भवन) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 10.000 | पूर्ण | |
| 43 | भाटापारा | 2023-24 | विधायक मद | 02 नग पानी टेंकर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 3.600 | पूर्ण | |
| 44 | भाटापारा | 2023-24 | जेजेएम मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.61 | पूर्ण | |
| 45 | भाटापारा | 2023-24 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.46 | पूर्ण | |
| 46 | भाटापारा | 2023-24 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.46 | पूर्ण | |
| 47 | भाटापारा | 2023-24 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.46 | पूर्ण | |
| 48 | भाटापारा | 2023-24 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.7 | पूर्ण | |
| 49 | भाटापारा | 2023-24 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.7 | पूर्ण | |
| 50 | भाटापारा | 2024-25 | जनपद पंचायत विकास निधी | सी. सी. रोड निर्माण कार्य | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.000 | पूर्ण | |
| 51 | भाटापारा | 2024-25 | जनपद पंचायत विकास निधी | रंगमंच निर्माण कार्य | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.000 | पूर्ण | |
| 52 | भाटापारा | 2024-25 | सांसद मद | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 6.500 | पूर्ण | |
| 53 | भाटापारा | 2025-26 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.74 | पूर्ण | |
| 54 | भाटापारा | 2025-26 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.52 | पूर्ण | |
| 55 | भाटापारा | 2025-26 | राज्य मद | नलकूप खनन कार्य–दामाखेड़ा | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार | 1.52 | पूर्ण | |
| 56 | भाटापारा | 2025-26 | मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना | सी. सी. रोड निर्माण कार्य भाग–1 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.600 | प्रगतिरत | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | भाटापारा | 2025-26 | मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना | सी. सी. रोड निर्माण कार्य भाग-2 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.600 | प्रगतिरत | |
| 58 | भाटापारा | 2025-26 | जनपद पंचायत विकास निधी | दुकान निर्माण कार्य (03 नग) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 4.800 | पूर्ण | |
| 59 | भाटापारा | 2025-26 | विधायक मद | अहाता निर्माण कार्य (खेल मैदान) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 9.500 | पूर्ण | |
| 60 | भाटापारा | 2025-26 | अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण | महतारी सदन निर्माण कार्य | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 6.000 | पूर्ण | |
| 61 | भाटापारा | 2025-26 | डीएमएफ | सी. सी. रोड सह नाली निर्माण कार्य (रामायण मण्डली से नीम चौरा तक) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 8.800 | पूर्ण | |
| 62 | भाटापारा | 2025-26 | डीएमएफ | नाली निर्माण कार्य (पुलिस चौंकी से पानी टंकी तक एवं झण्डा बाबा से अग्रवाल किराना तक आश्रम) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 5.310 | पूर्ण | |
| 63 | भाटापारा | 2025-26 | डीएमएफ | सी. सी. रोड सह नाली निर्माण कार्य (प्रवेश द्वार से नहर तक) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 5.310 | पूर्ण | |
| 64 | भाटापारा | 2025-26 | डीएमएफ | सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य (पुरूष शौचालय) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.900 | पूर्ण | |
| 65 | भाटापारा | 2025-26 | डीएमएफ | सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य (महिला शौचालय) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 2.900 | पूर्ण | |
| 66 | भाटापारा | 2025-26 | डीएमएफ | सी. सी. रोड निर्माण कार्य | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचा. सिमगा | 10.000 | पूर्ण | |

6/7/26

अपर कलेक्टर,
बलौदाबाजार-भाटापारा

परिशिष्ट - छियानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 971) की जानकारी

I/513704/2026

प्रपत्र

# रायपुर जिला अंतर्गत मंडी बोर्ड से स्वीकृत किए गए कार्य एवं उनकी वर्तमान स्थिति
## बोर्ड निधि/मंडी समिति निधि से पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ निर्माण कार्यो की जानकारी वर्ष 2025–26

बोर्ड निधि

| क्र. | कार्य क. | वि.स.क्षेत्र | कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क/दिनांक | स्वीकृत लागत (रू.लाख में) | कार्यादेश क्र. /दिनांक | निर्धारित समयावधि | व्यय (रू.लाख में) | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | रायपुर ग्रामीण | वि.स. क्षेत्र रायपुर ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बंसत विहार कालोनी के अहमद ट्रेडर्स से मेन रोड चौक एवं कविता अग्निहोत्री के घर से संजय साहू के घर तक सी. सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 2247/13.06.2025 | 30.54 | 1896/28.10.2025 | 6 माह | 18.09 | पूर्ण | – | – | – |
| योग 1 कार्य :– | | | | | **30.54** | | | **18.09** | **1** | **0** | | |
| 2 | 1 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के गायत्री मंदिर के पास टाटीबंध में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 9.91 | - | - | 0.00 | - | - | **अनुबंध स्तर** | प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, |
| 3 | 2 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के राधा कृष्ण मंदिर परिसर महादेव घाट रायपुरा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 12.86 | - | - | 0.00 | - | - | **निविदा स्तर** | प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण तृतीय निविदा आमंत्रित। |
| 4 | 3 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के श्री बालाजी कल्याण मंदिर गुढ़ियारी रायपुर परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 14.47 | - | - | 0.00 | - | - | **निविदा स्तर** | प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण तृतीय निविदा आमंत्रित। |
| 5 | 4 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर वीर सावरकर वार्ड हीरापुर शारदा मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 9.04 | - | - | 0.00 | - | - | **अनुबंध स्तर** | प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, |
| 6 | 5 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के शहीद चुड़ामुड़ी नायक वार्ड रामकुंड में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 9.23 | 708/24.06.2026 | 4 माह | 0.00 | . | प्रगतिरत् | - | प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य। |

| क्र. | कार्य क. | वि.स.क्षेत्र | कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क/दिनांक | स्वीकृत लागत (रू.लाख में) | कार्यादेश क्र./दिनांक | निर्धारित समयावधि | व्यय (रू.लाख में) | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 6 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड साहू सामाज भवन के समीप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 13.86 | - | - | 0.00 | - | - | **निविदा स्तर** | प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण तृतीय निविदा आमंत्रित। |
| 8 | 7 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के शहीद चुड़ामणी नायक वार्ड आमापारा मितानिन भवन के सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 6.38 | - | - | 0.00 | - | - | **अनुबंध स्तर** | प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, |
| 9 | 8 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के अग्रोहा सोसायटी माधवराव सप्रे वार्ड शिव मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 10.84 | - | - | 0.00 | - | - | **निविदा स्तर** | प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण तृतीय निविदा आमंत्रित। |
| 10 | 9 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के वीर शिवाजी वार्ड खमतराई रायपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 11.38 | - | - | 0.00 | - | - | **निविदा स्तर** | प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण तृतीय निविदा आमंत्रित। |
| 11 | 10 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के जरवाय में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 19.89 | 713/24.06.2026 | 4 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 11.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 12 | 11 | रायपुर पश्चिम | जिला रायपुर के अटारी में पार्षद कार्यालय के समीप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 8533/18.02.2026 | 19.89 | 715/24.06.2026 | 4 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई, दिनांक 11.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत,कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| | | | **योग 11 कार्य :-** | | **137.75** | | | **0.00** | **0** | **3** | **8** | |
| 13 | 1 | अभनपुर | जिला रायपुर वि.ख अभनपुर के ग्राम निमोरा में बाजार चौक पर (15x40m) कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 23.63 | 2747/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 14 | 2 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम गोतियारडीह के वार्ड नं. 3 में (15x30m) कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 24.60 | 2747/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |

PLGMJ/2417/2026-Agriculture Section(Technical)

I/513704/2026

| क्र. | कार्य क्र. | वि.स.क्षेत्र | कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क/दिनांक | स्वीकृत लागत (रू.लाख में) | कार्यादेश क्र./दिनांक | निर्धारित समयावधि | व्यय (रू.लाख में) | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 3 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम ठेलकाबांधा के भाठापारा में (20x45m) कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 33.48 | 2747/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 16 | 4 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर ग्राम ठेलकाबांधा के ग्राम पंचायत भवन के पास कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। (15x30m ) | 2635/26.06.2025 | 17.64 | 2747/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 17 | 5 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर ग्राम उमरपोटी में कव्हर्डशेड (10x20m )निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 8.26 | 2747/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 18 | 6 | अभनपुर | जिला रायपुर वि.ख अभनपुर के ग्राम मोखला के बाजार में (20x30m) कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 29.36 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 19 | 7 | अभनपुर | जिला रायपुर वि.ख अभनपुर के ग्राम निस्दा के बाजार में (20x50m) कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 36.49 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 20 | 8 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम खोला में सतनामी पारा गुरूद्वारा के सामने (15x45m) कव्हर्डशेड निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 26.40 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 21 | 9 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम टीला के बाजार में (20x30 m) कव्हर्डशेड निर्माण। | 2635/26.06.2025 | 22.10 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 22 | 10 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर ग्राम तामासिवनी के बाजार में कव्हर्डशेड निर्माण।(10x20m ) | 2635/26.06.2025 | 8.26 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 23 | 11 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर ग्राम तामासिवनी के बाजार में कव्हर्डशेड निर्माण। (15x25m ) | 2635/26.06.2025 | 14.88 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
| 24 | 12 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम बुरखा के साहू समाज भवन के पास कव्हर्डशेड निर्माण। (20x25m ) | 2635/26.06.2025 | 18.61 | 2745/11.02.2026 | 9 माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का लक्ष्य है। |

| क्र. | कार्य क्र. | वि.स.क्षेत्र | कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क/दिनांक | स्वीकृत लागत (रू.लाख में) | कार्यादेश क्र./दिनांक | निर्धारित समयावधि | व्यय (रू.लाख में) | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 13 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम पिपरौद में धान खरीदी केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण। | 2635/26.06.2025 | 13.50 | - | - | 0.00 | - | - | अनुबंध स्तर | दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, अनुबंध स्तर पर। |
| 26 | 14 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम सुन्दरकेरा में धान खरीदी केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य। | 2635/26.06.2025 | 13.50 | - | - | 0.00 | - | - | अनुबंध स्तर | दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, अनुबंध स्तर पर। |
| 27 | 15 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम चंपारण के धान खरीदी केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण। | 2635/26.06.2025 | 13.50 | - | - | 0.00 | - | - | अनुबंध स्तर | दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, अनुबंध स्तर पर। |
| 28 | 16 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर के ग्राम पोंड़ के धान खरीदी केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण। | 2635/26.06.2025 | 13.50 | - | - | 0.00 | - | - | अनुबंध स्तर | दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, अनुबंध स्तर पर। |
| 29 | 17 | अभनपुर | जिला रायपुर अंतर्गत वि.ख अभनपुर ग्राम तामासिवनी के धान खरीदी केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण। | 2635/26.06.2025 | 13.50 | - | - | 0.00 | - | - | अनुबंध स्तर | दिनांक 10.06.2026 को निविदा दर स्वीकृत, अनुबंध स्तर पर। |
| | | | योग 17 कार्य :– | | **331.21** | | | **0.00** | **0** | **12** | **5** | |
| | | आरंग | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | रायपुर उत्तर | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | रायपुर दक्षिण | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | धरसीवा | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | | | **योग (कुल 29 कार्य):–** | **499.50** | | | **18.09** | **1** | **15** | **13** | |

PLGMJ/2417/2026-Agriculture Section(Technical) I/513704/2026

| क्र. | कार्य क्र. | वि.स.क्षेत्र | कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति क/दिनांक | स्वीकृत लागत (रू.लाख में) | कार्यादेश क्र./दिनांक | निर्धारित समयावधि | व्यय (रू.लाख में) | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **मंडी समिति निधि** | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | रायपुर ग्रामीण | वि.स.क्षे.रायपुर ग्रामीण अंतर्गत मौलश्री विहार में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 326/13.06.2025 | 8.47 | 590/20.08.2025 | 4माह | 8.74 | पूर्ण | - | - | - |
| 31 | 2 | | वि.स.क्षे.रायपुर ग्रामीण अंतर्गत वि.खं. धरसींवा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 51 जोन क्रमांक 9 में सामुदायिक भवन के पास बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | 1101/23.02.2026 | 12.81 | 273/25.06.2026 | 6माह | 0.00 | - | प्रगतिरत् | - | कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के लक्ष्य है। |
| | | | **योग 02 कार्यः—** | | **21.28** | **0** | **0** | **8.74** | **0** | **0** | | |
| 32 | 1 | आरंग | कव्हर्ड शेड निर्माण भोथली | 522/09.01.2026 | 10.94 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 33 | 2 | | कव्हर्ड शेड निर्माण परसकोल | 522/09.01.2026 | 15.49 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 34 | 3 | | कव्हर्ड शेड निर्माण मुनगी | 522/09.01.2026 | 14.73 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 35 | 4 | | कव्हर्ड शेड निर्माण तोड़गांव | 522/09.01.2026 | 10.97 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 36 | 5 | | कव्हर्ड शेड निर्माण पीपरहट्टा | 522/09.01.2026 | 10.35 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 37 | 6 | | कव्हर्ड शेड निर्माण चंदखुरी | 522/09.01.2026 | 10.97 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 38 | 7 | | कव्हर्ड शेड निर्माण बहानाकाड़ी | 522/09.01.2026 | 9.63 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 39 | 8 | | कव्हर्ड शेड निर्माण सेमरिया | 522/09.01.2026 | 15.49 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 40 | 9 | | कव्हर्ड शेड निर्माण मुनरेठी | 522/09.01.2026 | 20.00 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| 41 | 10 | | कव्हर्ड शेड निर्माण भानसोज | 522/09.01.2026 | 10.94 | - | - | 0.00 | - | - | निविदा स्तर | निविदा स्तर |
| | | | **योग 10 कार्य :—** | | **129.51** | - | - | **0.00** | - | - | **10** | |
| | | रायपुर उत्तर | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | रायपुर पश्चिम | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | रायपुर दक्षिण | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | अभनपुर | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| | | धरसींवा | निरंक | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | | |
| | | | | (कुल 12 कार्य) :— | **150.79** | | | **8.74** | **1** | **1** | **10** | |
| (बोर्ड निधि + मंडी समिति निधि) के कार्यो का महायोग (कुल 41 कार्य) :— | | | | | **650.29** | **0.00** | **0.00** | **26.83** | **2** | **16** | **23** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 10-07-2026
11:36:29

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - सन्तानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 (क्र. 992) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वित्तीय वर्ष 2024–25 (राशि लाखों में)

| क. | विभाग का नाम | आदिम जाति उपयोजना (Tribal Sub- Plan) अंतर्गत संभागवार लैप्स/समर्पित राशि का आधिकारिक डेटा की जानकारी | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बस्तर संभाग | सरगुजा संभाग | बिलासपुर संभाग | रायपुर संभाग | दुर्ग संभाग | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कृषि | 1058.730 | 682.860 | 395.300 | 910.370 | 590.970 | बजट पुस्तिका में संभागवार बजट प्रावधान नहीं है, अतः संभाग के अंतर्गत अधीनस्थ जिलों को प्रदाय आबंटन के आधार पर जानकारी दी गई है। |
| 2 | उद्यानिकी | 230.250 | 423.960 | 189.210 | 3471.710 | 388.920 | – |
| 3 | पशुधन विकास | -94.060 | -84.430 | 4.070 | 1070.250 | 25.220 | बस्तर एवं सरगुजा संभाग अंतर्गत स्थापना मद में वेतन भत्तों में प्रावधान से अधिक राशि का व्यय हुआ है। |
| 4 | मत्स्य | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 5 | खाद्य नागरिक आपूर्ति | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | संभागवार/जिलेवार आबंटन जारी नहीं किया जाता है। |
| 6 | सहकारी संस्थाएं | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 7 | ग्रामीण विकास | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 8 | पंचायत | 0.000 | 10.280 | 0.000 | 2.300 | 1.890 | – |
| 9 | आदिम जाति विकास | -160.050 | 360.440 | -66.880 | 356.530 | 230.010 | – |
| 10 | जल संसाधन | 281.960 | 708.700 | 791.010 | 386.020 | 806.260 | – |
| 11 | ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | वर्ष 2024–25 में विभाग अंतर्गत आदिम जाति उपयोजना मद में प्रावधानित राशि रू. 311832.41 लाख के विरूद्ध राशि रू. 1900.07 लाख शासन को समर्पित किया गया। |
| 12 | ऊर्जा (क्रेडा) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | क्रेडा को संभागवार बजट प्रावधान/आबंटन प्राप्त नहीं होता है। |
| 13 | वाणिज्य एवं उद्योग | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | उद्योग संचालनालय में संभागवार राशि का बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल लैप्स/समर्पित राशि रू.84.73 लाख है। |
| 14 | भौमिकी एवं खनिकर्म | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 15 | ग्रामोद्योग – रेशम | 12.280 | 10.070 | 10.160 | 10.780 | 7.490 | – |
| 16 | ग्रामोद्योग – खादी | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | विभाग को शासन से संभागवार राशि प्राप्त नहीं होता है। |
| 17 | ग्रामोद्योग – हाथकरघा | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | विभाग को शासन से संभागवार राशि प्राप्त नहीं होता है। |
| 18 | हस्त शिल्प वि.बो. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 19 | माटी कला बोर्ड | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 20 | इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | संभागवार कुल बजट प्रावधान/आबंटन राशि रू..363.01 के विरूद्ध कुल लैप्स/ समर्पित टोकन राशि रू.0.01 लाख है। |
| 21 | वन | 891.420 | 3648.770 | 549.060 | 480.910 | 260.090 | वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन फंड ड्रावल सिस्टम (ई–कुबेर) भुगतान प्रणाली में तकनीकी कारणों से राशि समर्पित की गई तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में समर्पित राशि मे से कुछ राशि का पुनः आबंटन कर व्यय किया गया है। |
| 22 | समाज कल्याण | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 23 | खेल एवं युवा कल्याण | 11.040 | 11.200 | 0.650 | 113.500 | 2.150 | – |
| 24 | स्कूल शिक्षा | 1314.670 | 240.720 | 934.420 | 32635.910 | 0.000 | लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बचत राशि समय–सीमा में समर्पण किया गया है। |
| 25 | उच्च शिक्षा | 477.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 26 | चिकित्सा शिक्षा | 11279.390 | 10740.790 | 3116.470 | 0.000 | 0.000 | टी.एस.पी. मद में आबंटन एवं समर्पित राशि की जानकारी दी गई है। |
| 27 | जनशक्ति–रोजगार पक्ष | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 28 | प्रशिक्षण पक्ष | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 29 | तकनीकी शिक्षा | 199.950 | 93.980 | 0.040 | 7.620 | 0.000 | – |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग

| क्र. | विभाग का नाम | आदिम जाति उपयोजना (Tribal Sub- Plan) अंतर्गत संभागवार लैप्स/समर्पित राशि का आधिकारिक डेटा की जानकारी | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बस्तर संभाग | सरगुजा संभाग | बिलासपुर संभाग | रायपुर संभाग | दुर्ग संभाग | |
| 30 | स्वास्थ्य सेवायें | 38.790 | 273.610 | 31.160 | 43.740 | 43.250 | – |
| 31 | आयुर्वेद | 390.560 | 0.000 | 63.900 | 1554.060 | 0.000 | – |
| 32 | लो.स्वा.यांत्रिकी | 241.940 | 503.310 | 41.840 | 21.870 | 65.720 | वर्ष 2024–25 में विभाग अंतर्गत टी.एस.पी. मद में प्रावधानित राशि रू. 177290.21 लाख के विरूद्ध राशि रू.120597.22 लाख व्यय किया गया एवं राशि रू.56692.99 लाख समर्पित किया गया। |
| 33 | नगरीय प्रशासन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 34 | जनसंपर्क | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 35 | संस्कृति एवं राजभाषा | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 36 | पुरातत्व | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 37 | महिला एवं बाल विकास | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 38 | आर्थिक एवं सांख्यिकी | 35.380 | 18.750 | 8.000 | 8.680 | 8.640 | – |
| 39 | लोक निर्माण | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 40 | पुलिस | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 41 | विधि एवं विधायी | 6.073 | 6.997 | 8.688 | 5.616 | 5.050 | विगत वर्ष के लैप्स/ समर्पित राशि को चालू वित्त वर्ष में उपयोग की अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जा रहा है। |
| | योग | **16215.323** | **17700.007** | **6077.098** | **41079.866** | **2435.660** | |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

वित्तीय वर्ष 2025–26 (राशि लाखें में)

| क्र. | विभाग का नाम | आदिम जाति उपयोजना (Tribal Sub- Plan) अंतर्गत संभागवार लैप्स/समर्पित राशि का आधिकारिक डेटा की जानकारी | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बस्तर संभाग | सरगुजा संभाग | बिलासपुर संभाग | रायपुर संभाग | दुर्ग संभाग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | कृषि | 492.770 | 278.050 | 88.130 | 5164.060 | 70.770 | बजट पुस्तिका में संभागवार बजट प्रावधान नहीं है, अतः संभाग के अंतर्गत अधीनस्थ जिलों को प्रदाय आबंटन के आधार पर जानकारी दी गई है। |
| 2 | उद्यानिकी | 870.560 | 311.910 | 197.060 | 1221.040 | 253.480 | – |
| 3 | पशुधन विकास | 92.460 | 19.700 | 14.790 | 713.220 | 15.410 | – |
| 4 | मत्स्य | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 5 | खाद्य नागरिक आपूर्ति | 6000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | संभागवार/जिलेवार आबंटन जारी नहीं किया जाता है। |
| 6 | सहकारी संस्थाएं | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 7 | ग्रामीण विकास | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 8 | पंचायत | 41.000 | 65.440 | 211.390 | 58.730 | 50.930 | – |
| 9 | आदिम जाति विकास | 578.260 | 142.470 | 891.670 | 500.580 | 572.830 | – |
| 10 | जल संसाधन | 1931.400 | 1457.000 | 1489.630 | 77.630 | 175.130 | – |
| 11 | ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | वर्ष 2025–26 में विभाग अंतर्गत आदिम जाति उपयोजना मद में प्रावधानित राशि रू. 244317.45 लाख के विरूद्ध राशि रू.21736.04 लाख शासन को समर्पित किया गया। |
| 12 | ऊर्जा (क्रेडा) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | क्रेडा को संभागवार बजट प्रावधान/आबंटन प्राप्त नहीं होता है। |
| 13 | वाणिज्य एवं उद्योग | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | उद्योग संचालनालय में संभागवार राशि का बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल लैप्स/समर्पित राशि रू.254.73 लाख है। |
| 14 | भौमिकी एवं खनिकर्म | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 15 | ग्रामोद्योग – रेशम | 84.380 | 59.650 | 31.520 | 40.470 | 0.000 | – |
| 16 | ग्रामोद्योग – खादी | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | विभाग को शासन से संभागवार राशि प्राप्त नही होता है। |
| 17 | ग्रामोद्योग – हाथकरघा | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | विभाग को शासन से संभागवार राशि प्राप्त नही होता है। |
| 18 | हस्त शिल्प वि.बो. | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | कोण्डागांव काट सिटी की स्थापना |
| 19 | माटी कला बोर्ड | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 20 | इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | संभागवार कुल बजट प्रावधान/आबंटन राशि रू..0.01 के विरूद्ध कुल लैप्स/समर्पित टोकन राशि रू.0.01 लाख है। |
| 21 | वन | 167.530 | 881.320 | 130.670 | 297.220 | 63.570 | वित्तीय वर्ष 2025–26 में समर्पित राशि में से कुछ राशि का वित्तीय वर्ष 2026–27 में पुनः आबंटन किया गया है। |
| 22 | समाज कल्याण | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 23 | खेल एवं युवा कल्याण | 15.830 | 6.490 | 0.770 | 0.000 | 0.380 | – |
| 24 | स्कूल शिक्षा | 0.000 | 0.000 | 2055.530 | 53369.000 | 0.000 | लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बचत राशि समय–सीमा में समर्पण किया गया है। |
| 25 | उच्च शिक्षा | 1030.000 | 325.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 26 | चिकित्सा शिक्षा | 13072.920 | 6062.760 | 9857.480 | 0.000 | 0.000 | टी.एस.पी. मद में आबंटन एवं समर्पित राशि की जानकारी दी गई है। |
| 27 | जनशक्ति–रोजगार पक्ष | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 28 | प्रशिक्षण पक्ष | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 29 | तकनीकी शिक्षा | 217.630 | 88.690 | 18.690 | 2.900 | 0.000 | – |
| 30 | स्वास्थ्य सेवायें | 25.900 | 195.400 | 25.450 | 52.120 | 56.200 | – |
| 31 | आयुर्वेद | 426.030 | 369.540 | 51.080 | 865.340 | 0.000 | – |
| 32 | लो.स्वा.यांत्रिकी | 8.920 | 2.230 | 0.000 | 0.970 | 1.280 | वर्ष 2024–25 में विभाग अंतर्गत टी.एस.पी. मद में प्रावधानित राशि रू. 151445.34 लाख के विरूद्ध राशि रू.20485.68 लाख व्यय किया गया एवं राशि रू.130959.66 लाख समर्पित किया गया। |
| 33 | नगरीय प्रशासन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 34 | जनसंपर्क | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 35 | संस्कृति एवं राजभाषा | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 36 | पुरातत्व | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 37 | महिला एवं बाल विकास | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 38 | आर्थिक एवं सांख्यिकी | 24.140 | 24.570 | 9.430 | 9.170 | 6.830 | – |
| 39 | लोक निर्माण | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 40 | पुलिस | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – |
| 41 | विधि एवं विधायी | 1.168 | 46.305 | 34.391 | 2.203 | 3.396 | विगत वर्ष के लैप्स/ समर्पित राशि को चालू वित्त वर्ष में उपयोग की अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जा रहा है। |
| | योग | 25089.898 | 10336.525 | 15107.681 | 62374.653 | 1270.206 | |

अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट - अन्ठानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 (क्र. 999) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र | अवधि | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | प्राप्त आवेदन | | | वितरित वन अधिकार पत्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सामुदायिक वन अधिकार | सामुदायिक वन संसाधन अधिकार | योग | सामुदायिक वन अधिकार | सामुदायिक वन संसाधन अधिकार | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2023-24 | लोरो | लोरो | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2023-24 | कोदोपारा | कोदोपारा | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2023-24 | सन्ना | सन्ना | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2023-24 | खेड़ार | खेड़ार | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 2023-24 | चेपराकोना | हर्राडीपा | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 2023-24 | मैना | मैना | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 2023-24 | फुलझर | फुलझर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 2023-24 | उकई | उकई | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 2023-24 | इचौली | इचौली | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 2023-24 | एकम्बा | एकम्बा | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 2023-24 | सोनमुठ | भंवर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2023-24 | खखरा | खखरा | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 2023-24 | चम्पा | चम्पा | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 2023-24 | कवई | कवई | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 2024-25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2025-26 | वार्ड सभा कुनकुरी | कुनकुरी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 2026-27 (15 जून 2026 तक) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग :- | | | | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 15 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - निन्यानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क्र. 1004) की जानकारी

प्रपत्र – "अ"

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में प्राप्त राशि एवं आबंटन के अनुरूप व्यय राशि का वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी

(राशि लाखों में)

| वर्ष | जिला | विकासखण्ड का नाम | प्राप्त राशि | व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023-24 | बस्तर | बकावण्ड | 21.88 | 18.25 |
| 2023-24 | बस्तर | बास्तानार | 101.15 | 14.23 |
| 2023-24 | बस्तर | बस्तर | 104.96 | 70.97 |
| 2023-24 | बस्तर | दरभा | 179.57 | 52.31 |
| 2023-24 | बस्तर | तोकापाल | 97.90 | 51.59 |
| 2023-24 | बस्तर | जगदलपुर | 204.16 | 149.28 |
| 2023-24 | बस्तर | लोहण्डीगुड़ा | 207.63 | 81.44 |
| 2023-24 | कोण्डागांव | कोण्डागांव | 65.29000 | 34.41 |
| 2023-24 | कोण्डागांव | माकड़ी | 363.66585 | 285.47 |
| 2023-24 | कोण्डागांव | फरसगांव | 241.98574 | 231.06 |
| 2023-24 | कोण्डागांव | केशकाल | 270.73217 | 206.02 |
| 2023-24 | कोण्डागांव | बड़ेराजपुर | 168.09836 | 162.83 |
| 2023-24 | दन्तेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | 182.18 | 177.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | दन्तेवाड़ा | गीदम | 482.41 | 136.40 |
| 2023-24 | दन्तेवाड़ा | कुआकोण्ड़ा | 230.99 | 67.76 |
| 2023-24 | दन्तेवाड़ा | कटेकल्याण | 26.22 | 23.52 |
| 2023-24 | सुकमा | कोण्टा | 278.86 | 11.98 |
| 2023-24 | सुकमा | सुकमा | 67.18 | 53.95 |
| 2023-24 | सुकमा | छिंदगढ़ | 23.52 | 11.99 |
| 2023-24 | बीजापुर | बीजापुर | 394.25 | 237.27 |
| 2023-24 | बीजापुर | भैरमगढ़ | 885.51 | 481.49 |
| 2023-24 | बीजापुर | भोपालपटनम् | 393.18 | 157.87 |
| 2023-24 | बीजापुर | उसूर | 681.94 | 221.04 |
| 2023-24 | नारायणपुर | नारायणपुर | 4.71 | 3.65 |
| 2023-24 | नारायणपुर | ओरछा | 87.61 | 4.22 |
| 2023-24 | कांकेर | कांकेर | 122.43 | 9.70 |
| 2023-24 | कांकेर | नरहरपुर | 504.29 | 262.23 |
| 2023-24 | कांकेर | चारामा | 34.67 | 29.55 |
| 2023-24 | कांकेर | भानुप्रतापपुर | 153.63 | 62.15 |
| 2023-24 | कांकेर | दुर्गूकोंदल | 291.20 | 39.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | कांकेर | कोयलीबेडा | 215.41 | 33.32 |
| 2023-24 | कांकेर | अंतागढ़ | 120.02 | 29.23 |
| 2023-24 | गरियाबंद | गरियाबंद | 212.84 | 165.10 |
| 2023-24 | गरियाबंद | छुरा | 116.17 | 93.52 |
| 2023-24 | गरियाबंद | मैनपुर | 283.77 | 201.73 |
| 2023-24 | गरियाबंद | फिंगेश्वर | 0.58 | 0.58 |
| 2023-24 | गरियाबंद | देवभोग | 0.20 | 0.20 |
| 2023-24 | धमतरी | नगरी | 244.39 | 186.68 |
| 2023-24 | धमतरी | मगरलोड | 11.39 | 11.29 |
| 2023-24 | बालोद | डौण्डी | 52.19 | 38.82 |
| 2023-24 | बालोद | डौण्डीलोहारा | 102.66 | 87.66 |
| 2023-24 | बालोद | बालोद | 63.18 | 54.03 |
| 2023-24 | बालोद | गुरूर | 108.32 | 96.36 |
| 2023-24 | मोहला–मानपुर–अं.चौकी | मानपुर | 98.86 | 40.13 |
| 2023-24 | मोहला–मानपुर–अं.चौकी | मोहला | 8.38 | 6.66 |
| 2023-24 | मोहला–मानपुर–अं.चौकी | अं.चौकी | 2.17 | 2.02 |
| 2023-24 | राजनांदगांव | डोंगरगांव,डोंगरगढ | 0.76 | 0.65 |
| 2023-24 | राजनांदगांव | छुरिया | 0.38 | 0.36 |
| 2023-24 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | 2.64 | 0.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही | गौरेला | 247.05 | 194.37 |
| 2023-24 | गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही | पेण्ड्रा | 44.66 | 32.10 |
| 2023-24 | गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही | मरवाही | 16.38 | 16.18 |
| 2023-24 | सरगुजा | अम्बिकापुर | 210.44 | 88.72 |
| 2023-24 | सरगुजा | लुण्ड्रा | 103.22 | 79.97 |
| 2023-24 | सरगुजा | बतौली | 96.75 | 55.67 |
| 2023-24 | सरगुजा | सीतापुर | 27.25 | 25.17 |
| 2023-24 | सरगुजा | मैनपाट | 29.06 | 21.45 |
| 2023-24 | सरगुजा | लखनपुर | 259.83 | 241.46 |
| 2023-24 | सरगुजा | उदयपुर | 142.55 | 136.16 |
| 2023-24 | सूरजपुर | प्रतापपुर | 41.70 | 34.33 |
| 2023-24 | सूरजपुर | ओड़गी | 172.81 | 171.63 |
| 2023-24 | सूरजपुर | भैयाथान | 24.78 | 17.19 |
| 2023-24 | सूरजपुर | सूरजपुर | 35.44 | 35.36 |
| 2023-24 | सूरजपुर | रामानुजनगर | 120.03 | 113.08 |
| 2023-24 | सूरजपुर | प्रेमनगर | 198.98 | 175.37 |
| 2023-24 | बलरामपुर | रामचन्द्रपुर | 314.49 | 126.48 |
| 2023-24 | बलरामपुर | बलरामपुर | 386.92 | 270.34 |
| 2023-24 | बलरामपुर | शंकरगढ़ | 239.63 | 150.36 |
| 2023-24 | बलरामपुर | कुसमी | 376.51 | 285.91 |
| 2023-24 | बलरामपुर | वाड्रफनगर | 397.21 | 268.67 |
| 2023-24 | कोरबा | कोरबा | 80.45 | 40.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | कोरबा | कटघोरा | 0.69 | 0.69 |
| 2023-24 | कोरबा | करतला | 13.18 | 13.02 |
| 2023-24 | कोरबा | पाली | 9.52 | 9.52 |
| 2023-24 | कोरबा | पोंड़ी उपरोड़ा | 22.81 | 22.81 |
| 2023-24 | रायगढ | धरमजयगढ | 344.95 | 164.41 |
| 2023-24 | रायगढ | लैलूंगा | 267.97 | 120.42 |
| 2023-24 | रायगढ | तमनार | 214.40 | 94.96 |
| 2023-24 | रायगढ | घरघोडा | 109.68 | 75.33 |
| 2023-24 | रायगढ | खरसिया | 316.98 | 61.45 |
| 2023-24 | रायगढ | रायगढ | 2.24 | 2.24 |
| 2023-24 | जशपुर | पत्थलगांव | 1.16 | 1.16 |
| 2023-24 | जशपुर | जशपुर | 97.91 | 94.89 |
| 2023-24 | जशपुर | फरसाबहार | 166.66 | 100.24 |
| 2023-24 | जशपुर | दुलदुला | 95.33 | 85.85 |
| 2023-24 | जशपुर | कुनकुरी | 107.95 | 97.37 |
| 2023-24 | जशपुर | बगीचा | 238.68 | 206.05 |
| 2023-24 | जशपुर | मनोरा | 178.65 | 31.13 |
| 2023-24 | जशपुर | कासांबेल | 9.00 | 9.00 |
| 2023-24 | कोरिया | बैकुण्ठपुर | 33.13 | 33.13 |
| 2023-24 | कोरिया | सोनहत | 162.28 | 63.95 |
| 2023-24 | एम.सी.बी | मनेन्द्रगढ़ | 11.64 | 11.64 |
| 2023-24 | एम.सी.बी | खड़गवां | 6.04 | 6.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | एम.सी.बी | भरतपुर | 35.94 | 35.94 |
| 2023-24 | कबीरधाम | बोड़ला | 213.33 | 114.83 |
| 2023-24 | कबीरधाम | पंडरिया | 62.50 | 50.11 |
| 2023-24 | कबीरधाम | कवर्धा | 49.92 | 36.96 |
| 2023-24 | कबीरधाम | स.लोहारा | 55.99 | 3.01 |
| 2023-24 | महासमुन्द | पिथौरा | 115.73 | 68.71 |
| 2023-24 | महासमुन्द | बसना | 52.97 | 52.97 |
| 2023-24 | महासमुन्द | महासमुन्द | 4.00 | 0.00 |
| 2023-24 | रायपुर | अभनपुर | 200.00 | 100.00 |
| 2023-24 | बिलासपुर | कोटा | 65.76 | 13.32 |
| 2023-24 | मुंगेली | लोरमी | 2.00 | 2.00 |
| 2023-24 | जांजगीर चांपा | अकलतरा | 0.25 | 0.25 |
| 2023-24 | जांजगीर चांपा | बलौदा | 0.25 | 0.25 |
| 2023-24 | बलौदाबाजार | कसडोल | 4.00 | 0.00 |
| 2023-24 | सक्ती | सक्ती | 15.00 | 15.00 |
| 2023-24 | खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई | छुईखदान | 100.00 | 0.00 |
| | **योग** | | **15470.73** | **8777.28** |
| 2024-25 | बस्तर | बस्तर | 94.50 | 33.33 |
| 2024-25 | बस्तर | तोकापाल | 94.50 | 5.40 |
| 2024-25 | बस्तर | लोहण्डीगुड़ा | 94.50 | 4.00 |
| 2024-25 | कोण्डागांव | माकड़ी | 94.50 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | कोण्डागांव | केशकाल | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | दन्तेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | 189.00 | 3.86 |
| 2024-25 | दन्तेवाड़ा | गीदम | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | दन्तेवाड़ा | कुआकोण्ड़ा | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | सुकमा | कोण्टा | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | बीजापुर | बीजापुर | 198.00 | 0.00 |
| 2024-25 | बीजापुर | भैरमगढ़ | 787.50 | 0.00 |
| 2024-25 | बीजापुर | भोपालपटनम् | 297.00 | 0.00 |
| 2024-25 | बीजापुर | उसूर | 391.50 | 0.00 |
| 2024-25 | नारायणपुर | ओरछा | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | कांकेर | कांकेर | 99.00 | 0.00 |
| 2024-25 | कांकेर | नरहरपुर | 391.50 | 12.65 |
| 2024-25 | बालोद | गुरूर | 94.50 | 51.99 |
| 2024-25 | मोहला–मानपुर–अं.चौकी | मानपुर | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | गौरेला | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | सरगुजा | अम्बिकापुर | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | सरगुजा | लुण्ड्रा | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | सूरजपुर | ओड़गी | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | सूरजपुर | रामानुजनगर | 94.50 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | सूरजपुर | प्रेमनगर | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | बलरामपुर | कुसमी | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | बलरामपुर | वाड्रफनगर | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | रायगढ | धरमजयगढ | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | रायगढ | लैलूंगा | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | रायगढ | तमनार | 189.00 | 0.00 |
| 2024-25 | रायगढ | घरघोडा | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | जशपुर | जशपुर | 94.50 | 84.81 |
| 2024-25 | जशपुर | फरसाबहार | 189.00 | 100.24 |
| 2024-25 | जशपुर | दुलदुला | 94.50 | 81.05 |
| 2024-25 | कोरिया | सोनहत | 94.50 | 70.59 |
| 2024-25 | कबीरधाम | बोड़ला | 94.50 | 0.00 |
| 2024-25 | रायपुर | अभनपुर | 1906.43 | 1906.43 |
| | **योग** | | **7661.93** | **2354.35** |
| 2025–26 | वर्ष 2025–26 में प्राप्त राशि रू. 4232.43 लाख का आबंटन जारी किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। | | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल योग** | | **23132.66** | **11131.63** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र– "ब"

रायपुर संभाग अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत विगत 03 (वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में जिलों द्वारा उच्च कार्यालय को प्रेषित कार्ययोजना की जानकारी

(राशि लाखों में)

| क्र | वर्ष | जिला | विकास खण्ड | जिलों द्वारा उच्च कार्यालय को प्रेषित कार्य योजना की कुल राशि | जिलों द्वारा उच्च कार्यालय को प्रेषित कार्ययोजना अन्तर्गत कार्य की संख्या | जिलों द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुरूप स्वीकृत कार्य की संख्या | प्राप्त आबंटन | व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 2023-24 | धमतरी | मगरलोड | 28.17000 | 13 | 1 | 11.39 | 11.29 |
| | | | नगरी | 1365.60000 | 28 | 18 | 124.85 | 120.24 |
| | | **योग** | | **1393.77000** | **41** | **19** | **136.24** | **131.53** |
| 2 | 2023-24 | गरियाबंद | गरियाबंद | 2563.98050 | 6595 | 29 | 206.36 | 164.62 |
| | | | छुरा | 1442.34090 | 4946 | 18 | 113.70 | 92.43 |
| | | | मैनपुर | 1174.08450 | 3294 | 39 | 277.87 | 200.33 |
| | | | फिंगेश्वर | 133.06000 | 1154 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | देवभोग | 8.01000 | 495 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | **योग** | | **5321.47590** | **16484** | **86** | **597.93** | **457.38** |
| 3 | 2023-24 | महासमुंद | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-24 | रायपुर | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2023-24 | बलौदाबाजार | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | **योग (2023-24)** | | **6715.24590** | **16525** | **105** | **734.17** | **588.91** |
| 1 | 2024-25 | धमतरी | नगरी | 1548.34000 | 136 | वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली से नवीन कार्य स्वीकृत नहीं है। पूर्व वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कार्यों की शेष राशि प्राप्त हुई है। | | |
| | | | मगरलोड | 521.96000 | 7 | | | |
| | | **योग** | | **2070.30000** | **143** | | | |
| 2 | 2024-25 | गरियाबंद | गरियाबंद | 2092.89200 | 19077 | | | |
| | | | छुरा | 485.87800 | 14308 | | | |
| | | | मैनपुर | 1164.64780 | 10969 | | | |
| | | | फिंगेश्वर | 59.00000 | 3338 | | | |
| | | **योग** | | **3802.41780** | **47692** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-25 | महासमुंद | महासमुंद | 821.17000 | 344 | वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली से नवीन कार्य स्वीकृत नहीं है। पूर्व वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कार्यों की शेष राशि प्राप्त हुई है। | | |
| | | | बागबाहरा | 820.00000 | 340 | | | |
| | | | पिथौरा | 1230.00000 | 458 | | | |
| | | | बसना | 820.00000 | 200 | | | |
| | | | सरायपाली | 820.00000 | 200 | | | |
| | | **योग** | | **4511.17000** | **1542** | | | |
| 4 | 2024-25 | रायपुर | - | 0.00000 | 0 | | | |
| 5 | 2024-25 | बलौदाबाजार | - | 0.00000 | 0 | | | |
| | | **योग (2024-25)** | | **10383.88780** | **49377** | | | |
| 1 | 2025-26 | धमतरी | धमतरी | 2194.10000 | 70 | 0 | वर्ष 2025–26 में प्राप्त राशि रू. 4232.43 लाख का आबंटन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। | |
| | | | नगरी | 12334.27000 | 744 | 28 | | |
| | | | मगरलोड | 1310.78000 | 215 | 3 | | |
| | | **योग** | | **15839.15000** | **1029** | **31** | | |
| 2 | 2025-26 | गरियाबंद | गरियाबंद | 6846.77900 | 3730 | 11 | | |
| | | | छुरा | 5605.43000 | 108 | 9 | | |
| | | | मैनपुर | 80956.08000 | 279 | 5 | | |
| | | | फिंगेश्वर | 75.80000 | 15 | 1 | | |
| | | | देवभोग | 87.40000 | 14 | 0 | | |
| | | **योग** | | **93571.48900** | **4146** | **26** | | |
| 3 | 2025-26 | महासमुंद | महासमुन्द | 1442.60000 | 891 | 0 | | |
| | | | बागबाहरा | 1879.18000 | 609 | 2 | | |
| | | | पिथौरा | 1897.10000 | 592 | 2 | | |
| | | | बसना | 507.70000 | 45 | 0 | | |
| | | | सरायपाली | 347.80000 | 32 | 0 | | |
| | | योग | | **6074.38000** | **2169** | **4** | | |
| 4 | 2025-26 | रायपुर | धरसींवा | 944.33000 | 1 | 1 | | |
| 5 | 2025-26 | बलौदाबाजार | - | 0.00000 | 0 | 0 | | |
| | | योग (2025-26) | | **116429.34900** | **7345** | **62** | | |
| | महा योग (2023–24, 2024-25 एवं 2025–26) | | | **133528.48270** | **73247** | **167** | **734.17** | **588.9110** |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

**परिशिष्ट - सौ**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 85 (क्र. 1012) की जानकारी**

प्रपत्र—अ

## छत्तीसगढ़ कलाकार श्रेणी निर्धारण की सूची

ग्रेड - A+++ (पद्मविभूषण/पद्मभूषण से सम्मानित)

| सरल क्रमांक | लोक कलाकार का नाम | संस्था/ विधा |
|---|---|---|
| 1 | पद्मविभूषण श्रीमती तीजनबाई | पंडवानी |

ग्रेड - A++ (पद्मश्री से सम्मानित)

| | | |
|---|---|---|
| 2 | पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी.भारती | भजन |
| 3 | पद्मश्री डॉ.सुरेन्द्र दुबे | हास्य कवि |
| 4 | पद्मश्री श्री अनुज शर्मा | लोक कला |
| 5 | पद्मश्री श्रीमती ममता चंद्राकर | लोककला मंच |
| 6 | पद्मश्री श्री मदन चौहान | भजन |
| 7 | पद्मश्री श्री अनूप रंजन पाण्डेय | लोक कला |
| 8 | पद्मश्री डॉ. राधेश्याम बारले | पंथी नृत्य |

ग्रेड - A+

| | | |
|---|---|---|
| 9 | सुश्री रजनी रजक | लोकमंच |
| 10 | श्रीमती उषा बारले | लोकमंच |
| 11 | श्रीमती रेखा जलक्षत्रीय | लोकमंच |
| 12 | श्री दीपक चन्द्राकर | लोकमंच |
| 13 | श्री रिखी क्षत्रीय | लोकमंच |
| 14 | श्री प्रभंजय चतुर्वेदी | भजन |
| 15 | डॉ. पीसी लाल यादव | लोकमंच |
| 16 | श्री मिलाप दास बंजारे | पंथी नृत्य |
| 17 | श्री हृदय प्रकाश अनंत | लोक गायक |
| 18 | श्री गोकरण दास बघेल | पंथी नृत्य |
| 19 | श्री दिनेश कुमार जांगड़े | पंथी |
| 20 | श्री कुलेश्वर ताम्रकार | लोक गायक छत्तीसगढ़ी |
| 21 | श्री अनिल कुमार गढ़ेवाल, तिफरा-बिलासपुर | लोक श्रृंगार भारती गेडी नृत्य |
| 22 | श्री सुनील तिवारी, महावीर नगर, रायपुर | रंगझांझर लोक कला मंच |
| 23 | श्रीमती पूनम विराट तिवारी, राजनांदगांव | रंग छत्तीसा लोककला मंच |
| 24 | श्री राकेश तिवारी | चिन्हारी लोककला परिषद |
| 25 | श्रीमती शांति बाई चेलक | पण्डवानी |
| 26 | श्रीमती रेखा देवार | देवार गीत |
| 27 | श्रीमती वसंती वैष्णव | कत्थक |

ग्रेड - A

| | | |
|---|---|---|
| 28 | श्री कृष्ण कुमार पाटिल | भजन |
| 29 | श्री दुष्यंत कुमार द्विवेदी | पंडवानी |
| 30 | श्री वेदप्रकाश माहेश्वरी | पंथी |

अधिकारी

| | | |
|---|---|---|
| 33 | श्री विष्णु कश्यप | लोकमंच |
| 34 | श्री नितिन दुबे | लोकमंच |
| 35 | सुश्री ममता अहार | नाट्य मंचन |
| 36 | श्री सुनील बंसोड़ | लोकमंच |
| 37 | श्रीमती प्रभा यादव | पंडवानी |
| 38 | श्री चन्द्रभूषण वर्मा | लोकमंच |
| 39 | श्री खेमुदास साहू | नाचा |
| 40 | श्री शरद अग्रवाल | गायक |
| 41 | श्री महेश कुमार वर्मा | लोकमंच |
| 42 | श्री घनश्याम महानंद | लोकमंच |
| 43 | सुश्री पलक तिवारी | कत्थक |
| 44 | श्री ननकी ठाकुर | गायन |
| 45 | श्रीमती सीमा कौशिक | लोकमंच |
| 46 | कु. गरिमा दिवाकर | लोकमंच |
| 47 | श्री तिलक राजा साहू | लेखन, निर्देशन, गायन |
| 48 | श्री दुष्यंत हरमुख | गायन |
| 49 | श्री चन्द्रकुमार बंधवारे (चंदन बांधे), मौहागांव,रायपुर | सुरमयी लोक दर्पण लोकमंच |
| 50 | श्री जैनु राम सलाम, नयानार, नारायणपुर | ककसार नृत्य दल |
| 51 | श्री राकेश शर्मा | सूफी गजल गायन |
| 52 | सुश्री आर्या नंदे | ओड़िसी नृत्य |
| 53 | श्रीमती ज्योतिश्री बोहिदार वैष्णव | कत्थक |

ग्रेड - B+

| | | |
|---|---|---|
| 54 | श्री रामाधार लहरी | लोकमंच |
| 55 | श्रीमती पुष्पा साहू | लोकमंच |
| 56 | श्री राजकुमार साहू | - |
| 57 | श्री लालजी श्रीवास | लोकमंच |
| 58 | श्री मनोज आडिल | लोकमंच |
| 59 | सुश्री किरन भारती | लोकमंच |
| 60 | श्री मनोज कुमार साहू | लोकमंच |
| 61 | श्री पुरानिक साहू | लोकमंच |
| 62 | श्री धन्नू लाल साहू | लोकमंच |
| 63 | श्री भगवती प्रसाद साहू | गीतकार |
| 64 | श्री आनंद निषाद | लोकमंच |
| 65 | श्री बिरेन्द्र कुमार टंडन | पंथी नृत्य |
| 66 | श्री लीलाधर साहू | लोकमंच |
| 67 | श्री रूपराय नेताम | मादरी |
| 68 | श्री तुषान्त बारले | लोकमंच |
| 69 | कु. दीपशिखा श्रीवास | कलश नृत्य |
| 70 | श्री जितेन्द्र कुमार साहू | संगीतकार |
| 71 | श्री राजेन्द्र साहू | लोकमंच |
| 72 | श्री सुरेश कुमार ठाकुर | भजन |
| 73 | श्री स्वर्ण कुमार साहू | नाचा |
| 74 | श्री अमर श्रीवास | लोकमंच |



अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
[illegible] भवन, अटल नगर,

| | | |
|---|---|---|
| 75 | श्री पुनउ राम साहू | लोकमंच |
| 76 | श्रीमती इंदिरा बांई जांगड़े | पंडवानी |
| 77 | श्री भूपेन दास साहू | नाचा |
| 78 | श्री आरती बारले | लोकमंच |
| 79 | श्री परमेश्वर | रंगमंच |
| 80 | श्री भूपेन्द्र कुमार चाणक्य | लोकमंच |
| 81 | डॉ. पुरूषोत्तम चन्द्राकर | लोकमंच |
| 82 | श्री भगत गुलेरी | गायन |
| 83 | कु. स्वर्णा दिवाकर | लोकमंच |
| 84 | श्रीमती प्रतिमा बारले | पंडवानी |
| 85 | श्री उत्तम देवहरे | पंथी नृत्य |
| 86 | श्री ललित सिंह ठाकुर | लोक रामायण |
| 87 | श्री निजाम कन्हारपुरिया | लोक संगीत गायन |
| 88 | श्री महादेव हिरवानी | गायक/लोक कला मंच |
| 89 | श्री गौतम चौबे | लोकसंगीत नृत्य गीत नाटक |
| 90 | श्री देवेन्द्र कुमार देशमुख | संचालक, निर्देशन, अभिनय |
| 91 | श्रीमती सावित्री कहार | लोकगीत गायन |
| 92 | श्री राजेन्द्र रंगीला | लोक कला मंच |
| 93 | श्री संतोष कुमार घोरबंधे | लोक कला सांस्कृतिक |
| 94 | सुश्री अमृता बारले | लोक कला मंच |
| 95 | श्री हिलेन्द्र ठाकुर | लोकमंच |
| 96 | श्री गोविन्द कुमार सोनवानी | गायक |
| 97 | श्री राजेश राजपूत, मुरमंदा धमधा, जिला दुर्ग | मया के छांव लोककला मंच |
| 98 | श्री पुनाराम यादव, मोहरेंगा, धमधा, जिला दुर्ग | जय महाकाल राउत नाचा |
| 99 | श्रीमती मीना साहू, जामगांव आर, रनचिरई, बालोद | जय गंगा मैया पंडवाणी |
| 100 | श्री कैलान बर्रे, लहँगा, जिला दुर्ग | लालजी बर्रे स्मृति पंथी पार्टी |
| 101 | श्री संतोष राम दिवाकर, कोटा, जिला रायपुर | सुगम संगीत एवं लोकगीत |
| 102 | श्री भारत भूषण परगनिहा, भिलाई, जिला दुर्ग | लोकतरंग लोकमंच |
| 103 | कु. दुर्गा साहू, निनवां किरना, जिला रायपुर | जय दुर्गा पंडवानी |
| 104 | सुश्री किरण शर्मा, प्रोफेसर कालेनी, रायपुर | लोक झंकार लोक कला मंच |
| 105 | श्री तेजराम साहू | लोकमंच |
| 106 | श्रीमती ममता शिन्दे | लोकमंच |
| 107 | श्री नासिर खान | भजन, गजल |
| 108 | श्री गोरेलाल बर्मन | लोकमंच |
| 109 | श्रीमती निर्मला ठाकुर (बेलचंदन) | लोकगायिका लोकमंच |
| 110 | श्री पुनाराम साहू | लोकमंच |
| 111 | श्री तरूण निषाद | लोकमंच |
| 112 | श्री मनमोहन सिंह ठाकुर | अभिनेता,सिंगर, लेखक |
| 113 | कु. आरू साहू | लोकमंच |

ग्रेड - B

| | | |
|---|---|---|
| 114 | श्री रतन लाल सोनवानी | गायन |
| 115 | श्री तुलसी राम निषाद | नाचा |
| 116 | श्री विजय चन्द्राकर, धमतरी | लोकमंच |



अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,

| | | |
|---|---|---|
| 117 | श्री जगदीश प्रसाद उइके | लोक नाट्य |
| 118 | श्री हरिशचन्द्र यादव | नाटक |
| 119 | श्री नरेश कोशले | लोकमंच |
| 120 | श्री देवेन्द्र निर्मलकर | लोक गायक |
| 121 | श्री अभिषेक सोनकर | लोकमंच |
| 122 | सुश्री दीपिका महानंद (पिंकी साहू) | लोकमंच |
| 123 | श्री दानेश्वर गजपाल (दानू गजपाल) | लोकमंच |
| 124 | सुश्री बबीता विश्वास | भजन |
| 125 | श्री राकेश साहू | लोकमंच |
| 126 | श्री महेश्वर प्रसाद साहू | लोकमंच |
| 127 | श्री संतोष टाकुर | लोकमंच |
| 128 | श्री पुसउराम बंजारे | पंडवानी |
| 129 | श्री राम लल्लू पाण्डेय | लोक गायक |
| 130 | श्री रामअवतार चंद्राकर | लोकमंच |
| 131 | सुश्री उर्वशी साहू | लोकमंच |
| 132 | श्री ऋषि कुमार | पंथी नृत्य |
| 133 | श्री सोहन लाल सिन्हा | लोकमंच |
| 134 | श्री टीकम सिह पटेल | लोकमंच |
| 135 | श्री राजू यादव | नाचा |
| 136 | श्री संतोष कुमार यादव | गायन |
| 137 | श्री युगल किशोर साहू | लोकमंच |
| 138 | श्री शिवा जांगड़े | गायक |
| 139 | श्री थनवार निषाद 'सचिन' | लोकमंच |
| 140 | श्री नरेन्द्र कुमार साहू | लोकमंच |
| 141 | श्री संतोष कुमार सारथी | नाटक |
| 142 | श्रीमती अमृता साहू | पंडवानी |
| 143 | श्री द्वारिका बर्मन | पंथी |
| 144 | सुश्री अंजली वर्मा | नृत्य |
| 145 | श्री सतानंद बंजारे | पंथी |
| 146 | श्री अर्जुन यादव | लोकमंच |
| 147 | श्री विष्णु प्रसाद साहू | पंडवानी |
| 148 | श्री संतोष राम धनवार | करमा |
| 149 | श्री मनोज सेन | लोकमंच |
| 150 | श्री छोटे लाल साहू | लोकमंच |
| 151 | सुश्री मनीषा गंधर्व | लोक कला मंच |
| 152 | श्रीमती उपासना वैष्णव | लोकमंच |
| 153 | श्री भिनेश देवांगन | गायन |
| 154 | श्री राजकुमार यादव | लोकमंच |
| 155 | श्री किस्मत भारतद्वाज | लोकमंच |
| 156 | श्री राकेश सेन | लोकमंच |
| 157 | श्री हेमसिंग साहू | रामधुनी गायन |
| 158 | श्री गजेन्द्र नारायण साहू | मानस गायन |
| 159 | श्री महेश्वर कुर्रे | लोकमंच |
| 160 | श्री दीपक महोबिया | लोक संगीत |



अनुभाग अधिकारी
कृति विभाग, मंत्रालय,
अटल नगर,

| | | |
|---|---|---|
| 161 | सुश्री जिया रानी | लोकमंच |
| 162 | श्री जयनारायण किशोर | लोकगीत |
| 163 | श्री अश्वनी चौहान | लोककला मंच |
| 164 | श्री नरेन्द्र जलक्षत्रिय | लोक कला मंच |
| 165 | डॉ. छाया प्रकाश जैन | गायन |
| 166 | श्री राकेश साहू | तबला वादन |
| 167 | श्री दिलीप नवरत्न | लोक मंच गायन |
| 168 | सुश्री बैजंती यादव | गायन |
| 169 | श्री संजय कुमार नारंग | गायन |
| 170 | श्री केशव राम यादव | राउत नाचा |
| 171 | श्री पप्पू चन्द्राकर (लेवेन्द्र चन्द्राकर) | हास्य |
| 172 | श्री रूपेश कुमार बारले, भिलाई-कोहका, दुर्ग | सतनाम के धारा पंथी पार्टी |
| 173 | श्री तोष दास साहू, मचानपारा, राजनांदगांव | रजनीगंधा लोकमंच |
| 174 | श्री रविन्दर सिंह, खुरसूल गब्दी, जिला बालोद | खुरसूल पंथी पार्टी |
| 175 | श्री शिव नारायण (शिवजी घृतलहरे),मांढ़र(ब),बलौदाबाजार | सुर सरिता लोकमंच |
| 176 | श्रीमती त्रिवेणी साहू, शक्तिपारा उरकुरा, रायपुर | आदर्श पंडवानी ग्रंथ मंडली |
| 177 | श्रीमती खेमबाई निषाद, राजपुर छुरा, गरियाबंद | जय मां शितला पण्डवाणी |
| 178 | श्री बैसाखू राम साहू, धौराभांठा, पाटन, जिला दुर्ग | लोकरस लोककला मंच |
| 179 | श्री सदाराम साहू, लोरमी, जिला मुंगेली | दुईज के चंदा लोक कला मंच |
| 180 | श्री अश्वन कुमार, पिटौरा, नंदिनी खुंदनी, जिला दुर्ग | सत्य के प्रचार पंथी पार्टी |
| 181 | श्री सिद्धार्थ महाजन, रोजगारीपारा, कोण्डागांव | बस्तर सांस्कृतिक ग्रुप |
| 182 | श्री हरि प्रेमी, बड़े रबेली, खरौदा, जांजगीरचांपा | सत्य ज्ञान छ.ग. लोकमंच |
| 183 | श्री शिवाकांत तिवारी, कसारीडीह, दुर्ग | हमर दुर्ग लोक कलामंच |
| 184 | श्री नारायण बघेल, खल्लारी, जिला महासमुंद | लोक महक लोक कला मंच |
| 185 | श्री राजेश साहू, बगदेहीपारा, गोबरा, जिला रायपुर | लोक प्रयाग लोकमंच |
| 186 | श्री तेजराम पटेल, खेमड़ा-बसना, जिला महासमुन्द | कथक नर्तक |
| 187 | सुश्री संगीता निषाद, संजय नगर टिकरापारा, रायपुर | लोकसुर संगीत संस्था |
| 188 | श्री हरबचन लाल श्रीवास, भण्डारपुर, राजनांदगांव | नवा किरण नाचा मंडली |
| 189 | श्री सुकृत साहू, अहिवारा नगर जिला दुर्ग | स्वरधारा लोकमंच |
| 190 | श्री कृष्ण कुमार रात्रे, पामगढ़, जांजगीर-चांपा | समता जागृति लोकमंच |
| 191 | श्री प्रदीप कौशिक | लोकमंच |
| 192 | श्री शिव प्रसाद मन्नाडे | लोकमंच |
| 193 | श्री भागवत कश्यप | लोकमंच |
| 194 | श्री अजित कुमार सनम | लोकमंच |
| 195 | श्री जीवन दास मानिकपुरी | लोकमंच |
| 196 | श्री गुरूदास मानिकपुरी | लोकमंच |
| 197 | श्री चन्द्रशेखर चकोर | लोकनाट्य |
| 198 | श्री रेवाराम साहू | लोक संगीत |
| 199 | श्रीमती निशां शर्मा | सूफी गजल गायन |
| 200 | श्री हेमन्त शुक्ला | भरथरी |
| 201 | श्री अंचल शर्मा | भजन, सूफी |
| 202 | श्री जसमीत कौर | गायिका |
| 203 | श्री गौतम साहू | पण्डवानी |
| 204 | श्रीमती रेणु साहू | पण्डवानी |



अनुभाग अधिकारी-
मंत्रालय,

| | | |
|---|---|---|
| 205 | श्री शशी सतनामी | सतनाम भजन |
| 206 | श्री सेवक राम यादव | गायन,वादन |
| 207 | श्रीमती अनुसुईया मानिकपुरी | लोकमंच |
| 208 | श्री दुर्गेश साहू | लोकमंच |
| 209 | श्री चैतुराम तारक | नाचा पार्टी |
| 210 | श्री गौकरण मानिकपुरी | लोकमच |
| 211 | श्रीमती गंगाबाई मानिकपुरी | पण्डवानी |
| 212 | श्री भूपेन्द्र कुमार जायसवाल | लोकमंच |
| 213 | श्री रोशन लाल | लोकमंच |
| 214 | सुश्री तारा कुलकर्णी (भारती) | गायिका |
| 215 | श्री सलीम कुमार जांगड़े | पंथी |
| 216 | श्री पुलेश्वर कुमार ढ़ीढ़ी | पंथी |
| 217 | श्री ताम्ररघु बांधे | लोकमंच |
| 218 | श्रीमती पूर्णिमा टंडन | पंडवानी |
| 219 | सुश्री आरती सिंह गहरवार | लोकमंच |
| 220 | श्री राजेश बंजारे | गायक |
| 221 | श्री दिनेश गायकवाड़ | लोकमंच |
| 222 | श्रीमती शकुन साहू | गायिका |
| 223 | श्री जनक राम निषाद | लोकमंच |
| 224 | श्री ऋषि कुमार कुर्रे | लोकमंच |
| 225 | श्री अंजोरदास ओगरे | लोकमंच |
| 226 | सुश्री सीमा कुर्रे | लोक गायिका |
| 227 | सुश्री बिन्दा बाई | लोक गायिका |
| 228 | श्री धनीराम चांदने | लोक गायक |
| 229 | श्री अश्वनी गंधर्व | लोकमंच |
| 230 | श्री अमित कमल कोसले | गायक |
| 231 | श्री अमिताभ बांधे | कामेडियन |
| 232 | सुश्री संगीता चांदने | लोक गायिका |
| 233 | श्री घासीराम रात्रे | लोकगीत/कवि |
| 234 | श्रीमती अन्नपूर्णा क्षत्रीय | लोकमंच |
| 235 | सुश्री चांदनी पारख | गायिका |
| 236 | श्री मनोहर धृतलहरे | गायक |
| 237 | श्री विशाल कुमार साहू | लोकमंच |
| 238 | सुश्री सरला गंधर्व | लोकमंच |
| 239 | श्री माधो राम साहू | लोकमंच |
| 240 | सुश्री हेमलता बंजारे | गायिका |
| 241 | श्री हेमलाल कौशल | लोकमंच |
| 242 | श्री रामदास कुर्रे | लोकमंच |
| 243 | श्री प्रेम यादव | कमार नृत्य |
| 244 | सुश्री राधिका शर्मा | कत्थक |
| 245 | सुश्री संगीता कापसे | कत्थक |
| 246 | सुश्री शुचिस्मिता दत्ता | कत्थक |
| 247 | सुश्री तारा साहू | लोकमंच |
| 248 | श्री गोफेलाल गेंदले | लोकमंच गायक/निर्देशक |



अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,

| | | |
|---|---|---|
| 249 | श्री अशोक श्रीवास | गायन/वादन |
| 250 | श्री पूनम चंद बारले | पंथी |
| 251 | श्री रोशन कुमार साहू | लोकमंच |
| 252 | श्री दिनेश कुमार जांगड़े | पंथी |
| 253 | सुश्री भुनेश्वरी निर्मलकर (भानु निर्मलकर) | गायिका |
| 254 | श्री आगर आनंद | लोकमंच |
| 255 | श्री अजय कुमार सोनवानी (अजय अटपटू) | कवि |
| 256 | श्री पन्नालाल जांगड़े | पंडवानी |
| 257 | श्री काशीराम गजेन्द्र | पंडवानी |
| 258 | श्री दसरू राम डहरिया | पंडवानी |
| 259 | सुश्री लक्ष्मी दुबे | भजन गायक |
| 260 | श्री जयश्री भगवानानी | चित्रकला |
| 261 | श्री विजय सिंह | गायक |
| 262 | श्री धनीदास मानिकपुरी | गायक |
| 263 | सुश्री सरिता सेन | लोकमंच |
| 264 | श्री लेखराम नाविक | पंडवानी |
| 265 | सुश्री मुस्कान साहू | गायिका |
| 266 | श्री संगीत रजक | लोकमंच |
| 267 | कु. संयुक्ता बोस | गायन |
| 268 | श्री सचिन तिवारी | भजन गायक |
| 269 | सुश्री मधुरानी | लोक गायिका |
| 270 | श्री मिलन रंगीला | लोक कला मंच |
| 271 | श्री राकेश कुमार घृतलहरे | नृत्य निर्देशक कलाकार |
| 272 | श्री नरेन्द्र साहू, अशोगा, रानीतरई, पाटन, जिला दुर्ग | हारमोनियम वादक |
| 273 | श्रीमती चंदारानी विश्वकर्मा, लोरमी, जिला मुंगेली | मया के मोहनी लोकमंच |
| 274 | श्री समारू देशलहरा, नवागांव बोरी, जिला दुर्ग | सुर गंगा, लोक कला मंच |
| 275 | सुश्री विमला बघेल, पेण्ड्रावन, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार | रागिनी लोकमंच |
| 276 | श्री जितेन्द्र सोनवानी, कोसरंगी, जिला रायपुर | नवा बिहनिया लोक कलामंच |
| 277 | श्री अनुज राम यादव, बोरिया बेरला, जिला बेमेतरा | जय महाकाल राउत नाचा |
| 278 | श्री पमित चेलक, रिको-पलोद, जिला रायपुर | मित के मया लोकमंच |
| 279 | श्री राधेश्याम साहू, रनचिरई जिला बालोद | जय गंगा मैया पंडवाणी |
| 280 | श्री अमित यादव, सोनपुरी, बलौदाबाजार | छ.ग. लोकसरिता लोकमंच |
| 281 | श्री सूर्यकांत कुर्रे, मुंगेली | लोक स्वराधना लोक कलामंच |
| 282 | श्री ओम तिवारी, कसारीडीह दुर्ग | ओंमकार लोक कला मंच |
| 283 | श्री दीपेश साव, ठेकवा-सोमनी, जिला राजनांदगांव | खुमान साव कृत चंदैनी गोंदा |
| 284 | श्री लीलाधर विश्वकर्मा, सेलुद, जिला दुर्ग | जय गंगा मैया पंडवाणी |
| 285 | श्री रवि कुमार साहू, जामगांव जिला बालोद | जय गंगा मैया पंडवाणी |
| 286 | श्री महेन्द्र कुमार निर्मलकर, भरर रनचिरई, जिला दुर्ग | जय गंगा मैया पंडवाणी |
| 287 | श्री बलराम साहू, बहतराई रोड़, बिलासपुर | सुर स्वरागिनी लोक मंच |
| 288 | श्री अमर दास बारले, भिलाई, जिला दुर्ग | पंथी पार्टी भिलाई |
| 289 | श्री रज्जू चन्द्रवंशी (मनचला) | लोकमंच |
| 290 | श्री सौखी लाल | लोकमंच |
| 291 | श्री उदय राम | राउत नाचा |
| 292 | श्री घनाराम साहू | मानस मण्डली |



अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,

| | | |
|---|---|---|
| 293 | श्री राजकुमार मिरी | लोक गायन |
| 294 | श्री लखन लाल धिवडोन्डे | सतनाम भजन पंथी |
| 295 | श्री रामनारायण सतनामी | सतनाम भजन |
| 296 | श्री कार्तिक राम साहू | नाचा पार्टी |
| 297 | श्री जनक राम चतुर्वेदी | लोकमंच |
| 298 | श्री मनहरण साहू | लोकमंच |
| 299 | श्री विरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी | लोकमंच |
| 300 | श्री श्याम बंजारे | लोकमंच |
| 301 | कु. दामिनी गायकवाड़ | करमा, बालीवुड डांस |
| 302 | सुश्री माहुरी शर्मा | भजन, सूफी |
| 303 | कु. आनदीता तिवारी | कत्थक |
| 304 | श्री थुकेल राम विश्वकर्मा | तबला वादन, पण्डवानी |
| 305 | श्री रवि श्रीवास | लोकमंच |
| 306 | श्री शिवदयाल साहू | लोकमंच |
| 307 | श्री परसुराम यादव | लोकमंच |
| 308 | श्री मुकेश जंघेल | लोकमंच |
| 309 | श्रीमती महुआ मजुमदार | लोकमंच |
| 310 | श्री गैंदलाल देशलहरा | सतनाम भजन |
| 311 | श्री राजेश अवस्थी | अभिनेता, निर्देशक,लोकगायक |
| 312 | श्री चंदूराम कंवर | फाग मण्डली |
| 313 | श्री बुधारू राम यादव | नाचा गम्मत |
| 314 | श्री भरत छुरा | संगीतकार |
| 315 | श्रीमती हीराबाई चक्रधारी | सुआ नृत्य |

अनुभाग अधिकारी
...कृति विभाग, मंत्रालय,
...भवन, अटल नगर,
...रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र–ब

| क्र. | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष (लाभान्वित कलाकार संख्या) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 |
| 1. | अर्थाभावग्रस्त साहित्यकार/कलाकार मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) | 154 | 141 | 134 |
| 2. | कलाकार कल्याण कोष (चिकित्सा अनुदान) | 24 | 8 | 45 |
| 3. | मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना | 43 | 0 | 21 |
| 4. | अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना | 11 | 0 | 3 |
| 5. | संगीत की दुर्लभ शैलियों व वाद्यों हेतु आर्थिक सहायता | 199 | 0 | 25 |
| 6. | विभिन्न अशासकीय निजी संस्थाओं हेतु आर्थिक अनुदान/ वैयक्तिक अनुदान | 239 | 504 | 379 |
| 7. | विवेकानन्द प्रबुद्ध विश्व संस्थान | 0 | 0 | 0 |

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
नवा-रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - एक सौ एक

अतारांकित प्रश्न संख्या 86 (क्र. 1013) की जानकारी

प्रपत्र– 'अ'

## शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोण्डागांव हेतु प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी

| क. | प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि | प्रस्तावकर्ता का नाम | कृत कार्यवाही | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2025 | माननीय विधायक, सुश्री लता उसेंडी जी, कोंडागांव | संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक 4397 दिनांक 18.07.2025 को पत्र लिख कर उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला कोंडागांव से भूमि उपलब्धता तथा नवीन प्रक्षेत्र स्थापना हेतु प्रस्ताव चाहा गया | कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोंडागांव की पुनर्स्थापना हेतु वर्ष 2015 में ग्राम बफना में वन विभाग द्वारा 01 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई थी जिसे वर्ष 2025 में निरस्त किया गया है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवीन मद में राशि रूपये 410.95 लाख का बजट प्रावधानित किया गया। तत्समय पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण उक्त कार्य नहीं किया जा सका।<br>वर्तमान में भूमि आबंटन हेतु उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला – कोंडागांव द्वारा कलेक्टर जिला कोण्डागांव को पत्र क्रमांक 658 दिनांक 09.03.2026 से लेख किया गया है। |
| 2 | 17.01.2026 | माननीय विधायक, सुश्री लता उसेंडी जी, कोण्डागांव | उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें जिला–कोण्डागांव को पत्र कमांक 1438 दिनांक 23.02.2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया,<br>जिसके स्पष्टीकरण में भूमि आबंटन नही होने का कारण लेख किया गया है। | |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'ब'

## जिलेवार संचालित संस्थाओं, स्वीकृत एवं रिक्त पद की जानकारी

| क | जिला | संचालित संस्थाओं की संख्या | | स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पशु चिकित्सालय | पशु औषधालय | पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ | | | सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी | | | पट्टीबंधक | | | परिचारक | | | स्वच्छकर्ता/परिचारक /सह चौकीदार | | |
| | | | | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
| 1 | बस्तर | 12 | 37 | 19 | 17 | 2 | 65 | 31 | 34 | 12 | 9 | 3 | 49 | 43 | 6 | 47 | 7 | 40 |
| 2 | नारायणपुर | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 18 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | कोण्डागॉव | 7 | 28 | 19 | 16 | 3 | 57 | 37 | 20 | 7 | 6 | 1 | 48 | 46 | 2 | 37 | 8 | 29 |
| 4 | कांकेर | 16 | 43 | 39 | 33 | 6 | 106 | 63 | 43 | 16 | 8 | 8 | 83 | 68 | 15 | 64 | 2 | 62 |
| 5 | सुकमा | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 21 | 3 | 18 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | दंतेवाड़ा | 8 | 10 | 24 | 10 | 14 | 42 | 10 | 32 | 8 | 6 | 2 | 27 | 25 | 2 | 23 | 8 | 15 |
| 7 | बीजापुर | 7 | 12 | 14 | 8 | 6 | 29 | 6 | 23 | 7 | 6 | 1 | 20 | 14 | 6 | 21 | 11 | 10 |
| | **योग** | **61** | **144** | **134** | **96** | **38** | **338** | **158** | **180** | **61** | **42** | **19** | **254** | **216** | **38** | **219** | **57** | **162** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र– 'स'

## जिलेवार भवनविहिन संस्थाओं की जानकारी

| क. | जिला | संस्थाओं की कुल संख्या | | भवनविहिन संस्थाओं की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पशु चिकित्सालय | पशु औषधालय | पशु चिकित्सालय | पशु औषधालय |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | बस्तर | 12 | 37 | 0 | 13 |
| 2 | नारायणपुर | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | कोण्डागॉव | 7 | 28 | 0 | 5 |
| 4 | कांकेर | 16 | 43 | 0 | 4 |
| 5 | सुकमा | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 6 | दंतेवाड़ा | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 7 | बीजापुर | 7 | 12 | 0 | 10 |
| | **योग** | **61** | **144** | **0** | **40** |

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

I/511176/2026

परिशिष्ट - एक सौ दो

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 (क्र. 1016) की जानकारी

प्रपत्र

## जिला–सरगुजा अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित राज्य पोषित योजना एवं केन्द्र पोषित योजना की जानकारी तथा इन योजनाओं एवं जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत प्राप्त आबंटन, कार्य की स्थिति तथा इससे लाभान्वित कृषकों की जानकारी

| क. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक | राज्य पोषित योजना | फल क्षेत्र विस्तार योजना | 5.687 | - | पूर्ण | - | राशि रू. 78.743 का व्यय 31.12.2022 की स्थिति में व्यय किया जा चुका है। |
| | | | नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों के प्रोत्साहन की योजना | 6.463 | 6.463 | पूर्ण | 184 | |
| | | | पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम | 51.000 | 10.091 | पूर्ण | 1000 | |
| | | | उद्यानिकी प्रशिक्षण | 0.795 | 0.795 | पूर्ण | 795 | |
| | | | सामुदायिक फेंसिंग योजना | 32.147 | - | पूर्ण | - | |
| | | | **योग** | **96.092** | **17.349** | | **1979** | |
| 2 | | जिला खनिज न्यास संस्थान निधि | सब्जी उत्पादन को बढावा देने के उद्देशय से जिले के सभी 07 विकासखण्डो में सब्जी बीज मिनिकिट वितरण कार्य | 70.370 | 70.370 | पूर्ण | 5600 | |
| | | | जिले के सभी 07 विकासखण्डो में विभागीय,डीएमएफ एवं कृषक अंश के अभिसरण से सामुदायिक फेंसिग कार्य | 16.509 | 16.458 | पूर्ण | 115 | |
| | | | **योग** | **86.879** | **86.828** | | **5715** | |
| 3 | | राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना | सब्जी क्षेत्र विस्तार | 38.000 | 38.000 | पूर्ण | 712 | |
| | | | पुष्प क्षेत्र विस्तार | 12.000 | 12.000 | पूर्ण | 120 | |
| | | | मसाला क्षेत्र विस्तार | 3.000 | 3.000 | पूर्ण | 63 | |
| | | | **संरक्षित खेती–** | | | | | |
| | | | मल्चिंग | 31.840 | 31.840 | पूर्ण | 185 | |
| | | | **उद्यानिकी यंत्रीकरण** | | | | | |
| | | | पॉवर स्प्रेयर | 4.950 | 4.950 | पूर्ण | 183 | |
| | | | पलवाईजर | 9.600 | 9.600 | पूर्ण | 30 | |
| | | | **योग** | **99.390** | **99.390** | | **1293** | |
| | | | **कुल योग** | **282.361** | **203.567** | | **8987** | |
| | | | फल क्षेत्र विस्तार योजना | 8.694 | 8.282 | पूर्ण | 329 | |

| क. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2023–24 | राज्य पोषित योजना | नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों के प्रोत्साहन की योजना | 8.225 | 7.940 | पूर्ण | 175 | |
| | | | पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम | 50.000 | 50.000 | पूर्ण | 5000 | |
| | | | उद्यानिकी प्रशिक्षण | 0.795 | 0.795 | पूर्ण | 90 | |
| | | | सामुदायिक फेंसिंग योजना | 65.427 | 65.427 | पूर्ण | 205 | |
| | | | **योग** | **133.141** | **132.444** | | **5799** | |
| 2 | | जिला खनिज न्यास संस्थान योजना | विकासखण्ड लुण्ड्रा,बतौली एवं सीतापुर में विभागीय,डीएमएफ एवं कृषक अंश के साथ उद्यानिकी में यंत्रीकरण –पावर वीडर का प्रस्ताव | 63.421 | 63.421 | पूर्ण | 125 | |
| | | | विकासखण्ड अम्बिकापुर,लखनपुर,उदयपुर एवं मैनपाट में विभागीय,डीएमएफ एवं कृषक अंश के साथ उद्यानिकी में यंत्रीकरण –पावर वीडर का प्रस्ताव | 39.762 | 39.762 | पूर्ण | 72 | |
| | | | जिले के विकासखण्ड अम्बिकापुर,उदयपुर,सीतापुर एवं मैनपाट में सब्जी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत भिण्डी बीज वितरण | 21.332 | 21.332 | पूर्ण | 440 | |
| | | | जिले के विकासखण्ड लखनपुर,बतौली एवं लुण्ड्रा में सब्जी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत टमाटर बीज वितरण | 20.040 | 20.040 | पूर्ण | 400 | |
| | | | जिले के विकासखण्ड लखनपुर,उदयपुर,बतौली एवं सीतापुर में सब्जी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत लौकी बीज वितरण | 20.050 | 20.050 | पूर्ण | 100 | |
| | | | सब्जी उत्पादन को बढावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी 07 विकासखण्डो में सब्जी बीज मिनिकिट वितरण कार्य वर्ष 2023–24 | 70.608 | 70.608 | पूर्ण | 5600 | |
| | | | जिले के सभी 07 विकासखंडो में वन अधिकार पत्र धारक कृषकों को डी.एम.एफ. एवं कृषक अंश के साथ पावर स्प्रेयर वितरण कार्य | 59.998 | 59.998 | पूर्ण | 1783 | |
| | | | जिले के सभी 07 विकासखंडो में डी.एम.एफ. एवं कृषकअंश के साथ ड्रीप प्रतिस्थापन कार्य | 48.744 | 48.744 | पूर्ण | 119 | |
| | | | **योग** | **343.955** | **343.955** | | **8639** | |
| | | | फल क्षेत्र विस्तार | 59.807 | 59.807 | पूर्ण | 501 | |

| क. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 2023–24 | राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना | सब्जी क्षेत्र विस्तार | 44.000 | 44.000 | पूर्ण | 1749 | |
| | | | पुष्प क्षेत्र विस्तार | 24.000 | 24.000 | पूर्ण | 388 | |
| | | | मसाला क्षेत्र विस्तार | 17.880 | 17.880 | पूर्ण | 206 | |
| | | | **संरक्षित खेती–** | | | | | |
| | | | फेन एण्ड पैड | 10.650 | 10.650 | पूर्ण | 1 | |
| | | | पॉली हाउस | 12.660 | 12.660 | पूर्ण | 1 | |
| | | | शेडनेट हाउस | 198.800 | 198.800 | पूर्ण | 27 | |
| | | | मल्चिंग | 41.250 | 41.250 | पूर्ण | 215 | |
| | | | **मधुमक्खी पालन** | | | | | |
| | | | हनी बी कॉलोनी | 8.000 | 8.000 | पूर्ण | 20 | |
| | | | बी–हाईब्स | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | | उपकरण | 3.200 | 3.200 | | | |
| | | | उद्यानिकी यंत्रीकरण | 141.893 | 141.893 | पूर्ण | 363 | |
| | | | प्रशिक्षण एवं भ्रमण | 26.030 | 26.030 | पूर्ण | 170 | |
| | | | पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट | 20.000 | 20.000 | पूर्ण | 15 | |
| | | | **योग** | **616.170** | **616.170** | | **3656** | |
| 4 | | पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना | बांस पौध रोपण | 7.500 | 7.500 | पूर्ण | 82 | |
| | | | **योग** | **7.500** | **7.500** | | **82** | |
| | | | **कुल योग** | **1100.766** | **1100.069** | | **18176** | |
| 3 | 2024–25 | राज्य पोषित योजना | फल क्षेत्र विस्तार योजना | 12.856 | 12.849 | पूर्ण | 414 | |
| | | | नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों के प्रोत्साहन की योजना | 8.230 | 8.225 | पूर्ण | 175 | |
| | | | पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम | 32.000 | 32.000 | पूर्ण | 3200 | |
| | | | उद्यानिकी प्रशिक्षण | 6.850 | 6.850 | पूर्ण | 699 | |
| | | | सामुदायिक फेंसिंग योजना | 54.484 | 42.940 | पूर्ण | 51 | |
| | | | **योग** | **114.420** | **102.864** | | **4539** | |
| | | | फल क्षेत्र विस्तार | 32.701 | 32.701 | पूर्ण | 297 | |

| क. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 2024–25 | राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना | सब्जी क्षेत्र विस्तार | 422.903 | 422.903 | पूर्ण | 4329 | |
| | | | पुष्प क्षेत्र विस्तार | 40.414 | 40.414 | पूर्ण | 356 | |
| | | | मसाला क्षेत्र विस्तार | 21.749 | 21.749 | पूर्ण | 327 | |
| | | | **संरक्षित खेती–** | | | पूर्ण | | |
| | | | शेडनेट हाउस | 493.450 | 493.450 | पूर्ण | 49 | |
| | | | प्लास्टिक मल्चिंग | 24.020 | 24.020 | पूर्ण | 125 | |
| | | | फेन एण्ड पेड सिस्टम | 28.000 | 28.000 | पूर्ण | 1 | |
| | | | नेचुरली वेंन्टीलेटेड सिस्टम | 49.796 | 49.796 | पूर्ण | 3 | |
| | | | **उद्यानिकी यंत्रीकरण** | | | | | |
| | | | पॉवर वीडर | 147.801 | 147.801 | पूर्ण | 242 | |
| | | | पॉवर स्प्रेयर | 6.000 | 6.000 | पूर्ण | 247 | |
| | | | **मधुमक्खी पालन** | | | | | |
| | | | हनी बी कॉलोनी | 4.000 | 4.000 | पूर्ण | 11 | |
| | | | बी–हाईब्स | 4.000 | 4.000 | पूर्ण | | |
| | | | उपकरण | 1.600 | 1.600 | पूर्ण | | |
| | | | प्रशिक्षण एवं भ्रमण | **8.068** | **8.068** | पूर्ण | 90 | |
| | | | पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट | 46.000 | 46.000 | पूर्ण | 23 | |
| | | | **योग** | **1330.502** | **1330.502** | | **6100** | |
| 3 | | पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना | बांस पौध रोपण | **31.250** | **31.250** | पूर्ण | 200 | |
| | | | **योग** | **31.250** | **31.250** | | **200** | |
| | | | **कुल योग** | **1476.172** | **1464.616** | | **10839** | |
| 1 | 2025–26 | राज्यपोषित योजना | समेकित उद्यानिकी कार्य योजना | 172.818 | 134.027 | पूर्ण | 158 | |
| | | | मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना | 53.749 | 52.420 | पूर्ण | 151 | |
| | | | आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना | 32.480 | 23.420 | पूर्ण | 96 | |
| | | | उद्यानिकी प्रशिक्षण | 6.740 | 6.740 | पूर्ण | 674 | |
| | | | **योग** | **265.787** | **216.607** | | **1079** | |
| | | | फल क्षेत्र विस्तार | 19.954 | 19.954 | पूर्ण | 410 | |

PLGMJ/2434/2026-Agriculture Section(Technical)
I/511176/2026

| क. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 2025–26 | राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना | सब्जी क्षेत्र विस्तार | 16.450 | 16.450 | पूर्ण | 80 | |
| | | | पुष्प क्षेत्र विस्तार | 4.500 | 4.500 | पूर्ण | 29 | |
| | | | मसाला क्षेत्र विस्तार | 0.219 | 0.219 | पूर्ण | | |
| | | | **संरक्षित खेती–** | | | | | |
| | | | प्लास्टिक मल्चिंग | 5.982 | 5.982 | पूर्ण | 18 | |
| | | | एडॉन सपोर्ट सिस्टम फॉर वेजीटेबल | 1.800 | 1.800 | पूर्ण | 23 | |
| | | | फेसिंग | 4.725 | 4.725 | पूर्ण | 4 | |
| | | | जैविक खेती वर्मी टाका | 0.500 | 0.500 | पूर्ण | 1 | |
| | | | **मधुमक्खी पालन** | | | | | |
| | | | हनी बी कॉलोनी | 3.600 | 3.600 | पूर्ण | 6 | |
| | | | बी–हाईब्स | 1.800 | 1.800 | पूर्ण | | |
| | | | उपकरण | 0.800 | 0.800 | पूर्ण | | |
| | | | प्रशिक्षण एवं भ्रमण | 8.699 | 8.699 | पूर्ण | 134 | |
| | | | पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट | 4.000 | 4.000 | पूर्ण | 2 | |
| | | | **योग** | **73.028** | **73.028** | | **707** | |
| 3 | | पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना | बांस पौध रोपण | 72.000 | 71.290 | पूर्ण | 300 | |
| | | | **योग** | **72.000** | **71.290** | | **300** | |
| 4 | | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | ग्राफ्टैड टमाटर/बैंगन | 91.800 | 91.200 | पूर्ण | 304 | |
| | | | **योग** | **91.800** | **91.200** | | **304** | |
| 5 | | नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल – ऑयल पॉम | नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पॉम योजना | 26.356 | 26.356 | पूर्ण | 66 | |
| | | | रखरखाव | 4.477 | 4.477 | पूर्ण | 59 | |
| | | | अंतरवर्ती फसल | 4.523 | 4.523 | पूर्ण | 60 | |
| | | | ड्रिप | 8.224 | 8.224 | पूर्ण | 36 | |
| | | | बोरव्हेल | 14.000 | 14.000 | पूर्ण | 28 | |
| | | | पम्प प्रतिस्थापन | 6.750 | 6.750 | पूर्ण | 25 | |
| | | | पम्प प्रतिस्थापन अन्य किसान | 0.675 | 0.675 | पूर्ण | 3 | |
| | | | किसानों को प्रशिक्षण | 0.900 | 0.900 | पूर्ण | 90 | |
| | | | **योग** | **65.905** | **65.905** | | **367** | |

| क. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | 2025–26 | नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल पॅाम के अतिरिक्त देय अनुदान के अलावा अतिरिक्त अनुदान सहायता | अनुरक्षण, अंतरवर्तीय फसली रोपण एवं अधोसंरचना विकास | 47.974 | 47.974 | पूर्ण | 180 | |
| | | | **योग** | **47.974** | **47.974** | | **180** | |
| | | | **कुल योग** | **616.495** | **566.005** | | **2937** | |
| 1 | 2026–27 (15.06.2026 तक) | राज्य पोषित योजना | समेकित उद्यानिकी कार्य योजना | 63.632 | 0.000 | प्रगतिरत | 0 | |
| | | | मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना | 50.112 | 0.000 | प्रगतिरत | 0 | |
| | | | आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना | 55.350 | 0.000 | प्रगतिरत | 0 | |
| | | | मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण योजना | 12.000 | 0.000 | प्रगतिरत | 0 | |
| | | | **योग** | **181.094** | **0.000** | | **0** | |
| 2 | | राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना | फल क्षेत्र विस्तार | 28.146 | 28.146 | पूर्ण | 200 | |
| | | | सब्जी क्षेत्र विस्तार | 11.880 | 11.880 | पूर्ण | 97 | |
| | | | पुष्प क्षेत्र विस्तार | 5.500 | 5.500 | पूर्ण | 35 | |
| | | | **संरक्षित खेती–** | | | | | |
| | | | फेन एण्ड पेड सिस्टम | 8.000 | 8.000 | पूर्ण | 1 | |
| | | | नेचुरली वेंन्टीलेटेड सिस्टम | 11.875 | 11.875 | पूर्ण | 1 | |
| | | | शेडनेट हाउस | 17.218 | 17.218 | पूर्ण | 2 | |
| | | | एडॉन सपोर्ट सिस्टम फॉर वेजीटेबल | 2.200 | 2.200 | पूर्ण | 24 | |
| | | | **मधुमक्खी पालन** | | | | | |
| | | | हनी बी कॉलोनी | 4.400 | 4.400 | पूर्ण | 6 | |
| | | | बी–हाईब्स | 2.200 | 2.200 | पूर्ण | | |
| | | | उपकरण | 0.800 | 0.800 | पूर्ण | | |
| | | | प्रशिक्षण एवं भ्रमण | 2.627 | 2.627 | पूर्ण | 16 | |
| | | | **योग** | **94.846** | **94.846** | | **382** | |

PLGMJ/2434/2026-Agriculture Section(Technical) I/511176/2026

| क्र. | वर्ष | संचालित योजना का नाम | घटक का नाम | प्राप्त आबंटन (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | कार्य की वर्तमान स्थिति | लाभान्वित कृषक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 2026–27 (15.06.2026 तक) | नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पॉम | नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पॉम योजना | 65.518 | 0.000 | – | 0 | |
| | | | **योग** | **65.518** | **0.000** | | **0** | |
| 4 | | नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल पॉम के अतिरिक्त देय अनुदान के अलावा अतिरिक्त अनुदान सहायता | अनुरक्षण, अंतरवर्तीय फसली रोपण एवं अधोसंरचना विकास | 34.810 | 0.000 | – | 0 | |
| | | | **योग** | **34.810** | **0.000** | | **0** | |
| 5 | | पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना | | 54.110 | 0.000 | – | 0 | |
| | | | **योग** | **54.110** | **0.000** | | **0** | |
| | | | **कुल योग** | **430.378** | **94.846** | | **382** | |

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 09-07-2026
12:11:47

**(विकास मिश्रा)**
**उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**कृषि विकास एवं किसान कल्याण**
**तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**

परिशिष्ट - एक सौ तीन

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 (क्र. 1022) की जानकारी

"प्रपत्र"

(राशि रू. लाख में)

| क. | वर्ष | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | भुगतान हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2021-22 | निरंक | | |
| 2 | 2022-23 | निरंक | | |
| 3 | 2023-24 | प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास जारम का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 7.00 |
| 4 | 2023-24 | बालक आश्रम दुगेली का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 6.00 |
| 5 | 2023-24 | पो.मैट्रिक कन्या छात्रावास गीदम का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 7.00 |
| 6 | 2023-24 | पो. मैट्रिक कन्या छात्रावास बारसूर का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 6.00 |
| 7 | 2023-24 | प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास गीदम का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 7.00 |
| 8 | 2023-24 | पो. मैट्रिक बालक छात्रावास गीदम का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 6.00 |
| 9 | 2023-24 | बालक आश्रम अरनपुर का भवन मरम्मत कार्य | बालाजी कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 6.00 |
| 10 | 2023-24 | जिले में नलकूप खनन कार्य | दन्तेश्वरी ड्रिलिंग कम्पनी जगदलपुर | 116.59 |
| 11 | 2023-24 | आदिवासी बालक आश्रम चिकपाल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | शहनवाज अली नकुलनार | 3.05 |
| 12 | 2023-24 | आदिवासी बालक आश्रम जंगमपाल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | शहनवाज अली नकुलनार | 1.34 |
| 13 | 2023-24 | आदिवासी बालक आश्रम केषापुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | रोयहुंगा कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 3.75 |
| | | योगः– | | 169.73 |
| 14 | 2024–25 | बालका आश्रम गुड़से में सैप्टिक टेंक/शौचालय मरम्मत कार्य। | शिव इंफ्रा दन्तेवाड़ा | 5.75 |
| 15 | 2024–25 | बालक आश्रम केशापुर में भवन उन्नयन कार्य। | रोयहुगा कंस्ट्रक्शन दन्तेवाड़ा | 6.54 |
| 16 | 2024–25 | बालक आश्रम पण्डेवार में भवन उन्नयन कार्य। | शेख पत्लम सैफुल्ला दन्तेवाड़ा | 6.78 |
| 17 | 2024–25 | बालक आश्रम तेलम में भवन उन्नयन कार्य। | सायबो बाग दन्तेवाड़ा | 6.21 |
| 18 | 2024–25 | बालक आश्रम मुस्तलनार में भवन उन्नयन कार्य। | सोनु यादव दन्तेवाड़ा | 5.16 |
| 19 | 2024–25 | कन्या आश्रम मड़कामीरास में भवन उन्नयन कार्य। | सायबो बाग दन्तेवाड़ा | 5.67 |
| 20 | 2024–25 | बालक छात्रावास बालुद में भवन उन्नयन कार्य | सायबो बाग दन्तेवाड़ा | 6.18 |
| | | योगः– | | 42.29 |
| 21 | 2025–26 | निरंक | | |
| | | महायोगः– | | 212.02 |



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र ''अ'

विधानसभा क्षेत्र भरतपुर–सोनहत अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों, एकलव्य एवं विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय के स्वीकृत सीट, वास्तविव छात्र संख्या की जानकारी

| क्र. | जिले का नाम | विकास खण्ड | छात्रावास/आश्रम का नाम | स्वीकृत सीट | प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वर्ष 2023–24 | वर्ष 2024–25 | वर्ष 2025–26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास जनकपुर | 50 | 50 | 52 | 50 |
| 2 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जनकपुर | 80 | 100 | 88 | 80 |
| 3 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोटाडोल | 70 | 70 | 77 | 70 |
| 4 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बहरासी | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बहरासी | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास रामगढ़ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कुंवारपुर | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कंजिया | 30 | 35 | 30 | 30 |
| 9 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास घघरा | 40 | 44 | 43 | 40 |
| 10 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास माड़ीसरई | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कमर्जी | 30 | 45 | 30 | 30 |
| 12 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़गांवकला | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास देवगढ़ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कोटाडोल | 50 | 45 | 50 | 50 |
| 15 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भरतपुर | 50 | 50 | 38 | 34 |
| 16 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भरतपुर | 50 | 50 | 55 | 50 |
| 17 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी बालक आश्रम कमर्जी | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी कन्या आश्रम कोटाडोल | 50 | 60 | 55 | 50 |
| 19 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी कन्या आश्रम बड़वाही | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी कन्या आश्रम भरतपुर | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कछौड़ | 30 | 41 | 33 | 30 |
| 22 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कछौड़ | 50 | 70 | 50 | 50 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

| क्र. | जिले का नाम | विकास खण्ड | छात्रावास/आश्रम का नाम | स्वीकृत सीट | प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वर्ष 2023–24 | वर्ष 2024–25 | वर्ष 2025–26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास केल्हारी | 50 | 70 | 55 | 50 |
| 24 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास केल्हारी | 50 | 55 | 50 | 50 |
| 25 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बेलबहरा | 30 | 33 | 30 | 30 |
| 26 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास लालपुर | 50 | 86 | 55 | 50 |
| 27 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास खोंगापानी | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी बालक आश्रम खोंगापानी | 70 | 78 | 72 | 62 |
| 29 | भरतपुर–सोनहत | मनेन्द्रगढ | आदिवासी बालक आश्रम ताराबहरा | 50 | 57 | 50 | 50 |
| 30 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भरतपुर | 420 | 240 | 293 | 346 |
| 31 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय नौढ़िया | 200 | 80 | 115 | 156 |
| 32 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम बंशीपुर | 50 | 50 | 42 | 39 |
| 33 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम भैंसवार | 70 | 63 | 60 | 60 |
| 34 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम घुघरा | 70 | 63 | 68 | 70 |
| 35 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम कटगोड़ी | 50 | 62 | 61 | 50 |
| 36 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम लब्जी | 50 | 53 | 60 | 50 |
| 37 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम मझारटोला | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम रावतसरई | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम सिंघोर | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम सुन्दरपुर | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी बालक आश्रम तेलीमुड़ा | 60 | 60 | 60 | 59 |
| 42 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी कन्या आश्रम मेण्ड्रा | 70 | 59 | 61 | 53 |
| 43 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी कन्या आश्रम रामगढ़ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 | कोरिया | सोनहत | आदिवासी कन्या आश्रम सोनहत | 50 | 55 | 60 | 56 |
| 45 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. अनु.जाति. कन्या छात्रावास सोनहत | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 46 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास अकलासरई | 50 | 52 | 50 | 50 |
| 47 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बसवाही | 50 | 28 | 32 | 32 |

| क्र. | जिले का नाम | विकास खण्ड | छात्रावास/आश्रम का नाम | स्वीकृत सीट | प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वर्ष 2023–24 | वर्ष 2024–25 | वर्ष 2025–26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घुघरा | 20 | 53 | 55 | 50 |
| 49 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कटगोड़ी | 50 | 50 | 55 | 50 |
| 50 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पुसला | 50 | 44 | 50 | 50 |
| 51 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रामगढ़ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोनहत | 90 | 121 | 103 | 93 |
| 53 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सुन्दरपुर | 50 | 50 | 50 | 49 |
| 54 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तंजारा | 50 | 45 | 50 | 48 |
| 55 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उज्ञांव | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कटगोड़ी | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 57 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रामगढ़ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 58 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास सोनहत | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | कोरिया | सोनहत | पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कटगोड़ी | 50 | 35 | 38 | 21 |
| 60 | कोरिया | सोनहत | पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सोनहत | 50 | 27 | 37 | 27 |
| 61 | कोरिया | सोनहत | पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कटगोड़ी | 50 | 17 | 28 | 22 |
| 62 | कोरिया | सोनहत | पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास सोनहत | 50 | 50 | 54 | 50 |
| 63 | कोरिया | सोनहत | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घुघरा | 420 | 297 | 341 | 388 |
| योग | | | | 4080 | 3773 | 3816 | 3805 |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र ''ब''

विधानसभा क्षेत्र भरतपुर–सोनहत अंतर्गत धरती आबा योजना एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जिलेवार एवं संस्थावार जानकारी।

| क्र. | जिले का नाम | विकास खण्ड | छात्रावास/आश्रम का नाम | स्वीकृत कार्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास देवगढ़ | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |
| 2 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास जनकपुर | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 3 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जनकपुर | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 4 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोटाडोल | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 5 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बहरासी | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 6 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बहरासी | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 7 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास रामगढ़ | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 8 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कुंवारपुर | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 9 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कंजिया | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 10 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास घघरा | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 11 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़गांवकला | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 12 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | आदिवासी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कोटाडोल | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 13 | भरतपुर–सोनहत | भरतपुर | विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय नौढ़िया | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत् पुस्तकालय स्वीकृत |
| 14 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सुन्दरपुर | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |
| 15 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पुसला | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |
| 16 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास अकलासरई | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |
| 17 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बसवाही | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |
| 18 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घुघरा | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |
| 19 | कोरिया | सोनहत | प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कटगोड़ी | धरती आबा योजना के तहत् नवीन भवन स्वीकृत |

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर